

सामाजिक अध्ययन कक्षा X



Mahatma Gandhi is identified as the most prominent person of 20th century. Albert Einstein said, about him "Generations to come, it may well be, will scarce believe that such a man as this one ever in flesh and blood walked upon this Earth."



IN ANY EMERGENCY
DIAL
100
TELANGANA POLICE
www.tspolice.gov.in
Telangana State Police

Government of Telangana
Department of Women Development & Child Welfare - Childline Foundation

When abused in or out of school.

To save the children from dangers and problems.

When the children are denied school and compelled to work.

When the family members or relatives misbehave.

CHILD LINE
1098
NIGHT & DAY
24 HOUR NATIONAL HELPLINE

1098 (Ten...Nine...Eight) dial to free service facility.



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
तेलंगाणा, हैदराबाद

2014

తెలంగాణోదయం!
29వ రాష్ట్రంగా ఆవిర్భావం

तेलंगाणा सरकार द्वारा निशुल्क वितरण

सामाजिक अध्ययन



कक्षा X

Social Studies - Class X
(Hindi Medium)

Free



सामाजिक अध्ययन

कक्षा X



ते ग ण क द क ति
द द

तेलंगाणा सरकार द्वारा निशुल्क वितरण



भारतीय सेना



एक असाधारण जीवन
खतरों, सम्मान और गौरव से पूर्ण जीवन ।
आप उनमें से एक हो और उन्हीं में एक हो ।

सर्वश्रेष्ठ बनें



www.joinindianarmy.nic.in

शैक्षिक ऋण (EDUCATIONAL LOANS)

हमारे देश में युवा जनसंख्या को निधियों की कमी के कारण प्रायः उच्च शिक्षा सुलभ नहीं हो पाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए शैक्षिक ऋण योजना तैयार की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है - छात्रों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए बैंकिंग व्यवस्था द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। भारत में अध्ययन की अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख है जबकि विदेशों के लिए यह 20 लाख है।

एक छात्र इस योजना के लिए तभी योग्य हो सकता है, यदि वह भारतीय नागरिक हो और उसने HSC (10+2 या समान) की समाप्ति के पश्चात प्रवेश परीक्षा/श्रेष्ठता पर आधारित चयन के द्वारा विदेश या भारत में किसी मान्यता प्राप्त उच्च शैक्षिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो। अन्य मामलों में, बैंकों के द्वारा संबंधित संस्थाओं की प्रतिष्ठा और लिये गये पाठ्यक्रम के द्वारा प्रदान किये गये रोजगार के अवसर के आधार पर उचित नीति अपनायी जाती है।

ट्यूशन फीस, पुस्तकों की कीमत, छात्रावास का खर्च आदि शिक्षा से संबंधित सभी खर्चों को मिलाकर ऋण राशि प्राप्त होती है। छात्र की भावी आय के आकलन के साथ छात्र के माता-पिता भी संयुक्त कर्जदार होते हैं।

पाठ्यक्रम की अवधि में छात्र या उसके माता-पिता को ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती और ऋण का भुगतान छात्र को रोजगार मिलने के छह माह पश्चात या पाठ्यक्रम के समाप्त होने के एक वर्ष पश्चात, दोनों में से जो पहले हो, तब से ऋण का भुगतान आरंभ होता है।

इसके लिए कोई प्रक्रिया फीस नहीं होती है और यदि छात्र इस योजना के लिए योग्य हैं तो वे किसी भी व्यावसायिक बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

विस्तृत विवरण के लिए रिजर्व बैंक की इस वेबसाइट से संपर्क किया जा सकता है।

www.rbi.org.in/ and contact them at www.rbi.org.in/scripts/helpdesk.aspx

बैंकिंग ओमबड्समैन योजना, 2006

बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के विरोध ये ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए बैंकिंग ओमबड्समैन योजना 2006 आरंभ की गयी थी। शिकायत प्रतिकार यांत्रिकी को बढ़ावा देने के लिए यह योजना, रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहकों को उपलब्ध करवायी गयी है। इस योजना के अंतर्गत शिकायतकर्ता, अपनी शिकायत, एक सफेद कागज पर लिखकर या ऑन लाइन (www.bankingombudsman.rbi.org) या ई-मेल या डाक द्वारा बैंक के ओमबड्समैन को भेज सकता है। इस में उसे अपना नाम, पता, दूरभाष नंबर, बैंक खाता संख्या, ए.टी.एम या क्रेडिट कार्ड नंबर आदि का विवरण देना होता है। उसे शिकायत किये जाने के कारणों का उल्लेख तो करना ही होता है साथ ही उसे शिकायत प्रतिकार से संबंधित दस्तावेज भी लगाने होते हैं। बैंक के ग्राहक को सबसे पहले अपनी शिकायत संबंधित बैंक में 10 दर्ज करनी होती है। और उसे 30 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके पश्चात् वह बैंकिंग ओमबड्समैन से संपर्क कर सकता है किंतु यह संपर्क एक वर्ष पूर्ण होने के पहले किया जाना चाहिए। सभी सूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सूचीबद्ध प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना की परिधि में आते हैं। बैंकिंग ओमबड्समैन में शिकायत के समय किसी प्रकार की आवेदन फीस, अधिवक्ता फीस, स्टॉम्प फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बैंकिंग ओमबड्समैन का फैसला शिकायतकर्ता को मान्य नहीं होता है तो वह अपीलीय प्राधिकारिता के डिप्टी गवर्नर, ग्राहक सेवा विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में, बैंकिंग ओमबड्समैन के फैसले को चुनौती दे सकता है।

सामाजिक अध्ययन

कक्षा - X

संपादक

श्री अरविंद सम्दाना, निदेशक,
एकलव्या, भोपाल, एम.पी.

प्रो. आई. लक्ष्मी, इतिहास विभाग,
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

प्रो. एम. कोंदंडराम, राजनीति विभाग,
पी.जी. कॉलेज, सिकिंदराबाद

प्रो. ए. सत्यनारायण, (सेवानिवृत्त) इतिहास विभाग,
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

डॉ. के. नारायण रेड्डी, असिस्टेंट प्रोफेसर,
भूगोल विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

प्रो. भूपेंद्र यादव,
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बैंगलूर

डॉ. के.के. कैलाश, असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति शास्त्र विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय

डॉ. चंद्रशेखर बालाचंद्रन,
भारतीय भौगोलिक संस्था, बैंगलूर

डॉ. एन. चंद्रशुभु, असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल
विभाग, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति

प्रो. एस. पद्मजा, भौगोलिक विभाग,
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

प्रो. जी. ओमकारनाथ, अर्थ शास्त्र विभाग,
हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद

श्री सी.एन. सुब्रमन्यम,
एकलव्या, भोपाल, एम.पी.

डॉ. आई. तिरुमलै, वरिष्ठ अध्ययता
आई.सी.एस.एस.आर, नई दिल्ली

प्रो. के. विजय शानु, इतिहास विभाग,
काकातिया विश्वविद्यालय, वरंगल

डॉ. एम.बी.एस श्रीनिवासन, असिस्टेंट प्रोफेसर,
डि.इ.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली

श्री के. सुरेश, मंचि पुस्तकम, हैदराबाद

डॉ. सुकन्ना बोर, परामर्शदाता
एन.आई.पी.एफ.पी., नई दिल्ली

श्री अलेक्स. एम. जार्न,
एकलव्या, भोपाल, एम.पी.

सलाहकार लिंग संवेदनशीलता : **श्री चारु सिन्हा, I.P.S.**
निदेशक, ACB तेलंगाणा, हैदराबाद

पाठ्यपुस्तक निर्माण एवं प्रकाशन समिति

श्री. जी. गोपाल रेड्डी,
निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी, हैदराबाद, तेलंगाणा

श्री. वी. सुधाकर
निदेशक, तेलंगाणा पाठ्य पुस्तक प्रेस, हैदराबाद

डॉ. एन. उपेंद्र रेड्डी,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक
विभाग, एस.सी.ई.आर.टी, हैदराबाद



तेलंगाणा सरकार द्वारा प्रकाशित, हैदराबाद

ज्ञानून का आदर करें।
अधिकार प्राप्त करें।

विद्या से बढ़ें।
विनय से रहें।



© Government of Telangana, Hyderabad.

First Published 2014

New Impression 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Director of School Education, Hyderabad, Telangana.

We have used some photographs which are under creative common licence. They are acknowledged at later (page vii).

This Book has been printed on 70 G.S.M. S.S. Maplitho,
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free Distribution by Government of Telangana 2020-21

Printed in India
at the Telangana Govt. Text Book Press,
Mint Compound, Hyderabad,
Telangana.

हिंदी अनुवादक समूह

समन्वयक

श्री सय्यद मतीन अहमद, समन्वयक, हिंदी विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हैदराबाद

संपादक

डॉ. के.बी. मुल्ला, प्राचार्य,
बी.एड.विद्यालय, डी.बी.एच.एस., हैदराबाद

श्रीमती जी.किरण, एस.आर.जी.,
एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद

श्रीमती कविता, एस.आर.जी.,
एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद

डॉ. सुरभी तिवारी, उप प्राचार्य,
हिंदी महाविद्यालय, नल्लाकुंटा, हैदराबाद

डॉ. ज्योति श्रीवास्तव, प्रवक्ता,
हिंदी महाविद्यालय, नल्लाकुंटा, हैदराबाद

श्री सय्यद मतीन अहमद, समन्वयक,
एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद

अनुवादक

श्रीमती जी. किरण, एस.आर.जी., एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद

श्रीमती सी.पी.सिंग, प्राध्यापक, हिंदी महाविद्यालय, हैदराबाद

श्रीमती कविता, एस.आर.जी., एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद

श्री सुरेश कुमार मिश्रा, एस.आर.जी., एस.सी.आर.टी., हैदराबाद

श्रीमती शोभामहेश्वरी, गुजराती हिंदी विद्यालय, किंग कोठी, हैदराबाद

श्रीमती ममता जैसवाल, बंशीलाल बालिका विद्यालय, हैदराबाद

डॉ. विनिता सिंह, प्रध्यापिका, हिंदी महाविद्यालय, हैदराबाद

श्रीमती गीता रानी, आर्य कन्या विद्यालय, सुल्तानबाजार, हैदराबाद

डॉ. अर्चना झा, प्रध्यापिका, हिंदी महाविद्यालय, हैदराबाद

लेखक

श्रीमती एम. सत्यावती राव, सेवानिवृत्त, पी.जी.टी. राजनैतिक शास्त्र, ऑक्सफर्ड एस.एस. विद्यालय विकासपुरी, नई दिल्ली

डॉ. जी. आनंद, सहायक प्रोफेसर (सी), भूगोल विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

डॉ. एस. वेंकटरत्नम, सहायक प्रोफेसर (पी.टी), इतिहास विभाग, निजाम कॉलेज, (उ.वि.), हैदराबाद

डॉ. वेंकटेश्वर राव, टी., सहायक प्रोफेसर (सी), इतिहास विभाग, पी.जी. कॉलेज, (उ.वि.), सिकंदराबाद

श्री मदिहति नरसिंहा रेड्डी, जी.एच.एम.जेड.पी.एच.एस., पेद्दाजंगमपल्ली, वाई.एस.आर.कडपा

श्री के. लक्ष्मीनारायण, लेक्चरर, सरकारी.डाईट, अंगलूर, कृष्णा

श्री एम. पापैय्या, लेक्चरर, एस.सी.ई.आर.टी., तेलंगाना, हैदराबाद

श्री आयचित्युला लक्ष्मण राव, एस.ए., जी.एच.एस. थंगरवाड़ी, करीमनगर

डॉ. राचर्ला गणपति, एस.ए., जेड.पी.एच.एस., लाडेल्ला, वरंगल

श्री उन्देती आनंदा कुमार, एस.ए., जेड.पी.एच.एस., सुजाता नगर, खम्मम

श्री पी. जगन मोहन रेड्डी, एस.ए., जेड.पी.एच.एस., गाजवेल, मेदक

श्री. पी. रतनगापानि रेड्डी, एस.ए., जेड.पी.एच.एस., पोलकमपल्ली, महबूबनगर

श्री कोरिवि श्रीनिवास राव, एस.ए., एम.पी.यू.पी.एस.पी.आर. पल्ली, टेक्कली, श्रीकाकुलम

श्री. कासम कुमार स्वामी, एस.ए., जेड.पी.एच.एस., दौडेपल्ली, आदिलाबाद

श्री. पी. श्रीनिवासुलु, एस.ए., जेड.पी.एच.एस., हवेली घनपुर, मेदक

श्री. एन.सी. जगन्नाथ, जी.एच.एस., कुलसुमपुरा, हैदराबाद

श्री बांडी मारिया रानी, एस.ए. एम.पी.यू.पी.एस., चिलुकानगर, रंगारेड्डी

श्री. वी. गंगि रेड्डी, एस.ए., जेड.पी.एच.एस., कोंदुर्ग, महबूबनगर

श्री. टी. प्रभाकर रेड्डी, एस.ए., जेड.पी.एच.एस., शाबाद, रंगारेड्डी

श्री. एन राजपाल रेड्डी, एस.ए., जेड.पी.पी. एस.एस., स्टेशन घनपुर, जनगाम

श्रीमती. हेमा खत्री, आई.जी.एन.आई.एस, दौडेपल्ली, आदिलाबाद

समन्वयक

श्री एम.पापय्या, प्राध्यापक, एस.सी.ई.आर.टी., तेलंगाना श्रीमती डी.विजयलक्ष्मी, प्राध्यापक, एस.सी.ई.आर.टी., तेलंगाना

चित्रांकन

श्री कुरेल्ला श्रीनिवास, जी.एच.एम., जेड.पी.एच.एस., कुर्मडु, नलगोंडा प्रो. कारेन हाडैक, एच.बी.एस.सी., मुंबई

श्री पी. आंजनेयुलु, जियोमैपर, सेस्-डीसीएस, हैदराबाद

ग्राफिक्स और डिजाइनिंग

श्रीमती बै. वकुला देवी, एस.के.वी. कलर स्ट्रीम, हैदराबाद श्री कन्नय्या दारा, एस.सी.ई.आर.टी., आं.प्र., हैदराबाद

श्रीमती के. पावनी, ग्राफिक डिजाइनर, हैदराबाद

श्रीमती आरिफा सुल्ताना, रैंकर्स हिंदी अकादमी, हैदराबाद

छात्रों के नाम पत्र

प्रिय युवा मित्रों,

आप में से अधिकतर लोग 21वीं शताब्दी में पल बढ़ रहे हैं और कुछ ही समय में किसी व्यवसाय को अपनाते के काबिल बन जायेंगे और चुनाव में मतदान करने लायक भी बन जायेंगे। अब समय आ गया है कि आप उन विचारों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को समझे जो आपके जीवन को निर्धारित करने वाली हैं। यह अनेक लोगों के बहुत ही कठिन संघर्ष, बलिदान एवं सहकारी क्रियाओं के माध्यम से हमें उपलब्ध हुआ है। अगली शताब्दी में आपकी बारी है कि आप अपने भविष्य को इसी आकार में ढालें। आशा है यह पुस्तक यह समझने में आपकी सहायता करेगी कि पिछले शताब्दी के लोगों ने किस प्रकार अपने विचारों को, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को आकार दिया।

आपके माता-पिता तथा अध्यापक इसके गवाह एवं भागीदार थे। इनमें से अनेक विषयों पर निश्चित रूप से उनके मजबूत एवं विभिन्न विचार होंगे। जहाँ आप पिछली शताब्दी को समझने का प्रयास करेंगे वहीं पर आपको यह समझने की भी आवश्यकता है कि इस विषय पर लोगों में विभिन्न विचार क्या थे और आप स्वयं एक निष्कर्ष पर पहुँचें।

यह पुस्तक दो भागों में है। पहला भाग संसाधन, विकास एवं साम्यता की चर्चा करता है तो दूसरा भाग समकालीन विश्व और भारत की। संसाधन, विकास एवं साम्यता में हम यह अन्वेषण करेंगे कि हम ने भूमि का किस प्रकार उपयोग किया है जिस पर हम रहते हैं और हम किस तरह उत्पादन क्रियाकलापों में व्यस्त है। क्या हमने भूमि तथा उसके संसाधनों का सही उपयोग किया है? जिस तरह हम उत्पादन प्रक्रिया में व्यस्त है। तथा उसके परिणाम का वितरण विभिन्न लोगों में करते हैं क्या वो न्यायपूर्ण एवं उचित है?

दूसरे भाग में जो समकालीन विश्व एवं भारत पर चर्चा करता है इसमें हम पिछली शताब्दी की प्रमुख घटनाओं के प्रभाव का पता लगाएँगे। हम न केवल यह अध्ययन करेंगे कि समस्त विश्व में क्या घटित हुआ बल्कि यह भी जानेंगे कि हमारे अपने देश में क्या हुआ, खासकर पिछले कुछ समय में लोग न केवल इसलिए कार्य करते हैं कि वे विभिन्न रुचियों से प्रेरित हैं बल्कि इसलिए कि वे विभिन्न विचारों से भी प्रेरित हैं। पिछली शताब्दी में कुछ विचार जैसे समाजवाद, फ्रासीवाद, राष्ट्रवाद एवं उदारवाद ने विस्तृत रूप में लोगों की सोच एवं उनकी सामूहिक क्रियाओं को प्रभावित किया। हम इनमें से कुछ विचार धाराओं के विषय में पढ़ेंगे।

विद्यालय स्तर की पुस्तकें समकालीन घटनाओं, नीतियों एवं राजनीति पर चर्चा नहीं करती।

ऐसा इसलिए नहीं कि यह समझने में अत्यंत कठिन है बल्कि इसलिए कि इन पर सबका अभिप्राय विभाजित है और यह भय भी है कि इससे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। किंतु हमें अगर एक प्रजातांत्रिक विश्व में रहना है, तो यह भी आवश्यक है कि हम अपने मतभेदों को, विरोधों को ठीक तरह से संभाल सकें। हमें उनके विषय में बात करने से कतराना नहीं चाहिए। यह पुस्तक एक निर्भीक प्रयास है अपने युवा लोगों को विश्व की राजनैतिक, तर्क वितर्क एवं भिन्नताओं से परिचित कराने का। यह तभी सफल हो सकता है जब सभी अध्यापक, छात्र और राजनैतिक समुदाय इसे उचित तात्पर्य में ले, आत्म संयम बनाए रखें, और विभिन्न विचारों को ध्यान से तथा सहनशीलता से सुनें। यह भी हो सकता है कि यह पुस्तक एक विशिष्ट दृष्टिकोण को प्रस्तुत करें और कोई अन्य दृष्टिकोण को उचित रोशनी में प्रस्तुत न करें। इसे रोका नहीं जा सकता क्यों कि लेखक भी इंसान होते हैं और उनकी अपनी समझ होती है। जब ऐसे मुद्दे प्रकाश में आते हैं, तब अध्यापकों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे दूसरे दृष्टिकोण भी छात्रों के समक्ष सामने प्रस्तुत करें और केवल पुस्तक की ही सूचना को सही न बनाएँ। छात्रों को भी समाचार पत्र, तथा अन्य पत्रिकाएँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तथा जन सभाओं में भी शामिल होने के लिए प्रेरित करें। ताकि इस विषय की उन्हें और जानकारी भी प्राप्त हो सके।

इस पुस्तक को हम जानकारी प्राप्त करने का आरंभ समझे न कि अन्त।

पुस्तक हमें केवल यह समाचार देती है कि दूसरे क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। अन्त में आपको ही यह तय करना है कि आप इन सामाजिक समस्याओं को कैसे सुलझाएँगे? आप पर समाज को समझने की और उसे बेहतर बनाने की, ये दोनों जिम्मेदारियाँ हैं। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक इसमें आपकी सहायता करेगी।

— संपादक

इस पुस्तक के बारे में...

यह पुस्तक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम तथा आपके द्वारा अध्ययन किए जा रहे समाज का हिस्सा है। जो भी हो, याद रहे कि यह पाठ्यक्रम का छोटा सा हिस्सा है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में आपके द्वारा कक्षा में विश्लेषण व साझा करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आपको प्रश्न पूछने तथा कोई वस्तु ऐसी है, तो क्यों है, के बारे में सोचने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आपको और आपके मित्रों को कक्षा से बाहर बाजार, पंचायत या नगरपालिका कार्यालय, गाँव के खेत, मंदिर व मसजिद तथा संग्रहालय जाकर पता लगाने की आवश्यकता है। आपको कई लोगों, किसानों, दुकानदारों, अधिकारीगण, पुरोहित आदि से मिलकर चर्चा करनी होगी।

यह पुस्तक आपको समस्याओं के दायरे से परिचित करायेगी। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उत्तर नहीं है। वास्तव में यह पुस्तक 'पूर्ण' रूप में नहीं है। यह पुस्तक तभी 'पूर्ण' कहलायेगी जब आप और आपके मित्र, अध्यापक स्वयं के प्रश्नों व अनुभवों पर बिना डरे चर्चा करें और कारण बताएँ। हो सकता है कि आपके मित्र आपसे सहमत न हो, किंतु पता करो कि उनका दृष्टिकोण क्या है? अंत में अपने उत्तर पर आइए। आपको अपने उत्तर पर अभी भी उतना विश्वास नहीं होगा। आप अपना मन बनाने के लिए बहुत प्रयास - खोजबीन करेंगे। ऐसी स्थितियों में अपने प्रश्नों की सूची ध्यान से बनाइए और अपने मित्रों, अध्यापकों अथवा बड़ों की सहायता से प्रश्न हल करें।

हम इस कक्षा में मुख्य रूप से समकालीन विश्व में भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। पिछले 100 वर्षों का समय संसार के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का समय था जिसके कारण दो प्रमुख विश्व युद्ध लड़े गये थे। अनेक देश स्वतंत्र हुए, एवं अनेक प्रयोग किए गए ताकि एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक विश्व की स्थापना हो सके।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लिए नीतियाँ अपनाई जिससे आर्थिक प्रगति हो, निर्धनता का निर्मूलन किया जा सके, दूसरे देशों पर अन्न तथा औद्योगिक वस्तुओं पर निर्भरता को कम किया जा सके, तथा देश में ही लाभकारी रोजगार व्यवस्था उत्पन्न हो सके। भारत ने निजी स्वतंत्रता की गारंटी के साथ, देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ की। इस पुस्तक में हम भारत के विकास के दोनों पहलुओं का, उसकी अर्थव्यवस्था का एवं राजनीति का अध्ययन करेंगे।

जैसे ही आप इस पुस्तक को कक्षा में पढ़ेंगे, आपके सामने कई प्रश्न आएँगे। अतः ऐसे स्थानों पर रुककर उनके उत्तर देने का प्रयास करें अथवा सुझाए गए क्रियाकलाप करें और आगे बढ़ें। पाठ को तेजी से पढ़ाकर समाप्त करना नहीं है, बल्कि प्रश्नों की चर्चा करते हुए सुझाए गए क्रियाकलाप करें। इन मामलों का हमपर और समाज के विभिन्न वर्गों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ने के कारण, इनपर अलग-अलग दृष्टिकोण होना सहज है। हमें कक्षा-कक्ष में यह सीखना है कि हम किस प्रकार इन विभिन्न दृष्टिकोणों में सहभागी बनें और संवेदनशीलता के साथ इन्हें समझ सकें। हमारे प्रजातंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए यह अनिवार्य है।

कई पाठ परियोजना कार्य सुझाते हैं, जिन्हें करने के लिए आप कुछ दिन ले सकते हैं। इन परियोजनाओं से आप में सामाजिक विज्ञान की जानकारी एवं विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण के कौशलों का विकास होता है। ये परियोजनाएँ पाठ में लिखी सामग्री को स्मरण करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

कृपया आप याद रखें कि पाठ में जो दिया गया है उसे स्मरण न करें, बल्कि उनके विषय में सोचिए और स्वयं की अपनी विचारधारा बनाइए।

निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, तेलंगाणा, हैदराबाद

तेलंगाणा सरकार द्वारा निशुल्क वितरण 2020-21

इस पुस्तक के उपयोग के लिए अध्यापक तथा विद्यार्थियों के लिए कुछ सूचनाएँ

इस पुस्तक को ही ज्ञान का अंत न समझे। इसपर चर्चा कीजिए, वाद विवाद कीजिए तथा प्रश्न पूछिये वास्तव में यह पाठ्य पुस्तक एक अवसर प्रदान करती है कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा करने का। यह अति उत्तम होगा यदि अध्यापक यह सुनिश्चित करें की ये अध्याय कक्षा में पढ़े जाएँगे तथा इन पर सुझावित पंक्तियों के साथ चर्चा भी की जाएँगी।

- **विषयवस्तु की भाषा :** इस पुस्तक की विषयवस्तु को बाल मित्रवत् तरीके में लिखने का प्रयास किया गया है। कहीं-कहीं कुछ ऐसे पदों और विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया गया है जिसकी व्याख्या और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चर्चित अवधारणाओं की उपयुक्तता के आधार पर ही प्रायः उदाहरण देने के प्रयास किये गये हैं। प्रत्येक अध्याय में केन्द्रीय विचार हैं, जिन्हें बहुधा उपशीर्षकों के अंतर्गत दिया गया है। एक कालांश में आप लगभग 2 से 3 उपशीर्षकों को पूरा कर सकते हैं।
- इस पाठ्यपुस्तक में लेखन की विभिन्न शैलियों का प्रयोग हुआ है। अध्याय-3 में नरसिंहा और राजेश्वरी के जीवन और श्रम परिस्थितियों के अंतर का परिचय छात्रों से करवाने के मामले में कभी-कभी यह वर्णनात्मक हो जाती है। ये वर्णन समाज में प्रचलित वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। अध्याय-8 में छात्र रामपुर गाँव के केस अध्ययन द्वारा गाँव की अर्थव्यवस्था को समझ सकेंगे और यहाँ पर चर्चित गतिविधियों की तुलना अपने गाँव की अर्थ-व्यवस्था से कर सकेंगे। अध्याय 6, 8, 11 और 12 में कुछ तालिकाएँ, वृत्त चित्र और स्तंभ चित्र जैसे आरेख दिये गये हैं। ये सब विश्लेषण और चर्चा के लिए हैं ताकि विभिन्न मुद्दों पर एक निष्कर्ष पर पहुँच जा सकें।

पहले की कक्षाओं में आपने प्राकृतिक आपदाओं, महिला सुरक्षा से संबंधित कुछ अधिनियमों और RTI और RTE के कुछ अंशों के बारे में पढ़ा है। इस वर्ष आप अध्याय-21 जो सूचना का अधिकार अधिनियम RTI से संबंधित है, में सरकार के विभागों के साथ-साथ नागरिकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को जानने का प्रयास कर सकेंगे।

- **पाठ के मध्य में प्रश्न का उपयोग तथा पाठ के अंत में प्रश्न :** इन अध्यायों के मध्य में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को मत छोड़िए, ये प्रश्न अध्ययन-अध्यापन विधि को पूर्ण करते हैं। ये प्रश्न अलग-अलग प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पढ़े गए अनुच्छेद के संक्षेपण तथा मूल्यांकन में सहायक होते हैं या वे पूर्व उपशीर्षक के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने में भी सहायक बनते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से बोलकर न लिखवायें। छात्रों को स्वयं उत्तर प्राप्त करने दीजिए। उन्हें उन प्रश्नों पर चर्चा करने का अवसर दें ताकि वे इन प्रश्नों का अर्थ समझ सकें और उनके उत्तर प्राप्त कर सकें।
- **इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग :** ये प्रश्न हैं- 1) विद्यार्थियों के अपने अनुभवों को लिखने के लिए कहते हैं। 2) उनके अनुभवों को गद्यांश में दिए गए उदाहरण से तुलना करने को कहते हैं। 3) पाठ्य पुस्तक में दिये गए दो या तीन परिस्थितियों की तुलना करने को कहते हैं। 4) ऐसे प्रश्न जो विद्यार्थियों को अपने विचार प्रदर्शन करने का अवसर देते हैं। जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी छात्रों के उत्तर एक ही हों। उन्हें अपने विचार प्रकट करने दीजिए। 5) अध्याय में दी गयी विशेष स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं।
- अध्यापक उन प्रश्नों को कक्षा में पूछने के लिए विभिन्न युक्तियाँ अपना सकते हैं। कुछ प्रश्नों को उत्तरपुस्तिका में लिखा जा सकता है। कुछ की छोटे समूह में चर्चा की जा सकती है। कुछ प्रश्नों को व्यक्तिगत कृत्य के रूप में लिखा जा सकता है। सभी परिस्थितियों में यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने शब्दों में लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। सभी विद्यार्थियों को एक ही शैली और ढाँचे में लिखने के लिए बाध्य न किया जाए।

- **प्रत्येक अध्याय में कुछ डिब्बे दिए गए हैं**। उनमें अध्याय से संबंधित कुछ मुख्य सूचनाएँ दी गई हैं। उनकी कक्षा में चर्चा करना आवश्यक है। इससे संबंधित क्रियाकलापों को करवाना चाहिए। लेकिन उन्हें संकलनात्मक मूल्यांकन में नहीं जोड़ना चाहिए।
- **पाठ्य पुस्तक में उपयोग किए गए चित्र** : पुस्तक में विभिन्न प्रकार के चित्रों का जैसे फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, पोस्टर आदि को विभिन्न ऐतिहासिक अंशों तथा विभिन्न स्रोतों के रूप में लिया गया है। जिस प्रकार पाठ्यपुस्तक में भिन्न-भिन्न शैलियाँ प्रयुक्त हुई हैं उसी प्रकार चित्रों में भिन्न-भिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया है। कई चित्रों के साथ प्रश्नों और कैशनों का प्रयोग हुआ है। चित्रों के महत्व पर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कक्षा-कक्ष में उन पर चर्चा होनी आवश्यक है।
- **मानचित्र, सारणियाँ तथा आलेख** : इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए मानचित्र हमें भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक तथा अर्थशास्त्रिक विषयों की जानकारी देते हैं। वे सूचनाओं को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसमें सारणियाँ और आरेख भी दिये गये हैं। समाज शास्त्र में सारणियों तथा आलेखों का अध्ययन आवश्यक है। अक्सर ये हमें विषयों की गहन सूचनाएँ प्रदान करते हैं।
- **परियोजना** : इस पाठ्यपुस्तक में विभिन्न परियोजनाओं को उल्लेखित किया गया है। सभी परियोजनाएँ पूरी करना संभव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि केवल पुस्तक के अध्ययन से विषयों का अध्ययन नहीं हो सकता। परियोजनाएँ विद्यार्थी को समाज के सदस्यों से मिलजोल बनाने में, नयी सूचनाओं को एकत्रित करने में तथा उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने में सहायक होती हैं। साक्षात्कार के लिए प्रश्न तैयार करना, बैंकों के भ्रमण की योजना बनाना, चित्रों के साथ प्रस्तुतीकरण तैयार करना, सारणियों तथा आलेखों के आधार पर विषयों को एकत्रित कर प्रस्तुत करना सामाजिक अध्ययन के कौशलों को अर्जित करने के अंतर्गत आता है। ये सभी कार्य विद्यार्थियों को मिलजुलकर सामूहिक रूप से विचारों के आदान-प्रदान द्वारा करना चाहिए।
- अभ्यास और मूल्यांकन के लिए हम पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त विषय वस्तु से संबंधित मानचित्र, तालिकाओं और आरेखों का उपयोग कर सकते हैं।
- चर्चाओं, साक्षात्कार का आयोजन वाद-विवाद और परियोजनाएँ पाठ के मध्य में या सीखने की क्षमता को सुधारें के बाद दी गयी हैं। इनका उद्देश्य छात्रों में सामाजिक चेतना, संवेदात्मक और सकारात्मक अभिरुचि का विकास है। इसीलिए उन्हें अवश्य करवाना चाहिए।

अभिस्वीकृति (ACKNOWLEDGEMENT)

इस पाठ्यपुस्तक के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तरीकों से निम्न व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले योगदानों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। जे. जाँय सोपेकॉम (SOPPECOM) पुणे, डॉ. रमणी अटकूरी मेडिकल प्रैक्टिशनर भोपाल, डॉ. होमेन थोगजम मणिपुर विश्वविद्यालय, डॉ. अजाई नियूमयी, हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रंजन राव येरदूर, बैंगलूर और के. भाग्यलक्ष्मी, मंची पुस्तकम, हैदराबाद। हम एन. सी. ई. आर. टी की पाठ्यपुस्तक से लिये गये कुछ गद्यांशों के लिए तथा चित्रांकन के लिए डॉ. केरन हेडॉक के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। इस पुस्तक में उपयोग किये गये छायाचित्रों को 1 दिसंबर 2013 के अनुसार रचनात्मक साधारण लाइसेंस के अंतर्गत फिलकर, विकीपीडिया या अन्य इंटरनेट स्रोतों से लिया गया है।

हमें अनेकों शिक्षकों, शिक्षाविदों तथा अन्यो से जो प्रतिपुष्टियाँ प्राप्त हुई हैं उससे हमें पुस्तकों के अद्यतन और पुनरावृत्ति में बहुत सहायता मिली है। उनकी इन प्रतिपुष्टियों के लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। विशेषकर, हम भारतीय इतिहास जागरुकता एवं अनुसंधान (IHAR), हॉस्टन, यू.एस.ए. के विशेष आभारी हैं जिन्होंने हमारी पाठ्यपुस्तकों की विस्तृत समीक्षा की है जिसके फलस्वरूप पाठ्यपुस्तकों में अनेक सुधार किये गये।

शैक्षिक मापदंड (AS)

इस बात पर समय दीजिए कि छात्र दिए गए पाठ को ठीक से समझ सके। पाठ के मध्य आने वाले प्रश्न इसके लिए उपयोगी हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रकार के हैं जो छात्रों को सही ढंग से सोचने, तर्क-वितर्क करने, कारण जानने, उसका असर जानने, न्याय करने, मनोचित्रण करने, विचारों का चित्रण करने, ध्यान विश्लेषण करने, सोचने, कल्पना को जागृत करने, व्याख्या करने, चिंतन करने आदि शक्ति से संबंधित हैं। मूल विचारों का हर पाठ में उप-विचारों और उदाहरणों के साथ पुनः विचार किया गया है और उन्हें मुख्य शब्दों के रूप में दिया गया है।

- 1) **संकल्पनीय अवबोध (AS1)** : पाठ के मौलिक सार के विकास की जाँच, विचार विमर्श, व्याख्या, चिंतन, केस अध्ययन, निरीक्षण द्वारा करना।
- 2) **पाठ को पढ़ना, समझना एवं उसकी व्याख्या (AS2)** : पाठ में कभी-कभार कृषकों के विषय में, कारखानों के श्रमिकों के विषय में जो चित्र होते हैं वो सीधी तरह से उस विचार या धारणा छात्रों को प्रतिपादित नहीं करते हैं। पाठ के मुख्य विचारों को समझने एवं चित्रों की व्याख्या करने का समय देना चाहिए।
- 3) **सूचनात्मक कौशल (AS3)** : केवल पाठ्य पुस्तक में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियों के विभिन्न पहलुओं को शामिल नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए शहर में रहने वाले बच्चे अपने क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं गाँव में रहने वाले बच्चे उनके क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई, टैंक आदि सुविधाओं के विषय में बता सकते हैं। यह सूचनाएँ पाठ की सूचना से एकदम मेल न खाती होगी और उनका स्पष्टीकरण करना पड़ता है। प्राजेक्ट के द्वारा छात्र जो सूचना प्राप्त करते हैं वे भी उनकी क्षमता को बढ़ाने में काफी उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए यदि छात्र किसी टैंक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वे लिखने के साथ-साथ उसका चित्र उतार सकते हैं या उसका नक्शा बना सकते हैं। सूचना कौशल में सूचनाओं से संबंधित तालिकाएँ, रिकार्ड और विश्लेषण होते हैं।
- 4) **समकालीन विषयों को दर्शाना एवं प्रश्न करना (AS4)** : छात्रों को प्रेरित करें कि वे अपने जीवन स्तर की तुलना दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न समय में रहने वाले लोगों से करें। इस तुलनात्मक स्थितियों के लिए सभी का उत्तर एक नहीं होगा। उदाहरण घटने वाली घटनाओं के लिए कारण बताने और जानकारी की न्यायसंगत व्याख्या करने के लिए सभी छात्रों के उत्तर अलग-अलग होंगे।
- 5) **मानचित्र कौशल (AS5)** : पुस्तक में विभिन्न प्रकार के मानचित्र एवं चित्र दिए गए हैं। मानचित्र उतारने की क्षमता का विकास करें। इसके लिए विभिन्न स्तर हैं जैसे सबसे पहले कक्षा का मानचित्र बनाने से लेकर, ऊँचाई दूरी को भी समझना आदि। एवं दूरी भी दी गई है। पुस्तक में दृश्य, पोस्टर्स, फोटो इत्यादि भी दिए गए हैं जो पाठ से संबंधित होते हैं ये सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं। कभी-कभी कुछ क्रियाएँ भी होती हैं जैसे शीर्षक लिखना या वास्तुकला से संबंधित चित्र पढ़ना आदि।
- 6) **प्रशंसा एवं संवेदनशीलता (AS6)** : हमारे देश में भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर अनेक विभिन्नताएँ हैं। सामाजिक अध्ययन इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों को उनके प्रति संवेदनशील बनाता है।

विषयसूची

क्रम.सं.	पाठ्य सामग्री	पृष्ठ संख्या	
भाग - 1 संसाधन-विकास एवं साम्यता शैय (Resources Development and Equity)			
1	भारत-भू-आकृतिक विशेषताएँ (India: Relief Features)	1-14	जून
2	विकास के उपाय (Ideas of Development)	15-28	जून
3	उत्पादन एवं रोजगार (Production and Employment)	28-44	जुलाई
4	भारत की जलवायु (Climate of India)	45-58	जुलाई
5	भारत की नदियाँ एवं जलसंसाधन (Indian Rivers and Water Resources)	59-71	अगस्त
6	भारत-जनसंख्या (India-Population)	72-87	अगस्त
7	व्यवस्था-प्रवासन (People and Migration)	88-102	सितंबर
8	रामपुर गाँव: एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rampur : A Village Economy)	103-117	सितंबर
9	वैश्वीकरण (Globalisation)	118-131	नवंबर
10	खाद्य सुरक्षा (Food Security)	132-145	दिसंबर
11	साम्यता के साथ दीर्घकालिक विकास (Sustainable Development with Equity)	146-162	दिसंबर
भाग - 2 समकालीन विश्व एवं भारत (Contemporary World and India)			
12	युद्धों के बीच विश्व (World Between The World Wars)	163-186	जून
13	उपनिवेशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन (National Liberation Movements in the Colonies)	187-197	जुलाई
14	भारत में राष्ट्रीय आंदोलन - विभाजन एवं स्वतंत्रता (1939-1947) (National Movement in India – Partition & Independence) (1939-1947)	198-211	जुलाई
15	स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना (The Making of Independent India's Constitution)	212-228	अगस्त
16	भारत में चुनाव प्रक्रिया (Election Process in India)	229-238	सितंबर
17	स्वतंत्र भारत (Independent India) (प्रथम 30 वर्ष - 1947-77)	239-253	अक्टूबर
18	1977 से 2000 तक राजनैतिक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना (Emerging Political Trends)	254-271	नवंबर
19	युद्धोत्तर विश्व और भारत (Post - War World and India)	272-287	नवंबर
20	हमारे समय में सामाजिक आंदोलन (Social Movements in Our Times)	288-303	दिसंबर
21	तेलंगाणा राज्य के गठन हेतु आंदोलन (The movement for the formation of Telangana State)	304-320	जनवरी
	पुनरावृत्ति		फरवरी

राष्ट्र-गान

- रवींद्रनाथ टैगोर

जन-गण-मन अधिनायक जय हे!
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा,
द्राविड़, उत्कल बंग।
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि-तरंगा।
तव शुभ नामे जागो।
तव शुभ आशिष मागो,
गाहे तव जय गाथा!
जन-गण-मंगलदायक जय हे!
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे! जय हे! जय हे!
जय, जय, जय, जय हे!

प्रतिज्ञा

- पैडिमरिं वेकंट सुब्बाराव

भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरे भाई-बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ और इससे प्राप्त विशाल एवं विविध ज्ञान-भंडार पर मुझे गर्व है। मैं सर्वदा इस देश एवं इसके ज्ञान-भंडार के अनुरूप बनने का प्रयास करूँगा। मैं अपने माता-पिता और अध्यापकों तथा समस्त गुरुजनों का आदर करूँगा और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति नम्रतापूर्वक व्यवहार करूँगा। मैं जीव-जंतुओं से भी प्रेमपूर्वक व्यवहार करूँगा। मैं अपने देश और उसकी जनता के प्रति अपनी भक्ति की शपथ लेता हूँ। उनके मंगल एवं समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है।

भारतीय संविधान का अभिमत

हम समस्त भारतवासी, शपथ लेकर निर्णय करते हैं, कि हमने अपने लिए एक सर्व प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की संवैधानिक रचना कर ली है, तथा समस्त नागरिकों के हित में समान रूप से यही स्वीकार्य है।

न्याय : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक; स्वतंत्रता : विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा तथा कार्याचरण में; समानता : पद तथा अवसरों की तथा इन सभी में विकास करते हैं। परस्पर सद्भाव : प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सद्भाव के साथ-साथ राष्ट्र की एकता एवं संगठन की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।

आज 26 जनवरी 1949 को हम घोषणा करते हैं कि हमने इस संविधान को स्वीकार कर लिया है, इसी पर कार्याचरण करेंगे तथा यही हम पर लागू होगा।

Subs. by the constitution [Forty-second Amendment] Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)

Subs. by the constitution [Forty-second Amendment] Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

भारत-भू-आकृतिक विशेषताएँ (India - Relief Features)

इस अध्याय में हम भारत की भू-आकृतिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भू-आकृतिक विशेषताएँ अर्थात् भौतिक विशेषताएँ जैसे भारत के पर्वत, मैदान और पठार आदि। आगे आने वाले अध्यायों में हम भू-आकृतियों के साथ भारत की जलवायु, नदियाँ, जल-संसाधनों और जनसंख्या के संबंधों की जाँच करेंगे।

अपने देश के किन्हीं दो स्थानों का उल्लेख कीजिए जिन्हें आप देखना चाहते हैं। इन स्थानों के चयन के कारण लिखिए। तेलंगाना और अन्य क्षेत्रों की भू-आकृतिक विशेषताएँ क्या थीं, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं? दीवार मानचित्र या अटलस की सहायता से वर्णन कीजिए। आगे अध्ययन के समय अपने विद्यालय में उपलब्ध अटलस, दीवार मानचित्र और उभरे हुए भू-आकृतिक मानचित्र का प्रयोग कीजिए।



मानचित्र - 1 विश्व में भारत की स्थिति

स्थिति (Location)

- ऊपर दिए गए विश्व के मानचित्र को देखिए और मानचित्र में अंकित स्थानों के संदर्भ के साथ भारत की स्थिति के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए।

- अक्षांश और रेखांशों का प्रयोग किसी क्षेत्र या जगह की स्थिति को सही दर्शाने के लिए किया जाता है। अटलस का उपयोग कीजिए और निम्नलिखित कथन को सही कीजिए:
“भारत एक व्यापक देश है और विश्व के दक्षिण गोलार्ध में निहित है। देश की मुख्य भूमि 8° उत्तर और 50° उत्तर रेखांशों और 68° दक्षिण और 9° डिग्री पूर्व अक्षांशों के बीच स्थित है।”
- हम प्रायः ‘भारतीय प्रायद्वीप’ ऐसा शब्द प्रयोग क्यों करते हैं?
- पिछले पृष्ठ पर दिये गये मानचित्र 1 के आधार पर कल्पना कीजिए कि भारत आर्कटिक वृत्त में स्थित है। तब आपकी जीवन पद्धति अलग कैसे होगी?
- अटलस में इंदिरा बिंदु को पहचानिए और बताइए कि इसमें क्या विशेष है?
- तेलंगाना....औरउत्तर अक्षांशों और और..... पूर्वी रेखांशों पर स्थित है।
- आपके अटसल में दिए गए पैमाने का उपयोग करते हुए आंध्र प्रदेश और केरल की तटीय रेखा की लंबाई का अंदाज़ा लगाइए।

भारत की भौगोलिक स्थिति जलवायु परिस्थितियों में अपनी विशाल विभिन्नता प्रदान करती हैं। इसके द्वारा विविध प्रकार की वनस्पतियाँ, जीवजंतुओं और फसलों को उगाने का लाभ प्राप्त हुआ। अपने विशाल तटीय रेखा और हिंद महासागर में स्थित होने के कारण इसे व्यापार के साथ-साथ मत्स्य पालन में भी सफलता प्राप्त हुई।

आपने नवीं कक्षा में अक्षांशों और रेखांशों तथा समय और यात्रा के प्रश्न के बारे में पढ़ा। अपने अटसल से भारतीय रेखांशीय विस्तार की जाँच कीजिए। भारत के लिए केंद्रीय रेखांश 82°30' पूर्व मानक मध्याह्न के रूप में लिया जाता है जो इलाहाबाद के निकट से गुजरता है। यह भारतीय मानक समय (IST) को दर्शाता है तथा यह ग्रीनविच मध्याह्न समय से 5½ घंटे आगे हैं।


- अगले पृष्ठ पर मानचित्र 2 को देखिए।
- भारत की सीमा का पता लगाइए और रंग भरिए। मानचित्र में दिए गए पैमाने से भारत और नेपाल के बीच बाँटी जाने वाली कुल भू-सीमा का पता लगाइए।

निम्न में से कौन से आँकड़े अहमदाबाद और इम्फाल में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बताते हैं। कारणों को स्पष्ट कीजिए।

दिनांक	स्थिति _____		स्थिति _____	
	सूर्योदय	सूर्यास्त	सूर्योदय	सूर्यास्त
5 जनवरी	05:59	16:37	07:20	18:05



चित्र 1.1: तिब्बती पठार से हिमालय का दृश्य। पेड़ों की कमी पर ध्यान दीजिए।



मानचित्र - 2: भारत-उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम विस्तार और मानक मध्याह्न रेखा।


भू-तात्विक पृष्ठभूमि (Geological background)

नवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक से भू-परतों के बारे में फिर से पढ़िए। भारतीय भू-भाग जो गोंडवाना भूमि का अंश है, उसका उद्गम भू-तात्विक निर्माणों और कई अन्य क्रियाओं जैसे-अपक्षय, अपरदन और संग्रहण के कारण हुआ है। इन क्रियाओं ने, भारत की प्राकृतिक विशेषताएँ जो हमें आज दिखायी देती हैं, लाखों वर्ष पहले उनका निर्माण किया था और उनमें सुधार किया था।

विश्व के भूस्वरूपों का उद्गम अंगारा (लाओरसिया) और गोंडवाना की विशालकाय भूमियों से हुआ था। भारतीय प्रायःद्वीप गोंडवाना भूमि का ही एक अंश था। 200 लाख वर्ष पहले, गोंडवाना की भूमि के टुकड़े-टुकड़े हो गये थे तथा प्रायद्वीपीय भारतीय पट्टी उत्तर-पूर्व की ओर सरक कर बहुत बड़ी यूरेशियन पट्टी (अंगारा भूमि) से टकरा गयी थी। टकराव और अत्यधिक संकुचित दबाव के कारण, लाखों वर्ष पहले पर्वतों का विकास मोड़दार (Folding) प्रक्रियाओं से हुआ। हिमालय पर्वतों का वर्तमान रूप इसी प्रक्रिया का परिणाम है।

उत्तरी कोने से कटने के पश्चात् प्रायद्वीपीय पठार के कारण एक विशाल बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ-साथ यह बेसिन उत्तर से हिमालयी नदियों और दक्षिण से प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाये गये तलछट (sediments) से भर गया। इसके कारण भारत के बहुत विस्तृत, समतल उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। भारतीय भू-भागों ने महान भू-आकृतिक विविधताओं को प्रदर्शित किया। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के धरातल का एक अति प्राचीन भू-खण्ड है।

- उत्तर भारतीय मैदान के गठन में सहायक हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों की सूची बनाइए।
- हिमालय का निर्माण _____ लाख वर्ष पहले, हुआ जबकि शिकारी आदिमानव का उद्गम पृथ्वी पर _____ लाख वर्ष पहले हुआ।



चित्र 1.2 : हिमालय, उत्तरी-मैदान और थार मरुस्थल (उपग्रह द्वारा चित्रित)

महत्वपूर्ण भू-आकृतिक विभाजन (Major Relief divisions) :-

निम्न समूहों में, भारतीय भू-भाग विभाजित किया गया -

1. हिमालय
2. इंडो-गंगा मैदान
3. प्रायद्वीपीय पठार
4. तटीय मैदान
5. थार रेगिस्तान
6. द्वीप

मानचित्र 2 और आपके पाठशाला में भारत के उभारदार नकशे/अटलस को देखकर निम्न बातें बताइए-

- कृष्णा और गोदावरी के बहाव के आधार पर दक्कन पठार के ढलान की दिशा को पहचानिए।
- भू-स्वरूपों, ऊँचाई और देशों के संदर्भ के आधार पर ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव का वर्णन

हिमालय (The Himalayas):-

हिमालय पर्वत मालाएँ पश्चिम-पूर्व दिशा में चाप के समान 2400 कि.मी. तक फैली हैं। इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर पश्चिम में और 200 किलोमीटर केंद्र और पूर्वी क्षेत्रों में है। यह पश्चिम क्षेत्र में चौड़ा हो जाता है। वहाँ भी उन्नतांश में भिन्नता है। हिमालय में तीन समानान्तर पर्वत मालाएँ शामिल हैं। गहरी घाटियों और व्यापक पठारों के कारण ये श्रेणियाँ पृथक होती हैं।

उत्तरी सीमा पर सब से बड़ा पर्वत हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। यह समुद्री स्तर [Mean Sea Level (MSL)] से 6100 मीटर ऊँचा है। इस पर्वत में बहुत सारी अविच्छिन्न ऊँची पर्वतमालाएँ हैं।

महान हिमालय सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ हमें हिमनदी देखने को मिलती हैं। मौसमी चक्र जैसे बर्फ़ का संचय, हिमनदी की गति और पिघलाव सदाबहार नदियों के स्रोत हैं।

मध्य या छोटा या हिमाचल हिमालय (The middle or Lower or Himachal Himalaya):-

- अटलस को देखकर हिमालय की तीन श्रेणियों को बताइए।
- उभारदार भू-आकृतिक नकशे पर हिमालय के सबसे ऊँचे शिखरों को बताइए।
- दीवार पत्रिका के उभरे प्राकृतिक मानचित्र में उपर्युक्त क्षेत्रों को पहचानिए।
- शिमला, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत स्थानों को भारत के प्राकृतिक मानचित्र में दर्शाइए।

दक्षिण में शिवालिक और उत्तर में बड़े हिमालय के बीच समानान्तर चलने वाली पर्वतमाला का वर्गीकरण मध्य हिमालय के रूप में किया गया है। कभी-कभी इसे हिमाचल या छोटा हिमालय भी कहते हैं। इसकी पर्वतमालाओं की व्यवस्था जटिल है। इनकी चौड़ाई 60-80 कि.मी. है। इनकी ऊँचाई समुद्रीतल से ऊपर 3,500, से 4,500 मीटर के बीच है। अनेक चोटियाँ समुद्री तल से 5,050 मीटर ऊँची हैं और ये वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। पीरपंजाल, ढाओलाढार, मसूरी पर्वतमाला, नाग टीबा और महाभारत लेख मध्य हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वतमालाएँ हैं।

चित्र 1.3 से 1.6 : भारत की दक्षिणी ओर से लिए गए हिमालय के विभिन्न दृश्य। चित्र 1.1 में दिये गये तिब्बती दृश्य से इसकी तुलना कीजिए।



नीचे के चित्र में हिमालय की अनोखी वनस्पतियों के बारे में पता चलता है। ऊँचाई के आधार पर पहाड़ को पाँच भागों में विभाजित किया गया है। पेड़ों के कुछ मुख्य प्रकार यहाँ दिखाए गए हैं।



- 1.3 सिक्किम में स्थित संकरी ढलावदार घाटियाँ।
- 1.4 हिमालय पर सीढ़ीनुमा खेती (Terrace Farming) और नालियों पर कंकड़ों को पहचानिए।
- 1.5 हिमालय में स्थित विभिन्न वनस्पतियों के विभिन्न स्तरों का चित्र उतारिए।
- 1.6 मेघालय में स्थित मौकड़ाक दायमपी घाटी का दृश्य।



पीर पंजाल, कश्मीर में, मध्य हिमालय की दक्षिणी पर्वतमाला है जो सबसे लंबी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य हिमालय की पीर पंजाल और ज़स्कर पर्वतमाला के बीच प्रसिद्ध घाटी कश्मीर स्थित है जिसका फैलाव दक्षिण-पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशाओं में 135 कि.मी. की दूरी तक है। इस घाटी की चौड़ाई 40 कि.मी. है जो 4921 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैली हुई है। समुद्री तल से इसकी ऊँचाई 1,585 मीटर है।

आगे पूर्व में, मध्य हिमालय की पहचान मसूरी और नाग टीबा पर्वतमालाओं से होती है। मसूरी पर्वतमाला की औसत ऊँचाई 2,000-2,600 मीटर है तथा यह मसूरी से लैंसडॉन तक 120 कि.मी. की दूरी में फैली हुई है। मसूरी, नैनीताल, चकराता और रानीखेत कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं जो समुद्री तल से 1,500 से 2,000 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं।

कुल मिलाकर, मध्य हिमाचल की पर्वतमालाएँ मानव संबंधों के लिए अल्प दूषी और अधिक मित्रवत् हैं। अधिकांश हिमालयी रिसार्ट्स जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मेड़ा और दार्जिलिंग आदि यहाँ स्थित हैं।

शिवालिक पर्वतमाला

हिमालय के गठन की अंतिम अवस्था में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। इसमें हिमालय की अति बाह्य पर्वतमालाएँ सम्मिलित हैं इसीलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। अपनी सीधी उत्तरी ढलान के कारण यह दिखने में ढलॉवदार पहाड़ों का सिलसिला लगता है। यह पर्वतमाला छोटा हिमालय के समानांतर, पोटवार पठार से ब्रह्मपुत्र की घाटी तक लगभग 2,400 कि.मी. की दूरी में स्थित है। शिवालिक की चौड़ाई में भिन्नता है। हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 50 कि.मी. है तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 15 कि.मी. से कम है। यह लगभग 80-90 कि.मी. के फासले में निचली पहाड़ियों का एक अखंड अनुक्रम है जो टीस्ता नदी की घाटी द्वारा अधिकृत है।

क्योंकि हिमालय के गठन में शिवालिक का निर्माण अंत में होता है, इसीलिए ये हिमालय की ऊपरी भागों से बहने वाली नदियों के प्रवाह को बाधित करते हैं और घटियों में बड़ी झीलों का निर्माण करते हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया कीचड़ और तलछट, इन झीलों में जमा हो जाता है। जब नदियाँ शिवालिक पर्वतमालाओं से अपना रास्ता बदल लेती हैं। तब ये झीलें सूख जाती हैं और मैदानों का रूप ले लेती हैं- जिन्हें पश्चिम में दून (DUNS) तथा पूर्व में दुअर कहा जाता है। उत्तरांचल में देहरादून इस प्रकार के मैदानों का श्रेष्ठ उदाहरण है जिसकी लंबाई 75 कि.मी. तथा चौड़ाई 15-20 कि.मी. है।

हिमालय की पूर्वी सीमा पर ब्रह्मपुत्र घाटी है। अरुणाचल प्रदेश के पीछे दिहंग घाटी है। हिमालय भारत की पूर्वी सीमा पर घुमावदार मोड़ लेता है और उत्तरी पूर्व राज्यों की रक्षा करता है। इस भाग को पूर्वांचल के रूप में जाना जाता है। यह तलछटी पथरों से बना है। पूर्वांचल को क्षेत्रीयता के आधार पर पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और मिझो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।

- भारत के भौगोलिक मानचित्र में निम्न श्रेणियों को दर्शाइए।

पहाड़ियाँ	राज्य / राज्यों
1) पूर्वांचल	
2) पटकाई	
3) नागा पहाड़ियाँ	
4) मणिपुरी पहाड़ियाँ	

हिमालय के गठन से जलवायु भी विभिन्न तरीकों से प्रभावित होती है। अत्यधिक सर्दियों के दौरान मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से यह भारत के मैदानों की रक्षा का काम करता है। भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में गर्मी, बारिश और मानसून पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अभाव में यह क्षेत्र बंजर नज़र आता है। हिमालय के कारण यहाँ की नदियाँ बारहमास बहती हैं। ये अपने साथ पिघली बर्फ़ और उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लाती हैं और यहाँ के मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं।

इंडो-गंगा मैदान (The Indo-Gangetic Plain)

तीन हिमालयी नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी सहायक नदियों के मिलने से विशाल उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। शुरुआत में (लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले) ये बहुत उथला था, धीरे-धीरे यह हिमालय से, इन नदियों के द्वारा बहाकर लायी गयी अलुवियम से भर गया था।

इंडो-गंगा मैदानी इलाकों को तीन भागों में बाँट सकते हैं -

1. पश्चिमी भाग
2. केंद्रीय भाग
3. पूर्वी भाग

1) पश्चिमी भाग सिंधु और उसकी उपनदियाँ झेलम, चिनाव, रवि, व्यास, सतलज से बना है जो हिमालय से बहती हैं। सिंधु नदी ज़्यादातर पाकिस्तान की घाटियों से बहती है। यह भारत में पंजाब और हरियाणा के कुछ मामूली इलाकों से भी गुज़रती है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को 'दोआब' (Doab) कहते हैं।

2) केंद्रीय भाग गंगा के मैदान के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र घग्गर से त्रिस्ता नदी तक फैला हुआ है। यह भाग मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के कुछ भागों, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यहाँ पर गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियाँ सोन, कोसी आदि बहती हैं।



3) पूर्वी प्रांत के मैदान ज्यादातर असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में मौजूद हैं। मुख्यरूप से ब्रह्मपुत्र के कारण इनका गठन हुआ है।

हिमालय की नदियाँ नीचे बहते समय अपने साथ बाजारी और कंकड़ जैसे अवसादों को बहाकर लाती हैं और शिवालिक पहाड़ियों के तल के समानांतर 8-16 कि.मी. चौड़ाई वाले संकुचित स्थान पर जमा करती हैं। ये विशेषताएँ 'भाभर' कहलाती हैं। भाभर स्वभाव से छिद्रिल (Porus) होती हैं। छोटी नदियाँ और धाराएँ भाभर के माध्यम से भूमिगत बहती हैं और कहीं कहीं पुनः प्रकट होती हैं और दलदली क्षेत्र में बदल जाती है जिसे तराई कहा जाता है। यह क्षेत्र घने जंगल और विविध जीव सामग्री से समृद्ध हैं। हालांकि भारत विभाजन के समय प्रवास के लिए तराई क्षेत्र में मंजूरी दे दी गयी है और अब उसे ठीक कर कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तराई क्षेत्र के ठीक दक्षिण में जलोद (Alluvial Plains) मैदान क्षेत्र पाये जाते हैं।



चित्र 1.8 : असोम के ब्रह्मपुत्र घाटी पर स्थित एक गाँव

प्रायद्वीपीय पठार (The Peninsular Plateau):-


भारतीय पठार भी प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यह मुख्य रूप से पुराने स्फटिक, कठोर आग्नेय और रूपांतरित (Metamorphic) चट्टानों से बना है। भारतीय पठारों में धातु और गैर धातु खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ गोल पहाड़ियों के साथ व्यापक और उथली घाटियाँ हैं। पठार की स्थलकृति थोड़ी पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर थोड़ी झुकी हुई है और पूर्वीघाट क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी किनारों का निर्माण करता है। पठार का दक्षिण सिरा कन्याकुमारी है।

प्रायद्वीपीय पठार के दो व्यापक भाग हैं - एक केंद्रीय उच्च भूमि (मालवा पठार) और दूसरा दक्षिण पठार। भारत के मानचित्र में आप नर्मदा के उत्तर, गंगा के मैदानों के दक्षिणी इलाकों केंद्रीय उच्च भूमि को पहचान सकते हैं। यह विंध्य पर्वत मालाओं से घिरा है। पश्चिम मालवा पठार और पूर्व में छोटा नागपुर

यहाँ के महत्वपूर्ण पठार हैं। गंगा के मैदानी इलाकों की तुलना में पठारी क्षेत्र शुष्क है। नदियाँ बारहमासी नहीं हैं। इसलिए दूसरी फसल के लिए कूपों या टैंकों पर सिंचाई निर्भर है। केंद्रीय उच्च भूमि के उत्तर की ओर बहती नदियों की पहचान कीजिए। छोटा नागपुर पठार समृद्ध खनिज संसाधनों से भरा है।

नर्मदा के दक्षिण में फैले प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो एक त्रिकोणीय भूमि है उसे दक्कन का पठार कहा जाता है। सतपुड़ा की श्रेणियाँ दक्षिण पठार के उत्तरी किनारों को बनाती हैं जबकि महादेव, कैमुर श्रेणी और माइकल शृंखला के कुछ भाग को बनाता है जो पूर्वी किनारे पर हैं। पश्चिम घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करते हैं।

- निम्नलिखित को भारत के प्राकृतिक मानचित्र और उभरे हुए भू-आकृतिक मानचित्र पर दर्शाएँ: मालवा पठार, बूंदेलखंड, बाघेलखंड, राजमहल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर पठार आदि।
- अटलस का उपयोग करते हुए उपर्युक्त पठारों की सापेक्षित ऊँचाई की तुलना तिब्बत के पठार से कीजिए।



चित्र 1.9 : प्रायद्वीपीय पठार का खण्ड आरेख

पश्चिमी घाट पश्चिमी तट पर समानान्तर फैला हुआ है। पश्चिमी घाट की संरचना तटीय मैदानों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में हुई है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊँचे हैं। इस प्रकार दक्कन के पठार क्षेत्र में पश्चिम पूर्व ढलान (चित्र 1.9) दिखाई देती है। पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर है। गुदलूर के पास नीलगिरी पश्चिमी घाट से मिलते हैं और वहाँ उनकी ऊँचाई लगभग 2000 मीटर है। लोकप्रिय पहाड़ी स्थलों में उदगमंडलम जिसे ऊटी भी

कहते हैं, नीलगिरी में स्थित हैं। दोड्डा बेट्टा (2637 मीटर) उच्चतम चोटियों में एक हैं। पश्चिमी घाट में पलानी (तमिलनाडु) अन्नामलाई और कारडयोम (केरल) पहाड़ियाँ शामिल हैं। अन्नामलाई पहाड़ियों की, अन्नाईमूडी (2695 मीटर) दक्षिण भारत में सबसे ऊँची चोटी है।

पूर्वी घाट उत्तर में महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हैं। हालांकि पूर्वी घाट



श्रेणीबद्ध नहीं हैं। पश्चिमी घाटी में उद्गमित गोदावरी और कृष्णा नदियाँ पठार को पार कर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊँचाई 900 मीटर से अधिक नहीं होती है। पूर्वी घाट में सबसे ऊँची चोटी (अरोमा पहाड़ी) चिंतापल्ली (1680 मीटर आंध्र प्रदेश) में पायी जाती है। नल्लमल्ला, वेलीकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम आदि पूर्वी घाट के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं। ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित काली मिट्टी इस प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य विशेषता है।

- भारत के उभारदार भू-आकृतिक मानचित्र में देखिए और पश्चिमी घाटियों की सापेक्षित ऊँचाई की तुलना पूर्वी घाटियों से तथा तिब्बती पठार की सापेक्षित ऊँचाई की तुलना हिमालय की चोटियों से कीजिए।



चित्र 1.10 : पश्चिमी घाट में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ

थार रेगिस्तान (The Thar Desert):-

थार रेगिस्तान अरावली के उस स्थान पर स्थित है जहाँ हवा का बहाव बहुत कम होता है। यहाँ बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। यहाँ हर साल 100 से 150 मि.मी. वर्षा होती है। रेगिस्तान लहराते रेतीले मैदानों और चट्टानी वनस्पतियों से घिरा होता है। इसका बड़ा भाग पश्चिम राजस्थान में है। यहाँ की जलवायु शुष्क होती है और वनस्पतियाँ बहुत ही कम होती हैं। पानी की धाराएँ यहाँ वर्षा ऋतुओं में ही दिखाई देती हैं बाद में वे जल्द ही गायब हो जाती हैं। इस क्षेत्र में केवल एक ही 'लूनी' नदी है। ये अंतः प्रवाहित नदियाँ झीलों में मिल जाती हैं और समुद्र तक नहीं पहुँचती हैं।



इंदिरा गाँधी नहर (canal) देश की सबसे लंबी नहर (650 किलोमीटर), है इसका उद्गम पंजाब से होता है जो थार रेगिस्तान के पानी का स्रोत है। इसके कारण रेगिस्तान की भूमि पर खेती की जाने लगी है। इसलिए कई हेक्टर भूमि खेती के अंतर्गत लायी गयी है।

चित्र 1.11 : थार रेगिस्तान में एक आवास

तटीय मैदान (The Coastal plains) :-

प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर के साथ संकुचित तटीय रेखाओं से घिरा है। पश्चिमी तटीय प्रदेश कच्छ के रन से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पूर्वी तट से संकरा है। यह ऊबड़-खाबड़ है पहाड़ी इलाकों द्वारा टूट गया है। इसे तीन भागों में बाँटा गया है -

- 1) कोंकण तट - यह उत्तरी भाग है। यह महाराष्ट्र और गोवा को छूता है।
- 2) केनरा तट - यह मध्य भाग है। इसमें कर्नाटक के तटीय भाग शामिल है।
- 3) मलाबार तट - यह दक्षिणी भाग है। बहुतांश केरल प्रांत का तटीय भाग है।



चित्र 1.12 : सुंदरबन मैंग्रोव

बंगाल की खाड़ी के मैदानी इलाके चौड़े हैं और उसकी सतह की संरचना बड़ी है। यह महानदी (उड़ीसा) से कावेरी डेल्टा (तमिलनाडु) तक फैला है। इन मैदानों का निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी से हुआ है। ये बहुत उपजाऊ हैं। यह सभी तटीय प्रदेश स्थानीय रूप से अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं - उत्कल तट (उड़ीसा) सिरकर तट (आंध्र प्रदेश) कोरोमंडल तट (तमिलनाडु) आदि।

मानचित्र पर डेल्टा क्षेत्र को पहचानिए। उसकी ऊँचाई समान है या अलग? उसकी उत्तरी मैदानों से तुलना कीजिए।

इंडो-गंगा के मैदानों की तरह डेल्टा प्रदेश (नदी मुखभूमि) भी कृषि क्षेत्र में विकास कर चुका है। इस तटीय प्रांत में भी मत्स्य व्यवसाय के संसाधन हैं। तटीय मैदानों की अन्य विशेषताएँ हैं - चिल्का (ओडिशा) झील और कोलेरू तथा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश।

द्वीप (The Islands)



निकोबार कबूतर

यहाँ दो द्वीप समूह हैं- एक अंडमान और निकोबार द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और दूसरा लक्षद्वीप जो कि अरब महासागर में स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में म्यानमार पहाड़ अरकान योमा के जलमग्न पर्वत का एक ऊँचा भाग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नरकोंडम और बंजर द्वीप समूह ज्वालामुखी मूल के हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी छोर 2004 की सुनामी के दौरान समुद्र में डूब गया था जिसे "इंदिरा बिंदु" के रूप में जाना जाता है। वह निकोबार द्वीप में पाया जाता है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल का उद्गम क्षेत्र हैं। इसका भौगोलिक प्रांत 32 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार के द्वीप समूह विविध वनस्पति (Flora) और प्राणि समूह (Fauna) के लिए प्रसिद्ध है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है। जिसकी भूमि में विशाल विविधताएँ छुपी हुई हैं। इसे हम नहीं भूल सकते। कुछ भूमि हिमालय से बहने वाली नदियों से सिंचित होती हैं तो कुछ भूमि वर्षा के पानी पर आधारित नदियाँ जो पश्चिमीघाट और उसके वनों से निकलती है सिंचित होती है। कई स्थान नदी घाटियों में स्थित हैं और अन्य पहाड़ों में स्थित है।

चित्र 1.13 : प्रवाल शैलमाला



मुख्य शब्द

बारहमासी नदी	प्रवाल शैलमाला	तटीय मैदान	प्रायद्वीप	लायोरेसिया	दून
अंगारा भूमि	गोंडवाना भूमि	शिवालिक	पूर्वांचल		

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

1. अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की तुलना में दो घंटे पहले होता है। पर घड़ीयाल में समय दोनों स्थलों पर एक समान होता है। यह कैसे संभव है?
2. अगर हिमालय अपने स्थान पर स्थित नहीं होता तो वे आज कहाँ स्थित होते? भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु परिस्थितियाँ कैसी होती?
3. भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजन क्या हैं? हिमालयी क्षेत्र की तुलना प्रायद्वीपाय पठार से कीजिए।
4. भारतीय कृषि पर हिमालय का कैसा प्रभाव है?
5. इंडो-गंगा मैदान में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। कारण ढूँढ़िए?
6. भारत के मानचित्र पर निम्न जगहों को बताइए।-
 - (i) पहाड़ और पर्वत शृंखलाएँ - काराकोरम, जसकार, पटकाई बूम, जैतिया, विध्यांचल शृंखला, अरावली और कार्डमोन पहाडियाँ
 - (ii) शिखर - K2, कांचन जंगा, नंगा पर्वत और अनाइमुडी।
 - (iii) पठार - छोटा नागपुर और मालवा।
 - (iv) भारतीय रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप द्वीपसमूह
7. अटलस का प्रयोग कर निम्न स्थलों को पहचानिए।-
 - (i) ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप।
 - (ii) भारतीय उपमहाद्वीप से सटे देश
 - (iii) किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है?
 - (iv) भारतीय भूभाग का उत्तरी अक्षांश (डिग्रियों में)
 - (v) भारतीय मुख्यभूमि के दक्षिणी अक्षांश (डिग्रियों में)
 - (vi) पूर्व और पश्चिमी रेखांश (डिग्रियों में)
 - (vii) तीन समुद्रों से घिरे स्थान
 - (viii) भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जलडमरूमध्य।
 - (ix) भारत के संघ क्षेत्र।
 - (x) हिमालयों का विस्तरण वाले राज्य
8. पूर्वी तटीय मैदानों और पश्चिमी तटीय मैदानों में क्या समानताएँ और विषमताएँ हैं?
9. भारत में पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कृषि में कम सहायता देते हैं? इसके क्या कारण हैं?
10. हिमालय, प्रायद्वीप और तटीय मैदानों के बारे में पढ़कर, इनकी विवरणात्मक तालिका बनाइए।
11. भारत के विकास में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ अपनी अहम भूमिका रही हैं। टिप्पणी कीजिए।

परियोजना कार्य

अपने अटलस में से भारत के भौगोलिक मानचित्र या उभारदार भू-आकृतिक मानचित्र की सहायता से भूमि पर भारत का एक नमूना (चिकनी मिट्टी/रेत से) बनाइए। विभिन्न भू-आकृतियों को दर्शाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की रेत या मिट्टी का प्रयोग कीजिए। स्थानों की आनुपतिक ऊँचाई और नदियों को चिह्नित कीजिए। अपने अटलस के वनस्पति मानचित्र को देखिए और इसे पत्तियों और घास से सजाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है, एक वर्ष के बाद आप इसमें भारत की अन्य विशेषताओं को जोड़ें।

विकास के उपाय (Ideas of Development)



चित्र 2.1 : मेरे बिना वे विकास नहीं कर सकते हैं।
इस प्रणाली में मैं विकास नहीं कर सकता।

हमें क्या करना है, क्या करना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं, इसके बारे में हमारी कुछ महत्वकांक्षाएँ हैं। इसी प्रकार, हमारे पास यह भी विचार है कि एक देश कैसा होना चाहिए? वे जरूरी चीजें क्या हैं जिनकी हमें आवश्यकता है? क्या जीवन सभी के लिए बेहतर हो सकता है? क्या अधिक समानता हो सकती है? विकास में इन प्रश्नों और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य के विचार निहित हैं। यह एक जटिल कार्य है और हमें विकास को समझने का प्रयास करना है।

विकास क्या वादा करता है - विभिन्न लोग, विभिन्न लक्ष्य (What Development Promises – Different People, Different Goals)

आइए कल्पना करने का प्रयत्न करते हैं कि - तालिका 1 में सूचीबद्ध विभिन्न व्यक्तियों के विकास या प्रगति का अर्थ क्या हो सकता है। उनकी आकांक्षाएँ क्या हैं? आप देखेंगे कि कुछ खाने आंशिक रूप से भरे हुए हैं। तालिका पूरी करने का प्रयत्न कीजिए। आप व्यक्तियों की किसी अन्य श्रेणियों को जोड़ सकते हैं।

तालिका 1 : व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के विकासात्मक लक्ष्य

व्यक्ति की श्रेणी	विकासात्मक लक्ष्य/आकांक्षा
भूमिहीन ग्रामीण मजदूर	अधिक दिन काम और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल अपने बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है, वहाँ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है और वे भी गाँव में नेता बन सकते हैं।
समृद्ध किसान	उनकी फसल के लिए उच्च समर्थन मूल्य के तथा मेहनत और सस्ते मजदूरों के माध्यम से परिवार की उच्च आय का आश्वासन दिया है ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसाने में समर्थ हो सकें।

जो किसान फसल उगाने के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं।	
ज़मीन के मालिक के परिवार से एक ग्रामीण महिला।	
शहरी बेरोज़गार युवक	
अमीर शहरी परिवार से एक लड़का	
अमीर शहरी परिवार की एक लड़की	उसे अपने भाई के समान ही स्वतंत्रता हो और वह जीवन में क्या करना चाहती है, तय करने में सक्षम रहे। वह प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्था में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है।
खनन क्षेत्र से एक आदिवासी	
तटीय क्षेत्र के मत्स्य-पालन समुदाय से व्यक्ति	

तालिका 1, भरने के बाद हम अब यह जाँच करेंगे। क्या इन सभी व्यक्तियों के विकास या प्रगति की समान धारणा है? शायद नहीं। उनमें से हर एक अलग तरह की चीजें चाहता है। वे अपनी आकांक्षाओं या इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, यानी जो वे चाहते हैं। वास्तव में, समय के अनुसार दो व्यक्ति या समूह वे वस्तुएँ चाहते हैं जो परस्पर विरोधी होती हैं। एक लड़की अपने भाई के समान ही स्वतंत्रता और अवसर की उम्मीद रखती है और चाहती है कि उसका भाई भी घर के कामों में मदद करे। उसका भाई इस तरह नहीं हो सकता। इसी प्रकार, हो सकता है अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए सरकार नये बाँधों का निर्माण करने की योजना बना सकती है। लेकिन यह भूमि अधि



करण और आदिवासियों और किसानों के रूप में विस्थापित जो लोग हैं, उनके जीवन को बाधित कर सकते हैं। इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

चित्र 2.2 : हम विकास को कैसे समझते हैं यदि समय के पैमाने पर मानव इतिहास के बारे में सोचते हैं? कौन विकसित है? शिकारी फ़रमर (लगभग

200,000 वर्ष) वर्षों की संख्या जब से (12,000 साल पहले) कृषि की शुरुआत हुई। आधुनिक उद्योगों के वर्षों की संख्या (लगभग 400 साल पहले से)।

किसका विकास

विकास के गठन के विचार यदि विविध और परस्पर विरोधी हो तो निश्चित रूप से विकसित करने के तरीकों के बारे में कई मतभेद हो सकते हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम परमाणु उर्जा परियोजना पर चल रहा विरोध प्रदर्शन ऐसा ही एक संघर्ष है। भारत की सरकार ने इन मछुआरे लोगों के तटीय शहर में



चित्र 2.3 : कुडनकुलम परमाणु उर्जा परियोजना पर विरोध

परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। इसका उद्देश्य देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए परमाणु बिजली पैदा करना है। बचाव क्षेत्र में लोगों ने सुरक्षा और आजीविका के आधार पर विरोध किया। एक लंबा संघर्ष चला। वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों सामाजिक कार्यकर्ता जो इस परियोजना की आलोचना कर रहे थे, लोगों के साथ खड़े थे। सरकार को दिया गया विरोध प्रदर्शन का पत्र दर्शाता है - “आप इस बात की सराहना करने में असमर्थ और अनिच्छुक है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हम न केवल एक असीम शक्ति का सामना कर रहे हैं बल्कि विनाश के लिए अविश्वसनीय शक्ति का भी। हम रेडियो क्रियात्मक किरणों के खतरे से हमारे तट और देश को सुरक्षित करना चाहते हैं। परियोजना बंद करो। विकल्प के रूप में अक्षय ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। सरकार ने प्रतिक्रिया दी कि संयंत्र को सभी सुरक्षा मापदंडों का पालन करना होगा विरोधों के बावजूद भी, संयंत्र का काम आगे बढ़ा। परमाणु उर्जा को उर्जा का संपूर्ण स्रोत माना जाता है तथा वैकल्पिक उर्जा के स्रोत माँगों को पूर्ण करने में पर्याप्त नहीं हैं।

इसप्रकार ऊपर चर्चा से दो बातें काफी स्पष्ट हैं :-

- (1) विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न विकासात्मक लक्ष्य हो सकते हैं और,
- (2) एक के लिए जो विकास है, दूसरे के लिए वह विकास नहीं भी हो सकता। यह अन्य के लिए विनाशकारी भी हो सकता है।

- आपके मोहल्ले, शहर या गाँव के लिए कुछ विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकते हैं?
- सरकार और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच संघर्ष के मुद्दे क्या हैं?
- विकास परियोजनाओं / नीतियों के आसपास क्या आप को किसी भी तरह के विवाद का पता है? दोनों तरफ से वाद विवाद का पता लगाइए।

● इस अखबार की रिपोर्ट को पढ़िये

“एक पोत ने 500 टन तरल जहरीला व्यर्थ पदार्थ शहर के खुले मलबे के ढेर में और समुद्र के आस-पास फेंक दिया। यह आफ्रीका के एक देश आइवरी कोस्ट के आबिदजान शहर में हुआ। अत्यधिक विषाक्त व्यर्थ के धुएँ से मिचली, त्वचा पर चकते,

बेहोशी, अतिसार (diarhoea) आदि बिमारियाँ हुई। एक महीने के पश्चात सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, बीस अस्पताल में भर्ती हुए और विष के लक्षण के लिए छब्बीस हजार लोगो का इलाज किया गया। पेट्रोलियम और धातु का व्यापार

करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने विषाक्त व्यर्थ को अपने जहाज से हटाने के लिए आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी से अनुबंध किया। (16 सितंबर, 2006 दे हिंदु, वैजु नरावने (Vaiju Naravane) के लेख से लिया गया)

अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए :-


- इस से किन लोगों को लाभ हुआ और किनको नहीं हुआ?
- इस देश के लिए विकास के लक्ष्य क्या होना चाहिए?

आय और अन्य लक्ष्य (Income and other Goals)

आप फिर से तालिका 1 पर ध्यान देंगे, तो आप को साधारण सी बात विदित होगी। लोगों की इच्छा है कि नियमित रूप से काम, बेहतर मजदूरी और उनकी फसलों या उनके द्वारा उत्पाद किये गये अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत हो। दूसरे शब्दों में, वे अधिक आय चाहते हैं।

एक रास्ते या अन्य रास्ते से अधिक आय के अलावा, लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, और दूसरों से सम्मान भी पाना चाहते थे। यह सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। उन्होंने भेद-भाव का विरोध किया। वास्तव में कुछ मामलों में यह अधिक आय अधिक उपभोग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि जीने के लिए आपको केवल भौतिक वस्तुएँ ही आवश्यक नहीं है। पैसा, या उससे खरीदी जाने वाली भौतिक वस्तुएँ एक कारक है जिस पर जीवन निर्भर हैं। लेकिन हमारे जीवन की गुणवत्ता ऊपर लिखित अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करती है। यदि आपके लिए यह स्पष्ट नहीं है, तो आपके जीवन में आपके मित्र की भूमिका के बारे में, जरा सोचिए। आप उनसे मित्रता करना चाहते हैं। इसी तरह ऐसी बहुत चीजें हैं जिसका मापन आसानी से नहीं किया जा सकता लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। इसीलिए, यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि जिसका मापन नहीं किया जा सकता वह महत्वपूर्ण नहीं है।

एक और उदाहरण पर विचार कीजिए। यदि आपको एक दूर स्थान पर नौकरी प्राप्त हो, तो आप आय के अतिरिक्त कई कारकों पर भी विचार करने का प्रयत्न करेंगे। यह आपके परिवार के लिए सुविधाएँ, काम का



वातावरण, सीखने का अवसर हो सकता है। एक अन्य मामले में, एक काम आपको कम भुगतान दे सकता है, लेकिन नियमित रूप से रोजगार प्रदान कर सकता है। जिससे आपकी सुरक्षा की भावना बढ़ती है। एक और काम में तथापि, उच्च भुगतान प्रदान करता है। लेकिन काम की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है साथ में अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलता है। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी।

इसी तरह, विकास के लिए लोग विभिन्न लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। यह सच है कि यदि महिलाओं को भी ऐसे कार्यों में लगाया जाय जिसका वेतन मिलता हो तो परिवार की आय में बढ़ोत्तरी होती है। और घर और समाज में उनकी गरिमा बढ़ जाती है। फिर भी, यह भी बात है कि यदि महिलाओं के लिए सम्मान होगा, घरेलू कार्य में अधिक भागेदारी होगी और बाहर कार्य करने वाली महिलाओं की अधिक माँग होगी। एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण अधिक महिलाओं को विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ करने और व्यवस्था चलाने की अनुमति दे सकता है।

इसीलिए लोगों का विकासात्मक लक्ष्य, न केवल बेहतर आय है बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी हैं।

- विकास के लिए विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न विचार क्यों हैं? निम्नलिखित में से कौनसा स्पष्टीकरण अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों?
 - a. क्योंकि विभिन्न लोग हैं।
 - b. क्योंकि व्यक्तियों की जीवन स्थिति अलग हैं।
- क्या इन दोनों कथनों का अर्थ एक ही है? आपके जवाब का औचित्य बताईए।
 - a. लोग विभिन्न विकासात्मक लक्ष्य रखते हैं।
 - b. लोग परस्पर विरोधी विकासात्मक लक्ष्य रखते हैं।
- कुछ उदाहरण दीजिए जहाँ आय के अलावा अन्य कारक भी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
- ऊपर दिए गए अनुभाग के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपने शब्दों में समझाइए।

अलग अलग देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जानी चाहिए? (How to compare Different Countries or States)

हम जब अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं तो उनमें समानता के साथ ही विषमताएँ भी हो सकती हैं। हम उनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का उपयोग करते हैं? आइए कक्षा के छात्रों को ही देखते हैं। हम विभिन्न छात्रों की तुलना कैसे करते हैं? वे अपनी ऊँचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि में भिन्न-भिन्न होते हैं। सबसे स्वास्थ्यप्रद छात्र सबसे अधिक अध्ययनशील नहीं भी हो सकता। सबसे बुद्धिमान छात्र, मित्रवत नहीं हो सकता तो हम छात्रों की तुलना कैसे करते हैं? हम जिस मापदण्ड का उपयोग करते हैं वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करता है। हम एक पिकनिक का आयोजन करने के लिए टीम, एक खेल की टीम, वादविवाद टीम, एक संगीत दल के लिए अलग अलग मापदंड का उपयोग करते हैं। फिर भी, यदि किसी उद्देश्य के लिए हमें कक्षा में बच्चों के चहुंमुखी प्रगति के मापदंड चुनना होता है तो हम कैसे करेंगे?

आमतौर पर हम लोगों की एक या अधिक महत्वपूर्ण विशेषताएँ लेते हैं और इन

विशेषताओं के आधार पर उनकी तुलना करते हैं। देशों की तुलना के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मानी जाती है। उच्च आय वाले देश कम आय वाले देशों की तुलना में अधिक विकसित हैं। इसे इस समझ के आधार पर किया गया है कि अधिक आय का अर्थ मनुष्य के पास आधारभूत जरूरतों को पूर्ण करने वाली आवश्यक वस्तुओं से अधिक वस्तुओं का होना। लोग जो कुछ भी चाहते हैं, और जो उनके पास है, वे अधिक आय से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक आय को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया है।

अब, एक देश की आय क्या है? यह समझने की बात है, देश की आय देश के सभी निवासियों की कुल आय है। यह हमारे देश की कुल आय देता है।

हालांकि, देशों के बीच तुलना के लिए कुल आय एक उपयोगी मापदंड नहीं है। क्योंकि देश की अलग अलग आबादी है। कुल आय की तुलना करने से यह नहीं बता सकते कि एक औसत व्यक्ति कितना कमा सकता है। क्या एक देश के लोग अन्य देशों की तुलना में बेहतर हो सकते हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है।

देशों को वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा निकाली गयी विश्व विकास रिपोर्ट में इस मापदंड कसौटी का उपयोग किया जाता है। 2017 में जिन देशों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय अमेरिका डालर \$ 12,055 या इससे अधिक हो उच्च आय वाले देश या अमीर देश कहे जाते हैं। 2017 में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय अमेरिका डालर \$ 995 या उससे कम हो तो उन देशों को कम आय वाले देश कहा गया है, एक दशब्दी से कम समय पूर्व भारत कम आय वाले देशों की श्रेणी में आता था। अब यह मध्यम आय देशों की श्रेणी में आता है। क्योंकि, भारत में प्रति व्यक्ति आय में अन्य देशों की तुलना में तेजी से सुधार होने से इसकी स्थिति में भी सुधार हुआ। अगले अध्याय में हम भारत में लोगों की आय की वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे।

पश्चिम एशिया और कुछ अन्य छोटे देशों को छोड़कर अमीर देशों को, सामान्यतः विकसित देश कहा जाता है।

जबकि “औसत” तुलना के लिए उपयोगी होते हैं, वे असमानताएँ भी छिपाते हैं।

उदाहरण के लिए, हम ए और बी दोनों देशों पर विचार करते हैं। सादगी के लिए हम यह मानते हैं कि प्रत्येक के पास पाँच नागरिक ही हैं। तालिका 2, में दिए गए आँकड़ों के आधार पर, दोनों देशों की औसत आय की गणना कीजिए।

तालिका 2 : दो देशों की तुलना

देश	2001 में नागरिकों की मासिक आय (रूपये में)					औसत
	I	II	III	IV	V	
देश A	9500	10500	9800	10000	10200	
देश B	500	500	500	500	48000	

क्या आप इन देशों में से किसी भी देश में रहने के लिए खुश हैं? क्या दोनों समान रूप से विकसित हैं? शायद हममें से कुछ B देश में रहना पसंद कर सकते हैं, यदि हमें पाँचवे नागरिक बनाने का भरोसा दिया गया हो। लेकिन यदि यह एक लॉटरी से निश्चित किया जाना है तो शायद हम में से अधिकांश देश A में रहना पसंद करेंगे। यद्यपि दोनों देशों की समान औसत आय है। देश A इसीलिए चुना गया क्योंकि इसमें अधिक समान वितरण है। इस देश के लोग न तो बहुत अमीर हैं और न ही अत्यधिक गरीब, जबकि देश बी के अधिकतर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति अत्यंत समृद्ध है। अतः जबकि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, यह हमें यह नहीं बताती कि इस आय का लोगों में किस प्रकार वितरण किया गया है।

ऐसा देश जहाँ कोई अमीर और गरीब नहीं है।

ऐसा देश जिसमें अमीर और गरीब है।

हमने कुर्सियाँ बनायीं और हम उनका उपयोग करते हैं।



- यहाँ दी गयी स्थिति के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों की तुलना के लिए औसत का उपयोग किया जाता है। इसके तीन उदाहरण दीजिए।
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है? समझाइए।
- मान लीजिए रिकार्ड दर्शाते हैं कि कुछ समय में एक देश की औसत आय में वृद्धि हो रही है। इससे क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी वर्ग बेहतर हो गए हैं? एक उदाहरण के साथ अपना जवाब समझाइए।
- पाठ से, 2012 विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार मध्यम आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय स्तर का पता लगाइए।
- एक विकसित देश बनने के लिए भारत को क्या करना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए, इस पर अपने विचार दर्शाते हुए एक अनुच्छेद लिखिए।

आय और अन्य मापदंड (Income and other criteria):-

तालिका : 3 कुछ चुने हुए राज्यों की प्रतिवर्ष आय।

राज्य	प्रति व्यक्ति NSDP, वर्तमान मूल्यों पर (2011-12 सीरिज़)
हरियाणा	180174
हिमाचल प्रदेश	149028
बिहार	34409

यह 2011-12 सीरिज़ के वर्तमान मूल्यों पर राज्य के प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद को दर्शाता है।

जब हम व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखते हैं, हम पाते हैं कि लोग बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि उनके मस्तिष्क में सुरक्षा, दूसरों का सम्मान, समान व्यवहार, स्वतंत्रता आदि लक्ष्य भी हैं। इसी प्रकार जब हम एक राष्ट्र या एक क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अलावा, अन्य समान महत्वपूर्ण विशेष-ताओं के बारे में भी सोच सकते हैं।

ये विशेषताएँ क्या हो सकती हैं? आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से जाँचते हैं। तालिका 3 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। इन तीनों राज्यों में हम हरियाणा की सर्वोच्च प्रति व्यक्ति आय पाते हैं और बिहार सबसे नीचे है। इसका तात्पर्य है कि, हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में औसतन रु. 2.15 लाख रुपये कमाता है जबकि, बिहार में एक व्यक्ति औसतन केवल 0.66 लाख रु. कमाता है। इस प्रकार यदि प्रति व्यक्ति आय का उपयोग विकास के मापन के लिए किया जा रहा है तो हरियाणा सबसे विकसित माना जाएगा और तीनों में सबसे कम विकसित राज्य बिहार माना जाएगा। अब हम तालिका 4 में दिए गए इन राज्यों से संबंधित कुछ अन्य आँकड़े देखेंगे।

तालिका : 4 कुछ चुने हुए राज्यों के तुलनात्मक आँकड़े

राज्य	IMR प्रति 1000 (2015)	साक्षरता दर (%) (2011)	माध्यमिक स्तर पर निवल उपस्थित अनुपात NAR (2013-14)
हरियाणा	33	77	61
हिमाचल प्रदेश	25	84	67
बिहार	38	64	43

तालिका 4 में प्रयुक्त शब्द IMR (Infant mortality Rate) : जन्म हुए 1000 जीवित बच्चों में से, एक वर्ष के भीतर मरने वाले बच्चों की संख्या।

साक्षरता दर : यह 7 वर्ष या अधिक उम्र समूह में साक्षर जन संख्या के प्रतिशत का मापन करती है।

कुल माध्यमिक स्तर पर निवल उपस्थिति अनुपात : NAR कक्षा IX और X के लिए लिया गया है।

तालिका का पहला स्तंभ दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश में जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 25 बच्चों की एक वर्ष पूरा होने के पहले मृत्यु हो गयी। हरियाणा में जन्म के एक वर्ष के भीतर मरने वाले बच्चों का अनुपात 33 है। बिहार में यह संख्या 1000 के लिए 38 है।

सार्वजनिक सुविधाएँ (Public Facilities):

हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय हिमाचल प्रदेश में औसत व्यक्ति की आय की तुलना में अधिक है, लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पीछे है इसका क्या कारण है? कारण यह है कि आपकी जेब का पैसा वे सभी वस्तुएँ और सेवाएँ नहीं खरीद सकता जो आपको अच्छी तरह जीने के लिए आवश्यक है। इसलिए आय स्वयं में नागरिक के द्वारा उपयोग की जा सकने वाली भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का एक पूरी तरह से पर्याप्त संकेत नहीं है। उदाहरण के लिए आप अपने पैसों से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते या शुद्ध दवाईयाँ प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप ऐसे समुदाय में नहीं चले जाते जहाँ ये चीजें पहले से ही होती हैं। जब तक आपका संपूर्ण समुदाय सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाता तब तक पैसा भी संक्रामक रोगों से आपकी रक्षा नहीं कर सकता।

वास्तव में जीवन में महत्वपूर्ण बातों का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका सामूहिक रूप से इन वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। जरा सोचिए: क्या संपूर्ण समुदाय के लिए सामूहिक सुरक्षा रखना सस्ता रहेगा या प्रत्येक घर के लिए एक सुरक्षा कर्मी होना चाहिए। यदि आपके गाँव या मुहल्ले में आपके अतिरिक्त अध्ययन में रुचि रखने वाले अन्य कोई न हो तो क्या होगा? क्या आप अध्ययन कर सकेंगे नहीं? जब तक कि आपके माता-पिता आपको किसी निजी पाठशाला में भेजने में समर्थ न हो सकेंगे। वास्तव में इसीलिए आप अध्ययन कर पा रहे हैं क्योंकि कई अन्य बच्चे भी अध्ययन करना चाहते हैं और क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि सरकार द्वारा पाठशालाएँ खोली जानी चाहिए और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जानी चाहिए ताकि सभी बच्चों को पढ़ाई के अवसर प्राप्त हो। अब भी, कई क्षेत्रों में, बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियाँ माध्यमिक स्तर तक की विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। क्योंकि सरकार/समुदाय ने आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करायी हैं।

कुछ राज्यों में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि उनके पास शैक्षिक सुविधाओं और बुनियादी स्वास्थ्य के पर्याप्त प्रबंध हैं। इसी तरह कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं। यदि एक पीडीएस दुकान यानी राशन की दुकान जिन स्थानों में ठीक ढंग से काम नहीं करती है वहाँ लोग इसमें सुधार करा सकते हैं। ऐसे राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है।

- तालिका 3 और 4 के आँकड़ों पर नज़र डालिए। क्या साक्षरता दर में पंजाब बिहार से आगे है। जिस प्रकार यह प्रति व्यक्ति आय के मामले में।
- अन्य उदाहरणों के बारे में सोचिए जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का सामूहिक प्रवाधान व्यक्तिगत प्रावधान की तुलना में सस्ता है।
- क्या अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता इन सुविधाओं पर सरकार द्वारा खर्च की गयी राशि पर ही निर्भर करती है? कौनसे अन्य संबद्ध कारक हो सकते हैं?
- 2009-2010 में तमिलनाडु और एकीकृत आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार के लोग चावल क्रमशः 53 और 33 प्रतिशत राशन की दुकान से खरीदते थे। शेष बाजार से खरीदते थे। पश्चिम बंगाल और असम में केवल 11 और 6 प्रतिशत चावल राशन की दुकानों से खरीदा जाता है। कहाँ के लोग समृद्ध होंगे और क्यों?

मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report)

जब हम यह अनुभव करते हैं कि आय का स्तर महत्वपूर्ण होने पर भी यह विकास के स्तर का एक अपर्याप्त मापदंड है, एक बार हम अन्य मापदंड के बारे में सोचना शुरू करते हैं। वहाँ इस तरह के मापदंड की एक लंबी सूची हो सकती है लेकिन यह बहुत उपयोगी नहीं होगी। जो हम चाहते हैं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण चीजों की छोटी मात्रा है। उनमें से ऐसे स्वास्थ्य और शिक्षा संकेत, जिनका हमने केरल और पंजाब की तुलना में उपयोग किया है। पिछले एक दशक या उससे भी अधिक समय में विकास के मापदंड के रूप में आय के साथ-साथ स्वास्थ्य पर शिक्षा संकेतों का भी व्यापक उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) (UNDP) के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है।

2018 मानव विकास रिपोर्ट से भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबद्ध आँकड़े देखना रूचिकर होगा।

तालिका 5 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ आँकड़े

देश	प्रति व्यक्ति आय (डालर में)	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्षों में)	विद्यालय के औसत वर्ष	मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) रैंक
श्रीलंका	11,326	75.5	11	76
भारत	6,353	68.8	6	129
पाकिस्तान	5,311	66.6	5	149
म्यांमार	5,567	66.7	5	147
बांग्लादेश	3,677	72.8	6	138
नेपाल	2,471	64.7	5	148

तालिका 5 का विवरण

प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए हम अमेरिकी डालर में कर रहे हैं ताकि कोई भी तुलना कर सके। इसे इस प्रकार भी किया गया है कि प्रत्येक डॉलर किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सके।

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है।
विद्यालय के औसत वर्ष: व्यक्तिगत ग्रेडों के दुहराव में व्यतीत वर्षों को छोड़कर, देश की 25 वर्ष और उससे अधिक उम्र की जनसंख्या के वर्षों की औसत संख्या व्यक्तिगत ग्रेडों के दुहराव में व्यतीत जनसंख्या की शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या।

HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक उपरोक्त तालिका में कुल 189 देशों के HDI रैंक हैं।



नक्शा 1 : मानव विकास सूचकांक दर्शाने वाला विश्व मानचित्र। विभिन्न महाद्वीपों में विभिन्न पैटर्न की पहचान कीजिए।

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि श्रीलंका, हमारे पड़ोस में एक छोटा देश, प्रत्येक मामले में भारत से काफी आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में कम रैंक है? तालिका 5 यह भी दर्शाती है कि यद्यपि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से आधी है, शैक्षिक स्तर में वह भारत से अधिक पीछे नहीं है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के मामले में यह भारत से वास्तव में आगे है।

HDI की गणना में कई सुधार सुझाये गये हैं और मानव विकास रिपोर्ट में कई नये घटक जोड़े गये हैं। लेकिन 'विकास' के साथ 'मानव' को जोड़ कर उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक देश के लोगों के लिए जो हो रहा है वह विकास में महत्वपूर्ण है। लोग, उनका स्वास्थ्य और उनका कल्याण (well-being) महत्वपूर्ण हैं।

समय के साथ प्रगति के रूप में विकास (Development as progress over time):

मानव विकास के संकेतों के मामले में कुछ देश दूसरों से आगे हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य मानव विकास के बेहतर सूचक हैं। जबकि राज्य के अंतर्गत वहाँ विभिन्नताएँ हो सकती हैं। कुछ जिले दूसरों की तुलना में अधिक उन्नत हो सकते हैं। ध्यान रखिए तुलना और रैंक का अपने आप में कम उपयोग है। वे तभी उपयोगी है, जब ये संकेत हमें सार्थक तरीके से सोचने दें कि क्यों कुछ अन्य से पीछे है। किसी भी मानव विकास संकेत पर कम प्रदर्शन इस बात का चिह्न है कि लोगों के जीवन के कुछ पहलू पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वैकल्पिक रूप से हम पूछ सकते हैं कि क्यों कोई दूसरों से आगे हैं। कहिए अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में औसतन अधिक बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? (तालिका 4 देखें)

इसका उत्तर देने के लिए आइए हम 'हिमाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा क्रांति (The schooling revolution in Himachal Pradesh)' पर ध्यान देते हैं। इसमें कुछ रुचिकर अंतर्दृष्टियाँ हैं, विशेषकर, परिवर्तन को संभव बनाने के लिए किस प्रकार कई कारकों को साथ मिलाने की आवश्यकता है। विकास वास्तव में एक जटिल तथ्य है।

भारत की आजादी के समय भारत के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा का स्तर बहुत कम था। एक पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ-साथ कई गाँवों में जन संख्या के कम घनत्व के कारण पाठशालाओं का विस्तार, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती बन गया था। हालांकि हिमाचल प्रदेश की सरकार और राज्य की जनता दोनों शिक्षा के लिए उत्सुक थे। इस आकांक्षा को सभी बच्चों के लिए वास्तविकता में कैसे बदला जाय?

सरकार ने पाठशालाएँ शुरू की और यह निश्चित किया कि शिक्षा काफी हद तक निःशुल्क या माता-पिता के लिए बहुत कम लागत पर हो। आगे यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया है कि इन पाठशालाओं में



शिक्षकों, कक्षाओं, शौचालय, पीने का पानी, आदि न्यूनतम सुविधाएँ हों। जैसे-जैसे वर्ष बीतते गये इन सुविधाओं का सुधार और विस्तार हुआ। अधिक बच्चे आसानी से अध्ययन कर सके इसलिए और अधिक स्कूल खोले गये। शिक्षकों को नियुक्त किया गया। बेशक स्कूलों को खोलने और इन्हें ठीक से चलाने के लिए सरकार को धन खर्च करना पड़ता है। भारतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश को प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर सरकारी बजट से उच्चतम खर्च करने में सर्वोच्चता प्राप्त है। वर्ष 2005 में भारतीय राज्यों में सरकार द्वारा शिक्षा पर औसत खर्च प्रति बालक रूपये 1,049 था हिमाचल प्रदेश प्रति बालक पर 2,005 रूपये खर्च कर रहा था।

शिक्षा पर उच्च प्राथमिकता दी गयी। 1996 में किये गये और 2006 में दोहराये गये स्कूली शिक्षा पर एक गहन शोध में शोधकर्ता ने जाना:

हिमाचल प्रदेश में छात्र उत्साह से स्कूल के लिए आते हैं। छात्रों का एक भारी अनुपात उनकी स्कूली शिक्षा के अनुभव का आनंद उठाता है। चंबा में एक गाँव में 4 कक्षा में प्रवेश लेने वाली नेहा ने कहा : “शिक्षक हमें प्यार करते हैं और अच्छी तरह से हमें सिखाते हैं”। बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर पुलिसकर्मी, वैज्ञानिकों और शिक्षक बनने की आशा रखते थे। प्राथमिक कक्षाओं में उपस्थिति दर बहुत अधिक था लेकिन यह उच्च कक्षा के बच्चों के बीच भी था।

हिमाचल प्रदेश में यह मान (norm) था कि बच्चों के लिए पाठशाला के कम से कम 10 वर्ष हों।

देश के कई हिस्सों में लड़कियों की शिक्षा को अभी भी लड़कों की शिक्षा की तुलना में माता पिता द्वारा कम प्राथमिकता दी जाती है। लड़कियाँ कुछ कक्षाओं के लिए अध्ययन कर सकती हैं, वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर सकतीं। हिमाचल प्रदेश में एक स्वागत योग्य रुझान न्यून लिंग भेद है। हिमाचली माता-पिता अपने लड़कों के समान ही उनकी लड़कियों के लिए महत्वाकांक्षी शैक्षिक लक्ष्य रखते हैं। इस प्रकार 13-18 आयु वर्ग में लड़कियों का एक बहुत उच्च प्रतिशत कक्षा 8 पूरा कर माध्यमिक कक्षाओं की ओर बढ़ता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वहाँ पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मतभेद कई अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में कम है।

लैंगिक भेदभाव कम क्यों है यह आश्चर्य की बात हो सकती है। शिक्षा के अलावा, इसे अन्य क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में बाल मृत्यु दर (जन्म के कुछ ही वर्षों के भीतर मरने वाले बच्चों) अन्य राज्यों के विपरीत है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की बाल मृत्यु दर कम है। एक प्रमुख विचार यह है कि हिमाचली महिलाएँ स्वयं घर के बाहर कार्यरत हैं। घरों के बाहर काम करनेवाली महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्म-विश्वासी होती हैं। वे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, जन्म, रखरखाव, सहित घरेलू फैसलों आदि में अधिक से अधिक सहभागी होती है। स्वयं रोजगार करते हुए, हिमाचली माँ अपनी बेटियों से शादी के बाद घर के बाहर काम करने की उम्मीद रखती है। विद्यालय इसलिए स्वाभाविक रूप से आता है और एक सामाजिक आदर्श बन गया है।

यह देखा गया है कि हिमाचली महिलाओं की सामाजिक जीवन और गाँव की राजनीति में एक अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। सक्रिय महिला मंडल कई गाँवों में पाये जा सकते हैं।

तालिका 6 भारतीय राज्यों के औसत के साथ हिमाचल प्रदेश में समयोपरि साक्षरता के क्षेत्र में प्रगति की तुलना।

तालिका 6 : हिमाचल प्रदेश में प्रगति				
लिंग	हिमाचल प्रदेश		भारत	
	2001	2011	2001	2011
लड़कियाँ	67	76	54	65
लड़के	85	89	75	82

दो भिन्न वर्षों में तुलना, होने वाले विकास की सूचक है। संपूर्ण भारत की तुलना में स्कूली शिक्षा और शिक्षा के प्रसार में हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक विकास हुआ है। लड़कों और लड़कियों के बीच शिक्षा के औसत स्तर में अंतर अभी भी वहाँ है, यानी लिंग के आधार पर। हाल के वर्षों में अधिक से अधिक समानता की दिशा में कुछ प्रगति हुई है।

संक्षेप (Summing up) :

विकास लक्ष्यों के एक मिश्रण पर जोर देता है। लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के तरीके में संदिग्धता हो सकती है। 'किसका विकास'? यह महत्वपूर्ण सवाल है। विकास के बारे में सोचने के लिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है।

आय और प्रति व्यक्ति आय, जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि यह विकास का केवल एक पहलू है। समग्र आय में वृद्धि होने पर भी आय का वितरण बहुत ही असमान हो सकता है।

मानव विकास सूचकांक ने स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक संकेतों को शामिल करने के लिए विकास की धारणा का विस्तार करने की कोशिश की है। सरकार का प्रावधान ही स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने का एकमात्र रास्ता है। वे समाज जहाँ अधिक समानता पायी जाती है, शीघ्र विकास करते हैं, जब उन्हें प्रभावशाली सार्वजनिक सुविधाएँ निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाती है।

मुख्य शब्द

प्रति व्यक्ति आय:, मानव विकास, सार्वजनिक सुविधाएँ, शिक्षा और स्वास्थ्य संकेत

अपनी सीखने की क्षमता सुधारे

1. विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक ने किन मापदंडों का उपयोग किया है? उक्त मापदंडों की कुछ सीमाएँ हैं तो लिखिए।
2. सामान्यतः एक सामाजिक पहलू के पीछे योगदान देने वाले एक नहीं बल्कि कई कारक होते हैं। आपके विचार में हिमाचल प्रदेश में पाठशालाओं के विकास के लिए कौनसे कारक सामने आये हैं?
3. विकास के मापन के लिए UNDP के द्वारा उपयोग किए गए मापदंड, विश्व बैंक के द्वारा उपयोग किए गए मापदंडों से किस प्रकार भिन्न थे?

4. मानव विकास को मापने के लिए अध्याय में चर्चा किए गए पहलुओं के अतिरिक्त क्या आपके विचार में अन्य तथ्य भी हैं?
5. हम औसत का उपयोग क्यों करते हैं? इनके उपयोग की क्या कोई सीमाएँ हैं? विकास के संबंध में उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए।
6. प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी हिमाचल प्रदेश की पंजाब से बेहतर मानव सूचकांक रैंकिंग है। इस तथ्य से आप आय के महत्व के बारे में क्या समझ सकते हैं?
7. तालिका 6 में दी गयी संख्याओं के आधार पर, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
छ वर्ष की आयु से अधिक की प्रत्येक 100 लड़कियों में _____ लड़कियों ने 1993 में हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्तर से आगे पढ़ाई की। वर्ष 2006 तक यह भाग प्रति 100 लड़कियों में से _____ पर पहुँच गया। संपूर्ण भारत में 2006 में प्राथमिक स्तर से आगे पढ़ने वाले लड़कों की संख्या का भाग 100 में से केवल _____ था।
8. हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या आपके विचार में अधिक आय से माता-पिता को अपने बच्चों को पाठशाला भेजना आसान हो जाता है? हिमाचल प्रदेश में सरकार को पाठशालाएँ चलाना क्यों आवश्यक था?
9. आपके विचार में माता-पिता लड़कियों की शिक्षा की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा को क्यों अधिक महत्व देते थे? कक्षा में चर्चा कीजिए।
10. जब महिलाएँ घर से बाहर जाकर काम करती हैं तो लिंग पक्षपात किस प्रकार प्रभावित होता है?
11. 8 वीं कक्षा में आपने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTA-2009) के बारे में पढ़ा था। उसके आधार पर (i) बालक और (ii) मानव विकास के लिए इस अधिनियम के महत्व पर चर्चा कीजिए।

वाद-विवाद :

क्या शिक्षा केवल रोजगार के लिए ही है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इस विषय पर एक वाद-विवाद का आयोजन कीजिए।

परियोजना

1. जीवनयापन के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता एक चित्र यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार का एक चित्र उतारिए और विकास के संबंध में उनकी भावनाओं को दर्शाने वाले विचार लिखिए।



2. आप के इलाके में छात्र एवं छात्राएँ किन-किन विद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं, इसकी जानकारी उनके माता-पिता से प्राप्त कीजिए। इस पर कक्षा-कक्षा में विश्लेषण कीजिए?

क्रम संख्या	परिवार के मालिक का नाम	लड़के/ लड़कियाँ	अध्ययन विद्यालय	गाँव/शहर का नाम	इसी पाठशाला में अध्ययन करवाने का कारण	
					अभिभावकों की राय	बच्चों की राय

5 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 5.8% की कमी, चीन की तुलना में पिछड़ा

31 मई को जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में घटिया निष्पादन के कारण जनवरी-मार्च 2018-19 में भारत की

आर्थिक वृद्धि दर में 5.8% की कमी हुई। 2014-15 से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अत्यधिक धीमी है। 2014-15

से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अत्यधिक धीमी है। 2013-14 में इसकी वृद्धि में 6.4% की कमी हुई थी।

आप ने ऐसी खबर हो सकता है कहीं सुनी हो। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? इसके बारे में बात की जा रही है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के साथ क्या संबंध है? हम इसे समझने की कोशिश करते हैं....

अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र :-

आप कक्षा आठ और नौवीं के कुछ अध्यायों को याद कर सकते हैं। हमने वहाँ चर्चा की थी कि किस तरह लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। इन गतिविधियों को मोटे तौर पर तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है -1) कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ जैसे मछली पकड़ना, वनिकी, खनन, जहाँ प्रकृति का उत्पादन की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका है। 2) निर्माण प्रक्रियाओं और अन्य उद्योग, जहाँ लोगों द्वारा सामग्री या यंत्र द्वारा-वस्तुएँ उत्पादित की जा रही हैं। 3) वे गतिविधियाँ जो कि सीधे सेवाएँ प्रदान नहीं करती परंतु उत्पादन के लिए आवश्यक सेवाएँ और लोगों के लिए अन्य सेवाएँ प्रदान करती हैं।

इन विषयों का पुनः स्मरण करने के लिए :

- निम्न सूची की कृषि, उद्योग और सेवाक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए।

व्यवसाय	वर्गीकरण
दर्जी	
टोकरी के बुनकर	
फूल उगाने वाले	
दूध विक्रेता	
मछुआरे	
पुजारी	
कूरियर	

दियासलाई कारखाने के श्रमिक	
साहूकार	
माली	
कुम्हार	
मधुमक्खी पालक	
अंतरिक्ष यात्री	
कॉल सेंटर कर्मचारी	

- निम्न तालिका, भारत में 1972-73 और 2015-16, यानि 43 साल के बाद विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत दिखा रही है।

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवा
1972-73	74%	11%	15%
2017-18	44%	25%	31%

- उपर्युक्त तालिका के निरीक्षण से कौनसे बड़े बदलावों पर आपने ध्यान दिया है?
- इससे पहले आपने जो पढ़ा है, उसके आधार पर चर्चा कीजिए कि इन परिवर्तनों के क्या कारण हो सकते हैं?

नीचे दिए गये चित्र किन-किन क्षेत्रों के हैं, पहचानिए।




1..... 2..... 3..... 4.....

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)

मान लीजिए कि दो परिवार हैं - एक अमीर परिवार और एक गरीब परिवार। 'अमीर' या 'गरीब' के रूप का निर्णय परिवार के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पोशाकों, यात्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों, उनके भोजन, घर, जिसमें वे रहते हैं, फर्निचर तथा अन्य उपकरणों और वे उपचार के लिए जिस अस्पताल में जाते हैं, उसके आधार पर किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, इन परिवारों की आय एक महत्वपूर्ण सूचक है। समग्र देश के आधार पर, देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को हम देश की कुल आय का संकेतक मानते हैं। इस मान को निरूपित करने के लिए तकनीकी शब्द सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) है।

निम्नलिखित आरेख-1 से हम दो भिन्न-भिन्न वर्षों 1973-74 और 2013-2014 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य का पता कर सकते हैं। इससे हम अर्थ व्यवस्था के तीन क्षेत्रों में उत्पादन में होने वाली वृद्धि की तुलना कर सकते हैं।



आरेख 1 : कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों द्वारा जी.डी.पी. (रुपये करोड़ों में)

चार्ट पर देख कर निम्न सवालों का जवाब दीजिए।

- 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र क्या था?
- 2013-2014 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र क्या था?
- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1973-74 और 2013-14 में भारत में लगभग गुना वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कुल मूल्य में हुई है।

(2011-12 का आँकड़ा जिसे कीमतों के लिए समायोजित किया गया है, इससे 1972-73 और 2011-12 के लिए सकल घरेलू उत्पाद मूल्यों की तुलना कर सकते हैं। जिसको एक ही संदर्भ/ मूल वर्ष में मौजूदा कीमतों के संदर्भ में व्यक्त किया गया है।

हम सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? (How do we estimate GDP?)

विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त लोग उपरोक्त क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सामान और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। क्या हम यह पता लगाना चाहते हैं कि : कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है?

हजारों सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन के कारण आप सोचते हैं कि यह असंभव काम है। काम के भारी और असंभव होने पर भी हम किस प्रकार कार, कंप्यूटर, मोबाइल फोन सेवा, टोकरियों और घड़ों को जोड़ सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं निकलता है।

इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वास्तविक अंकों को जोड़ने की बजाय अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर 10,000 किलोग्राम धान, 25 रुपये प्रति किलो ग्राम बेचा जाता है तो धान का कुल मूल्य 2,50,000 होगा। 10 रु. प्रति नारियल की दर से 5000 नारियलों का मूल्य 50,000 होगा। उत्पादित और विक्रित हर वस्तु की गिनती रखना अनिवार्य है। हर उस उत्पादन और सामान (या सेवा) की गिनती करना आवश्यक है जो बेचा जाता है? हम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का अनुमान कैसे कर सकते हैं?

उदाहरण के लिए, एक किसान एक अमीर मिल मालिक को 25 रुपये प्रति किलो धान बेचता है। वह धान 100 किलोग्राम बेचता है। कल्पना करते हैं कि उसे कोई बीज खरीदना नहीं था। उसके द्वारा उत्पादित धान का कुल मूल्य 2500 है। चावल मिल मालिक चावल निकालकर (i) 80 किलोग्राम चावल होटल मालिक को 40 रुपये प्रति किलो और (ii) भूसा 20 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। चावल मिलर द्वारा उत्पादित माल का कुल मूल्य है : (80 x 40)

+ (20 x 20) = ₹. 3600। यही वह मूल्य है जो होटल व्यवसायी चावल मालिक को भुगतान करता है। होटल मालिक इससे इडली, डोसा बनाता है और भूसी ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। चावल और भूसी का उपयोग कर होटल मालिक इडली, डोसा की विक्री से 5000 रूपए कमाता है।

प्रत्येक चरण में बेचे गये माल का कुल मूल्य :

चरण 1 (चावल मिल मालिक को किसान द्वारा की गई धान की बिक्री)	= ₹. 2500
चरण 2 (होटल मालिक को चावल मिल मालिक द्वारा की गयी मालिक चावल और भूसी की बिक्री)	= ₹. 3600
चरण 3 (इडली, डोसा की बिक्री)	= ₹. 5000

- चर्चा : हमें उत्पादित माल के कुल मूल्य का पता लगाने के लिए क्या जोड़ना होगा?

इस उदाहरण में धान चावल और भूसी मध्यस्थ चरणों में हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वे अंतिम उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किया जा रहे हैं या नहीं। इस उदाहरण में इडली और डोसा अंतिम वस्तु की सामग्री के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अंतिम वस्तु के मूल्य के साथ शारीरिक सामर्थ्य को जोड़कर हमें दोहरी गणना करनी होगी। अंतिम वस्तु के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य शामिल होते हैं। हर चरण में उत्पादक इन सामग्रियों को बनाने वाले को उनका मूल्य चुकाता है। इसीकारण होटल मालिक जो वस्तुएँ 5000 ₹. में बेचता है, उसमें चावल और भूसे के (भौतिक निर्गतों के रूप) 3600 ₹ शामिल है। चावल और धान को होटल मालिक ने नहीं बनाया है, उसने उसे मिल मालिक से खरीदा है, इसीलिए मिल मालिक द्वारा 3600 ₹. में खरीदे गये चावल और भूसी में 2500 ₹. (भौतिक निर्गत) शामिल हैं जो उसने किसान से खरीदे हैं। मिल मालिक ने धान नहीं उगाया है। किसान ने चरण 1 में उसे उगाया है। चावल और धान के मूल्य की अलग गिनती करने का अर्थ है - एक वस्तु की कई बार गणना करना-पहले धान, फिर चावल, फिर भूसी और अंत में इडली और डोसा के रूप में।

यदि किसी वस्तु का इस्तेमाल आगे बेचने के लिए बनायी जाने वाली वस्तु के लिए नहीं होता है तो वह अंतिम वस्तु बन जाती है। अपने उपभोग के लिए एक परिवार द्वारा खरीदा गया चावल अंतिम बिंदु होगा। इसे वे अपने परिवार के लिए इडली और डोसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेचने के लिए नहीं।

....लेकिन मुझे गेहूँ की उपज का पूरा मूल्य दिया जाना चाहिए।



- ऊपर के उदाहरण में, धान या चावल मध्यवर्ती माल है और इडली अंतिम इच्छा है। निम्नलिखित कुछ सामान हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं। हर एक के लिए मध्यवर्ती माल की एक सूची बनाइए।

अंतिम माल	मध्यवर्ती वस्तुएँ
नोटबुक	
कार	
कंप्यूटर	

इन चरणों को देखने का एक और तरीका है उत्पादक द्वारा वस्तुओं पर लगाये गये मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना। ऊपर के उदाहरण पर फिर से विचार करके हम उत्पादक के द्वारा खरीदे गये भौतिक निर्गतों की जानकारी से मूल्य का पता कर सकते हैं :

- चरण 1 चावल मिल मालिक को किसान द्वारा धान की बिक्री = रु. 2500 (उत्पाद मूल्य रु. 2500 में से निर्गतमूल्य शून्य (zero) को घटाने से प्राप्त मूल्य)
- चरण 2 होटल मालिक को चावल मिल मालिक द्वारा चावल और भूसी की बिक्री = रु. 3600 (उत्पाद मूल्य रु. 3600 में निर्गत रूप रु. 2500 घटाने से प्राप्त मूल्य)
- चरण 3 (इडली, डोसा, की बिक्री) = रु. 1400 (उत्पाद मूल्य रु. 5000 में से निर्गत मूल्य रु. 3600 घटाने से प्राप्त मूल्य)
- हर चरण में जोड़ा गया मूल्य = 2500+1100+1400=5000
- चर्चा : दोनों तरीकों के परिणाम एक ही क्यों हैं?

“चिकित्सकों, शिक्षकों, वकीलों, बैंकरों, IT क्षेत्रों आदि के द्वारा सेवाएँ दी जाती हैं। किंतु वे कोई वास्तविक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तब उनकी सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद में कैसे शामिल किया जा सकता है? तो, सेवाओं के विषय में, उस क्षेत्र के घटकों द्वारा अर्जित आय को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में जोड़ा जाता है।

यह तभी समझ में आयेगा जब पता चलेगा कि प्रत्येक चरण में जोड़ा गया मूल्य शामिल करना है या अंतिम माल और सेवाओं के मूल्य को लेना है। किसी विशेष वर्ष के दौरान हर क्षेत्र में उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य है जो कि उस क्षेत्र के कुल उत्पादन को दर्शाता है। इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादन की राशि को एक देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कहा जाता है। यह एक विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य है।

आप ने ध्यान दिया होगा कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्ष 2013-2014 के लिए दिये गये हैं। यह आंकड़े 2013 अप्रैल से 2014 मार्च तक लिये गये हैं। इस अवधि को वित्तीय वर्ष (Financial period) कहा जाता है।

सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का रिकार्ड GDP के पास होता है। किंतु ऐसी अनेक वस्तुएँ होती हैं जिन्हें बाज़ार में बेचा नहीं जाता है। उदाहरण के लिए भोजन

- सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य निम्न तालिका में दिया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए दिखाये गये सकल घरेलू उत्पाद दर की गणना कीजिए।

वित्तीय वर्ष	GDP (करोड़ रुपये में)	गत वर्ष में GDP में हुए परिवर्तन (प्रतिशत में)	= GDP की वृद्धि दर
2009-10	45,16,000	-	-
2010-11	49,37,000	[(49,37,000 – 45,16,000)/ 45,16,000] *100	= 9.32 %
2011-12	52,48,000		
2012-13	55,05,000		

बनाना, सफाई करना, प्रबंधन, बच्चों की देखभाल, पौधों और जंतुओं को पालना आदि। इसमें किसी प्रकार का आर्थिक विनिमय नहीं होता है, इसीलिए यह GDP के मापदंडों से बाहर है। किंतु फिर भी ये अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सारे विश्व में और भारत में ज्यादातर अवैतनिक काम महिलाओं द्वारा किये जाते हैं।

लोगों का रोजगार और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य-क्षेत्रों के महत्व में परिवर्तन (Changes in the importance of sectors - value of goods and services produced and employment of people)

अब तक हमने यह पता किया है कि कुछ वर्षों में अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से GDP के आकार में वृद्धि हुई है। यह जानना अनिवार्य है कि वृद्धि किस प्रकार हुई और किस प्रकार की गतिविधियों ने GDP की वृद्धि में योगदान दिया है। यह देखा गया है कि विकास के आरंभिक स्तरों पर अनेक विकसित देशों ने कृषि और उससे जुड़ी अनेक गतिविधियों को GDP में वृद्धि देने वाले महत्वपूर्ण कारकों के रूप में माना है।

जैसे-जैसे कृषि के तरीकों में बदलाव आता गया और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया वैसे-वैसे पहले से अधिक अन्न का उत्पादन होने लगा। कई लोगों ने अन्य कार्य करने आरंभ किए, क्योंकि अनिवार्य भोज्य आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य उत्पादकों द्वारा की जाने लगी थी। कारीगरों और व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी थी। क्रय और विक्रय की गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की माँग बढ़ने लगी। इससे हटकर शासकों ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रशासन और सेना में नियुक्त किया। पूरे संदर्भ के आधार पर देखा जाय तो इस चरण में उत्पादित वस्तुएँ कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से थीं और अधिकांश लोग इन्हीं क्षेत्रों में कार्य करते थे।

औद्योगिक क्रांति के बारे में आपने पहले की कक्षाओं में जो कुछ पढ़ा है, उसका पुनः स्मरण कीजिए। निर्माण के नये तरीकों की शुरुआत से कारखानों का आरंभ और विस्तार हुआ। वे लोग जो पहले खेतों पर काम करते थे, वे बड़ी संख्या में कारखानों में काम करने लगे। लोग अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करने लगे। कारखानों द्वारा कम मूल्य में अधिक उत्पादन होने लगा और ये वस्तुएँ संपूर्ण विश्व के बाजारों में पहुँच गयीं। इन देशों के लिए औद्योगिक उत्पादन क्रमशः अति महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। ये दो क्षेत्र थे - वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन और लोगों के रोजगार। ऐसे में बहुत समय के बाद एक बदलाव आया। तात्पर्य यह है कि क्षेत्र का महत्व बदल गया। औद्योगिक क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र बन गया तथा रोजगार और उत्पादन से संबंधित कृषि क्षेत्र का महत्व घटने लगा।

पिछले 50 वर्षों में, विकसित देशों में एक और बदलाव आया। वे उद्योग क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। कुल उत्पादन में सेवा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण बन गया। अधिकांश लोगों को सेवा क्षेत्र में भेज दिया गया और अधिकतर उत्पादन गतिविधियाँ निर्मित वस्तुएँ न होकर सेवा क्रियाकलाप थीं। विकसित देशों की यह सामान्य परिपाटी थी। क्या भारत में भी ऐसी परिपाटी देखी गयी है?

निम्नलिखित पाई चार्टों को देखो। सकल घरेलू उत्पाद के लिए विभिन्न गतिविधियों का योगदान दो वित्तीय वर्षों 1973-74 और 2013-2014 के लिए प्रस्तुत किया गया है। वृत्त या पाई भी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है। सकल घरेलू उत्पाद, कृषि, उद्योग और सेवाओं के तीन क्षेत्रों के उत्पादन से बना है। सेवा में भी तीन प्रकार हैं :-

सेवा में क्या शामिल है?



सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ :	लोक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा गतिविधियाँ, मीडिया, पुस्तकालय, अभिलेखागार, संग्रहालय और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि।
वित्त, बीमा और रियल एस्टेट :	बैंकों, डाकघर बचत खातों, गैर बैंक वित्तीय कंपनियों, जीवन बीमा और साधारण बीमा निगम, दलालों और अचल संपत्ति कंपनियों आदि की सेवाएँ।
व्यापार, होटल, परिवहन और संचार :	

- क्या आप व्यापार, होटल, परिवहन और संचार के कुछ उदाहरण दे सकते हैं?

आरेख 2 विभिन्न क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा

1973-74

2015-16



■ कृषि
■ उद्योग

■ व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार
■ वित्त, बीमा और रियल एस्टेट
■ सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ

पिछले 43 साल की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र के उत्पादन में बहुत भारी गिरावट आयी। सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक उत्पादन की हिस्सेदारी में एक छोटी सी वृद्धि हुई थी। इस के विपरीत, सेवा गतिविधियों में बहुत वृद्धि हुई। सेवा गतिविधियों के तीन क्षेत्रों में से दो में बहुत अधिक विस्तार हुआ।

रोज़गार - भारत का कामकाजी जीवन (Employment – the working life in India)

एक देश के सकल घरेलू उत्पाद का देश में काम कर रहे लोगों की कुल संख्या से घनिष्ठ संबंध है। हर देश में जैसे-जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है और लोग काम की तलाश करते हैं। देश उनको काम के आवश्यक अवसर प्रदान करता है। जब तक लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तब तक वे अपनी भोजन और अन्य ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं?

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1210 मिलियन से 460 मिलियन लोग मज़दूर हैं, यानी लोग, कुछ उत्पादक गतिविधियों में लगे हैं। निम्न तालिका-1 भारत के श्रमिकों के बारे में बुनियादी तथ्यों को दिखाती है :

तालिका : 1 भारत में श्रमिकों का वितरण, 2017-18 (%)					
क्षेत्र	निवास स्थान		लिंग		कुल श्रमिक
	ग्रामीण	शहरी	पुरुष	महिला	
कृषि क्षेत्र	59.8	6.6	40.7	57.2	44.6
उद्योग क्षेत्र	20.4	34.3	26.4	17.7	24.4
सेवा क्षेत्र	19.8	59.1	32.8	25.2	31.0

दुर्भाग्य से भारत में सकल घरेलू उत्पाद के इन तीनों क्षेत्रों के हिस्से में एक परिवर्तन किया गया है, जबकि यह परिवर्तन रोज़गार में नहीं गया है। ग्राफ़-3 1973-74 और 2015-2016 में, तीन क्षेत्रों में रोज़गार का प्रतिशत दर्शाता है। अभी भी कृषि क्षेत्र में अधिक रोज़गार क्यों हैं?

कृषि के बाहर इतना रोज़गार क्यों नहीं है? उद्योग और सेवा क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियाँ नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप, देश के आधे से अधिक लोग GDP का 1/6 भाग का उत्पादन करते हुए, कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके विपरीत मज़दूरों के आधे समानुपात के साथ कारखाने और सेवा क्षेत्र में GDP का 2/4 भाग का उत्पादन कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि श्रमिक कृषि में अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रहे हैं?

उपर्युक्त तालिका पढ़िए और रिक्त स्थान भरिए।

- कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक _____ में रहते हैं।
- अधिकतर _____ श्रमिक कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में _____ का छोटा वर्ग काम करता है।
- 90% से अधिक शहरी मज़दूरों को _____ और _____ क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त हो रहा है।
- पुरुष श्रमिकों की तुलना में, महिला श्रमिकों को _____ और _____ क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर रोज़गार प्राप्त हो रहे हैं।

वहाँ अधिक लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को पूरी तरह से कब्जा नहीं दिया जा सकता है। यदि कुछ लोग बाहर चले जाते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल होते हैं। इसे ही अर्द्ध बेरोज़गारी (under employed) कहते हैं।


एक छोटे से किसान गायत्री का ही उदाहरण लीजिए। इसके पास लगभग दो हेक्टेर असिंचित भूमि है जो वर्षा पर निर्भर है। इस पर जवार और लाल चना की फसलें उगायी जाती हैं। परिवार के पाँचों सदस्य वर्ष भर इस खेत पर काम करते हैं। क्यों? वे काम के लिए कहाँ जा सकते हैं? आप देख रहे हैं कि हर एक काम कर रहा है, कोई खाली नहीं बैठा है, किंतु वास्तविकता में उनका श्रम बँट रहा है। हर एक काम कर रहा है किंतु कोई भी पूरी तरह से आजीविका नहीं कमा रहा है। यह अर्द्ध-रोज़गार की स्थिति है। इसमें हर कोई काम करता है किंतु उनसे उनकी क्षमता से कम काम करवाया जाता है। इस प्रकार अर्द्ध-रोज़गार की स्थिति, बेरोज़गारी की स्थिति-जिसमें किसी को बिल्कुल काम नहीं होता से अलग होती है। इसीलिए इसे प्रच्छन्न बेरोज़गारी (disguised employment) भी कहा जाता है।

मान लीजिए, एक ज़मींदार, परिवार के एक या दो सदस्यों को अपनी भूमि पर काम करने के लिए रखता है। गायत्री के परिवार को मज़दूरी के द्वारा कुछ अधिक आय हो सकती है। उस भूखंड पर पाँच लोगों के काम की ज़रूरत न हो तो, दो को काम के लिए बाहर भेजा जा सकता है। इससे उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। उपर्युक्त उदाहरण में देखिए। यदि दो लोग कारखाने या व्यापार में काम करेंगे तो उनके परिवार की आमदनी बढ़ेगी ही। उनकी भूमि पर भी पहले जितना ही उत्पादन होगा।

भारत में गायत्री के समान लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कृषि क्षेत्र से कई लोगों को हटाकर दूसरे क्षेत्र में काम कर लगाया जायेगा तो भी कृषि उत्पादन को नुकसान नहीं होगा। दूसरे काम में लगाये गये लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी।

अर्द्ध-रोज़गार दूसरे क्षेत्रों भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र में हज़ारों आकस्मिक श्रमिक (शहरों में) होते हैं जो दैनिक रोज़गार ढूँढ़ते हैं। वे पेंटर, प्लंबर (plumber) मिस्त्री जैसे काम करते हैं। इनमें से बहुत लोगों को रोज़ काम नहीं मिलता है।


ग्राफ 3 : रोज़गार की क्षेत्रीय साझेदारी



इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को गाड़ी खींचते हुए, या गलियों में कुछ बेचते हुए देखते हैं। इस कार्य में पूरा दिन बिताने पर भी उन्हें बहुत कम धन प्राप्त होता है। वे ये काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने पर भी, सभी सेवा गतिविधियों में वृद्धि नहीं हुई है। भारत में

ग्राफ 4 : सकल घरेलू उत्पाद में तीन क्षेत्रों का साझा



- उपर्युक्त पाई चार्ट को देखिए और निम्न तालिका भरिए।

क्षेत्र	रोज़गार (%)		सकल घरेलू उत्पाद (%)	
	1973-74	2015-16	1973-74	2015-16
कृषि				
उद्योग				
सेवाएँ				

सेवाक्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं। एक ओर सेवाओं की सीमित संख्या है - जिसमें कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोज़गार दिया जाता है। दूसरी ओर श्रमिकों का एक बहुत बड़ा भाग-दुकानमालिक, मिस्त्री और बोझा ढोने वाले व्यक्तियों के रूप में काम करते हैं क्योंकि उन्हें काम के अन्य अवसर उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए, इस क्षेत्र के कुछ भाग में ही वृद्धि हो रही है।

भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोज़गार (Organised and unorganised sector employment in India)

अब तक हमने यह देखा है कि विभिन्न क्षेत्र किस प्रकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देते हैं। तीनों क्षेत्रों के तुलनात्मक महत्व को भी हमने जान लिया है। इससे हमें उत्पादन और रोज़गार में होने वाले और न होने वाले बदलावों का विश्लेषण करने में मदद मिलती है।

हमारे देश में हम रोज़गार में चिरस्थायी बदलाव नहीं देख रहे हैं और इसकी खोज के लिए हमें रोज़गार की प्रकृति को केंद्रित करने वाले अन्य वर्गीकरण का उपयोग करना होगा। नीचे दिया गया वर्गीकरण रोज़गार की समस्या पर बल देता है। इससे काम से संबंधित स्थितियाँ और कठोर हो जाती हैं।

नरसिंह

नरसिंह सरकारी कार्यालय में काम करता है। वह 9.30 - 5.30 बजे तक अपने कार्यालय में रहता है। उसका कार्यालय 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वह कार्यालय के लिए घर से यात्रा करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल का उपयोग करता है। वह अपने बैंक खाते में, हर महीने के अंत में नियमित रूप से अपना वेतन पाता है। वेतन के अतिरिक्त उसे भी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार भविष्य निधि भी मिलती है। उसके पास भी चिकित्सा और अन्य भत्ते हैं। नरसिंह रविवार को कार्यालय नहीं जाता है। यह एक भुगतान छुट्टी है। नियुक्ति के समय उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें सभी प्रकार की नियमों और शर्तों का उल्लेख था।



राजेश्वरी

राजेश्वरी एक निर्माण मजदूर के रूप में काम कर रही है। वह सुबह 7 बजे काम के लिए चली जाती है और शाम 7.00 बजे घर लौटती है। वह बस से दैनिक काम के लिए 8 से 10 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है। निर्माण श्रमिकों को (1.00-2.00) एक घंटे का भोजन अवकाश मिलता है। उसे केवल 10 से 12 दिनों का काम एक महीने में मिलता है। शेष दिनों में वह कोई काम नहीं करती है, और उसे किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है। उसे मजदूरी के रूप में प्रति दिन 150 रुपये दिया जाता है। ज्यादातर उसे शाम को ही मजदूरी का भुगतान कर दिया जाता है। वह एक ही स्थान पर तीन या चार दिनों के लिए काम करती है। उसे काम के बाद भुगतान किया जाता है। फरवरी से जून तक उसे अधिक काम मिलता है। जुलाई-जनवरी में उसे काम नहीं मिलता है। राजेश्वरी अपने इलाके में एक स्वयं सहायता समूह की सदस्या है। यदि काम करते समय कोई गिर जाता है, चोट लगती है या मर जाता है तो सरकार उस श्रमिक को मुआवजा देती है। काम करते समय दुर्घटना होने पर, सरकार से उपचार के लिए कोई मदद नहीं मिलती है। राजेश्वरी मिस्त्री के अधीन काम करने वाले समूह का एक भाग है। एक मिस्त्री के अधीन 6 से 10 मजदूर काम करते हैं।

नरसिंह और राजेश्वरी क्रमशः संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों के उदाहरण हैं। क्या आप उनके बीच काम की परिस्थितियों में अंतर देखते हैं? संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच की विषमता से हमें देश के अधिकांश श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों और मजदूरी को समझने में मदद मिलती है। भारत में 92% लोग असंगठित क्षेत्रों में और 8% लोग संगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। संगठित क्षेत्र, काम के लिए उन स्थानों का चुनाव करता है

जहाँ रोज़गार नियमित होता है। लोगों को निश्चित रूप से काम मिलता है। वे सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकार के नियम और अधिनियमों जैसे :- कारखाना अधिनियम, निम्नतम मज़दूरी अधिनियम, दुकान और स्थापना अधिनियम का पालन करना होता है। औपचारिक प्रक्रियाएँ होने के कारण इन्हें संगठित क्षेत्र कहा जाता है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोज़गार की सुरक्षा होती है। उन्हें कुछ निश्चित घंटों के लिए ही काम करना होता है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो मालिक को उन्हें भुगतान अवकाश, छुट्टियों के दौरान वेतन और भविष्य निधि जैसी कई सुविधाएँ मिलती हैं। उन्हें चिकित्सा के लाभ मिलते हैं। कानून के अनुसार नियोक्ता को चाहिए कि वह अपने श्रमिकों को सुरक्षित जल और पर्यावरण उपलब्ध करवाये। सेवा-निवृत्ति पर इनमें से कई श्रमिकों को पेंशन मिलती है। सरकारी संस्थानों, कंपनियों, बड़े संगठनों में काम करने वाले लोग संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

असंगठित क्षेत्र छोटी और बिखरी इकाइयों के रूप में होता है। जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके भी नियम और कानून होते हैं किंतु उनका न तो पालन किया जाता है और न ही उनको लागू किया जाता है। नौकरियाँ अनियमित और कम वेतन वाली होती हैं। इसमें छुट्टियों, भुगतान अवकाश, बीमारी के लिए अवकाश या अधिक काम के लिए अधिक वेतन का प्रावधान नहीं होता है। यदि किसी मौसम में काम कम होता है तो लोगों को निकाल दिया जाता है। बहुत कुछ नियोक्ता की इच्छा और बाज़ार की परिस्थितियों में बदलाव पर भी निर्भर रहता है। उपर्युक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में अधिकांश लोग 'स्व-रोज़गार' करते हैं। लगभग आधे से अधिक श्रमिक 'स्व-रोज़गार' करते हैं। आप इन्हें हर जगह छोटा काम करते हुए जैसे गलियों में फेरी लगाते हुए, मरम्मत का काम करते हुए या बोझा उठाते हुए देख सकते हैं। इसी तरह किसान भी 'स्व-रोज़गार' करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मज़दूरों को काम पर रखते हैं।

संगठित क्षेत्र की नौकरियाँ बहुत खोजने के बाद ही मिलती है। संगठित क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का विस्तार बहुत धीरे हो रहा है। नतीजन, बहुत संख्या में लोग बलपूर्वक असंगठित क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ बहुत कम वेतन दिया जाता है। वहाँ प्रायः उनका शोषण कर उनको कम वेतन दिया जाता है। उनका वेतन कम और अनियमित होता है। जब श्रमिक, संगठित क्षेत्रों की नौकरियाँ खो देते हैं तो वे असंगठित क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें कम वेतन मिलता है। जहाँ असंगठित क्षेत्रों में अधिक काम की ज़रूरत है वहीं इन श्रमिकों को सुरक्षा और समर्थन की भी ज़रूरत है।

ये कमज़ोर लोग कौन हैं, जिन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्रों में मुख्यतः भूमिहीन कृषिश्रमिक, छोटे और निम्न दर्जे के किसान, बटाईदार और कारीगर (बुनकर, लुहार, बढ़ाई और सुनार होते हैं) भारत के 80% घर छोटे और निम्न वर्ग के किसानों के हैं। इन किसानों को समयानुसार, बीजों, कृषि निर्गतों, उधार, संग्रहण सुविधाएँ और निर्गत स्थान की सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। खेत श्रमिक होने के कारण उन्हें कम वेतन पर अधिक काम करना पड़ता है।

शहरी क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्र में लघु उद्योग, निर्माण, व्यापार और परिवहन आदि में काम करने वाले आकस्मिक श्रमिक मुख्य रूप से शामिल हैं। फेरीवालों, बोझा ढोने वालों, परिधान निर्माताओं, कचरा बीनने वाले आदि लघु उद्योग के रूप में काम करने वाले इन लोगों को भी उत्पादन के लिए कच्चे माल और विपणन की खरीद के लिए सरकार के समर्थन की जरूरत है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आकस्मिक श्रमिकों को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और पिछड़े समुदायों से श्रमिकों का बहुमत असंगठित क्षेत्रों में होता है। इसमें इन समुदायों से औरत का होना और भी बदतर होता है। अनियमित और कम वेतन के अलावा, इन श्रमिकों को सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुरक्षा और समर्थन दोनों आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है।

चलिए, हम इन क्षेत्रों की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और रोज़गार, दोनों की जाँच करते हैं। असंगठित क्षेत्र भी जी.डी.पी. में योगदान देता है। 2004-2005 के दौरान, पूर्ण उत्पादन में आधा योगदान करने वाले सभी श्रमिकों का 92 प्रतिशत योगदान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है। दूसरी ओर, लोगों को शालीन रोज़गार प्राप्त था और उन लोगों ने सेवाओं और माल के उत्पादन में 50% योगदान दिया था। इन कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं को एक बाज़ार मिल जाता है, लेकिन वे विशेषाधिकार नौकरियों को प्राप्त करने वाली जनसंख्या

पटल 2 संगठित और असंगठित क्षेत्रों के योगदान

क्षेत्र	योगदान (कुल का %)	
	रोज़गार के लिए	सकल घरेलू उत्पाद
रोज़गार	8	50
असंगठित	92	50
संपूर्ण	100	100

के एक बहुत छोटे से वर्ग को समर्थन देते हैं। यह एक अत्यंत असमान स्थिति है। बाकी लोग असुरक्षित कम वेतन वाली नौकरी करते हैं या स्वरोज़गार करते हैं या फिर अर्ध रोज़गार करते हैं।

रोज़गार की स्थिति बेहतर कैसे बना सकते हैं? (How to create more and better conditions of employment?)

लोगों की एक बड़ी संख्या को उद्योग और सेवाओं में एक शालीन रोज़गार मिल जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। (उद्योग और सेवाओं में) उत्पादन, रोज़गार में एक समान वृद्धि के बिना बढ़ गया है। जब हम यह देखते हैं कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है और वे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उत्पादन में वृद्धि से श्रमिकों को केवल 8% लाभ हो रहा है। हम किस प्रकार सभी लोगों के लिए रोज़गार में वृद्धि कर सकते हैं? हम उनमें से कुछ को देखेंगे।

गायत्री के दो हेक्टेर असिंचित भूमि के मामले को ही लें। उसकी भूमि की सिंचाई के लिए सरकार कुछ पैसा खर्च कर सकती थी या बैंक ऋण प्रदान कर सकते थे। गायत्री तब अपनी भूमि की सिंचाई करने तथा रबी मौसम के दौरान एक दूसरी फसल, गेहूँ, उगाने में सक्षम हो सकती है। एक हेक्टेर गेहूँ (बुवाई, पानी डालना, उर्वरक प्रयोग और कटाई सहित) 50 दिन के लिए दो लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है। तो परिवार के दो और सदस्यों को उस के क्षेत्र में नियोजित किया जा सकता है। इन खेतों की सिंचाई के लिए कई छोटे बाँध बनाये जा सकते हैं और नहरें खोदी जा सकती हैं। यह अर्ध-रोजगार की समस्या को कम करने के लिए, कृषि क्षेत्र के भीतर ही रोजगार सृजन का एक बहुत अच्छा उपाय है।

मान लीजिए कि अब, गायत्री और अन्य किसानों को पहले की तुलना में अधिक उत्पादन मिलता है। उन्हें भी इसमें से कुछ बेचने की आवश्यकता होगी। इसके लिए वे पास के एक शहर में अपने उत्पादों को भेजते हैं। सरकार फसलों की ढुलाई और भंडार में कुछ पैसे का निवेश करती है, और ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाती हैं ताकि छोटे ट्रक चल सकें तो कई जिन्हें गायत्री के समान सिंचाई सुविधा मिली है वे निरंतर वृद्धि कर सकते हैं और फसलों को उगा सकते हैं। इस गतिविधि से न सिर्फ किसानों को बल्कि दूसरों को जो परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में कार्यरत हैं उन्हें रोजगार प्राप्त हो सकता है।

गायत्री की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। भूमि की खेती करने के लिए, पानी, बीज, उर्वरक, कृषि उपकरणों और पंपसेटों की जरूरत है। एक गरीब किसान होने के नाते, वह इनका खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना और ब्याज की एक उच्च दर का भुगतान करना होगा। स्थानीय बैंक ब्याज की उचित दर पर उसे ऋण देता है, तो वह समय पर इन सभी को खरीदने और उस जमीन पर खेती करने में सक्षम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पानी के साथ, खेती को बेहतर बनाने के लिए किसानों को सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है।

इस समस्या को हल करने का एक और तरीका है- अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना प्रचार करना और स्थापित करना जहाँ बड़ी संख्या में लोग नियुक्त किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई किसान जवार, बाजरा और अन्य धान उगाने का फैसला करते हैं। इनके भंडारण और संरक्षण तथा इन्हें शहरों में बेचने के लिए एक आटा मिल की स्थापना ऐसा ही एक उदाहरण है। एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना से किसान मिर्ची और प्याज का भंडार रख सकता है और अच्छी कीमत आने पर उसे बेच सकता है। वन क्षेत्रों के आसपास के गाँवों में, हम लोग शहद संग्रहण केंद्र आरंभ कर सकते हैं जहाँ लोग जंगली शुद्ध शहद बेच सकते हैं। सब्जियों और कृषि उपज जैसे- टमाटर, मिर्च, आम, चावल, लाल चना, फल, को संसाधित करने के उद्योग स्थापित करना भी संभव है जिन्हें बाहर के बाजारों में बेचा जा सकता है। इससे शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध होगा।

आज हमें नये रोज़गार के अवसर ही उपलब्ध कराना नहीं है बल्कि यंत्रों के साथ काम करने के लिए कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। हमें अर्ध शहरी और ग्रामीण उद्योगों में ज़्यादा पैसा लगाना है ताकि अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो सके।

मुख्य शब्द

सकल घरेलू उत्पाद
रोज़गार बदलाव

अंतिम वस्तुएँ क्षेत्रीय वस्तुएँ
संगठित और असंगठित क्षेत्र

अपनी सीखने की क्षमता सुधारे

1. आपके विचार में आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, माध्यमिक वर्गीकरण सेवा क्षेत्र के लिए किस प्रकार उपयोगी है? बताइए।
2. इस अध्याय के हर क्षेत्र में GDP और रोज़गार को ही मुख्य बिंदु क्यों बनाया गया है? क्या ऐसे अन्य मुद्दे भी हैं, जिसकी जाँच की जा सकती है? चर्चा कीजिए।
3. सेवा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग कैसे है? कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।
4. आप अर्ध रोज़गार से क्या समझते हैं? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के एक-एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए।
5. असंगठित, क्षेत्रों के श्रमिकों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वेतन, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।
6. अहमदाबाद के एक अध्ययन से पता चला है कि शहर के 15,00,000 श्रमिकों में से 11,00,000 श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। (1997-1998) में शहर की कुल आय 6000 करोड़ रु. थी। इसमें से 3200 करोड़ रु संगठित क्षेत्रों में व्यय किये गये हैं। इस आँकड़े को तालिका के रूप में दर्शाइए। शहर में अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए क्या तरीके अपनाये जा सकते हैं?
7. पृष्ठ संख्या 34 में, चौथे अनुच्छेद में 'गत 50 वर्षों में परिपाटी थी? इस पर अपना अभिमत लिखिए।

क्या भारत में भी ऐसी परिपाटी देखी गयी है? अपने विचार लिखिए।

8. पृष्ठ सं. 35 में दिये गये वृत्त आरेख की जाँच करके - निम्न प्रश्नों के समाधान लिखिए। (AS₃)
- अ) 1973-74 से 2015-2016 वर्ष को आँका जाए तो सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) में कौन-सा क्षेत्र आगे रहा?
- आ) 2015-16 वर्ष में 1973-74 वर्ष से आंकने पर (G.D.P.) में कृषि क्षेत्र के हिस्से में कितनी कमी हुई?
9. सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? (AS₁)
10. G.D.P. में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्सों के परिवर्तनों के बारे में चर्चा कीजिए। (AS₁)
11. सकल घरेलू उत्पाद G.D.P. में असंगठित क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। (AS₁)
12. पृष्ठ सं. 31 पर दिये गये दृष्टांत को देखिए।
- उसके मामले में उत्पादन की श्रृंखला क्या हो सकती है तथा मूल्यों के जोड़ने से किसको लाभ होगा?

खराब मौसम से जलवायु परिवर्तन : विशेषताएँ

हैदराबाद में रुक-रुक कर होने वाली बारिश ने मौसम संबंधी अधिकारियों को परेशानी में डाल दिया है, उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में मौसम संबंधी अनुमान लगाना मुश्किल होता जा रहा है। पिछले दो वर्षों में हमने देखा है कि जलवायु प्रणाली एक विचित्र प्रकार से व्यवहार कर रही है। जिसके कारण असाधारण जलवायु घटनाएँ हो रही है।

इस तरह की स्थितियों का अवलोकन करने के बाद, जैसे देश में चरम गर्मी, अचानक बर्फ और रंगा रेड्डी जिले के चेवेला क्षेत्र में ओले पड़ने के साथ बारिश, उत्तराखंड में भारी वर्षा और दक्षिण पश्चिम मानसून के शीघ्र शुरू होने, देर से आने में, मौसम प्रणालियाँ एक अजीब तरह से व्यवहार कर रही हैं। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है।

ओंगोल में एक दिन में 341 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य के कुल वार्षिक का एक तिहाई है। पूरे राज्य में भारी बारिश से कई एकड़ फसल, विशेष रूप से कपास क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन एक अच्छी खबर में, आंध्र प्रदेश में 80,000 के लगभग टैंकों में से 75% अब पूर्ण रूप से भरे हैं।

(25 अक्टूबर 2013 टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया।)

- ऐसे ही समाचार पत्र की रिपोर्ट को खोजिए।

क्या ये परिवर्तन के संकेत है या सिर्फ बदलाव है जो एक लंबे समय में एक बार होता है? इस विकास पर चर्चा करने के लिए कुछ मौसम विज्ञान अधिकारियों या कॉलेज के शिक्षकों को आमंत्रित कीजिए।


जलवायु और मौसम (Climate and Weather)

एक विशेष समय पर, एक क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश, तापमान, वातावरणीय दबाव, हवा, आद्रता, बादल और अवक्षेपण (Precipitation) जैसे तत्वों की वातावरणीय परिस्थितियों की स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम की इस स्थिति में, लघु अवधि में, प्रायः उतार-चढ़ाव होते हैं। एक बृहत् क्षेत्र में इन परिस्थितियों का 30 या उससे अधिक वर्षों के लिए, उसी अवस्था में रहना, जलवायु कहलाता है। वर्ष दर वर्ष इसमें बदलाव हो सकते हैं किंतु बुनियादी स्वरूप एक ही रहता है। इन सामान्यीकृत परिस्थितियों के आधार पर वर्षा को मौसमों में विभाजित किया जाता है। एक स्थान के मौसम और जलवायु के तत्वों के प्रतिरूपों को कुछ चित्रों के उपयोग से दर्शाया जा सकता है जिसे वातावरण आरेख (Climograph/climatograph) कहते हैं। वातावरण आरेख, दिये गये स्थान के अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान और वर्षा के औसत मासिक मूल्य को दर्शाता है।

भारत में कुछ स्थानों के वातावरण आरेख

यह आरेख दर्शाता है कि विभिन्न देशों में वातावरण और वर्षा भिन्न-भिन्न होती है। अपने एटलस का संदर्भ लीजिए और उन प्राकृतिक क्षेत्रों को पहचानें जहाँ ये स्थान दर्शाये गये हैं। इन स्थानों पर स्थित क्षेत्र की पहचान कीजिए। इसके अतिरिक्त नीचे आरेख पढ़िए और अगले पृष्ठ पर तालिका भरिए।

चित्र 1 से 4 : वातावरण आरेख



सभी आरेख - भारतीय भूगर्भ संस्था से लिये गये 2013

स्थान	प्राकृतिक क्षेत्र	वर्ष भर उच्चतम तापमान का अंतराल	वर्ष भर निम्नतम तापमान का अंतराल	सबसे अधिक वर्षा वाले महीने का नाम और उस महीने में वर्षा (mm)	अत्यधिक सूखा महीना और उस महीने में वर्षा (mm)
जयपुर					
लेह					
नयी दिल्ली					
चेन्नई					

तापमान का अंतराल :- उच्चतम मूल्य से निम्नतम मूल्य तक

- लेह में अत्यधिक गर्म और ठंडे महीने कौनसे हैं?
- उपरोक्त तालिका में तापमान के अंतराल से बताइए कि क्या जयपुर लेह से सामान्य रूप में अधिक गर्म है। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।
- दिल्ली और चेन्नई की जलवायु की तुलना कीजिए। वे कैसे भिन्न हैं?
- लेह का वर्षा पैटर्न ध्यान से पढ़ें। किस प्रकार, यह दूसरों से अलग है? अपने एटलस में क्या आप समान वर्षा पैटर्न के विश्व के कुछ अन्य स्थानों को दर्शा सकते हैं?
- चेन्नई के लिए वर्षा के महीनों की पहचान कीजिए। कैसे यह जयपुर से भिन्न है?

जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक (Factors influencing climate and weather):

यह माना जाता है कि कुछ स्थानों (जैसे चेन्नई) के लिए कई महीनों तक तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है। कुछ स्थानों (जैसे दिल्ली) के महीने भर में तापमान में व्यापक फ़र्क हैं। भारत, तापमान में व्यापक बदलाव का अनुभव करता है। दक्षिणी प्रायद्वीप समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि उत्तरी भाग हिमालय से घिरा है। कुछ स्थान तटों से दूर हैं वे अंतर्देशीय क्षेत्र (inland) हैं। कुछ स्थान समुद्री तल से ऊँचाई पर हैं और कुछ मैदानों पर हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को जलवायु नियंत्रक कहा जाता है। इनमें शामिल हैं :

1. अक्षांश
2. भूमि जल संबंध
3. (Altitude) ऊँचाई
4. ऊपरी हवा परिसंचरण

1. भूमध्य रेखा से अक्षांश या दूरी (Latitude or distance from the equator):

जैसे-जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जायेंगे वर्ष का औसत तापमान कम होता जायेगा। इस कारण हमने पृथ्वी के क्षेत्रों को विभाजित किया है :

- उष्ण कटिबंधीय, जो भूमध्य रेखा के करीब हैं।
- ध्रुवीय, जो ध्रुवों के करीब है।
- समशीतोष्ण, इन दो चरम सीमाओं के बीच में है।

हम अगर इंडोनेशिया और जापान के जलवायु की तुलना करते हैं तो हम इन भिन्नताओं को समझ सकते हैं। इन भिन्नताओं का कारण पृथ्वी के ताप में विभिन्नता है, जो आप पिछली

- विश्व मानचित्र को पुनः स्मरण कर बताइए कि भिन्न अक्षांशों पर सूर्य के भिन्न कोण कैसे तैयार होते हैं? उसका क्या प्रभाव पड़ता है?

कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तापमान की तीव्रता अक्षांश पर निर्भर करती है। पृथ्वी की सतह के पास एक खास जगह पर वातावरण का तापमान उस स्थान पर प्राप्त आतपन (insolation) (सूर्य की किरणों से गर्मी) पर निर्भर करता है। यह उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों में अधिक तीव्र होता है। जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो औसत वार्षिक तापमान कम हो जाता है।





Fig 4.1 : व

भारत में दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के करीब उष्णकटिबंधीय पट्टे में निहित है। इसलिए इस क्षेत्र में उत्तरी भाग की तुलना में अधिक औसत तापमान होता है। यही कारण है कि कन्याकुमारी की जलवायु भोपाल या दिल्ली से पूरी तरह से भिन्न है। भारत लगभग 8° और 37° उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है और यह कर्क रेखा के द्वारा लगभग दो बराबर भागों में विभाजित है। कर्क रेखा के भाग के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निहित है। कर्क रेखा का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में निहित है।

2. भूमि पानी संबंध



चित्र 4.2 : किस तरह यह इन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करता है?

भूमि-पटल और जल निकायों को दर्शाते भारत के मानचित्र को देखिए। आप जलवायु पर प्रभाव डालने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक को देखेंगे : जैसे भूमि और जल का संबंध। सूर्य के प्रकाश की मात्रा सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है, जो पहले अवशोषित होती है और फिर वापस विकीर्ण या सीधी प्रतिबिंबित होती है। गहन क्षेत्रों जैसे गहन वनस्पति क्षेत्र अच्छे अवशोषक होते हैं और हलके क्षेत्र बर्फीले और बर्फ से ढके क्षेत्र अच्छे परावर्तक होते हैं। सागर अवशोषित करता है और भूमि की तुलना में इसमें ताप धीरे-धीरे कम होता है। यह कई मायनों में जलवायु को प्रभावित करता है। इनमें से एक भूमि और समुद्री हवाओं का गठन है। चित्र 4.2 का उपयोग कर बतायें ऐसा कैसे होता है, कक्षा 9 से पुनःस्मरण कर दबाव और हवा की दिशा के बीच के संबंध को बताइए।

दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा, समुद्र के सामान्य प्रभाव में आता है। जैसे दिन और रात के तापमान और गर्मी और सर्दियों के बीच का अंतर ज्यादा नहीं है। इसे सामान्य जलवायु के रूप में जाना जाता है। यदि हम एक ही अक्षांश और ऊँचाई के समान स्थानों की तुलना करें तो हम समुद्र के प्रभाव की सराहना कर सकते हैं।

3. ऊँचाई

आपने सीखा है कि जैसे ऊँचाई बढ़ती जाती है तापमान कम होता जाता है। इसलिए पहाड़ियों और पहाड़ी का तापमान मैदानों की तुलना में कम होता है। इसलिए एक क्षेत्र की ऊँचाई क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। आपने शिमला, गुलमार्ग, नैनीताल और दार्जिलिंग की तरह हिमालय क्षेत्र के कई पहाड़ी स्टेशनों के बारे में सुना होगा। यहाँ गर्मी के मौसम में भी शीत जलवायु होती है। इसी प्रकार कोडईकनाल और उदगमंडलम (ऊटी) में तट के निकट स्थानों की तुलना में ठंडी जलवायु है।

4. ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण

उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव पट्टी स्थायी हवाओं को जन्म देती है। वे पश्चिम को परावर्तित करती हुई भूमध्यरेखीय कम दबाव पट्टी की ओर बहती है। हवाओं को व्यापारी हवाएँ कहा जाता है। जर्मन शब्द 'ट्रेड' का अर्थ है 'ट्रेक' और इसका अर्थ है एक दिशा में और एक निरंतर गति में नियमित रूप से बहना। भारत शुष्क पूर्वोत्तर हवाओं की पट्टी में निहित है।

भारत की जलवायु भी 'जेट धाराओं' के रूप में जानी जाने वाली ऊपरी उच्च वायु तरंगों की गति से प्रभावित है। ये 12,000 मीटर ऊपर के उच्च वायुमंडल में एक संकीर्ण पट्टी में तेज़ी से बहने वाली वायु तरंगें हैं। सर्दियों में इसकी गति 184 कि.मी., प्रति घंटा, गर्मियों में 110 कि.मी. प्रति घंटा रहती है। पूर्वी तेज़ हवाएँ 25°N अक्षांश पर विकसित होती हैं। ये आस-पास के वातावरण को ठंडा बनाती हैं। पूर्वी जेट हवाओं के कारण इस अक्षांश (25°N) पर पहले से ही पाये जाने वाले बादलों से वर्षा होती है।

भारत के मौसम : शीतकाल (Seasons: Winter)

भारतीय भूमि में तापमान मध्य नवंबर से निरंतर कम हो जाता है और यह ठंडा मौसम फरवरी तक जारी रहता है। आमतौर पर जनवरी सबसे ठंडा माह होता है, दिन का तापमान कभी कभी देश के कई भागों में 10°C नीचे चला जाता है। हालांकि स्पष्ट है कि ठंड उत्तर भारत में अधिक रहती है। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य जलवायु

- अपने एटलस में सर्दियों और गर्मियों के महीनों के लिए मुंबई और नागपुर के तापमान की तुलना कीजिए। वे कैसे समान या अलग हैं? समुद्र से दूरी की व्याख्या किस प्रकार करता है?
- वातावरण आरेख की मदद से आप जयपुर और चेन्नई के तापमान में अंतर को स्पष्ट कीजिए।

- शिमला और दिल्ली बहुत भिन्न अक्षांशों पर स्थित हैं? अपने एटलस से जाँच कीजिए। दिल्ली से शिमला गर्मियों के दौरान अधिक ठंडा होता है, कारण बताइए?
- गर्मी के मौसम में कोलकत्ता की तुलना में दार्जिलिंग का मौसम सुहावना क्यों होता है?


का आनंद उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ तापमान 20°C से अधिक रहता है।

नीचे के नक्शे में लाइने जनवरी के लिए एक ही औसत तापमान वाले स्थानों की ओर संकेत करती हैं।

- जनवरी के लिए तेलंगाना में औसत तापमान के लिए सीमा क्या हो सकती है?
- 15°C पर स्थित कुछ स्थानों को खोजने के लिए अपने अटलस का उपयोग कीजिए।
- रेखा के समीप के स्थानों का तापमान 25°C है, वही छोटा घेरा है जिसका तापमान 20°C है। यह कैसे संभव है?

सर्दियों के दौरान साफ आकाश, कम नमी और ठंडी हवा के साथ आम तौर पर मौसम सुखद होता है। भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवाती दबाव को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है और यह उत्तर भारत में कम से मध्यम वर्षा का कारण बनते हैं। वर्षा आम तौर पर 'रबी' मौसम में गेहूँ की फसल के लिए वरदान है।

भारत उत्तरी गोलार्ध की व्यापारी वायु पट्टी में स्थित है - उत्तर-पूर्वी व्यापारी हवाएँ भारत के ऊपर भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, इसीलिए शुष्क होती हैं। फिर भी तमिलनाडु के कोरामंडल तट पर कुछ वर्षा होती है, क्योंकि ये हवाएँ बंगाल की खाड़ी को पार करते समय उससे नमी लेती हैं।



गर्मी का काल


गर्मी के मौसम के दौरान जब हम दक्षिण देश के उत्तरी भाग में जाते हैं तो औसत तापमान बढ़ जाता है। अप्रैल में तापमान बढ़ना शुरू होता है। और धीरे-धीरे भारत के उत्तरी मैदानों में दिन का तापमान 37°C से अधिक होता है। मध्य-मई तक भारत के कई भागों में, विशेषकर उत्तर-पूर्वी मैदानों और मध्य मैदानों में दिन का तापमान 41°C से 42°C तक पहुँच जाता है। यहाँ तक कि न्यूनतम तापमान 20°C नीचे नहीं जाता। उत्तरी शुष्क मैदानों में गर्म हवाएँ बहती हैं जिसे 'लू' कहते हैं।

गर्मी के मौसम के अंत में पूर्व मानसून की बारिश (मानसून फोड़) दक्कन के पठार में आम हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत में आम और अन्य बागानी फसलों को जल्दी पकने में मदद करती हैं। इसलिए वे स्थानीय स्तर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आम की बौछार के रूप में जानी जाती है।

अग्रिम मानसून (Advancing Monsoon)

भारत की जलवायु मानसून हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है। पुराने दिनों के दौरान भारत आए नाविकों ने हवाओं का नियतकालीन फेर बदल देखा। उन्होंने भारतीय तट की ओर यात्रा में इन हवाओं का इस्तेमाल किया। अरब व्यापारियों ने हवाओं के इस फेर बदल को 'मानसून' नाम दिया है।


उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20° उत्तर और 20° दक्षिण अक्षांश के बीच मानसून होता है। दक्षिण-पूर्वी मानसूनी हवाएँ, दक्षिणी गोलार्ध से हिंद महासागर से गुजरती हुई भूमध्यरेखीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर बहती हैं तो अपने साथ नमी भी ले जाती हैं। भूमध्य रेखा पार करने के बाद यह हवा भारतीय उप महाद्वीप में गठित कम दबाव की ओर मुड़ती है। भूमि का ताप, भारतीय उप-महाद्वीप की भूमि पर निम्न दबाव उत्पन्न करता है। विशेषकर मध्य-भारत और



- वातावरण आरेख (चित्र 41-4) से, चार स्थानों के लिए मई के लिए अनुमानित औसत तापमान लिखें और ऊपर के नक्शे पर उन्हें चिह्नित कीजिए।

गंगा के मैदानों में इस के साथ ही तिब्बती पठार तीव्रता से गर्म हो जाता है और मजबूत ऊर्ध्वाधर हवा धाराओं और 9 किलोमीटर दूर ऊँचाई से ऊपर पठार के ऊपर कम दबाव के गठन का कारण बनता है।

वे तब दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवाहित होते हैं। भारतीय प्रायद्वीप उन्हें दो शाखाओं में विभाजित करता है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा बंगाल तट और शिल्लांग पठार के दक्षिणी ओर से टकराती है तो यह मुड़ जाती है और गंगा घाटी के साथ पश्चिम की ओर बहती है। अरब सागर शाखा भारत के पश्चिमी तट पर आती है और उत्तर की ओर आगे बढ़ती है। दोनों शाखाएँ “मानसून की शुरुआत” के रूप में जानी जाती है जो जून की शुरुआत तक भारत तक पहुँचती हैं। वे धीरे-धीरे चार से पांच सप्ताह में पूरे देश में फैलती है। भारत में अत्यधिक वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। पश्चिमी घाट के कारण पश्चिम तट पर अत्यधिक वर्षा होती है और उत्तर-पूर्वी भारत में ऊँचे शिखरों वाले पहाड़ों के कारण अधिक वर्षा होती है। तमिलनाडु तट (कोरोमंडल) हालांकि, इस मौसम के दौरान ज्यादातर शुष्क रहता है क्योंकि यह अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में और बंगाल शाखा की खाड़ी के समानांतर है।



चित्र 4.3 : दबाव और मानसून हवाएँ

मानसून की वापसी


अक्टूबर से नवंबर का काल गर्म नम स्थिति से शुष्क शीत स्थिति में परिवर्तन का काल है। मानसून की वापसी साफ आसमान और तापमान में वृद्धि द्वारा चिह्नित है। भूमि अभी भी नम है। उच्च तापमान और नमी के कारण, मौसम दमनकारी हो जाता है। यह आमतौर पर “अक्टूबर गर्मी” के रूप में जाना जाता है।

कम दबाव की स्थिति जो एक बार उत्तर पश्चिमी भारत पर फैलती है दक्षिण की ओर आगे बढ़कर नवंबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के मध्य में दबाव की स्थिति का निर्माण करती है। इस अवधि के दौरान चक्रवाती दबाव सामान्य होता है जो अंडमान क्षेत्र पर उत्पन्न होता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अक्सर बहुत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के घने आबादी वाले डेल्टा उनके केंद्र रहे हैं। कोई भी साल कभी आपदा मुक्त नहीं पाया जाता है। कभी कभी, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात सुंदरवन और बंगलादेश में भी आता है। कोरोमंडल तट की अत्यधिक वर्षा दबाव और चक्रवात से होती है।



मानचित्र 3 : भारत - दक्षिण-पश्चिम मानसून का आरंभ

किलो मीटर



मानचित्र 4 : भारत - दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी

किलो मीटर

भारतीय परंपरा में, एक वर्ष में छह ऋतुओं को दो मासिक मौसमों में बांटा गया है। मौसम का यह चक्र जिसका उत्तर और मध्य भारत के लोग पालन करते हैं, यह लोगों के अपने व्यावहारिक अनुभव और मौसम की सदियों की पुरानी धारणा पर आधारित है। उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच मौसम के समय में मामूली बदलाव है।

पारंपरिक भारतीय मौसम

मौसम	महीने भारतीय (लुनार) कैलेंडर के अनुसार	महीने पश्चिमी (ग्रेगोरियन) कैलेंडर के अनुसार
वसंत	चैत्र - वैशाख	मार्च-अप्रैल
ग्रीष्म	ज्येष्ठ - आषाढ़	मई - जून
वर्षा	श्रावण - भाद्रपद	जुलाई - अगस्त
शरद	आश्विन - कार्तिक	सितंबर - अक्टूबर
हेमंत	मार्गशीर्ष - पौष	नवंबर - दिसंबर
शिशिर	माघ - फाल्गुन	जनवरी - फरवरी

भूमंडलीय ताप और जलवायु परिवर्तन (Global Warming and Climate Change):

जब पृथ्वी ने जलते हुए गोले से ग्रह का आकार लेना आरंभ किया तो कई गैसें निकलीं। ये गैसें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बाह्य अंतरिक्ष में नहीं जा सकीं। यह अब भी उन्हें थामें थीं। नतीजा? गैसों की एक पतली परत पृथ्वी के चारों ओर स्थित है और हमें कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। उदाहरण के लिए : हमें सांस के लिए ऑक्सीजन। ओजोन हमें सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाता है, हमारे लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने के लिए पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन, जिसके द्वारा ताजे पानी का संचार होता है, और यह हमें गर्म रखती है। (नौवीं कक्षा अध्याय 4 की एक छवि देखो।)

अपने लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि यह वातावरण गर्म रहता है। यह एक प्रकाश है लेकिन प्रभावी है, पृथ्वी को कंबल की तरह घेरे हुए हैं। आप नौवीं कक्षा की बात का पुनःस्मरण कीजिए कि वातावरण, पृथ्वी पर पहुँचने वाली सौर ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इस ग्रह पर जीवित रहने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यदि यह वातावरण न हो तो पृथ्वी वास्तव में बहुत ठंडी हो जाएगी।

हालांकि, 19 वीं सदी से भू ग्रह बहुत तेजी से गर्म हो रहा है।

यह एक बढ़ती चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय क्यों है? वास्तव में, अनेक ताप और शीत चक्रों (वास्तव में ठंडी) के द्वारा पृथ्वी है। तो अब इसके बारे में इतना खास क्या है?

पहले ठंड और ताप चक्र बहुत लंबी अवधि में हुआ करते थे। इस समय पृथ्वी पर अधिक जीवन स्वीकार्य था। और परिवर्तनों को अपनाने का समय था। ताप में अधिक तेजी से और भयावह परिवर्तन हो सकता है। वार्मिंग का कारण औद्योगिक क्रांति के बाद से उत्पन्न हुई मानवीय गतिविधियाँ हैं। इसलिए मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग प्रवृत्ति को AGW कहा जाता है। (एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, एंथ्रोपोजेनिक का अर्थ है- मनुष्यों के कारण।)

अभी हाल ही में वैज्ञानिक दूर उत्तरी अक्षांश के जमे हुए टुंड्रा के (मुख्य रूप से उत्तरी रूस के विशाल विस्तार में) तहत मीथेन की बड़ी मात्रा की खोज कर रहे हैं। जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, जैसे-जैसे टुंड्रा में बर्फ अधिक पिघलती है। मीथेन वातावरण में बर्फ पलायन के नीचे फंस जाता है। वैश्विक, तापमान में वृद्धि करता है। जिसके कारण और अधिक बर्फ पिघलती है जिसके कारण और मीथेन निकलता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन-डाइ-ऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।

AGW और जलवायु परिवर्तन (AGW and climate change)

पृथ्वी प्रणाली में गर्मी के वितरण में AGW के कारण कई परिवर्तन पैदा हो रहे हैं। याद रखिए कि वायुमंडलीय और समुद्री परिसंचरणों दुनिया में गर्मी का पुनः वितरण कर रहा है। कैसे? AGW इस प्रणाली और पुनःवितरण प्रणाली में बाधा डाल रहा है। बाधाएँ कोई बड़ी समस्या नहीं रही हैं। यह जो हो रहा है वह बहुत तेजी से हो रहा है।

जब पुनर्वितरण प्रणाली बाधित होती है, मौसम और जलवायु के तरीके बदल जाते हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन (जलवायु परिवर्तन) अल्पकालिक परिवर्तन (मौसम परिवर्तन) के संग्रहण से होता है।

सभी देशों के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की कोशिश जिससे के एक समझौते के गठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को अब तक हासिल नहीं किया गया है। जलवायु परिवर्तन (आईपीसीसी) पर अंतर सरकारी पैनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस मुद्दे के समाधान के लिए बनाया गया था। इसने AGW कम करने और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए प्रयास करने के लिए दुनिया के देशों के बीच एक संधि के लिए कई सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इनमें से कोई भी सफल नहीं हुई। आई पी सी सी (IPCC) 2015 के पेरिस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी ढ़क़रने के लिए समझौता किया गया ताकि वैश्विक औसत तापमान के बढ़े हुए स्तर को औद्योगिकरण के पहले के 2°C के निचले स्तर तक सीमित किया जा सके। इस समझौते पर कुल 195 देशों ने हस्ताक्षर किये।

मोटे तौर पर असहमति विकसित देशों (मुख्य रूप से औद्योगिक, पश्चिम के आर्थिक रूप से और अधिक उन्नत देशों) और “विकासशील देशों” (औद्योगिक रूप से नहीं कर रहे हैं कि देश) के बीच हैं। विकसित देश चाहते थे कि विकासशील देश कोयला जलाना और अन्य क्रियाकलाप बंद कर दें क्योंकि इससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों जमा हो रही है। विकासशील देश यह तर्क कर रहे थे कि विकसित देश अपने विकास के लिए जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) जला कर विकसित हुए हैं। उनका कहना था कि यदि उन्होंने जीवाश्म ईंधन का प्रयोग न किया तो उनके आर्थिक विकास को अत्यधिक क्षति पहुँचेगी। और विकासशील देश यह भी चाहते थे कि विकसित देश, विकासशील देशों की प्रगति के लिए विकल्प खोजने में उचित मदद करें।

- वनों की कटाई क्या है?
- क्या उन वनों की कटाई वन क्षेत्रों में ही हो रही है? आपके स्थानीय क्षेत्रों का क्या होगा, भले ही वहाँ वन न हो?
- वनों की कटाई भूमंडलीय ताप को किस प्रकार प्रभावित करती है? (आप को अपने विज्ञान विषय में प्रकाश संश्लेषण के अपने अध्ययन को याद करने की आवश्यकता होगी।)
- कुछ अन्य तरीके कौनसे हैं जिसमें मानव ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान दे रहे है?

दुनिया भर से ज्यादातर वैज्ञानिक इस पर सहमत हुए हैं। AGW असली है, यह हो रहा है और यह तेजी से और उग्रता से जलवायु में परिवर्तन को बढ़ा रहा है। उन्होंने यह चेतावनी दी कि आने वाले वर्षों में मौसम और अन्य परिवर्तनों में वृद्धि होगी। और जैसे कि हम जानते हैं, इससे जीवन को खतरा होगा।

भूमंडलीय ताप के लिए योगदान देने वाली मानव गतिविधियों में से एक वनों की कटाई है। अपने शिक्षक और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए और कुछ वाक्यों में ऊपर दिये गये इन सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए।

भारत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

(Impact of climate change on India)

औसत तापमान में 2° C की वृद्धि कम प्रतीत हो सकती है। जल्दी ही अगली सदी तक इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में एक मीटर की वृद्धि होगी। यह हमारे तटीय क्षेत्रों के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है और इससे लाखों लोगों को स्थानांतरित कर देना होगा। वे अपनी आजीविका खो देंगे।

पिछले कुछ वर्षों के लिए पूर्व कोलकाता में नोनाडांगा में रहने वाले लगभग 200 अनधिवासी परिवारों को कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (KMDA) से बेदखल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। “ऐला सुपर चक्रवात” 2009 में सुंदरवन तबाह होने के बाद कई परिवार काम की तलाश में कोलकाता आये थे।

30 मार्च के दिन झोपड़पट्टी को भारी मात्रा में पुलिस की मौजूदगी के बीच बुलडोजर से गिरा दिया गया था और कुछ अस्थायी मकानों में आग लगा दी गयी थी। पिछले कुछ दिनों में आवर्तक बिजली चमकने से लगभग 700 लोगों के लिए रातों की नींद हराम हो गयी है। वे घरेलू मदद कर्ता के रूप में, रिकशा चलाने वाले और निर्माण मजदूर का काम करते हैं।

अन्य प्रभाव वर्षा पर होगा। यह अनियमित हो सकती है और अधिक से अधिक असंतुलित होने की संभावना है : कुछ स्थानों पर सामान्य से कम होने की जबकि कुछ अन्य स्थानों पर अधिक वर्षा होने की संभावना है। इसलिए सूखा और बाढ़ में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

इसका अत्यधिक प्रभाव कृषि और लोगों की आजीविका पर पड़ेगा।

चित्र 4.4 : आइला का प्रभाव (बाँये) टूटे हुए तटबंध (नीचे) तटबंध की मरम्मत



कल्पना कीजिए कि यदि लाखों लोग प्रभावित हो रहे हो तो ऐसी स्थिति से किस प्रकार निपटा जा सकता है? उन्हें पुनर्वास के लिए जमीन कहाँ से मिलगी?


हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से ‘ताजा पानी मछुआरों की आजीविका’ में बाधा उत्पन्न होगी क्योंकि इससे मछली का प्राकृतिक निवास प्रभावित होगा। मौसम की स्थिति में वृद्धि की संभावना है। जलवायु परिवर्तन वह है जो एक वैश्विक स्तर पर होता है। इसलिए, यह हम सभी को प्रभावित करता है।

मुख्य शब्द

वातावरणीय आरेख, मौसम, मानसून, आतपन,
तेज हवाएँ, दबाव क्षेत्र, भूमंडलीय ताप

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

1. निम्नलिखित विवरण को पढ़िए और पता कीजिए कि ये उदाहरण मौसम के हैं या जलवायु के हैं?
अ) पिछले कुछ वर्षों में हिमालय की बर्फीली चट्टान पिघल गयी।
ब) पिछले कुछ वर्षों में विदर्भ प्रांत में सूखे का प्रभाव बढ़ा।
2. भारत के जलवायु नियंत्रकों का वर्णन कीजिए।
3. पहाड़ी क्षेत्रों और मरूस्थलों में जलवायु के अंतर को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक लघु लेख लिखिए।
4. मानवी गतिविधियाँ कैसे भूमंडलीय ताप में योगदान दे सकती हैं?
5. विकसित और विकासशील देशों में AGW को लेकर कौनसी असहमति है?
6. जलवायु परिवर्तन किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय बताइए।
7. निम्नलिखित वातावरण के आलेख को देखिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 - A. कौनसे माह में अधिकतर वर्षा हुई है?
 - B. कौनसे माह में अधिकतम और न्यूनतम तापमान है?
 - C. जून और अक्टूबर के बीच अधिकतम वर्षा क्यों होती है?
 - D. मार्च और मई के बीच तापमान अधिकतम क्यों रहता है?
 - E. तापमान और वर्षा में भिन्नता के कारण भू-प्रकृति की स्थिति की पहचान कीजिए।




8. पृष्ठ संख्या 54 के अनुच्छेद 4 में “पहले ठंड और ताप मनुष्यों के कारण” - पढ़िए और इस पर टिप्पणी कीजिए।

परियोजना कार्य

- अपने क्षेत्र के बारे में जलवायु और मौसम से संबंधित नीतिवचन / बातें इकट्ठा कीजिए।
 - प्रातः समय इन्द्रधनुष नाविकों के लिए चुनौती है।
 - रात के समय इन्द्रधनुष नाविकों के लिए आह्लादकर है।
 - हरी घास पर ओस हो तो वर्षा न होगी।
- विकसित देश मौसम में हरितगृह वायु का वितरण कर रहे हैं। इस कारण अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार के समाचार, चित्र संग्रह करके, भविष्य होने वाले दुष्परिणामों के बारे में कक्षा-कक्षा में चर्चा कीजिए।

- भारत के मानचित्र में हिमालय और पश्चिमी घाट को पहचानिए और अंकित कीजिए।
- रंग संकेत के द्वारा ऊँचे स्थान को पहचानिए जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। एटलस में प्रस्तुत किए गए मानचित्र की सहायता से नदी और उसके बहने की दिशा तथा स्थान को बताइए।
- परिचर्चा: केवल 5% जल घरेलू कार्यों में प्रयुक्त होता है। फिर भी अब तक विशाल जन संख्या क्षेत्र को जल नहीं मिल रहा है।
- 4 करोड़ एकड़ जमीन भारत में बाढ़ ग्रस्त (अति वृष्टि) तथा इतनी ही सूखा ग्रस्त (अनावृष्टि) है। इसके क्या कारण हैं?
- 70% भूमि जल के स्रोत प्रदूषित हैं। क्यों?



भारत में जल निकासी का विकास हुआ है। और इसके विकास क्रम को तीन भौतिक इकाइयों में व्यवस्थित किया गया है। 1) हिमालय 2) प्रायद्वीप पठार 3) गंगा सिंधु का समतल मैदान। उत्पत्ति के आधार पर भारत की जल निकास प्रणाली को विस्तार पूर्वक दो श्रेणी में बाँटा जा सकता है। i) हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ii) प्रायद्वीपीय नदियाँ।

हिमालय से निकलने वाली नदियाँ (The Himalayan Rivers)

हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तीन मूल व्यवस्थाओं से संबंधित हैं - सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ लगभग एक ही क्षेत्र से निकलती हैं और कुछ ही किलोमीटर में जल द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाती है। ये पहले पर्वतों के मुख्य अक्ष के समानांतर बहती है। इसके बाद ये एकाएक दक्षिण की ओर मुड़कर विशाल पर्वत श्रेणियों से कटकर विशाल मैदान में पहुँचती हैं। इस प्रकार ये वी (v) आकार की गहरी घाटी बनाती है। इस प्रकार का प्रदर्शन हमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में दिखाई देता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष भर प्रवाहित (बारहमासी) होती हैं। इसका कारण यह है कि हिमालय पर जमी बर्फ पिघल कर इन नदियों को जल देती रहती हैं और साथ ही साथ इन्हें वर्षा जल की भी प्राप्ति होती रहती है।

सिंधु व्यवस्था -

सिंधु नदी, मानसरोवर झील के समीप तिब्बत के कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलाव से निकलती है। ये उत्तरी पश्चिमी में सतत बहती हुई तिब्बत को पार करती है, और वे भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। भारत में सिंधु की मुख्य सहायक नदियाँ-झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास (Beas) और सतलज हैं। ये भारत के जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में बहती हैं।

- अटलस की सहायता से सिंधु नदी के भारत और पाकिस्तान में बहने के मार्ग खोजिए।

गंगा व्यवस्था

गंगा के दो स्रोत हैं। पहला मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमनद है, जहाँ इसे भगीरथी कहते हैं। दूसरा सातोपंथ हिमनद है। यह बद्रीनाथ के उत्तर पश्चिम में है। यहाँ इसे अलकनंदा कहते हैं। ये दोनों देव प्रयाग में जुड़कर गंगा का रूप लेती हैं। इस प्रकार यह हरिद्वार के पहाड़ों से निकलती है।

- गंगा नदी के मानचित्र (2) को देखिए और बताइए किन राज्यों से गंगा बहती है?
- उपर्युक्त मानचित्र में से उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा में बहने वाली गंगा की सहायक नदियों की सूची बनाइए।

गंगा अनेकों सहायक नदियों से जुड़ी है उनमें से अधिकतर हिमालय से निकली हैं। लेकिन उनमें से कुछ का स्रोत प्रायद्वीपीय पठार हैं।

ब्रह्मपुत्र व्यवस्था -

ब्रह्मपुत्र (तिब्बत में सांगपो कहा जाता है) मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत के चेमायांगदुंग हिमनद से निकलती है। यह पूर्व दिशा की ओर बहती हुई दक्षिणी तिब्बत को पार करती है। यह ल्होत्से डोजंग के पास विस्तृत जल वाले 640 कि.मी. चौड़े नौकायान के लिए उपयोगी चैनल का रूप ले लेती है। इसके बाद नदी तीव्र गति से आगे की ओर अग्रसर होती है। यह दक्षिण पश्चिम के विशाल पाश (लूप) में प्रवेश कर भारत में अरुणाचल प्रदेश को पार करती हुई पहले सियांग इसके बाद दिहेंग (डाइहेंग) पहुँचती है। असम घाटी में यह दो सहायक नदियों दिबेंग और लोहित से मिलती है। यहाँ यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है।



मानचित्र 2 : गंगा ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलती हुई

प्रायद्वीपीय नदियाँ (The Peninsular Rivers)

पश्चिमी घाट बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल से विभक्त होता है। ये नदियाँ अपना पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं तथा छोटी नदियों के रूप में अरब सागर में मिल जाती हैं। अधिकतर बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ - नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। चंबल, सिंध (Sind) बेतवा केन और सोन नदी का उद्गम प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से हुआ है, ये गंगा नदी व्यवस्था से संबंधित हैं। दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो व्यवस्था से संबंधित हैं। उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और कावेरी प्रमुख हैं।

प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि यह सतत और निश्चित दिशा में, टेढ़े मेढ़े रास्ते से वंचित होकर विशालता के साथ बारह महीने नहीं बहती हैं।

प्रायद्वीपीय नदी व्यवस्था में गोदावरी सबसे बड़ी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यम्बक है। और यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है।

- अटलस में मानचित्र के प्रयोग से निम्नलिखित का विवरण बताइए-

गोदावरी का उद्गम _____ से होता है।

प्रायद्वीपीय नदियों में कृष्णा दूसरी बड़ी नदी है। जो पूरब की तरफ बहती है जिसका उद्गम _____ के पास होता है।

महानदी छत्तीसगढ़ में शिहवा के निकट से निकलकर तेजी से _____ को पार करती है।

नर्मदा का उद्गम मध्यप्रदेश में _____ के पास होता है।

ताप्ती का उद्गम _____ से और बहाव _____ में है। (बहने की दिशा लिखिए।)



जल का उपयोग (Water Use)

सतही प्रवाह और भू-गर्भ प्रवाह के द्वारा बाहर निकलने वाला जल : एक क्षेत्र की कल्पना कीजिए जैसे गाँव। कुछ जल गाँव के बाहर सतही प्रवाह रूप में निकलता है। मानसून के महीने में सतही प्रवाह का बहना जारी रहता है। वर्षा के जल का एक भाग रिसकर मिट्टी से होता हुआ ज़मीन के अंदर जल के स्रोत को पुनः भर देता है। कुछ जल, कुएँ और नलकूप के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और कुछ जल के गहरे स्रोत में चला जाता है जो कभी हमें नहीं मिलता है। कुछ भू जल प्रवाह का भाग बनता है जो संभाव्यतः धारा और नदी में दिखाई देता है।

- जल विभाजक के बारे में विचार करेंगे।

कृषि के लिए जल : फसलों की जड़ों तक जल या तो वर्षा या सिंचाई के द्वारा पहुँचता है। मिट्टी में नमी भण्डारण की क्षमता होती है। यदि अतिरिक्त जल जैसे बाढ़ का जल रिसकर

- अपने नजदीकी मंडल कार्यालय से वार्षिक वर्षा जल की पाँच साल का रिपोर्ट प्राप्त कीजिए।

भूमि के नीचे नहीं जा पाता है वह जड़ों को नुकसान (खराब) पहुँचाता है। दूसरी फसलें जल की कमी के कारण मुरझा जाती है या सूख जाती हैं।

घरेलू कार्यों और जानवरों के लिए प्रयुक्त जल:- जल का उपयोग पीने, पकाने, धोने सफाई और पशुओं के लिए किया जाता है। इस घटक की उपलब्धता के लिए योजना की आवश्यकता है। ताकि किसी की आय चाहे कितनी भी हो, उन्हें कुछ जल अवश्य उपलब्ध हो।

औद्योगिक उपयोग के लिए जल : घरेलू निर्माण प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। यह माँग कृषि और घरेलू उपयोग से स्पर्धा करती है। इसकी वृद्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्रों को जल के पुनःचक्र और प्रदूषण नियंत्रण की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

गाँव अथवा क्षेत्र में जल की उपलब्धता केवल अंतरप्रवाह पर निर्भर नहीं करती बल्कि पहले से जितना भण्डार उपलब्ध है उतना ही हम प्रयोग करते हैं। हम अक्सर जल के स्टॉक (भण्डार) एवं प्रवाह का अंतर अपने विश्लेषण के आधार पर करते हैं। जैसे :- कल्पना कीजिए कि एक टंकी में पानी लगातार पाइप से भरा जा रहा है। और लगातार खुली पाइप से जल का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मापन हम अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह के आधार पर लीटर/मिनट के हिसाब से कर सकते हैं। टंकी में जल की मात्रा परिवर्तनीय होती है। यह मात्रा किसी एक क्षण जैसे - 8:30 पर हमने जल की मात्रा का लीटर में माप किया तो इसी मात्रा को उस समय 'जल का भण्डार' कहेंगे।

गाँव में जल के सतही भण्डार जलाशय, तालाब, झील होते हैं। भारत के अधिकतर गाँवों में जल कुएँ और नलकूप से निकाला जाता है। वे भूमिगत जल के भण्डार पर निर्भर करते हैं। यह अंतरप्रवाह और भण्डार एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम जल के प्रवाह का सीधा प्रयोग करते हैं तो इसका एक भाग उन जल भण्डारों को पुनः भरने अथवा पुनः पूर्ण करने का कार्य करते हैं। सामान्यतः नल कूपों द्वारा जल को गहराई से निकालकर हम उसका प्रयोग करते हैं। जल के भण्डार में बहुत वर्षों से क्या घटित हो रहा है यह अंतरप्रवाह और बाह्य प्रवाह की तुलनात्मक दर पर निर्भर करता है। एक समस्या का सामना जो आज हम कर रहे हैं वह है भूजल के भण्डार के निःशेषीकरण की प्रवृत्ति। जिसके कारण भावी पीढ़ी को उसकी उपलब्धता नहीं हो पाएगी।

वार्षिक प्रवाह और भण्डार जो कुएँ और ट्यूबवेल को पुनः भरते हैं वह जल ही हमारे प्रयोग के लिए उपलब्ध होता है। हमें अपनी आवश्यकताओं को इसी सीमा में रखना चाहिए। जब हम गहरे जल स्रोतों की खुदाई करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एकत्रित जल हजारों वर्षों का है। यह कार्य केवल अत्यधिक सूखे की स्थिति में करना चाहिए। अच्छी वर्षा होने पर इसे भरने दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हम जल की स्थिरता की समस्या पर वापस आते हैं।

जल के उपयोग और विवाद का केस अध्ययन :

तुंगभद्रा नदी घाटी विभिन्न राज्यों और विभिन्न उपयोगी समूहों के बीच जल की साझेदारी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह केस अध्ययन इसकी व्याख्या के लिए ही है। हम इस विवाद को कैसे सुलझा सकते हैं और सभी के लिए कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं?

तुंगभद्रा नदी घाटी जल का उपयोग (Water use in the Tungabhadra river basin)

तुंगभद्रा दो दक्षिणी राज्यों के साझे में बड़ी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इसका उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है। इसका जलमन क्षेत्र (बहाव क्षेत्र) 71,417 कि.मी² जिसमें 57,671 कि.मी² कर्नाटक में है। तुंगभद्रा घाटी के दो भाग हैं। 1) ऊपरी और मध्य जलागम क्षेत्र कर्नाटक में 2) निचला भाग जलागम क्षेत्र, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में।

आधिकारिक गणना के अनुसार इन राज्यों में कृषि भूमि मुख्य है। शेष क्षेत्रों में जैसे पेड़, बगीचे, परती भूमि, कृषि व्यर्थभूमि नियमित चारागाह, जंगल और प्राकृतिक वनस्पतियाँ शेष आदि हैं। कुछ क्षेत्र कृषि जल के भण्डारण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें तालाब कहते हैं। घाटी (बेसिन) का निचला भाग तेलंगाणा और आंध्रप्रदेश की कम वर्षा और सूखे की स्थिति को बताता है। कुछ क्षेत्र वर्षा और भूगर्भजल (कुआँ और नलकूप) पर निर्भर करता है। दूसरा क्षेत्र तुंगभद्रा के साथ बने बाँधों से निकलने वाली नहरों के सतही जल प्रवाह पर निर्भर करता है। जल की उपलब्धता के आधार पर यहाँ दोनों प्रकार के क्षेत्रों में कई प्रकार के अंतर हैं।

- भारत के मानचित्र में तुंगभद्रा नदी के मार्ग को पहचानिए।

जनता की कृषि भूमि पर अतिक्रमण सामान्य बात है। इसके परिणामस्वरूप अधिकतर कृषि योग्य भूमि वृक्ष लगाने में खर्च हो जाती है। वृक्षों के अनियंत्रित कटाव और खनन गतिविधियों के कारण वनों के अपक्षय और वनस्पति (फ्लोरा) तथा प्राणीसमूह (फौना) के विनाश का भय उत्पन्न हो गया है। भूगर्भ जल का अंतरप्रवाह जलागम क्षेत्र के वृक्षों पर निर्भर करता है। अपर्याप्त पेड़ों के कारण जल तेजी से सतह पर बहता हुआ, पुनः उर्जित हुए बिना भूमिगत प्रणाली में चला जाता है। यही बाढ़ का कारण है। यदि हम सही मायने में वर्षा आधारित और नहर आधारित सिंचाई क्षेत्र के बारे में सोचें तो हम निश्चित रूप से जल के संरक्षण और इसके साझे की व्यवस्था की विभिन्न योजनाएँ अपनायेंगे।



चित्र 5.2 : तुंगभद्रा बाँध का निर्माण - 1952

तुंगभद्रा बाँध धीरे-धीरे पिछले दशकों से जल भण्डार की क्षमता को खो रहा है। लगभग 50 वर्ष पहले उसके जलाशय की क्षमता 3,766 लाख घन मीटर थी। अब एकत्रित खनन धूल, मिट्टी का अपरदन, कीचड़, कूड़ा-करकट आदि के कारण जलाशय ने अपनी भण्डारण की क्षमता को 849 लाख घनमीटर तक खो दिया है। “एक अध्ययन यह बताता है कि लौह (आयरन) अयस्क (धातु) के खनन की कोई उचित खनन व्यवस्था नहीं है। कुदरमुख में लोहे और संदूर में मैंगनीज धातु का खनन गंभीर रूप से जलागम (कैचमेंट) की स्थिरता को मिट्टी के अपक्षरण (कटाव) और विविध प्रकार के छोटे जलाशयों को तथा परंपरागत (प्राचीन) तालाबों और तुंगभद्रा जलाशय को कीचड़ से भरकर प्रभावित करता है।”

तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक के बीच का विवाद (कान्फलीट) सामान्यतः इसकी उपलब्धता और उपयोग से संबंधित है। जल के प्रवाह स्रोत और उनके भण्डार अथवा नदी के ऊपर और नीचे रहने वाले लोगों के उपयोग की उपलब्धता क्या है? जल के हिस्से (अंश) के आधार पर दोनों राज्य सरकारों के बीच सहमति (समझौता) क्या है?

जल की उपलब्धता की पूर्व स्थिति में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में 80% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। सिंचाई नहरों से की जाती है जबकि वर्षा आधारित क्षेत्रों में किसान सिंचाई के लिए भूमिगत जल का दोहन नल कूपों द्वारा करता है। उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में धान, जवार, गन्ना, कपास और बाजरा की फल्ली शामिल हैं।

यद्यपि यह क्षेत्र अर्ध शुष्क फसलों के अच्छे उदाहरण हैं फिर भी प्रमुख फसलें अधिक जल की माँग करती हैं। जैसे - (धान और गन्ना)। ऐसी फसलों की खेती नाटकीय रूप से तट (बेसिन) के जल के साझे में बदलाव और संतुलनसे होती है जब सभी क्षेत्रों से इन फसलों के लिए जल की माँग होती है तो अपरिहार्य कारणों से संघर्ष उत्पन्न होता है। अतः जिन किसानों के खेतों में सिंचाई के पानी के प्रवेश की व्यवस्था है उनमें तथा जिनके पास नहीं है दोनों में महत्वपूर्ण सार्थक अंतर है। जल के सही प्रयोग के लिए बेसिन के पास फसलीकरण की पद्धति में परिवर्तन करके लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पिछले दो दशकों से, छोटे कस्बों, औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिसने पानी की माँग पर जटिल और कठिन प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी है। जबकि औद्योगीकरण के बढ़ने और शहरी क्षेत्र की वृद्धि ने कुछ लोगों के जीवन स्तर को उठाया है। इसी कार्य के कारण विशेष रूप से औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। इस नदी के तट पर 27 बड़ी इकाइयाँ तथा 2543 छोटी इकाइयाँ काम कर रही हैं। ये बहुत जल का प्रयोग (उपभोग) प्रतिदिन करती हैं। उद्योगों को अपने अवशिष्टों के प्रवाह को नदी में छोड़ने की अनुमति है लेकिन अवशिष्टों के कारण मोलासिस से बड़े पैमाने पर मछलियों के मरने के कारण 1984ई. में एक जन संघर्ष हुआ। जिसके फलस्वरूप कानून बनाये गये। सामाजिक संरक्षण के कानून अधिनियंत्रित माँग के कारण उद्योग केवल उपचारात्मक प्रवाह को ही छोड़ सकते हैं। यह कानून, बलपूर्वक कार्यान्वित नहीं किया गया। अतः नदी प्रणाली में निरंतर प्रदूषण की गंभीर समस्या बनी हुई है।

विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों और छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों को सफाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने के बीच असंतुलन की स्थिति है। कुछ लोगों का कहना है कि पेयजल और सफाई बुनियादी आवश्यकता है और अपनी क्षमता के अनुरूप कम से कम इनके लिए भुगतान करना चाहिए। जब हम प्रयोग के तौर पर समाज के कुछ भागों में आपूर्ति किये गये जल की मात्रा को मापते हैं तो पता चलता है कि वे बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने वाले जल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस नदी बेसिन पर आधारित एक रिपोर्ट बताती है कि कस्बे में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान योजनाबद्ध नहीं है, विशेषरूप से छोटे कस्बों में। समानता के मुद्दे पर जल प्रवाह से संबंधित अधिक गंभीर समस्या गर्मियों में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक पहलू जल की उपयोगिता के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

- जल उपयोग की समुचित योजना के लिए सरकारी नदी घाटी परियोजनाएँ किस प्रकार सहायक हो सकती हैं?
- तुंगभद्रा नदी घाटी के जल के उपयोग पर होने वाले विभिन्न विवाद क्या हैं?

इस तरह कृषि क्षेत्रों में, उद्योगों में अथवा पेयजल के लिए सामान्य समुदायों और क्षेत्रों में संघर्ष होता है। इसके अलावा कर्नाटक और संयुक्त आंध्र प्रदेश के बीच अंतःराजकीय विवाद, नदी की साझी-सीमा के कारण उत्पन्न हुआ है।

तर्क संगत और न्यायसंगत ढंग से जल का उपयोग - एक उदाहरण (Rational and equitable Use of water - an example)

भारत के विभिन्न भागों में, हम जल संचयन और जल के तर्कसंगत उपयोग के अनेक पारंपरिक तरीके देख सकते हैं। जब हम जल के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अंतर्प्रवाह और बाह्य प्रवाह के न्याय संगत औचित्य पर कार्य करना पड़ता है। यह नदी बेसिन अथवा गाँव के लिए हो सकता है। इस तरह की योजनाएँ और उनकी अमलवारी संभव है। हिवारे बाज़ार गाँव इसका एक उदाहरण है।

हिवारे बाज़ार का चयन महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गाँव के चारों ओर जल विभाजक (जलस्रोत) के विकास के लिए किया गया है। हिवारे बाजार महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित है। यह सह्याद्री पर्वत श्रेणी की पूर्वोत्तर दिशा पर स्थित है जो उत्तर और दक्षिण से समुद्री तट कोकण को महाराष्ट्र से अलग करता है। अहमदनगर जिला सूखाग्रस्त है। वहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 400 मिली मीटर है।

मिट्टी और जल संरक्षण का कार्य हिवारे बाज़ार में, आम भूमि और निजी चरागाह में किया गया है। सतत समुच्चय खाइयों और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पहाड़ों के ढालों पर खोदे गए गड्ढे कृषि जल और घास की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। गाँव में कृषि जल संचयन के लिए “चेक बाँध,” रिसने वाले तालाब और ढीले पत्थर की संरचना बनाई गई है। जंगल में और सड़क के दोनों तरफ पौधा रोपण इस कार्यक्रम का एक भाग है।

जब महाराष्ट्र में “आदर्श ग्राम योजना” प्रारंभ हुई तो वहाँ कुछ पूर्व दशाओं के आधार पर गाँव का चयन किया गया। महत्वपूर्ण चार प्रसिद्ध प्रतिबंध (bans) रोलगेन सिद्धी के अनुभव द्वारा बनाये गये। चार प्रतिबंध क्रमशः कुल्हडबंदी (पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध), चराई बंदी (मुक्त चराई पर प्रतिबंध), नसबंदी (परिवार नियोजन) और नशाबंदी (शराब पर प्रतिबंध) थे। व्यक्ति यद्यपि निश्चित मात्रा में श्रमदान (ऐच्छिक, शारीरिक श्रम) पर सहमत थे। भूमिहीन लोग इससे मुक्त थे।

महत्वपूर्ण पाँच आदर्शों को समझने और विचार करने के लिए 1980 के बाद के हिवारे बाज़ार की स्थिति को मस्तिष्क में रखना होगा। पेड़ों की कटाई और घासों की चराई गरीब और धनी परिवारों में समान थी। अधिकतर स्थानीय लोगों के अनुसार टीलो के चारों तरफ की बंजर भूमि और भूमिकटाव के कारण मुख्य रूप से भूमि जल का स्तर बहुत नीचे हो गया है। गाँव में चारे और ईंधन की भी कमी होना आम बात थी। यद्यपि वहाँ मुख्यतः चराई पर प्रतिबंध था। फिर भी लोगों को घास काटने और लाकर जानवरों को खिलाने की अनुमति दी गई।

इस प्रकार के दूसरे प्रतिबंध इन गाँवों में बाद में लगाये गये। अधिक महत्वपूर्ण प्रतिबंधों में, सिंचाई के लिए नलकूपों पर प्रतिबंध, गन्ना और केला उगाने पर प्रतिबंध तथा किसी भूमि को बाहर के लोगों के हाथ बेचने पर प्रतिबंध लगाये गये। इस उपाय से यह समझा जा सकता है कि यह दीर्घकालिक मुद्दा इस रणनीति का केन्द्र था। (विशेष रूप से जल के प्रयोग के संदर्भ में)। प्रतिबंध केवल घोषणा नहीं थी इनका उद्देश्य समुदाय का निर्माण कर एक आम उद्देश्यों वाले लोगों की पहचान करना था। लेकिन यह हमेशा के लिए अच्छा कार्य नहीं था।

ग्रीष्म (गरमी) में फसलों का सिंचाई क्षेत्र 7 हेक्टर से 72 हेक्टर तक बढ़ गया। वर्ष भर की सामान्य वर्षा जल से कुओं का पानी केवल खरीफ-बाजार के लिए ही नहीं बल्कि रबी-ज्वार तथा ग्रीष्म की सब्जियों की फसल के लिए भी पर्याप्त होता है। प्रायः असिंचित क्षेत्रों की भूमि के नयी स्तर के बढ़ने से भूमि की उत्पादकता बढ़ जाती है। पहले की अपेक्षा विविध प्रकार की फसलों का क्षेत्र पर्याप्त रूप से बढ़ा है - लोगों ने नगदी फसलें जैसे - आलू, प्याज, फल (अंगूर और अनार) फूल और गेहूँ को उगाना शुरू किया। वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास जल की उपलब्धता में वृद्धि था जिसके कारण दूसरी फसलें उगाना संभव हो सका। इस प्रकार प्रवास की संख्या में कमी हुई। यद्यपि इसका मतलब यह नहीं है कि छोटे और सीमांत के किसान केवल अपनी निजी भूमि को बढ़ायेंगे। बल्कि ये अपनी जमीन को अधिक उत्पादक बनायेंगे। इससे रोजगार की स्थिति काफी सुधरी, रोजगार के अवसर बढ़ने पर भी वे निचले स्तर पर ही रहे।



चित्र 5.3 : मिट्टी और जल संरक्षण के पहले और बाद के हिवारे बाजार का दृश्य

मुख्य बात यह है कि भूमिगत जल के दोहन और नलकूपों द्वारा सिंचाई और (केवल पेय जल के लिए) अधिक पानी वाली फसलों जैसे गन्ने के उगाने पर सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। सिंचाई के लिए जल केवल खुदे कुएँ से निकाला जाये। वे भी कुछ निश्चित अंगुष्ठ नियम (कठोर नियम) के अनुसार अच्छी वर्षा होने पर पूरी रबी की फसलें उगायी जा सकती हैं। यदि वर्षा कम होती है तो में रबी की फसले कम उगाई जायें। उन्हें वर्षा का सावधानी पूर्वक विवरण प्राप्त करके इसका उपयोग जल की आवश्यकता वाले क्षेत्र में योजना बद्ध ढंग से करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होने पर लगातार सूखे के कारण भी पेयजल भण्डार कम नहीं होगा। क्योंकि जल की उपलब्धता के अनुरूप मुख्यतः वह योजना बनायी गयी है।

पशुधन के आर्थिक सुधारों से सीमान्त तथा छोटे किसानों को सहायता मिलती है। हिवारे बाजार के डेरी उद्योग को बढ़ावा देने के सम्मिलित प्रयास से सभी की जीविका में सुधार हुआ है। बहुत से छोटे किसानों को ऋण दिया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप दुधारु जानवरों की संख्या गाँवों में बढ़ी है। ये विकास स्पष्टतया इस तथ्य से जुड़े हैं कि अच्छी उत्पादकता के कारण चारे की उपलब्धता बढ़ी है। इस बात का प्रमाण है कि गाँव में दुग्ध उत्पादन 140 से 3,000 तक पहुँच गया था, अर्थात् इसमें 20 गुना वृद्धि हुई थी। फिर भी एक बात हम जान सकते

- उन वाक्यों को रेखांकित कीजिए जिसमें हिवारे बाजार जल संरक्षण के बारे में विचार किया गया है।
- कृषि के अनुरूप जल की उपलब्धता के संबंध में क्या प्रयास हुआ?
- इन्टरनेट के द्वारा हिवारे बाजार की डाकमेंट्री वेब साइट पर देख सकते हैं। <http://bit.ly/kothL1>

हैं कि भूमिगत जल के दोहन (निकास) को हम छोटी इकाई (या) गाँव की सीमा में नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यदि पड़ोसी गाँव गहरे नलकूपों की सहायता से भूमिगत जल का दोहन (निकास) करेंगे तो हिवारे बाजार इस पर नियंत्रण नहीं कर सकेगा। परिणाम स्वरूप हमें उपतट अथवा नदी तट

(घाटी) जैसी बड़ी इकाइयों की समझ के लिए संस्थागत मानकों की आवश्यकता है।

सार्वजनिक पोखर संसाधन के रूप में जल (Water as common pool resource)

पिछले कुछ दशकों से भूमि जल विशेष रूप से घरेलू और कृषि उपयोग का मुख्य संसाधन बन गया है। इससे भूमिजल का उपयोग जबरदस्त बढ़ा है। और जल की उपलब्धता और पहुँच पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

राज्यों द्वारा भूमि जल के बारे में बनाये गये वर्तमान कानून (नियम) बहुत पुराने और अनुपयुक्त हो गये हैं। वे उस समय बने थे जब भूजल, जल का निम्न स्रोत था। आजकल उथले (छिछली) और गहरे नलकूप अपनी शक्ति से बहुत सा जल खींच रहे हैं। जल के इस तरह के उपयोग का रास्ता क्या न्याय संगत है?

भूमिगत जल के उपयोग का वर्तमान कानून अनुपयुक्त और त्रुटिपूर्ण है। भूमिमालिक और भूमिजल की पहुँच के बीच सीधा संबंध है और अतः भूमिजल का दोहन (निकास) जिस भूमि से हो रहा है उसके मालिक और भूमिजल नियंत्रण के बीच संबंध (लिंक) स्थापित होना चाहिए। भूगर्भ प्रणाली से जल निकालने का स्वामित्व (अधिकार) ज़मीन के मालिक का माना जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि भूमिजल का नियंत्रण अधिकतर बहुधा जमीन के मालिक के द्वारा होना चाहिए। इससे पता चलता है कि भू-गर्भ जल पर उन व्यक्तियों का नियंत्रण था जो

भूमि के मालिक थे। भू-मालिक चाहे जितने जल का प्रयोग कर सकते थे। भू-जल स्रोतों और व्यक्तिगत रूप से नलकूपों और कुओं से कितना जल दोहन किया जाता है यह भूगर्भ में चट्टानों के निर्माण वर्षा अथवा सतह के जल से पुनः भरने के ऊपर निर्भर करता है।

यह समझ त्रुटिपूर्ण क्यों हैं? भू-गर्भ जल सतह पर बनाये गये भू-स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता है। जल एक प्रवाहित संसाधन है और एक ट्यूबवेल से निकाला गया जल चट्टान निर्माण, वर्षा जल के पुनःउर्जित होने और सतही जल पर निर्भर होता है। यह कारक विशाल क्षेत्र में घटित होते हैं। अतः इस कार्य से दूसरे क्षेत्र के कुएँ भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी एक ट्यूबवेल से अधिक जल निकालने से प्रायः उसके आसपास के कुएँ सूख जाते हैं। एक दूसरे के भूगर्भ जल निकालने की प्रतिस्पर्धा में चारों तरफ के पड़ोसी कुएँ एक निश्चित गहराई में जाकर शीघ्र ही सूख जाते हैं। क्योंकि ये कुएँ भूगर्भीय संरचना में परस्पर जुड़े हुए हैं। इसलिए जल के प्रवाही स्रोत पर स्वामित्व का विचार अनुपयुक्त है। तुलना कीजिए कि जिस प्रकार जमीन के ऊपर हमेशा बहती हुई हवा के लिए हम कोई सीमा नहीं बना सकते हैं उसी प्रकार जमीन के अंदर बहने वाले जल के लिए कोई सीमा नहीं है।

आजकल यह लोगों के जल का बड़ा स्रोत है जब जल का अधिक दोहन (निकासी) होता है तो वह इससे जुड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह भावी पीढ़ी के उपलब्ध जल भण्डार पर - प्रभाव डालता है। इसलिए कोई एक व्यक्ति को जो भूमि का स्वामित्व रखता है। उसे इच्छानुसार अधिक जल निकालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वहाँ कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। ये प्रतिबंध तभी स्वीकृत होते हैं जब भू-स्वामियों और भू-गर्भ जल को निकालने वालों के बीच के संबंध को तोड़ देते हैं। जहाँ भूमि जल पर नियंत्रण का अधिकार देश के लिए एक कड़ी है वहाँ निष्पक्ष तरीके से पानी का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जमीन मालिकों पर कोई दबाव नहीं है। एक व्यापक समुदाय और पर्यावरण के कल्याण की नीतियों को लागू करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इस अनियमित व्यवस्था में लोगों का व्यावहारिक उद्देश्य क्या है? उदाहरण के लिए कोई ऐसा प्राधिकरण नहीं है जो निर्धारित करे कि दिये गये क्षेत्र में कितने कुएँ, नल और नलकूप विफल हो गये। कुछ इस प्रकार के अधिनियम हो जो विस्तृत पहलुओं से जल की आवश्यकता का लेखा जोखा (विवरण) तैयार करें। इसलिए हमें जल के संगठित (एक चित) स्रोतों पर विचार करना चाहिए। अर्थात्, इसे सभी लोगों के लिए माना जाना चाहिए। यह सभी लोगों को लिए है। अतः सड़कों, नदियों, पार्कों की तरह भूजल भी सार्वजनिक संपत्ति है और सबसे संबंधित है। इस बात को कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसे मान लेने के बाद भी इसका व्यापक प्रचार नहीं हुआ है।

नियंत्रण आसान नहीं है। यह इस वजह से भी है कि कुछ संसाधन जैसे-जल, बिजली, तेल (आयल), प्राकृतिक गैस इत्यादि की एक व्यक्ति द्वारा अथवा विभाग द्वारा खर्च (खपत) लोगों के लिए इसकी उपलब्धता पर प्रभाव डालती है। वास्तव में कई राज्यों ने जल के गिरते स्तर (टेबल) का पता करने के लिए इसे मुद्दा नहीं बनाया है। राज्य सरकारें प्रायः गहरे तल से पानी की निकासी (दोहन) के लिए बिजली पर सबसिडी (मदद) देती हैं। इस उपागम (एप्रोच) की सीमा न केवल भू-जल की पहुँच कर नियंत्रण को नकारती है बल्कि विशेष

सब्सिडी देकर इसको बढ़ावा देती है। नियंत्रण कार्यों के लिए राजनैतिक विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए। यह संसाधनों की नकारात्मक प्रतिस्पर्धा को रोकने का एक तरीका है, अतः प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले अपना हिस्सा (शेयर) चाहता है। यह वास्तव में समकालीन चुनौती है। हमें ऐसे कानून व नियम की आवश्यकता है जो समझाये कि जल सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोत है। पेयजल भी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता है तथा यह मानवाधिकार भी है। ऐसे कानूनों और नियमों का निर्माण होना चाहिए जिसके आधार पर जल को एक प्रवाहित संसाधन माना जाय।

पंचायतराज संस्था को भूमिजल के उपयोग को नियंत्रित करना चाहिए।

हम केरल में पेरुमट्टी ग्राम पंचायत और कोका कोला कंपनी के बीच जल विवाद को देख सकते हैं। पंचायत ने यह (निर्णय लिया) सुनिश्चित किया कि जल निकालने के लाइसेंस का नवीकरण न किया जाय क्योंकि इससे आस-पास के क्षेत्रों का जलस्तर घट रहा है। यहाँ वास्तव में जल की गुणवत्ता भी, कंपनी द्वारा जल दोहन के कारण गिर रही है। क्षेत्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने यह निष्कर्ष दिया कि यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है। यह मुद्दा (विवाद) जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और अब तक विचाराधीन है। केरल के न्यायाधीशों ने दो प्रतिपक्षियों के पक्षों को सुनने के बाद भूमिजल अधिनियम के संबंध में दो भिन्न निर्णय दिये। पहला निर्णय भूमिजल संसाधन सार्वजनिक है अर्थात् सबके लिए है। अतः राज्य सरकार का दायित्व है कि वह इसके अतिरिक्त दोहन (निकासी) के विरुद्ध जाकर इसका संरक्षण करें। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश ने पेयजल की प्राथमिकता को जोड़ा और दूसरे जज (न्यायाधीश) ने पूर्णतः दूसरे परिप्रेक्ष्य में भूमिजल के नियंत्रण में जमीन के मालिक की प्रमुखता पर बल दिया। ये दानों विरोधी निर्णयों ने हमारी कानून व्यवस्था पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

निष्कर्ष (In conclusion)

पहले खण्ड में हमने देखा कि भारत में प्राकृतिक भूगोल संबंधी दशाओं में और नदी व्यवस्था में विविधता है। प्रत्येक क्षेत्र में जल के उपयोग तथा छोटे जल विभाजक अथवा नदी

- भू-गर्भ जल पर नियंत्रण हिवारे बाजार के समान मुख्य रूप से क्या सामुदायिक रूप से होना चाहिए?
- “भू-गर्भ जल के नियम पुराने और अनुचित हैं?” व्याख्या कीजिए।
- क्या भू-गर्भ जल को सार्वजनिक संसाधन माना जाना चाहिए? अपने विचार बताइए।

तट (घाटी) के अंतर्प्रवाह और बाह्य प्रवाह का विवरण है। इस पृष्ठभूमि के सहारे हम जल के वर्तमान उपयोग के अक्षम और त्रुटिपूर्ण रास्ते को समझ सकते हैं। हम तुंगभद्रा नदी के विवाद (केस) का कितना सही और न्यायपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। यह जटिल लेकिन संभव कार्य है। अतः छोटे क्षेत्रों के

लिए सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तथा न्याय पूर्ण ढंग से जल का उपयोग समाज में सभी लोगों के लिए संभव है। हिवारे बाजार गाँव के प्रयास को देखकर हम लोग अपनी स्थिति के अनुसार उस प्रकार कार्य करने के लिए उत्तेजित होते हैं। जल संसाधनों के लिए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और देशीय स्तर पर उपयुक्त कानून और नीतियाँ बनाने की जरूरत है। भूमिजल के इसी उदाहरणों द्वारा हम हमारे विचारों में आनेवाली कमियों को समझ सकते हैं।

मुख्य शब्द

प्रवाही संसाधन भूजल/भूमिगत, जल निकास, जल साझा कानून,
जल विभाजक, जलागम (बहाव), सूखा, रिसना/टपकना/चूना

अपनी सीखने की क्षमता सुधारे

1. भारत में प्रमुख नदी प्रणाली का वर्णन करते हुए निम्नलिखित तथ्यों जैसे - बहाव की दिशा, देशों या क्षेत्रों जहाँ से ये बहती है और भारत की भू-आकृतिक विशेषताओं के आधार पर वर्णन करते हुए एक सारणी बनाइए।
2. कृषि, उद्योग आदि में भूमि जल के उपयोग के पक्ष/विपक्ष में आपके द्वारा दिये गये तर्कों की सूची बनाइए। इत्यादि।
3. तुंगभद्रा तट जल संसाधन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? उनकी सूची बनाइए, तथा पहचान कीजिए कि इस समस्या के समाधान से संबंधित प्रसंगों की चर्चा इस अध्याय में की गयी है या दूसरी कक्षाओं में की गयी है?
4. हिवारे बाजार के द्वारा जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए कृषि के किन पहलुओं को नियमित किया गया?
5. जल संसाधन के संदर्भ में बनाये गये नियम एवं जन कार्य कितने महत्वपूर्ण हैं? पाठ के अंतिम दो खण्डों में बताये गये उपायों की चर्चा करते हुए एक टिप्पणी लिखिए।
6. आपके क्षेत्र में किन उद्देश्यों से और किन तरीकों से पानी खरीदा और बेचा जाता है? क्या इन पर रोक लगायी जानी चाहिए? चर्चा कीजिए।
7. जल की कमी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहे तो इसका बुरा प्रभाव मानव जीवन पर किस प्रकार रहेगा? उपचार हेतु कुछ सुझाव दीजिए। इस विषय को लेकर हमारा क्या दायित्व बनता है?

चर्चा कीजिए :

1. भूगर्भजल को बाहर निकालना, और इसके उपयोग पर सामाजिक नियंत्रण कैसे हो? इस मामले पर कक्षा-कक्षा में तर्क कीजिए।
2. जल, सार्वजनिक संसाधन के रूप में होना चाहिए? या नहीं? इस पर कक्षा-कक्षा में तर्क (Debate) कीजिए।

परियोजना

अपने गाँव अथवा मुहल्ले के लिए एक योजना बनाइए और विचार कीजिए कि इसके लागू होने से प्रत्येक की कैसे सहायता हो सकती है?

भारत-जनसंख्या (India-Population)



मानचित्र -1 यदि हमें जनसंख्या के आधार पर देश का क्षेत्र दर्शाना है तो यह इस प्रकार का होगा। यह अन्य विश्व मान चित्रों से कैसे भिन्न है? चर्चा कीजिए।

सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या मुख्य तत्व है, जब हम 'सबके विकास' की बात करते हैं तो सबसे पहले लोग ही हमारे मस्तिष्क में आते हैं, विशेषकर उन लोग को अवश्य शामिल करना चाहिए जो विकास की प्रक्रिया में किनारे कर दिए जाते हैं। समानता की बात लोगों के संदर्भ में की जाती है। इसके विपरीत लोग सभी समस्याओं का दोष 'जनसंख्या वृद्धि' पर डाल देते हैं। उनका कहना है कि बेरोजगारी

- विभिन्न व्यवसायों व आय वाले व्यक्तियों से बात कीजिए। आदर्श परिवार के आकार के बारे में उनके विचारों का पता कीजिए।
- क्या आपको पता है कि आपके मोहल्ले, या गाँव में रहने वाले पूरे देश के लोगों की जानकारी कैसे एकत्रित की जाती है? अपने अध्यापकों से जनगणना एकत्रित करने के उनके अनुभव बताने के लिए कहें।
- सूचना एकत्रित करने की जनगणना या नमूना प्रणाली में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर चर्चा कीजिए।

अनाज व संसाधनों की कमी का कारण है कि उन्हें बहुत से लोगों में बाँटना पड़ता है। भारत के बयानवे प्रतिशत कार्यकारी लोग अनियोजित क्षेत्र में हैं। इनमें से अधिकांश आकस्मिक श्रमिक या स्व नियोजित श्रमिक हैं जिन्हें काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परिवार की अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा का कोई आधार उनके पास नहीं है। इन अन्तर्विरोधों को हम कैसे समझे? जनसंख्या, उसके वितरण और अभिलक्षणों को समझना आवश्यक है क्योंकि वे दूसरे पहलुओं को समझने के लिए मूल आधार होते हैं।

भारत की जनगणना हमें देश की जनसंख्या की जानकारी देती है। जनगणना

व्यवस्थित रूप से लोगों की संख्या जानने व रिकार्ड करने की प्रक्रिया है। भारत में प्रति दस वर्षों में यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी एकत्रित की जाती है। सर्वेक्षण करने वाले लोग हर गाँव, कस्बे व शहर के प्रत्येक घर में जाकर वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करते हैं। जनगणना द्वारा हमें लोगों की आयु, व्यवसाय, घर, शिक्षा व धर्म इत्यादि की जानकारी मिलती है। द रजिस्ट्रार जनरल एण्ड सेंसस कमीशन आफ इण्डिया, जनगणना का आयोजन करता है।

जनगणना के बारे में और अधिक जानकारी लेने से पहले अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करके यह जानें की जनगणना कार्य कैसे किया जाता है।

भारत में जन गणना (Census in India)

भारत की पहली जनगणना 1872 ई. को हुई। फिर भी पहली पूर्ण जनगणना 1881 ई. में ली गई। तब से प्रत्येक दस वर्षों में जनगणना होती आई है। 2011 ई. की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121,01,93,442 हैं। इन 1210 मिलियन लोगों में से 623,724,248 पुरुष और 586,469,174 स्त्रियाँ हैं।

सर्वेक्षण करना (Conducting a Survey)

- दो या तीन विद्यार्थी के दल अपने क्षेत्र के दस परिवारों से आंकड़े एकत्र करेंगे। सर्वेक्षण फार्म निम्नलिखित है।
- प्रत्येक समूह को तालिका में दी गई सूचनाएँ देनी होंगी।
- प्रत्येक समूह द्वारा प्रदत्त तालिका के आधार पर, कक्षा में चर्चा की जाएगी।

परिवार 1 प्रत्येक सदस्य का नाम	लिंग (पुरुष/स्त्री)	आयु	वैवाहिक स्थिति (विवाहिक, अविवाहित, विधवा, विधुर)	व्यवसाय
परिवार 2 प्रत्येक सदस्य का नाम				

विद्यालय स्थिति :- जिनका कभी नामांकन न हुआ हो/विद्यालय आने वाले/विद्यालय छोड़ने वाले

सर्वे से पहले :-

- सर्वे फार्म में दिये गये शब्दों का चर्चा द्वारा एक सर्वमान्य अर्थ निकालिए। अन्यथा सर्वेक्षण में उलझन होगी। और एक दल के परिणामोंकी तुलना दूसरे दल के परिणामों से नहीं कर पाएँगे। अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए।

1. 'परिवार' शब्द को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? उसमें आप किन को सम्मिलित करेंगे?
2. शिक्षा को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे?
उदाहरण : छह वर्ष से कम उम्र के बच्चे, स्कूल/कॉलेज में पढ़ने वाले, कक्षा, स्कूल जाने योग्य परन्तु पढ़ाई न करने वाले, कहाँ तक पढ़े ..., स्कूल ही न आने वाले।
3. व्यवसाय के लिए किन वर्गों का चयन करेंगे?
उदाहरण : गृहिणी, विद्यार्थी, स्वव्यवसायी, बेरोजगार, सेवानिवृत्त, वरिष्ठ नागरिक।

सर्वेक्षण के पश्चात

- A)** प्रत्येक समूह सर्वेक्षण किये गये परिवारों में लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए तालिका बनाइए।

पुरुष	स्त्री	कुल जनसंख्या

- B)** आपके समूह में बालक/बालिका का अनुपात क्या है? समूहों में क्या यह अनुपात अत्यंत भिन्न हैं? चर्चा कीजिए।

6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए			
बच्चे	बालक	बालिका	कुल
स्कूल जाने वाले			
स्कूल छोड़ देने वाले			
जो कभी स्कूल नहीं गए			

- C)** सभी दलों के स्कूलों को छोड़ देने वाले तथा कभी स्कूल न जाने वालों का कुल प्रतिशत क्या है? इसके क्या कारण हैं?

- D)** 20 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों ने अपना कितना समय स्कूल में बिताया? अपने दल के लिए इसका पता लगाइए। क्या यह जानकारी उपयोगी है?

- E)** 15-59 आयु के सभी लोगों के लिए -

व्यवसाय	नहीं	%
कृषक		
आकस्मिक श्रमिक		
स्व-रोजगार		
गृहिणी		
नियमित कर्मचारी		
बेरोजगार		
विद्यार्थी		
कुल		

उपर्युक्त तालिकाओं में 'काम करने वाले' और 'निर्भर' लोगों का वर्गीकरण आप कैसे करेंगे?

जनगणना क्या दिखाती है? (What does the census show?)

आयु विन्यास/संरचना

जनसंख्या के आयु विन्यास में एक देश में स्त्री व पुरुष की संख्या को विभिन्न आयु वर्गों में दिखाया जाता है। यह जनसंख्या का मूलभूत लक्षण है। एक महत्वपूर्ण अवस्था में मनुष्य की आयु उसकी आवश्यकताओं व कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। जैसे उसे क्या आवश्यक है, उसकी कार्य क्षमता, वह दूसरों पर निर्भर है या नहीं आदि। अतः जनसंख्या में बच्चों की संख्या एवं प्रतिशत, कार्य करी आयु के लोग तथा वृद्ध लोगों की संख्या महत्वपूर्ण है, यह जनसंख्या के समाजिक व आर्थिक रूप का निर्माण करती है।

साधारण रूप से किसी देश की जनसंख्या को तीन वर्गों में बाँटा जाता है।

1. बच्चे (पंद्रह वर्ष से नीचे): इनका संरक्षण परिवार द्वारा होता है, इन्हें विकास के लिए भोजन, वस्त्र, शिक्षा व चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है। हालांकि साधारण तौर पर वे अपने लिए धनार्जन नहीं करते फिर भी कई बच्चों को आर्थिक परिस्थितियों के कारण काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।


2. कार्यकारी आयु (15 - 59 वर्ष) : साधारणतः 15-59 वर्ष की आयु काम करने की होती है। वे जैविक रूप से जननीय होते

हैं। इस आयु में लोग अच्छी आय और काम की सुरक्षा चाहते हैं। बच्चे और बूढ़े प्रायः इन्ही लोगों की आय पर निर्भर होते हैं।

3. वृद्ध (59 वर्ष से अधिक):

जो नौकरीपेशा है या किसी संगठन में कार्यरत हैं उन्हें सेवानिवृत्ति वेतन मिल सकता है। फिर खेतिहर मजदूर, श्रमिक एवं अन्य, साधारणतः जब तक शारीरिक शक्ति है तब तक काम करते हैं। जब ये लोग अक्षम हो जाते हैं तब अपने परिवारों पर निर्भर हो जाते हैं। यह भी होता है कि इन लोगों का चिकित्सा खर्च अन्य आयु वर्गों से अधिक होता है।

रेखाचित्र 1 : भारत का जनसंख्या पिरामिड 2011




- आयु पिरामिड बनाकर जनसंख्या में बच्चों की सामान्य गणना कीजिए।
- अपने सर्वेक्षण पर आधारित निम्नलिखित चीजें तालिका में बताइए : जनसंख्या, बच्चे, काम करने वाले तथा वृद्ध।

सरकार को विभिन्न वर्गों के लिए कौन सी योजनाएँ बनानी चाहिए सुझाव दीजिए। जैसे दोपहर के भोजन की योजना, आँगनवाड़ी कार्यक्रम इत्यादि। ये कार्यक्रम क्यों आवश्यक हैं?

लिंग अनुपात (Sex Ratio)

कुल जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों में से स्त्रियों की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात में लिया जाता है। इसे प्रतिशत से दर्शाया जाता है। समाज में स्त्री और पुरुषों की समानता को नापने के लिए यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। जिन परिवारों की गणना आपने की उनमें



आपने इस अनुपात की गणना की होगी। अब पूर्ण रूप से सम्पूर्ण देश के आंकड़ों की गणना की जांच करेंगे।

यह देखा गया है कि भारत में स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा लगातार कमी आयी है। चिंता का विषय है क्योंकि यह भेदभाव के छुपे रूप की ओर संकेत करता है। शिक्षा और विकास के क्षेत्र में स्त्री विशेषकर बालिकाओं को भेदभाव का सामना

करना पड़ता है। यहाँ तक कि प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे पोषण, देखभाल व स्वास्थ्य के लिए भी उन्हें कम सुविधाएँ दी जाती है। यह भेदभाव एक ही परिवार के बच्चों में होता है। यह भेद हमेशा नहीं होता।

चिकित्सा संबंधी शोध बताता है कि समान सुविधाएँ दी जाने पर लड़कियाँ ज्यादा अच्छी प्रकार से जीवित रह सकती है। इसलिए अगर भेदभाव नहीं होगा तो लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो सकती है। जनगणना 2011 दर्शाती है कि 0-6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 919 था, क्योंकि जीवित लड़कियों की संख्या, लड़कों की तुलना में बहुत कम है। ऐसा उनके पोषण और देखभाल में भेदभाव बरतने तथा कन्या भ्रूण हत्या के कारण होता है।

तुलनात्मक आँकड़ों से हमें दूसरा प्रमाण मिलता है। अगर हम उन समुदायों या प्रांतों को देखें जिन्होंने स्त्री को समान अवसर और सुविधाएँ दी है वहाँ लिंग का अनुपात अलग है। जहाँ स्त्री पुरुष में भेदभाव दिखाया जाता है उन क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या कम है। उच्च आय होने पर भी ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित आंकड़ों को देखिए:-

तालिका 1 : 1000 पुरुषों पर महिलाएँ

क्षेत्र	हरियाणा	पंजाब	तेलंगाना	केरल	अमेरिका
लिंग अनुपात	870	880	988	1040	1050

यह देखा गया है कि भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे केरल में लिंगानुपात सकारात्मक हैं जबकि अन्य प्रांतों में स्त्रियों से अधिक पक्षपात होता है। लड़को को लड़कियों की अपेक्षा प्रधानता देना सबसे कष्टप्रद पहलू है जो धीरे-धीरे कम हो रहा है। लड़को की तरफदारी का सबसे बुरा प्रमाण लड़कियों की मृत्युदर लड़कों की तुलना में अधिक होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि इनकी बीमारी व स्वास्थ्य की तरफ लड़कों की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ मादा-भ्रूण हत्या के बहुत से मामले हैं। लड़कों को प्राथमिकता देने के कारण माँ-बाप मादा भ्रूण का गर्भपात कराने का निर्णय ले लेते हैं। बहुत लोग लड़की को एक बोझ समझते हैं। शोध बताता है कि वयस्कों में भी पुरुषों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के कारण वयस्क स्त्रियों की मृत्यु दर पुरुषों से अधिक है।

स्त्रियों के प्रति पक्षपात दिखाने में कमी आयी है उसका कारण स्त्री शिक्षा है। स्त्री-साक्षरता और शिक्षा ने तथा स्त्री स्वास्थ्य का ध्यान रखने के कारण स्त्री मृत्यु दर में कमी आयी है। इन परिस्थितियों को समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और यह भी देखिए कि इसका लिंगानुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है।

साक्षरता दर

2011 जनगणना के अनुसार, 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी एक भाषा में पढ़ और लिख सकता हो, साक्षर समझा जाता है। साक्षरता सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।



- शिक्षा के क्षेत्र में क्या लड़कियों को लड़को के समान अवसर प्राप्त होते हैं?
- क्या विवाहित महिलाओं को घर के बाहर यात्रा करने और काम करने के अवसर मिलते हैं?
- क्या स्त्रियों से पैदाइशी परिवार से अलग होने और जायदाद पर हक न माँगने की अपेक्षा की जाती है?
- विवाहित महिला को क्या अपने माता-पिता के घर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए?
- क्या आपके क्षेत्र में लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाता है?

- आपके क्षेत्र में निरक्षर व्यक्तियों का पता लगाइए। आपके सर्वेक्षण से क्या पता चलता है।
- साक्षरता विकास को कैसे प्रभावित करती है, चर्चा कीजिए।

1947 में स्वतंत्रता मिलने पर 12 % जनसंख्या साक्षर थी, 2001 में 65%, 2011 में यह 74% तक पहुँच गई। फिर 2011 की जनगणना बताती है कि पुरुषों की साक्षरता (8.2%) और स्त्रियों की साक्षरता दर (65%) में बहुत अन्तर है।

काम करने वालों की जनसंख्या

यह पहले बताया जा चुका है कि 15-59 आयु वाले लोग कामकाजी लोगों की श्रेणी में आते हैं। वे पूरे साल या वर्ष में कुछ समय काम कर सकते हैं। यह काम की उपलब्धता पर

तालिका-2: 2011 की जनगणना के अनुसार कर्मियों का विभाजन

काम करने वाले	कर्मियों का प्रतिशत
खेतिहर	25
खेतिहर मजदूर	30
घरेलु उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक	04
अन्य कर्मचारी	41
कुल	100

निर्भर करता है। इसमें गृहणियों का काम शामिल नहीं है। (तालिका -2 देखिए।)

भारतीय जनगणना इन्हें चार वर्गों में बाँटती है। किसान या खेतिहर जो अपनी भूमि पर खेती करते हैं या भूमि किराया पर लेते हैं। खेतिहर मजदूर जो मजदूरी के लिए दूसरों के खेतों में काम करते हैं। घरों का काम करने वाले जैसे धान की भूसी निकालना, बीड़ी बनाना, कुम्हार, बुनकर, जूते-चप्पल सुधारने वाला खिलौने, माचिस बनाने वाले इत्यादि। अन्य कर्मचारी जो फैक्ट्रियों में, व्यापार आकस्मिक श्रमिक आदि काम करते हैं तथा अन्य काम करते हैं।


- किसानों से खेतिहर मजदूर कैसे अलग है?
- उन काम करने वालों की तुलना कीजिए जिन्हें आपने अपनी जनगणना सर्वेक्षण में लिया था।

जनसंख्या का परिवर्तित आकार (Changing population size)

जनसंख्या गतिक है। संख्या, वितरण एवं संघटक सदा बदलते रहते हैं। यह तीन प्रक्रियाओं (1) जन्म (2) मृत्यु (3) प्रवासन की पारस्परिक क्रियाओं के कारण होता है। एक विशेष अवधि में देश के निवासियों की संख्या का अंतर ही जनसंख्या के आकार का परिवर्तन माना जाता है। ऐसे परिवर्तन को दो तरीकों से बताया जा सकता है - (1) सुनिश्चित संख्या के रूप में या (2) परिवर्तित प्रतिशत के रूप में।

प्रति दस वर्ष में सुनिश्चित संख्या जोड़ना, वृद्धि का परिमाण आकार है। यह परिमाण बाद की जनसंख्या (उदाहरणार्थ 2011 की) में से पहले की जनसंख्या (उदा.2001 की जनसंख्या) से घटाकर प्राप्त किया जाता है। यदि परिणाम धनात्मक (positive) संख्या है तो जनसंख्या बढ़ी है और यदि संख्या ऋणात्मक (Negative) है, तो जनसंख्या घटी है।

जनसंख्या परिवर्तन (सुनिश्चित संख्या) = (बाद की जनसंख्या) - (पहले की जनसंख्या)।



भारत की जनसंख्या वृद्धि और विकास का अवलोकन कीजिए।

1901-2011 ग्राफ-3

किस वर्ष जनसंख्या में कमी हुई?

किस वर्ष के बाद से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है?

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेजी से हुई जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं?

किसी जगह जनसंख्या वृद्धि = (जन्मसंख्या + विदेशों से आए व्यक्ति) – (मृत्यु की संख्या) + विदेशों को गए व्यक्ति) घनात्मक संख्या जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है तथा ऋणात्मक जनसंख्या जनसंख्या की कमी को दर्शाती है।

एक क्षण के लिए समझिए कि प्रवासन नहीं है। बढ़ोत्तरी की गणना के लिए हम दो मूल्यों की जाँच करते हैं। (1) एक वर्ष में प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में जीवित लोगों की संख्या जन्म दर होती है। 1992 में भारत की जन्मदर 29 थी। उस वर्ष के दौरान देश में रहने वाले 1000 लोगों में 29 जीवित बच्चे जन्म लेते हैं। (2) मृत्यु दर प्रत्येक 1000 लोगों में से मरे हुए लोगों की संख्या होती है। उदाहरणार्थ 1992 में प्रत्येक 1000 लोगों में से 10 लोग प्रति वर्ष मृत्यु को प्राप्त हुए। इसलिए 1000 लोगों में 19 लोग प्रति वर्ष, जुड़ रहे थे। इस संख्या को प्रतिशत के रूप में 1.9% दिखाया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि 1992 में जनसंख्या वृद्धि की दर 1.9% थी।

जनसंख्या वृद्धि की दर या गति महत्वपूर्ण है। इसे वार्षिक प्रतिशत के रूप में जाँचा जाता है, उदाहरणार्थ वार्षिक बढ़त दर 2 प्रतिशत है तो उसका अर्थ है कि प्रति 100 लोगों में 2 लोगों का बढ़ना। यह मिश्रित ब्याज की तरह काम करता है। इसे ही वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है।

ऊपर दिखाये गये ग्राफ में भारतीय जनसंख्या वृद्धि के कारण को जाँचने के लिए हमें जन्म एवं मृत्यु दर दोनों को देखना होगा। मृत्यु दर में तेजी से कमी आ रही है पर उसके अनुपात में जन्म दर मज़बूती से कम नहीं हो रही है। 1901-21 के काल में अकाल, महामारी और इंफ्लुएंजा के कारण उच्च मृत्यु दर देखी गयी। 1918 की महामारी 1921 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अकाल का असर प्रजातंत्र में अकाल राहत कोष, बीज आंदोलन, राशन की दुकानों व प्रजातंत्र से जनता की सक्रिय आवाज़ के कारण कम हुआ। इसी प्रकार हैजा, प्लेग और कुछ हद तक मलेरिया जैसी महामारियाँ नियंत्रित कर ली गईं। प्रदूषित जल, संकुचित भीड़

भरी जगहों में रहना तथा कूड़ादानों का साफ न किया जाना अनेक बीमारियों के मुख्य कारण हैं। इन्हें बेहतर सफाई व्यवस्था दी जानी चाहिए, स्वच्छ पानी व पोषण देना चाहिए। एवं सुधार के लिए अनेक कदम उठाए जाने चाहिए। बाद में आधुनिक एंटीबायोटिक (प्रतिजैविक) तथा टीकों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना दिया। 1921 की तुलना में मृत्यु दर तेजी से गिरी है। बढ़ती हुई जन्म-दरों तथा घटती हुई मृत्यु-दर ने जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ा दिया है।

जन्म दर इतने लंबे समय तक क्यों बढ़ी रही? इसका संबंध अतीत से है। अगर कुल जनसंख्या में बच्चों की संख्या अधिक होगी तो आने वाले वर्षों में वे बढ़ें होंगे। विवाह करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। ऐसे बच्चों की संख्या और भी अधिक हो जाएगी। क्योंकि हमने शुरूआत ऐसी जनसंख्या से की जिसमें अधिक युवा लोग थे।

दूसरा कारण कि दंपति कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं? इसके बाद कितने बच्चे बचते हैं, लोगों को कितनी सामाजिक सुरक्षा मिली है तथा समाज में पुरुष संतान को दी जाने वाली प्राथमिकता पर भी यह आधारित होता है।

आप अपने परिवार में पूछताछ कीजिए और तीन और चार पीढ़ियों तक जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या की तुलना कीजिए। आपको पता चलेगा कि जब परिवार का आकार बड़ा होता है तो ऐसा तभी होता है। अनेक बच्चों की मृत्यु जन्म के समय ही या शैशवकाल के आरंभिक वर्षों में ही हो जाती है। चिकित्सा सेवाएँ और सुनिश्चित पोषण हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। इन सबके साथ पुरुष बालकों को दी जाने वाली प्राथमिकता भी बड़े आकार के परिवार के निर्माण का ठोस कारण है। इन कारकों में अब परिवर्तन हो रहा है।

भारत की जनगणना के आँकड़ों के द्वारा हम देश की जनसंख्या में हुए परिवर्तनों की जाँच करेंगे।

तालिका 4 : भारत की जनसंख्या वृद्धि का आकार और बढ़त दर (अनुपस्थित आंकड़ों की गणना करके लिखिए।)

वर्ष (लाखों में)	कुल जनसंख्या (लाखों में)	एक दशक में कुल बढ़त	दशक में हुए परिवर्तन का प्रतिशत	वार्षिक परिवर्तन
1951	361			
1961	439	78	21.60	2.16
1971	548	?		
1981	683	?		
1991	846	?		
2001	1029	?		
2011	1210	?		

[439-361=78; 361 पर 78 की वृद्धि इसीलिए %में यह $78 \times 100 / 361 = 21.60$, वार्षिक वृद्धि 2.16 होगी]


- आपके परिवार की तीन पीढ़ियों की प्रत्येक स्त्री ने कितने बच्चे पैदा किए? यह पता लगाइए। आप ने क्या परिवर्तन महसूस किया?
- आपने जो सर्वे किया था उसके आधार पर 45 वर्ष और उसके अधिक उम्र वाली कुल महिलाओं और उनके बच्चों की संख्या का पता लगाइए। 45 वर्ष से ऊपर की महिलाओं और उनके बच्चों की संख्या का क्या औसत है?

1981 से जन्म दर में भी कमी आई है। इससे जनसंख्या दर भी घटी है। 1951 से 2011 तक के दशकों के परिवर्तित प्रतिशत की गणना कीजिए और देखिए कि ऊपर दी हुई तालिका में भी वही है या नहीं।

इस दौर को हम कैसे समझ सकते हैं? हम प्रजनन दर के विचार का प्रयोग करेंगे। (प्रत्येक स्त्री द्वारा कुल जन्म देना) प्रजनन दर का अर्थ है एक स्त्री द्वारा अपनी प्रजनन आयु के अंदर कुल संभावित कितने बच्चे पैदा करने का निर्णय लिया गया है। यदि यह प्रजनन दर कम है तो हम कह सकते हैं कि दंपति कम बच्चे चाह रहे हैं। पारिवारिक या बाहरी दोनों ही कारण इन निर्णयों में सहायक होते हैं। आरेख-4 का अध्ययन कीजिए।

भारत में 1961 में प्रजनन दर 5.9 से अधिक थी, इससे पता चलता है कि प्रत्येक स्त्री औसत रूप से पाँच या छह बच्चे पैदा करती है। एक परिवार सुरक्षा, सुअवसरों और सामाजिक आदर्शों को ध्यान में रखकर बच्चों की संख्या का निर्णय लेते हैं। आज कल इस दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन आया है। वर्तमान प्रजनन दर भारत में 2.7, आंध्र प्रदेश में 1.9 है।

- जब 2 प्रजनन दर है तो वह क्या बताता है। चर्चा कीजिए।



जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा संघटक प्रवासन (स्थानांतरण) है। प्रवासन का अर्थ लोगों का एक देश या क्षेत्र से दूसरे देश को जाना। प्रवासन आंतरिक यानि एक ही देश के भीतर भी हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय भी। आंतरिक प्रवासन से जनसंख्या के आकार में अंतर नहीं आता, मगर यह जनसंख्या वितरण को अवश्य प्रभावित करता है। प्रवासन से जनसंख्या के आकार और वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। अगले अध्याय में आप देश परिवर्तन के बारे में अधिक जानकारी पायेंगे।

हम बहुत बार लोगों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में भयभीत करने वाली आवाज़ में बोलते हुए सुनते हैं। ये लोग अक्सर शिक्षित होते हैं और दूसरों से बहुत कम संसाधन और उन्हें बांटने वालों की अधिकता के कारण लाभ न मिलने की बात करते हैं। फिर भी परिवार, में अपनी परिस्थिति व आय के साधनों का विचार करने के बाद ही यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए। अधिक बच्चे वाला परिवार अधिकतर गरीब ही रहता है। उसके पास संपत्ति भी नहीं होती, वे लोग बाकी का जीवन अपने बच्चों पर आधारित होकर बिताते हैं। हम इस विभिन्न दृष्टिकोणों को कैसे समझ सकेंगे?

जनसंख्या घनत्व


जनसंख्या घनत्व उसके वितरण पर बेहतर प्रकाश डालता है। जनसंख्या को, प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या के अनुसार नापा जाता है।

विश्व में भारत अधिक घनत्व वाले देशों में एक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर था। घनत्व हर क्षेत्र में अलग होता है जैसे बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग और अरुणाचल प्रदेश में यह संख्या केवल 17 हैं। असोम तथा अनेक प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व औसत होता है। पहाड़ी, विभाजित या कटे हुए अथवा चट्टानी क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र तथा कम उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। उत्तरी मैदानों व दक्षिण के केरल में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ समतल मैदान है। उपजाऊ धरती है और अधिक वर्षा होती है।

उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले तीन राज्यों को पहचानिए। जनसंख्या घनत्व में इतना अंतर कैसे हो सकता है। हमें उस क्षेत्र का इतिहास देखना पड़ेगा। उस क्षेत्र की वातावरण व जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ इस विभिन्नता को समझने में मदद करेंगी। उदाहरण के लिए पाठ 8 में 'भूमि एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत' यह अंश पढ़ें। जबकि उपजाऊ भूमि और सिंचाई व्यवस्था पहले से अधिक जनसंख्या का समर्थन करता है। उसका असर प्रत्येक समूह दर पर भिन्न है। विशेषकर छोटे किसानों व भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों पर।

2011 में तेलंगाणा की जनसंख्या के घनत्व के इन आंकड़ों को ऊपर के खाली जिला मानचित्र में भरिए और उन्हें क्रम से रखिए।

- किस वर्ष से गाँव की पूरी भूमि पर खेती हुई?
- जमींदार लोगों ने बढ़ते हुए परिवार के आकार के प्रति किस तरह से प्रतिक्रिया दिखाई?
- गोविंद जैसे छोटे किसानों की परिवार के बढ़ने पर क्या प्रतिक्रिया थी? ट्यूबवेल सिंचाई कितनी उपयोगी थी?
- मानचित्र 2 देखिए। भारतीय भू-प्राकृतिक विशेषताएँ और जनसंख्या घनत्व के संबंध को ज्ञात कीजिए। देश के मुख्य शहरी केंद्रों को पहचानिए। शहरों की उच्च जनसंख्या घनत्व को आप कैसे समझाएँगे?



मानचित्र 3 : तेलंगणा का मानचित्र



निम्नलिखित विषयों के आधार पर अधिक घनत्व वाले एवं कम घनत्व वाले जिले में तुलना कीजिए

- कृषि विकास के क्षेत्र एवं सामर्थ्य की
- उस क्षेत्र की कृषि का इतिहास - भूमि का उपयोग, पानी व अन्य प्राकृतिक संसाधन
- उस क्षेत्र को और क्षेत्र से प्रवासन की स्थिति और उसके कारण।

मुख्य शब्द

जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या घनत्व

लिंगानुपात

उर्वरता दर

जनसंख्या वितरण

शिशु हत्या

साक्षरता दर

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें


1. निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

विश्व की ऐतिहासिक एवं पूर्वानुमानित जनसंख्या (लाखों में)

क्षेत्र/वर्ष	1500	1600	1700	1800	1900	1950	1999	2012	2050	2150
विश्व	458	580	682	978	1,650	2,521	5,978	7,052	8,909	9,746
अफ्रीका	86	114	106	107	133	221	767	1,052	1,766	2,308
एशिया	243	339	436	635	947	1,402	3,634	4,250	5,268	5,561
यूरोप	84	111	125	203	408	547	729	740	628	517
लेटिन अमेरिका एवं कैरीबीन	39	10	10	24	74	167	511	603	809	912
उत्तरी अमेरिका	3	3	2	7	82	172	307	351	392	398
ओसीनिया	3	3	3	2	6	13	30	38	46	51

- पहली बार विश्व की जनसंख्या को दुगुनी होने में कितनी शताब्दियाँ लगी होंगी अनुमान लगाइए।
 - पिछली कक्षाओं में आपने उपनिवेशन के बारे में पढ़ा। तालिका को देखकर पहचानिए कि किस देश में जनसंख्या 1800 से कम हुई थी?
 - कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक समय तक सबसे अधिक जनसंख्या थी?
 - क्या ऐसा कोई महाद्वीप है, भविष्य में जिसकी जनसंख्या कम होने की संभावना की जा सकती है?
2. यदि लिंगानुपात बहुत कम या बहुत अधिक है तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सूची बनाइए।
3. भारतीय स्कूल के औसत वर्षों की तुलना अन्य देशों से कीजिए। (पृष्ठ संख्या 24 तालिका 5) श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। इनमें कौन सी समानताएँ व विषमताएँ आपने पायीं?
4. तेलंगाणा का कौन सा क्षेत्र अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है उसके क्या कारण हो सकते हैं?

5. जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में अंतर बताइए।
6. भारत के जनसंख्या पिरामिड की तुलना यहाँ दिए गए तीन अन्य देशों के आंकड़ों से कीजिए।



- कौन से देश की जनसंख्या बढ़ने की संभावना है?
- कौन से देश की जनसंख्या कम होने की संभावना है?
- लिंग संतुलन की तुलना कीजिए। प्रत्येक देश की परिवार और जनकल्याण नीतियों के बारे में आप क्या कह सकते हैं?


7. मानचित्र कार्य :

- a. भारत के खाली मानचित्र पर राज्यों की सीमाओं को दर्शाते हुए, 5 श्रेणियों में राज्य आधारित जनसंख्या के घनत्व को बताइए।
- b. तेलंगाना के खाली मानचित्र में जो जिलों की सीमा दिखाता है, बिंदु चिह्न लगाते हुए जनसंख्या वितरण को बताइए (एक बिंदु 10,000 की जनसंख्या के बराबर है।)

परियोजना

घनत्व दर्शाने वाले निम्नलिखित मानचित्र एवं जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ को देखिए। इस पाठ से सीखे जनसंख्या संबंधी विभिन्न पहलुओं का प्रयोग कीजिए और उनका वर्णन कीजिए।

जनसंख्या घनत्व बंगलादेश



SCERT

व्यवस्था क्या है? (What is a settlement?)

अपने आस-पास के शहर एवं गाँव देखिए जहाँ आप रहते हैं। नीचे दिये गये चित्रों से तुलना कीजिए। आप देखेंगे कि वहाँ की इमारतें, सड़कें और निगम की रचना एक प्रकार से व्यवस्थित है। सारे विश्व में इस व्यवस्था के जो अंतर हैं, उन्हें हम देखेंगे।

जिस प्रकार हम एक स्थान में अपने आप को तथा अपने रहने के स्थान को व्यवस्थित करते हैं उसे ही व्यवस्था कहते हैं अर्थात् वह भौगोलिक स्थान जहाँ पर हम रहते हैं और कार्य करते हैं। व्यवस्था में हमारी विभिन्न क्रियाएँ होती हैं जैसे शिक्षा, धर्म एवं व्यवसायिक क्रियाएँ इत्यादि। इस अध्याय में हम मनुष्य की व्यवस्था और उससे संबंधित भूगोल के विषय में जानेंगे।



चित्र 7.1 : अ.ब.स. ये हिमालय पर्वतों के चित्र हैं। अध्याय-1 में दिये गये हिमालय के चित्रों को देखिए। व्यवस्था के अंतरों तथा व्यवस्था के प्रकारों, भूमि के उपयोग और घरों के निर्माण में उनके द्वारा उठाये जाने वाले खतरों की तुलना कीजिए।

अ. शिमला शहर जो वास्तविक रूप से 25,000 की जनसंख्या के लिए निरूपित किया गया था। यहाँ लगभग 2 लाख लोग रहते हैं।

ब. हिमालय पर भूमि की ढलान

स. लद्दाख की नुब्रा घाटी में ट्रांस-हिमालय का यह गाँव उस धारा के निकट है जहाँ पर हिमनदी पिघलती है। यह धारा केवल ग्रीष्म ऋतु में बहती है इसीलिए इसी मौसम में खेती संभव है। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं के बराबर होती है। पर्वत बंजर होते हैं।

क्षेत्र कार्य

अपने शहर, नगर या गाँव को देखिए। अपने चुने हुए स्थान का एक नक्शा बनाइए जिसे आपने पहले सीखा है। आपके मानचित्र में ये सब होने चाहिए :-

- सड़कें; आवास; दुकान और बाज़ार; नहरें और निकास, कुछ सार्वजनिक स्थान, अस्पताल, पाठशालाएँ, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि।
- क्या सार्वजनिक स्थान ऐसे केन्द्र में हैं जो सभी के लिए सुविधाजनक है ?
- क्या बाज़ार की स्थिति में आपको कोई ढाँचा नज़र आता है ?
- क्या सभी घर एक समूह में हैं ? क्या वे सभी मुख्य मार्ग से जुड़े हैं ?

आपके चुने गए क्षेत्र के लोगों से बात कीजिए। उनसे यह जानने की कोशिश कीजिए कि पिछले बीस वर्षों में वहाँ की व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव आये और उनका कारण क्या हैं? उनके लिए कौनसी सुख-सुविधाओं के प्रबंध की आवश्यकता हैं, जो नहीं की गई है।

व्यवस्था कैसे प्रारंभ हुई? (How did settlements begin?)

लगभग 1.8 लाख वर्षों तक मनुष्य समूह में रहता था, एक खोजी शिकारी की तरह। वे कृषि के कार्य नहीं करते थे। किंतु भोजन जुटाने में बदलाव के कारण कुछ समूहों ने अन्न के उत्पादन का कार्य - कृषि को अपना लिया। किंतु एक कृषक के रूप में वे स्थान बद्ध एक स्थान पर रहने वाले बन गए।

चित्र 7.2 : मध्यप्रदेश के भीमबेड़का में आदि मानव के द्वारा प्रयोग किया गया चट्टानी आश्रय/अधिक जानकारी के लिए कक्षा VI का अध्याय- शिकारी(hunter gatherers) पढ़िए।



- तुलना कीजिए एवं अंतर बताइए। ऊपर दी गई सूचना के अनुसार बंजारा एवं स्थानबद्ध जीवन शैली की तुलना कीजिए। आप कितने बिंदुओं को पहचान सकते हैं, देखिए। (नीचे दिया गया स्थान कम हो तो आप दूसरी सारणी बना सकते हैं)

बंजारा जीवन शैली	स्थानबद्ध जीवन शैली

व्यवस्था कैसे बदलती है?(How do settlements change)

व्यवस्थाएँ कई कारणों से बदलती है। दिल्ली की यह कहानी पढ़िए। भारत पर शासन करने वाले अनेक साम्राज्यों का दिल्ली शहर केन्द्र था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब यह शहर उसकी राजधानी बना। पिछली कई शताब्दियों से इस शहर ने भारत के हर भाग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है जो काम तथा आजीविका, नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा आदि की तलाश में प्रवासी बनकर आते थे। दिल्ली



चित्र 7.3 : एक मध्यम वर्गीय आवासी कालोनी। इसकी तुलना दिल्ली के निम्न आयवाली आवासी कालोनी से कीजिए (पृष्ठ- 98)

देश की राजधानी भी है तथा वहाँ संसद एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय भी हैं और यहाँ देश के हर भाग के लोग रहते हैं। इसी कारण जनसंख्या में दो गुना से अधिक वृद्धि हुई।

हर शहर के पास आमतौर पर एक मुख्य योजना होती है ताकि वो विभिन्न क्षेत्रों की रूपरेखा बनाकर उन्हें बाँट सकें। हर शहर में आवास क्षेत्र, बाज़ार, पाठशालाएँ, औद्योगिक क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र, पार्क और मनोरंजन के क्षेत्र होने आवश्यक हैं। इसके आधार पर आयोजक को यह निर्णय लेना अनिवार्य है कि किस प्रकार की सड़कें बनाएँ, कितनी मात्रा में विद्युत एवं जल का उपयोग होगा, कैसे अवशिष्टों का निपटारा करेंगे? नाली में बहने वाला पानी कैसे साफ करेंगे इत्यादि (Sewage) जो आवश्यक है। दिल्ली शहर के पास ऐसी तीन मुख्य योजनाएँ थी (master plans) किन्तु अगर हम अब इस शहर को देखेंगे तो लगता है कि इन योजनाओं को कहीं भी लागू नहीं किया गया है। वास्तव में दिल्ली एक अनियोजित शहर बन गया है। एक नियोजित कालोनी में प्रत्येक सुविधाएँ अपने स्थान पर होती हैं। सरकार का उन क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों को भी इसका पालन करना पड़ता है। किन्तु यह साफ दिखाई देता है कि इन योजनाओं का पालन नहीं किया गया है।

एक ओर जनसंख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर इन क्षेत्रों को योजनाबद्ध करने और इन स्थानों का उपयोग कैसे हो यह घोषणा करने में अधिक समय लग रहा है। वह लोग जो शहर में काम की तलाश में आएँ हैं उन्होंने बिना आज्ञा के भूमि पर कब्जा कर लिया और उनकी सुविधा अनुसार बिना किसी की सहायता के मनमाने तरीके से अपने घर बना लिए हैं। यह घर लंबे समय तक अनाधिकृत रहे। जब योजना की घोषणा हुई तब इन क्षेत्रों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए चिह्नित किया जाता है।

इसका परिणाम होता है एक अलग ही विवाद की परिस्थिति (conflict) में लोगों को हमेशा भय रहता है कि कहीं उन्हें घर छोड़ कर न जाना पड़े। इसके लिए वे नेताओं की शरण में जाते हैं। इन कालनियों को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि मुख्य योजना (Master plan) में इनके अस्तित्व का नक्शा नहीं होता है। इसीलिए उन कालनियों को अधिक सार्वजनिक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होती। यहाँ के लोग निर्धन हैं किन्तु उन्होंने शहर का निर्माण किया है और वे शहर के लिए अनिवार्य सेवाएँ निरंतर प्रदान कर रहे हैं।

किस प्रकार के क्षेत्र व्यवस्था को आकर्षित करते हैं ?

इसको समझने के लिए हमें इन तीन आधारभूत धारणाओं को देखना चाहिए : (1) भूमि का टुकड़ा या स्थान (2) स्थिति (3) उस भूमि का इतिहास

क्षेत्र उस स्थान की विशेषताओं को दर्शाता है - थल आकृति या भौगोलिक स्थिति, ऊँचाई, जल की विशेषता (क्या वहाँ नदी, झरने, झील, या भूमिगत जल है इत्यादि) मिट्टी के प्रकार, सुरक्षा, प्राकृतिक शक्तियों से आश्रय आदि।

प्राचीन व्यवस्थाओं के समय में लोग ऐसे स्थान पर बसना पसंद करते थे जहाँ पर जल की सुविधा हो और आक्रमणों से सुरक्षा हो। उदाहरण के लिए छत्रपति शिवाजी ने महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में अपना

किला बनवाया। उस क्षेत्र को इसलिए चुना गया क्योंकि उसकी ऊँचाई अधिक थी और वहाँ से आस-पास के सभी क्षेत्रों को देखा जा सकता था। इससे उन्हें सैनिक सुरक्षा मिली।

एक स्थान कभी अकेला नहीं पाया जाता है। वह एक प्रकार से दूसरे स्थानों से जुड़ा होता है। स्थितियाँ अन्य स्थानों के साथ उसके संबंधों का वर्णन करती हैं। उदाहरण के लिए विशाखपट्टणम समुद्र किनारे पर बसा है और भारत के भीतर और बाहर अनेक स्थानों से जोड़ता है।

कई शताब्दियों से विशाखपट्टणम की जनसंख्या में विशेष वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विशाखपट्टणम शहर के बंदरगाह के कारण महत्वपूर्ण बनी। यह वृद्धि सामाजिक एवं आर्थिक अवसरों को भी विकसित करती है। विशाखापट्टणम का लंबा इतिहास है। औपनिवेशीकरण के पूर्व इस पर अनेक राजवंशों ने शासन किया था। 19 वीं सदी के दौरान, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इस शहर



चित्र 7.4 : प्रतापगढ़ का किला



Fig 7.5 : विशाखापट्टणम

में समुद्री युद्ध किया था। तटीय स्थल उपनिवेशी शक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे वहाँ बंदरगाह बना सकते थे। इन बंदरगाहों के द्वारा औपनिवेशिक देशों में कच्चे माल का निर्यात किया जा सकता है।

वास्तव में भारत के प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण के लिए उपनिवेशी शक्तियों द्वारा मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों का विकास किया गया। विशाखपट्टणम की लड़ाई इसी कारण हुई।

सारणी-2 विशाखापट्टणम की जनसंख्या		
वर्ष	जनसंख्या	% बदलाव
1901	40,892	
1911	43,414	+6.2%
1921	44,711	+3.0%
1931	57,303	+28.2%
1941	70,243	+22.6%
1951	1,08,042	+53.8%
1961	2,11,190	+95.5%
1971	3,63,467	+72.1%
1981	6,03,630	+66.1%
1991	7,52,031	+24.6%
2001	13,45,938	+78.97%
2011	20,35,690	+51.2%

विशाखापट्टणम की जनसंख्या में बदलाव

1. दी गयी जनसंख्या तालिका में क्या हर दशक के लिए संख्या दी गयी है? अगर नहीं, तब कौनसे दशक का विवरण नहीं दिया गया है ?
2. कौनसे दशक से कौनसे दशक तक जनसंख्या वृद्धि चरम सीमा तक हुई ? (प्रतिशत में) ?
3. कौनसे दशक से कौनसे दशक तक जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई (प्रतिशत में) ?
4. विशाखापट्टणम की संपूर्ण जनसंख्या का 1901-2011 रेखीय आरेख तक पर रूपरेखा बनाइए ? आपको वहाँ की जनसंख्या के आकार में कौनसे बदलाव नज़र आते हैं ?

स्तर अनुसार भारतीय व्यवस्था

भारत की जनगणना, भारतीय व्यवस्था को एक कसौटी पर सुव्यवस्थित करती है। तालिका 7.3 में जनगणना विभाग की विभिन्न व्यवस्थाओं की परिभाषाएँ दी गई हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर इस अभ्यास को पूरा कीजिए।

पृष्ठ 97 पर एक पिरामिड दिया गया है। पिरामिड का सबसे निचला भाग व्यवस्था पदानुक्रम का सबसे निम्न स्तर, भारतीय जनगणना को दर्शाता है। ऊपरी भाग सबसे ऊँचा स्तर दर्शाता है। इनके जो रिक्त स्थान दिये गये हैं उन्हें पूरा कीजिए :

1. व्यवस्था के विशेष स्तर को दिया गया नाम है? (दो उदाहरण बतलाए गए हैं)
2. तेलंगाणा की किसी एक व्यवस्था का उदाहरण दीजिए (बड़े नगरों को छोड़कर, क्यों?)
3. आप किस नगर में रहते हैं उसे उचित स्तर पर रखिए (यदि आप गाँव में रहते हैं तो उस नगर को दिखाइये जहाँ आपकी पाठशाला स्थित है।) अपने पसंदीदा 1 या 2 कारण बताइए।
4. आपके विचार में क्या व्यवस्था को जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए? क्या

तालिका 3 : भारतीय व्यवस्था वर्गीकरण में


व्यवस्था प्रकार	संकल्पना का उपयोग	उदाहरण
महानगर (Megacities)	शहर जहाँ 10 मिलियन से अधिक लोग हैं।	* ग्रेटर मुंबई UA (जनसंख्या 18.4 मिलियन) * दिल्ली UA (जनसंख्या 16.3 मिलियन) * कोलकाता UA (जनसंख्या 14.1 मिलियन)
2. मेट्रोपॉलियन/ 10 लाख से अधिक लोग	शहर जहाँ की जनसंख्या एक मिलियन से 10 मिलियन के मध्य है।	* चेन्नई (8.6 मिलियन) * हैद्राबाद (7.8 मिलियन) * अहमदाबाद (6.2 मिलियन)
3. शहर (प्रथम श्रेणिक शहर)	शहरी क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या जनसंख्या 1 लाख से 1 मिलियन तक हो।	अपने अध्यापक की सहायता से उन तीन शहरों को पहचानिए और आन्ध्र प्रदेश की जनसंख्या का ब्यौरा दीजिए।
4. नगर	वे सभी शहरी क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 5000 से 1 लाख के मध्य हैं।	अपने अध्यापक की सहायता से तीन नगरों को पहचानिए और अपने पास के क्षेत्र की जनसंख्या का ब्यौरा लिखिए।
5. राजस्व ग्रामीण जनगणना	एक सीमांकित गाँव	अपने अध्यापक की सहायता से तीन राजस्व गाँव पहचानिए और अपने पास के क्षेत्र की जनसंख्या का ब्यौरा लिखिए।
6. उपगाँव	एक राजस्व गाँव में घरों का समूह।	अपने अध्यापक की सहायता से आपके निकटस्थ क्षेत्र के दो राजस्व गाँव पहचानिए।

आप कोई दूसरा रास्ता बता सकते हैं? अपने अध्यापक के साथ विचार विमर्श कीजिए और इस वर्गीकरण की संकल्पना को पहचानिए।

भविष्य में, भारत भी अनेक आर्थिक प्रगति प्राप्त देशों की तरह प्रधान रूप से एक नगरीय देश बन जाएगा।

भारत में नगरीकरण

भारत में लगभग 350 मिलियन जनसंख्या का 1/3 भाग शहरों और नगरों में रहता है।



लोग अधिक संख्या में कृषि से हटकर कार्य कर रहे हैं और शहरों और नगरों में रह रहे हैं। इसी को नगरीकरण कहते हैं। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग सन् 1950 में 5.6 लाख गाँवों में रहता था और उस समय केवल 5 शहर थे जहाँ के हर शहर की जनसंख्या एक मिलियन से अधिक थी और एक लाख जनसंख्या वाले शहर 40 थे। जनगणना 2011 के अनुसार गाँवों की संख्या बढ़कर 6.4 लाख हो गई है और लगभग 850 मिलियन लोग इन गाँवों में रहते हैं। तीन शहरों मुम्बई, दिल्ली और कोलकाता में लगभग 10 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। 50 से अधिक शहरों में एक मिलियन जनसंख्या है।



चित्र 7.6 : दिल्ली में न्यून आय वाले व्यक्तियों के आवासीय क्षेत्र

शहरों में और नगरों में जनसंख्या वृद्धि का कारण था शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक विकास। इन शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। कुछ शहरी क्षेत्रों में यह विकास फैलाव के कारण हुआ जिनमें ग्रामीण क्षेत्र भी थे, जो पुराने शहर एवं नगर के चारों ओर थे। केवल 1/5 वृद्धि ग्रामीण से शहरी प्रवासन के कारण हुई।

हालांकि नगरीकरण में वृद्धि हुई है। लेकिन इनके विकास के लिए मूल आधारित संरचना की व्यवस्था पूर्णतः अपर्याप्त है। सड़क व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था, विद्युत, जल और दूसरी नागरिक सुविधाएँ भी चाहिए। सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा शहरी संरचना में मुख्यतः जो सड़क परिवहन से जुड़ी है उनमें, कुछ निश्चित दिशा में सुधार दिखाई देता है। फिर भी विद्युत, जल और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी नज़र आती है। नगरों और शहरों के निर्धन लोगों में ये स्थिति और विकृत नज़र आती है।

नगरीय भारत किस प्रकार भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है? सेवा क्षेत्र के कार्य जैसे - सूचना प्रौद्योगिकी वित्त व्यवस्था, बीमा कार्य, भूमि और व्यापार सम्बन्धी सेवा कार्य जैसे परिवहन, भंडारण सूचना और संचार, आदि का योगदान औद्योगिक क्रियाओं में अधिक होता है। पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक उत्पादन में भी कोई बड़ा विकास नहीं हुआ है। अधिकांश उत्पादन सेवा गतिविधियों से प्राप्त होता है।

शहरों में और नगरों में जा कर बसना केवल कुछ लोगों के लिए ही एक वरदान है। हालांकि गाँवों से शहरों में निर्धनता का स्तर कम है फिर भी एक निम्न आय वाले परिवार की सामान्य आय में और एक उच्च आय वाले परिवार में विशाल अंतर होता है। यह अंतर शहरों और नगरों में बढ़ता जा रहा है। शहरों में अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों की आय दूसरे जाति समूहों से निम्न होती है। सन् 2009-10 में केवल 1/6 शहरी जो अन्य जाति समूह के थे, निर्धन थे। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का निर्धनता स्तर इनसे दुगुना था। ये निर्धन अधिकतर मेट्रोपोलियन (महानगरों) शहरों में निवास नहीं करते थे और असंगठित क्षेत्र में कार्य करते थे।

अधिकतर उन नगरों एवं शहरों में लगातार जनसंख्या वृद्धि का कारण सहज कारण एवं सुविधाएँ माना जाता है। समयानुसार शहरों में जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई है। नगरों में व्यवस्था का प्रमुख कारण विस्तार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास शहरों का विकसित होना है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन 1/5 वृद्धि देखी गई है।

नगरीकरण की समस्याएँ

नगरीकरण का अर्थ केवल लोगों को बड़े अवसर प्राप्त होना या अधिक आर्थिक उत्पादन ही नहीं होता। इससे अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास का भी प्रबन्ध करना पड़ता है। उनके लिए जल सुविधा, मल निकास की सुविधा और अन्य व्यर्थ पदार्थ के निष्कासन की सुविधा, यातायात इत्यादि की सुविधा प्रदान करनी पड़ती है। इन सब का परिणाम होता है पर्यावरणीय तनाव। एक वाहन के उपयोग से शहर में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है जिसके कारण स्वास्थ्य की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं और स्थानीय जलवायु में भी बदलाव आ जाता है। मल-निकास की पद्धति अनियमित होने से अनेक बड़ी संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

नगरीकरण में वृद्धि का एक और प्रभाव है ऐसी वस्तुओं का उपयोग जो कम नहीं होती हैं या कम होने में अधिक समय लगाती हैं। इससे व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन्हें निष्कासित करना पड़ता है। इन व्यर्थ पदार्थों को कहाँ पर रखा जाता है? जैसे जैसे शहरी केन्द्रों का विस्तार हो रहा है, इन व्यर्थ पदार्थों को ग्रामीण क्षेत्रों में धकेल दिया जा रहा है। जहाँ या तो उन्हें केवल फेंक दिया जाता है या व्यर्थ उपचारिक संयंत्र में ले जाया जाता है।

एरोट्रोपोलिस (उड़डयन शहर)

अनेक देशों में भारत को मिलाकर एक नए प्रकार की व्यवस्था घटित हो रही है। यह व्यवस्थाएँ विशाल हवाई अड्डों के आस-पास केंद्रित हैं। इसीलिए इसे नाम दिया गया है एरोट्रोपोलिस (उड़डयन शहर)

एक एरोट्रोपोलिस में हवाईअड्डा अपने स्वयं के अधिकारों से एक शहर की तरह ही कार्य करता है। वहाँ पर कई सुविधाएँ (जैसे होटलें, शॉपिंग, मनोरंजन, आहार, व्यापार से जुड़ी बैठकें आदि) उपलब्ध करवायी जाती हैं। लोग जहाँ पर आकर अपना व्यापार करते हैं अपने प्रतिनिधियों के साथ उस स्थान पर आकर व्यापार की बातचीत कर सकते हैं उन्हें यहाँ शहर के समान ही सभी सुविधाएँ मिल जाती हैं। उन्हें यातायात या अन्य समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है और वापस उड़ कर चले जाते हैं।

भारत में भी कुछ एरोट्रोपोलिसों का निर्माण हो रहा है। इनमें कैंपेगौड़ा अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा (बेंगलुरु), इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा (दिल्ली) और राजीव गाँधी अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा (हैदराबाद) प्रमुख हैं।

अन्य देशों में ऐसे एरोट्रोपोलिस नगर के उदाहरण हैं- सुवर्णभूमि अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा (बांगकाक, थाईलैंड) दुबई अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा (दुबई UAE), काइरो अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा (काइरो, मिश्र) और लंदन हीथ्रो हवाईअड्डा (लंदन U.K)

- एरोट्रोपोलिस का केन्द्र क्या होता है?
- कोई दो सुविधाएँ बताइए जो वही एरोट्रोपोलिस पर या उसके केन्द्र के समीप पायी जाती हैं?
- विश्व के मानचित्र पर उदाहरण में दिए गए शहर को पहचानिए और अंकित कीजिए। देश एवं हवाई अड्डे का भी नाम मानचित्र पर लिखिए। देशों के नाम, शहरों के नाम तथा हवाईअड्डों के नाम पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के चिह्नों का (अक्षरों या शब्दों में) उपयोग कीजिए। इससे, आपको कौन से शब्द किस देश के नाम हैं, तथा कौन से शहर एवं हवाईअड्डे हैं यह देखना काफी सरल होगा।
- सोचो कि आपने इस अध्याय में जिस स्थान के विषय में पढ़ा है उसके समीप एक एरोट्रोपोलिस आ जाता है। ऐसे तीन प्रसंग बताइये जिनके द्वारा स्थान विशेषता में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार स्थिति विशेषता में होने वाले तीन प्रसंगों के बारे में बताइये जिनके द्वारा परिवर्तन होते हैं।

भारत में ऐतिहासिक एवं भौगोलिक विशेषताएँ व्यवस्था का विस्तार एवं लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान का प्रवासित होना मुख्य कारण है।

प्रवासन:

मनुष्य अपने स्थान से दूसरे स्थान पर उचित अवसरों के लिए आवासित होता है तो उसे प्रवासन कहते हैं। यह प्रवासन विभिन्न कारणों से हो सकता है जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक।

स्थानांतरण के स्वरूप का मापन व वर्गीकरण

स्थानांतरण से कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण उत्पन्न होते हैं स्थानांतरित मनुष्यों की पहचान के लिये दो मुख्य कसौटीयों का जनसंख्या मापन के लिये प्रयोग किया जाता है:-

”जन्मस्थान” - स्थान जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया

”अंततः वास्तविक निवास स्थान का स्थान” जहाँ व्यक्ति लगातार छह माह से अधिक समय से रह रहा हो।

- यहाँ कुछ लोगों की सूची दी जा रही है जिन्हें स्थानांतरित व अस्थानांतरित में वर्गीकृत कीजिए उनके स्वरूप को सूचित कीजिए हैं और संभावित कारणों की कल्पना करें।

नाम	वर्तमान पता विगत छह माह से	जन्मस्थान	स्थानांतरित या अस्थानांतरित	स्थानांतरण का स्वरूप गाँव से शहर, शहर से शहर शहर आदि व संभावित कारण
सिंधु	बिज्वार	महाबूब नगर जिले का गाँव		
ग्रेस ओविया	हैदराबाद	मुंबई		
अली an NRI	नयी दिल्ली	लंदन		
रामय्या	हैदराबाद	मोगीलीदोरी		
लक्ष्मी	तिम्मापुरम (केवल दो माह)	रंगारेड्डी जिले में विकाराबाद		
स्वाती	करीमनगर जिले में गाट्लानरसिंगापुर	हैदराबाद		तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा ग्रुपIV की परीक्षा उत्तीर्ण

2011 की गणना के अनुसार भारत में लगभग 30.7 लाख लोग स्थानांतरित हुये। स्थानांतरण के कई कारण थे, जहाँ महिलाओं ने विवाह को सामान्य कारण बताया, वहीं पुरुषों ने रोजगार की तलाश व रोजगार की उपलब्धि को सामान्य कारण बताया। रोजगार के अवसरों की उपलब्धता से असंतोष, शिक्षा के उत्तम अवसर, उद्योग में हानि, पारिवारिक कलह यह, वे विभिन्न कारण थे जिसे सामान्यतः जनता ने गणना के समय दर्शाया।

“क्या आप इससे सहमत हैं कि अधिकतर बच्चे प्रवासीय परिवारों के होते हैं जो विद्यालय छोड़े देते हैं।” आपके क्षेत्र के उदाहरण देकर इसे समझाइए।

मौसमी व अस्थायी प्रवासन

राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार में भारत का प्रत्येक चौथा व्यक्ति प्रवासित था, 2001-2011 के समय प्रवासन स्थानांतरण में वृद्धि हुयी परंतु 1980 वर्ष के समान नहीं। यह राज्य के भीतर या राज्य के बाहर का प्रवासन था। आपने रामय्या की कहानी पढ़ी जिसने गाँव से शहर की ओर गमन किया था आपने गाँव से शहर की ओर गमन करने वाले श्रामिकों का भी साक्षात्कार लिया। आपने गाँव से शहर की ओर आने वाले लोगों की सांख्यिकी को भी परीक्षित किया और प्रवासन के कारणों को भी जाना लेकिन, यह महत्वपूर्ण है कि गाँव से गाँव के प्रवासन में वृद्धि हुई है। पर यह जनगणना में सूचित नहीं होता क्योंकि इसकी समय अवधि छः माह से कम होती है। ऋतुनिष्ठ स्थानांतरण को भारत में कम महत्व दिया गया। स्थानांतरण संबंधी सीमा परिभाषा ने भारतीय जनगणना में ऋतुनिष्ठ स्थानांतरण को गौण महत्व दिया।

ग्राम से ग्राम में स्थानांतरण


महाराष्ट्र भारत के शक्कर उत्पादक राज्यों में से एक है। इसकी 186 सहकारी शक्कर फैक्टरियाँ हैं। कोईना (Koina) बाँध के बनने के पश्चात महाराष्ट्र में 1970 में बड़ी मात्रा में गन्ना उत्पादन आरंभ हुआ। एक सर्वेक्षण के अनुसार पता लगा है कि लगभग 6,50,000 मजदूर गन्ना कटाई के लिये मध्य महाराष्ट्र से पश्चिम महाराष्ट्र को प्रतिवर्ष स्थानांतरित होते हैं। जिसमें लगभग 2,00,000 प्राथमिक विद्यालय के छात्र होते हैं जो (6-14) वर्ष के बच्चे होते हैं वे अपने परिवार के साथ आते हैं।

फैक्टरियों के द्वारा मौसम के समय कर्टा के लिए गन कर्टा शिविर लगाये जाते हैं। ये खेतों के पास ही होते हैं। प्रत्येक परिवार को बाँस की चादर व बाँस की लकड़ियाँ प्रदान की जाती है।

एक बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर कमी अवधि के लिये स्थानांतरित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव के कारण ये मुख्यतः कृषि मजदूर होते हैं और अधिकतर गरीब खेतीहार मजदूर, दलित, आदिवासी होते हैं।

1990 के राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर समिति की रिपोर्ट के अनुसार असमान विकास, क्षेत्रीय विभिन्नता, आदिवासी क्षेत्रों में मनुष्यों का अतिक्रमण, बाँधों का निर्माण, खनन कार्य आदि के दबाव में ऋतुनिष्ठ स्थानांतरण प्रभाव में आया ।

वृत्त चित्र 1 सीमित अवधि के स्थानांतरण की सामाजिक पृष्ठ भूमि भारत में 2007,08



स्रोत: 2007-08 में भारत में प्रवासन एन.एस.एस. स्थावरुण्ड, रिपोर्ट नं. 533(64 10.2.2) नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंपलिमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

कृषि के क्षेत्र में कृषि अधिपति स्थानांतरित मजदूरों के मूल स्थान पर जाकर ठेकेदारों (संविदाकार), व्यापारियों आदि की नियुक्ति करते हैं जो उन्हीं की जाति व समुदाय के होते हैं। यह व्यापारी और सबिंदाकार (ठेकेदार) रोजगार नियोजकों (मालिकों) की माँग के अनुसार दिल्ली, कर्नाटक में कॉफी उत्पादन पंजाब आदि में कृषिकार्य, आदि के लिये मजदूरों की व्यवस्था करते हैं। नये स्थानांतरित मजदूर पुराने स्थानांतरित मजदूरों के संग आते हैं। ठेकेदार (संविदाकार) मजदूरों से भी राशि लेते हैं और नियोजकों से भी आय प्राप्त करते हैं। कभी-कभी यही ठेकेदार कार्य निरीक्षकों का भी कार्य कर लेते हैं।

गाँव से शहर में प्रवासन

मनुष्य गाँव से शहर की ओर मुख्यतः रोजगार के अवसर और अनिश्चित आय के कारण स्थानांतरित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य उच्च आय और अपने परिवार के सदस्यों के लिए

- जब ग्रामीण क्षेत्र से व्यक्ति प्रवासित होते हैं तो कौन-सा ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित होता है तथा कितने मनुष्यों को हानि होती है? क्यों?
- शहरों में किन क्षेत्रों में ग्रामीण प्रवासित व्यक्ति रोजगार प्राप्त करते हैं? इसके क्या कारण हैं?

उत्तम रोजगार अवसर तथा उत्तम सेवाओं की अपेक्षा भी रखते थे। रामय्या संगठित क्षेत्र में नौकरी पाने में सफल हुआ पर अधिकतर स्थानांतरित ग्रामीण, मजदूरों के रूप में असंगठित क्षेत्र में कार्य प्राप्त करते हैं। वे रिक्शा चालक, फेरी वाले, पेंटिंग करने वाले, मरम्मत करने वाले और श्रमिकों के कार्य ज्यादा कर पाते हैं।

कुछ व्यक्ति जो शहर और नगरों में आते वे उद्योगों और संगठित सेवाक्षेत्र में कार्य करते थे और अन्य सेवा उपक्रमों में आय बढ़ाने के अवसर पाते थे तथा अपने आय, शिक्षा और अवसरों को बढ़ाते थे। उनमें नये कौशलों और रोजगार वृद्धि की भी संभावनाएँ बढीं। शहरों में जाति और वर्ग आधारित भिन्नता अधिक दिखायी नहीं देती पर ऐसे व्यक्ति जिन्हें अधिक

- किसी एक का साक्षात्कार कीजिए वो आपके शहर में असंगठित क्षेत्र में मजदूर के रूप में कार्य कर रही है उस घरेलू महिला मजदूर की कहानी अपने शब्दों में लिखिए (रामय्या की कहानी पढ़ो)
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो तो ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार कीजिए जो अपना अवकाश मनाने मूलस्थान आया हो (रामय्या की कहानी पुनः देखो)
- दोनों भिन्न स्थितियों की तुलना कीजिए।

रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और निराशा में वे गाँवों से शहरों की ओर स्थानांतरित होते हैं ऐसे लोगों के लिए शहरों व नगरों में कम स्थान की वजह से बस्तियों में रहना पड़ता है। उन्हे संगठित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता नहीं होती और इसीलिए रोजगार सुरक्षा नहीं होती है। वे पिछड़े (गंदी) (दैनंदिन) के रोजगार को प्राप्त करते हैं और दैनिक मजदूर कहलाते हैं।

कई परिवार अपने जन्मस्थान और स्थानांतरित निवास पर आते जाते रहते हैं। वे कार्य अवसर और ऋतु पर आधारित होते हैं। स्थानांतरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि परिवार

के सभी सदस्य स्थानांतरित हो कभी-कभी पत्नी और अन्य सदस्य गाँवों में ही निवासित रहते हैं।

नगरों में गमन करने वाले व्यक्ति अपने कौशल व शिक्षण के आधार पर विभिन्न तकनीकी सहायता से कार्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

मुख्यतः ग्रामीणवासी शहर आने के पूर्व अपने संबंधों व संपर्कों के आधार पर रोजगार (कार्य) आयोजन कर ही शहर आते हैं। ये विभिन्न कारणों के कारण अपने ग्रामीण क्षेत्रों से गहरे संबंध बनाये रखते हैं। कभी-कभी स्थानांतरित व्यक्ति अपने शहरी अवसर ग्राम स्थानांतरण करते हैं जिससे वे ग्राम्य आधारित रोजगार ढूँढें। अधिकतर मामलों में कई परिवारों के लिए प्रवासन जीवित रहने का साधन होता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन (देशान्तरण)

विश्व के लगभग 200 लाख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में से एक तिहाई, 7 करोड़ से कम व्यक्ति (UNDP) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार एक विकासशील राष्ट्र से दूसरे विकासशील राष्ट्र को देशांतरित हो रहे हैं। भारत में यह अंतर्राष्ट्रीय देशान्तरण प्रवासन दो रूपों में हो रहा है।

प्रथम श्रेणी में वह मनुष्य आते हैं। जिनके पास तकनीकी कौशल व व्यवसायिक विशेषज्ञता है वे विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, केनेडा, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया आदि देशों में प्रवासित हो रहे हैं। इनमें IT व्यवसायिक, चिकित्सक, प्रबंधन व्यावसायिक आदि उदाहरण योग्य हैं। वे भारतीय जो 1950 व 1960 में इंग्लैंड व केनाडा में प्रवासित हो रहे थे अधिकतः कौशलहीन थे परंतु आगामी वर्षों में व्यावसायिक ज्ञाता ने इन देशों को जाना प्रारंभ किया। वर्तमान समय में भारतीय व्यावसायिक जर्मनी, नार्वे, जापान, मलेशिया आदि राष्ट्रों को भी जा रहे हैं। 1950 में जहाँ 10,000 भारतीय प्रतिवर्ष विकसित राष्ट्रों को जा रहे थे वही 1990 में यह संख्या बढ़कर 60,000 प्रतिवर्ष हो गयी ।

द्वितीय श्रेणी में उस तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आते हैं जो या तो कम कौशलात्मक थे या बिल्कुल कौशलहीन। वे मजदूरों के रूप में तेल निर्यातक देशों पश्चिम एशिया में अस्थायी अनुबंधों पर जाते थे।



- विश्व के मानचित्र में उन देशों को रेखांकित कीजिए जहाँ भारतीय प्रवासन कर रहे हैं। जिसका उल्लेख उपरोक्त अनुच्छेद में किया गया है ।

अधिकतः ये सारे श्रमिक एक सीमित समय के उपरांत अपने देश को लौट आते हैं। यह वहाँ के कार्य पर निर्भर होता है। विगत कुछ दशकों से साऊदी अरब व UAE पश्चिम एशिया के वह राष्ट्र है जहाँ पर करीब तीस लाख भारतीय श्रमिक प्रवसन कर रहे हैं। प्रति वर्ष 3 लाख भारतीय श्रमिक पश्चिम एशिया को देशांतरित होते हैं जिसका 3/5 भाग केरल, तमिलनाडू और आन्ध्र प्रदेश से जाता है। एक नियमित वर्ग इन श्रमिकों में से निर्माणाधिन कार्यों, सेवाओं, प्रबंधन, यातायात, दूरसंचार आदि में निमग्न होता है।

जब मनुष्य स्थानांतरित होते हैं तो क्या होता है?

कौशलहीन प्रवासी जो अधिकांश शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें अपने देश में काम के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानांतरित श्रमिक अपना अधिक धन भोजन हेतु व्यय करते हैं क्योंकि उनके कार्यस्थल पर राशन (उचित मूल्य) दुकानों की व्यवस्था नहीं होती। वे बहुत ही कटु और अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं। जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कष्टों व अधोमुखी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग खादानों, ईट बनने, निर्माण कार्य और खानों में कार्य करते हैं वे अधिकतः शरीर के दर्द, लू लगने, त्वचा की खुजली व फेफड़ों संबंधी बीमारियों से पीड़ित होते हैं यदि नियोजक सुरक्षा संबंधी मानदंडों का पालन नहीं करते तो औद्योगिक क्षेत्रों व निर्माणाधिन क्षेत्रों में दुर्घटनाएँ भी घटित हो सकती हैं। स्थानांतरित मजदूर असंगठित क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण उन्हें स्वास्थ्य व परिवार रक्षण कार्यक्रमों की सुविधा भी प्राप्त नहीं होती है तथा महिला श्रमिकों को प्रसव अवकाश भी उपलब्ध नहीं होता इसलिये वे प्रसव के तुरंत बाद कार्य पर लौट आती हैं।

स्थानांतरित परिवार अपने साथ शिशुओं को भी लाते हैं जिन्हें शिशु विहार उपलब्ध नहीं होते। यह शिशु बड़े होते हैं तो उन्हें विद्यालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है और न वे मूल स्थान में पढ़ाई कर पाते हैं और न अभिभावकों के कार्य स्थल पर अंततः वे विद्यालय छोड़ने वाले छात्र बन जाते हैं। यदि पुरुष कार्य के लिये चले जाये तब स्त्रियों के लिये एक गंभीर चुनौती बन जाती है कि वह परिवार के सारे दायित्वों के निभाये व वृद्धजनों की सेवा भी करे। तरुण किशोरियों (लडकियों) के लिये आवश्यक हो जाता है कि वह अपने भाई बहनों का संरक्षण करे इस तरह वह भी विद्यालय छोड़ने पर विवश हो जाती हैं।

स्थानांतरित लोगों पर स्थानांतरण महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ जाता है। अनाश्रयता, विविध वातावरणीय स्थिति, तनाव, भोजन उलब्धता, सामाजिक परिस्थितियों का प्रवासियों पर गंभीर

- ऐसा क्या किया जाये कि प्रवासी लोगों को भी भोजन, स्वास्थ्य व परिवार रक्षण योजनाएँ उपलब्ध हो?
- सरकार व सामाजिक संगठनों द्वारा कई कार्य इनके लिए प्रारंभ किये गये यदि आपके क्षेत्र में ऐसे कार्य प्रारंभ हुये हैं तो उन संस्थाओं के किसी व्यक्ति को वार्ता के लिये विद्यालय में आमंत्रित करे।

प्रभाव पड़ता है। यह उनके स्थानांतरण की अवधि पर भी निर्भर होता है। उन्हें नये महत्वपूर्ण विचारों के लिये प्राचीन सिद्धांतों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।

भारत में लगभग एक तिहाई परिवार स्थानांतरित लोगों द्वारा भेजे गये धन (प्रेषित धन) पर निर्भर है। अधिकतर ऋतु निष्ठ प्रवासी धन प्रेषित करते हैं या शेष धन अपने साथ लाते हैं।

प्रवासी, परिवारजनों को कर्जा और अन्य कठिनाईयों में डालते हैं। सामान्यतः यह भी देखा गया है कि प्रवासी परिवार अपने लिये घर, जमीन कृषि योग्य यंत्र व अन्य उपभोक्ता वस्तुएँ खरीद लेते हैं। कुछ प्रवासी अपने स्थानों पर रोजगार भी प्राप्त कर लेते हैं। लगातार स्थानांतरण से वे निर्धारित स्थानों के रोजगार व रोजगार कौशलों की जानकारी रखते हैं और उनके अनुरूप कार्य दक्षता प्राप्त करते हैं। वे नियमित रोजगार कैसे प्राप्त करें और नियमित या स्थायी रूप से प्रवासी बनने की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के नियम

प्रवासी कानून 1983 का भारतीय कानून, जो प्रवासी भारतीयों से संबंधित है वह प्रवासी भारतीयों की सुविधाओं और रक्षा का पूर्ण ध्यान रखता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों में जो दूतावास स्थापित किये गये वह प्रवासी भारतीयों को कानूनी संरक्षण व कल्याणात्मक सुविधाएँ प्रदान करते हैं। यदि प्रवासी श्रमिक अपने रोजगार सवेंदकों (Agents) से कोई धोखेबाजी पाते हों तो दूतावास प्रवासी कानून के अनुसार उनकी रक्षा करते हैं। दूतावास कभी - कभी धोखेबाजी करने वाले रोजगार सवेंदकों के आदेशों को अवधिपूर्व रद्द भी कर सकते हैं। कभी - कभी रोजगार सवेंदक प्रवासी श्रमिकों से अनुबंध के अतिरिक्त कार्य करवाने, अनुबंधित वेतन से कम वेतन देने या कम अधिक लाभ उठाने, या अतिरिक्त कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन न देना, श्रमिक के पासपोर्ट को उनके पास न रखने देना है आदि वह शिकायतें हैं जो अधिकतर प्रवासी भारतीय श्रमिकों की शिकायतें होती हैं पर कभी - कभी प्रवासी भारतीय श्रमिक अपने विदेशी स्वामियों के विरुद्ध शिकायतें नहीं करते ताकि वह अपने नौकरियों को न खो दें।



चित्र 7.7 : राष्ट्रीय सीमाएँ स्थानांतरण के सुरक्षा हेतु यहाँ कुछ उदाहरण दिये गये (a) मेक्सिकन सीमा पर U.S.A. की रोक (b) दक्षिण कोरिया का उत्तरी कोरिया की सीमा पर (c) भारत और बाँलादेश की सीमा पर मनुष्य द्वारा सीमा पार करने के विषय में आप क्या सोचते हैं?

मुख्य शब्द

व्यवस्था	महानगर	उड्डयन	शहरीकरण	महानगरीय शहर
प्रवासन	अप्रवासी	उत्प्रवास	सीमाएँ	ऋतुनिष्ठ प्रवासन

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

1. व्यवस्था किसे कहते हैं?
2. व्यवस्थाएँ किस प्रकार मानव की जीवन शैली में परिवर्तन लाती हैं?
3. भारतीय जनगणना किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करता है? वह किस प्रकार उन्हें आकार एवं विशेषताओं में व्यवस्थित करता है?
4. उड्डयन शहर क्या है? इसकी रचना कैसी की जाती है?
5. पृष्ठ 100 का अनुच्छेद पढ़िए। “स्थानांतरित परिवार विवरा हो जाती है। कई उनमें से स्कूल छोड़ देते हैं। इस पर टिप्पणी कीजिए।
6. ग्राम से शहर एवं गाँव से गाँव प्रवासन के तुलना कर विविधता बताइए।
7. क्या आप सोचते हैं कि प्रवासित व्यक्ति समस्या उत्पन्न करने वाले/समस्यात्मक अपने स्थान के लिए होते हैं? अपने उत्तर को न्यायसंगत बताइए।
8. किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए ग्रामीण से शहरों में खरीददारी को बल देता है?
9. व्यवसायिक योग्यता व्यक्ति ही क्यों विकसित देशों में जाते हैं? क्यों अकुशल श्रमिक इन देशों में नहीं जाते हैं?
10. आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में समानताएँ एवं विषमताएँ बताइए?
11. भारत के मानचित्र में दर्शाइए।
 1. चेन्नई
 2. बेंगलुरु
 3. दिल्ली
 4. हैदराबाद
 5. कोलकत्ता

परियोजना कार्य

अप्रवासी या उत्प्रवासी व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त कीजिए।

क्र.सं	उत्प्रवासी मुखिया	कुल उत्प्रवासी	स्थान जहाँ वे प्रवासित हुए	प्रवासन का कारण	उस स्थान की स्थिति	स्थानांतरण के पश्चात स्थिति

जानकारी प्राप्त कर स्थितियों का विश्लेषण एवं समाधान प्राप्त करने का प्रयास कीजिए।

वाद-विवाद:

शहरीकरण वृद्धि समस्यात्मक या विकासात्मक होता है? कक्षा-कक्ष में इसका संचालन कीजिए।

अध्याय 8

रामपुर गाँव : एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(Rampur : A Village Economy)

रामपुर गाँव की कहानी

एक गाँव की यह कहानी, एक गाँव में उत्पादन गतिविधियों के विभिन्न प्रकार के माध्यमों से हमें अवगत करवायेगी। भारत के गाँवों में खेती मुख्य उत्पादन गतिविधि है। गैर कृषि गतिविधियों में अन्य उत्पादन गतिविधियाँ, छोटी विनिर्माण, परिवहन, दुकान आदि शामिल हैं। हम इस अध्याय में गतिविधियों के इन दोनों प्रकारों को देखेंगे। उत्पादन प्रणालियों का विश्लेषण एक खेत या कारखाने के किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक तत्वों में कुछ विचारों का उपयोग कर किया जा सकता है। बदले में उत्पादन का लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जा सकता है।

यह रामपुर गाँव की कहानी है। (बदला हुआ नाम) लेखक यहाँ गए और इस क्षेत्र में रुके थे और बारीकी से विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया था। यह लेख उसी पर आधारित है। लेखक ने समय के बदलाव के साथ गाँव में हुए कई बदलावों पर ध्यान दिया है। हो सकता है आप कहानी पढ़कर ऐसा सोचते हैं कि रामपुर के समान परिस्थिति आपके क्षेत्र में भी होगी। या स्थिति अलग है? यदि हाँ, तो किस तरह से ?

इस अध्याय में आप अपनी स्थिति या अखिल भारतीय स्थिति के संपर्क में आयेंगे। उदाहरण के लिए हम रामपुर में जमीन के वितरण पर चर्चा करते हैं। हम यह भी जाँच करते हैं कि भारत में क्या हुआ है? हमें लगता है कि इसमें मजबूत समानताएँ हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा रामपुर कुछ विशेष सुविधाओं से भरा है इसकी सुविधाएँ कुछ बदलाव के साथ भारत भर में प्रचलित हैं। इसकी भी तुलना अपने क्षेत्र से की जा सकती है।

- आप कृषि के बारे में क्या जानते हैं? फसलें विभिन्न मौसमों में किस प्रकार बदलती है? कृषि से संबंधित अधिकांश लोग भू-स्वामी हैं या मजदूर है?

रामपुर में खेती



रामपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में गंगा बेसिन के उपजाऊ अलुवियल मैदानों में स्थित है। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि समृद्ध क्षेत्र का एक सन्निहित भाग है। यह गाँव पड़ोसी गाँवों और शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रायगंज एक बड़ा गाँव है। यह रामपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एक सड़क निकटतम छोटे शहर जहाँगीराबाद (12 किलोमीटर दूर) को रायगंज से जोड़ती है। परिवहन के कई साधन जैसे :- बैलगाड़ी, तांगा, बोगी (गुड़ और अन्य चीजों से भरे हुए)

(भैंस द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी) मोटर साइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक इस सड़क पर दिखाई देते हैं।

रामपुर में कृषि मुख्य उत्पादन गतिविधि है। काम कर रहे लोगों की आजीविका खेती पर निर्भर है। वे किसान या खेत मजदूर हो सकते हैं। इन लोगों की जीविका खेतों पर उत्पादन से संबंधित है।

भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन

भूमि, कृषि उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण कारक है। खेती के अंतर्गत आनेवाला भूमि क्षेत्र व्यावहारिक रूप से तय हो गया है। रामपुर में 1921 के बाद से खेती के अंतर्गत आने वाले भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। तब तक आसपास के जंगलों को मंजूरी दे दी गई थी और गाँव की बंजर भूमि में से कुछ कृषि योग्य भूमि में बदल रहे थे। खेती के अंतर्गत नयी भूमि द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

भूमि मापन

गाँवों में भूमि को एकड़ सेंट या गुंटा जैसी स्थानीय इकाइयों में मापा जा रहा है। हालांकि जमीन को मापने का मानक इकाई हेक्टेर है। एक हेक्टेर में 10000 वर्ग मीटर है। अपने स्कूल के लिए जमीन के क्षेत्र के साथ 1 हेक्टेर क्षेत्र की तुलना करें। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें।

रामपुर में खाली बेकार पड़ी कोई जमीन नहीं है। वर्षा के मौसम के दौरान (खरीफ) किसान ज्वार व बाजरा उगाते हैं। ये पशु चारे के रूप में भी उगाये जाते हैं। यह अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती के बाद होता है। सर्दियों के मौसम में (रबी) गेहूँ बोया जाता है। उत्पादन से, किसान अपने परिवार की खपत के लिए पर्याप्त गेहूँ रखने के बाद शेष गेहूँ राइंगंज बाजार में बेचते हैं। भूमि का एक हिस्सा साल में एक बार काटा जाता है, जिस पर गन्ना उगाया जाता है। गन्ना कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में पास के शहर जहाँगीराबाद में व्यापारियों को बेच दिया जाता है।

एक ही वर्ष के दौरान जमीन के एक ही टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने को बहु-फसलों के रूप में जाना जाता है। यह जमीन से उत्पादन में वृद्धि का सबसे आम तरीका है। रामपुर में भी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं, कई किसान तीसरी फसल के रूप में आलू उगा रहे हैं।

रामपुर में किसान, विकसित सिंचाई प्रणाली के कारण अच्छी तरह से एक वर्ष में तीन अलग फसलें पैदा करने में सक्षम है। बिजली भी रामपुर में जल्दी ही आ गयी। इसने सिंचाई की प्रणाली को बदल दिया। तब तक पारसी पहिये (Persian Wheels), कुँओं से पानी खींचने और छोटे से क्षेत्र में सिंचाई के लिए किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाते थे। लोग बिजली से चलाने के नलकूप से आसानी से जमीन के बहुत बड़े क्षेत्रों की सिंचाई कर सकते हैं। पहले कुछ नलकूप, लगभग पचास साल पहले सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे। जल्द ही, किसानों ने अपने स्वयं के नलकूपों की स्थापना करनी शुरू कर दी। नतीजतन 1970 के मध्य से 264 हेक्टेर के पूर्ण खेती क्षेत्र को सिंचित किया गया था।

भारत के सभी गाँवों में सिंचाई के ऐसे उच्च स्तर नहीं हैं। इसके अलावा नदीय मैदानों से, हमारे देश में तटीय क्षेत्र अच्छी तरह से सिंचित हैं। इसके विपरीत, पठार क्षेत्रों में जैसे दक्कन पठार में


सिंचाई के निम्न स्तर हैं। आज भी देश में 40 प्रतिशत से कुछ कम क्षेत्र सिंचित है। शेष क्षेत्रों में खेती वर्षा पर निर्भर है। भारत के क्षेत्रों के लिए अध्याय 1 देखें।

- अटलस को देखकर सिंचित क्षेत्रों की पहचान कीजिए। आपका क्षेत्र क्या इस श्रेणी के अंतर्गत आता है।

जमीन और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के गहन उपयोग से उत्पादन और पैदावार में वृद्धि हुई। जबकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमेशा न्यायसंगत ढंग से नहीं किया गया है। अनुभव बताते हैं कि भूमि की उर्वरता अति प्रयोग, रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की वजह से घट रही है। पानी की स्थिति भी उतनी ही खतरनाक है। रामपुर गाँव की तरह भारत में सिंचाई भूमिगत जल के दोहन पर आधारित है। नतीजतन भूमिगत पानी का स्तर देश भर में तेजी से गिर गया है। यहाँ तक कि जिन क्षेत्रों में भरपूर बारिश और पुनर्भरण के अनुकूल प्राकृतिक प्रणालियाँ हैं वहाँ पर भी पानी का स्तर कम हो गया है। पानी की तेज़ गिरावट के कारण किसानों को पहले से भी गहरे ट्यूबवेल ड्रिल करना पड़ रहा है। सिंचाई के लिए डीजल/विद्युत का उपयोग बढ़ जाता है। इन विषयों को जानने के लिए अध्याय-5, भारत की नदियाँ और जलसंसाधन तथा अध्याय-11 साम्यता के साथ दीर्घकालिक विकास में आपने जो पढ़ा है उसका पुनःस्मरण कीजिए।

- निम्नलिखित तालिका में भारत में कृषि योग्य भूमि (आरेख पर) मिलियन हेक्टेर की इकाइयों में दर्शायी गयी है। आरेख क्या दर्शाता है? कक्षा में चर्चा कीजिए।

Graph : 1



वर्ष	सिंचित क्षेत्र Area (in million hec)
1950	120
1960	130
1970	140
1980	140
1990	140
2000	140
2015	140

- आपने रामपुर में उगायी जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ा है। आपके क्षेत्र में उगायी जाने वाली फसलों की जानकारी के आधार पर निम्न तालिका भरिए।


फसल का नाम	मास (जिसमें बीज बोये जाते हैं)	संग्रहण मास	जल / सिंचाईके स्रोत (वर्षा, तालाब, ट्यूबवेल, नहर आदि)

- बहुफसलीय खेती के क्या कारण हैं?

रामपुर में भूमि वितरण

भूमि, खेती के लिए कितनी महत्वपूर्ण है आपको इसका एहसास हो गया होगा। दुर्भाग्य से, कृषि के क्षेत्र में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। रामपुर की जनसंख्या 2,660 हैं, यहाँ विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं। ऊँची जाति के परिवार गाँव की अधिकांश जमीन के मालिक हैं। उनके घर काफी बड़े, उनमें से कुछ, सीमेंट पलस्तर साथ ईंट से बने होते हैं। जनसंख्या का 1/3 भाग अनुसूचित जातियों (दलितों) का हैं, जो और अधिक छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें से कुछ अंश फूस का होता है और मुख्य गाँव क्षेत्र के बाहर, एक कोने में स्थित होता है।

रामपुर में, एक तिहायी (1/3) यानी 150 परिवार भूमिहीन हैं। भूमिहीनों में अधिकांश दलित हैं। मध्यम और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। बड़े किसानों में से कुछ के पास 10 हेक्टेर से अधिक भूमि है। 240 परिवार आकार में 2 हेक्टेर से कम भूमि के छोटे भूखंडों पर खेती करते हैं। ऐसे भूखंडों की खेती से किसान परिवार को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती है।



नक्शा 1 यह तेलंगाणा के गाँव में जमीन का एक नक्शा है।

1960 में गोविंद नामक किसान के पास 2.25 हेक्टेर असिंचित भूमि थी। अपने तीन बेटों की मदद से गोविंद खेती करता था। वे बहुत आराम से नहीं रहते थे, परिवार के पास एक भैंस थी जिस से अतिरिक्त आय प्राप्त होती थी। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष के बाद खेत को तीन बेटों के बीच विभाजित किया गया था। हर एक को केवल आकारमें 0.75 हेक्टेर जमीन का एक भूखंड मिला। यहाँ तक कि बेहतर सिंचाई और आधुनिक खेती के तरीकों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से जीविका प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। वर्ष के एक भाग के दौरान वे अतिरिक्त काम कर रहे हैं।


नक्शा 1, यह तेलंगाणा के गाँव में, जमीन का एक नक्शा है। आप विभिन्न आकार के भूखंडों और बड़ी संख्या में छोटे भूखंडों को देख सकते हैं।

- नक्शा 1 में भूमि के छोटे भूखंडों को छायांकित करें।
- किसानों के कई परिवार भूमि के ऐसे छोटे भूखंडों पर खेती क्यों करते हैं ?
- भारत में किसानों का वर्गीकरण और जितनी भूमि पर वे खेती करते हैं, उसका विवरण निम्न तालिका और वृत्त-चित्र में दिया गया है।

किसान के प्रकार	भूखंड का आकार	किसानों का प्रतिशत	भूखंड का प्रतिशत (कृषि क्षेत्र)
लघु कृषक	2 हेक्टेर से कम	87%	48%
मध्यम व बड़े कृषक	2 हेक्टेर से अधिक	13%	52%

सूचना :- यहाँ आँकड़े किसानों द्वारा खेती की भूमि को दर्शाते हैं। यह स्वामित्व या किराए पर लिया जा सकता है।

- सूचक चिह्न से क्या संकेत मिलते हैं? खेती की भूमि का वितरण भारत में असमान है। क्या आप इससे सहमत हैं ? समझाइए ।



उत्पादन के संगठन

चलिए, हम रामपुर में उत्पादन की समग्र प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। उत्पादन का उद्देश्य है लोगों की ज़रूरत की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। इसके अलावा निर्माता को उत्पादन के लिए अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

पहली आवश्यकता जमीन और प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, वन, खनिज है। हमने जमीन और पानी का उपयोग रामपुर में खेती के लिए किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में ऊपर पढ़ा है।

दूसरी आवश्यकता श्रम की है। यानि काम करने वाले लोगों की है। कुछ उत्पादन गतिविधियों में आवश्यक कार्य करने के लिए उच्च प्रशिक्षित और शिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अन्य गतिविधियों में हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। आम उपयोग के विपरीत, श्रम उत्पादन में, केवल शारीरिक श्रम को ही नहीं बल्कि मानव के सभी प्रयासों को दर्शाया जाता है। इंजीनियर, प्रबंधक, लेखापाल, पर्यवेक्षक, मशीन ऑपरेटर, बिक्री प्रतिनिधि और आकस्मिक श्रमिक सभी कारखानों को (उनके उत्पाद को बनाने और बेचने के लिए) श्रम प्रदान कर रहे हैं।

तीसरी आवश्यकता उत्पादन के दौरान हर स्तर पर आवश्यक आगतों की विविधता की है, यानी पूँजी की है। पूँजी के अंतर्गत आने वाली वस्तुएँ क्या हैं ?

(क) उपकरण, मशीन, इमारत

उपकरण और मशीनों की श्रृंखला में जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर स्वचालित मशीनों जैसे अत्याधुनिक मशीनें और एक किसान के हल के रूप में बहुत ही सरल उपकरण दोनों शामिल होते हैं। इनका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया में शीघ्रता से नहीं हो रहा है। वे कई वर्षों से इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मदद कर रहे हैं। ये वर्षों तक इस्तेमाल किये जा सकते हैं। बस कुछ मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसे अचल पूँजी या भौतिक पूँजी कहा जाता है। हालांकि सभी मशीनों और बेहतर उपकरणों को इस्तेमाल करने के कुछ वर्षों बाद बदला जा सकता है।

(ख) कच्चे माल और धन की आवश्यकता :

इस तरह बुनकर और कुम्हार द्वारा मिट्टी या धागे का उपयोग कच्चे माल के रूप में उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा उत्पादन के लिए, अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए और पूर्ण उत्पादन का भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उत्पादन को पूरा करने और उसके बाद बाजार में इन वस्तुओं या सेवाओं को बेचने में समय लगता है। उसके बाद ही पैसा उत्पादन की प्रक्रिया में वापस आता है। कच्चे माल और पैसे की इस आवश्यकता को 'कार्यशील पूँजी' कहा जाता है। उपकरणों, मशीनों या इमारतों के विपरीत उत्पादन चक्र में, इसका उपयोग किया जाता है इसीलिए यह भौतिक पूँजी से अलग है।

चौथी आवश्यकता तकनीकी और उद्यम है :

कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए एक सार्थक तरीके से जिस प्रकार भूमि, श्रम और भौतिक पूँजी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के लिए ज्ञान और आत्मविश्वास भी आवश्यक होता है। उनके द्वारा किराये पर लिये गये भौतिक पूँजी के प्रबंधक या मालिक उन्हें यह ज्ञान प्रदान करते हैं। मालिकों को बाजार के खतरे उठाने के लिए तैयार रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए पर्याप्त खरीददारी की आवश्यकता होती है। हमारे समाज, में सबसे अधिक माल और सेवाएँ बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित कर रहे हैं, इसीलिए बाजार के लिए उत्पादन उद्यमी को योजना, संगठन और प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। उद्यमी

किसान, दूकानदार, छोटे निर्माता, डॉक्टर, वकीलों, आदि या बड़ी कंपनियों के रूप में सेवा प्रदाता हो सकता है। उनके सामान या सेवाएँ लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं। वे लाभ कमा सकते हैं या नुकसान उठा सकते हैं।

उत्पादन भूमि, श्रम और पूँजी के तत्वों के संयोजन से उद्यमी या लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है। इन्हें उत्पादन के कारकों के रूप में जाना जाता है।



कृषि के लिए श्रम

जमीन के बाद, श्रम, उत्पादन के लिए अगला आवश्यक कारक है। कृषि में कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अपने परिवारों के साथ साथ अधिकतर छोटे किसान अपने खेतों में ही खेती करते हैं। आम तौर पर, वे खुद की खेती के लिए आवश्यक श्रम करते हैं। मध्यम और बड़े किसान अपने खेतों पर काम करने के लिए खेत मजदूरों को किराये पर लगाते हैं।

खेत मजदूर, छोटे भूखंडों वाले परिवारों से या भूमिहीन परिवारों से आते हैं। अपने स्वयं के खेतों पर काम कर रहे किसानों के विपरीत, खेत मजदूरों को जमीन पर उगाई जानेवाली फसलों पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसके बजाय वे जितना काम करते हैं, उसके लिए किसान उन्हें मजदूरी का भुगतान करता है। वे काम करने के लिए नियोजित किये जाते हैं।

मजदूरी नकद या वस्तु (फसल) में की जाती है। कभी कभी मजदूरों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी (बुवाई और कटाई) एक खेत गतिविधि से दूसरी फसल से फसल, क्षेत्र से क्षेत्र भिन्न होती है। रोजगार की अवधि में व्यापक बदलाव होता है। एक खेत मजदूर दैनिक आधार पर कार्यरत हो सकता है या एक विशेष खेत गतिविधि कटाई के लिए या पूरे वर्ष के लिए अनुबंधित किया जा सकता है।



चित्र 8.2 हिमालय में आलू का संग्रहण

शिवय्या, रामपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन खेत मजदूर है। इसका मतलब यह है कि वह नियमित रूप से काम की खोज करता है। शिवय्या की मजदूरी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के लिए स्थापित मजदूरी से कम है। रामपुर में खेत मजदूरों के बीच काम के लिए भारी प्रतिस्पर्धा है, इसीलिए लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं। बड़े किसानों द्वारा तेजी से ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों पर निर्भर होने से एक कार्यकर्ता को उपलब्ध काम के दिनों की संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम होती जा रही है। पिछले साल शिवय्या को खेत पर काम, पाँच महीने से भी कम मिला। जब काम नहीं होता है तब उस अवधि में शिवय्या और उसके जैसे अन्य लोग MGNREGA के अंतर्गत काम के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन भेजते हैं।

तालिका-1 दिसंबर 2011 में एकीकृत आंध्र प्रदेश में अलग कृषि गतिविधियों के लिए दैनिक मजदूरी (रुपये में)

- शिवय्या के जैसे खेत मजदूर गरीब क्यों हैं?
- रामपुर में बड़े और मझोले किसान अपने खेतों के लिए श्रमिक पाने के लिए क्या करते हैं? अपने क्षेत्र के साथ तुलना करें।
- निम्न तालिका भरें :

उत्पादन प्रक्रिया में श्रम	प्रत्येक के लिए उत्पादन गतिविधि के तीन अलग उदाहरण दें।
जहाँ मालिक/परिवार भी आवश्यक श्रम प्रदान करता है।	
जहाँ मालिक काम करने के लिए मजदूर किराये पर रखते हैं।	

- आपके क्षेत्र में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में श्रम उपलब्ध कराने के क्या तरीके अपनाये जा रहे हैं?

उपर्युक्त तालिका एकीकृत आंध्रप्रदेश में श्रमिकों को विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए दिये जाने वाले औसत दैनिक वेतन को दर्शाती है। हालांकि, क्षेत्रों में इसमें बहुत कुछ परिवर्तन है।

श्रमिक	जुताई	बुवाई	निराई	रोपण	कटाई	फटकाई	खलिहान	कपास चुनना
पुरुष	214	197	215	-	164	168	152	-
स्त्री	-	152	130	143	126	124	118	136

एक महिला कार्यकर्ता पूरे दिन में 136 रुपये कपास चुनने के पाती है। आप देख सकते हैं कि रोपण जैसे कुछ काम केवल पुरुषों द्वारा ही मुख्य रूप से किये जाते हैं, इसीलिए महिलाओं के लिए कोई वेतन दर्ज नहीं किया गया है। धान की रोपाई और कपास चुनने का कार्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ उत्पादन गतिविधियाँ महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा की जाती है। पुरुषों की मजदूरी एक ही काम के लिए महिलाओं की तुलना में अधिक है। राज्य सरकारों को राज्य के भीतर (निजी और सार्वजनिक) सभी नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किये जाने वाले सामान्य न्यूनतम मजदूरी को तय कर देना चाहिए।

- ऊपर दिये गये दैनिक मजदूरी के आँकड़ों की तुलना आपके क्षेत्र में इनमें से किसी भी एक कार्य के लिए दी जाने वाली मजदूरी से कीजिए।
- न्यूनतम मजदूरी पता लगाएँ और इस के साथ तुलना करें।
- एक ही काम के लिए पुरुषों को महिलाओं से अधिक वेतन क्यों दिया जाता है? चर्चा करें।

पूँजी : भौतिक और कार्यशील पूँजी की व्यवस्था

आपने पहले की कक्षाओं में आधुनिक खेती में शामिल अधिक उपज देने वाली बीज की किस्मों सुनिश्चित सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों के बारे में पढ़ा है। इसका मतलब है कि, किसानों को पर्याप्त उत्पादन के लिए पूँजी और पैसे की आवश्यकता होती है। किसान भौतिक पूँजी और खेती में आवश्यक कार्यशील पूँजी की व्यवस्था कैसे करते हैं, चलिए हम इसे देखते हैं।

ज्यादातर छोटे किसान कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए पैसे उधार लेते हैं। खेती के विभिन्न आगतों की आपूर्ति करने वाले बड़े किसानों या गाँव साहूकारों या व्यापारियों से वे उधार लेते हैं। ऐसे ऋण पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। ऋण चुकाने के लिए वे एक बड़े तनाव से गुजरते हैं।

सविता एक छोटी किसान है। वह अपने 1 हेक्टेर भूमि पर गेहूँ की खेती करने के लिए योजना बना रही है। बीज, खाद और कीटनाशकों के अलावा, पानी खरीदने और खेत उपकरणों की मरम्मत के लिए उसे पैसे की जरूरत है। उसका अंदाज़ा है कि कार्यशील पूँजी ही 6000 रुपये की होगी। उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसने तेजपाल, एक बड़े किसान से उधार लेने का फैसला किया। तेजपाल 36% वार्षिक ब्याज दर (जो एक बहुत उच्च दर है) पर सविता को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। सविता भी 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फसल की कटाई के दौरान एक खेत मजदूर के रूप में उसके (तेजपाल के) खेत पर काम करने का वादा कर लेती है। आप बता सकते हैं कि यह वेतन काफी कम है। सविता अपने खेत पर कटाई को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत

से काम करती हैं और फिर तेजपाल के लिए एक खेत मजदूर के रूप में भी बहुत मेहनत करती है। कटाई का समय एक बहुत ही व्यस्त समय होता है। तीन बच्चों की माँ के रूप में उसे घरेलू जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। सविता इन कठिन परिस्थितियों के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि ऋण प्राप्त करना एक छोटे किसान के लिए मुश्किल है।

छोटे किसानों के विपरीत, मध्यम और बड़े किसानों को आम तौर पर खेती से बचत होती है। इसीलिए वे खेती के लिए आवश्यक कार्यशील पूँजी, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरों का वेतन आदि की व्यवस्था करने में सक्षम हैं। ये किसान कैसे बचत कर सकते हैं? आपको अगले भाग में इसका जवाब मिल जायेगा।

इस गाँव में सभी बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर है। वे अपने खेतों में हल चलाने और बुवाई के लिए इस का उपयोग करते हैं और अन्य छोटे किसानों को ये ट्रैक्टर बाहर किराये पर देते हैं। उनमें से ज्यादातर के पास थ्रेशर और हार्वेस्टर भी हैं। ऐसे सभी किसानों के पास अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए कई ट्यूबवेल हैं। ये सभी उपकरण और मशीनें सब की खेती के लिए भौतिक पूँजी होते हैं।

किसान के लिए बचत या हानि

चलिए हम कल्पना करते हैं कि किसानों में उत्पादन के तीन कारकों का उपयोग कर अपनी भूमि पर गेहूँ का उत्पादन किया है। वे परिवार के उपभोग के लिए गेहूँ का एक हिस्सा रखते हैं और शेष हिस्सा बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम गेहूँ शेष बचता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम है और इसमें से ही वह अपने परिवार की जरूरत के लिए कुछ हिस्सा रख लेते हैं। तो आम तौर पर यह थोक बाज़ार के लिए गेहूँ की आपूर्ति मध्यम और बड़े किसान द्वारा ही होती है। बाज़ारों में व्यापारियों गेहूँ खरीदते हैं बाद में कस्बों और शहरों में दुकानदारों को बेच देते हैं।

तेजपाल, बड़े किसान के पास उसकी भूमि से 350 क्विंटल गेहूँ अधिशेष हैं। वह राइगंज बाज़ार में अधिशेष गेहूँ बेचता है और जिससे उसे अच्छी कमाई होती है।



चित्र 8.3 : अनाज बाज़ार में ले जाते हुए।

तेजपाल अपनी कमाई से क्या करता है? पिछले साल, तेजपाल ने अपने पैसे बैंक खाते में रखे थे। बाद में उसने पैसे सविता और उसकी तरह अन्य किसानों को जिन्हें ऋण की जरूरत थी उन्हें दिये थे। उसने अगले सत्र में खेती के लिए कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए भी इस बचत का इस्तेमाल किया। इस साल तेजपाल एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए अपनी आय

का उपयोग करने की योजना कर रहा है। पड़ोसी गाँवों में ट्रैक्टर को किराये पर देना एक अच्छा व्यवसाय है। एक अन्य ट्रैक्टर से उसकी अचल पूँजी में वृद्धि होगी।

तेजपाल जैसे अन्य बड़े और मध्यम किसान अधिशेष कृषि उपज बेचते हैं। आय का एक बचे हुए भाग को अगले सत्र के लिए पूँजी खरीदने के लिए रखा जाता है। कुछ किसान पशु, ट्रक खरीदने के लिए या दुकानों की स्थापना करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ये गैर कृषि गतिविधियों के लिए पूँजी का गठन है। वे अधिक भूमि भी खरीद सकते हैं।

विशेषकर बाढ़ और हानिकारक कीटों के कारण खेत गतिविधियों में प्रायः नुकसान होता है। कृषि उपज की कीमत में अचानक गिरावट आना अन्य खतरे का संकेत होता है। ऐसी स्थितियों में किसानों के लिए खर्च कर दी गयी कार्यशील पूँजी की पुनः प्राप्ति कठिन होती है।

● उत्पादन के लिए अधिशेष और पूँजी

तीन किसानों को ले। हर एक ने अपने खेतों पर गेहूँ उगाया है। हालांकि कॉलम 2 के अनुसार उत्पादन में भिन्नता हैं। विभिन्न किसानों की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए हमें मानना होगा कि कुछ परिस्थितियाँ सभी के लिए समान थीं। कुछ तत्वों को सामान्य रखते हुए हम निम्न परिस्थितियों का अनुमान लगायेंगे।

1. प्रत्येक किसान परिवार में गेहूँ की खपत समान ही (कॉलम 3) है।
2. अधिशेष गेहूँ का इस साल सभी किसानों द्वारा अगले साल के उत्पादन के लिए कार्यशील पूँजी के समान बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह करने के लिए उनके पास भूमि है।
3. अनुमान लगाइए कि सभी खेतों में उत्पादन में उपयोग की गई कार्यशील पूँजी से उत्पादन निर्गत (Output) दुगुना हो गया है। इससे उत्पादन में अचानक कोई नुकसान नहीं हुआ।

तालिका को पूरा कीजिए।

किसान 1

वर्ष	उत्पादन	उपभोग	अधिशेष उत्पादन-उपभोग	अगले साल के लिए पूँजी
वर्ष 1	100	40	60	60
वर्ष 2	120	40		
वर्ष 3		40		

किसान 2

वर्ष	उत्पादन	उप भोग	अधिशेष उत्पादन-उपभोग	अगले साल के लिए पूँजी
वर्ष 1	80	40		
वर्ष 2		40		
वर्ष 3		40		

किसान 3

वर्ष	उत्पादन	उपभोग	अधिशेष उत्पादन-उपभोग	अगले साल के लिए पूँजी
वर्ष 1	60	40		
वर्ष 2		40		
वर्ष 3		40		

- इन वर्षों में तीन किसानों द्वारा गेहूँ के उत्पादन की तुलना करें।
- वर्ष 3 में किसान 3 का क्या हुआ? क्या वह उत्पादन जारी रख सकता है? उसे उत्पादन जारी रखने के लिए क्या करना होगा?



चित्र 8.4 : चाय और रबड़ की फसल/कृषि क्षेत्र में चाय, कॉफी, रबर बागान और फलों के बगीचे जैसी फसलें शामिल होती हैं।

रामपुर में गैर कृषि गतिविधियाँ

खेती जो एक मुख्य उत्पादन गतिविधि है उसके अलावा कुछ गैर कृषि उत्पादन गतिविधियाँ भी हैं। रामपुर में काम कर रहे लोगों में केवल 25 प्रतिशत लोग कृषि के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं।

डेयरी-अन्य सामान्य गतिविधि

डेयरी, रामपुर के कई परिवारों में एक सामान्य गतिविधि है। लोग बरसात के मौसम के दौरान उगायी गयी विभिन्न प्रकार की घास, जवार, बाजरा की भूसी अपनी भैंसों को खिलाते हैं। राइगंज में दूध बेचा जाता है। जहाँगीराबाद के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण-प्रशीतन केंद्र स्थापित किये हैं जहाँ से दूध बुलंदशहर और दिल्ली जैसे दूरस्थ स्थानों को भेजा जाता है। इस गतिविधि के उत्पादन कारक संक्षेप में वर्णित हैं :

भूमि : गाँव में वस्तुओं को रखने का छप्परदार (Shed)

श्रम: पारिवारिक श्रम, विशेष रूप से महिलाएँ भैंसों की देखभाल करती हैं।

भौतिक पूँजी : भैंसे जो पशु मेले में खरीदी जाती है।

कार्यशील पूँजी : अपनी ज़मीन से प्राप्त भोजन, कुछ खरीदी गयी दवाइयाँ

रामपुर में छोटे पैमाने पर निर्माण गतिविधियाँ

वर्तमान में, पचास से कम लोग रामपुर में निर्माण में लगे हुए हैं। रामपुर में नगरों और शहरों, के बड़े कारखानों में होने वाले निर्माण के विपरीत बहुत सरल तरीके से उत्पादन एक छोटे पैमाने पर किया जाता है। उत्पादन प्रायः घरों या खेतों में पारिवारिक श्रम की मदद से किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभी ही काम पर रखा जाता है।

मिश्रीलाल ने बिजली से चलने वाली एक यांत्रिक गन्ना पेराई मशीन खरीदी और गुड़

- इस प्रक्रिया की स्थापना करने के लिए मिश्रीलाल को किस भौतिक पूँजी की आवश्यकता है।
- कौन इस मामले में श्रम प्रदान करता है ?
- मिश्रीलाल अपने लाभ को बढ़ाने में असमर्थ क्यों है? उन कारणों के बारे में सोचिए जिससे वह नुकसान का सामना कर सकता है।
- मिश्रीलाल अपने गाँव में गुड़ नहीं बेचकर जहाँगीराबाद में व्यापारियों को क्यों बेचता है?

तैयार किया है। पहले गन्नों को कुचलने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था, लेकिन इन दिनों लोग मशीनों द्वारा इस काम को करना पसंद कर रहे हैं। अपनी खेती के अलावा मिश्रीलाल अन्य किसानों से भी गन्ना खरीदता है और गुड़ बनाता है। गुड़ वह जहाँगीराबाद में व्यापारियों को बेच देता है। इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल को छोटा सा लाभ होता है।

रामपुर गाँव के दुकानदार

- किसकी भूमि पर दूकान होती है?
- कौन इन दूकानों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराते हैं जो खाने पीने की चीजें बेचते हैं ?
- अंदाजा लगाओ कि कितनी कार्यशील पूँजी की इन दूकानों को आवश्यकता है।
- भौतिक वस्तुओं की सूची बनाओ।
- आपके क्षेत्र के फेरी वालों से प्रतिदिन के विक्रय के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या उन्हें बचत राशि संभव है अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए।

रामपुर में व्यापार करने वाले लोग बहुत कम हैं। रामपुर के व्यापारी विभिन्न वस्तुएँ शहर के थोक बाजारों से क्रय करते हैं और उन्हें गाँव में बेचते हैं। गाँव के लघु (छोटे) सामान्य दुकानदार बहुधा अपनी दुकानों में चावल, गेहूँ, शक्कर, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, दूधपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, नोटबुक, पेन, पेंसिल और कभी कभी कपड़े भी बेचते हैं।

कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के निकट होते हैं, वे अपने घर के कुछ हिस्सों में छोटी

दुकान चलाते हैं। वे खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री करते हैं। जैसे समोसा, कचौरी, नमकीन, कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट, शीतपेयजल इत्यादि। महिलाएँ व परिवार के बच्चे भी इसमें सहायक होते हैं। हमारे देश में अधिकतर स्वरोजगारी व्यक्ति हैं जैसे कृषक, दुकानदार, फेरीवाले आदि। वे स्वामी हैं क्योंकि वे ही योजना बनाते हैं प्रबंध करते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का जोखिम उठाते हैं। यथा समय वे अपने मजदूरों का प्रबंध भी स्वयं करते हैं।

कुछ दूकानदार अपने गाँवों की वस्तुओं का भी क्रय करते हैं और बड़े गाँवों व शहरों में ले जाकर विक्रय करते हैं। जैसे जो व्यक्ति गेहूँ की मिल चलाते हैं वे गेहूँ कृषकों से लेते हैं और राइंगंज के बाजार में विक्रय करते हैं। गेहूँ की मिल चलाना और व्यापार करना दो भिन्न व्यापार हैं।

यातायात - तीव्रता से विकसित क्षेत्र

रामपुर से राइंगंज को जोड़ने वाली सड़क पर विभिन्न यातायात के साधन प्रयुक्त होते हैं जैसे - रिक्शावाला, ताँगावाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक-ड्राइवर कुछ परंपरागत बैलगाड़ियों और बोगियों को चलाने वाले लोग, परिवहन सेवा करते हैं। वे व्यक्तियों तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमित करते हैं और उनसे किराया (धन) प्राप्त करते हैं। यातायात कार्यों में व्यक्तियों की संलग्नता विगत वर्षों में बहुधा बढ़ी है।

किशोर एक कृषक श्रमिक है अन्य श्रमिकों की भाँति अपनी आय से किशोर भी अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। कुछ वर्ष पूर्व किशोर ने बैंक से ऋण लिया। यह सरकार की योजना के अंतर्गत था। जिसमें कमतर ऋण भूमिहीन व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। किशोर ने इस धन से भैंस खरीदी। अब वह भैंस के दूध को बेचने का कार्य करता है तथा साथ ही वह भैंस को लकड़ी की गाड़ी लगाकर भैंसगाड़ी के रूप में, यातायात साधन के रूप में प्रयुक्त कर विभिन्न वस्तुएँ लाता है। सप्ताह में एक दिन वह कुम्हार के लिए काली मिट्टी गंगा नदी से लाता है और कभी जहाँगीराबाद से गुड़ या अन्य वस्तुएँ भी लाता है। प्रतिमाह वह यातायात साधन का कार्य प्राप्त करता है जिसके परिणाम स्वरूप किशोर विगत वर्षों से अधिक आय की प्राप्ति कर रहा है।

- किशोर की अचल पूँजी राशि (जमा, कुल राशि) कितनी है ?
- उसकी कार्यशील पूँजी क्या होगी?
- किशोर कितने उत्पादित कार्यों में संलग्न है ?
- क्या आप कह सकते हैं कि किशोर ने रामपुर की अच्छी सड़कों से लाभ उठाया है?

उपसंहार

कृषि गाँव की मुख्य उत्पादन प्रक्रिया है। कृषि के रूप में विगत वर्षों में कई परिवर्तन लक्षित हुये। जिससे समान भूमि पर कृषकों को कई फसलों को उगाना संभव हुआ। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि भूमि सीमित व अपर्याप्त है। तथापि उत्पादन में वृद्धि बन जाती है। भूमि क्षेत्र के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दबाव बन जाती है। यह अति अनिवार्य है कि हम तीव्रता से नवीन उत्पादन विधियों को ग्रहण करें जिससे प्राकृतिक स्रोतों के प्रयोग दीर्घकालिक हो।

कृषि अब अधिक पूँजी की माँग करती है। मध्यम तथा विशाल पैमाने के कृषक अपनी उत्पादन राशि से शेष धन रखने में समर्थ होते हैं जिसे वह आगामी कृषि कार्य में प्रयुक्त कर सके। वहीं छोटे कृषक जो भारत के 87 प्रतिशत कृषकों की गिनती में आते हैं उन्हें पूँजी प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उनका भूमि क्षेत्र कम होता है और उत्पादन भी अपर्याप्त होता है। अतिरिक्त साधनों के अभाव में वे जमा पूँजी (बचत पूँजी) रखने में असमर्थ होते हैं। अपनी कम आय के कारण ऋण के अतिरिक्त ऐसे कृषक अन्य कार्य भी करते हैं। जैसे कृषिगत मजदूरी आदि।

उत्पादन के लिए मजदूर प्रमुख तत्व है। यह अति उत्तम होता यदि नयी कृषि पद्धति में मजदूरों का अधिक प्रयोग होता दुर्भाग्यवश ऐसा संभव न हो सका। कृषि योग्य मजदूरी सीमित है जिससे मजदूर अपने पड़ोसी गाँवों, शहरों, महानगरों में स्थानांतरित होकर मजदूरी के अवसरों को प्राप्त करते हैं। कभी कभी यह गैर कृषि क्षेत्रों में भी मजदूर रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में गैर कृषि क्षेत्रों में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत कम है। (हमने कुछ उदाहरण ही देखें हैं) तब भी इनमें कार्य करने वालों की संख्या बहुत कम है। वर्ष 2009-2010 में प्रत्येक 100 ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों में से 32 श्रमिक अकृषिगत कार्यों में संलग्न रहे। इसमें वे भी सम्मिलित है जो MGNREGA के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत है। MGNREGA ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये बहुताधिक सहायक सिद्ध हुआ है।

संभवतः भविष्य में अकृषिगत उत्पादनों की ग्रामों में अधिकता रहेगी। कृषि के समान अकृषिगत कार्यों को अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती। कम पूँजी के आधार पर भी व्यक्ति अकृषिगत कार्यों को संपन्न कर सकता है। वे कहाँ से इस पूँजी को उपलब्ध करते हैं? कुछ तो अपना शेषधन (स्वयं के धन) का प्रयोग करते हैं पर बहुधा ऋण पर आधारित होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋण कम ब्याजदरों पर उपलब्ध हो जिससे अपनी बचत राशि के अभाव में भी मानव अकृषिगत कार्यों को प्रारंभ कर सके। द्वितीय अनिवार्य महत्व की बात यह है कि वहाँ बाज़ार भी उपलब्ध हो सके जिससे कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वह विक्रय कर सके। हमने रामपुर की कथा में देखा कि उसके पड़ोसी ग्रामों व शहरों में बाज़ार उपलब्ध थे जहाँ दुग्ध, गुड़, गेहूँ आदि की उपलब्धता सरल थी। अधिकतः यदि ग्रामों को शहरों से उत्तम सड़कों, यातायात साधनों व दूर संचार साधनों द्वारा संलग्न कर दिया जायेगा तो यह संभव है कि ग्रामों में आगामी वर्षों में अकृषिगत कार्यों में बहुलता आयेगी।

मुख्य शब्द

उत्पादन के कारक	भूमि	मज़दूर	कार्यशील पूँजी
निश्चित(अचल) पूँजी	अधिशेष	कृषि गतिविधि	अकृषिगत गतिविधि

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

1. प्रत्येक दस वर्ष में भारत देश में जनगणना विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। और निम्न प्रारूप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विवरण प्रत्येक गाँव से प्राप्त किये जाते हैं। निम्नलिखित विवरण पत्र को रामपुर गाँव की प्राप्त जानकारी के आधार पर पूर्ण कीजिए।

अ) स्थान :

आ) कुल गाँव का क्षेत्र :

इ) प्रयुक्त भूमि (हेक्टर में)

कृषि भूमि		भूमि, जो कृषि हेतु उपलब्ध नहीं है। (जो निवास, सड़क, तालाब, चारागाह के लिए प्रयुक्त क्षेत्र) 26 हेक्टर
सिंचित	असिंचित	
उ) सुविधाएँ		
शैक्षिक		
चिकित्सीय		
बाज़ार		
विद्युत आपूर्ति		
संचार सेवा		
निकटस्थ शहर		

2. रामपुर गाँव में कृषक मजदूरों की मजदूरी अन्य कृषक मजदूरों से कम क्यों है ?
3. अपने क्षेत्र के दो मजदूरों से चर्चा कीजिए। चाहे वह कृषक मजदूर हो या निर्माण क्षेत्र के मजदूर ज्ञात कीजिए कि वे प्रतिदिन क्या वेतन पाते हैं ? उन्हें मजदूरी के रूप में धन दिया जाता है या वस्तु? क्या उन्हें प्रतिदिन कार्य प्राप्त होता है ? क्या वे ऋणी (कर्जे में) है ?
4. समान भूमिपर हम किन विभिन्न तरीकों द्वारा उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। उदाहरण सहित समझाइए।
5. किस तरह मध्यम और बड़े पैमाने के कृषक पूँजी प्राप्त करते हैं तथा किस तरह से छोटे (लघु) कृषक उनसे भिन्न है ?
6. किन शर्तों पर सविता ने तेजपाल से ऋण लिया? यदि सविता बैंक से कम दर पर ऋण लेती तो क्या उसकी स्थिति भिन्न होती ?
7. आप अपने क्षेत्र के वृद्ध व्यक्ति से चर्चा कीजिए तथा पता लगाए कि विगत तीस वर्षों में सिंचाई तथा उत्पादन के माध्यमों (साधनों) में क्या अंतर आये?
8. आपके क्षेत्र में मुख्य गैर कृषि उत्पादन क्रियाएँ कौनसी हैं तथा किसी एक गतिविधि पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए।
9. ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ मजदूरों को भूमि के अलावा, उत्पादन के अन्य कारकों की प्राप्ति नहीं होती है। क्या रामपुर गाँव की कहानी इससे भिन्न है? किस तरह? कक्षा में चर्चा कीजिए।
10. गौसपुर और माझोली उत्तर बिहार के दो गाँव हैं। गाँव के कुल 850 आवास गृहों के निवासियों में से 250 मनुष्य अपना रोजगार ग्रामीण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर में पाते हैं। इस तरह का स्थानांतरण भारतीय गाँवों में सामान्य है। मनुष्य क्यों स्थानांतरित होते हैं? क्या आप वर्णन कर सकते हैं? (आपकी कल्पना और पूर्व अध्याय के आधार पर) बताइए कि गौसपुर और माझोली के स्थानांतरित मनुष्य क्या अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं ?
11. उत्पादन हेतु भूमि शहरी (नगरीय) क्षेत्रों में भी अनिवार्य है किन आधारों पर यहाँ भूमि का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों से भिन्न है ?
12. उत्पादन के आधार पर भूमि के अर्थ को समझिए तथा कृषि अतिरिक्त भूमि के प्रयोग के तीन उदाहरण दीजिए, जिसको उत्पादन की प्रक्रिया में अत्यंत आवश्यक माना जाता है ?
13. 'जल' जो उत्पादन के लिए एक प्राकृतिक स्तोत्र है। विशेषतः कृषिगत उत्पादन में अब यह उपयोग हेतु विपुल राशि (धन) की माँग कर रहा है। इस कथन की व्याख्या कीजिए।

वैश्वीकरण (Globalisation)

अध्याय

9



a & b) स्कूल जाते हुए , c) विद्यालय का प्रवेश द्वार d) कक्षा, e) श्यामपट के पास अध्यापिका यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो निम्नलिखित विज्ञापन को देखिए।

<http://www.youtube.com/watch?v=VHYtShXI510>

लन्दन द्वारा प्रकाशित पत्रिका के विज्ञापन में आप क्या देख रहे हैं? भारतीय पाठक प्रेमी को यह सुझाव देती है कि चीन जैसे देश भी भारतीय भाषाओं को सीखने

के लिए भारत की ओर मुड़ रहे हैं। ये भारतीय व्यापारियों और निर्माता या उन रेल चीनी यात्री जो भारत काम की तलाश में आते हैं, उनसे वे बात चीत कर सकते हैं। इस विज्ञापन में आप विभिन्न कोणों से वैश्वीकरण को देख सकते हैं; ब्रिटेन द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रिका भारत के खरीददारों को ढूँढ़ रही हैं। चीनी भारतीय भाषाएँ सीखना चाहते हैं; चीनी अपने उत्पादों को भारत में बेचने की आशा करते हैं या भारत में उनके कारीगरों को भेजते हैं या भारतीय साझेदार के साथ व्यापार करते हैं।

20 वीं शताब्दी के अन्त में वैश्वीकरण गोलक में एक ऐसा महान परिवर्तन है जिसमें तीव्र वृद्धि हो रही है। इसके राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण हैं। कक्षा VIII और

और IX में आपने सेवा क्षेत्र में इनमें से कुछ विषयों के बारे में पढ़ा है कि जैसे नये रोजगार काल सेंटर उभर रहे हैं। आपको यह भी पता चलेगा कि बाज़ार में ऐसी कितनी उपभोक्ता वस्तुएँ मिलती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक आदान-प्रदान में हम तीन प्रकार की गति देखते हैं। सबसे पहले वस्तु तथा सेवा क्षेत्र में व्यापार का बहाव। दूसरे श्रमिकों का बहाव-रोजगार की खोज में लोगों का स्थान परिवर्तन। तीसरा अधिक दूरी पर थोड़े समय या अधिक समय के लिए पूँजी नियोजन। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण में सांस्कृतिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण भी शामिल हैं। उदाहरण

के लिए पिछले वर्ष पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी आफ्रिका के अनेक देश जैसे ट्युनिशिया, मिश्र एक दूसरे की क्रान्ति से प्रभावित हुए थे और निरंकुशता को जड़ से उखाड़ना चाहते थे। मीडिया में इसे “अरब स्प्रिंग” कहा गया। इन देशों में मीडिया ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। लोगों के द्वारा संचालित दूरदर्शन चैनल ने दूसरे देशों से सहयोग प्राप्त कर इसका संचार किया, जिसने स्थानीय नेताओं के अधिकारों को सुव्यवस्थित किया। नागरिक युद्ध या प्राकृतिक आपदाएँ जैसे सुनामी, आदि घटनाओं की चर्चा देश की सीमा स्तर पर की गई तथा उन्हें सारे विश्व से सहयोग एवं सहानुभूति भी मिली। वैश्वीकरण केवल बाज़ारों के लिए ही नहीं था, इसमें विचारों तथा तकनीकी का आदान-प्रदान तथा फैलाव भी था।

इस अध्याय में हमारा केन्द्र बिन्दु आर्थिक वैश्वीकरण है, जिसे पिछले 30 से 40 वर्षों में अनदेखा किया गया है।

देशों में उत्पादन (Production across countries)

20 वीं शताब्दी के मध्य तक देशों के भीतर उत्पादन किया जाता था। इन देशों के पार केवल कच्चा माल, खाद्यान्न तथा तैयार माल ही जा सकता था। भारत जैसे उपनिवेश ने कच्चा माल और खाद्यान्न निर्यात किया तथा तैयार माल आयात किया। व्यापार दूरस्थ देशों को जोड़ने वाला चैनल था। यह बहु राष्ट्रीय कम्पनियों (MNC) के उद्भव से पहले से है। MNC ही एक देश से अधिक देशों में उत्पादन पर अधिकार अंकुश रख सकती है। यह उन देशों में उत्पादन के लिए कार्यालय या कारखाने स्थापित करती है जहाँ श्रमिक और संसाधन सस्ते मिलते हैं। इस क्रिया के कारण उत्पादन दाम कम होता है तथा MNC अधिक लाभ कमाती है।

निम्न उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। बड़ी MNC, जो औद्योगिक उपकरणों का उत्पादन करती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अन्वेषक केन्द्रों में उत्पादनों को आकार देती है तथा चीन में इसके पुर्जे तैयार करती है। फिर इन्हें मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में जहाजों की सहायता से भेजा जाता है जहाँ इन्हें जोड़ कर, तैयार माल को सारे विश्व में बेचा जाता है। इसके बीच भारत में स्थित काल सेंटर द्वारा कंपनी की ग्राहक सेवा भी की जाती है। (इन देशों को विश्व के

- मोबाईल फोन या वाहन किसी एक को चुनिए; पता लगाइए कि बाज़ार में इसके कितने ब्राण्ड हैं। क्या वे सभी भारत में बनते हैं या विदेशों में ? अपने अभिभावकों या अन्य वयस्कों से चर्चा कीजिए तथा पता लगाइए कि 30 वर्ष पहले इस प्रकार के कितने ब्राण्ड मिलते थे।

मानचित्र में पहचानिए।)

इस उदाहरण में MNC केवल अपने तैयार माल को विश्व स्तर पर बेचती ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से वस्तु एवं सेवाएँ विश्व स्तर पर उत्पादित की जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन में संयुक्त रूप से वृद्धि होती है। उत्पादन प्रक्रिया लघु भागों में विभाजित की जाती है और विश्व स्तर पर प्रसारित की जाती है। उपरोक्त उदाहरण में, चीन सस्ते स्थानीय निर्माता की विशेषता पाता है। मैक्सिको तथा पूर्वी यूरोप US और यूरोप के बाजारों के करीबी होने के कारण उपयोगी है। भारत, अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवकों द्वारा ग्राहक सेवा उपलब्ध कराता है। यह सभी संभवतः MNC के लिए 50-60 प्रतिशत लागत बचत है। सीमा से बाहर उत्पादन फैलाना MNC के लिए सचमुच बहुत बड़ी विशेषता है।

देशों के पार उत्पादन की कड़ी से जुड़ना

साधारणतः MNC के कार्यों के लिए स्थान का चुनाव निम्न बातों पर आधारित होता है; बाजार के निकट, कम दाम पर कुशल एवं अकुशल श्रमिक, उत्पादन के अन्य तत्वों की सुविधा, उनके हित की सुरक्षात्मक सरकारी योजनाएँ। भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों जैसी संपत्तियों को खरीदने के लिए MNC जो धन व्यय करती है वह विदेशी निवेश कहलाता है। अधिक लाभ कमाने की आशा से निवेश किया जाता है।

इसी समय MNC इन देशों की स्थानीय कम्पनियों के साथ मिलकर उत्पादन निर्धारित करती है। स्थानीय कम्पनियों को निवेश में अधिक धन जुड़ने का लाभ मिलता है तथा MNC द्वारा लाई गई नई तकनीकी की जानकारी मिलती है।

लेकिन MNC निवेश का सामान्य मार्ग यह है कि स्थानीय कम्पनियों को खरीद ले तथा उत्पादन में वृद्धि करें। धन की अधिकता के कारण MNC आसानी से यह काम कर भी सकती है। उदाहरण के लिए कारगिल फुड, अमेरिका की बड़ी MNC ने भारत की छोटी कम्पनी परख फूड्स को खरीद लिया। परख फूड्स के चार शुद्धिकरण कारखाने तथा भारत के विभिन्न भागों में बाजार का जाल था, जहाँ इसके ब्राण्ड प्रसिद्ध थे। कारगिल ने उसे खरीद लिया तथा भारत में आज खाद्यान्न तेल का बड़ा उत्पादन करता है।

वास्तव में कई उच्च स्तरीय MNC के पास उतनी संपत्ति होती है जो प्रगतिशील देश के सरकारी बजट से अधिक है। इतनी बृहत सम्पत्ति वाली MNC की शक्ति एवं प्रभाव की कल्पना कीजिए।

दूसरे मार्ग द्वारा भी MNC उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। प्रगति प्राप्त देशों की बड़ी MNC छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आर्डर देती है। सम्पूर्ण विश्व में अधिक संख्या में छोटे उत्पादन कपड़े, जूते, खेल सामग्री- आदि उत्पादन के उदाहरण हैं। उत्पादों को MNC को वितरित किया जाता है तथा MNC उन वस्तुओं पर अपना ब्रांड लगा कर ग्राहकों को बेचती है। MNC के पास विशाल ताकत होती है जिससे वे दूर के स्थान पर उत्पादन करने के लिए मूल्य निर्धारण, गुण, वितरण तथा श्रमिकों की स्थिति तय करती हैं। MNC के उत्पादन के परिणाम स्वरूप दूर के स्थान भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।

विदेशी व्यापार और बाजारों का समाकलन

बहुत समय से व्यापार देशों को जोड़ने का प्रधान चैनल रहा है। इतिहास में आपने पढ़ा ही होगा कि भारत एवं दक्षिण एशिया के बाजारों को पूर्व और पश्चिम से जोड़ा गया था तथा इन मार्गों से विस्तृत व्यापार होने लगा। आपको याद होगा कि व्यापारिक रुचियों ने व्यापारिक कंपनियों जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को आकर्षित किया था। उस समय तक विदेशी व्यापार का मूल क्या था?

सरल रूप से देखा जाए तो विदेशी व्यापार ने उत्पादकों के लिए एक अवसर बनाया। जिसके माध्यम से वे घरेलू बाजारों से आगे निकल गये। उसी प्रकार ग्राहकों को भी घरेलू उत्पादनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुओं में चयन करने का अवसर मिला। विदेशी व्यापार का परिणाम यह हुआ कि बाजारों को उसने जोड़ा या दूसरे देशों के बाजारों में समाकलन होने लगा।

‘हम इस फैक्ट्री को अन्य देश में स्थापित करेंगे। यहाँ बहुत खर्चीली बन गयी है।’



अमेरिकन कम्पनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में अपने उत्पादन एवं निर्माण के लिए फैली हुई विश्व की सबसे बड़ी संचार कम्पनी है। 1995 में भारत के चेन्नई के पास 1700 करोड़ रु. खर्च कर विशाल प्लांट लगाया। महिन्द्रा एवं महिन्द्रा जीप और ट्रक निर्माता के साथ मिलकर यह प्लांट लिया गया। 2004 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में 27000 कारें बेची तथा 24000 कार भारत से दक्षिण आफ्रिका, मैक्सिको तथा ब्राजिल निर्यात की गई। कम्पनी चाहती है कि एक और अन्य प्लांट फोर्ड इण्डिया के नाम से विश्व स्तर पर विकसित किया जाय।



- क्या आप कहेंगे हैं कि फोर्ड मोटर्स MNC है? क्यों?
- विदेशी पूँजी नियोजन क्या है? भारत में फोर्ड मोटर्स ने कितनी पूँजी निवेश की?

- भारत में अपने उत्पादन के संयंत्र को स्थापित करने वाली फोर्ड मोटर्स जैसी MNC केवल भारत जैसे विशाल बाजारों वाले देशों में ही नहीं, बल्कि कम लागत वाले उत्पादनों के लिए भी लाभदायक है। इस कथन को समझाइए।
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कम्पनी अपने ग्लोबल आपरेशन के लिए कार के उपकरणों (पार्ट्स) के उत्पादन के लिए भारत को आधार बनाना चाहती है? निम्न कारकों पर चर्चा कीजिए।
 - a. भारत में श्रमिक दर तथा अन्य संसाधन
 - b. कई स्थानीय निर्माता की उपस्थिति में फोर्ड के लिए आटो पार्ट्स बनाती है।
 - c. भारत एवं चीन में अधिक संख्या में खरीददारों के साथ निकटता।
- किस प्रकार भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा उत्पादित कार उत्पादन भारत को उत्पादन के साथ जोड़ता है।
- अन्य कम्पनियों से MNC किस प्रकार भिन्न है?
- अधिकतर बृहत रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अमेरिकन, जापनी या यूरोपीय है। जैसे, नाइक, कोका-कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया? क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्यों?

MNC (बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ) और वैश्वीकरण

पिछले तीन या चार दशकों से अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्व में स्थानों को देखना आरंभ किया ताकि उत्पादन सस्ता हो सके। इन देशों में बहु राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किये गये विदेशी निवेश में बढ़ोत्तरी हुई। इसी समय देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हुई। विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में होता है। उदाहरण स्वरूप, भारत की फोर्ड मोटर्स का मोटार निर्माण संयंत्र केवल भारत के बाजारों के लिए ही मोटारों का उत्पादन नहीं करता है बल्कि यह अन्य विकसित देशों को मोटारों का निर्यात करता है और विश्व के अनेक देशों में स्थापित अपनी फैक्ट्रियों के लिए भी कार के पुर्जों का निर्यात करता है। इसी तरह अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियाँ वस्तुओं की सेवाओं के व्यापार में मूल रूप से शामिल होती हैं।

- अतीत में देशों को जोड़ने का कौनसा मुख्य मार्ग क्या था? आज वह किस प्रकार भिन्न हैं?
- विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अन्तर बताइए।
- वर्तमान वर्षों में चीन भारत से लोहा आयात कर रहा है। समझाइए कि किस प्रकार लोहे के आयात ने चीन पर प्रभाव डाला?
 - a. चीन की इस्पात कम्पनियाँ
 - b. भारत की इस्पात कम्पनियाँ
 - c. चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योग द्वारा इस्पात खरीदना।
- भारत से चीनी बाजारों में इस्पात के आयात ने इन दोनों देशों में इस्पात के बाजारों को एकीकरण के लिए कैसे अग्रसर किया?

चीनी उत्पादनकर्ता भारत में प्लास्टिक के खिलौने निर्यात करने लगे। भारतीय ग्राहकों में पास अब भारतीय एवं चीनी खिलौनों में चुनने का विकल्प मिला। सस्ते तथा नए आकार के कारण भारतीय बाजारों में चीनी खिलौने अधिक प्रसिद्ध होने लगे। एक वर्ष के भीतर ही 70 से 80 तक खिलौनों की दुकानों में भारतीय खिलौनों के बदले चीनी खिलौने आ गए। अब पहले की अपेक्षा भारतीय बाजारों में खिलौने सस्ते मिलने लगे। चीनी खिलौने ने निर्माताओं के लिए व्यापार विकसित करने का अवसर दिया। भारतीय खिलौना निर्माता के लिए यह स्थिति भिन्न थी। प्रतियोगिता ने भारतीय निर्माता को अन्य तरीके खोजने पर मजबूर किया। इनमें से कुछ नष्ट हो गये।

विदेशी निवेश की अधिकता तथा अति विदेशी व्यापार अधिकता से देशों के पार उत्पादन एवं बाजारों में महान समांकलन होता है। वैश्वीकरण देशों में समाकलीन या आन्तरिक संबंध की तीव्र प्रक्रिया है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में MNC की प्रमुख पात्रता है। देशों में अधिक से अधिक वस्तुएँ एवं सेवाएँ पूँजी नियोजन तथा तकनीक विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न होने लगी। पिछले दशकों की अपेक्षा विश्व के अधिक क्षेत्र एक दूसरे के करीबी संपर्क में आने लगे।

पूँजी, व्यक्ति, तकनीकी बहाव ने विश्व को सीमारहित बना दिया। परिमाम स्वरूप राज्य अपनी सीमा के भीतर अनेक पहलुओं में अधिकार खोने लगे। उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण विषय मुद्रा की कीमत पर निर्णय लेने का था। पहले जिसे सर्वप्रभुत्व सरकार द्वारा लिया किंतु आज सरकारी बरामदी के बाहर प्रायः बाजारी खिलाड़ियों या ऐसी शक्तियाँ जिन पर सरकारी नियंत्रण कम था, उनके द्वारा लिये जाने लगे।

वैश्वीकरण को समर्थ बनाने वाले कारक

प्राद्योगिकी

वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्राद्योगिकी में तीव्र प्रगति एक प्रमुख कारक है। उदाहरण के लिए, पिछले पचास वर्षों में परिवहन तकनीकी में अनेक सुधार देखी गई हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कम कीमत में अधिक दूरी तक तेजी से सामान की पहुँचाया जा सकता है।

सूचना एवं संचार तकनीकी में अधिक ध्यान देने योग्य तथा तीव्र प्रगति देखी गई है। दूर संचार सुविधाएँ (तार, दूर भाष्य, मोबाईल, फैक्स) विश्व में एक दूसरे से संपर्क बनाने में उपयोगी है, तुरंत सूचना देने में तथा ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क बनाने में सेटेलाइट संचार उपकरणों से यह सुविधाएँ प्राप्त होती है। कम्प्यूटर लगभग जीवन की प्रत्येक क्रिया में प्रवेश कर चुका है। आपने इंटरनेट जगत में



- वैश्वीकरण प्रक्रिया में MNC की क्या भूमिका हैं?
- किन विभिन्न मार्गों से देश एक दूसरे से जुड़ते हैं?
- सही विकल्प चुनिए : एक दूसरे से जुड़े देशों पर वैश्वीकरण का परिणाम
 - a. उत्पादन कर्ताओं में कम प्रतियोगिता
 - b. उत्पादकों में अधिक प्रतियोगिता
 - c. उत्पादकों की प्रतियोगिता में कोई परिवर्तन नहीं

साहसिक पहल की होगी, जहाँ आप किसी भी चीज़ को जानने के लिए सूचना प्राप्त कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। इन्टरनेट से हम तुरन्त इलक्ट्रॉनिक मेल (E-mail) भेज सकते हैं तथा बहुत ही कम दर पर विश्व के किसी भी भाग में बात (Voice - mail) कर सकते हैं।

विदेशी व्यापार और विदेशी पूँजी निवेश नीति में उदारता


चलिए फिर से चीनी खिलौनों का भारत में आयात के उदाहरण की ओर चलते हैं। मान लीजिए भारतीय सरकार खिलौने के आयात पर कर लगा देती है। कर के कारण, आयातित खिलौनों को खरीदने के लिए ग्राहकों को अधिक पैसे देने पड़ेंगे। भारतीय बाजारों में चीनी खिलौने अधिक समय टिक नहीं सकते और चीन द्वारा आयात अपने आप कम हो जाएगा। भारतीय खिलौन निर्माता समृद्ध हो जाएँगे।

आयात पर कर एक प्रकार से व्यापार में अवरोध है। यह अवरोध इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ रोक लगा दी जाती है। सरकार विदेशी व्यापार को कम करने या बढ़ाने में अवरोध का उपयोग करती है तथा किस प्रकार की वस्तुएँ कितनी मात्रा में देश में आनी चाहिए, इसका निर्णय लेती है।

स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगा दिए। यह आवश्यक था कि विदेशी प्रतियोगिता से, उत्पादक की, देश में रक्षा करना।



लगभग 20 वर्षों पहले: नगरीय भारत
“कम्प्यूटरस के लिए हमें शीघ्र कनेक्शन मिला।” नगरीय भारत: हमें मोबाइलों में भी इंटरनेट प्राप्त हुआ।



लगभग 20 वर्षों पहले: ग्रामीण भारत: “हमारे सामने बिजली की समस्या थी। वर्तमान ग्रामीण भारत में हम अब भी स्थायी बिजली के कनेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें 3G और 4G के बारे में पता नहीं हैं।”

लंदन के पाठकों के लिए एक नई समाचार पत्रिका प्रकाशित की गई जिसकी डिजाइन और छपाई नई दिल्ली में की गई। पत्रिका की पाठ्य वस्तु इंटरनेट द्वारा दिल्ली कार्यालय भेजी गई। दूर संचार सुविधाओं द्वारा लंदन के कार्यालय से दिल्ली कार्यालय के डिजाइनरों को पत्रिका के डिजाइन बनाने के निर्देश दिए गये। कम्प्यूटर पर डिजाइन बनाए गए। छपाई के पश्चात हवाई मार्ग से पत्रिका लंदन भेजी गई। इंटरनेट (ई-बैंकिंग) के द्वारा लंदन की बैंक से दिल्ली की बैंक में डिजाइन और छपाई का पारिश्रमिक भेज दिया गया।

- इस उदाहरण में उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें उत्पादन में तकनीकी का उपयोग किया गया।
- सूचना तकनीकी किस प्रकार वैश्वीकरण से जुड़ी हुई है? सूचना- प्राद्योगिकी IT के विस्तार के बिना क्या वैश्वीकरण संभव था?

1950 और 1960 में अधिक उद्योग उभरने लगे और आयात के कारण इन उद्योगों को जीने नहीं दिया गया। इसलिए भारत ने केवल आवश्यक वस्तुओं को ही आयात होने दिया जैसे मशीनरी, खाद, पेट्रोलियम, आदि। याद रखिए कि सभी प्रगति प्राप्त देशों ने आरम्भिक प्रगति काल में, विभिन्न अर्थों में, घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान की।

फिर भी, 1991 के आरम्भ में, भारत में योजना में असंभावित परिवर्तन किए गए। सरकार ने निर्णय लिया कि अब भारतीय उत्पादकों को विश्व में बराबरी करनी होगी। इसने यह सोचा कि देशों के भीतर उत्पादकों के प्रदर्शन में विकास तभी होगा जब वे गुणों में वृद्धि करेंगे। इस निर्णय को शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सहयोग दिया।

इसीलिए विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार पर से विशाल स्तर पर अवरोध हटा दिए गए। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात और निर्यात संरलता से किया जा सकता है। और विदेशी कंपनियाँ यहाँ कंपनियाँ और कारखाने स्थापित कर सकती हैं।

सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध या प्रतिबन्ध को हटा देना उदारीकरण कहलाता है। व्यापार के उदारीकरण से, व्यापार में स्वतन्त्रापूर्वक इच्छा से वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं निर्णय ले सकते हैं। सरकार उनपर पहले से भी कुछ कम प्रतिबन्ध लगाती है जिसे अधिक उदारता कहते हैं।

हमें अब स्वयं से प्रश्न करना होगा कि वैश्वीकरण को कौन आगे बढ़ाता है। क्या यह राजनैतिक निर्णय है या आर्थिक एवं तकनीकी क्रांति है? वैश्वीकरण के आर्थिक समर्थकों की बहस है कि आर्थिक बल ही वैश्वीकरण का कारण है तथा वह ही इसकी सीमा पर नियंत्रण रखता है। राजनीति के समर्थक विवाद करते हैं कि यह सरकार का निर्णय था, जिसमें प्रथम स्थान पर आन्दोलन आरम्भ किया। सरकार प्रतिबन्ध लगा सकती है या कानून सरल बनाती है। स्थानों की आकृष्टता या निकृष्टता राजनैतिक मौसम से संबंधित होती है न की बाज़ारी परिस्थितियों से और इसीलिए भूमि भी महत्व रखती है। वास्तव में दोनों जुड़े हुए हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि विशेष संदर्भ में ही राजनैतिक निर्णय लिए जाते हैं, जो आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तन जो पहले से ही हो चुके हैं, उसका विवरण होते हैं।

वैश्विक प्रभुत्व की संस्थाएँ

- विदेशी व्यापार का उदारीकरण (बन्धन मुक्त) से आप क्या समझते हैं?
- आयात वस्तुओं पर कर लगाना एक प्रकार का अवरोध है। सरकार आयात वस्तुओं की संख्या पर भी सीमा लगा सकती है। जिसे कोटा के रूप में जानते हैं। क्या आप चीनी खिलौना का उदाहरण लेकर यह समझ सकते हैं कि व्यापारिक अवरोध में कोटा किस उपयोगी है? क्या आप सोचते हैं कि यह किस तरह उपयोगी है? चर्चा कीजिए।

आज, कई मुख्य विषयों पर निर्णय जो विश्व के बड़े भाग को प्रभावित करते हैं वे वैश्विक प्रभुत्व की संस्थाओं द्वारा लिये जाते हैं। मौसम परिवर्तन इसका अच्छा उदाहरण है। कार्बन उत्सर्जन के विषय में कमी करना व्यक्तिगत देश पर निर्भर करता था। यह तुरन्त ही पता चला है कि यदि एक देश कार्बन उत्सर्जन को कम करता है तो उसे दूसरे स्थान पर उद्योग लगाना पड़ता है, जहाँ कम नियम हो। उत्सर्जन एवं मौसम परिवर्तन के विषय को सभी देशों ने मिलकर सुलझाया। आइए एक और वैश्विक सरकारी संस्था की ओर ध्यान देंगे, वह है- WTO विश्व व्यापार संस्था

विश्व व्यापार संस्था (WTO)

हमने देखा कि भारत में विदेशी व्यापार और निवेश को शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उदारवादिता में सहायता मिली। ये संस्थाएँ कहती हैं कि विदेशी व्यापार एवं निवेश में अवरोध हानिकारक होता है। WTO एक ऐसी संस्था है जिसका लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उदारवादिता है। सबसे प्रथम प्रगतिशील देशों द्वारा आरंभ किये गये, WTO ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कानून का निर्धारण किया और देखा कि इन कानूनों का पालन किया जाय। लगभग विश्व के 150 देश वर्तमान में WTO के सदस्य हैं।

जबकि WTO ने सभी के लिए मुक्त व्यापार को सहयोग दिया, यह देखा गया कि प्रगतिशील देशों ने व्यापार में अवरोधों को अनुचित रूप से जकड़े रखा है। दूसरी तरफ, WTO प्रगतिशील देशों को व्यापारिक अवरोधों को हटाने के लिए विवश कर रहा था। यह कृषि क्षेत्र में व्यापार पर हुए तत्कालीन वाद-विवाद का उदाहरण है।

भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव

लोगों के जीवन पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ? क्या वैश्वीकरण उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों के समृद्ध क्षेत्रों में। यह उन उपभोक्ताओं के लिए महा चुनाव है जो विकसित गुणों का मजा ले रहे हैं और कई उत्पादों को कम कीमत पर प्राप्त कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये लोग पहले की जीवन शैली से अब उच्च स्तर के जीवन का आनन्द ले रहे हैं। उत्पादकों तथा श्रामिकों में, वैश्वीकरण का प्रभाव समान रूप से नहीं हुआ।

सबसे प्रथम, भारत में MNC ने पूँजी निवेश में वृद्धि की, इसका अर्थ है भारत में निवेश उनके लिए अधिक लाभदायक रहा। MNC मुख्य रूप से सेल फोन, आटोमोबाईल्स, विद्युत उपकरण, साफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या सेवाएँ जैसे नगरीय क्षेत्रों में बैंकिंग आदि में अधिक रुचि लेते हैं। इन कंपनियों के पास कई समृद्ध ग्राहक भी होते हैं। इन उद्योगों एवं सेवाओं में, नए रोजगार निर्मित किए जाते हैं। स्थानीय कम्पनियाँ भी कच्चा माल वितरण करती हैं, जिससे ये उद्योग समृद्ध बनते हैं।

इसके अतिरिक्त कई भारतीय कम्पनियाँ प्रतियोगिता के विकास से लाभ प्राप्त कर रही हैं। वे नयी तकनीकी और उत्पादन प्रक्रिया में नियोजन करती हैं और अपने उत्पादनों के स्तर में बढ़ोत्तरी करती हैं। कुछ विदेशी कम्पनियों के साथ सफलतापूर्वक मिलकर लाभ प्राप्त कर रही हैं।

भारत में कृषिक्षेत्र रोजगार की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसकी तुलना US जैसे प्रगतिप्राप्त देश से कीजिए जिसका कृषि में GDP 1% है तथा सम्पूर्ण रोजगार में 0.5% अंश है। U.S. में बहुत कम अंश में जनता कृषि से जुड़ी है, परन्तु US सरकार उत्पादन से और इसे देशों को निर्यात करने के बदले बहुत धन प्राप्त करती है। इतने धन के मिलने के कारण US के किसान खेती के उत्पादनों को बहुत कम कीमत पर बेच सकते हैं। खेतों के उत्पादन का अधिक भाग अन्य देशों के बाजारों में सस्ते दामों में बेचते हैं इसके विपरीत इन देशों के किसानों पर इसका प्रभाव पड़ता है।

इसीलिए प्रगतिशील देश प्रगति प्राप्त देशों की सरकार से पूछते हैं कि, “हमने WTO के नियमों के अनुसार व्यापारिक अवरोधों को कम कर दिया है। परन्तु आपने WTO के नियमों का उल्लंघन किया है और निरन्तर अपने कृषकों को अधिक धन दे रहे हैं। आपने हमारी सरकार से किसानों को समर्थन नहीं देने के लिए कहा है। किंतु आप अपने किसानों को समर्थन दे रहे हैं। क्या यह स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार है?”

- रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए
..... देशों ने WTO के आरंभ में पहल की। WTOके लिए है। WTO कानून की स्थापना के सदंर्भ में सभी देशों देखती है। वास्तव में देशों के बीच व्यापार में नहीं हुआ। भारत जैसे प्रगतिशील देश, जबकि प्रगति प्राप्त देश कई चीजों में अपने उत्पादन कर्ता को सुरक्षा प्रदान कर रहे है।
- क्या आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे देशों के मध्य उचित व्यापार किया जा सके?
- उपरोक्त उदाहरण में, हमने देखा कि किसानों को उत्पादन के लिए U.S बहुत धन दे रहा है। उसी के साथ इस प्रकार के उत्पादों में प्रोत्साहन के लिए सरकार भी सहायता दे रही है, जो पर्यावरणीय प्रेमी है। चर्चा कीजिए कि क्या ये उचित है या नहीं?

अधिकतर वैश्वीकरण ने भारतीय कम्पनियों को बहु राष्ट्रीय बनने के योग्य बनाया। टाटा मोटर्स (आटोमोबाईल्स) इन्फोसेस (IT), रेनबेक्सी (दवाईयों) एशियन पेन्टस (पेन्टस), सुन्दरम फास्टनरस (नट्स और बोल्टस) आदि कुछ भारतीय कम्पनियाँ हैं जिनकी क्रियाएँ विश्व स्तर पर दिखाई देती हैं।

वैश्वीकरण ने विशेषकर उन कम्पनियों को नए अवसर प्रदान किए जो IT के साथ विशेषतः जुड़ी हुई हैं। लन्दन आधारित कम्पनी के लिए भारतीय कम्पनी ने पत्रिका बनाई तथा काल सेन्टर उसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त अधिक संख्या में मेजबान सेवाएँ जैसे आँकड़े लिखना, हिसाब किताब, प्रशासनिक वार्ता, इंजीनियर आदि भारत जैसे देशों में सस्ते कर दिए गए तथा प्रगति प्राप्त देशों को निर्यात किये गये है।

लघु उत्पादनकर्ता : स्पर्धा या विनाश

वहु संख्यक लघु उत्पादन कर्ता तथा श्रमिकों के लिए वैश्वीकरण महा चुनौती बन गया है।

वर्तमान वर्षों में भारत की केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें भारत में पूंजी नियोजन करने के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) कहा जाता है, स्थापित की गई है। SEZ के पास विश्व स्तरीय सुविधाएँ होती हैं, विद्युत, जल, सड़क मार्ग, परिवहन, सुविधाएँ आदि। जो कंपनियाँ SEZ के उत्पादन इकाइयों में स्थापित होती हैं उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता है।

सरकार ने श्रमिक कानूनों को भी कुछ लचीला बना दिया है जिससे विदेशी पूंजी नियोजन को आकर्षित किया जा सकता है। हमेशा के अनुसार कम्पनी द्वारा मजदूरों को किराए पर लिए जाने के बदले, जब कभी काम का अधिक दबाव बढ़ जाता है तो कम्पनियाँ थोड़े समय के लिए मजदूरों को “छूट” (लचीला) पर किराये पर ले सकती है। यह कम्पनी के लिए पारिश्रामिक कम करने के लिए किया जाता है। विदेशी कम्पनियों ने श्रमिक कानूनों में लचीलेपन की माँग की।



रवि ने कभी आशा नहीं की थी कि उद्योगपति के रूप में जीवन के इस छोटे दौर में उसे कष्टों को झेलना पड़ेगा। 1992 में तमिलनाडु के औद्योगिक शहर हुसूर में रवि ने बैंक से ऋण लेकर अपनी केपेसिटर कम्पनी लगाई। केपेसिटर का उपयोग कई घरेलू विद्युत उपकरणों जैसे ट्यूब लाइट, दूरदर्शन, आदि में होता है। तीन वर्षों के भीतर उसने उत्पादन को बढ़ा दिया तथा 20 कर्मचारी उसके अधीन कार्यरत थे।

- प्रतियोगिता ने भारत में किस प्रकार लोगों को लाभ पहुँचाया?
- कुछ अन्य भारतीय कम्पनियाँ MNC की तरह उभरनी चाहिए? देश के लोगों के लिए यह कैसे लाभकारी हैं।
- क्यों सरकार विदेशी निवेश को अधिक आकर्षित कर रही है?
- किसी एक की प्रगति अन्य के लिए विनाशकारी होती है कहीं हमने पढ़ा था। भारत में कुछ लोगों ने SEZs का विरोध किया था। पता कीजिए कि वे कौन लोग थे और उन्होंने विरोध क्यों किया था?

निम्न दृश्य के लिए काल्पनिक शीर्षक लिखिए। यह वैश्वीकरण के लिए क्या बताता है?



सरकार ने WTO के 2001 समझौते के अनुसार प्रतिबन्धों को हटा दिया जो केपेसिटर के आयात पर लगाए गए थे, तो उसने अपने द्वारा स्थापित कंपनी के लिए संघर्ष शुरू किया। उसकी प्रमुख ग्राहक, दूरदर्शन कंपनियाँ थीं, जो विभिन्न पार्ट्स के साथ-साथ केपेसिटर दूरदर्शन सेट बनाने के लिए खरीदती थीं। MNC ब्राण्ड की प्रतियोगिता के कारण MNC क्रियाओं के साथ मिलने के लिए भारतीय कंपनियों पर दबाव उत्पन्न हुआ। इन में से कुछ ने केपेसिटर बनाये तथा उन्हें आयातित वस्तुओं की कीमत पर आयात करना चाहा जो रवि जैसे लोगों द्वारा लगाई गई कीमत की आधी थी।

रवि अब 2000 में उत्पादित किए जाने वाले केपेसिटर की तुलना में आधा उत्पादन करने लगा और अब केवल सात कर्मचारी उसके साथ काम करते थे। हैद्राबाद और चेन्नई में समान व्यापार करने वाले रवि के मित्रों ने अपने यूनियन्स को बन्द कर दिया।

- वे कौनसे मार्ग थे जिनसे रवि की लघु उत्पादन इकाई प्रतियोगिता के उदय से प्रभावित हुई?
- रवि जैसे उत्पादन कर्ता ने उत्पादन बन्द कर दिया क्योंकि अन्य देशों के उत्पादनों की दर से इन देशों की उत्पादन दर उच्च थी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
- वर्तमान अध्ययन यह बताता है कि भारत में लघु उत्पादन कर्ता को बाज़ार में प्रतियोगिता के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता है; (a) उचित सड़कें, विद्युत, जल, कच्चा माल, बाज़ार तथा सूचना जाल, (b) तकनीकी की वृद्धि एवं आधुनिकीकरण, (c) उचित ब्याज दर पर समय पर ऋण मिलने की सुविधा। समझाइए कि ये तीनों चीज़ें भारतीय उत्पादकों की किस प्रकार सहायता करती है?
- आप सोचते हैं कि MNC इनमें निवेश करने में रुचि लेते हैं? क्यों?
- क्या आप सोचते हैं कि सरकार इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में भूमिका निभाती है? क्यों ?
- किसी अन्य कदम के बारे में सोचिए जो सरकार उठा सकती है? चर्चा कीजिए।

उचित वैश्वीकरण के लिए संघर्ष

उपरोक्त घटना यह सूचित करती है कि हर कोई वैश्वीकरण से लाभान्वित नहीं हुआ। शिक्षित, कुशल एवं समृद्ध लोगों ने इस नई योजना से अधिक लाभ उठाया। दूसरी ओर, ऐसे कई लोग थे जिन्हें लाभ का आंशिक लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। तभी से वास्तव में प्रश्न यह है कि वैश्वीकरण कैसे अधिक “न्यायसंगत” बनाया जाय? न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का निर्माण करती है तथा सुनिश्चित करता है कि वैश्वीकरण का लाभ सभी को मिले।

सरकार ने इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण पात्रता निभाई। इसकी योजनाओं ने न केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के हितों की रक्षा की बल्कि देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा भी की। सरकार द्वारा इसे संभव करने वाले कदमों के बारे में आपने पढ़ा ही है। उदाहरण के लिए, सरकार यह आश्वासन दे कि श्रमिक कानून उचित रूप से लागू किए जाएंगे और कर्मचारियों को उनके अधिकार मिलेंगे। यह उन उत्पादकों की तब तक सहायता करें जब तक

कि वे प्रतियोगिता के लिए शक्तिशाली न बन जाए। यदि आवश्यक हो, सरकार व्यापार और निवेश पर अवरोधों का उपयोग कर सकती है। “उचित नियमों” के लिए WTO से समझौता कर सकती है। यह समान रुचि वाले अन्य विकसित देशों के साथ भी समझौता कर सकती है और WTO में जिन विकसित देशों ने आधिपत्य जमाया है, उनका विरोध भी कर सकती है।

पिछले कुछ वर्षों में तीव्र प्रचार एवं जन संस्थाओं के प्रदर्शन ने WTO में व्यापार एवं नियोजन के महत्वपूर्ण निर्णय पर भी प्रभाव डाला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उचित वैश्वीकरण के संघर्ष में जनता भी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है।

अन्य विषय

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वैश्वीकरण राष्ट्र के हित को देखता है या नहीं? अधिक समय के लिए भौतिक स्तर पर लोगों के संगठन के साथ राष्ट्र-राज्य मुख्य राजनैतिक संस्थाओं के रूप में सीमांकित देशों में उभरते हैं। यह भौगोलिक विभाजन हमारा और उनका भी विभाजन करता है, बाहरी और आन्तरिक रूप से तथा अपने देश के प्रति मनोवैज्ञानिक आधार बनाता है, जो राष्ट्रीयता की भावनाएँ कहलाती हैं। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि यह भावनाओं को धीरे-धीरे घुलनशील बना देती है।

एक और विषय वह है- जो हमारा ध्यान खींचता है, क्या वैश्वीकरण सांस्कृतिक घनिष्ठता को बढ़ाता है या सांस्कृतिक विविधता को विकसित करता है? जबकि कुछ लोग बहस करते हैं कि आधुनिक संचार एवं तकनीक का प्रभाव कुछ संस्कृतियों और विचारों को फैलाता है, जो स्थानीय एवं लघु संस्कृतियों को घटाता है। दूसरे बहस करते हैं कि वैश्वीकरण ने विषम और गिरते सांस्कृतिक रिवाजों को फैलाया है। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ भाषाएँ विस्तृत रूप में उपयोग की जा रही हैं और अन्तर्राष्ट्रीय संचार का माध्यम है, अन्य को अनदेखा किया

गया है तथा कुछ समाप्ति की सीमा पर है।

WB और IMF तथा उनकी शक्तियाँ

अन्तर्राष्ट्रीय पुनःनिर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन (IDA), विश्व बैंक माने जाते हैं। इन दोनों संस्थाओं में 170 से अधिक (प्रत्येक में) सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देश इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखते हैं। आज भी USA का 16% मतदान मूल्य रखता है। कुछ और अन्य देश जैसे जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रान्स के पास 3 से 6% तक मतदान अधिकार है। निर्धन देशों को मतदान अधिकार कम है। आज भारत या चीन के पास भी अन्य गरीब देशों की अपेक्षा अधिक मतदान मूल्य है। विश्व बैंक उन्हें राय देता है और सरकार किस प्रकार योजनाएँ लागू करें और उनका मार्गदर्शन करता है।

उपसंहार

वैश्वीकरण देशों की समाकलन की तीव्र प्रक्रिया है। 20 वीं शताब्दी में गोलक पर महा परिवर्तन हुआ है। इसमें आर्थिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक मोड़ (दृष्टिकोण) हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान चरण का एक प्रमुख प्रयोग चिह्न बहु राष्ट्रीय कार्पोरेशन का अत्यधिक सम्पत्ति और शक्ति के द्वारा व्यापार और निवेश पर नियंत्रण और बाजारों एवं उत्पादनों का समाकलन है। उदारीकरण द्वारा

व्यापार और निवेश पर से अवरोध हटा देने से वैश्वीकरण से विवश कर आर्थिकता को खोल दिया है।

वैश्वीकरण के लाभ असमान रूप से वितरित किए गए। समृद्ध उपभोक्ता तथा कुशल, शिक्षित एवं अधिक सम्पत्तिवान उत्पादन कर्ता को इसका लाभ मिला। कुछ सेवाएँ योग्य तकनीकी का विस्तार हुआ। दूसरी ओर हजारों लघु उत्पादकर्ता और कर्मचारियों के रोजगार एवं काम के अधिकार क्षीण हो गए। यह महत्वपूर्ण है कि हमें वैश्वीकरण के स्वभाव के दोनों पहलुओं को समझना चाहिए।

असमानता का दूसरा दृष्टिकोण, जो हमने देखा है वह है नीतियों के विषय में धनी देशों के नियंत्रण का प्रभाव। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के आदान प्रदान - व्यापार, निवेश, स्थान परिवर्तन या घरेलू विषय सभी पर धनी पश्चिमी देशों का विश्व के बचे भाग पर अनुचित प्रभाव रहा। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WTO, WB और IMF विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों की रुचियों का प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए वैश्वीकरण के समर्थक वैश्विक समाकलन की विशेषताओं के बारे में बोलते हैं और वैश्वीकरण विकास और समृद्धि का एक अवसर है, यह मानते हैं। इसके आलोचक यह दर्शाते हैं कि यह कुछ देशों का पश्चिम विश्व पर वर्चस्व पाने का दूसरा उपक्रम है। वे कहते हैं कि यह निर्धन देशों में प्रजातन्त्र, कर्मचारियों के अधिकार और वातावरण के लिए हानिकारक है।

मुख्य शब्द

बहुराष्ट्रीय संस्थाएँ (MNCs)
विदेशी निवेश

राष्ट्रीय राज्य
विदेशी व्यापार

प्राद्योगिकी
उदारीकरण

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

1. भारतीय सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण हैं? वह इन अवरोधों को हटाने की इच्छुक क्यों हैं ?
2. श्रमिक कानूनों में लचीलेपन का कम्पनियों को क्या लाभ मिलता है ?
3. किन विभिन्न मार्गों द्वारा MNC अन्य देशों में स्थापना, नियंत्रण, और उत्पादन करती है ?
4. क्यों विकसित देश विकास शील देशों से उनके व्यापार और नियोजन में उदारीकरण करवाना चाहते हैं?
5. “वैश्वीकरण का प्रभाव समान रूप से नहीं हुआ।” इस कथन को समझाइए ?
6. किस प्रकार व्यापार एवं निवेश नीतियों में उदारीकरण ने वैश्विक प्रक्रिया में सहायता की?
7. भविष्य में वैश्वीकरण निरन्तर बना रहेगा। आज से 20 वर्षों बाद विश्व कैसे होगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आपके उत्तर के लिए कारण बताइए।
8. संसार के मानचित्र में निम्नांकित स्थानों को सूचित कीजिए।

1) चीन

2) जपान

3) ब्राजील

4) दक्षिण आफ्रिका



चित्र 10.1 लाइफ पत्रिका से लिया गया चित्र:

(अ) मालगाड़ी से अन्न जमा करने का प्रयास करते हुए बच्चे (आ) भूमि पर गिरे हुए अन्न को बुहारती हुई महिला

आज़ादी से पहले भारत में अकाल में खाद्य का बृहद स्तर पर अभाव था। बड़े स्तर पर भूख से मौत एक सामान्य कारण था। उदाहरण के लिए 1943-45 में बंगाल में अकाल के समय 3 से 5 मिलियन लोग बंगाल, असम और उड़ीसा के आस-पास रहते थे। निम्नलिखित को पढ़िए।

“मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। जीवनयापन के लिए मैं प्रतिदिन एक मज़दूर का कार्य करता था। उस समय अपने पिताजी को गाँव में छोड़कर, अपने भाई-बहनों को साथ लेकर कलकत्ता आ गया। भोजन के लिए उनके पास केवल थोड़ा सा आटा था। हम जहाँ भी भोजन बाँटा जा रहा था उन सभी जगहों पर गये। कलकत्ता की गलियों में मैंने बहुत से लोगों को संघर्ष करते हुए देखा। मैंने उन माताओं को देखा जिनके बेटे वास्तव में मर चुके थे, पर उन्हें हाथों में थामे वे घूम रही थीं। लेकिन माताएँ फिर भी उन पर पानी के छींटे मार रही थी ताकि, वे सक्रिय अवस्था में आ सकें। मैंने बहुत सी चीजों को देखा। उन लोगों को देखा जो साँप और घास तक को खा रहे थे। मैं अपने एक भाई-बहन को खो चुका था।

वहाँ पर कुछ लोग किसान थे जो कृषि से जुड़े थे। वे भिखारी नहीं थे इसलिए भीख माँगना नहीं जानते थे। उनके अंदर बहुत स्वाभिमान था। जब वे आये तो फुटपाथ पर बैठे-बैठे उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसी तस्वीरें जब कलकत्ता की जनता के सामने आईं तभी वे लोग इतने बड़े स्तर की आपदा के बारे में समझ सके।”

बंगाल में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा खाद्यान्नों के वितरण के आयोजन को ठुकराने के कारण भारत की स्वतंत्रता के पूर्व ही बंगाल में महान् अकाल पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों ने लोगों में खाद्यान्न की सुनिश्चितता के लिए

अनेक प्रणालियों का निर्माण किया। राशन की दुकान जहाँ जाकर जनता सब्सिडी मूल्य (अनुदान) पर खाद्य पदार्थ खरीदती हैं। मध्याह्न भोजन जिसे आप जैसे बहुत से लोग खाते हैं। आंगनबाड़ी जहाँ छोटी आयु के बच्चे सुरक्षा पाते हैं, दिन का भोजन आदि के लिए सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इस अध्याय में हम खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों को देखेंगे।


पहला खण्ड संपूर्ण खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देता है। उत्पादन का मुद्दा और भोजन की उपलब्धता सारे देश के लिए है। दूसरा खण्ड जनता को मिलने वाली सुलभताओं के बारे में चर्चा करता है - उपलब्ध भोजन लोगों तक पहुँचे-इसे कोई एक व्यक्ति कैसे सुनिश्चित कर सकता है। अंत में, इन नीतियों की प्रभावोत्पादकता को जानने के लिए हमें परिवारों के पौषण स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

देश के लिए खाद्य सुरक्षा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि (Food Security for the Country, Increasing foodgrain production)

खाद्य सुरक्षा के लिए प्रचुर मात्रा में उनका उत्पादन करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भारत में इसका अभिप्राय है कि, सरकार इस तरह की स्थितियों को बनाए ताकि किसान प्रचुर मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन कर पाए।

आरेख 1 का निरीक्षण करें एवं रिक्त तालिका को भरें। (प्रत्येक बिंदु का महत्व और y- अक्ष की सही राशि को जानने के लिए एक स्केल का उपयोग करें।)


- खाद्य उत्पादन में 1970-71 से तक वृद्धि हुई। धान के उत्पादन में, 1970-71 में 40 मिलियन टन से 2010-11 तक मिलियन टन की वृद्धि हुई है। गत 40 वर्षों में उत्पादन में वृद्धि की एक और प्रमुख खाद्य फ़सल। धान, गेहूँ की तुलना में - 1970-211 तक के समय में उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण हो सकता है।
- अध्याय '9' 'रामपूर गाँव : एक ग्रामीण - अर्थ व्यवस्था' में भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन वाले भाग को फिर से पढ़िए। भूमि से फसल उत्पादन की वृद्धि के लिए कौन-कौन से संभावित कारक है?



पिछले कुछ दशकों से खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। फसल एक जटिल चरराशि बन गयी है। आरेख:2 को देखिए।

प्रति हेक्टर फसल की उपज में आवश्यक आगतों द्वारा उचित तरीके उपलब्ध कराकर फसल में न्याय संगत तरीके से वृद्धि की जा सकती है। इसका एक रास्ता यह है कि, सिंचाई के जल का उपयोग समुचित तरीके से हो।

आरेख 2 : चुनिंदा खाद्यान्नों की फसल
(प्रति हेक्टर में किलो ग्राम)



क्योंकि जल सिंचाई का एक आवश्यक साधन है, इसलिए इसे प्रत्येक के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक है।

कम उपज वाली पैदावार को सारणी 2 में दिखाया गया है जो कि ज्यादातर सूखी जमीन में पैदा होती हैं। जहाँ वर्तमान में यहाँ तक कि, भविष्य में भी सिंचाई की सुविधा कम है। सूखा अवरोधक फसलों को स्थानीय स्थिति में भी लगाने पर पैदावार में वृद्धि हो सकती है।

यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम यह सुनिश्चित करें कि, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन इस प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त न हो। कुछ वैज्ञानिक एवं कुछ लोग जो कृषि क्षेत्रों में काम करते हैं, वे बताते हैं कि किस प्रक्रिया द्वारा भारत में धान

और गेहूँ के खेतों की जुताई होती है। किस तरह अवैज्ञानिक तरीके से रासायनिक खाद कीटनाशक का लगातार प्रयोग होता है। जो उपज की दर में निरंतर किंतु अस्थायी वृद्धि करता है। यह विधि नम भूमि के अपक्षय को बढ़ाती है। यदि यही स्थिति रहेगी तो वृद्धि की अपेक्षा हमारी फसलों और कम होती जायेगी एवं भूमिगत जल में भी कम होगी।

नीचे के गद्यांश में धान और गेहूँ की प्रति हेक्टर उपज का वर्णन किया गया है। रिक्त स्थान भरिए।

- दो फसलों ----- और ----- में हमेशा न्यून पैदावार होती है जब हम धान और गेहूँ से उसकी तुलना करते हैं। कुछ वर्षों से दोनों में धीमी वृद्धि है।
- जवार की पैदावार की वृद्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है? चर्चा कीजिए।
- लंबे समय से धान और गेहूँ की पैदावार में वृद्धि में योगदान देने वाले कारक क्या है?

खाद्यान्नों की उपलब्धता (Availability of Foodgrains)

हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि एक देश संपूर्ण देश खाद्यान्न के उत्पादन में समर्थ है या नहीं। हम कैसे समझेंगे कि, सभी के लिए भोजन है या नहीं? क्या वह भोजन परिवार तक पहुँचता है? इसकी जाँच बाद में की जाएगी। पहले हम यह देखें कि क्या उपलब्ध है? अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति के लिए देश में खाद्यान्न की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होगी एवं कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि होगी। खाद्यान्न में वृद्धि क्या सच में संभव है?

यहाँ उत्पादन एवं खाद्यान्न की उपलब्धता में अंतर है? इसका आकलन ऐसे हो सकता है।

खाद्यान्न की वार्षिक उपलब्धता = उस वर्ष के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन (उत्पादन-बीज, भोजन, व्यर्थपदार्थ)+ वास्तविक आयात (आयात - निर्यात) - स्टॉक में परिवर्तन सरकार के साथ (वर्ष के अंत में स्टॉक - प्रारंभ में स्टॉक)

प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धता = (वर्ष भर के खाद्यान्न की उपलब्धता ÷ आबादी)/365

उत्पादन निर्यात और सरकारी स्टॉक में परिवर्तन संबंधी सूचनाएँ नीचे तालिका में दी गयी हैं। (1971, 1999 एवं 2011 के) उत्पाद, आयात का एक तरीका है जिससे खाद्यान्न की उपलब्धि किसी विशेष साल में बढ़ाई जा सकती है। सरकार के भंडार में बदलाव खाद्यान्न की उपलब्धि बढ़ाने का एक और तरीका है। उदाहरण के लिए सरकार अपने भंडार में से चावल बेचकर उसकी उपलब्धि बढ़ा सकती है।

जिस समय सरकार का चावल भंडार कम होता है, उसी समय उस साल उपलब्ध चावल की मात्रा खपत के लिए बढ़ जाती है।

(सरकारी भंडार के बारे में आप अगले भाग में पढ़ेंगे।)

जैसा कि 1971 के लिए दिखाया गया है, वैसे ही 1991 और 2011 के प्रति व्यक्ति के लिए खाद्यान्न उपलब्धि की गणना कीजिए।

तालिका 1: खाद्यान्न की उपलब्धि - प्रति व्यक्ति

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	खाद्यान्न का वास्तविक उत्पादन	वास्तविक निर्यात	सरकारी भंडार में परिवर्तन	खाद्यान्न की वास्तविक उपलब्धता	प्रति दिन प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्धि (ग्राम)
col (1)	col (2)	col (3)	col (4)	col (5)	col (6)	col (7)
1971	551	94.9	2	2.6	col (3) + col (4) - col (5) = 94.3	$= \{ \text{col (6)} / \text{col (2)} \} / 365$ $= (94.3 / 551) / 365$ $= 0.000469 \text{ टन} *$ $= 0.000469 \times 1000$ $= 0.469 \text{ किलोग्राम} *$ $= 0.469 \times 1000$ $= 469 \text{ ग्राम}$
1991	852	154.3	-0.1	-4.4		
2011	1202	214.2	-2.9	8.2		


* नोट: 1 टन = 1000 किलोग्राम; 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम

मिलियन टन

- अपनी गणना के आधार पर रिक्त स्थान भरिए: 1971 और 1991 के बीच प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि _____ (बढ़ी/घटी) है लेकिन 2011 में _____ (कम/ज्यादा) थी। कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि कम होने के बावजूद यह सब हुआ है। भविष्य में सरकार को _____ के जरिए अधिक उपलब्धि सुनिश्चित करनी होगी।

खाद्यान्न के अंतर्गत क्या आता है?

(What falls under food grains)



बहुत लोग सोचते हैं कि मोटा अनाज हीन होता है। इन्हें मोटा कहा जाता है इसलिए हम समझते हैं कि ये खुरदुरे और अस्वास्थ्यकर होते हैं। वास्तव में ये ही पोषक और पूर्ण आहार होते हैं। देश के शुष्क भागों में रहने वाले लोगों का यह प्रमुख आहार है। भारत के घरों में ये 'मोटे' अनाज उपनिवेशी शासकों के कारण प्रचलित हुए क्योंकि वे सफेद चावल और गेहूँ की प्राप्ति के लिए स्थानीय अनाज और सांस्कृतिक रिवाजों पर निर्भर होने लगे। बहुत लोग इन अनाजों को 'पोषक-अनाज' कहते हैं।

अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता (Availability of Other Food Items)

जब लोग प्रचुर मात्रा में फल, सब्जी, दूध और माँस, मछली की माँग करते हैं तो यह उपभोगविधि में परिवर्तन लाता है। यह एक अच्छा संकेत है उपभोक्ता के लिए और उत्पादक के लिए। उपभोक्ताओं को विभिन्न खाद्य पदार्थों और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। किसान विभिन्न प्रकार की फसल का उत्पादन कर रहे हैं ताकि खाद्यान्न में विविधता के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो। आप स्मरण कीजिए कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा कि, तेलंगाना में किस तरह किसान तनाव की स्थिति से गुजरें हैं। यहाँ तक कि, उन्होंने आत्म हत्या भी की। क्योंकि पिछले दो दशकों में तेलंगाना में खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नगदी फसलों जैसे कपास को उगाया गया था। किसान इसके बदले में अपना ध्यान इसके समान अन्य कार्यों जैसे - पोल्ट्री, (मुर्गीपालन) मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन आदि जो नए अवसर किसानों को देते हैं, उन पर लगा सकते हैं।

कुछ वर्षों में अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन यह खाद्य की आवश्यकता की न्यूनतम दर है। जो संतोषजनक नहीं है। आहार विज्ञानी यह सलाह देते हैं कि, प्रत्येक व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम फल एक दिन में लेना चाहिए। किंतु यह खाद्य सामग्री क्रमशः 180 ग्राम एवं 58 ग्राम ही मिल पाती है। उसी तरह अंडा की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति 180 है पर इसकी उपलब्धता है-30। मांस की आवश्यकता 11 किलो है पर प्रत्येक व्यक्ति को 3.2 किलोग्राम उपलब्ध हो पाता है। हमें 300 मिली लीटर दूध की आवश्यकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 210 मिलीलीटर दूध ही उपलब्ध हो पाता है।

किसानों को निवेश के संबंध में सहयोग की आवश्यकता है। अन्य विविध खाद्यान्न के लिए उन्हें बाजार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इस नयी परिस्थिति में जिस चुनौती का सामना वे 'बाजार' में करते हैं उसमें किसानों को समर्थन, सहयोग एवं निर्देशन की आवश्यकता होती है।

कृषिगत विविधता (Agricultural Diversification)

मिदनापुर में लाल लेटराइट मिट्टी है। यह गाँव बोर कोल्लाह ग्राम पंचायत क्षेत्र में कसपाल था। ज्यादातर लोगों के पास ट्यूबवेल थे। जल स्रोत में वृद्धि के लिए बैंक ऋण देता था। मैंने हरि प्रसाद समंथा से बात की। चिट्टू, मैती, जार लंका एवं अन्य किसी के पास दो एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं थी। तकनीक अच्छी है। परिष्कृत बीज यूनिवर्सिटी के द्वारा आते थे जो कि धान के लिए स्थानापन्न था। लेकिन वे नगदीफसलों एवं सब्जी से प्रचुर पैसा बनाते थे। ये बीज व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से आने की वजह से महंगे थे। उसी समय एक अच्छी शुरुआत हुई थी- दुग्ध उत्पादन की और उनमें से सभी के पास तीन से पाँच गाये थीं। महिलाएँ इनकी देखभाल करती थीं। किसान जानते थे कि सर्वश्रेष्ठ दलहन महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से आ रही थी। उनकी स्वयं की सरसों (राई) बहुत अच्छी किस्म की थी। जमीन की ढलान नदी से ऊपर थी। दो सौ तीन सौ मीटर के बीच की दूरी मैंने दूसरे गाँव पर ध्यान दिया। लगभग आधी आबादी गरीब थी। यह दूसरी फसल के साथ एकाधिकार वाली फसल का क्षेत्र था। यह फसल वर्षा पर आधारित थी। पैदावार निम्न थी। कई उत्तर संभावित थे किंतु योजना और सरकार की सहायता के बिना उनमें विविधता उत्पन्न करने की बात एक प्रकार का मजाक थी।

उसके लिए ध्यान देने की बात है कि, कृषिगत विविधता का प्रभाव खाद्यान्न के उत्पादन पर पड़ता है। इसके कारण नीति असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसे योजना के द्वारा सावधानी पूर्वक निर्वहण करना चाहिए। आज भी संसाधनों का उपयोग कृषि के अलावा अन्य चीजों में हो रहा है। जिसकी वजह से उत्पादन दर निम्न हो सकती है। जब हम अन्य देशों से इसकी तुलना करते हैं तो पाते हैं कि, यह दर भारत में अत्यंत अल्प है। यूरोप में यह (700 ग्राम) और USA(850 ग्राम) है। भारत में खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता की स्थिति चिंताजनक है। एक गरीब घरेलू उर्जा का अधिक निष्कासन करता है और उस उर्जा को पाने के लिए पूर्णतः खाद्यान्न पर निर्भर करता है इसीलिए नीति का उद्देश्य खाद्यान्न के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी होना चाहिए।


- उन शब्दों और वाक्यों को रेखांकित कीजिए जो हमें कृषिगत विभिन्नता के बारे में बताती हैं और सविस्तार बताइए कि ये भारतीय किसानों के लिए क्यों आवश्यक है।
- अपने-अपने गाँव की या जिस गाँव के बारे में आप जानते हैं उसकी कृषिगत विभिन्नता का वर्णन कीजिए।

भोजन की सुलभता (Access to Food)

अगला महत्वपूर्ण पहलू खाद्य सुरक्षा का है ताकि, खाद्य-पदार्थ सुलभ हो सके। अन्य पदार्थों एवं खाद्यान्नों का उत्पादन संतोषजनक नहीं है। प्रत्येक को उपभोग के लिए इसे खरीदने में सक्षम होना चाहिए। क्या प्रत्येक व्यक्ति खाद्यान्न की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु समर्थ है?

आप स्मरण कर सकते हैं जो आपने आठवीं कक्षा में पढ़ा है। भोजन जो हम खाते हैं, वह हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है एवं कैलोरी प्रदान करता है। यह हमारे कार्य करने में सहायक होता है। यदि हम कम से कम पोषक तत्व युक्त भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है जिससे हम कमजोर हो जाते हैं तथा काम नहीं कर पाते हैं। तो यह हमारे स्वास्थ्य एवं

आरेख - 3 : ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ली जाने वाली कैलोरी



व्यय

* 'व्यय' के विवरण के बारे में, आप आठवीं कक्षा के इसी आरेख से पढ़ चुके हैं।

से कम लेता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80% लोगों के भोजन में आवश्यक कैलोरी की खपत कम है। आरेख 3 में आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोग कैलोरी की न्यूनतम मात्रा ले पाते हैं। वे मानकीकृत 2400 कैलोरी से कम कैलोरी का उपभोग करते हैं। तथापि ये लोग कठिन मेहनत और शारीरिक श्रम करते हैं।

न्यूनतम कैलोरी का सबसे बड़ा कारण है लोगों की क्रय-शक्ति का कम होना। लोगों के पास पर्याप्त आय नहीं है कि, वे खाद्य पदार्थ खरीद सके। यहाँ पर बहुत से कारण हैं जो आप पढ़ चुके हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जन संसाधन आदि। आगे पढ़ने से पहले क्या आप इनमें से कुछ का स्मरण कर सकते हैं?

जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System (PDS))

राशन की दुकान लोगों की खाद्यान्न आवश्यकता को पूर्ण करने का महत्वपूर्ण जरिया है। 2004-05 में एक सर्वेक्षण किया गया था; यह पता लगाने के लिए कि भिन्न-भिन्न राज्यों के लोग जन वितरण प्रणाली की उचितदरों की दुकानों से क्या खाद्यान्न प्राप्त करते हैं और कुल खाद्यान्न उपभोग में उनका हिस्सा कितना है? आरेख 4 में देखिए। यह भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों की खाद्यान्न पर निर्भरता को दर्शाता है।

- कक्षा आठवीं में की गयी जन-वितरण प्रणाली की चर्चा का पुनःस्मरण कीजिए। देश की खाद्य सुरक्षा से जन वितरण प्रणाली किस प्रकार संबंधित है?

अध्ययन यह बताता है कि, भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली का अच्छा रिकार्ड रहा है। कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ वैश्विक PDS(जनवितरण प्रणाली) को अपनाया नहीं जाता है, अर्थात् सभी के पास न्यून दर पर खाद्यान्न उपलब्ध है। यह विरोधाभास अन्य राज्यों में है जहाँ निर्धन परिवार रहते हैं वहाँ खाद्यान्न अलग दामों पर बेचा जाता है। गरीबों के लिए अलग और अमीरों लोगों के लिए अलग। यहाँ तक कि, निर्धन, अति निर्धन को अन्य हक दिए


कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रत्येक दिन भोजन में आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्तर पर औसत कैलोरी का स्तर ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आवश्यकता से कम है। 1983 और 2004 के बीच में कैलोरी की खपत निम्न है। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है कि, अर्थव्यवस्था में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है।

वितरण की असमानता छिपाया जाना सामान्य नहीं है। बहुत समृद्ध लोग जो खाना खाते हैं वह आवश्यक कैलोरी से ज्यादा पोषक होता है। आबादी का बहुत बड़ा भाग आवश्यक कैलोरी

जाते हैं या सुलभता को सुनिश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अंत्योदय कार्डधारक के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) प्रत्येक परिवार के लिए प्रत्येक माह सुनिश्चित है।

आरेख 4 : 2011-12 में चावल एवं गेहूँ का क्रय (प्रतिशत में) जनवितरण प्रणाली (PDS)



● रिक्त स्थान भरिए।
संपूर्ण भारत में प्रतिशत लोग जन वितरण प्रणाली (PDS) का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ है लगभग प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें जन वितरण प्रणाली से लाभान्वित होना है। 2011-12 में, राज्यों में से कुछ राज्यों जैसे,, में कुल घरेलू उपभोक्ताओं में से केवल एक चौथाई या उससे भी कम प्रतिशत ने, जन वितरण प्रणाली का उपयोग किया था? ऐसा क्यों होता है? कक्षा में चर्चा कीजिए।

जन वितरण प्रणाली और बफ़र संग्रह (PDS and Buffer Stock)

खाद्यान्न के भंडार की देखरेख एवं सुरक्षा मुख्यतः FCI (भारत खाद्यान्न निगम) के द्वारा की जाती है। जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। FCI गेहूँ और चावल उन राज्यों के किसानों से खरीदती है जहाँ इनका उत्पादन प्रचुर होता है। किसान को पूर्व घोषित कीमत इन फसलों के बदले चुकाई जाती है। इसे न्यूनतम समर्थन कीमत कहा जाता है। MSP प्रत्येक वर्ष 'गर्वनमेंट एजेंसी' द्वारा घोषित किया जाता है।

राज्य एवं केंद्र सरकार खाद्यान्न का एक तिहाई भाग किसानों से लेते हैं। वर्तमान स्थिति में यह खाद्यान्न लोगों में विभिन्न यांत्रिकियों द्वारा बाँटे जाते हैं। इस समय सरकारी एजेंसियाँ जन वितरण प्रणाली के आवश्यक खाद्यान्न की अपेक्षा और अधिक खाद्यान्न हासिल कर रही हैं। अगर सरकारी स्टॉक में प्रत्येक एक वर्ष के बाद वृद्धि होती है तो उपलब्धता कम होती है। (देखिए 2011 के सारणी में खाद्यान्न की उपलब्धता) सरकार की आलोचना होती है कि, जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्यान्न नहीं पहुँच पाता है। कभी-कभी सरकार इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करती है। क्या आप सोचते हैं कि खाद्यान्न का निर्यात जो एक मामूली रकम देता है, अच्छा है? जबकि देश की आबादी का बड़ा भाग प्रचुर खाद्यान्न प्राप्ति में सक्षम नहीं है।

2013 में भारत सरकार ने एक नया कानून लागू किया जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कहा गया। कानूनी तौर पर यह लोगों के लिए 'खाद्य का अधिकार' है। यह भारत के दो चौथाई लोगों पर लागू होता है। इस कानून के अनुसार न्यूनतम आय वाला प्रत्येक परिवार 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रत्येक महीने सब्सिडी दर पर पाने का अधिकारी होगा।

इस तरह के परिवारों में अति निर्धनों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न देना सुनिश्चित किया गया। कुछ वर्षों तक केन्द्र सरकार चावल गेहूँ ज्वार बाजरा की आपूर्ति क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये में करेगी। इस नियम-कानून के अनुसार-75% लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और 50% शहरी आबादी को अधिकार के है वे जन वितरण प्रणाली से खाद्यान्न खरीदें। अगर सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं होगी तो खाद्यान्न खरीदने के लिए नगद राशि दी जायेगी। यह कानून यह भी ध्यान रखता है कि, गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली महिलाओं को और 1 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनबाड़ी में आते हैं उनके लिए पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए। 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाय।

भारतीय संसद विभिन्न प्रकार के कानून जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वित कर रही है- जैसे एकीकृत बाल विकास योजना' (ICDS)। जहाँ भारतीय संसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसे अधिनियम और एकीकृत बाल विकास योजना जैसी योजनाएँ लागू कर रही हैं, वहीं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्यायपालिका भी पूर्व सक्रिय हो रही है। पर गैर सरकारी संस्थानों द्वारा याचिकाकृत कोर्ट केसों पर न्यायिक निर्णयों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को आदेश दिया कि पाठशालाओं में पढ़नेवाले सभी छोटे बच्चों को माध्याह्न भोजन उपलब्ध करवायें। पहले यह योजना लघु पैमाने पर तमिलनाडु में प्रचलित थी किंतु इसे अब सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। आज पाठशालाओं में लगभग 14 करोड़ बच्चों मध्याह्न भोजन खाते हैं। जब राज्य सरकार इसे लागू करने से इंकार कर देते हैं तो न्यायालय विभिन्न याचिकाओं और सुझावों द्वारा उन्हें लागू करने का आदेश देता है। जैसे :- मध्याह्न भोजन गर्म-गर्म स्थानीय तौर पर पकाकर दिया जाय (यह अनाज या शुष्क नाश्ते के रूप में न हो) जिसकी आपूर्ति पहले सरकार द्वारा की जाती थी। यह साफ-सुथरा और पोषक (निर्धारित निम्नतम कैलोरी स्तर) हो और सप्ताह के हर दिन अलग-अलग भोजन पदार्थ हो। रसोइये के रूप में दलित, विधवा और लाचार स्त्री को प्रधानता दी जायेगी। यह विश्व की सबसे बड़ा 'विद्यालयी भोजन कार्यक्रम है'। इस योजना के लिए आवश्यक राजस्व की प्राप्ति, सरकार के आदेशानुसार विभिन्न करों द्वारा की जाती है। अब आँगनवाड़ी के बच्चों को भी गर्म, पका हुआ भोजन उपलब्ध हो रहा है।

पोषण स्थिति (Nutrition status)

अंत में, भोजन की वास्तविक पर्याप्तता को देखने के लिए हम बच्चों और व्यक्तियों की पोषण स्थिति को देखेंगे। इससे हमें उपर्युक्त चर्चित व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ इन क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में भी पता चलता है। शरीर के लिए प्रत्येक स्तर पर - उर्जा के लिए, शारीरिक अभिवृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए एवं बीमारियों से लड़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जिस भोजन का हम उपभोग करते हैं उसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है।

कार्बोहाइड्रेट्स : यह उर्जा प्रदान करता है जो गेहूँ, चावल, रागी, ज्वार, खाद्य तेल, चीनी, वसा आदि से मिलता है।

प्रोटीन : यह शारीरिक - मानसिक वृद्धि में सहायक होता है एवं उत्तकों आदि को सक्रिय करता है। यह हमें बीन्स, दाल, मीट, अंडा, चावल, गेहूँ आदि से मिलता है।

विटामिन्स : यह शरीर को सुरक्षा देता है और कई प्रकार के शारीरिक कार्य प्रणालियों को स्वस्थ बनाता है। यह हमें फल, पत्तेदार सब्जी, अंकुरित बीजों, मोटे चावल आदि से मिलता है।

खनिज : इसकी आवश्यकता अल्प मात्रा में शरीर की विभिन्न क्रिया कलापों के लिए होती है। जैसे- रक्त के निर्माण के लिए लौह। यह हमें हरी पत्तेदार सब्जियों, रागी आदि से प्राप्त होता है।

अगर हम एक सर्वेक्षण करते हैं जैसा कि, हमने पूर्व के अध्यायों में किया है। लोग प्रतिदिन जो भोजन करते हैं, उसके बारे में उनसे पूछकर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम ऊपर वर्णित खाद्य समूहों के बारे में मोटा अनुमान लगा सकते हैं। क्या कार्बोहाईड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज आदि प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन सबकी सही मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है। पोषण विज्ञानी, कद, वजन आदि के आधार पर बताते हैं कि व्यक्ति पूर्णपोषित है या नहीं।


इतनी बड़ी आबादी के लिए पोषण विज्ञानी विभिन्न माप-तोलों और सांख्यिकी ज्ञान का उपयोग कर मानक सीमा निर्धारित करते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर पर तुलना संभव है। यह हमें लोगों के पोषण स्तर की वैध सूचना देता है।

‘राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद’ द्वारा एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया। यह जानने के लिए कि देश के विभिन्न राज्यों में पोषण का स्तर कुल मिलाकर क्या है? पिछली कक्षाओं में हमने केस अध्ययन किये हैं जिससे हमें निम्न पोषण और निर्धनता से ग्रस्त परिवारों के बारे में पता चला है, किंतु अब इसकी अदृश्य सांख्यिकी के बारे में जानना जरूरी है। ये हमें इस बात को जानने में सहायता करते हैं कि ये स्थितियाँ अपेक्षाएँ हैं या सामान्य मुद्दे हैं। ये हमें अदृश्य और उन मुद्दों को भी जानने में सहायता करती है जिनके बारे में सभी नहीं जानते हैं।

उपर्युक्त विचार के अनुसार पोषण के स्तर का निर्धारण सामान्यतः सही कद, वजन आदि के परीक्षण के लिए किया जाता है। आप कभी आंगनवाडी में जाकर देखें कि, वे किस तरह इसे करते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास तीव्र होता है। इस उम्र में उनके वजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जो एक वयस्क में नहीं होता है।

इसके लिए वजन का मापन सही होना चाहिए और उम्र भी सही होनी चाहिए। इस जानकारी को पोषक विज्ञानियों द्वारा बनायी गई तालिका में दर्ज किया जाता है। वे देखते हैं कि बच्चे सामान्य श्रेणी में हैं या उससे नीचे हैं। यदि हम एक बच्चे का वजन उसकी उम्र के आगे दर्ज करते हैं तो उसे देखकर हमें पता चल जाता है कि बच्चे का भार कम है।

आरेख- 5 आंध्र प्रदेश के आंगनवाडी केंद्र में बच्चों के वजन का माप लेने के लिए उपयोग किया गया चार्ट



NIN का सर्वेक्षण क्या संकेत करता है? 1-5 वर्ष के सात हजार बच्चों का परीक्षण किया गया। देश के बहुत से राज्यों में 45% बच्चे कम वजन के थे। उनका वजन अपेक्षित मानक वजन से भी कम था। वे बच्चे भूखे थे और पर्याप्त भोजन नहीं पा रहे थे। वे बहुत कम वजन के थे यह आसानी से दृष्टिगोचर हो रहा था। अगर हम सामान्य तौर पर इसे देखें तो हम यह जानने में असमर्थ होंगे कि इस देश में बहुतायत संख्या में बच्चे कम वजन के हैं। इन बच्चों के बारे में हम कहते हैं कि, वे सामान्य हैं। क्योंकि हमें इन्हें ऐसे ही देखने की आदत हो गई है। सर्वेक्षण हमारी सामान्य सोच को झटका देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि, यह स्थिति गंभीर रूप से देश के आधे बच्चों की शारीरिक मानसिक अभिवृद्धि को प्रभावित कर सकती है।

रिपोर्ट कहती है -

“कुल मिलाकर कम वजन का दर 45% था। यह 1-3 साल के बच्चों की तुलना में 3-5 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा था। यह प्रचलन 50% से अधिक गुजरात (58%), मध्यप्रदेश (56.9%) और उत्तर प्रदेश में (53.2%) था एवं केरल में सबसे न्यूनतम (24%) था।” गंभीर रूप से कम वजन की समस्या 16% थी।

- मुहल्ले में एक प्रभावकारी अंगनवाड़ी केंद्र इस स्थिति का सामना किस प्रकार करता है? चर्चा कीजिए।

पोषण विज्ञानी तीन भिन्न-भिन्न सारणियों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में इसकी तुलना करते हैं। यह नीचे दिया गया है। ये तीन भिन्नताएँ हमारे सामने उन बच्चों के पोषण के स्तरों की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

संकेतक	सामान्य दर से कम बच्चों के लिए यह क्या दर्शाता है।	अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए	देश में बच्चों का प्रतिशत %
उम्र के संबंध में वजन का अंकन	कम वजन		45%
कद का अंकन उम्र के परिपेक्ष्य में	वृद्धि में रुकावट	जब बच्चे बहुत समय से कुपोषण से ग्रस्त होते हैं तो उनकी हड्डियों का विकास प्रभावित होता है। ऐसे बच्चों का कद अपनी उम्र से कम होगा। इसे छिपाना बहुत कठिन है।	41%
वजन का अंकन कद के परिपेक्ष्य में	कमजोर	जिन्होंने फिलहाल अपना वजन कम किया है उन्हें अगर पर्याप्त आहार दिया जाए तो वह शीघ्रता से सामान्य हो जायेंगे।	21%

- इस सांख्यिकी का आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस पर एक अनुच्छेद लिखें।

पोषण का स्तर वयस्क पुरुष और स्त्री में “बॉडी मास इंडेक्स” (BMI) के द्वारा मापा जाता है। आपने इसके बारे में पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। [BMI=(वजन किलोग्राम में, कद वर्गमीटर में)]। इस अनुक्रमणिका द्वारा तुलना करके किसी व्यक्ति के बारे में (जैसे:- कम वजन दर, सामान्य वजन या अधिक वजन) बताया जा सकता है। इसके अधिक मात्रा में होने से अधिक चर्बी का तथा कम मात्रा से आवश्यकता से कम चर्बी होने का पता चलता है।

‘NIN’ के रिपोर्ट के अनुसार यह स्थिति वयस्क पुरुष और स्त्री में निम्न प्रकार से है। बहुत लंबे समय से भयावह उर्जा की कमी(BMI<18.5) जो पुरुष में लगभग 35% जब कि वजन की अधिकता(BMI>25) 10% थी.....

35% वयस्क स्त्रियाँ लंबे समय से उर्जा की कमी से ग्रस्त थीं। और 14% वजन अधिक होने से मोटी थीं। दीर्घकालिक उर्जा की कमी वाले राज्यों में उड़ीसा, गुजरात और उत्तर प्रदेश है। इसके पश्चात 33-38% कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं।

यह किस तरह खाद्य सुरक्षा से संबंधित है? एक डॉक्टर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में एक समुदाय स्वास्थ्य योजना के तहत काम कर रहा है। जहाँ कम वजन के मरीजों की संख्या बहुतायत में थी। प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या का संबंध उस अध्ययन से था, जिसमें पाया गया कि PDS अनाज 35% कि०ग्रा० प्रत्येक महीना एक परिवार के लिए दिया जाता है, वह केवल 11 दिनों तक ही चलता है। महीने के अंत में वे बाजार अथवा स्वयं के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं।



Fig 10.2 : PDS दुकान

उदाहरण के लिए एक रिक्शाचालक विलासपुर में 70-80 रुपये पाता है। 400 रुपये किराये और 100 रुपये बिजली के देने के बाद वह PDS अनाज पर ही गुजारा करता है। ऐसे

में यह आश्चर्यजनक नहीं था कि, उसने अपना वजन खो दिया और क्षय रोग का शिकार होगया था। ये पैमाने खाद्य सुरक्षा को संकेतित करते हैं। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर ने कहा -

“किसी का वजन, और कद कम नहीं होगा अगर वह पर्याप्त आहार लेता है। तंदुरुस्ती का साक्ष्य उसके आहार में है। लंबाई और वजन के पैमाने के द्वारा हम PDS के प्रभाव को, उगाई जानेवाली फसलों के महत्व को, लोगों की क्रय-शक्ति को समझ सकते हैं। इसके साथ ही किसी व्यक्ति का कद यह बता देता है कि उसके बचपन में उसे पर्याप्त एवं सही आहार मिला था या नहीं। कुपोषित और छोटे कद वाले लोगों को देखकर यह समझा जाता है कि ये लोग कुपोषण के शिकार है लेकिन मेरे हिसाब से सही नाम ‘भूख’ होगा।

निष्कर्ष (Summing up)

पहले अनुभाग का परीक्षण ‘खाद्य सुरक्षा’ मुद्दे के लिए देश में भोजन के कुल उत्पादन के दृष्टिकोण से किया गया। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। आगे हम विचार करेंगे कि, किस तरह इस ‘उपलब्धता’ को मापा जाए। यह एक दुखद् तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जहाँ खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़नी चाहिए थी वहीं कुछ वर्षों में यह कम हुई है। जो कुछ भी उत्पादित होता है उसे जनता तक पहुँचाना

होता है। ये सब बाज़ार में उनके द्वारा की गयी या राशन की दुकान में खरीददारी, के जरिए या फिर विद्यालय भोजन के द्वारा उन तक पहुँचता है। यहाँ यह देखा जाता है कि लोग ज़रूरत से कम कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं। यह अन्तर गरीबों में सबसे ज्यादा है। हाँलाकि अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जी, मांस, अंडों की तरफ लोगों का नया चलन है फिर भी कैलोरी की अपूर्णता अभी भी चरम सीमा पर है। PDS व्यवस्था वहीं पर कारगर नहीं हो पा रही है जहाँ उसे सबसे ज्यादा होना चाहिए। इस गंभीर स्थिति का पता पोषण सर्वेक्षणों द्वारा किये गये सर्वेक्षण से चलता है जो यह दिखाता है कि बच्चों और वयस्कों में एक लंबे समय से 'कम वजन' की समस्या चली आ रही है। बहुत समय से 35% से 45% तक लोग उनकी आवश्यकता से कम भोजन कर रहे हैं। आबादी का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषित (अथवा भूखा) है यहाँ तक कि, जब देश में पर्याप्त खाद्यान्न है। यह स्वीकार्य नहीं है। उपर्युक्त दिशा निर्देश के आधार पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर सावधानी से सोचने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द

उत्पादन	उपलब्धता	सुलभ	पोषकाहार
बफर स्टॉक	भूख	जन वितरण	व्यवस्था (पी.डी.एस)

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

1. मान लीजिए किसी एक वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है। किन तरीकों द्वारा उस वर्ष में सरकार खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकती है?
2. आपके संदर्भ में खाद्यान्न की सुलभता और कम वजन के बीच के संबंध का वर्णन एक काल्पनिक उदाहरण द्वारा कीजिए।
3. आपके परिवार के आहार की आदत को साप्ताहिक रूप से विश्लेषित कीजिए। उसमें शामिल पोषक तत्वों की एक तालिका बनाइए।
4. खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्न की सुरक्षा के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए।
5. निम्नांकित वक्तव्य के लिए तर्क दीजिए। “जन वितरण प्रणाली बेहतर तरीके से लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती हैं।”

6. खाद्य सुरक्षा से संबंधित इसी तरह का पोस्टर तैयार कीजिए।



7. पृष्ठ संख्या 137 के अनुच्छेद में “अध्ययन उपलब्ध है। तक अध्ययन कर अपना अभिप्राय व्यक्त कीजिए।
8. भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों की पहचान कीजिए।
- 1) कर्नाटक 2) ओडीशा 3) गुजरात 4) महाराष्ट्र 5) मध्यप्रदेश
6) पश्चिम बंगाल 7) छत्तीसगढ़ 8) तेलंगाणा 9) उत्तर प्रदेश 10) पंजाब

परियोजना कार्य

1. निम्नलिखित कविता ‘आई’ पढ़िए। क्या आप खाद्य सुरक्षा से संबंधित कोई कविता लिख सकते हैं। कविता के लिए चित्र बनाइए। अपने बड़ों से भोजन की कमी के बारे में पूछिए और उनके अनुभवों का संकलन कीजिए।

आई (माँ) [Aai (Mother)]

मैंने आपको देखा है आँसुओं की लहरों में बहते हुए अपने पेट की क्षुधा को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए सूखे खण्ठ और होंठों से पीड़ित हो झील पर बाँध बनाते हुए	मोटी रोटियाँ और कुछ थोड़ा-सा बनाते हुए सभी को भरपेट खिलाने के बाद, स्वयं आधा पेट खाते हुए ताकि सुबह के लिए कुछ शेष बच जाये..... मैंने आपको देखा है कपड़े धोते हुए और बर्तन साफ़ करते हुए भिन्न-भिन्न घरों में, दिये जाने वाले बचे भोजन को ठुकराते हुए गर्व के साथ.....
--	--

2. आप के परिवार में, अड़ोस-पड़ोस के परिवार में महीन अनाज के उपयोग के संदर्भ में समाचार प्राप्त कीजिए और इसका विश्लेषण कीजिए।

क्रम संख्या	परिवार के मुखिया का नाम	खाया जाने वाला आहार			उपयोग किया गया अनाज	अनाज की बढ़ोत्तरी या घटाव के कारण
		सबरे	मध्याह्न	रात		

साम्यता के साथ दीर्घकालिक विकास (Sustainable Development with Equity)

विकास की ओर पुनः दृष्टि... (Looking at development again...)

विकास के मापनों में, मानव विकास सूचकांक (HDI), प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के ऊपर एक वृद्धि का सूचक है। (अध्याय - 2 देखिए) क्योंकि GDP देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को इंगित करता है, इसीलिए प्रगति का विचार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तक कदाचित ही सीमित रह सकेगा। यह तब अधिक होता है जब उत्पादन और आमदनी का तीव्र विस्तार, देश के बहुत बड़े भाग की जनसंख्या के कुपोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी के साथ जुड़ता है। भारत की यही स्थिति है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक सूचकों को मिलाकर HDI विकास के अर्थ को विस्तृत बनाता है।

यहाँ यह ध्यान देना होगा कि विकास के इस विस्तृत पैमाने को भी अधिकृत नहीं किया गया। भारत में, 90% से अधिक श्रमबल असंगठित क्षेत्रों में हैं, जहाँ काम की परिस्थितियों को कोई बढ़ावा नहीं मिलता है। साधारणतः असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले स्व-रोजगारियों और वेतन भोगी श्रमिकों की आय बहुत कम होती है, इनकी स्थिति भी दयनीय होती है। (अध्याय - 3 देखिए) अल्प-भुगतान वाले रोजगार में श्रमबल का उच्च प्रतिशत होने से GDP में वृद्धि तो होती ही है साथ ही साथ वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न किस्मों के उत्पादन का लाभ कुछ चयनित समूहों को मिल पाता है। उच्च आय और संपत्ति वाले लोग विश्व में अपनी मनपसंद चीजों को खरीद सकते हैं और उनका उपभोग कर सकते हैं। (अध्याय - 10 देखिए) जहाँ कुछ लोग उच्चस्तरीय आरामदायक तरीके से जीवनयापन करते हैं, वही बहुत सारे लोग उचित




रोजगार और पर्याप्त आमदनी के अभाव में अच्छे जीवनयापन की निम्नतम आवश्यकताओं से भी वंचित रह जाते हैं। लोगों में आमदनी और अवसरों की इतनी गहरी असमानताएँ कभी - कभी एक अच्छे समाज का आधार नहीं बन सकती है।


- आरेख और चित्र के आधार पर भारत में असमानता पर एक लेख लिखिए।

आरेख 1 : वार्षिक आय के आधार पर भारत में परिवारिक इकाइयों का वितरण (2010 सर्वेक्षण)

आरेख 2 : अरबपतियों की
(Billionaires) कुल संपत्ति



आरेख 3 : अरबपतियों की संख्या में
वृद्धि



चित्र 11.1: मुंबई की धरवी झुग्गी बस्ती (slum)। यह उन बड़ी कॉलोनियों में से एक है जिनमें भारत के शहरी निर्धन रहते हैं।



चित्र 11.2 : हैदराबाद के एक होटल के रूम से बंजारा हिल्स का दृश्य। वह क्षेत्र जहाँ हैदराबाद के धनी लोग रहते हैं।



आर्थिक विकास की एक और प्रमुख आलोचना का केंद्र संकीर्ण उपेक्षित वातावरण पर पर्यावरण की उपेक्षा से उत्पन्न GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का विस्फोट था। विभिन्न संदर्भों में, आर्थिक विकास के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग किया गया और किस हद तक इनका विध्वंस किया गया। वनों की कटाई, भू-क्षरण, भू-गर्भ जल के स्तर में कमी, प्रदूषण में वृद्धि, चरागाह भूमि पर दबाव, जीवाश्म ईंधन पर बढ़ती निर्भरता, औद्योगिक निष्कासन, कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, जलवायु परिवर्तन जैसे कई महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक मुद्दे हमारे समक्ष हैं। औद्योगिकरण द्वारा कुछ लोगों के लिए भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाये जाने से विश्व में प्राकृतिक संसाधनों को खतरा तो पहुँचा ही है, जलवायु भी विघटित हुई है। इस प्रकार की वृद्धि को जारी नहीं रखा जा सकता है।

इस अध्याय में हम विकास, पर्यावरण और लोगों के बीच संबंधों की खोज करेंगे। आर्थिक क्रियाकलापों के विस्तार ने किस प्रकार पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है? प्राकृतिक संसाधनों और अपने जीवन तक लोगों की पहुँच और अधिकार के संबंध में विकास का क्या अर्थ है? विकास के विभिन्न प्रकार क्या हैं? हम इन प्रश्नों के उत्तर सजीव मुद्दों और लोगों के सजीव अनुभवों से प्राप्त करेंगे। हमने पाया कि विकास का लक्ष्य जो सभी लोगों (वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों) को भौतिक सुविधाएँ और सेवाएँ तथा सजीव और निर्जीव संसाधनों से पूर्ण पर्यावरण देना चाहता है, उसे और अधिक विस्तृत किया जाय।

पर्यावरण और विकास

विकास में पर्यावरण की भूमिका के पुनः स्मरण से हम आरंभ करते हैं। प्राकृतिक रूप से

कक्षा - IX के भारतीय कृषि और उद्योग के अध्यायों का पुनर्गमन कीजिए।

- इन दो संदर्भों में उन्होंने विषमताओं और वितरण तथा संसाधनों तक पहुँच पर किस प्रकार चर्चा की है?
- प्रमाणित कीजिए कि किस प्रकार विकास के विचारों ने पर्यावरण की समस्याओं से संघर्ष किया?
- “हरित क्रांति” के विस्तार ने किस प्रकार पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न किया? भविष्य के लिए इससे क्या सीख मिलती है?

उत्पन्न कई घटक जैसे:- भूमि, जल, खनिज, अयस्क, वृक्षों और जंतुओं से प्राप्त उत्पाद, उत्पादन प्रक्रिया के केन्द्रीय बिंदु हैं। प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियों में (कृषि, खनन, उत्खनन, (Quarrying), तथा निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। इन

संसाधनों को उपलब्ध करवाने की पर्यावरण की क्षमता को -“पर्यावरणीय स्रोत कार्य” (Environment’s Source Function) कहा जाता है। ये कार्य उस समय जर्जर हो जाते हैं जब संसाधनों का उपभोग हो जाता है या प्रदूषण संसाधनों को संक्रमित कर देता है।

विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा अवशोषण कर, नुकसान न पहुँचाने वाले अपशिष्टों (Waste) और प्रदूषण को उपलब्ध कराना पर्यावरण का एक अन्य प्रमुख कार्य है। उत्पादन और उपभोग

के अवांछित उत्पादों (by-products), ज्वलन से निष्कासित गैसों, उत्पादों की सफाई के लिए उपयोगी जल, पैकिंग की अलग की गई सामग्री और निरूपयोगी वस्तुएँ आदि पर्यावरण के द्वारा अवशोषित की जाती है। यह भी स्रोत कार्य के समान महत्वपूर्ण है। अवशोषित करने तथा अहानिकारक अपशिष्टों और प्रदूषणों को उत्पन्न करने की पर्यावरण क्षमता को “सिंक कार्य” (Sink function) कहा जा सकता है। जब अपशिष्ट निर्गत सिंक कार्यों की सीमा को बढ़ाते हैं तो पर्यावरण को दीर्घकालीन हानि पहुँचती है।

आर्थिक विकास के पिछले पचास वर्षों में, पर्यावरण के इन दोनों कार्यों को अत्यधिक उपयोग में लाया गया। इससे पर्यावरण को चलाने की क्षमता प्रभावित होती है अर्थात् भविष्य में आर्थिक उत्पादन और उपभोग में सहायता करने की पर्यावरणीय क्षमता चलि, कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं -



Fig 11.3 : 1957 में राष्ट्र संघ (UN) द्वारा राजस्थान की कृषि और सिंचाई का चित्र

उदाहरण - 1 : पारंपरिक पद्धति के अनुसार जल की आपूर्ति पूरक सिंचाई या लघु क्षेत्रों तक ही सीमित थी। उदाहरण के तौर पर ‘मोटा बावी’ (Mota baavi) से 2-3 एकड़ भूमि की ही सिंचाई होती थी। कृषि वर्षा ऋतु पर ही सीमित थी और बहुत बड़े क्षेत्र वर्षा पर आधारित शुष्क क्षेत्र के रूप में थे। समय के बदलाव के साथ पेट्रोल, डीजल और बिजली से चलने वाले पंपसेटों का प्रयोग शुरू हुआ जो उर्जा के नये संसाधनों में से एक थे। इसका प्रभाव दो स्थितियों में हुआ। एक तो उन्हें कठोर श्रम से शांति मिली दूसरा पंपों द्वारा जल की निकासी बहुत आसान हो गयी। जल भी बहुतायात में था। खुले कुँओं में जल 10

से 15 फीट की गहराई पर होता था, कभी - कभी यह सर्वाधिक 100 फीट की गहराई तक भी होता था। बिजली और मोटर पंपों से जब भू-गर्भ जल की निकासी होने लगी तो जल स्तर में भी गिरावट आयी। जल-स्तर में इतनी गिरावट आयी कि कुछ क्षेत्रों में जल कई सौ फीट गहराई तक चला गया। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल का भूमि में रिसाव होता है। इसी को पुनर्भरण (Recharge) कहते हैं। भूमि के नीचे जल का मार्ग मिट्टी और पत्थरों के माध्यम से बनता है। जो जल पुनः पूरित होता है, उससे अधिक जल बाहर खींच दिया जाता है। इस क्रिया का परिणाम यह होगा कि कुछ समय के बाद भू-गर्भ जल बचेगा ही नहीं।

भारत में भू-गर्भ जल की स्थिति पर वर्तमान आँकड़े हमें सुझाते हैं कि - देश के अनेक भागों में इसके उपयोग की अधिकता से इसके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुनर्भरण से जितना जल बनता है उससे कहीं अधिक भू-गर्भ जल का प्रयोग हमारे देश के लगभग एक तिहाई लोग कर रहे हैं। लगभग 300 जिलों ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि पिछले 20 वर्षों में जल-स्तर में 4 मीटर तक की कमी आई है। यह स्थिति खतरे का संकेत है। भू-गर्भ के उपयोग की अधिकता विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, के कृषि समृद्ध क्षेत्रों, केंद्रीय और दक्षिणी भारत के कठोर चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटीय क्षेत्रों और तीव्र रूप से विकसित होने वाली शहरी क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है।

- आपके विचार में पानी खींचने की आधुनिक पद्धति क्यों अस्थायी सिद्ध हुई है?

गर्भ जल के उपयोग की अधिकता से, भू-जल का संग्रह कम हो जायेगा और बहुत ही तीव्रता से इसके स्तर में कमी होती जायेगी ।

मात्रा के साथ-साथ भू-जल की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही हैं। भारत के 59% जिलों में, कुँओं और हैंडपंपों से निकाले जाने वाला जल पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भू-जल कृषि और उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक औद्योगिक अपशिष्टों से संक्रमित हो रहा है। जल का उपयोग सभी प्रकार के अपशिष्टों (Waste) और ज़हरीले घटकों को फेंकने के सिंक (नाली) के रूप में हो रहा है। इसको रोकना इतना आसान नहीं है। हम अगले उदाहरण में इसके परिणाम देखेंगे।

इस प्रकार के विकास का सीधा संबंध दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से होता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता से समझौता किये बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित विकास को ही दीर्घकालिक विकास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, इसे वर्तमान की और आने वाली पीढ़ियों के लिए (सभी के लिए) एक उचित गुणवत्ता पूर्ण जीवनयापन की सुविधा कहा जा सकता है।

इन संसाधनों के विस्तृत उपयोग का परिणाम यह होगा कि आने वाली पीढ़ियों को या तो ये सुलभ ही नहीं हो सकेंगे। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले संदर्भ में देखा जाय तो इससे गंभीर नुकसान होंगे और पर्यावरण की निर्वहण क्षमता पर असर पड़ेगा।

उदाहरण 2 :

कीटनाशक आधुनिक कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक है। कीटों से फसल की सुरक्षा करने के लिए ताकि अच्छी फसल प्राप्त हो सके, इसका प्रयोग किया जाता है। पर्यावरणियों को बहुत पहले से ही पता था कि कीटनाशकों का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। एक सीमा के पश्चात् पर्यावरण साधारणतः ज़हरीले घटकों को अवशोषित करने में असमर्थ होता है।

वर्ष 1962 में रैचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक 'साइलेंट स्प्रिंग' में, मनुष्यों और पक्षियों पर मच्छरों के नियंत्रण के लिए किये जाने वाले डी.डी.टी. (DDT) के छिड़काव के प्रभावों के बारे में लिखा है। कीटनाशकों के डाले जाने वाले घटक जैसे भारी धातुएँ पर्यावरण से अदृश्य नहीं होती हैं बल्कि ये सजीव जीवाणुओं में जमा हो जाती हैं। इस प्रकार डी.डी.टी.(DDT) का ज़हर उन झीलों में रहने वाली मछलियों के शरीर में पहुँच जाता है, जिसके जल में डी.डी.टी. होता है। ज़हर की छोटी सी मात्रा से मछलियाँ मर जाती हैं किंतु जब कई मछलियाँ को एक पक्षी खाता है तो मछलियों के भीतर की मिलीजुली रसायन की मात्रा उस पक्षी को नुकसान पहुँचाने के लिए पर्याप्त होती है। रैचेल की खोजों का यह स्पष्ट उदाहरण है कि - किस प्रकार मनुष्य की क्रियाओं का विपरीत प्रभाव स्वयं मनुष्य और प्रकृति पर हुआ है।



भारत में, कीटनाशकों का कुप्रभाव, एंडोसल्फेन (Endosulfan) कीटनाशक में देखा गया है। 1976 ई.में काजू की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए सरकार ने 15,000 एकड़ भूमि पर, हेलीकॉप्टर द्वारा एंडोसल्फेन कीटनाशक का छिड़काव किया। यह

कार्य केरल के उत्तरी भाग के कसरगोड़ (Kasargod) में किया गया। इस उपचार कार्य के 25 वर्षों तक जारी रहने के कारण वायु, जल और संपूर्ण पर्यावरण कीटनाशक से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में, मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों में, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हुईं। लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु हो गयी और अनगिनत लोग मृत्यु से भी अधिक भयानक रोगों जैसे कैंसर और विकलांगता से ग्रस्त हो गये।

कुछ वर्षों से, न्यायालय के आदेश द्वारा इसके छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फलस्वरूप रोग में कमी हुई और स्वस्थ लोगों की संख्या में वृद्धि हुई।

यह उस क्षेत्र से संबंधित एक अकेली घटना नहीं है। कीटनाशकों के अधिकतम उपयोग तथा आधुनिक कृषि और पर्यावरण तथा लोगों पर इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित अनेक अध्ययन हुए। वास्तव में केवल एक प्रतिशत कीटनाशक का उपयोग कीड़ों को मारने के लिए होता है। शेष कीटनाशक भोजन, जल और पर्यावरण द्वारा हमारी शारीरिक व्यवस्था में समा जाता है।

- पर्यावरण को 'प्राकृतिक पूँजी' भी कहा जाता है। अध्याय 8 के आधार पर पूँजी की परिभाषा का पुनः स्मरण कीजिए। पर्यावरण को प्राकृतिक पूँजी क्यों कहा जाता होगा? अपने विचार बताइए।
- जल को आम संपत्ति क्यों मानना चाहिए?
- एंडोसल्फेन के उपयोग को रोकने के लिए न्यायालय तक जाना क्यों आवश्यक समझा गया?
- न्यायालय ने इस तर्क के आधार पर कि एंडोसल्फेन से जीवन के अधिकार (संविधान के, अनुच्छेद 21) का उल्लंघन हो रहा है, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्णन कीजिए कि किस प्रकार एंडोसल्फेन ने लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया है?

पर्यावरण पर लोगों के अधिकार (People's Rights Over Environment)

आज, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जहाँ आधुनिक विकास ने बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न करने का प्रयास किया है। बड़े बाँधों (Big dam) का मुद्दा, तकलीफदेह परिणामों में से एक है।

नर्मदा घाटी विकास परियोजना भारत की एकल सबसे बड़ी नदी विकास परियोजनाओं में से एक है। यह विश्व की सबसे बड़ी जलविद्युतीय परियोजनाओं में से एक है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, सिंचाई की सुविधा और बाढ़ के नियंत्रण के लिए किया जायेगा। ऐसी परियोजनाओं की पर्यावरणीय लागत, जिसमें 3,000 छोटे-बड़े बाँधों के निर्माण भी मिले होते हैं, बहुत अपरिमित होती है। सबसे बड़ा बाँध सरदार सरोवर बाँध है। इस बाँध को बनाने का लिए 37,000 हेक्टर क्षेत्र के वनों और कृषि योग्य भूमि की सफाई की गई, आधा मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित किया गया और भारत की अति ऊपजाऊ भूमि को नष्ट किया गया। इस परियोजना ने हजारों एकड़ भूमि पर व्याप्त वनों और कृषि योग्य भूमि को नष्ट कर मानव-जीवन और जैव विविधता (Bio diversity) को हानि पहुँचायी। विस्थापित लोगों में एक बहुत बड़ा अनुपात आदिवासियों और दलितों का था।

निम्नलिखित पत्र 1994 में झबुआ जिले के, जलसिंधी गाँव के बावा महारिया द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखा गया था। इसे भीलाला में दर्ज (Recorded) किया गया और इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। नीचे इसका कुछ भाग पुनः लिखित किया गया है। यह विकास के उपायों या विचारों पर प्रश्न उठाता है।

प्रिय दिग्विजय सिंह जी,

हम, जलसिंधी गाँव के लोग...जिला झबुआ, यह पत्र मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं। हम नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं हम महान नर्मदा के तट पर निवास करते हैं। इस वर्ष (1994) में हमारा गाँव जलसिंधी, मध्यप्रदेश का पहला गाँव है जिसे सरदार सरोवर बाँध बनाकर जलमग्न कर दिया गया। हमारे साथ चार और पाँच अन्य गाँव जैसे- सकरजा, काकरसिला, अकादिया और अन्य भी डूब जायेंगे..... जब हमारे गाँव में पानी आ जायेगा, जब हमारे घर और खेत बाढ़ ग्रस्त हो जायेंगे, हम भी डूब जायेंगे - यह निश्चित है।

हम यह पत्र इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जलसिंधी के आदिवासी (जनजाति) किसानों ने, जो इस जलमग्नता के अंतर्गत आते हैं, स्वयं डूबने के लिए क्यों तैयार हो गये हैं?

आप और वे सभी जो शहरों में रहते हैं, सोचते हैं कि - हम जैसे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, बंदर(ape) के समान निर्धन और पिछड़े हैं। “गुजरात के मैदानों में जाइए, आपकी स्थिति में सुधार होगा, आप विकसित होंगे” - आपने हमें यही सलाह दी थी। हम आठ वर्षों से लड़ रहे हैं - हमने लाठियों की मार सही, कई बार जेल गये, अंजनवारा गाँव में पुलिस आयी और हम पर गोलियाँ चलायी गईं और हमारे घर बरबाद कर दिये गये..... यदि यह सच है कि गुजरात में हमारी स्थिति में सुधार आयेगा तो हम सब वहाँ जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं?

आप जैसे अधिकारियों को और शहर के लोगों को हमारी भूमि पहाड़ी और असत्कारशील (in hospitable) दिखायी देती है, किंतु हम हमारी भूमि और वनों के साथ नर्मदा के किनारे के क्षेत्रों में रहने से संतुष्ट हैं। कई पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे हैं। इस भूमि पर हमारे पूर्वजों ने वनों की सफाई की, भगवान की पूजा की, मिट्टी में सुधार किये, पशुओं का पालन पोषण किया और गाँव बसाये। जिस भूमि को हम जोतते थे वह बहुत बड़ी है। आप समझते हैं कि हम गरीब हैं। हम गरीब नहीं हैं। हमने हमारे अपने घरों का निर्माण किया है जिसमें हम रहते हैं। हम किसान हैं। हमारी कृषि यहाँ समृद्ध होती है। हम भूमि को जोतकर कमाते हैं। केवल थोड़ी सी वर्षा होने पर भी हम जो उगाते हैं, उसी पर जीवित रहते हैं। माँ मकई(Mother corn) हमारा पेट भरती हैं। हमारे पास जोती हुई कुछ भूमि गाँव में है और कुछ वन क्षेत्र में है। इस भूमि पर हम बाजरा, जवार, मकई, बोदी, बाटे,



सौन्वी, कादरी, चना, मोठ, उडद, तिल और मूँगफली उगाते हैं। हम विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। खाने के आधार पर हम इसमें परिवर्तन करते रहते हैं।

गुजरात में क्या उगता है? गेहूँ, जवार, तुवर और कुछ कपास। खाने के लिए कम, बेचने के लिए अधिक। हम खाने के लिए खेती करते हैं, हम कपड़े आदि प्राप्त करने के लिए इसे बेचते हैं। बाजार में मूल्य चाहे अधिक हो या कम, हमें खाने के लिए भोजन मिलता है।

हम स्वयं अपनी मेहनत से अलग-अलग प्रकार के खाद्यान्न उगाते हैं। हमें धन नहीं चाहिए। हम हमारे स्वयं के बीजों का उपयोग करते हैं -

हमारे स्वयं के पशु धन से प्राप्त खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। हम इतना सारा धन कहाँ से लायेंगे? वहाँ हमें कौन पहचानेगा? कौन महाजन हमें धन देगा? यदि फसल अच्छी नहीं होगी और हमारे पास धन नहीं होगा तो हमें हमारी भूमि को गिरवी रखना पड़ेगा।

यहाँ पर हम नालों में मार्ग बनाकर हमारे खेतों तक पानी पहुँचाते हैं.....यदि हमारे पास बिजली होती तो हम भी नर्मदा के पानी को आसानी से निकाल सकते थे जिससे हमें अच्छी शीत फसल (Winter crop) की प्राप्ति हो सकती थी। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पैंतालीस वर्षों के बीत जाने पर भी नदी के किनारे बसे गाँवों में न तो बिजली है न ही नदी के द्वारा सिंचाई की सुविधा है।

[...हमारे पास बहता हुआ जल है तथा वनों में बहुत चारा है। हम जीवन यापन के लिए कृषि की अपेक्षा पशुधन पर अधिक निर्भर है। हम मुर्गियाँ, बकरियाँ, गाय तथा भैंस पालते हैं। किसी के पास 2-4 तक तो किसी के पास 8-10 तक भैंसे होती हैं। लगभग सभी के पास दस-बीस-चालीस बकरियाँ....होती हैं। गुजरात से लोग अपने पशुओं को चराने के लिए हमारी पहाड़ियों में आते हैं। हमारे पास चारा और जल की प्रचुरता है।

....वन हमारे धनदाता और महाजन है। जब हमें कोई कठिनाई होती है तो हम वन में जाते हैं। हम हमारे घर वनों से प्राप्त सागौन (Teak) और बांस (Bamboo) की लकड़ियों से बनाते हैं। निंगोडी और हियाली (बाँस के प्रकार) की खपटियों (Splints) से हम परदे बनाते हैं। वनों से प्राप्त सामग्री से ही हम टोकरियाँ, चारपाइयाँ, हल, फावड़ा (hoes)....आदि बनाते हैं। वनों से प्राप्त हेगवा, महिया, आमली, गोइंडी, भंजन जैसी पत्तियों को हम खाते हैं। जब कभी अकाल पड़ता है तो हम जड़ और कंद खाकर जीवित रहते हैं। जब कभी हम बीमार होते हैं तो हमारे वैद्य हमें वनों के पत्ते, जड़ और छाल खिलाकर हमें स्वस्थ करते हैं.... हमें हर एक वृक्ष, झाड़ी और जड़ी-बूटी का नाम मालूम है। हम इनके उपयोग भी जानते हैं। यदि हम वनों से विहीन भूमि पर रहेंगे तो यह ज्ञान जो हमने पीढ़ियों से प्राप्त किया है वह निरुपयोगी हो जायेगा और हम इसे भूल जायेंगे।

....हम हमारे भगवान की पूजा-नदी का गाना- गयाना(gayana) के गायन से करते हैं। हम गयाना को नवल और दिवस पर्वों पर गाते हैं। गयाना में....संसार कैसे बना, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, महान नदी का आगमन कहाँ से हुआ, आदि का वर्णन होता है..... हम प्रायः मछली खाते हैं। जब अनपेक्षित मेहमान आते हैं तो मछली हमेशा हमारा साथ देती है। नदी अपने साथ कीचड़ बहाकर लाती है जो किनारे पर जमा हो जाता है.....हमारे बच्चे नदी के किनारे पर खेलते हैं, तैरते हैं और नहाते हैं। हमारे पशु पूरे वर्ष इसी नदी का पानी पीते हैं क्योंकि यह महानदी कभी सूखती नहीं है। इस नदी की कोख में हम संतुष्ट जीवनयापन कर रहे हैं। कई पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे हैं। हमें हमारी महान नर्मदा और हमारे वनों पर अधिकार है या नहीं? क्या आप जैसे सरकारी लोग इस अधिकार को पहचानते हैं या नहीं?

आप जैसे शहरी लोग अलग-अलग घरों में रहते हैं। आप एक-दूसरे की खुशियों और उदासियों को अनदेखा करते हैं। हम हमारी जाति संबंधियों और वंश के साथ रहते हैं। हम एक ही दिन में घर का निर्माण करते हैं, खेत साफ करते हैं और कोई भी छोटा या बड़ा कार्य कयों न हो, उसे

मिलजुल कर पूरा करते हैं। गुजरात में हमारा हाथ बँटाने कौन आयेगा? कौन हमारे काम में सहायता करेगा? क्या बड़े किसान हमारा खेत साफ करेंगे या हमारे घरों का निर्माण करेंगे?

यहाँ हमारे गाँव में, हमारे ग्रामवासियों द्वारा, इतनी सहायता क्यों मिलती है? इसीलिए क्योंकि यहाँ हम सब समान हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। केवल कुछ ही किरायेदार हैं बाकी सभी की अपनी भूमि है। किसी की बहुत अधिक भूमि नहीं है, सभी के पास थोड़ी-थोड़ी भूमि है। जब हम गुजरात जायेंगे तो बड़े भू-मालिक हमें कुचल देंगे। चालीस-पचास वर्ष पूर्व, उन्होंने आदिवासियों से उन जमीनों को ले लिया था, जिस पर वे रह रहे थे। अभी भी वे यही कर रहे हैं। और हम अजनबी-एक भाषा और रिवाज़ नहीं जानते हैं, यह उनका शासन है। यदि हम उस प्रकार की कृषि नहीं कर पायेंगे, जिसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है तो हमें हमारी भूमि उनके पास गिरवी रखनी होगी, जिस पर धीरे-धीरे वे अपना आधिपत्य जमा लेंगे। यदि वे वहाँ पर रहने वाले आदिवासियों की भूमि हथिया सकते हैं तो हमारी भूमि क्यों नहीं लेंगे? तब हमें दूसरी भूमि कौन देगा? यह हमारे पूर्वजों की भूमि है। हमारा इस पर अधिकार है। यदि हम इसे खो देंगे तो हमें केवल फावड़े और कुल्हाड़ियाँ मिलेंगी, और कुछ नहीं.....

हमारे गाँव के सभी देवता यहीं हैं। हमारे पूर्वजों के स्मारक भी यहीं पर हैं। हम कालो रानो, राजा पैटो और इंदी राजा की पूजा करते हैं। हम आई खादा और खेदू बाई की भी पूजा करते हैं। रानी काजोल हमारी महादेवी है। रानी काजोल, कुंबाई और कुंइ रानो के पहाड़ मथवाड़(Mathvad) में हैं। यदि हम उन्हें छोड़ देंगे तो हमें नये भगवान कहाँ से मिलेंगे? इंदल, दिवस और दिवाली जैसे हमारे त्यौहारों को मनाने के लिए लोग सभी जगह से यहाँ आते हैं। भंगोरिया के लिए हम सब बाज़ार जाते हैं जहाँ हमारे युवक-युवतियाँ जीवन साथी का चयन करते हैं। गुजरात में हमारे साथ कौन आयेगा?

गुजरात की भूमि हमें मंजूर नहीं है। आपका मुआवजा हमें स्वीकार नहीं है। हमने नर्मदा की कोख से जन्म लिया है। हम उसकी गोद में मरने से डरेंगे नहीं।

हम डूब जायेंगे लेकिन हटेंगे नहीं बावा महारिया

- विकास के विचार नामक अध्याय में हमने पढ़ा कि यदि किसी की प्रगति का अर्थ एक व्यक्ति के लिए विकास है तो अन्य व्यक्ति के लिए वह विकास नहीं हो सकता। बावा महालया के पत्र के आधार पर इस कथन की व्याख्या कीजिए।
- यदि जनजाति लोगों को भिन्न राज्यों में, उनकी भोजन की आदतों कृषि, वित्त, वनों से संबंध, धार्मिक रिवाज़, घरों का निर्माण, सामाजिक संबंधों जैसे पहलुओं के आधार पर फिर से बसा दिया जायेगा तो उनके इस जीवन में पहले के जीवनयापन की तुलना में कैसे परिवर्तन आयेंगे? इन परिवर्तनों को एक तालिका के रूप में दर्शाइए।
- पत्र में जैव-विविधता की हानि को किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है?
- जनजाति लोगों के लिए आजीविका, सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक संबंधों का गहरा संबंध स्थानीय पर्यावरण से है? इस कथन की व्याख्या कीजिए।
- क्या अपने वर्तमान स्थान पर जलसिंधी गाँव के लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा थी? अपने विचार बताइए।
- यदि आप उपर्युक्त स्थिति से गुजरेंगे तो आप पुनर्वास (Re-settlement) की माँग के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करेंगे?

सरदार सरोवर बाँध जैसी विकास परियोजनाओं ने असंख्य लोगों के जीवन और आजीविका को बाधित किया था। यह सच है कि सिंचाई के साधन और ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और दोनों ही आधुनिक विकास के केन्द्र हैं। उन दोनों के लिए जिन्हें विस्थापित किया गया है - और उनमें से मिलियन लोगों के लिए - आधुनिक विकास अनुचित और विध्वंसक है। आधुनिक विकास परियोजनाओं के कारण उन्होंने स्थानीय पर्यावरण जैसे महान संसाधन को खो दिया है। यह वह मुद्दा है जिसे बाबा महालया बार-बार उठा रहे थे। स्थानीय पर्यावरण के अभाव में उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। आत्म-निर्भरता की स्थिति से निकलकर वे अभाव की स्थिति में पहुँच जायेंगे। अभी वे एक फसल उगा रहे हैं, इस आशा के साथ कि भविष्य में यदि उन्हें सिंचाई की सुविधा मिल जायेगी तो वे कई फसलें भी उगायेंगे। किन्तु इस विस्थापन के द्वारा उनका जीवन बाह्य शक्तियों पर निर्भर हो जायेगा और वे निर्धनता से घिर जायेंगे।

अधिकांश ग्रामीण समुदायों में, पर्यावरण और लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। पर्यावरण से उन्हें भोजन, लकड़ी, चारे, आर्थिक रूप से अमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अन्यथा उन्हें इन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। निर्धन लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण से होती है इसी लिए विस्थापन होने या पर्यावरण के विध्वंस होने या प्रदूषित होने का सबसे अधिक प्रभाव निर्धन लोगों पर ही पड़ेगा। अधिकांश हानि निर्धन लोगों की ही होगी। पर्यावरण का प्रश्न और इसकी दीर्घकालिकता का घनिष्ठ संबंध साम्यता के मुद्दे से हैं।

इस बात को जानना भी आवश्यक है कि स्थानीय पर्यावरण से विस्थापित करने पर केवल लोगों की ही हानि नहीं होती है बल्कि पर्यावरण भी क्षतिग्रस्त होता है। लोगों के साथ, समृद्ध जैव-विविधता संबंधी पारंपरिक ज्ञान का भी विनाश होता है। ज्ञान के संग्रह और विकास में कई पीढ़ियों का योगदान होता है। बाबा महालया जैसे लोग पारंपरिक ज्ञान के संग्रहकर्ता होते हैं। “हमें प्रत्येक वृक्ष, झाड़ी और जड़ी का नाम मालूम है, हम इसके उपयोग जानते हैं। यदि हम वनों से विहीन भूमि पर रहेंगे तो यह ज्ञान जो हमने पीढ़ियों से प्राप्त किया है वह निरुपयोगी हो जायेगा और हम इसे पूर्ण रूप से भूल जायेंगे।” आज जबकि पर्यावरण का अस्तित्व अनेक तरीकों से खतरे में है तो हमारे लिए पर्यावरण निर्माण के लिए इन उत्तरदायित्व निभाने वाले समुदायों द्वारा दिये जाने वाले योगदान को समझना आवश्यक हो जाता है।

सरदार सरोवर और समान परिणाम वाले अन्य बाँधों के प्रतिरोध ने नर्मदा घाटी में सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) कहा जाता है। विस्थापन (Displacement) और इससे घिरे पर्यावरणीय आंदोलन संबंधी मुद्दों के बारे में आप ‘सामाजिक आंदोलन’ नामक अध्याय में पढ़ेंगे।



चित्र -11.4 पर्यावरण के संबंध में अपने क्लैशन (अनुशीर्षक) लिखिए।

चिपको आंदोलन (Chipko Andolan)

एक अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलन है - चिपको आंदोलन। इसका आरंभ 1970 ई.के. शुरुआत में उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हुआ था। नर्मदा घाटी के जनजाति लोगों के समान ही, वन पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवनयापन का प्रमुख संसाधन है। मिट्टी और जल संसाधनों को सुरक्षित रखने की उनकी भूमिका के कारण उन्हें भोजन, ईंधन और चारा इनसे सीधे रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि वाणिज्य और उद्योगों के लिए इन वनों को काटा जा रहा है इसीलिए गाँव वासियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोधों द्वारा अपनी आजीविका को सुरक्षित रखने की चेष्टा की है। 'चिपको' नाम के आधार पर इस आंदोलन का नामकरण हुआ है जिसका अर्थ है - गले से लगाना या चिपकाना (Embrace) गाँववासी वृक्षों से गले लगते हैं और अपने शरीर को वृक्ष और ठेकेदार की कुल्हाड़ी के बीच रखकर, उनकी सुरक्षा करते हैं। गाँव की महिलाएँ इस आंदोलन की प्रधान शक्ति हैं। इस आंदोलन ने अनेक लोगों को पर्यावरणीय दीर्घकालिकता के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है।



दोनों आंदोलनों में संदर्भानुसार कुछ भिन्नताएँ हैं, फिर भी दोनों ने ही पर्यावरण पर अनिवार्य रूप से स्थानीय समुदायों के अधिकारों की माँग की है। 'चिपको आंदोलन' ने वृक्षों को काटने से रोकने की दिशा में काम किया और अपने परंपरागत वन्य अधिकारों, जिन्हें ठेकेदारों से खतरा था, उन्हें फिर से प्राप्त कर लिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, भूमि, वन और नदी पर लोगों के अधिकारों के लिए किया गया था।

- विकास के विचार नामक अध्याय में आपने कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरुद्ध किये गये विरोध के बारे में पढ़ा है। आपने यहाँ जो पढ़ा है उसको दृष्टि में रखते हुए विरोध की व्याख्या कीजिए।
- "पर्यावरणीय सुरक्षा, केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित समुदायों के लिए ही नहीं हमारे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।" कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए।
- आंध्र प्रदेश के संदर्भ में कक्षा VIII के अध्याय 'खान और खनिज' का पुनर्गमन कीजिए। उद्योगपतियों और खनिज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच किन मुद्दों पर संघर्ष उत्पन्न होते हैं। बताइए।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए खनिजों के खनन में तीव्र वृद्धि हो रही है। तालिका में दिए गए आँकड़ों का उपयोग करते हुए अवलोकन की पुष्टि कीजिए।
- खनन की तीव्र वृद्धि में पर्यावरण और मानव का क्या योगदान हो सकता है? अपने विचार बताइए।

भारत में कुछ मुख्य खनिजों के खनन में वृद्धि (हज़ार टन में)

	1997-98	2008-09
बाँक्साइट	6108	18000
कोयला	297000	537000
लौह अयस्क	75723	260000
क्रोमाइट	1515	3800

साम्यता के साथ दीर्घकालिक विकास की ओर

बहुत समय तक नीतिनिर्माताओं ने पर्यावरणीय मुद्दों को अनदेखा किया। तर्क पेश किया गया कि भारत जैसा विकासशील देश गरीब है, इसीलिए विकसित अर्थव्यवस्था में प्रगति की आवश्यकता है। कम मूल्य पर प्रगति या वृद्धि को प्राप्त करना है। लोगों के जीवन-स्तर को बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए सकल घरेलू उत्पादन (GDP) और आधुनिक औद्योगिक विकास में वृद्धि अनिवार्य है। आधुनिक औद्योगिक और कृषि विकास में प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा का अधिक उपयोग हो रहा है जिससे संसाधनों का अवक्षय और पर्यावरणीय प्रदूषण होने की आशंका है। उच्च वृद्धि के लिए यह एक बलिदान है। यदि एक बार उच्च आर्थिक प्रगति और समृद्धि प्राप्त हो जायेगी तो प्रदूषण और पर्यावरणीय अवक्रमण का भी सामना किया जा सकता है। तब कोई भी व्यक्ति पैसा खर्च कर सकता है, हवा और नदी को साफ करवा सकता है, बोतलबंद पानी पी सकता है और ईंधन सक्षम कारों का निर्माण कर सकता है। क्योंकि विकसित देशों ने इसी मार्ग को अपनाया था।

किन्तु विभिन्न कारणों से यह तर्क गलत दिखायी पड़ता है। अब तक आप समझ ही गये होंगे कि विभिन्न मोर्चों से पर्यावरण आपदाग्रस्त होने की स्थिति में है। भारत बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या भी अधिक है। यदि हम विकसित देशों के समान प्रगति करेंगे - और ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों का प्रयोग करेंगे तथा पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो यह धरती के लिए विनाशकारी (Catastrophic) सिद्ध होगा। पर्यावरण के नाश के बाद उसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह विचार कि पर्यावरण विनाश स्व-संशोधित(Correcting) है, बिल्कुल गलत है। हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि पर्यावरण की पुनः प्राप्ति के पहले ही उसको हानि पहुँचायी जाये। आगामी पीढ़ियाँ यदि इस नुकसान की भरपाई करेंगी तो उन्हें आज की उत्पन्न स्थिति की स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए यदि हमें नदियों और नालियों की सफाई करनी है तो हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके उपरांत भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि वे फिर से प्रदूषित नहीं होंगी। आपके विचार में क्या हमें ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करता है? और उन्हें इसी स्थिति में भावी पीढ़ियों को सौंपना चाहिए? क्या हम इस विसंगति को समझ नहीं पा रहे हैं। -: पहले हम रोगों को आमंत्रित करने वाली जीवनशैली को प्रोत्साहित करते हैं और बाद में उसके इलाज के लिए हजारों रुपये खर्च करते हैं?

कई दृष्टिकोणों से हमने तीव्र आर्थिक प्रगति के नकारात्मक परिणामों का अनुभव किया है। भू-जल और कीटनाशक इसके दो ज्वलंत उदाहरण हैं। हमारे पास हजारों समुदाय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के विनाश का अर्थ है-इन समुदायों का विनाश। निर्धन लोगों से विकास के मूल्य की माँग करना अनुचित है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उन्नति नहीं करना चाहिए। किन्तु हमें पर्यावरणीय मुद्दों को प्रगति की विचारधाराओं के साथ-साथ साम्यता और न्याय के साथ जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। हमें एक गरीबी से, हट कर एक दीर्घकालिक पर्यावरणीय मार्ग को चुनना चाहिए। यह इतना आसान काम नहीं है। फिर भी इसकी शुरुआत हो चुकी है।



Fig 11.5 : विकास के संदर्भ में अपना कैशान (नारा) लिखिए।

1. पर्यावरण के आधार पर विभिन्न समूहों ने स्थानीय लोगों के अधिकारों पर जीत हासिल की हैं। (अध्याय 21) वे लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता को उत्पन्न करने तथा उन्हें दीर्घकालिक विकास की ओर ले जाने वाली प्रधान शक्ति बन गये हैं।

2. स्वस्थ पर्यावरण को बनाये रखने के लिए न्यायालय ने अनेक फैसले दिये हैं क्योंकि इसका संबंध मूलभूत रूप में जीवन के मौलिक अधिकारों से है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद - 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है जिनमें आनंददायक जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार भी शामिल है। प्रदूषण की जाँच करने तथा प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है जैसे नियमों और प्रक्रियाओं को बनाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। नियंत्रकों की भूमिका निभाने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थान शुरू किये गये हैं।



Fig 11.6

चित्र 11.6 : वाहनों द्वारा होने वाला उत्सर्जन (Emission) प्रदूषण का मुख्य कारक है। अपने फैसलों (1998 से) के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने डीजल से चलने वाले जन परिवहन वाहनों को प्राकृतिक गैस (CNG) से चलाने का आदेश दिया है। डीजल की तुलना में यह स्वच्छ ईंधन है। इस आदेश के फलस्वरूप दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण कुछ हद तक कम हो गया है। डीजल से चलने वाली निजी मोटरों की बढ़ती संख्या के कारण हाल ही के कुछ वर्षों में प्रदूषण के स्तर में फिर से वृद्धि हुई है। कार निर्माताओं ने डीजल से चलने वाली कारों का निर्माण और विक्रय शुरू किया है। दीर्घकालिक विकास की चुनौती इतनी आसान नहीं है।

3. जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर देशों ने एक सामूहिक निर्णय पर पहुँचने का प्रयास किया है। जलवायु परिवर्तन सभी देशों और सभी लोगों को प्रभावित करता है। किसी पर इसका प्रभाव अधिक होता है तो किसी पर कम होता है। इसके कई प्रभावों को हम न तो समझ पाते हैं और न ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक देश ग्रीन हाउस गैस (Green house gas) के उत्सर्जन को कम करने की पहल कर सकता है। किंतु जब तक दूसरे देश अपने उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक उस देश के पर्यावरण को निरंतर हानि पहुँचती रहेगी। विश्व स्तर पर इस समस्या के लिए सभी देशों का एकजुट होना आवश्यक है।

4. सामुदायिक स्तर पर, कई सामुदायिक संगठनों ने इन कार्यों को करने के लिए दीर्घकालिक और निष्पक्षता के कई तरीकों का अन्वेषण और पुनः खोज की है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे: मत्स्य पालन, खनन, परिवहन, ऊर्जा, कृषि, और उद्योग आदि में हमें इन संगठनों द्वारा उठाये गये कदमों के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। चलिए हम कुछ उन प्रयासों पर ध्यान देंगे जिसका संबंध समाज की अति मूलभूत आवश्यकता भोजन से है।

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, आपने जैविक उत्पाद (Organic products) और जैविक खेती (Organic farming) के बारे में सुना होगा। जैविक किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बहुत आगे हैं। इनके उपयोग के बजाय वे मुख्य रूप से कृषि में फसल के आवर्तन, वनस्पतिक खाद जैवीय-कीट नियंत्रण जैसी प्राकृतिक तकनीकियों पर निर्भर रहते हैं। जैविक कृषि की एक मुख्य विशेषता - स्थानीय संसाधनों का उपयोग है, जिससे खेतों पर (Orfarming) जैवीय क्रियाएँ जैसे कीटभक्षकों (Pest predators) (पक्षी, मकड़ी, कीड़े) या मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं (रिजोवियम और एजोटोबैक्टर) आदि की उपलब्धता भी शामिल है।

ये पौधों को पोषक तत्व सुलभ करवाते हैं। कृत्रिम रासायनिक निर्गतों के उपयोग को कम करके खेतों को जैव-विविध बनाना चाहिए। जिससे वे एक दो फसल उगाने की बजाय अनेक फसलें उगा सकें। उत्पादन स्तर का प्रबंध आधुनिक कृषि विधियों के अनुरूप किया जाना चाहिए।

अब कई राज्यों ने जैविक खेती की आवश्यकता और क्षमता को जान लिया है। स्थानीय स्तर पर किये गये प्रयासों ने राज्य नीति को प्रभावित किया है। सिक्किम की सरकार ने साहसी कदम उठाते हुए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को प्रतिबंध लगा दिया है। यह भारत का पहला राज्य है जो 2015 तक जैविक, खेती को पूर्ण रूप से अपनाने की योजना बना रहा है। उत्तराखंड भी इसी मार्ग का अनुकरण करते हुए 100% जैविक राज्य बनना चाहता है।

दीर्घकालिक भोज्य उत्पादन और इसके निष्पक्ष वितरण पर एक अन्य रुचिकर मध्यवर्तन है - वैकल्पिक जन वितरण व्यवस्था, (PDS) जिसकी पहल आंध्र प्रदेश के जहीराबाद क्षेत्र के सामुदायिक समूहों द्वारा की गयी थी।



a



c



2

b



d

- a. केन्या के मसाई योद्धा
- b. यूर्ता कज़खस्तन
- c. तिब्बत की क्वीआंग जनजाति
- d. दक्षिणी अमेरिका में गाओचो

चित्र 11.7 : वर्ष 2013 में नयी फोटोग्राफी की पुस्तक जिसे “बिफोर दे पास अवे” कहा जाता है, प्रकाशित हुई। हमें यह पुस्तक सुलभ नहीं है। लेखक ने उन बंजारे समुदायों की पहचान की है जो अदृश्य होने की कगार पर है। (हमारे ये चित्र विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हैं।) जब आप इन्हें देखेंगे तो सोचेंगे कि दीर्घकालीन विकास का प्रश्न कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है?—और क्यों लेखक ने इनकी पहचान अदृश्य होने वालों के रूप में की है।

जवार - बाजरा (Millets) के उपयोग को प्रोत्साहन

भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में से, 92 मिलियन हेक्टर भूमि वर्षा पर और 51 मिलियन हेक्टर भूमि सिंचाई पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि भारत की लगभग 2/3 सिंचाई योग्य भूमि वर्षा पर आधारित है और यह सिंचाई योग्य नहीं है। परंपरागत रूप से इन क्षेत्रों में शुष्क भूमि की परिस्थितियों की उपयुक्तता के आधार पर कई फसलें मिलाकर उगायी जाती हैं। उदाहरणस्वरूप दक्खन पठार की शुष्क भूमि कृषि में एक समय में 16 फसलें एक साथ उगायी जाती हैं। इन फसलों की परिपक्वता की अवधि अलग-अलग होती है, जिसके फलस्वरूप कार्य की अवधि और आय खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति की अवधि में वृद्धि होती रहती हैं। इस प्रकार की खेती में नुकसान की आशंका कम होती है क्योंकि जलवायु की परिस्थितियों में भिन्नता होने पर भी कम से कम एक फसल तो अच्छी होती है। मिश्रित फसल से किसी कीट का मुख्य कीट बनने का भी अवसर कम होता है। ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जो भूमि (मिट्टी उर्वरता), मानव जनसंख्या और पशुओं को संतुलित और पोषक भोजन प्रदान करती हैं।

हरित क्रांति के आरंभ होने से चावल और गेहूँ की फसल पर अधिक ध्यान दिया गया। ये वही फसलें हैं जो जन वितरण व्यवस्था के अंतर्गत (PDS) राशन की दुकानों पर उपलब्ध होती है। घर में बनने वाला मुख्य अनाज चावल और गेहूँ में बदल गया था। स्थानीय खाद्यान्नों की माँग में कमी होने पर समय के बीतने के साथ शुष्क भूमि के कई भाग कृषि विहीन हो गये। आप इस बात का पुनःस्मरण कर सकते हैं कि हरित क्रांति के अंतर्गत विभिन्न सरकारी नीतियों द्वारा भोजन की स्व-निर्भरता के लिए चावल और गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित किया गया था। वही दूसरी ओर जवार-बाजरा (Millets) की खेती को न तो प्रोत्साहित किया गया और न ही उसका समर्थन किया गया। मोटे अनाजों की फसल में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त शोध भी नहीं किये गये। यही शुष्क भूमि पर जवार-बाजरा और तिलहनों के उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण था।

तेलंगाणा के मेदक जिले के जहीराबाद मंडल में गाँववासी गेहूँ और चावल की खरीदारी पर निर्भरता के विरोधी हो गये। यह वर्ष 2000 के आस-पास उस समय हुआ जब महिलाओं ने स्थानीय भोजन संस्कृति की हानि के प्रति प्रतिक्रिया आरंभ की। क्षेत्र का परंपरागत प्रधान भोजन जवार-बाजरा था, जिसका स्थान चावल ने ले लिया था। जवार-बाजरा की तुलना में चावल में पोषक तत्व कम होते हैं। पोषक तत्वों की कमी के साथ-साथ लोगों को इस बात का भी अनुभव हुआ कि - उनका अपनी ही भूमि पर उगाये जाने वाले खाद्यान्नों पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है। कई खेत-खेती के लिए तैयार नहीं थे। जिसका संचालन स्वैच्छिक संस्थान द्वारा होता है, दक्खन विकास समुदाय (Deccan Development Society) के नेतृत्व में गाँववासियों ने एकजुट होकर खेतीविहीन भूमि और साधारण भूमि दोनों पर खेती करने का निर्णय लिया। स्थानीय वातावरण के उपयुक्त होने के कारण जवार-बाजरा की खेती करने का विचार किया गया।

शुष्क भूमि की खेती ने लोगों को रोजगार दिया। आगे चलकर, उत्पाद को बाहर बेचने की बजाय, समुदाय ने समुदाय अन्न बैंकों (Community grain bank) की शुरुआत की। यह जन वितरण व्यवस्था के सिद्धांत पर काम करता था। (जैसे:-लोगों को भिन्न-भिन्न राशन कार्ड दिये जाते थे और राशन कार्ड के प्रकार के आधार पर उन्हें एक निश्चित अंश प्रदान किया जाता था।) इसका प्रबंध केवल स्थानीय तौर पर होता था और अनाज, स्थानीय अनाज ही होता था। अनाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के बजाय, गाँव की खाद्य-सुरक्षा को निश्चित करने के लिए अब स्थानीय रूप से अनाज उपलब्ध होने लगा था।

उपसंहार....

हमने देखा कि आधुनिक विकास ने पर्यावरणीय विनाश की समस्याओं को अधिक महत्व प्रदान किया है। आज इसका अनुभव भिन्न-भिन्न तरीकों से हुआ है जिससे अब हमें पूरी तरह चिंतामुक्त होना है।

हमें विकास के केन्द्र को वस्तुओं और सेवाओं की वृद्धि से हटाकर, साम्यता के साथ दीर्घकालिक विकास को प्राप्त करने के लक्ष्य में परिवर्तित करना है। प्रत्येक व्यक्ति को, कंपनियों, किसानों, सरकारों, न्यायालयों, स्वैच्छिक और सामुदायिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इस परिवर्तन की प्रक्रिया में भूमिका निभानी होगी।

मुख्य शब्द

दीर्घकालिक विकास
जनता के अधिकार

पर्यावरण
साम्यता

स्रोत का आधार
सिंक (Sink)

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

1. जलसिंधी गाँव के लोगों ने गाँव से बाहर जाने के लिए क्यों इंकार कर दिया था?
2. “यह भूमि हमारे पूर्वजों की है। हमारा इस पर अधिकार है। यदि यह गुम हो जायेगी तो हमें केवल फावड़े और कुल्हाड़ियाँ ही मिलेगी- और कुछ नहीं....” यह कथन बाबा महालया ने कहा। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए।
3. अंत में, कभी समाप्त न होने वाली, पर्यावरणीय समस्याओं का केंद्र परिवर्तित जीवन शैली में निहित होता है जो अपशिष्टों और प्रदूषण को कम करता है।
 - हमारी जीवन शैलियों के किन भिन्न-भिन्न तरीकों से पर्यावरण प्रभावित होता है। स्पष्टीकरण के लिए स्वयं के जीवन से संबंधित उदाहरणों का उपयोग कीजिए।
 - सारे विश्व में कूड़े-कचरे और उत्सर्जन(Emission) की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक तरीकों की पहचान कीजिए।
4. खनिजों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से निकासी का विपरीत प्रभाव भावी विकास प्रक्रिया पर पड़ सकता है? क्या आप इससे सहमत हैं?
5. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जलवायु में परिवर्तन का अनुभव सभी देशों द्वारा किया जाता है?
6. पृथ्वी के औसत तापमान को क्या सभी लोगों के लिए प्राकृतिक संसाधन मानना चाहिए? क्यों?

7. तेलंगाणा के ज़हीराबाद मंडल में वैकल्पिक जन वितरण व्यवस्था पर की जाने वाली पहल से हम क्या सीख सकते हैं?
8. “पर्यावरण स्थानीय समुदायों के जीवन और आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्थानीय समुदायों की जीवन शैली पर्यावरण के अनुरूप(Harmonious) होती है।” स्पष्ट कीजिए।
9. भारत के मानचित्र में नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध को दर्शाइए।

चर्चा :

कृषि क्षेत्र में, फ़सलों की मात्रा में वृद्धि के नाम पर किसी संहारक औषधी का प्रयोग अधिक होना, क्या श्रेयस्कर है? इस पर चर्चा कीजिए।

परियोजना कार्य

कार्बनिक कृषि में आपने वानस्पतिक खाद के बारे में पढ़ा है। यहाँ एक साधारण विधि दी गयी है जिसका प्रयोग आप अपने विद्यालय और घर में कर सकते हैं।

- एक बड़े आकार का पतीला लीजिए और उसमें पानी की निकासी के लिए कुछ छेद बनाइए।
- उस पर नारियल के रेशों की परत बिछाइए? निकासी के लिए।
- उसे मिट्टी की एक पतली परत से ढक दीजिए।
- सब्जी के अपशिष्टों को परत में मिलाइए।
- मिट्टी की एक अन्य परत बिछाइए।
- फिर से सब्जी के अपशिष्टों को परत में मिलाइए।
- मिट्टी से ढक दीजिए।
- एक सप्ताह के पश्चात इसमें केंचुओं(Earthworms) को छोड़िए।
- इस मिट्टी का प्रयोग एक छोटे से बगीचे को बनाने में कीजिए, जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगा सकते हैं।

अध्याय 12

विश्व युद्धों के बीच विश्व (The World Between the World Wars)

प्रस्तावना

इस अध्याय में हम 20 वीं शताब्दी के विश्व इतिहास का परिचय देंगे। हम दो विश्वयुद्धों के कारणों और परिणामों तथा विश्वशांति और विकास को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन की उत्पत्ति के बारे में बातचीत करेंगे।



चित्र 12.1 : एरिक हॉब्सवाम

20 वीं सदी (The Twentieth Century)

एरिक हॉब्सवाम (Eric Hobsbawm), इतिहासवेत्ता ने 20वीं सदी को 'पराकाष्ठा का युग' (Age of extremes) कहा। एक ओर अविवादित शक्तियों के विचारों और अन्य लोगों के घृणा के कारण फासीवाद निरंतर बलशाली बन रहा था। दूसरी ओर प्रजातंत्र की माँग में भी वृद्धि हो रही थी। औषधियों के क्षेत्र में नवीन खोजों के कारण औसत जीवन प्रत्याशा दर में उच्च वृद्धि हो रही थी। फिल्म जैसे कला के नये रूप प्रसिद्ध हो रहे थे। विज्ञान के क्षेत्र में जीवन और परमाणु के बारे में नयी खोजें हो रही थी।

20 वीं सदी में कई महान प्रयोग हुए। USSR जैसे कुछ देशों ने समाजवाद का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भूमि, फैक्ट्रियों व बैंकों पर राज्य का अधिकार होता है, तथा सुनियोजित विकास को अपनाया। इन्होंने लोगों में भाईचारे व समानता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

USA के जैसे कुछ देशों ने उदारवादी प्रजातंत्र को अपनाया जिसने बहुदलीय प्रजातंत्र के साथ सभी के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की। उन्होंने पूँजीवादी प्रणाली को प्रोत्साहित किया जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता था।

20 वीं शदी के आरंभ में, विश्व पश्चिमी के विकसित औद्योगिक देशों (ब्रिटेन, यू.एस.ए., जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान आदि मिलाकर) और एशिया और आफ्रिका जैसे उपनिवेशी देशों में विभाजित था। वे विकसित देश जिनके अपने उपनिवेश थे वे एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे थे। ये देश दो शत्रु समूहों या गुटों में बँट गये थे। एक ओर जर्मनी, आस्ट्रिया और हंगरी थे तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस

घटनाक्रम

प्रथम विश्वयुद्ध का आरंभ 1 अगस्त	+ 1914
रूस की क्रांति	+ 1917
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति	+ 1918
वार्सा की संधि	+ 1919
राष्ट्र रंघ का गठन	+ 1919
जर्मनी में हिटलर का उदय	+ 1933
द्वितीय विश्वयुद्ध का आरंभ	+ 1939
रूस पर जर्मनी का आक्रमण	+ 1942
संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन	+ 1945
दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति	+ 1945



चित्र 12.2 : इतिहास में पहली बार WWI पर बम गिराने के लिए विमानों का उपयोग किया गया।

थे। प्रत्येक समूह विश्व पर नियंत्रण करना चाहता था। साथ ही जितना संभव हो सके उतने उपनिवेशों और बाजारों पर नियंत्रण करना चाहता था।

प्रथम विश्वयुद्ध 1914 में आरंभ हुआ। वास्तव में यह विश्व युद्ध ही था क्योंकि विश्व के लगभग सभी देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। इनमें से कुछ ने पूर्व से जापान और चीन को और पश्चिम से US अमेरिका को शामिल कर लिया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी और इसके मित्र राष्ट्रों को युद्ध में हरा दिया। जो विश्व युद्ध का कारण बना।

विश्व युद्ध के कारण (Causes for the World Wars)

आक्रामक राष्ट्रवाद (Aggressive Nationalism)

राष्ट्रीयवाद की विचारधारा एक सकारात्मक आवेग थी। लोगों की सुदृढ़ राष्ट्रीयता की भावना के कारण उनके नये आधुनिक राष्ट्रों का गठन हुआ। यह जर्मनी और इटली के एकीकरण का भी कारण थी। उस विचारधारा ने इन देशों में अहंकार की भावना उत्पन्न कर दी। वे पड़ोसी देशों से घृणा करने लगे।

1923 का इटली का फासीवाद और जर्मनी के नाजियों का राष्ट्रीय समाजवाद, विनाशक रूप में आक्रामक नाजीवाद के अन्य प्रकार थे। फासियों ने आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाई और जर्मनी को विश्व पर शासन करने वाले विजेता के रूप में प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया। इसने जर्मनी के लोगों यूरोप के अन्य देशों के प्रति भड़काया।

साम्राज्यवाद

औद्योगिक पूँजीवाद की उन्नति से ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्त अमेरिका जैसे यूरोपीय देशों को अपनी वस्तुओं के लिए बाजार और कच्चे माल की जरूरत पड़ी। वे उपनिवेशों में अपनी बढ़ती पूँजी का निवेश करना चाहते थे। इसीलिए 19 वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय देशों में उपनिवेशों की होड़ लग गयी। नयी औद्योगिक शक्तियाँ (जैसे जर्मनी और इटली) जब उभरे तब वे उपनिवेशों का पुनः बंटवारा करना चाहते थे किंतु पुरानी शक्तियाँ इसके लिए तैयार नहीं थीं। इस स्थिति ने बड़ा तनाव उत्पन्न किया जो कई युद्धों का कारण बना।

गुप्त मैत्रियाँ (Secret Alliances)


1870 ई. में फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी के चांसलर बिसमार्क (जर्मनी का एक सचिव जिसने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया था) ने 1879 में आस्ट्रिया व 1882 ई. में इटली के साथ एक गुप्त संधि की। इसे त्रिगुट संधि कहते हैं। उनकी समस्याओं के निपटाने के बाद फ्रांस ने 1891 ई. में रूस के साथ और 1904 ई. में ब्रिटेन के साथ एक पारस्परिक मैत्री की। रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन ने 1907 ई. में त्रिपक्षीय गुट (Triple Entente) का गठन किया। त्रिपक्षीय मैत्री गठबंधन का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। इस त्रिपक्षीय गठबंधन से यूरोपीय शक्तियों को ईर्ष्या हुई और वे एक-दूसरे पर शक करने लगे। वास्तविक शांति के बजाय, इस गठबंधन ने यूरोप में भय और 'सैन्यशांति' (Armed peace) के वातावरण का निर्माण किया।

सैन्यवाद (Militarism)

सैन्यवाद का मानना था कि सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सैन्य शक्ति और समस्याओं के समाधान के लिए युद्ध एक सही मार्ग है। 1880 से 1914 तक छः बड़ी शक्तियों (जर्मनी, रूस, आस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन) के सैन्य खर्च में 3 गुना तक वृद्धि हुई। अर्थात् यह £ 132 मिलियन से £ 397 मिलियन हो गया।

सैन्यवाद के संदर्भ में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, यह थी कि इन सभी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी सेनाओं का गठन किया। दूसरी बात, अपने सैन्य हथियारों में वृद्धि के लिए इन लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की उन्होंने लोगों को युद्ध में समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया। तीसरी बात यह थी कि - हथियारों के एक बड़े उद्योग का निर्माण हुआ, जिसके विचार में कूटनीतिक समस्याओं का समाधान युद्ध था। युद्ध प्रायः उनके लाभ में कई गुणा वृद्धि करते थे।

आरेख 1 : शस्त्रों की दौड़



महान् शक्तियों के द्वारा सैन्य खर्च (जर्मनी, आस्ट्रिया - हंगरी, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इटली और फ्रांस 1880-1914) स्रोत : द टाइम्स एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लंदन 1978।

बल्कान राजनीति

बल्कान प्रायद्वीप में कई छोटे-छोटे साम्राज्य थे। वहाँ कई वर्गों एवं भाषा के लोग रहते थे। वे तुर्की साम्राज्य के अधीन थे। ओटोमान साम्राज्य के पतन के पश्चात आस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्क, रशिया ने उस क्षेत्र पर अधिकार पाना चाहा। दीर्घ काल से रशिया और तुर्क काला सागर और भूमध्य सागर पर अधिकार पाना चाहते थे। इसीलिए उस क्षेत्र में तनाव थी स्थिति उत्पन्न हुई। उस समय आस्ट्रिया बोसनिया में सरबिया बगावत को दबाने में लगा हुआ था जो कि आस्ट्रिया के कानून के विरोध में था।

तत्कालीन कारण:-

28 जून 1914 को बोसनिया के सर्व ने आस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फर्डिनेण्ड की हत्या कर दी। आस्ट्रिया ने सरबिया ने इसकी जाँच की माँग की। 28 जुलाई 1914 को सरबिया के असंतोष जनक उत्तर पाकर आस्ट्रिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। सरबिया ने ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया की सहायता से युद्ध किया। जर्मनी और उसके समूह के देश भी आस्ट्रिया की सहायता के लिए युद्ध में कूदना चाहते थे। यह प्रथम विश्व युद्ध कहलाया।

आस्ट्रिया की ओर से लड़ने वाले देश केंद्रीय शक्तियाँ कहलाए तथा दूसरे मित्र देश कहलाए। युद्ध के आरंभ में केंद्रीय शक्तियाँ मित्र शक्तियों पर शक्तिशाली बनीं। 1917 में आंतरिक विद्रोह के कारण रूस, मित्र शक्तियों ने जर्मनी के साथ संधि कर युद्ध को छोड़ दिया। दूसरी ओर 1917 में जब जर्मनी सेना ने लुथुनिया की व्यावसायिक जहाज को डुबा दिया तो मित्र देशों की ओर से U.S. युद्ध में कूद पड़ा। इस प्रकार मित्र देश युद्ध में विजयी घोषित हुए।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व

वार्सा की संधि, 1919

ब्रिटेन और इसके तीन समर्थकों ने संधि की शर्तों और नियमों को पराजित शक्तियों और अन्य छोटे देशों पर सौंपे। आस्ट्रो-हंगरी और ओटोमैन साम्राज्य समाप्त हो गया और छोटे राष्ट्र राज्यों में बँट गया। पहले ही क्रांतिकारियों ने रूसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। जर्मन साम्राज्य भी बिखर गया था और इसका स्थान प्रजातांत्रिक गणराज्य ने ले लिया था। ओटोमैन साम्राज्य पर तुर्की के गणराज्य का अधिकार हो गया तथा आफ्रिका में इसके जो उपनिवेश थे

वे विजित शक्तियों में बँट गये। अधिकांश संख्या में आस्ट्रिया, हंगरी, युगोस्लाविया, चेकोस्लावाकिया, इस्टोनिया, लाटविया, फिनलैण्ड जैसे नये देशों का गठन हुआ।

वार्सा की संधि ने जर्मनी पर दो तरह से भारी हर्जाना थोपा। आर्थिक रूप में जर्मनी को विजयी मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी और क्षेत्रीय रूप में जर्मनी को अपना बहुत बड़ा क्षेत्र फ्रांस और अन्य देशों को सौंपना पड़ा।

- आपके विचार से बताइए कि राष्ट्र संघ जैसे संगठन दो देशों के बीच संघर्षों को किस प्रकार सुलझा सकते हैं? संघर्षों को सुलझाने के लिए वे क्या कर सकते हैं?

राष्ट्र संघ - 1920

राष्ट्र संघ सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय संगठन थी जो वार्सा संधि के पश्चात गठित की गई। इसकी स्थापना 11 जनवरी 1920 को की गई। इसकी स्थापना शांति समझौते, निरस्त्रीकरण एवं शस्त्र निर्माण में कमी कर विवादों एवं युद्धों को रोकने के लिए की गई। इसके अतिरिक्त विकास, श्रमिक कल्याण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए की गई। इसमें 58 सदस्य थे। इसे सीमित सफलताएँ मिली एवं द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा।

रूस क्रांती का दिनांक

रूस ने 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेण्डर को अपनाया। उसके पश्चात देश ने ग्रेगोरियन कैलेण्डर को अपनाया जिसका आज हर कोई अनुसरण कर रहा है। ग्रेगोरियन तारीखें, जुलियन कैलेण्डर से 13 दिन आगे है। अपने कैलेण्डर के अनुसार फरवरी क्रांति के 12 मार्च को घटी और अक्टोबर क्रांति 7 नवम्बर को।

रूस में समाजवादी क्रांति - 1917-1922

20 वीं सदी के प्रारंभ में रूस पर जार निकोलस-II का शासन था। ज़ारिस्ट रूस एक विशाल भूमि का भाग था जो दो महाद्वीपों में फैला था और एक महान यूरो - एशियन शक्ति बनकर उभरा। चीन और भारत के बाद यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश था। लगभग 156 मिलियन। इसमें रूस, यूक्रेन, उज़बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिया, आदि कई देश शामिल थे। अधिकतर रूसी लोगों की जीविका का साधन कृषि था और भूमि पर अधिकार पाना ही किसानों एवं सामंतों के मध्य के संघर्ष का कारण था। सीमांत वर्ग के अधिकार में अधिकतर भूमि थी तथा किसान उस पर किराया देकर कृषि किया करते थे।

ज़ार निकोलस-2 इस विशाल रूसी राज्य के एक निरंकुश शासक थे जो सेना तथा नौकर शाही अधिकारियों की सहायता से राज्य करते थे। किन्तु विश्व युद्ध द्वारा रूस की आर्थिक स्थिति चरम सीमा तक लहलुहान सी हो गई। रूस की सेना प्रथम विश्व युद्ध से पहले विश्व की सबसे बड़ी सेना थी। किन्तु 1917 तक रूस ने इस युद्ध में अपने दो मिलियन सैनिक एवं नागरिक खो दिए और प्रथम युद्ध में अधिक मानव जीवन गँवाने वाला देश बन गया। युद्ध

फरवरी क्रांति में महिलाएँ

मरफा वसिलेवा (Maefa Vasileva) की लोरेन्ज टेलिफोन फेक्टरी (Loresy Telephone factory) की महिला कर्मचारी थी जो अधिकतर अपने साथी पुरुष कर्मचारियों से प्रभावित हो कर अकेली हड़तालें करती थी। जो सफल भी हुई। उस दिन महिला दिवस के अवसर पर सभी महिला कर्मचारियों ने अपने पुरुष सहयोगियों को लाल फूल भेंट किए। एक महिला मरफा वसिलेवा ने जो एक मशीन ऑपरेटर थी, काम रोक दिया तथा अचानक हड़ताल की घोषणा कर दी। उस माले (floor) के कर्मचारी उसका समर्थन करने के लिए तैयार थे। फोरमैन ने प्रबन्धक को सूचना दे दी। जिसने मरफा को एक डबलरोटी भेजी। उसने ब्रेड ले ली किन्तु काम पर जाने से मना कर दिया। संचालक (Administrator) ने उससे दुबारा पूछा कि वह काम पर क्यों नहीं जा रही है, तब उसने कहा कि “मैं अकेली ही अपनी भूख नहीं मिटा सकती जब दूसरे भूखे हों।” कारखाने के दूसरे विभाग की महिला कर्मचारी भी मरफा के पास आ गए और उसके साथ हड़ताल में शामिल हो गए। तथा अपना काम बंद कर दिया। पुरुष कर्मचारियों ने भी कुछ ही पल में अपने औजार रख दिए और कुछ ही समय में पूरी भीड़, सड़क पर जमा हो गई।

From: Choi Chatterji, Celebrating Women (2002)



चित्र 12.3 : 1917 में लेनिन श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए

भूमि में साधन सामग्री पहुँचाने के कारण शहरों में अनाज की कमी हो गई। 8 मार्च 1917 के दिन लगभग 10,000 महिलाओं ने रूस की राजधानी य.स.टी.पीटर्सबर्ग से एक जुलूस निकाला और “शान्ति एवं रोटी” (Peace and bread) की माँग की। श्रमिक भी उनके साथ शामिल हो गए। जार निकोलस-2 ने अपनी सेना को इसे कुचलने तथा इन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। उनपर गोलियाँ चलाने के बदले, सैनिक भी इन प्रदर्शन कारियों के साथ मिल गए। दो दिन में ही स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जार अपना सिंहासन छोड़ कर भाग गए और अकुलीनतंत्रीय रूसी लोगों ने एक अल्पकालीन सरकार बना डाली। यह रूस की 1917 की पहली क्रांति थी और इसे मार्च क्रांति कहा जाता है।

अगली इससे बड़ी क्रांति अक्टूबर 1917 में हुई जो बिल्कुल भी अनायास न थी। जार के सिंहासन छोड़कर भाग जाने के उपरान्त जिन उदारवादी एवं कुलीनतंत्रीय लोगों ने रूस पर शासन किया, उन्होंने यह निर्णय किया कि वे युद्ध में भाग लें ताकि वे अपने पितृभूमि का मान बनाए रखें। पराजयों एवं आर्थिक कमियों से थके हुए आम आदमी युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने आप को परिषदों में आयोजित करना प्रारम्भ कर दिया जो सोवियत संघ कहलाने लगे। सैनिकों, औद्योगिक श्रमिकों एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के ये सोवियत संघ, साधारण लोगों की शक्ति की अभिव्यक्ति के साधन बन गए जिसका एक रूसी साम्यवादी पार्टी ने नेतृत्व दिया, जिन्हें बोलशिवक कहा जाता था।

बोलशिवक पार्टी के नेता थे वल्डिमर लेनिन (1870-1924)। बोलशिवक, सोवियतों का (किसानों के परिषद, श्रमिक तथा सैनिकों) विश्वास जीतने में सफल हो गए। क्योंकि इन्होंने बिना किसी शर्त के शांति, संपूर्ण भूमि का राष्ट्रीकरण एवं उसका सभी किसानों में समान बाँटवारा तथा दामों पर एवं सभी उद्योग एवं बैंकों को वश रखने की मांग को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। बोलशिवक के नेतृत्व में इन सोवियतों ने अक्टूबर-नवम्बर 1917 में अल्पकालीन सरकार से सत्ता छीन ली। तथा युद्ध का अंत करके भूमि का दुबारा विभाजन किया। रूस में पूरी तरह से शांति की स्थापना नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया जिसका नेतृत्व रूस की सफेद सेना (White Armies) राज भक्त, एवं साम्यवादी विरोधी सैनिक रहे थे जिनकी सहायता ब्रिटेन, फ्राँस, यू.एस.ए. एवं जापान कर रहे थे। इन सब को 1920 तक असफल कर दिया गया। बोलशिवको ने रूसी साम्राज्य के अंत की भी घोषणा कर डाली तथा उसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों को स्वतंत्र भी कर दिया। धीरे-धीरे सभी जारिस्ट साम्राज्य के राज्य रूसी समाजवादी गणतंत्र संघ में (यू.यस.यस.आर) शामिल हो गए। जिसका निर्माण 1922 में रूसी सोवियत सरकार ने किया।

अक्टूबर क्रांति और ग्रामीण रूस: दो दृष्टिकोण

1) अक्टूबर 25, 1917 की क्रांतिकारी जाँच अथवा समीक्षा के समाचार गाँव पहुँच गए। जिसका बहुत ही उत्सुकता से स्वागत किया गया। किसानों के लिए उसका अर्थ था; निशुल्क भूमि तथा युद्ध का अंत जिस दिन यह समाचार पहुँचे, जमींदार का विशाल घर लूट लिया गया, उनके भरे हुए गोदाम अधिग्रहित (Requisitioned) कर लिये गए और उनके फलों के बगीचों को काट कर उनकी लकड़ी किसानों में बेच दी गई। उनके मकान तोड़ दिए गए और भूमि को किसानों में बाँट दिया गया जो एक नवीन सोवियत जिन्दगी जीना चाहते थे।

फेडोर बिलव, 'सोवियत सामूहिक कृषि का इतिहास'

2) एक जमींदार परिवार के सदस्य का पत्र जो उसने अपने संबंधी को लिखा। यह बताने कि उनकी विशाल भूमि पर क्या हुआ।

“अकस्मात् कूप” (तखता पलटना या गद्दी से उतारना) बिना किसी दर्द के, शांति से और खामोशी से हुआ। पहले कुछ दिन असहनीय थे। मिखेल मिखेलोविच (Mikhail Mikhailovich) (जमींदार) एकदम शांत थे - उनकी लड़कियाँ भी मैं यह कहना चाहूँगा कि चेयरमैन बहुत ही सही बर्ताव करते हैं और बहुत ही शिष्ट भी है। हमारे पास केवल दो गाय और दो घोड़े रह गए। हमारे नौकर उनसे कहते हैं कि वे हमें तंग न करो। उन्हें जिन्दा रहने दो। हम उनकी सुरक्षा की देखभाल करते हैं और जायदाद की भी। हम चाहते हैं कि उनके साथ जहाँ तक संभव हो मानवतापूर्ण व्यवहार करें...”

ऐसी अफवाह है कि कुछ गाँव इन कमीटियों को बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं और जागीर (Estate) भूसंपत्ति को वापस मिखेल मिखेलोविच को देना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये होगा भी या नहीं, या फिर ये हमारे लिए ठीक है-लेकिन हम खुश है कि हमारे लोगों में भी अंतरात्मा या विवेक है।

- ऊपर दिए गए दोनों दृष्टिकोण जो देश में क्रांति पर है। सोचिए कि आप इस घटना के गवाह है। इस पर अपने विचार लिखिए : 1) एक जागीर के मालिक 2) एक निर्धन किसान 3) एक पत्रकार की दृष्टि से।

अक्टूबर क्रांति का मध्य एशिया दृष्टिकोण

एम.एन. राय (M.N.Roy) ने कोमिन्टर्न (comintern) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो संसार में साम्यवादी क्रांति का बढ़ावा दे रहा थे, एक महत्वपूर्ण पात्र निभाया। वे 1920 के गृह युद्ध के समय मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा है कि “मुखिया एक उदार वृद्ध व्यक्ति था। उनका सेवक जो एक युवा लडका था और जो रूसी भाषा बोलता था, उसने इस क्रांति के विषय में सुना था। जिसमें ज़ार को सिंहासन से हराकर तथा उन सैनिक अफसरों को भगा दिया गया। जिन्होंने किरगिजों की मातृभूमि को हथिया लिया था। क्रांति का अर्थ था किरगिजों द्वारा अपनी मातृभूमि के मालिक बन गए। उस युवक ने नारा लगाया। “क्रांति अमर रहे” जो लगता था कि एक बोलशिविक है। पूरा कबीला उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगा।

एम.एन. राय - मेमाइर्स (1964)

रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1930 में रूस से लिखा:

मास्को अन्य यूरोपीय देशों से धुँधला दिखाई देता है। सड़क पर चलने वाले लोगों में कोई भी चुस्त या फुर्तीला दिखाई नहीं देता था। पूरा क्षेत्र श्रमिकों का दिखाई देता था। यहाँ पर वे जो सदियों से पीछे छुपे थे आज खुल कर सामने आए हैं। मैं अपने देश के किसान और श्रमिकों के विषय में सोच रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे यह सब अरेबियन नैट्स (Arabian Nights) की कथाओं के जिनी जैसा है। कुछ दशकों पूर्व ये सब निरक्षर, भूखे और लाचार थे बिल्कुल हमारे देश के लोगों की तरह। मुझसे अधिक अभागा भारतीय और कौन चकित होगा जो यह देख रहा है कि किस प्रकार उन्होंने अज्ञान तथा लाचारी की पर्वत जैसी रुकावटों को कुछ ही वर्षों में निकाल फेंका है।

इसी के साथ एक विशाल प्रयोग प्रारम्भ हुआ। एक ऐसे देश के निर्माण का जहाँ कोई सामंत वर्ग, राजा या पूँजीवादी उनका शोषण न करे। सोवियत सरकार (यू.यस.यस.आर) ने एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयत्न किया जो औद्योगिक हो, आधुनिक हो और जहाँ पर लोगों में जन्म के आधार पर लिंग एवं भाषा के आधार पर कोई असमानता या बहिष्कार न हो।

स्टालिन का उद्भव (Rise of Stalin)

सन् 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन साम्यवादी पार्टी के नेता बनकर उभरे। अगले दशकों में उन्होंने पूर्ण नियंत्रण की स्थापना की तथा सभी विपक्ष का अंत कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति USSR की आर्थिक स्थिति सुधारने में लगा दी। यू.यस.यस.आर ने सन् 1928 से अपने पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आर्थिक प्रगति का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने औद्योगिक प्रगति एवं कृषि के सामूहकीकरण की दोहरी योजना अपनाई।

विश्व पर रूसी क्रांति का प्रभाव

U.S.S.R के अनुभव से विश्व के कई व्यक्ति प्रभावित हुए जो समानता एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता जैसे आदर्शों के लिए समर्पित थे। उनमें से कई लोग साम्यवादी बन गए और अपने

देश में एक साम्यवादी क्रांति करने के प्रयत्न करने लगे। कई लोग जैसे M.N.Roy, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवहरलाल नेहरू भी इन से प्रभावित हुए। जबकी वे इनमें से कुछ साम्यवादी विषयों पर जैसे विरोधी दल को पूरी तरह से कुचलने के विचार से सहमत नहीं थे।

U.S.S.R में बहुदलीय प्रजातंत्र और स्वतंत्रता की अस्वीकृति तथा विपक्षी दलों के दमन के लिए जो हिंसा हुई थी उनसे कई लोग भयभीत थे।

जार्ज ओरवेल ने अपने प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास 'एनिमल फार्म' (Animal Farm) में लिखा है कि किस तरह रूसी क्रांति के आदर्शों का U.S.S.R में समझौता कर लिया गया।

आर्थिक मंदी 1929-1939

महान विश्व व्यापक दबाव का दौर 1929 के अंत से प्रारम्भ होकर 1939 तक चला जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस दशक में संपूर्ण विश्व में आर्थिक गिरावट का दौर चला जिसका कारण था मूल्यों की गिरावट और माँग में कमी। माँग में कमी के कारण कारखाने के उत्पादन में कमी आ गई जिसका अर्थ था लोगों के खरीदने की क्षमता में और कमी जिससे माँग में और गिरावट आ गई। इस चक्रीय प्रभाव के कारण विश्व व्यापक बेरोजगारी तथा साधारण आदमी और सरकार की आय में गिरावट आ गई। इसका आरम्भ अमेरिका के एक स्टॉक (Stock Market) मार्केट में गिरावट से हुआ, इसके उपरांत इसका असर विश्व के लगभग सभी देशों पर पड़ा।

लगभग 25% अमेरिकी निरुद्योग थे और बाकी 33% दूसरे देशों बेरोजगार थे। उद्योग बंद होने के कारण और व्यापार में गिरावट के कारण शहरों में भी गिरावट आ गई। इससे कृषि उत्पादन के मूल्य में भी (60%) गिरावट आ गयी। जिससे किसान निर्धन हो गए और कृषि का कार्य थम गया।


यह अब तक का सबसे लंबा और कठिन आर्थिक मंदी का दौर था जिसे आधुनिक अर्थ-व्यवस्था ने देखा। इसके सामाजिक परिणाम बहुत भयंकर थे जैसे निर्धनता में बढ़ोतरी, वीरानी या अकेलापन, बेघर होना आदि।

- संक्षिप्त में आंकलन कीजिए कि सोवियत संघ विश्व को समानता, स्वतंत्रता और समृद्धि पर आधारित विश्व बनाने के प्रयोग में कितना सफल रहा?
- क्या आप इसे न्यायपूर्ण समझते हैं कि ऐसे प्रयोगों के लिए हजारों लोगों की बली चढाई जाए?
- साम्यवाद के विरोध में कौनसी आलोचनाएँ उठाई गईं?



चित्र 12.4 : शेयर बाजार में गिरावट के कारण धन की हानि होने के बाद अपनी रोडस्टर को बेचता हुआ न्यूयार्क का व्यक्ति।

अर्थशास्त्री एवं राजनैतिज्ञों ने इस आर्थिक मंदी पर लंबे समय से चर्चाएँ हैं। इनको कैसे रोका जाए तथा भविष्य में दोबारा ऐसा न हो इसके उपाय ढूँढ़े। मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि ऐसी विपत्तियाँ पूँजीवाद के कारण उत्पन्न होती हैं। इससे केवल समाजवाद की स्थापना से ही मुक्ति मिल सकती है। दूसरी ओर जे.एम. केन्स (J.M. Keynes) जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि एक राज्य का अपनी आर्थिक स्थिति को चलाने में महत्वपूर्ण पात्र है। और अगर वो इसमें असफल हो जाता है तो मंदी की स्थिति का सामना करना पड़ता है। केन्स के अनुसार आर्थिक मंदी के समय में जब माँग में गिरावट आती है, उस समय राज्य को चाहिए कि वह धन का निवेश करे और रोजगार उत्पन्न करें जिससे जनता को धन कमाने में सहायता मिलेगी और बाजार में उत्पादन की माँग भी बढ़ेगी। इस प्रकार राज्य द्वारा उत्पन्न माँग से आर्थिक स्थिति को सुधारने के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन 1920 और 1930 की पूँजीवादी सरकारें इस प्रकार देश की आर्थिक नीति में दखल नहीं देना चाहती थी जिसके कारण विपत्तियाँ और बढ़ गईं।



चित्र 12.5 : डोरोथिया लैंज के द्वारा मंदी के समय पोलिश अप्रवासी फ्लौरेंस ओवेस का प्रसिद्ध चित्र। यह मार्च 1936 में कैलिफोर्निया के अभावग्रस्त पी-पिकर्स (pea pickers) का वर्णन करता है। यह क्या सोच रही होगी?

फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने उन्होंने नये समझौते “न्यू डील” की घोषणा की जिससे आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत (Relief) वित्तीय संस्थाओं में सुधार (Reform) और सार्वजनिक कार्योद्वारा आर्थिक पुनः प्राप्ति (Recovery) (Three R's) सुनिश्चित करने का वचन दिया। लेकिन वास्तविक आसर युद्ध प्रारंभ के साथ आया और राज्यों में युद्ध के हथियार बनाने और सेना को संभालने का भार बढ़ गया जिससे कारखानों में उत्पादन बढ़ गया और कृषि की सामग्री की माँग भी बढ़ गई। उन्होंने अमेरिका को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जिसकी उसे अत्यधिक आवश्यकता थी। उसने एक स्थाई सार्वभौमिक सेवानिवृत्त पेन्शन बनाई। बेरोजगारी बीमा, तथा विकलांग और जरूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पिता न हो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनाई। इससे अमेरिका की कल्याणकारी व्यवसायक के लिए एक ढाँचे का निर्माण हुआ। वास्तविकता में मंदी के दौर से भी पहले जब युद्ध चल रहा था। तब ब्रिटेन ने इस दिशा में पहला कदम उठाया, उसने निरुद्योगों के लिए बीमाकरण तथा वृद्धों के लिए पेन्शन योजनाएँ बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन ने भी कुछ सामाजिक सुरक्षा के कदम उठाए जैसे निरुद्योग के लिए, बीमार लोगों के लिए, स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएँ, शिशु सुरक्षा के लिए आदि। इन सबके बनाने का यह उपाय था कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जहाँ राज्य सभी को एक अच्छे जीवन का आश्वासन दे और उनकी सभी मौलिक आवश्यकताओं का जैसे अन्न, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्ध लोगों की देख भाल तथा शिक्षा का खयाल रखें। राज्य ने योग्य नागरिकों को रोजगार दिलाने का भी बड़ी मात्रा में अपने ऊपर भार लिया। इस प्रकार राज्य ने यह प्रयत्न किया कि यह पूँजीवादी बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव को भी कम करे।

जर्मनी में आर्थिक मंदी

जर्मनी की आर्थिकता को युद्ध के बाद बड़ा धक्का लगा क्योंकि उसे युद्ध का कारक बताया गया और उसे युद्ध की हानियों की भी भरपाई करनी पड़ी। जर्मन सरकार ने तेज़ी से नोट छापने शुरू कर दिए जिससे कभी न सुनी हुई महँगाई बढ़ गई। ऐसा कहा जाता है कि लोग एक डबलरोटी खरीदने के लिए गाड़ी भर कर नोट ले जाते थे।

ऐसे समय में उन्हें ऋण देकर तथा युद्ध की हानियों की जो भरपाई थी उसमें कुछ समय देकर अमेरिका (U.S.A) ने जर्मनी की ओर सहायता का हाथ बढ़ाया। इससे 1928 तक जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधरने में सहायता मिली। किन्तु यह कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि अमेरिका खुद 1929 की विश्व व्यापक मंदी से ग्रस्त था और अधिक समय तक जर्मनी की सहायता नहीं कर पाया।

जर्मनी की आर्थिकता को विश्व व्यापक मंदी से गहरा धक्का लगा। 1929 से 1932 तक जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन गिरकर 40% कम हो गया। श्रमिक अपनी नौकरी खो बैठे और उनका वेतन भी कम कर दिया गया। निरुद्योगों की संख्या 6 मिलियन हो गई। जर्मनी की गलियों, और सड़कों पर लोग अपने गले में तख्ती लगा कर घूम रहे थे कि “किसी भी कार्य के लिए तैयार है” निरुद्योग युवक या तो पत्ते खेलते रहते, सड़कों के किनारों पर बैठे रहते, या रोजगार कार्यालय के आगे लाईन में खड़े रहते। नौकरियाँ नहीं थी, इससे युवा लोग गलत काम करने लगे और हर और निराशा का माहौल छा गया।

आर्थिक संकट के कारण लोगों में गहरी चिंता और डर छा गया। मध्यवर्ग के लोगों में विशेषकर वेतन पाने वाले और पेंशन पाने वाले लोगों ने देखा कि उनकी बचत राशि धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। मुद्रा अपना मूल्य खो रही थी। छोटे व्यापारी, स्व रोजगार, और रिटेलर्स उनके व्यापार के नष्ट होने के कारण काफी पीड़ित थे।

समाज का यह वर्ग इस डर में जीने लगा कि कहीं वे निर्धन न हो जाए, और उनकी स्थिति श्रमिक वर्ग, या फिर उससे भी बुरी स्थिति जैसे निरुद्योग जैसी न हो जाए। केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारी अपना सिर पानी के ऊपर रख सके, लेकिन बेरोजगारी ने उनकी मोल-भाव करने की क्षमता कमजोर कर दी। बड़े व्यापार कठिनाइयों में थे। बड़ी मात्रा में किसानों पर कृषि के मूल्यों में गिरावट के कारण असर हुआ। महिलाएँ अपने बच्चों को पेट भर भोजन न दे सकने के कारण दुखी थी। इन सब का परिणाम यह निकला कि जर्मनी में राजनैतिक स्थिरता न रही और एक के बाद एक सरकारें गिरती गईं क्योंकि वे एक स्थिर शासन नहीं प्रदान कर पाए।

- अपने आप को श्रमिक सोचो जिसने अचानक ही अपना काम खो दिया हो और अगले कुछ वर्षों तक उसके पास कोई रोजगार भी न हो। अपनी जिन्दगी के एक दिन के विषय में लिखिए।
- अपने आप को एक किसान समझो जिसे यह मालूम पडा है कि उसके अनाज के दाम गिरकर आधे से कम हो गए हैं। अपनी प्रतिक्रिया 300 शब्दों में लिखिए।
- आपको भारत में आज कल्याणकारी राज्य के कौन से पहलू दिखाई देते हैं?

फासीवाद एवं नाजीवाद का उदय

उदारवाद और समाजवाद जैसे राजनैतिक विचारधाराओं के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फासीवाद एक ऐसा विचारधारा थी जो पहले विश्वयुद्ध के बाद के युग में विशेषकर पराजित देशों में विकसित हुई। अन्य देशों के जीतने और विस्तार करने के लिए इसने राष्ट्रीय एकता के उपाय पर बल दिया। फाजीवादी किसी को संघर्ष करने की स्वीकृति नहीं देते थे। देश में उनके कोई भिन्न-भिन्न तित या रुचियाँ नहीं थीं। केन्द्रीय शक्ति के प्रति ईमानदारी और आज्ञाकारिता की सुनिश्चितता के लिए व जनता पर बल प्रयोग करते थे। वे साम्यवाद और उदारवाद दोनों के विरुद्ध थे। निरंकुश राज्य के द्वारा फासीवादी अपने देश में एकता का निर्माण करना चाहते थे। जिससे देश के अधिकांश समुदायों में जन चेतना का विकास हुआ। फासीवाद आंदोलन की कुछ साधारण विशेषताएँ थीं - राष्ट्र की उपासना, हिटलर जैसे शक्तिशाली नेता के प्रति भक्ति, सैन्य विजयों और उग्र राष्ट्रवाद पर बल देना आदि। राष्ट्र को पुनर्जीवित करने के लिए फासीवाद ने राजनीतिक हिंसा, युद्ध और विजयों जैसे साधनों का उपयोग किया। इसने दृढ़तापूर्वक कहा कि शक्तिशाली देशों को यह अधिकार है या उनका कर्तव्य है कि वे पिछड़े या कमजोर देशों पर अधिकार कर अपनी सीमाओं का विस्तार करें। इसने राज्य नियंत्रित पूँजीवाद पर बल दिया तथा समाजवाद और साम्यवाद का विरोध किया। सभी निजी के उन्मूलन पर भी इसने बल दिया।

यह विचारधारा पराजित देशों में बहुत प्रसिद्ध हुई क्योंकि ये देश वार्सा की संधि द्वारा थोपी गयी शर्तों और विश्व-व्यापी मंदी के दबाव के कारण स्वयं को अपमानित अनुभव कर रहे थे। यह 1922ई. में सबसे पहले, इटली में बेनीटो मुसोलिनी की जीत से आरंभ हुआ। इसके बाद हिटलर और उसकी नाजी पार्टी 1933 में जर्मनी में सत्ता में आयी। 1939 में प्रजातांत्रिक राज्य के विरुद्ध दीर्घ सैन्य अभियान के बाद स्पेन में जनरल फ्रैंको सभा में आया। इसी समय जापान ने अपनी फासीवादी विचारधारा का विकास कर तथा चीन और कोरिया आदि देशों में सैन्य अभियान करना शुरू किया। ये सभी निरंकुश शासक, कुछ हद तक फासीवादी विचारधारा के अनुयायी थे।

हिटलर एक शक्तिशाली वक्ता था। उसके जुनून एवं शब्दों से लोग प्रभावित हो जाते थे। उसने वचन दिया कि वह एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करेगा, वार्सेल्स की संधि के द्वारा हुए अन्याय को समाप्त करेगा और जर्मनी वासियों का आत्मसम्मान उन्हें वापस दिलाएगा। उसने लोगों को रोजगार दिलाने का वचन दिया और युवा पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य का उसने वचन दिया कि वह सभी विदेशी प्रभाव को बाहर निकाल फेंकेगा तथा जर्मनी के विरुद्ध हो रही सभी विदेशी साजिशों को रोक देगा।

उसने एक नई प्रकार की राजनीति को आकार दिया। वह जनचेतना के तरीकों और पहलुओं के महत्व को समझ गया था। लोगों में एकता की भावना लाने तथा हिटलर को ये विश्वास दिलाने की उन्हें जन समूह का पूरा साथ है नाजियों ने विशाल रैलियाँ एवं सार्वजनिक बैठकों को आयोजित किया। स्वास्तिक के चिन्ह वाले लाल झंडे, नाजी सल्यूट और भाषण के बाद तालियों की गड़गड़ाहट ये सब उनके शक्ति के प्रतीक थे।

हिटलर अपने कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाकर जागृत करता (Mobilize) कि वह आर्यन जर्मन के जाति समूह को विश्व में सबसे ऊँचा स्थान दिलाएगा। उसने अल्पसंख्यक समूहों जैसे यहूदियों, जिप्सियों आदि को निशाना बनाया और सभी समस्याओं का कारण ठहराया। चूँकि जिप्सी खानाबदोश थे तथा कुछ यहूदियों की गिरवी की दुकानें थी और वे पैसा उधार देते थे, कई मध्यवर्गीय जर्मनी उनके विरुद्ध हो गये। वह साम्यवाद और पूँजीवाद का भी विरोधी था और यह कहता था कि ये दोनों भी यहूदी लोगों की साजिशें हैं। उसने वचन दिया कि वह एक ऐसा शक्तिशाली राज्य बनाएगा, जो इन दोनों विचारों का सामना करेगा। उसने मध्य वर्ग से निवेदन किया जो पूँजीवाद एवं विश्व व्यापक मंदी से डरे हुए थे और कार्यकारी समूह के आन्दोलन का विरोध कर रहे थे जिसका नेतृत्व साम्यवादी और समाजवादी कर रहे थे।

ऐसी परिस्थिति में नाजी पार्टी के प्रचार ने लोगों में एक अच्छे भविष्य की आशा की किरण जगाई। हिटलर इसके ऐसे नेता थे जिससे कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। सन् 1928 में नाजी पार्टी को जर्मनी संसद रीजस्टेग में केवल 2.6 प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिले। किन्तु 1932, तक 37% वोट के साथ सबसे बड़ा राजनैतिक दल बन गया।

हिटलर जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने तुरन्त ही एक अप्रजातांत्रिक एवं निरंकुश शासन की स्थापना कर डाली और संसद जैसी प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर रोक लगा दी। विरोधी दल के नेताओं विशेषकर साम्यवादियों को बंदी बनाना शुरू किया। उन्हें बंदी शिविरों में रखा गया।

हिटलर के भाषण से

हिटलर ने कहा कि विश्व के सबसे शक्तिशाली जाति का यह अधिकार है कि वे विश्व पर राज्य करें। उसे जीत लो। भूमि किसी को भी उपहार में नहीं मिली है। इसे उन्हीं लोगों को इनाम में दिया गया है। जिनके दिलों में इसे हासिल करने की हिम्मत हो, इसकी सुरक्षा करने की शक्ति हो, और इसपर हल चलाने की क्षमता हो। विश्व का प्राथमिक अधिकार है, जीने का अधिकार जब तक कि इसे रखने की क्षमता हो। इस अधिकार के आधार पर एक बलवान राष्ट्र अपनी जनसंख्या के आकार के अनुसार हमेशा अपनी सीमाएं निर्धारित करने का प्रयत्न करते रहेगा।

हिटलर, सीक्रेट, बुक, टेलफोर्ड टेलर -

- क्या हिटलर यहाँ पर विश्व को जीतने के उपाय को प्रोत्साहित कर रहे हैं? आपके अनुसार क्या विश्व उन्हीं का होना चाहिए जिनके पास शक्ति और अधिकार हैं?



Fig 12.6 : 1945 में जेना जर्मनी के समीप बुचेनवॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन कैम्प में यहूदी गुलाम श्रमिक

प्राक्कथन (भूमिका)

नाजियों ने अपने बच्चों को प्रारम्भ से ही एक ही दिशा में सोचने के लिए सिखाया कि वे केवल नाजि जाति विचार धारा की महानता, जर्मनी की महानता, हिटलर की महानता एवं यहूदियों से नफरत के विषय में ही सोचें। यह किस प्रकार किया गया?

छः से दस वर्ष के सभी बालकों को नाजि विचारधारा की ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग के अंत में उन्हें हिटलर के प्रति वफादारी की यह शपथ लेनी पड़ती थी:

इस खूनी ध्वज के समक्ष जो हमारे नेता का या शासक का है मैं प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति अपने देश के रक्षक अडाल्फ हिटलर (Adolf Hitler) को समर्पित करता हूँ। मैं उनके लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। ईश्वर मेरी सहायता करें।

From W. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich

राबर्ट ले, जर्मन श्रमिक फ्रंट के नेता कहते हैं :

“जब बालक तीन वर्ष का होता है हम तभी प्रारम्भ कर देते हैं। जैसे ही वो सोचना भी शुरू नहीं करता उसे एक छोटा सा ध्वज दे दिया जाता है, हिलाने के लिए। इसके पश्चात पाठशाला आती है, हिटलर युवा सैनिक प्रशिक्षण, लेकिन जब ये सब समाप्त हो जाता है, तब तक हम किसी को भी जाने नहीं देते हैं। तब तक वह इसे थामे रखता है, जब तक कि वे अपनी कब्र में न पहुँच जाए, चाहे उन्हें पसन्द हो या न हो।”

नाजियों के शासन में महिलाएँ

हिटलर ने 8 सितम्बर, 1934 को, न्यूरेम्बर्ग पार्टी की रैली में महिलाओं को सम्बोधित करते हुए इस प्रकार से कहा :-

हम ये सोचते हैं कि महिलाओं को पुरुष के संसार में दखल नहीं देना चाहिए। हम इसे प्राकृतिक समझते हैं कि ये दोनों संसार एक दूसरे से अलग रहें। पुरुष जो बहादुरी युद्ध के मैदान में दिखलाता है, स्त्री उसे अपने अमर बलिदान में, दर्द में और अपनी तकलीफ में दिखलाती है। हर शिशु जिसे स्त्री इस संसार में लाती है, उसके लिए एक युद्ध है जो वह अपने लोगों के अस्तित्व के लिए लड़ती है। 8 सितम्बर, 1934 को हिटलर ने न्यूरेम्बर्ग पार्टी की रैली में ये भी कहा :

स्त्री अपनी जाति को सुरक्षित रखने का एक दृढ़ तत्व है। उसमें एक विशेष अचूक समझ होती है। सभी महत्वपूर्ण बातों को परखने की यह देखने की कि एक जाति कहीं अदृश्य न हो जाए। क्योंकि इससे उसी की संतान पर असर हो सकता है। इसीलिए हमने स्त्रियों को जातीय समुदायों के संघर्ष में एकीकृत किया। क्योंकि यह प्रकृति और परमात्मा के द्वारा निर्धारित था।



चित्र 12.7 : सार्वजनिक रूप से दण्डित महिलाएँ जिन्हें यहूदियों को बचाने के लिए दोषी ठहराया गया।

- क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि महिलाओं को दर्द सहन करने बच्चों के पालन-पोषण तक स्वयं को सीमित करना चाहिए?
- बच्चों के पालन-पोषण में, कारखानों, कार्यालयों और खेतों में जैसे सभी क्षेत्रों में क्या महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से भाग लेना चाहिए? अपने विचार बताइए।

3 मार्च, 1933 के दिन प्रसिद्ध अधिकृत अधिनिय (Enabling Act) लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा हिटलर का निरंकुश शासन स्थापित हो गया। इसके द्वारा हिटलर ने संसद को हरा कर सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। जर्मनी में सभी विरोधी दलों को तथा व्यापारी संगठनों को बंद कर दिया गया। केवल नाज़ि पार्टी और उससे जुड़ी दूसरी पार्टियों को ही रखा गया। राज्य की अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, तथा न्यायपालिका को पूरी तरह अपने आधीन कर लिया।

नाज़ि जिस प्रकार चाहते थे उस तरह से विशेष सुरक्षा बलों की नियुक्ति कर समाज में क़ानून बनाने हेतु संगठन बनाए गए। नियमित पोलीस जो हरे यूनिफ़ॉर्म में होती थी, के साथ-साथ और एस.ए. या स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा, अन्य सुरक्षा दल जैसे गास्टपो (Gastapo) (राज्य की गुप्त पोलीस), S.S. (सुरक्षा दल) आराधिक पोलीस और S.D. (सुरक्षा सेवा) भी बनाए गए। इन सभी संगठनों को आवश्यकता से अधिक संवैधानिक अधिकार मिल गए, इसके कारण नाज़ी राष्ट्र को सबसे भयंकर अपराधिक राज्य का सम्मान मिला। लोगों को अब गेसटापो के शोषण चेम्बरों में बंदी बनाकर रखा जाता था, उन्हें बंदी शिविरों में उनकी मर्जी से या बंदी बनाकर बिना किसी न्यायिक कारवाई के भेज दिया जाता था। पोलीस को पूरी स्वतंत्रता से अधिकार प्राप्त थे।

इन अधिकारों का उपयोग लाखों राजनैतिक कार्यकर्ताओं को, व्यापारी संगठनों के सदस्यों को और अल्पसंख्यक मुख्य रूप से यहूदियों को बंदी बनाकर उन पर अत्याचार करने के लिए किया जाता था। ताकि एक ऐसे राज्य का निर्माण हो जहाँ हमेशा डर और खौफ का माहौल बना रहे।

हिटलर ने राज्य की आर्थिक वसूली का भार एक अर्थशास्त्रज्ञ जालमर चट्ट (Hjalmar Schacht) के हाथों सौंपा जिसका ध्येय था राज्य द्वारा नियोजित कार्यक्रम द्वारा संपूर्ण


संघर्ष (Resistance)

पास्टर नई मोयलर (Pastor Niemöller) जो एक संघर्षकर्ता थे, ने देखा कि जर्मनी के आम नागरिकों में विरोध का अभाव था, एक सहमी हुई खामोशी थी जबकि नाज़ि साम्राज्य में उनपर घोर अत्याचार हो रहे थे। उन्होंने इस खामोशी का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया:

पहले वे साम्यवादियों के लिए आए
पर, मैं एक साम्यवादी न था
इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा।
फिर वे सामाजिक प्रजातांत्रिकों के लिए आए
पर, मैं एक सामाजिक प्रजातांत्रिक भी नहीं था
इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया
फिर वे व्यापारी संगठनों के लिए आए
किन्तु मैं एक व्यापारी संगठन का सदस्य नहीं था।
और फिर वे यहूदियों के लिए आए,
पर मैं यहूदी नहीं था-
इसीलिए मैंने कुछ न किया
और जब वे मेरे लिए आए
तब वहाँ मेरी सहायता के लिए कोई नहीं बचा था।

- नाज़ि विचार धारा बहुमत के सिद्धान्त पर टिकी हुई थी। यहूदी केवल 0.75% थे। यहूदियों के अलावा दूसरे भी अगर नाज़ियों का विरोध करते तो उन्हें बन्दी बना लिया जाता था। पास्चर ने इसे कैसे कैद किया?

मान चित्र : 1 द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी



- जर्मन साम्राज्य में मिलाये गये आक्रामित प्रांत
- हंगरी (नवंबर 1940 में मिलाया गया), रोमानिया (नवंबर 1940 में मिलाया गया) बल्गेरिया (मार्च 1941 में मिलाया गया)
- युगोस्लाविया (अप्रैल 1941 में जर्मनी) ग्रीस (अप्रैल 1941 में इटली) क्रीट (मई 1941) में जर्मनी में मिलाया गया
- फीनलैंड (जून 1941 में मिलाया गया)
- सोवियत संघ
- गठबंधन



चित्र 12.8 : हिटलर को युद्ध और शांति, दोनों के वेश में दर्शाता कार्टून

उत्पादन एवं संपूर्ण रोजगार। आप ऊपर दिए गए केन्स (Kenes) के दृष्टिकोण को याद कीजिए। इस परियोजना द्वारा जर्मन सुपरहाईवे और लोगों की मोटर कार वोल्क्सवागेन (Volks wagen) का उत्पादन हुआ।

इस दौर में जहाँ जर्मनी के एक वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया वहीं समाज के और लोग मानवीय स्तर से कम की परिस्थिति में नस्लवादी शासन में जी रहे थे। इसके साथ-साथ युद्ध सामग्री निर्माण के औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक व्यय किया जाने लगा ताकि रोजगार के अवसर प्रदान हो। लेकिन यह तभी हो सकता था जब वे पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करें। हिटलर ने प्रथम युद्ध के बाद अपने खोए हुए राज्यों को वापस हासिल करने

के लिए एक आक्रमक विदेश नीति अपनाई। सन् 1939 में उसने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया।

जैसे - जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया नाजी शासन व्यवस्था ने अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतारते हुए जर्मनी जाति की श्रेष्ठता के निर्माण का भयंकर कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध की छाया के नीचे जर्मनी ने एक जाति संहार युद्ध किया। जिसका परिणाम था यूरोप के चुने हुए दलों के भोले-भाले नागरिक की भारी मात्रा में हत्याएँ। लगभग 60,000,000 यहूदी लोग मारे गए, 2,000,000 जिप्सी, 10,000,000 पोलैण्ड नागरिक, 70,000 जर्मन जिन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किया गया 10,000 समलैंगिक और इनसे हटकर अनगिनत राजनैतिक विरोधी और दूसरे धर्मों के अनुयायी भी मारे गए। नाजियों ने लोगों को मारने के नए-और अनोखे उपाए खोज निकाले जैसे कि उन्हें गैस केन्द्रों में मारना। उदाहरण के लिए औषिट्ज (Auschwitz)।

- द्वितीय विश्व युद्ध किस प्रकार हिटलर की विचार धारा एवं आर्थिक नीतियों का तार्किक परिणाम था?

- होलोकास्ट (Holocaust) शिविर एवं औषिट्ज (Auschwitz) शिविर के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें और उस पर एक परियोजना रिपोर्ट बनाइए।

दूसरा विश्व युद्ध - 1939-1945

आक्रमक राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद, गुप्त मैत्रिणों भी द्वितीय महा युद्ध के कुछ कारण थे। इनके साथ-साथ द्वितीय युद्ध के विशेष संदर्भ इस प्रकार हैं -

वार्सा की संधि : (The Treaty of Versailles)

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1919 में एक शांति सम्मेलन हुआ। यह उस समय का सबसे बड़ा सम्मेलन था क्योंकि इसमें 32 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जो कि विश्व की जनसंख्या का तीन-चौथाई हिस्सा थे। USA, UK, फ्रांस, इटली और जापान जैसे पाँच शक्तिशाली विजेता देशों ने इसमें भाग लिया।

किंतु समाजवादी रूस और अन्य पराजित शक्तियाँ जैसे : जर्मनी, आस्ट्रिया और तुर्की को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। इसीलिए इन देशों ने सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों का साथ नहीं दिया। जर्मनी को कमजोर करने की लिए वार्सा की संधि ने इस पर क्षेत्रीय हर्जाने थोपे और उसके सैन्य खर्चों में कटौती की। सबसे पहले जर्मनी को 1880 उसके द्वारा कब्जा किये गये आफ्रिकी उपनिवेशों तथा अलास्का और लाटेन जैसी यूरोपीय भूमि, जिसे उसने फ्रांस से हासिल किया था, को लौटाने के लिए कहा गया। दूसरा, जर्मनी को उसकी सैन्य क्षमता को 100,000 करने के लिए कहा गया जो प्रथम विश्व युद्ध-I के दौरान 900,000 थी। जर्मनी

को पनडुब्बियाँ रखने के लिए मना कर दिया गया। इसकी नौसेना की शक्ति को घटाने के लिए इसमें 10,000 टन से कम के छह लड़ाकू जहाज, एक दर्जन तोरपेड़ो (torpedo) जहाज और विध्वंसक तक ही सीमित कर दिया गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जर्मनी के लोगों ने समझा कि वार्सा की संधि उनपर बलपूर्वक थोपी जा रही है, इसीलिए उन्हें न तो इसके प्रति आदर था और न ही उन्होंने इसका उत्तरदायित्व लिया।

राष्ट्र संघ की विफलता (Failure of The League of Nations)

वार्सा की संधि ने भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की भी स्थापना की। जर्मनी और रूस को संघ की सदस्यता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसका सदस्य नहीं बन सका। इसके राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन संघ के सक्रिय सदस्य थे किंतु फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसी कारण जब यह बहुत ऊंचाई तक पहुँच चुका था तब तक भी इसके केवल 58 सदस्य थे। इन देशों को आशा था कि संघ 'सामूहिक सुरक्षा' द्वारा युद्धों को समाप्त करेगा और बातचीत या वार्ताओं द्वारा विवादों और समस्याओं को हल करेगा। कल्याणकारी कार्यों के लिए संघ ने स्वास्थ्य, श्रम कल्याण जैसी अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की।

इसने अनेक वादे किये थे और इससे बहुत आशाएँ थीं फिर भी यह जर्मनी और इटली को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को तोड़कर दूसरे देशों पर आक्रमण करने से रोकने में असफल रहा।

प्रतिशोधी आधिपत्य को जर्मनी की चुनौती (German challenge to vengeful domination)

1919 में प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी की पराजय के बाद, विजयी गुट जर्मनी को दंड देना और निर्बल बनाना चाहते थे ताकि वह फिर न उठ सके। वार्सा की संधि द्वारा जर्मनी पर जो शर्तें थोपी गयी थी उससे वे अपने आपको गुलाम समझने लगे थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जर्मनी में हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी का उदय हुआ। वार्सा की संधि द्वारा उन्होंने जो क्षेत्र खो दिया था, उसे वे वापस लेना चाहते थे। वे फिर से मध्य यूरोप पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा जर्मन शस्त्रों पर लगे प्रतिबिंब को हटाना चाहते थे। नाज़ियों के नेतृत्व में जर्मनियों ने अपने उद्योगों का पुनर्निर्माण किया। एक विशाल सेना तथा शस्त्र उद्योग का विकास किया जो केवल युद्ध में सेवा प्रदान कर सकता था।

समाजवाद का भय और रूस

प्रथम विश्व युद्ध के विध्वंसक परिणामों ने पूरे यूरोप में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न किया। सारे श्रमिक समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा की ओर झुकने लगा। पूरे यूरोप में शांति आंदोलनों ने जोर पकड़ा। रूस में 1917 में एक क्रांति हुई जिसके कारण

साम्यवादी राज्य बन गया। नयी सरकार का सबसे पहला काम था। रूस को युद्ध में भाग लेने से रोकने और शांति वार्ताओं की शुरुआत करना। (1924 में रूस सोवियत समाजवादी राज्यों का संघ बना USSR।) पश्चिमी पूँजीवादी देशों को भय था कि ऐसी ही क्रांतियाँ यूरोप के अन्य देशों में भी हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने हिटलर और नाजीयों को मिलकर USSR का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह हिटलर की अपीजमेंट (Appeasement) की नीति कहलाई। USSR के विरुद्ध हिटलर का समर्थन प्राप्त करने के लिए वे उसे खुश करना चाहते थे।

1939 ई. में जर्मनी ने USSR के साथ एक अनाक्रमक (Non Aggression pact) समझौता किया और हिटलर ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध हो गया। इस स्थिति ने विश्व युद्ध-II को जन्म दिया। अब अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीप पर हिटलर का नियंत्रण स्थापित हो गया।

1942 ई. में इसने यू.एस.एस.आर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। ठीक उसी वर्ष जर्मनी के मित्र राष्ट्र जापान ने USA पर आक्रमण किया। फलस्वरूप USA और USSR जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गये।


तात्कालिक कारण

1 सितंबर 1939 को जर्मन टैंकों का पोलैण्ड में प्रवेश द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। पोलैण्ड ने डेजिंग का बंदरगाह जर्मनी को सौंपने से इंकार कर दिया। इसीलिए पोलैण्ड को दंड देने के लिए जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। पोलिश का क्षेत्र जर्मनी के दो भागों के बीच स्थित है। हिटलर ने सोचा था कि पोलैण्ड पर कब्जा एक छोटी सैन्य कार्यवाही होगी पर पोलैण्ड ने ब्रिटेन के साथ एक सुरक्षा समझौता किया था। इसीलिए ब्रिटेन ने पोलैण्ड का साथ दिया और एक दिन बाद फ्रांस भी आकर मिल गया। यह विश्व युद्ध -II की शुरुआत को इंगित करता है।

अधिकांश फ्रासीवादी देशों ने एक दूसरे का समर्थन किया और पड़ोसी देशों पर सैन्य अभियान आरंभ कर दिया। इससे एक ओर जर्मनी इटली और जापान के नेतृत्व वाली ध्रुवीय शक्तियों (Axis powers) और दूसरी ओर इंग्लैण्ड, यू.एस, फ्रांस और यू.एस.एस.आर के नेतृत्व वाली मित्र शक्तियों (Allied powers) के बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1941 में जापान जो जर्मनी का मित्र देश था वह यू.एस.ए. के पेरल हार्बर पर आक्रमण किया। हिटलर ने 1942 में यू.एस.एस.आर पर आक्रमण किया। इससे यू.एस.और यू.एस.एस.आर. ने मिलकर जर्मनी और जापाना के विरुद्ध युद्ध शुरू किया।


पराजय और अंत

युद्ध की आरंभिक अवधि में जर्मनी को अनेक विजयें मिलती गईं किन्तु 1943 प्रसिद्ध स्टालिंगग्रेड (Stalen grad) युद्ध में जर्मनी की हार हो गई। अब U.S.S.R और मित्र



शक्तियों ने जर्मनी को घेर लिया। सम्पूर्ण पूर्वी यूरोपने, जो नाजी शासन से घृणा करने लगा था, सोवियत सेना का स्वागत किया क्योंकि ये घृणात्मक नाजी शासन से मुक्ति पिलाने वाले थे। हिटलर तथा उसके करीबी अनुयायियों ने आत्म हत्या कर ली। ताकि उन्हें कोई बन्दी न बना ले और उन पर कारवाई न हो। आखिरकार जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया। पूर्वी जर्मनी जिसका नाम था, **GDR** याने प्रजातांत्रिक गणतंत्र जर्मनी और पश्चिमी भाग जिसका नाम था, संघात्मक गणतंत्र जर्मनी (**FRG**) **GDR**, रूस के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है और **FRG** अमेरिका के प्रभाव के अंतर्गत आता है।

सुदूर पूर्व में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बमों को बरसाया गया तथा जापान को समर्पण के लिए विवश होना पड़ा। अमेरिकी सेना ने जापान पर कब्जा कर लिया लेकिन जापानी नागरिकों की भावनाओं को देखते हुए जापान के सम्राट को ही राज्य करने दिया। परन्तु उन्होंने वहाँ पर इंग्लैंड की तरह एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर डाली। जापान पर निर्वाचित सरकार को राज्य करने का अधिकार था जो संसद के लिए उत्तरदायी रहेगी (**DIET**)।



चित्र 12.10 : नागासाकी परमाणु बम गिराये जाने के पहले और बाद में

अनेक नाजि जनरल और नेता बंदी बना लिए गए और उन पर नूरेम्बर्ग (Nuremberg) में मुकद्दमे चले। केवल 11 नाजियों को इस नूरेम्बर कचहरी ने मौत की सजा दी। कई और लोगों को आजीवन कारावास का दंड मिला। नाजियों को सज़ा तो मिली पर वो उनकी क्रूरता और अपराधों के आगे कम थी। जैसे कि आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। मित्र देश जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध की तरह अधिक कठोर भी नहीं होना चाहते थे। इसी कारण जर्मनी एवं जापान को आर्थिक संकट स्थिति से मुक्त कराने के लिए अमेरिका ने मार्शल योजना की घोषणा की ताकि उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनका आर्थिक नव-निर्माण कर सकें। इसी प्रकार रूस ने भी पूर्वी यूरोपीय देशों की आर्थिक सहायता के लिए योजनाएँ बनाई।

- आपने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम बरसाने की घटना को सुना होगा। कक्षाकक्ष में इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ बाँटिए और परमाणु युद्ध के आतंक पर चर्चा कीजिए। फासीवादी शत्रु देश के विरुद्ध भी क्या ऐसे हथियारों का प्रयोग होना चाहिए? अपने विचार बताइए।

विश्वयुद्ध के परिणाम

विश्वयुद्धों का विश्व की राजनीति, समाज व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित अंशों के आधार पर हम उन्हें जान सकते हैं।


20 वीं शताब्दी के पहले भाग का अंत हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बमबारी जैसे भयंकर

घटनाओं के साथ हुआ। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से जिसने कुछ उम्मीद जगाई। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने राजतंत्र वादी साम्राज्यों का अंत देखा उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से विश्व में ब्रिटेन, फॉस, जापान, इटली एवं जर्मनी के उपनिवेशी साम्राज्य भी समाप्त हो गये। 1950 तक भारत, चीन, इन्डोनेशिय, वियतनाम, मिश्र (Egypt) नाइजेरिया आदि देश स्वतंत्र हो गए। ब्रिटेन जो युद्ध से पहले सबसे शक्तिशाली देश था अब दूसरे स्थान पर आ गया। विश्व में दो नए देश विश्व नेता बनकर उभरे। वे थे अमेरिका एवं रूस। रूस (USSR) जिसने हिटलर के युद्ध से अधिकतम हानियाँ उठाई थी दुबारा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में सफल हुआ। उसकी विजय ने विश्व में उसकी प्रतिष्ठा बड़ा दी। और अब उसके साथ एक विशाल “समाजवादी शिविर” के निर्माण में। सम्पूर्ण पूर्वी यूरोप और चीन भी इसमें मिल गये।

अत्यधिक मानव क्षति

दोनों विश्वयुद्धों का पहला परिणाम यह था कि - असंख्य लोग मरे और अनेक घायल हुए। जैसे की पहले ही बताया जा चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध में 10 मिलियन लोग और द्वितीय विश्व युद्ध में 20-25 मिलियन लोग मारे गये। मरने वालों में अधिक पुरुष थे जिनकी आयु 40

आरेख 1 : युद्ध से संबंधित मृत्यु (1500 - 1999 CE)



स्रोत: लेस्सर आर.बी. अट अल स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड 1999 - चिरस्थायी समाज की ओर प्रगति पर वर्ल्ड वॉच रिपोर्ट (लंदन अर्थस्केन प्रकाशन, 1999)

उपर्युक्त आरेख से हमें युद्ध में मृत्यु के अनुपात का पता चलता है। उन सदियों में जीवित प्रति हजार व्यक्तियों पर युद्ध मृतकों की संख्या/16 वीं सदी में हजार में चार से कम व्यक्तियों की मृत्यु होती थी जबकि 20 वीं सदी तक यह संख्या 44 लोगों से अधिक हो गयी - लगभग 4.5% लोग।

से भी कम थी। दोनों विश्वयुद्धों से शस्त्रों की होड़, विशेषकर नाभिकिय और रासायनिक शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। ऐसे हथियारों के आकस्मिक प्रयोग पर भी विश्व में जीवन के कुल नाश का भय छाया हुआ था।

अत्यधिक मानव क्षति

अत्यधिक मानव क्षति भारतियों से परामर्श के बिना ही ब्रिटिश वाइसराय ने भारत को दो विश्व युद्धों में संलग्न किया। भारतीय सेनाओं को ब्रिटिश की ओर से युद्ध के लिए उत्तरी आफ्रिका, यूरोप व दक्षिण पूर्वी एशिया भेजा। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 75,000 भारतीय व द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 87,000 भारतीयों की मृत्यु हुई। युद्धों के कारण आर्थिक अव्यवस्था भी हुई क्योंकि फंड व खादय आपूर्ति सेनाओं के लिए भती जाती थी। यह 1943 के बंगाल के महान अकाल का मुख्य कारण था, जिस में कई मिलियन लोग मारे गये।

प्रजातंत्रीय सिद्धांतों का महत्व बढ़ाना

दोनों युद्धों के बाद विश्व को अप्रजातांत्रिक सरकार से होने वाले खतरों का पता चला। इससे प्रजातंत्र की माँग में वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध से कई साम्राज्य (आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य और जर्मन साम्राज्य आदि) समाप्त हो गये। रूस जैसे देशों में समाजवादी क्रांतियाँ हुईं। जर्मनी जैसे देशों ने तानाशाही को निकाल फेंका और वीमर गणराज्य (Weimer Republic) बन गये। तुर्की में ओटोमन साम्राज्य का स्थान प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य ने ले लिया। इसी प्रकार, प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उपनिवेश स्वशासित बन गये। विश्वयुद्ध-II के बाद उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली जिसके कारण एशिया और आफ्रिका में नये देशों का जन्म हुआ।

शक्तियों के संतुलन में परिवर्तन

विश्वयुद्ध-I से जर्मनी, आस्ट्रो, हंगेरियन, रूस और तुर्की साम्राज्यों की समाप्ति हो गयी। राष्ट्रीयता, आर्थिक क्षमता और सैन्य सुरक्षा के आधार पर पूर्वी और मध्य यूरोप के मानचित्र को फिर से बनाया गया। जब विश्व युद्ध-II समाप्त हुआ तब विश्व का मानचित्र फिर से बदल गया क्योंकि पूर्व के उपनिवेश देश स्वतंत्र देश बन गये थे।

महिलाओं को मतदान का अधिकार (Enfranchisement of women)

बहुत लंबे आंदोलन और संघर्ष के बाद इंग्लैंड की महिलाओं को 1918 में मतदान का राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुआ। विश्वयुद्ध बहुत लंबे समय तक चले थे किंतु औद्योगिक उत्पादन और अन्य सेवाएँ भी अनिवार्य थीं। अधिकांश पुरुषों के युद्ध में व्यस्त होने के कारण, महिलाओं को कारखानों, दुकानों, कार्यालयों, स्वयंसेवी सेवाओं, अस्पतालों व पाठशालाओं में काम करना पड़ा। इस प्रकार रोज़ी-रोटी कमाने के आत्मविश्वास के साथ ही महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान समानता के लिए अपनी आवाज़ उठायी। मतदान का अधिकार इस दिशा में बहुत बड़ा कदम था।

नवीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन :

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व सरकार थी जिसके चार सिद्धांत यह थे - शांति बनाये रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का आदर करना और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करना आदि। यूनिसेफ (UNICEF), यूनेस्को (UNESCO), डब्ल्यू.एच.ओ. (WHO), आई.एल.ओ (ILO) आदि अंगों की सहायता से यह कार्य करता है। इनके बारे में आप सुन चुके होंगे और उनके कार्यों को देख भी चुके होंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ को USA और USSR जैसी महान् शक्तियों की कठपुतली माना जाता है फिर भी वह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद युद्धों को रोकने में सफल रहा है। हम 19 वें अध्याय में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।

मुख्य शब्द

औद्योगिक पूँजीवाद	गठबंधन	समाजवाद	नाजीवाद
सत्ता का केंद्रीकरण	आक्रमक राष्ट्रवाद	सैन्यवाद	फासीवाद
साम्राज्यवाद	आंदोलन	बोल्शेविक	

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

- 1) तालिका बना कर दर्शाइए- मित्रशक्तियाँ, ध्रुवीय एवं केंद्रीय शक्तियाँ, विश्व युद्ध में विभिन्न पक्षों में कैसे भाग लिये - आस्ट्रिया, USSR (रूस), जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, फ्रान्स, इटली, USA
- 2) किसी प्रकार विश्व युद्ध राष्ट्रीय राज्य एवं राष्ट्रवाद की इच्छा को उत्पन्न करता है?
- 3) दोनों विश्व युद्धों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या आप सोचते हैं कि आज भी विश्व में अनेक देशों में ये विशेषताएँ प्रचलित हैं। कैसे?
- 4) रूसी क्रांति ने उनके समाज में कई परिवर्तन लाए। वे क्या थे? और उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया?
- 5) आर्थिक मंदी के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालिए, इनमें से आप किसे समर्थन देगे और क्यों?
- 6) जर्मनी नाजीवाद के काल में यहूदियों को कैसे प्रताड़ित किया गया? क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक देश में कुछ व्यक्ति अपनी अलग पहचान बनाते हैं?
- 7) आर्थिक मंदी के काल में कल्याणकारी उपायों की सूची बनाइए।
- 8) आर्थिक मंदी के काल में जर्मनी ने किन चुनौतियों का सामना किया और किस प्रकार नाजी शासकों एवं हिटलर ने इसका इस्तेमाल किया?
- 9) पृष्ठ 170 का पहला अनुच्छेद पढ़िए “इसी के साथ बहिष्कार न हो” इस पर अपने विचार लिखिए।
- 10) पृष्ठ 182 के मानचित्र 2 को देखिए और उत्तर दीजिए।
 - 1) किन्हीं दो देशों को बताइए जो जापान के अधीन नहीं थे?
 - 2) किन्हीं दो देशों को बताइए जो जापान के अधीन थे और पश्चिमी दिशा में हो।
- 11) विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए।
 - 1) जर्मनी, 2) इटली, 3) आस्ट्रिया, 4) USA 5) चीन, 6) रूस, 7) ब्रिटेन
- 12) युद्ध की रोकथाम एवं शांति को बढ़ावा देने के लिए कुछ नारे तैयार कीजिए।

चर्चा :

कक्षा-कक्ष में युद्ध के पीड़ितों के परिवार की स्थिति और उनके कष्टों पर चर्चा कीजिए।


अध्याय 13

उपनिवेशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन

(National Liberation Movements in the Colonies)

नीचे दिये गये उपनिवेशों के मानचित्र को देखिए। आठवीं कक्षा में आपने पढ़ा है कि 19वीं सदी तक किस प्रकार यूरोपीय देशों ने लैटिन अमेरिका, आफ्रिका और एशियाई देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। इस अध्याय में हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार इन देशों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। आप ब्रिटेन के उपनिवेशों को गुलाबी रंग, फ्रांस के उपनिवेशों को नीले रंग और हालैंड के उपनिवेशों को हल्के भूरे रंग में देख सकते हैं। एशिया और आफ्रिका के कुछ देश जो निरंतर स्वतंत्र थे, उन्हें स्लेटी (Grey) रंग में दर्शाया गया है। विश्व के आधुनिक मानचित्र की सहायता से इन सभी देशों को पहचानिए।

- ब्रिटेन के एक एशियाई और एक आफ्रिकी उपनिवेश को पहचानिए।
- हालैंड के एक एशियाई और एक आफ्रिकी उपनिवेश को पहचानिए।
- फ्रांस के एक एशियाई और एक आफ्रिकी उपनिवेश को पहचानिए।
- ऐसे दो एशियाई और एक आफ्रिकी देश की पहचान कीजिए जो किसी भी शक्ति के उपनिवेश नहीं बने थे?
- आस्ट्रेलिया किसका उपनिवेश था?



मानचित्र 1 : 1914 में उपनिवेश

चीन जैसा स्वतंत्र देश भी वास्तव में असंख्य उपनिवेशी शक्तियों के नियंत्रण में था। उसकी स्वतंत्रता केवल नाम मात्र के लिए थी। इस अध्याय में हम उपनिवेशों की दुर्दशा (Plight) और यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशी प्रभुत्व के विरुद्ध उनके द्वारा किये जाने वाले संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इन देशों में अधिकतर

- राष्ट्रीयतावाद की विचारधारा का गठन किसने किया और इसका उद्गम कैसे हुआ? यह जानने के लिए नवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक का पुनःस्मरण कीजिए।
- यदि इन देशों के पारंपरिक शासक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे तो किस प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था उत्पन्न होती थी?
- उपनिवेशों में किस सामाजिक वर्ग ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की? उनके लिए समानता और प्रजातंत्र के आदर्श क्यों महत्वपूर्ण थे?

विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले, विभिन्न धर्मों का अनुकरण करने वाले, भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग रहते थे, तथा वे स्वयं को एक देश का नहीं मानते थे। लगभग इन सभी देशों के पारंपरिक शासक राजा या सम्राट थे जिन्होंने कभी भी प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति नहीं जताई थी। जैसे ही नये आंदोलनों ने आकार लेना आरंभ किया, वैसे ही ये लोग भी यूरोप में प्रचलित नये विचारों जैसे राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और यहाँ तक कि समाजवाद से प्रोत्साहित हुए। हम इन देशों में से कुछ के अनुभवों के बारे में पढ़ेंगे और इन उपनिवेशों के लाखों लोगों के जीवन में हुए परिवर्तनों की तुलना अपने देश से करेंगे।

चीन: दो विभिन्न चरण (China; two different phases)

20 वीं शताब्दी के आरंभ में चीन पर मंचू राजवंश के शासकों का शासन था जो पश्चिमी उपनिवेशी शक्तियों के सामने चीन की सुरक्षा करने में शक्तिहीन बन गये थे। इन शक्तियों ने चीन के विभिन्न भागों में ये शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गयीं। इन शक्तियों ने वहाँ के शासकों पर अल्प आयात कर, चीनी कानूनों से प्रतिरक्षा और सशस्त्र बलों के प्रबंध जैसे आर्थिक और राजनैतिक छूट देने की जबरदस्ती की। साधारण जनता और प्रशासक दोनों ही राज्य के इन मामलों से अप्रसन्न थे। प्रशासकों द्वारा सुधार के अनेक प्रयास किये गये और लोगों ने पश्चिमी शक्तियों के आधिकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

गणतंत्र की स्थापना (Establishing the Republic)

मंचू साम्राज्य का तख्त पलट गया और 1911 ई. में सून यात-सेन (1866-1925) के अधीन गणतंत्र की स्थापना हुई। सून यात-सेन आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। इनका संबंध एक निर्धन परिवार से था। इनका अध्ययन मिशनरी विद्यालयों में हुआ था, जहाँ इनका परिचय प्रजातंत्र और ईसाई धर्म से करवाया गया। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था पर वे चीन के भाग्य को लेकर बहुत चिंतित थे। इन्होंने चीन की समस्याओं का अध्ययन किया और उनके संबंधित क्रियात्मक कार्यक्रमों को बनाया। इनके कार्यक्रम को 'तीन सिद्धांत' (सन मीन चूई) की संज्ञा दी गयी। वह कार्यक्रम "राष्ट्रीयतावाद" से संबंधित था। जिसका तात्पर्य था-विदेशी साम्राज्यवादियों के साथ-साथ विदेशी राजवंशों के पैसे खर्च करने वाले मंचू राजवंश की समाप्ति, "प्रजातंत्र" और प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना और उद्योगों पर नियंत्रण करके, भूमिहीन किसानों में भूमि के वितरण के लिए भू-सुधार करके "समाजवाद" की स्थापना करना। गणतंत्र की घोषणा और मंचू राजवंश के तख्त पलटने के बाद सून यात सेन के नेतृत्व वाली गणतंत्रात्मक सरकार स्वयं को संगठित रख नहीं पायी। देश पर प्रांतीय सैन्य शक्तियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इन्हें 'युद्ध स्वामी' (War Lords) कहा जाता था।

सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियाँ निरंतर अस्थिर होती गयी। 4मई 1919 में वार्साय शांति सम्मेलन के निर्णयों के विरोध में बीजिंग में एक क्रांतिकारी प्रदर्शन हुआ। ब्रिटेन के नेतृत्व में विजयी दल का हिस्सा होने पर भी चीन को जापान द्वारा अधिकृत अपने क्षेत्र हासिल नहीं हो सके। यह विरोध आंदोलन में बदल गया जिसे 4 मई का आंदोलन (May fourth Movement) कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान, प्रजातंत्र और राष्ट्रीयतावाद के द्वारा प्राचीन परंपराओं पर आक्रमण करने और चीन को बचाने के लिए एक पूर्ण पीढ़ी के लोग आगे आये। क्रांतिकारी चाहते थे कि विदेशी चीन छोड़ दे क्योंकि देश के संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो गया था। वे चीनी समाज से गरीबी और असमानता को भी दूर करना चाहते थे। उन्होंने साधारण भाषा और लिपि का प्रयोग, पैरों को बाँधने की प्रथा का उन्मूलन (यह एक प्रकार की क्रूर प्रथा थी जिसमें स्त्रियों को पूर्ण विकसित पैर रखने की स्वीकृति नहीं थी) स्त्रियों की अप्रधानता की समाप्ति जैसे सुधारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने विवाह में समानता और गरीबी को दूर करने के लिए आर्थिक सुधारों की माँग की।



चित्र 13.1 : 'चार मई के आंदोलन' में विरोध करते छात्र

गणतंत्रात्मक क्रांति के पश्चात् देश ने उपद्रवों के काल में प्रवेश किया। गियोमिनडांग (नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसे कियोमिन-टांग के एम टी भी कहा जाता है) और चीनी साम्यवादी दल का उदय, देश की एकता के निर्माण और उसे स्थिर बनाने के लिए दो प्रधान शक्तियों के रूप में हुआ। गियोमिनडांग ने सन-येत-सेन के विचारों पर आधारित राजनीतिक दार्शनिकता का अनुकरण किया। उन्होंने कपड़ा, भोजन, आवास और परिवहन जैसी 'चार महान आवश्यकताओं' की पहचान की। सून की मृत्यु के पश्चात् चियांग कईशेक का (1887-1975) उदय गियोमिनडांग के नेता के रूप में हुआ। इसने 'युद्ध स्वामियों', अधिक ब्याज खाने वाले क्षेत्रीय नेताओं और साम्यवादियों को हटाने के लिए एक सैन्य प्रचार आरंभ किया। युद्ध स्वामी ऐसे क्षेत्रीय नेता थे जिन्होंने सत्ता पर बलपूर्वक नियंत्रण कर लिया था। यह देश का सैन्यीकरण करना चाहता था। जनता से इसने कहा था कि आदर और प्रवृत्तियों के एकीकृत व्यवहार का विकास करें।

- चीनी युवा पुरानी पारंपरिक प्रथाओं और विदेशी शक्तियों के विरुद्ध लड़ना क्यों चाहते थे? अपने विचार बताइए।
- क्या भारत में भी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई?



चित्र 13.2 : उत्तर काल का पोस्टर जिसपर लिखा था- 'प्राचीन विश्व का नाश करो और नये विश्व का निर्माण करो।'

गियोमीनडंग का सामाजिक आधार शहरी क्षेत्रों में था। औद्योगिक वृद्धि बहुत धीमी और सीमित थी। शंघाई जैसा शहर बाद में आधुनिक वृद्धि का केन्द्र बन गया था। 1919 तक इसे 5,00,000 की संख्या वाले औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ये शहर बाद में आधुनिक वृद्धि का केन्द्र बन गये। इनमें से जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में बहुत कम प्रतिशत लोगों को नौकरी दी गयी। इनमें से अधिकतर 'तुच्छ और विनम्र' (कर्जीयाओ शिमिन) व्यापारी और दुकानदार थे। शहरी श्रमिकों में विशेषकर महिलाओं को बहुत कम वेतन दिया जाता था। अब इन लोगों ने स्वयं को व्यापारी संघों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया। काम के घंटे ज्यादा थे और कार्य की स्थिति बहुत खराब थी। जैसे ही स्वतंत्रता के विचारों की प्रसिद्धि हुई, वैसे ही महिलाओं के अधिकारों, समानता के आधार पर परिवार निर्माण के तरीकों तथा प्रेम प्रसंगों पर चर्चा जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाने लगा। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों (पैकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 ई. में हुई) के विस्तार ने सामाजिक और संस्कृतिक परिवर्तनों में मदद की। नची विचार धाराओं की ओर बढ़ते आकर्षण को प्रतिबिंबित करने के लिए पत्रकारिता का विकास हुआ।

चियांग रूढ़िवादी था और उसने स्त्रियों को 'पवित्रता, आकृति, भाषण और कार्य' जैसे चार सद्गुणों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी दृष्टि में स्त्रियों की भूमिका घरेलू कार्यों तक ही सीमित थी। हेमलाइन (स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली फ्रॉक जैसी पोशाक) की लंबाई भी निर्धारित की गयी। कारखानों के मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उसने व्यापार संघ आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। गियोमीनडंग ने देश में एकता स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु उसके संकुचित सामाजिक आधार और सीमित राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। पूँजी पर नियंत्रण और भूमि का

- इस काल के दौरान किन-किन प्रमुख राजनैतिक दलों का उद्गम हुआ।
- इस प्रकार के लामबंदियों के सदस्य कौन थे?
- उनके द्वारा सोचे गये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का स्वभाव क्या था?

समानिकरण सूनयातसेन के कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य था, किंतु कृषक वर्ग और बढ़ती असमानताओं पार्टी द्वारा नजर अंदाज किये जाने के कारण इसके पूरा नहीं किया जा सका। जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय उनके ऊपर सैन्य आदेशों को अधिक थोपा गया।

चीन में साम्यवादी दल का उदय (The Rise of the Communist Party of China)

1937 ई. में जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया, तो गियोमिनडंग ने कदम पीछे हटा लिया। लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने चीन को कमजोर कर दिया था। 1945 से 1949 के बीच मूल्यों में प्रतिमाह 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे साधारण लोगों का जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया। ग्रामीण चीन में दो समस्याएँ उत्पन्न हुई- एक पारिस्थितिक (Ecological) जिसमें मिट्टी का अपरदन, वनों का अपक्षय और बाढ़ शामिल थे। दूसरी - सामाजिक और आर्थिक समस्या-जिसका उदय अत्याचारी भू-कालिक प्रणाली, उधारी, प्राचीन प्राद्योगिकी और संचार साधनों की अल्पता के कारण हुआ।

रूस की क्रांति के तुरंत बाद 1921 ई. में चीन में साम्यवादी दल (CCP) की स्थापना हुई। रूस की सफलता ने समूचे विश्व पर शक्तिशाली प्रभाव डाला। लेनिन जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कमीन्टर्न की स्थापना का बीड़ा उठाया, ताकि अत्याचारों की समाप्ति के लिए एक विश्व सरकार की स्थापना हो सके। कमीन्टर्न (Comintern) और सोवियत संघ दोनों ने ही विश्व में साम्यवादी दल का समर्थन किया था। वे पारंपरिक मार्क्सवाद के अवबोध से प्रेरित थे और उसका मानना था कि यह क्रांति शहरों में श्रमिक वर्ग द्वारा ही चलायी जा सकती है।

माओ ज़ेडांग(1893-1976) एकप्रमुख साम्यवादी नेता थे। इन्होंने किसानों की दशा को अपने क्रांतिकारी कार्यक्रमों का प्रमुख आधार बनाकर अलग तरीके से काम करना शुरू किया। ज़मींदारी के उन्मूलन के लिए संघर्ष करने के लिए इसने चीनी किसानों को संगठित किया और किसानों की एक सेना तैयार की। लाखों भूमिहीन किसान साम्यवादी दल द्वारा चलाये जाने वाले संघर्ष में शामिल हो गये। इसकी सफलता ने साम्यवादी दल को शक्तिशाली राजनैतिक बल बना दिया जिसके कारण अंत में गियोमिनडांग पर विजय हासिल की गयी।



चित्र 13.3 : 1944 में येनान में माओ जनता को संबोधित करते हुए

माओ ज़ेडांग की उदारता जियंक्सी (Jiangxi) में पर्वतों से पता चलती है जहाँ उन्होंने गियोमिनडांग से हमलों से बचने के लिए 1928 से 1934 के बीच का समय बिताया था। एक शक्तिशाली किसान परिषद् (soviet) का गठन हुआ। यह परिषद् जमींदारों की ज़मीनों के जब्तीकरण (Confiscation) और उनके पुनःवितरण के द्वारा एकीकृत होकर बनी थी। माओ ने, अन्य नेताओं से अलग एक स्वतंत्र सरकार और सेना के गठन पर बल दिया। इसने महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और ग्रामीण महिला संगठनों के उत्थान का समर्थन किया। आयोजित विवाहों पर रोक लगाने, विवाह समझौतों के क्रय और विक्रय पर रोक, तथा तलाक की प्रक्रिया को आसान करने के लिए, उसने नये विवाह-संबंधी कानून बनाये।

गियोमिनडांग की नाकाबंदी के कारण साम्यवादी सोवियत दल को अपने लिए अन्य आधार तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसके फलस्वरूप उन्हें (1934-35) के बीच शांक्जी(Shonxi) तक 6,000 मील की दुर्गम, कठिन और लंबी यात्रा करनी पड़ी। येनान (Yanan) में इन लोगों ने अपना नया पड़ाव डाला। यहाँ युद्धस्वामित्व को समाप्त करने, भू-सुधारों को चलाने और विदेशी साम्राज्यवाद से संघर्ष करने के लिए एक नये कार्यक्रम का विकास किया। भू-सुधारों और राष्ट्रीयकरण के दो एजेंडी के कारण वे शक्तिशाली सामाजिक आधार को प्राप्त करने में सफल हुए।

1937 और 1945 के बीच जापान ने चीन पर आक्रमण किया और उसके बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। उन्होंने चीन पर एक क्रूर उपनिवेशी सैनिकशासक को लादने का प्रयास किया। इसका चीनी समाज और अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। जापानी अधिकार के विरोध में गियोमिनडांग और चीन के साम्यवादी दल ने मिलकर संघर्ष किया। अगस्त 1945 में US के सामने जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात् गियोमिनडांग और चीनी साम्यवादी दल दोनों ने चीन पर नियंत्रण करने के लिए लड़ने का प्रयास किया। अंत में चीन साम्यवादी दल को चीन की मुख्य भूमि पर अपना शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। गियोमिनडांग को ताइवान द्वीप में बलपूर्वक अपनी सरकार बनानी पड़ी।

नये प्रजातंत्र की स्थापना: 1949-1954 (Establishing the new democracy : 1949-1954)

चीनी सरकार के जन गणतंत्र की स्थापना 1949 ई. में हुई। यह 'नये प्रजातंत्र' के सिद्धांतों पर आधारित था। ये सिद्धांत साम्राज्यवाद और भू-स्वामित्ववाद का विरोध करने वाले सभी सामाजिक वर्गों के गठबंधनों पर आधारित थे। अर्थव्यवस्था के समस्यात्मक क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गये। एक बार सत्ता में आने पर चीनी साम्यवादी दल ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाये। उन

लोगों ने ज़मींदारों की भूमि को ज़ब्त कर लिया और उसे गरीब किसानों में बाँट दिया। नयी सरकार ने भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और बहुपत्नीवाद के उन्मूलन के लिए अनेक कानून बनाये। इसके द्वारा महिलाओं को नयी भूमिकाएँ निभाने और विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकारों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ।

भू-सुधार (Land Reforms)



चित्र 13.4 : भूमि-दस्तावेजों को जलाते हुए लोग

ग्रामीण परिस्थितियों को समझने और कृषक संगठनों के गठन के शांति प्रयासों के दो वर्षों के पश्चात 1950-51 में भूमि-सुधार उचित रूप से आरंभ किये गये। इसके प्रमुख कदम थे : गाँव के निवासियों के वर्ग की पहचान की गयी। भू-स्वामियों की भूमि और अन्य उत्पादक संपत्तियों का जब्तीकरण और पुनःवितरण किया गया। देश-स्तरीय भू-सुधार समिति द्वारा भेजे गये कार्यकारी दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषकों के संगठनों का निर्माण और उन्हीं में से स्थानीय नेतृत्व को निभाने के लिए कुछ लोगों का चयन करना इस दल के प्रमुख कार्य थे। नये नेतृत्व को, प्रमुख रूप से गरीब तथा मध्य वर्गीय किसानों में से चुना गया। अनेक क्षेत्रों में, अपने कौशलों की श्रेष्ठता के आधार पर, मध्यमवर्गीय किसान आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम हुए। इसके साथ ही, भू-स्वामियों के विरोध में जनसभाओं और मुकद्दमों द्वारा कार्यकारी दलने जन साधारण को जागृत करना आरंभ किया।

इस प्रकार के कार्यों से भू-स्वामियों का जनता में अपमान हुआ और इन मुकद्दमों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण पैमाने पर भू-स्वामियों के वर्ग में से लगभग 10 से 20 लाख व्यक्तियों को फाँसी की सजा दी गयी।

एक आर्थिक सुधार कार्यक्रम के द्वारा भू-सुधारों के अंतर्गत चीन की 43 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि को लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या में पुनःवितरित किया गया। निर्धन किसानों ने पर्याप्त रूप से अपनी खेती बाड़ी में वृद्धि की किंतु अपनी शक्तिशाली आरंभिक स्थिति के कारण वास्तविक रूप में मध्यमवर्गीय किसान अधिक लाभान्वित हुए।

गाँव के निर्धन और मध्यमवर्ग में से एक नये संभ्रांतवर्ग के उदय होने पर पुराने संभ्रांत वर्ग को अपने सभी आर्थिक साधनों और सत्ता का त्याग करना पड़ा। इन निर्धन और मध्यवर्गीय लोगों को राजनैतिक कार्यों में लाने का श्रेय चीनी साम्यवादी दल को जाता है। भू-सुधारों के साथ-साथ साक्षरता और राजनैतिक शिक्षा के प्रचार के लिए प्रौढ़ कृषक विद्यालयों की स्थापना के बहुत अधिक प्रयास किये गये। इसके साथ ही सभी गाँवों में छोटे बच्चों और प्रौढ़ों के लिए प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित किये गये।

- भू-सुधारों कार्यक्रमों ने किसप्रकार चीनी साम्यवादी दल को युद्ध में जीत हासिल करने में सहायता दी?
- चीन से चलाये गये भू-सुधारों की तुलना भारत के भू-सुधारों से कीजिए। उनमें क्या समानताएँ और विषमताएँ थीं?
- क्या आप इस विचार से सहमत हैं, कि देश की स्वतंत्रता और विकास के लिए स्त्री और पुरुषों की समान सहभागिता और उनको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए?

अधिकांश विद्वानों का यह मानना था कि सफलतापूर्वक चलाये गये भू-सुधारों और क्रांति के आरंभिक-वर्षों में प्राप्त शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने चीन के भावी विकास के लिए ठोस आधार तैयार किया। क्रमशः चीनी साम्यवादी दल ने एक दलीय शासन की स्थापना की जिससे सर्वोच्च नेता या 'सभापति' के पास सारी शक्तियाँ होती थीं। सभी विपक्षी गतिविधियों को ठुकरा दिया गया।

नाइजिरिया : उपनिवेशियों के विरुद्ध एकता का निर्माण

(Nigeria: forming unity against the colonisers)

अब हम अफ्रीका में उपनिवेशीकरण और राष्ट्रीयकरण की ओर मुड़ेंगे और पश्चिमी तट पर नाइजिरिया का अध्ययन करेंगे। इस देश को मानचित्र में दर्शाइए। आपने कक्षा VII में उस देश के बारे में क्या पढ़ा है उसका पुनः स्मरण कीजिए।

Map 3 : नाइजिरिया का मान चित्र



ब्रिटिश उपनिवेशवाद और राष्ट्र का निर्माण

संसार के अन्य लोगों की तरह ही राष्ट्र राज्यों का उपाय अफ्रीका के देशों के लिए भी नया था। यह प्रायः जनजाति पहचान है, जो लोगों को करीब लाती है। उपनिवेशवादियों ने कुछ क्षेत्रों को मनमाने ढंग से मिलाकर अपने नियंत्रण में कर लिया। आज हम नाइजिरिया के नाम से जो देश को जानते हैं उसे वास्तव में ब्रिटिशों ने नाइजर नदी के चारों ओर विशिष्ट प्रदेशों में रहने वाले विभिन्न जनजातीय दलों को एक जगह लाकर निर्मित किया था। उत्तरी

नाइजिरिया पर हाँसा-फुलानी लोगों का प्रभाव था, जो विशिष्टतया मुसलमान थे।

नाइजिरिया का दक्षिण पूर्वी भाग इग्बो (जिसका उच्चारण ईबो-ebbo) जनजाति के अधिकार में था जबकि दक्षिण पश्चिमी भाग योरुबा जनजाति के प्रभाव में था। जबकि दक्षिणी क्षेत्र लंबे वर्षों तक मिशनरी क्रियाकलापों के कारण विशिष्टतया ईसाई था, कई लोग अब भी जनजाति धार्मिक विश्वासों को मानते थे। एक आम प्रजातांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के निर्माण के पूर्व, आधुनिक नाइजीरिया ने इन तीनों क्षेत्रों के बीच बहुत सारे संघर्षों का सामना किया। नाइजीरिया के प्राकृतिक संसाधनों विशेषतः पेट्रोलियम पर यूरोपीय नियंत्रण होने के कारण आज भी यहाँ उपनिवेशवाद दृष्टिगोचर होता है।

नाइजर नदी का क्षेत्र अफ्रीकी देशों के अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक था, जो विभिन्न प्रकार के उपनिवेशी शासनों से पीड़ित था। 16 वीं शताब्दी से यह अमेरिका के लिए गुलामों का मुख्य स्रोत था। आंतरिक क्षेत्रों में जनजाति किसानों को पकड़ लिया जाता था और यूरोपीयन गुलामों के व्यापारियों को बेच दिया जाता था। 19 वीं शताब्दी में गुलाम व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही, इस क्षेत्र के कृषि उत्पादों, मुख्य रूप से खजूर का तेल (Palm Oil) और कोका (Cocoa) के व्यापार में नयी रूचि का विकास हुआ। 1861 में ब्रिटिशों ने तटीय प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित कर लिया और पश्चिमी अफ्रीका में लागोस (Lagos) को एक महत्वपूर्ण प्रशासन, व्यापार और शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। लागोस में भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ तथा पान आफ्रिकावाद और नाइजेरियन राष्ट्रवाद का यहाँ उदय हुआ।

19 वीं शताब्दी के अंत में और 20 वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन में प्रजातिवाद का पुनरुत्थान हुआ। शिक्षित अफ्रीकियों को नागरिक सेवाओं से बाहर कर दिया

गया। यहाँ आफ्रिकी उद्यमकर्ताओं के विरुद्ध भी भेदभाव किया जाता था। उसी समय उपनिवेशीय अधिकारी जनजाति मुखिया और संभ्रांत लोगों को बढ़ावा देने और उन्हें अपने लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति देने में लगे हुए थे।

दक्षिण नाइजीरिया में आधुनिक शिक्षा प्रशासनीकिय आधुनिकरण की सुलभता थी। जबकि उत्तर में वह अब भी पूर्व-आधुनिक परंपराएँ थी। इसी कारण क्षेत्रीय विभिन्नताएँ उत्पन्न हुईं और उत्तर एक आधुनिक शिक्षित सामाजिक स्तर के रूप में विकसित नहीं हो सका। 1939 में ब्रिटिशों ने यारूबा (Yoruba) और ईबो (Igbo) क्षेत्रों को भी पश्चिमी और पूर्वी नाइजीरिया में विभाजित कर दिया और तीन मुख्य जनजाति दलों में स्पर्धा और झगड़ों को बढ़ावा दिया ताकि देश में 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपना सके।

इसकी प्रतिक्रिया में पश्चिमी शिक्षित संभ्रातों के एक वर्ग ने सामान्य नाइजीरिया राष्ट्र के उपाय का विकास किया और ब्रिटिश शासन से लड़ाई आरंभ की। हरबर्ट मैकॉले (Herbert Macaulay) ने 1923 में नाइजीरिया राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी (Nigerian National Democratic Party) (NNDP) की नींव रखी। यह प्रथम नाइजीरिया राजनैतिक पार्टी थी। 1923, 1928 और 1933 के चुनावों में NNDP ने सभी सीटें जीतीं। 1930 के समय मैकॉले ने ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार पर उग्रवादी हमलों का भी समर्थन किया। नामदी आजीकीव (Nnamdi Azikiwe) ने 1936 में नाइजीरिया युवा आंदोलन (The Nigerian youth movement) (NYM) की नींव रखी। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज करके सभी नाइजीरियों से अपील की और शीघ्र ही शक्तिशाली राजनैतिक आंदोलन के रूप में बदल गया। 1944 में मैकॉले और NYM नेता अजीकीव, नेशनल काउंसिल ऑफ नाइजीरिया एंड द कैमरून (NCNC) के निर्माण के लिए तैयार हो गये। अजीकीव प्रबल राष्ट्रवादी नेता बन गया, उसने पान-अफ्रीकीवाद और एक पान-नाइजीरी पर आधारित राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन किया।

नाइजीरियन राष्ट्रवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् लोकप्रिय हुआ और शक्ति में उन्नत बना। क्योंकि नाइजीरी अर्थव्यवस्था को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। इस आंदोलन का आधार स्तंभ वे सैनिक और व्यापारी संघ के नेता थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटिशों के लिए युद्ध करते हुए वापस लौट आये थे। 1945 में मौलिक राष्ट्रवादी व्यापारी संघ के लोगों ने राष्ट्रीय सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया।

पान अफ्रीकीवाद

पान अफ्रीकीवाद एक विचार है जो देश या जनजाति के भेदभाव के बिना अफ्रीका के सभी लोगों की एकता को प्रोत्साहित करता है। इस एकता का उपयोग केवल उपनिवेशवाद से लड़ाई के लिए ही नहीं बल्कि, समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय प्रतिष्ठा के आधार पर महाद्वीप पर निवास करने वाली जनजातियों और समुदायों के बीच एकता का निर्माण करना था। इससे संबंधित एक मुख्य व्यक्ति घाना क्वामे न्कूमाह (Ghana Kwame Nkrumah) स्वतंत्रता संग्रामी था।



चित्र 13.5 : नामदी आजीकीव

नाइजिरियन राष्ट्रवादियों के पास दो कार्य थे। एक तो ब्रिटिशों से लड़ाई और दूसरा विविध और विरोधी सजातीय दलों को जोड़ना था। राष्ट्रीय आंदोलन उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में ज्यादा शक्तिशाली था और इससे उत्तर-दक्षिण में विभाजन हुआ। दक्षिण में भी, योरूबा और ईबो (Igbos) के बीच सजातीय लड़ाइयों के द्वारा राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ। 1950 तक ये तीन क्षेत्रों के पास, क्षेत्रीय पार्टियों के नेतृत्व में उनके स्वयं के उपनिवेश विरोधी आंदोलन थे। ये क्षेत्रीय पार्टियाँ थीं, उत्तर में रूढ़िवादी नार्थन पीपुल्स कांग्रेस (Northern People's Congress) (NPC), पूर्व में - द नेशनल काउंसिल फॉर नाइजिरिया एंड द कैमरूनस (The National Council for Nigeria and the Cameroons) (NCNC) और पश्चिम में द एक्शन ग्रुप (Action Group) (AG)।

- क्या आपके विचार में पान-आफ्रीकीवाद का विचार राष्ट्रवाद के भिन्न था? चर्चा कीजिए। क्या आप के विचार में राष्ट्रवाद का विचार सीमित था?
- उपनिवेशी शासन से क्षेत्र का असमान विकास हो सकता है। भारत में भी बंगाल, मद्रास और बंबई जैसे तटीय क्षेत्र अधिक विकसित हुए। आपके विचार में ऐसा असमान विकास क्यों हुआ?

स्वतंत्र और निर्बल प्रजातंत्र (Independence and weak democracy)



चित्र 13.6 : बाइफेरियन युद्ध

राष्ट्रवाद की लहर को ध्यान में रखते हुए, अंग्रेजों ने नाइजिरिया को अधिकार वापस लौटाने का निश्चय किया और एक जटिल संघीय प्रणाली के लिए कार्य किया जिसने इन के तीन मुख्य क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की थी। 1 अक्टूबर 1963 के दिन नाइजिरिया स्वतंत्र हो गया। दुर्भाग्य से न्यायसंगत और प्रजातांत्रिक संतुलन नहीं बन सका और शीघ्र ही नाइजिरिया गृहयुद्ध और सैन्य शासन में फँस गया जिसने बड़े पैमाने पर उत्तर के प्रभाव को प्रबल बनाया। नागरिक और प्रजातांत्रिक सरकारों को लाभ पहुँचाने के कई प्रयास किये गये लेकिन यह बार-बार असफल हुआ। सैन्य शासन व्यवस्था और

बहुराष्ट्रीय तेल कार्पोरेशन, जो भ्रष्ट शासकों को वित्तीय सहायता देते थे ने साथ मिलकर काम किया। उन्होंने नाइजीरिया में भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के दमन को बढ़ावा दिया।



चित्र 13.7: तेल गिरना

सैन्य तानाशाही के लंबे युग के पश्चात्, नाइजिरियों ने 1999, में प्रजातांत्रिक सरकार का चयन किया। प्रजातांत्रिक नाइजिरिया के निर्माण में इसने चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया, इसके अवशेष देखे जा सकते हैं।

तेल, पर्यावरण और राजनीति (Oil, environment and politics)

नाइजर डेल्टा में 1950 में तेल की खोज की गयी और जल्दी ही डच शैल कंपनी के नेतृत्व में विभिन्न बहुराष्ट्रीय

कंपनियों ने तेल निकालने का अधिकार प्राप्त किया। आज यह नाइजरिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। अधिकतर तेल के कुँए इन कार्पोरेशनों के अधीन हैं जिन्होंने नाइजरियन तेल निकाला और इसके लाभ का कुछ अंश सैन्य शासकों के साथ बाँटा। लेकिन सामान्य लोगों को इससे अधिक लाभ नहीं हुआ। इसके साथ ही विदेशी तेल कंपनियों के द्वारा पर्यावरण की परवाह किये बिना लापरवाही से तेल निकालने से तटीय पर्यावरण में विनाश की स्थिति उत्पन्न हुई। तेल के कुँओं से तेल छलकने के कारण पारिस्थितिक(ecosystem) प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।



चित्र 13.10 : केन सारो विवा

मैंग्रोव (mangrove) वनों के बड़े क्षेत्र जो विशेषरूप से तेल से प्रभावित थे, नष्ट हो गये थे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तेल को मिट्टी में रखा जाता था और वर्ष में पुनः छोड़ दिया जाता था। अंदाजन 5-10% नाइजीरी मैंग्रोव पारिस्थितिक प्रणाली वृक्ष काटने या तेल से समाप्त हो गयी। तेल के छलकने के कारण भूगर्भ का जल और मिट्टी के प्रदूषित होने से फसल और जल संवर्धन दोनों पर प्रभाव पड़ा। पेयजल भी अधिकतर प्रदूषित होता था, और कई स्थानीय जलाशयों में भी चमकता तेल दिखाई दिया। इस प्रदूषित पानी से यदि स्वास्थ्य पर तत्काल प्रभाव न भी पड़ा हो, तो भी लंबे समय में इसके कारण कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। समुद्र तट से दूर तेल का छलकना, जो प्रायः अधिक मात्रा में होता था, तटीय क्षेत्र के पर्यावरण को प्रदूषित करता था और इसके कारण स्थानीय मछली उत्पादन में गिरावट आयी।

1990 के आरंभ के प्रत्येक चरण में सार्वजनिक अशांति बढ़ती गयी, विशेषकर नाइजर डेल्टा क्षेत्र में, जहाँ विभिन्न पारंपारिक दलों ने वर्षों से पर्यावरणीय क्षति और अपनी भूमि के तेल स्रोतों पर नियंत्रण के लिए क्षतिपूर्ति की माँग करनी आरंभ कर दी थी। इस अशांति ने स्वयं को शांतिपूर्ण कार्यकारी संगठनों के रूप में प्रकट किया। जिन्होंने अपने सदस्यों को पारंपारिकता के आधार पर संगठित किया था। 1990 में स्थिति सिर तक पहुँच गयी थी, जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध के बावजूद सैन्य सरकार के द्वारा एक प्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणकर्ता केन सारो विवा को फाँसी पर लटका दिया गया था।

इस तरह आपने देखा कि नाइजरिया अब भी एक राष्ट्र के रूप में संगठित, एक स्थिर प्रजातांत्रिक प्रणाली के रूप में कार्य और अपने सामग्रीय संसाधनों पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न कर रहा था।

- नाइजरिया के अधिकतर तेल के स्रोत दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। ईबू चाहते थे कि उन्हें तेल के लाभांश का अधिकतम भाग प्राप्त हो। उन्होंने उत्तर में विकास के लिए तेल की पूँजी के उपयोग का विरोध किया। आपके विचार में इस समस्या का उचित और न्यायसंगत समाधान क्या हो सकता है?

मुख्य शब्द

भूमि-सूधार

रासायनिक हथियार

सामंतवाद

दुर्बल प्रजातंत्र

नया प्रजातंत्र

पानअफ्रीकीवाद

मजबूरश्रमिक

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें।

- जोड़ियाँ बनाइए
 - सुन यात-सेन देश का सैन्यीकरण
 - चियाँग केशेक पर्यावरणीय आंदोलन
 - माओ जिडोंग राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और समाजवाद
 - केन सारो विवा किसान क्रांति
- पिछले दशकों में चीन में महिलाओं की भूमिका में आये परिवर्तनों का पता लगाइए? यह USSR और जर्मनी के समान या भिन्न क्यों हैं?
- राजतंत्र को समाप्त करने के पश्चात, चीन में दो विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ थीं। वे किस प्रकार समान या भिन्न थीं?
- अध्याय में चर्चित देश अधिकतर कृषि पर निर्भर थे? इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के लिए इन देशों में क्या कदम उठाये गये?
- ऊपर चर्चित देशों में उद्योगों के मालिक कौन थे और व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कौनसी नीतियाँ अपनायी गयीं? उनकी तुलना करने के लिए एक तालिका बनाइए।
- भारत और नाइजरिया के राष्ट्रीय आंदोलनों की तुलना कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह भारत में प्रबल क्यों था?
- स्वतंत्र नाइजीरी राष्ट्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? स्वतंत्र भारत ने जिन चुनौतियों का सामना किया, उससे यह किस प्रकार समान या भिन्न थी?
- भारत के विपरीत नाइजरिया को अत्यधिक संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा। क्या आप इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं?
- इन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में शासकों के साथ युद्ध भी शामिल था। इसके प्रभाव का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।

इस अध्याय में हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण के विषय में पढ़ेंगे व इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किन स्थितियों ने भारत विभाजन को जन्म दिया जिसके कारण देश की जनता के सामने ऐसे प्रश्न उभरे जिनके समाधान ने वर्षों तक की जटिलता पैदा कर दी।

क्या युद्ध में भारतीय समर्थन प्राप्त था - 1939-42

आपने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा है। 1939 में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रियों का शासन था। ब्रिटिश सरकार ने स्वशासन के सिद्धांत को स्वीकारते हुए 'द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 'एक्ट' 1935 को ब्रिटिश संसद में पारित किया। इसके अनुसार ब्रिटिश अधिन प्रांतों में चुनाव कराए जायेंगे तथा जीते हुये राजनीतिक दल द्वारा शासन चलाया जायेगा। इसीके अंतर्गत एक सीमित मात्रा में जनता को मत देने का अधिकार दिया गया। 12% प्रांतीय विधान सभाओं की सीटों और 1% केन्द्रीय संसद के लिये। जब 1937 में ब्रिटिश अधिन 11 प्रांतों में चुनाव कराये गये तब कांग्रेस ने उत्तम प्रदर्शन किया तथा 8 प्रांतों में उनके 'प्रधान मंत्री' बने जो ब्रिटिश गवर्नर के निरीक्षण में कार्य करते थे।

एक जटिल प्रश्न कांग्रेस दल के सामने खड़ा हो गया कि क्या वो ब्रिटेन को जर्मनी, जापान, इटली आदि धुरी शक्तियों के विरुद्ध समर्थन दें? ब्रिटेन ने भारत के युद्ध में भाग लेने के विषय में कांग्रेस से पूछा तक नहीं था। युद्ध में भाग लेने व न लेने दोनों विषय में कांग्रेस में अनेक मत थे कांग्रेस इस विषय में असमंजस में थी। कई कांग्रेस नेता हिटलर के विरोधी थे, और मुसोलिनी के फासिस्ट सिद्धांतों से नाराज़, जो सार्वभौम (स्वतंत्र) देशों पर विजय चाहता था। कांग्रेस अंग्रेजों के इस रवैये से भी नाराज़ थी कि वह इस बात का आश्वासन नहीं दे रहे थे कि यदि भारत फासिस्टों के विरोध में उनका समर्थन करेगा तो वह भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेंगे ब्रिटिशों ने इसे समझा पर आसानी से वह अपने प्राप्त अधिकार को खोना भी नहीं चाहते थे। ब्रिटेन में युद्ध के समय विभिन्न राजनीतिक दल थे। युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल सभी पार्टियों

- क्या आपको लगता है कि भारतीयों ने एक्ट 1935 से प्राप्त अधिकारों से खुशी अनुभव की?
- क्या उस समय हिटलर मानवतावाद के लिये एक चुनौती था और भारत को अपने स्वतंत्रता आंदोलन को छोड़कर विश्व को स्वतंत्र कराने के विचार को प्रमुखता देनी चाहिए थी?
- आपके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन व विरोध के क्या कारण हो सकते हैं?

हिटलर के नाम पत्र

जर्मन हिटलर

बर्लिन

जर्मनी

प्रिय दोस्त

मेरे मित्र मुझे इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि मैं आपको मानवता के हित में पत्र लिखूँ परंतु मैंने उन लोगों के अनुरोध को ठुकरा दिया क्योंकि मेरे यह भाव थे कि मेरे द्वारा लिखा गया पत्र धृष्टता न कहलाये परंतु फिर मुझे लगा कि अधिक विचार न करते हुये मेरे निवेदन को पेश करना ही चाहिए चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

यह तो एक पूर्णतः सत्य है कि आप दुनिया के एक वह इंसान हैं जो भीषणता से मानवता को कम करने वाले युद्ध को रोक सकते हैं।

क्रियात्मक रूप में आपको वह मूल्य भी प्राप्त होगा जो आपने किया। क्या आप उस इंसान के अनुरोध को सुन सकते हैं जो युद्ध के ऐसे तरीके को जानता है जिसमें विजय के भाव का महत्व कम होता है?

यदि पत्र लिखकर मैंने कोई गलती की है तो मैं आपसे क्षमाप्रार्थी हूँ।

सदैव आपका
संवेदक मित्र
एम. के. गाँधी

Source: स्रोत : महात्मा गाँधी के कार्य संचयन द्वारा
UOI . 76 : 31 मे 1939 -15 अक्टूबर 1939

द्वारा समर्थित थे जो कंजरविटिव पार्टी के थे। यह पार्टी भारत पर जब तक संभव हो शासन बनाये रखना चाहती थी। इसके विपरित लेबर पार्टी भारतीयों की स्वतंत्रता के समर्थन में थी।

युद्ध उपरांत ब्रिटिश भारतीयों को अंतरिम स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे, पर कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का वचन चाहती थी। इसके साथ ही केन्द्र में तत्कालिक राष्ट्रीय सरकार के निर्माण के पक्ष में थी पर ब्रिटिशों ने यह कह कर विरोध किया कि कांग्रेस भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती विशेषकर मुसलमानों का। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अनेक भारतीयों की हितों को नज़रअंदाज़ कर रही है और ब्रिटिश सभी समूहों के हितों की रक्षा करना चाहती है।



चित्र 14.1 1937 में रॉयल इंडियन आर्मी इरावती नदी को पार करते हुए



चित्र 14.2 हाथियों द्वारा 6 - 46 विमान में माल भरवाना - द्वितीय विश्व युद्ध के समय

कांग्रेस ब्रिटिशों के इस रवैये से नाराज हुयी और उनके सभी प्रांतीय सरकार के मंत्रियों ने 1939 में त्यागपत्र दे दिये जो 1937 में चुने गये थे।

ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में जीत हासिल करने के लिए और कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्वयं को युद्ध के समय के विशेष अधिकार दे दिये। यदि कोई ब्रिटिश सरकार का इस समय विरोध करता तो उसे तुरंत लंबे समय के लिये जेल भेज दिया जाता। भाषण की स्वतंत्रता भी छीन ली गयी। 1940 और 1941 में युद्ध की समाप्ति पर स्वतंत्रता देने का वादा करने के लिए दबाव डालने हेतु कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रहों का आंदोलन प्रारंभ किया। इस समय कोई बड़ा सामूहिक आंदोलन नहीं हुआ।

- आपके विचार में क्या कांग्रेस ब्रिटिशों के रवैये के विरुद्ध अन्य कदम भी उठा सकती थी?
- ब्रिटिशों ने भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए वादा क्यों नहीं किया, हालांकि 1939 में बात केवल वादे की ही थी? कक्षा में मिलजुल कर चर्चा कीजिए।
- जब मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया तो कौन दैनंदिन के सरकारी कार्य संपन्न कर रहा था?
- कल्पना कीजिए कि यदि ऐसे समय में कांग्रेसी नेता ब्रिटिश सरकार का विरोध करते तो क्या होता? क्या यह स्वतंत्रता की लड़ाई को और मजबूत बना सकता था।

कौन भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है?

ब्रिटिश भारतीयों से परेशान थे, जो उनके शासन का विरोध कर रहे थे। इसके साथ ही वह उन रास्तों की खोज कर रहे थे जिससे कांग्रेस को कमजोर कर सके, जिसका जनता पर काफी प्रभाव था। उन्होंने कांग्रेस के विषय में लोगो में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस देश की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यहाँ से और स्पष्टता से अंग्रेजों ने “फूट डालो और राज करो” नीति का अनुसरण शुरू कर दिया।

इसी योजना के तहत अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को महत्व देना और कांग्रेस को नज़र अंदाज करना शुरू किया। यह वही समय था जब मुस्लिम लीग के नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्हा आदि जनता में ज्यादा सक्रिय थे।

मुस्लिम लीग

इस पार्टी की स्थापना 1906 में हुयी और 1930 तक यह अधिकतर मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करती थी और जनता में इनका समर्थन कम था। इन्होंने माँग की थी कि ब्रिटिश सरकार अलग से ऐसे क्षेत्र बनाये जिन सीटों से मुस्लिम मत को महत्व मिले और वह मुस्लिम हितों की रक्षा करे। उनका मानना था कि हिन्दू बहुसंख्यक होने के कारण वे कौंसिल में मुस्लिम हितों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसलिए यदि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से यदि मुसलमान प्रतिनिधि चुन कर आयेगा तो वह मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा कर सकेगा। कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार किया। 1930 में अलग से मुस्लिम विधायक क्षेत्र घोषित किये गये। जब 1937 में प्रांतीय

सरकार के चुनाव हुए तब मुस्लिम लीग ने 482 मुस्लिम विधान क्षेत्रों में से 102 क्षेत्रों में विजय पायी। यद्यपि कांग्रेस ने भी अपने प्रतिनिधियों को इन क्षेत्रों से खड़ा किया क्योंकि कांग्रेस स्वयं को एक राष्ट्रीय पार्टी मानती थी न कि हिंदू पार्टी उसने अपने 58 उम्मीदवारी सीटों में से 26 सीटों में विजय पायी।

- चर्चा कीजिए क्यों बहुसंख्यक आधारित चुनाव अल्पसंख्यक हितों की रक्षा में सहायक नहीं होते?
- केवल अलग विधान चुनाव क्षेत्र ही क्या अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर सकते हैं? आपके विचार में और ऐसे कौनसे रास्ते हैं जो इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं?

जैसे उदाहरण के लिये क्या एक गैर मुस्लिम कौंसिल मेंबर अपनी मुस्लिम जनता से मिल कर उनकी समस्या और मुद्दे को समझ नहीं सकता है?

जब इस तरह का तरीके का उपयोग हो तो, वह कब प्रभावी और कब नाकाम हो सकता है?

1937 में मुस्लिम लीग ने केवल 4.4% मुस्लिम मत ही प्राप्त किये। मुस्लिम लीग उस समय संघीय प्रांत मुम्बई और मद्रास में प्रसिद्ध थी तथा 301 प्रांतों जैसे बंगाल नार्थवेस्ट फ्रॉंटियर पाकिस्तान (NWFP) पंजाब और सिंध में कमजोर थी। जहाँ पर अगले दस वर्षों बाद स्थिति बदली और 1946 में जब चुनाव कराये गये तब मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की।

ऐसा क्या हुआ जिससे 1937 से 1947 के बीच में मुस्लिम जनता की सोच में

अंतर आया। मुस्लिमलीग में कई ऐसे मुद्दे उठाये और कांग्रेस पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया हो। जैसे उदाहरण के लिए कांग्रेस ने केंद्रीय प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने से इंकार कर दिया जहाँ से मुस्लिम लीग ने बहुत सी सीटें प्राप्त की थी तथा कांग्रेस ने अपने सदस्यों को मुस्लिम लीग की सदस्यता लेने से इंकार किया, जबकि उसके सदस्य हिंदू महासभा की सदस्यता प्राप्त कर सकते थे। परंतु 1938 में इसे भी समाप्त कर दिया गया क्योंकि उनके मुस्लिम सदस्य मौलाना आज़ाद ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने जनता में यह प्रचारित किया कि कांग्रेस एक हिन्दू पार्टी है जो मुसलमानों के साथ शक्ति का बँटवारा नहीं चाहती है।

हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS

इसी समय हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठन) वैदिक प्रचार में व्यस्त थे। यह संघ सभी हिन्दुओं में जाति और वर्गों से ऊपर एकता चाहता था। इसके साथ ही वह यह संदेश भी देना चाहते थे कि भारत हिन्दू बहुसंख्यक देश है। कई कांग्रेसी संघ के इन कार्यों से प्रभावित थे। कांग्रेस अपने सदस्यों में तटस्थता की भावना चाहती थी। वह मुस्लिम जनता के मध्य अपनी छवि सुधारना चाहती थी। और मुसलमानों की सुरक्षा का वचन देना चाहती थी। वह मुस्लिम लीग हिन्दू महासभा, RSS के अलगाव के प्रचार

को रोकना चाहती थी। उसने कहा कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग देशों के नहीं हैं बल्कि एक ही देश भारत देश के हैं। पर ब्रिटिश मुस्लिम लोगों के धर्म संबंधी डर को बढ़ावा देकर उन्हें मुस्लिम सुरक्षा के रास्ते बताने में ज्यादा आतुर थे।

“पाकिस्तान” विचार आंदोलन

कई लोगों की अब तक यह सोच बन चुकी थी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जैसे मशहूर उर्दू शायर मोहम्मद इकबाल जिन्होंने ‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्ताँ हमारा’ लिखा, उन्होंने भी 1930 में मुस्लिम लीग के अपने अध्यक्षीय भाषण में “उत्तर पश्चिम भारतीय मुसलमान प्रांत” के बारे में कहा।

पाकिस्तान नाम पाक-स्तान (पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलुचिस्तान) इस दावे को कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुस्लिम विधार्थी चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में कर पत्रों पर लिख कर बाँटा। किसीने उस पर ध्यान नहीं दिया और मुस्लिम लीग और मुसलमानों ने इसे एक बच्चे का दिवा स्वप्न माना। जैसे कि पहले भी बताया गया कि कांग्रेस इस बात में असफल रही है कि वह मुसलमानों को मुस्लिम लीग और ब्रिटिशों के फूट डालो और राज करों के प्रभाव से बचा सके।

इस तरह राजनीतिक बदलाव आया और 23 मार्च 1940 को लोगों ने भारत उपमहाद्वीप के भीतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम स्वायत्तता की माँग की। यहाँ पर कहीं भी पाकिस्तान के विभाजन का जिक्र नहीं था। पर बीतते वर्षों में यही पाकिस्तान आंदोलन कहलाया। यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि कई लोगों ने इस समस्या के सामाधान का प्रयास किया। कई चर्चाओं, परिचर्चाओं ने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की माँग को एक आधार दे दिया तथा कांग्रेस भी अब मोहम्मद अली जिन्हा और मुस्लिम लीग के नेताओं को समझाने में कठिनाई महसूस कर रही थी।

1940 से 1946 के मध्य तक लीग मुसलमानों को यह विश्वास दिलाने में सफल रही कि उनके हितों के लिए अलग देश आवश्यक है। किसान भी हिन्दू जमींदारों, साहुकारों के शोषण से बच जायेंगे। और व्यापारियों और नौकरियों में उनको हिन्दू व्यापारियों और बेरोजगारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह मुसलमानों के लिये बहुत ही उत्तम रास्ता होगा। वह जैसा शासन

डॉ. बी.आर अंबेडकर, पाकिस्तान या भारत का विभाजन “प्रस्तावना” 1940

‘पाकिस्तान एक ऐसी योजना है जिसपर ध्यान देना आवश्यक है। यह बहुत आगे का प्रश्न है। मुसलमान भी इसके लिए जोर दे रहे थे। अंग्रेज उग्र हिंदू बहुसंख्यकों के सामने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें इस मुद्दे को अपने स्वार्थ के लिए अल्पसंख्यकों पर छोड़ दिया।

- लोगों ने मुस्लिम लीग के राजनीतिक लाभ को कैसे समझा? क्या उन्हें कोई संशय थे? और किस तरह के प्रश्न उनके पास थे चर्चा कीजिए।

चाहे वैसे शासन को पा सकते हैं। 1942 और 1945 के मध्य कई कांग्रेसी नेता जेल में थे जिसका लीग ने फायदा उठाया और जनता में लोकप्रिय बने।

किसने “ब्रिटिशों भारत छोड़ो” की माँग की

1941 तक जापान दक्षिण पूर्वी एशिया में विस्तार कर रहा था। यह भारत के लिए भी चुनौती थी। ब्रिटेन जापान के विरुद्ध भारत का साथ चाहता था। 1942 के मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने मंत्रियों को सर स्ट्रोफोर्ड क्रिप्स के साथ भारत भेजा ताकि वो गाँधीजी और कांग्रेसियों से बात करें। वार्ता विफल रही क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि प्रबंध समिति में एक भारतीय भी हो।

क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गाँधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहा। यही आंदोलन ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन कहलाया जो अगस्त 1942 में शुरू हुआ। गाँधीजी को फिर एक बार जेल हुई। युवा कार्यकर्ताओं ने सारे भारत भर में हड़ताल की और कालेज छोड़ जेल भरो आंदोलन में भाग लिया। कई समाजवादी विचारधारा के कांग्रेसियों जैसे जयप्रकाश नारायण ने कई आंदोलन किये। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर में स्वतंत्र सरकार की रचना भी की गयी। ब्रिटिशों ने इसे दबाने के लिये काफ़ी जोर लगाया। इस आंदोलन के बंद होने में एक वर्ष से भी अधिक समय लगा।

भारत की साम्यवादी पार्टी ने ब्रिटिशों की मदद करने का फैसला लिया क्योंकि वह सोवियत रूस के विरुद्ध नाजी युद्ध को विश्व स्तर पर एक खतरा मान रहे थे और इसे जनता की लड़ाई मान रहे थे। गाँधीजी भी यह समझ रहे थे कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भारतीय जापान को अपने तरीके से मना सकते हैं।

जापान द्वारा अमेरिका और यूरोपीय देशों पर जीत का भारतीयों पर बड़ा असर पड़ा।

- 1) भारतीयों को लगा कि यूरोपीय उपनिवेशों को जल्द से हराया जा सकता है
- 2) जापान एक एशियाई देश है जो यूरोपीय उपनिवेशों के विरुद्ध खड़ा हुआ।
- 3) भारतीयों ने भी यह महसूस किया कि वह भी ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ सकते हैं।
- 4) ब्रिटिशों द्वारा बनायी गयी जातीय प्रभुसत्ता भंग हो गयी।

सुभाष चन्द्र बोस ब्रिटिशों की विकट परिस्थितियों से लाभ उठाना चाहते थे और वह भारत की स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे जिसके लिए वो जापान की मदद लेने को भी तैयार थे वह गुप्त रूप से पहले जर्मन गये फिर जापान और वहाँ पर 1942 में भारतीय सेना का गठन किया।

प्रश्न यह उठता है कि यह सैनिक कौन थे? यह वह सैनिक थे जो पहले ब्रिटिश सेना में थे और जिन्हें जापान ने बंदी बना लिया था जब ब्रिटिश बर्मा और मलाया में हारे थे। वे सभी युद्ध बंदी थे (POW-Prisoners of War) बोस ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया जिसे उन्होंने “आज़ाद हिन्द फौज” या “भारतीय राष्ट्रीय सेना” (INA) नाम दिया बाद में अन्य भारतीय भी इसमें शामिल हुए जिसमें महिलाएँ भी थीं। गाँधीजी, बोस की योजना से सहमत नहीं थे उन्हें नहीं लगता था कि जापान भारत को स्वतंत्र बनायेगा पर बोस अपने पथ पर चलते रहे और उनकी सेना ने जापान की रायल सेना का साथ दिया जो ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध कर रही थी। युद्ध लगभग तीन वर्षों तक चला।



चित्र 14.3 सुभाषचन्द्र बोस

- क्यों जापानियों ने बोस को अनुमति दी कि वह बंदी सैनिकों को सेना में भर्ती कर ले?
- क्यों भारतीय सैनिक INA में शामिल हुये?
- भारतीय सैनिक युद्ध हारने और ब्रिटिशों के हाथ लगने से भयभीत क्यों नहीं हुये? ब्रिटिश उनके साथ क्या बर्ताव करते?

यह बड़ा ही विकट मुश्किल भरा समय था। कभी लगता था कि मित्र शक्तियाँ हारेगी। तभी रूस ने नाज़ी सेनाओं को स्टेलीनगार्ड में बुरी तरह परास्त किया तथा मित्र शक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया। सुभाष चन्द्र बोस की INA इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिश सेना से हार गयी। तभी से यह प्रश्न बरकरार है कि सुभाष चन्द्र बोस गायब हो गये या मृत्यु को प्राप्त हो गये।

जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था ब्रिटिश सरकार ने गाँधीजी को जेल से रिहा कर दिया तथा भारतीय स्वतंत्रता के विषय में अगले दौर की वार्ता का फैसला लिया।

- 1942-45 की अवधि पर पुनर्विचार कीजिए कि क्यों भारतीय जन आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़ा हुआ?

1946-48 लोकप्रिय लहर

राष्ट्रीय भारतीय सेना के सैनिक ब्रिटिशों द्वारा बंदी बना लिये गये तथा ब्रिटिश उन्हें सजा देना चाहते थे। सैनिक कानूनी कारवाई में कोर्ट मार्शल शुरू किया गया तथा उन्हें देशद्रोही मानकर फांसी की सज़ा निश्चित की गयी। जैसे INA का मामला आगे बढ़ा, असुरक्षा, असुविधा, नाखुशी का माहौल सारे भारत भर में फैल गया। राष्ट्रवादी चेतना की इस प्रसिद्ध लहर में हिंदू-मुसलमान पहचान और अलग राजनीति का कोई महत्व नहीं रहा। उदाहरण के लिए INA के

फौजी मुस्लिम समुदाय के थे पर फौजियों के प्रति ब्रिटिश रवैये के खिलाफ आक्रोश व सांत्वना की लहर ने फौजियों के धर्म के विषय में नहीं सोचा।

अगर हम भी युद्ध उपरांत की स्थितियों में होते तो शायद हम भी देश की परिस्थितियों को समझ पाते। लोग निसहाय से अनाज की कमी, अनाज के ऊँचे दामों, काला बाजारी से

- कल्पना करो कि स्थितियों के दुःखदायी रूप से लोगों के जीवन पर कैसा असर पड़ा?
- किस तरह के भय को अन्य भारतीयों ने महसूस किया जब INA के सैनिकों को ब्रिटिशों ने देशद्रोही मानकर फांसी पर लटकाना चाहा जिन सैनिकों को वे अपना हीरो मानते थे?

परेशान थे। मजदूर अपनी कम मजदूरी से तंग थे और रेल्वे, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारी मूल्यों के विरुद्ध राष्ट्र व्यापी हड़ताल पर जाना चाह रहे थे।

18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी बम्बई बंदरगाह के गार्ड्स ने खराब भोजन और ब्रिटिश अफसरों के गलत बर्ताव के खिलाफ भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। इस अनशन का प्रभाव न केवल मुम्बई अपितु सारे भारतीय बंदरगाहों तक

फैला। विद्रोही गार्ड्स ने जहाज के ऊपर तिरंगा, हँसिया (Sickle) और हथौड़े (hammer) भाले के चिह्न वाला झण्डा लगा दिया। इस विद्रोही केंद्रीय हड़ताल समिति के अध्यक्ष थे एम.एस. खान। इनकी माँग थी अच्छा भोजन, श्वेत और काले सैनिकों को समान आय तथा INA के बंदियों की रिहाई व अन्य राजनीतिक कैदियों की भी रिहाई तथा भारतीय सैनिकों की इंडोनेशिया से वापसी।



चित्र 14.4 थल सेना के गार्ड्स का स्मारक जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिये 1946 में विद्रोह किया।

78 जहाजों, 20 बंदरगाह संस्थानों 20,000 गार्ड्स ने इस हड़ताल में भाग लिया। कई सौ विद्यार्थी हिन्दू और मुस्लिम दोनों, बम्बई के सड़कों पर सर्भथन के लिये, निकल पड़े तथा सेना और पुलिस का सामना किया। 22 फरवरी को बम्बई के तीन लाख मिल मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया और दो दिन तक पुलिस और सेना से हिंसक रूप में जूझते रहे।

वर्ष 1946 का वर्ष हड़तालों, काम बंद करो का वर्ष था। देश भर के कारखानों व मिलें इससे जुड़ी थी। CPI और समाजवादी दल इन दिनों सक्रिय थे। सारा देश उस समय उबल रहा था।

बंगाल के गरीब कृषकों ने अपने जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। वे जिन जमीनों पर खेती कर रहे थे उसमें आधे हिस्से या उससे कम के स्थान पर वह

अपने दो तिहाई भाग की माँग कर रहे थे जिसे स्वीकारा गया। यह आंदोलन तेभाग (Tebhag) आंदोलन कहलाया जिसका संचालन प्रांतीय किसान सभा कर रही थी।

हैदराबाद में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने तेलंगाना के किसानों के लिये भारी आंदोलन छेड़ दिया। तेलंगाना के कृषक अपने जमींदारों से अपनी उधार वाली भूमि, बेगार मजदूरी को दूर कराकर उस जमीन को पाना चाहते थे जिसके नाम वह जमीन थी। किसानों ने अपने शासकों व सेना के विरुद्ध हथियार उठा लिये। लगभग 3000 किसानों ने इसमें भाग लिया। दूसरा एक ओर हथियार बंद किसान आंदोलन त्रावनकोर के पुनप्रा-वायालर (Vayalar) में प्रारंभ हुआ।

- विचार कीजिए कि उस समय की आम जनता की माँगे क्या थी?
- इन आंदोलनों में यह पाया कि धर्म, वर्ग भेद बीच में नहीं लाया गया। इन आंदोलनों में इनकी एकता के क्या कारण थे?

मुस्लिम लीग और कांग्रेस - शासन हस्तांतरण विषयक बातचीत

1945 में जब शीर्ष नेताओं द्वारा पुनः ब्रिटिशों से बातचीत प्रारंभ हुयी तो, ब्रिटिश पूर्ण भारतीय केन्द्रीय मंत्री परिषद् को स्वीकार कर चुके थे। सिर्फ वायसराय और सेना अध्यक्ष के विषय को छोड़कर यह पूर्ण स्वतंत्रता देने के पूर्व के कदम थे। वार्ता का यह दौर मुस्लिम लीग जिन्ना के इस प्रस्ताव से टूट गया कि केन्द्रीय परिषद् के सभी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव वह करेगी। इस माँग को सभी ने नहीं स्वीकारा। कांग्रेस के कई राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने इसे नहीं स्वीकारा। मौलाना आज़ाद जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे उन्होने भी मुस्लिम लीग प्रस्ताव विरोधी प्रतिनिधित्व दल का नेतृत्व किया।

1946 में प्रांतीय सरकारों का चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग ने सभी आरक्षित केन्द्रीय 30 सीटों को जीत लिया और 509 प्रांतीय आरक्षित सीटों में 442 सीटों पर विजयी हुई। इस तरह 1946 में मुस्लिम लीग ने स्वयं को मुसलमान मतदाताओं की प्रभावशाली पार्टी के रूप स्थापित किया और भारतीय मुसलमानों की एकमात्र आवाज के रूप में भारत में सिद्ध हुयी। 86% मुस्लिम मतों को उसने प्राप्त किया था। 1946 में कांग्रेस 91% गैर मुस्लिम मतों द्वारा केन्द्रीय चुनाव में विजयी हुयी।

- मुस्लिम लीग की क्या माँगे थी और कांग्रेस ने इसे क्यों नहीं माना। क्या कांग्रेस के इन कारणों से आप सहमत हैं?
- आपके अनुसार 1946 के चुनाव परिणाम जनता की किस सोच को दर्शाते थे?

विभाजन के अतिरिक्त अन्य विकल्प

मार्च 1946 को ब्रिटिश संसद ने एक तीन सदस्यी समिति दिल्ली भेजी, जो लीग की मांगों का निरीक्षण करे और स्वतंत्र भारत की एक स्वीकृत परिकल्पना दे सके। समिति ने भारत का दौरा किया और तीन महीनों के उपरांत एक त्रिपक्षी प्रस्ताव रखा। जिससे भारत अखंड रह सके। प्रारंभ में सभी ने इसे स्वीकार किया पर यह स्वीकृति अधिक समय तक न रही, क्योंकि यह प्रस्ताव आपसी सहयोग व विरोधात्मक सुझावों पर आधारित थे इसलिये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस समिति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।



चित्र 14.5 जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्रता की घोषणा करते हुये।

मुस्लिम लीग को यह लगने लगा था कि बातचीत से उनकी माँगे पूरी न हो सकेगी उसने जनता को सड़कों पर आने की अपील की। इसने अपनी पाकिस्तान की माँग जीतने के लिए 'प्रत्यक्ष कार्य' करने का निश्चय किया तथा 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की माँग को लेकर "सीधे कारवाई दिवस" के रूप में स्वीकार गया। कलकत्ता में

इस दिन दंगे फूट पड़े। कई हजार व्यक्ति मारे गये। मार्च 1947 तक यह दंगे सारे उत्तर भारत में फूट पड़े।

मार्च 1947 के हिंसक दंगों के दबाव से कांग्रेस उच्च कमान ने पंजाब को दो भागों में विभक्त करने का फैसला लिया एक मुस्लिम बाहुल्य भाग पाकिस्तान तथा दूसरा हिन्दू/सिक्ख बाहुल्य क्षेत्र। भारत में कांग्रेस, बंगाल में भी इसी प्रकार के सिद्धांत लागू करने के लिए राजी हो गयी।

फरवरी 1947 में लार्ड माऊंटबैटन के स्थान पर वेवल को भारत का वायसराय बनाया गया। माऊंटबैटन ने आखिरी वार्ता के दौर के बाद यह निष्कर्ष दिया कि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेगा पर इसे विभाजित कर मुस्लिम अधिकता वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र नये देश पाकिस्तान के भाग होंगे। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण ब्रिटेन सरकार द्वारा पाकिस्तान को 14 अगस्त को किया गया, तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को सत्ता सौंपी गयी। यह वह समाधान था, जिसने वर्ष भर के दंगों, हिंसक आंदोलनों आदि से प्रभावित जनता को बचाया।

विभाजन और स्थानांतरण

पाकिस्तान मुस्लिम देश के बन जाने से कई दुःखद अकल्पनीय स्थितियाँ लोग के बीच बन गयीं। कई हिन्दू जो नयी बनी सीमा के इस ओर थे वे स्वयं को असुरक्षित समझ रहे थे और दबावपूर्वक वहाँ से भेजे जा रहे थे। इसी तरह कई मुसलमान जो सीमा के इस ओर थे, वो सीमा के उस पार जा रहे थे। सभी यह नहीं चाहते थे, कई लोगों, को इस बारे में पता भी नहीं था कि यह क्यों हो रहा है? क्यों उन्हें अपने घर, गाँव, शहर से भेजा जा रहा है? उनका गुस्सा भड़क रहा था। करीब 1.5 करोड़ लोग हिन्दू और मुसलमानों दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान



The Statesman



Vol. CXIII, No. 23112

REG. No. 131

CALCUTTA, FRIDAY, AUGUST 11, 1947

TWO ANNAS

TWO DOMINIONS ARE BORN Political Freedom For One-Fifth Of Human Race



Dr. B. R. Ambedkar (left) and Mr. J. B. Kripalani (right) with other members of the Constituent Assembly.

POWER ASSUMED BY INDIANS

Constituent Assembly Members Take The Oath

WORK FOR COMMON PROSPERITY

From Our Special Representative

NEW DELHI, Aug. 10.—Two new dominions, India and Pakistan, were born at noon today, inheriting to political freedom in unit nation people, constituting membership of the common race.

NO DISTURBANCE IN CALCUTTA

No disturbance of a momentary nature observed in Calcutta and elsewhere yesterday.

AUGUST 11, 1947

A special message of the Indian Government (New Delhi) to the members of the Constituent Assembly.

The Constituent Assembly members have taken the oath of office and pledged to work for the common prosperity of the Indian people.

The Constituent Assembly members have taken the oath of office and pledged to work for the common prosperity of the Indian people.



Mr. C. R. Rajagopalachari, the first Governor of West Bengal, with other members of the Constituent Assembly.

First Governor of W. Bengal

C. R. Sworn In This Morning

By a Staff Reporter

SWORN IN the rank of the Indian Dominion the Dominion of West Bengal at noon today, the morning of August 11, 1947. The morning of August 11, 1947, the morning of August 11, 1947, the morning of August 11, 1947.

Mr. C. R. Rajagopalachari, the first Governor of West Bengal, was sworn in this morning at the Government Secretariat, Calcutta. He was accompanied by other members of the Constituent Assembly.

Close Friendship with Britain

Nehru's Reply to Mr. Attlee

By a Staff Reporter

NEW DELHI, Aug. 10.—Mr. Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, today made a reply to Mr. Clement Attlee, Prime Minister of Great Britain, in the Constituent Assembly.

Mr. Nehru expressed his belief in the close friendship between India and Britain. He said that India would continue to be a part of the Commonwealth of Nations.

Mr. Nehru also mentioned the importance of the Constituent Assembly in the formation of the new Indian Constitution.

Joyful Scenes In Calcutta Celebrations By Hindus And Muslims

By a Staff Reporter

REMARKABLE signs of a nation's emotional unity were seen in Calcutta today. Hindus and Muslims alike were celebrating the birth of the new dominions.

The streets of Calcutta were filled with people who were celebrating the birth of the new dominions. There were many processions and rallies.

The atmosphere was one of joy and hope. People were expressing their confidence in the future of the new dominions.

Gandhi & Subhrawardy to Fast and Pray Today

Meeting Listens to Mahatma Without Interruption

By a Staff Reporter

MR. GANDHI will observe a fast today, it was announced today. He will be joined by Mr. Subhrawardy.

The Constituent Assembly today listened to Mr. Gandhi's speech without interruption. He spoke for several hours.

Mr. Gandhi's speech was a powerful one. He spoke of the importance of the Constituent Assembly and the need for unity.

Mr. Gandhi also mentioned the importance of the Constituent Assembly in the formation of the new Indian Constitution.

Mr. Gandhi's speech was a powerful one. He spoke of the importance of the Constituent Assembly and the need for unity.

Mr. Gandhi's speech was a powerful one. He spoke of the importance of the Constituent Assembly and the need for unity.

First Cabinet of India Begins to Function

Pandit Nehru Heads Dominion Ministry of Fourteen

By a Staff Reporter

NEW DELHI, Aug. 10.—The first Cabinet of the Indian Dominion which will function today and its composition will be headed by Pandit Nehru.

The Cabinet consists of fourteen members. It will be responsible for the administration of the new dominions.

Mr. Nehru is the Prime Minister. Other members include Mr. B. R. Ambedkar, Mr. J. B. Kripalani, and Mr. C. B. Bhabha.

The Cabinet will meet today to discuss the business of the day. It will also discuss the formation of the new Indian Constitution.

The Cabinet will meet today to discuss the business of the day. It will also discuss the formation of the new Indian Constitution.

The Cabinet will meet today to discuss the business of the day. It will also discuss the formation of the new Indian Constitution.

It's an **OMEGA**

CH. ABRECHT
B-5, CLIVE BUILDING
CALCUTTA.

चित्र 14.6 : भारतीय स्वतंत्रता पर समाचार पत्र की रिपोर्ट। आप इनमें से किन विभिन्न वस्तुओं को पहचान सकते हैं? चर्चा कीजिए।

भेजे गये। वे मारे गये, लूटे गये, जलाये गये। कम से कम दो से पाँच लाख हिन्दू और मुसलमान मारे गये। कुछ शरणार्थी बन गये और शरणार्थी कैंपों में रहने लगे। रेलों द्वारा वे नये घरों की खोज में इधर से उधर घूमने लगे। गाँधीजी दंगों प्रभावित लोगों के कैंपों, अस्पतालों व स्थलों पर जाकर बंधुत्व का संदेश देते और कहते यह वह स्वराज व स्वतंत्रता नहीं है जिसके लिये उन्होंने कठिन श्रम किया। राष्ट्रपिता गाँधीजी ने अनशन किया और प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया।

गाँधीजी और नेहरू जी के प्रयासों से कांग्रेस ने “अल्पसंख्यकों के अधिकार” के प्रस्ताव को पारित किया। कांग्रेस कभी भी ‘दो देशों के सिद्धांत’ से सहमत नहीं थी। दबाव में उसने विभाजन को स्वीकारा। वह अब भी यह मानते हैं कि “ भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ



चित्र 14.7 LIFE मैगजीन में प्रकाशित विभाजन के समय के चित्र मार्गरेट बोर्क-वाइट (Margaret Bourke-white) के द्वारा खींचे गये।




पर कई धर्मों, जातियों और वर्गों का समूह है और ऐसा ही रहेगा।” पाकिस्तान में स्थिति कैसी भी हो भारत एक “प्रजातांत्रिक धर्म निर्पेक्ष देश” बना रहेगा। जहाँ पर सभी नागरिक अपने अधिकारों का समानता से प्रयोग कर सकते हैं और सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी चाहे वह किसी भी धर्म संबंधी नागरिक हो।

गाँधी जी की हत्या

राष्ट्रपिता गाँधीजी 15 अगस्त, 1947 के दिन नोखाली (बंगाल) में दंगों से प्रभावित लोगों में शांति लाने का प्रयत्न कर रहे थे। वे 9 सितम्बर 1947 को दिल्ली वापस लौटे। गाँधीजी उत्तर पश्चिम भारत के भारी दंगों से नाखुश थे और लोगों में फैले भय को दूर कर शांति लाना चाहते थे। पर कुछ उग्र हिन्दू वर्ग गाँधीजी की राजनीतिक भूमिका से नाराज थे। और कई बार, उन्होंने सर्व धर्म प्रार्थना सभाओं को बाधा भी पहुँचायी। उनकी हत्या के दो दिन पहले भी उनके प्राण लेने का प्रयास किया गया। 28 जनवरी 1948 को गाँधीजी ने कहा कि यदि मुझे किसी विक्षिप्त (पागल) आदमी की गोली से मरना पड़े तो मैं हँस कर इसे स्वीकार करूँगा। मेरे दिल में कोई क्रोध नहीं है भगवान मेरे हृदय और होठों में रहेंगे।

अंत में स्वतंत्रता के छः महीनों के भीतर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को 30 जनवरी 1948 की शाम, उनके सर्व धर्म प्रार्थना स्थल की ओर जाते समय तीन गोलियाँ मारी गया ने मरने के पूर्व गाँधीजी ने “हे राम” कहा। नत्थुराम गोडसे जिसने गाँधीजी को मारा था घटना स्थल से भाग गया और बम्बई में बंदी बनाया गया। वह हिन्दू महासभा का उग्र सदस्य था। उसके इस कार्य से हिन्दू महासभा को विरोध का सामना करना पड़ा और 14 फरवरी 1948 को हिन्दू महासभा ने अपने राजनीतिक कार्य छोड़ दिये और केवल संगठन के कार्य में लग गए। भ्रमित गोडसे ने इस तरह अपने संघीय कार्य व दिशा को बाधा पहुँचायी।



चित्र 14.9 महात्मा गाँधीजी

राज्यों का विलय

जब ब्रिटेन सरकार ने स्वतंत्रता घोषित की उस समय लगभग 550 राजशाही सरकारें थी जिन्होंने संप्रभुता के विभिन्न स्तरों का लाभ उठाया था। लेकिन वे ब्रिटेन की सत्ता के प्रभाव में थी। स्वतंत्रता घोषणा के बाद उन्हें छूट थी, कि वह भारत में मिले या पाकिस्तान में शामिल हो या वे स्वतंत्र रहे। इन राजाओं की आम जनता प्रजा मंडल आंदोलन द्वारा प्रजातंत्र के अधिकारों को समझ चुकी थी और वह राजशाही शासन के विरोध में थी। त्रावनकोर और हैदराबाद के कृषक अपने जमीनदारों के खिलाफ हथियार उठा चुके थे।

कांग्रेस ने राजाशासित राज्यों की आम जनता के आंदोलन का समर्थन किया और उन्हें भारत के नये संविधान में शामिल होने का न्यौता दिया। सरदार पटेल को जुलाई 1947 में

इसका कार्यभार सौंपा गया उन्होंने राजाओं से बातचीत की और उनके भारत में मिलने की आवश्यक संभावनाएँ बताई तथा स्पष्ट संदेश दिया कि यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो सेना द्वारा भारत के संगठन का काम किया जायेगा। 15 अगस्त 1947 तक सभी राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया केवल कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ राज्य इससे सहमत नहीं थे पर अगले दो वर्षों में यह राज्य भी भारत में शामिल हो गये।

राज्यों के शासन को सरकार ने ले लिया, तथा इन राज्यों के राजाओं को उनके खर्चे के लिये राशि घोषित की गयी जिसे प्रीवि पर्स कहा जाता था। हस्तांतरित राज्यों के लिये नयी शासक इकाईयाँ बनायी गयी। भारत के नये राज्यों के निर्माण की इस प्रक्रिया का पहला चरण 1956 तक चला। तथा 1971 में सरकार ने राजपरिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधियाँ और प्रीवि पर्स भी देना बंद कर दिया।

इस प्रकार नव भारत जिसे हम जानते हैं बना। वह 1947 में एक गरीब देश था जिसके पास कम मानवीय प्रगति और कम संगठनात्मक सुविधाएँ थी। दो शताब्दियों के उपनिवेशीकरण ने देश के सारे विकास के रास्ते बंद कर दिये थे और जनता के आत्मविश्वास को भी कमजोर कर दिया था। अब नये आत्मनिर्भर, समानता पूर्ण भारत को बनाना हमारे लिये एक चुनौती भी है और अवसर भी।

मुख्य शब्द

शासित दर्जा (रूप) फूट डालो और राज करो पृथक चुनावी क्षेत्र

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें।

1. एक ऐसी तालिका बनाइए जो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में अलग वर्गों और व्यक्तिगत भारतीय विचारों को दर्शाती है तथा कौनसे उतार चढ़ाव को इन वर्गों ने झेला है?
2. जिस नृशंस तरह से यहूदी और अन्य वर्ग जर्मनी में प्रताड़ित हुए उसे जानते हुये क्या हम नैतिक रूप से जर्मनी और जापान का साथ दे सकते थे?
3. भारत के विभाजन के कारणों की सूची बनाइए।
4. किस तरह से विभाजन के पूर्व विभिन्न सम्प्रदायों में शक्ति का संतुलन था?
5. किस तरह से ब्रिटिश उपनिवेशों ने “फूट डालो और राज करो” नीति का भारत में अनुसरण किया और यह किस तरह से नायजीरिया की स्थितियों से भिन्न व समान था?
6. विभाजन के पूर्व किन विभिन्न रूपों से राजनीति में धर्म का प्रयोग किया गया?
7. किस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम वर्षों में किसान और मजदूर किस प्रकार गतिशील हुए?
8. विभाजन ने आम लोगों पर क्या प्रभाव डाला? तथा विभाजन के समय लोगों द्वारा स्थान बदलाव का राजनीतिक दायित्व क्या बना?
9. विभिन्न राज प्रांतों का भारत में विलय एक चुनौती पूर्ण कार्य था। चर्चा कीजिए।
10. भारत के राजनीति मानचित्र में निम्नांकित स्थानों को पहचानिए।
1) कश्मीर 2) हैदराबाद 3) जूनागढ़ 4) बंगाल 5) त्रावनकोर
11. सुभाष चंद्रबोस के व्यक्तित्व में आप को कौनसे गुण अच्छे लगे? क्यों?

अध्याय 15

स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना (The Making of Independent India's Constitution)

भारतीय संविधान का पुनर्गमन (Revisiting Indian Constitution)

आरंभ करने से पहले 8 वीं कक्षा की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का 13 वाँ अध्याय पढ़िए और भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित कार्य को पूरा कीजिए।

- 1) भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सहायक अंश हैं:- _____; _____; _____; _____
- 2) प्रस्तावना में बताये गये भारतीय संविधान के मूलभूत आदर्श क्या हैं?

ब्रिटिश शासन के अंतिम कुछ वर्ष घटनाओं और राजनैतिक आकांक्षाओं का समय था। जिसने संविधान को आकार दिया। 1936 के पश्चात गांधीजी ने अधिक दिलचस्पी नहीं ली, वे अधिकतर आश्रम में समय बिताते थे। किंतु वे कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करते थे। चुनावी राजनीति 1936-37 में आरंभ हुई तथा 1946 के चुनावों के साथ समाप्त हुई जिसमें संवैधानिक सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। इन सदस्यों ने ही संविधान लिखा। कांग्रेस प्रधान राजनैतिक वर्ग बनी रही जो व्यापक रूप से सभी सामाजिक वर्गों के एकीकृत भारतीय राष्ट्रवाद के लिए खड़ी थी। और इसमें चुनावी राजनीति में भी काफी प्रगति की और दो चुनावों में अत्यधिक सीटों से जीत हासिल की।

यह काल इसलिए भी महत्वपूर्ण था - क्योंकि हिंदू और मुसलमान धार्मिक राष्ट्रवाद जिसका जन्म कुछ पहले हुआ था किंतु चुनावों में राजनैतिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ था। हिंदू महासभा व मुस्लिम लीग दोनों ने चुनाव में भाग लिया और धार्मिक विचारों का राजनीति व विचारधारा के रूप में प्रचार किया। ब्रिटिशों के विरुद्ध किसान राष्ट्रवादी तथा समाजवादियों के अंतर्गत प्रिंस मुख्य प्रतिद्वंदी बने। चौथा वर्ग तमिल ब्राह्मण में रामस्वामी नायकर के आत्म सम्मान आंदोलन से निर्गत वर्ग तथा महाराष्ट्र में भास्कर राव जाधव के गैर ब्राह्मण पार्टी का वर्ग था। तत्पश्चात डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अधीन अखिल भारतीय दलित वर्ग आंदोलन विकसित हुआ।

इसकी पृष्ठभूमि में हिंदू नेता बी.एस.मुंजे ने निर्वासित वर्ग के नेताओं के साथ मित्रगत संस्था बनायी। फरवरी 1932 में हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल की सहायता से [M.C.] राजेश-[B.S.] मुंजे पैक्ट पर हस्ताक्षर किये गये। अंततः ब्रिटिश पदाधिकारियों (जिसमें

तत्कालिन वाइसराय भी शामिल थे) के दबाव में अंबेडकर ने 1932 में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार दलित वर्ग (DC) के मुद्दे राष्ट्रीय कार्यसूची व राष्ट्रीय चिंता का भाग बन गये। दलित वर्ग राष्ट्रवादी राजनीति का हिस्सा बन गया। DC नेताओं की कार्यसूची, राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यसूची में विशिष्ट बन गयी। देश के विभिन्न भागों बंगाल व पंजाब में इस प्रकार के कई संगठन अस्तित्व में आये। मंदिरों में प्रवेश आंदोलन आरंभ किया गया तथा तत्पश्चात अछूतों के आवासीय क्वार्टरों के दौरे को राष्ट्रीय आंदोलन के भाग के रूप में अंगीकृत किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन केवल ब्रिटिशों से स्वतंत्रता ही नहीं था बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में समाज की निम्न व्यवस्था को एकीकृत करना भी था। इस भावना के साथ अंबेडकर ने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति नामक नयी पार्टी का आरंभ किया। गांधीजी के अत्यंत अंतरंग एम.सी.राजाह कांग्रेस सरकार से निराश होकर इस फेडरेशन में शामिल हो गये। सुभाषचंद्र बोस के भाई शरत चंद्र बोस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इससे यह पता चलता है कि जाति के प्रश्न को महत्व मिला इस प्रकार दलित वर्ग/अनुसूचित जाति के मुद्दे के साथ अंबेडकर राष्ट्रीय नेता बन गये। अंबेडकर को राष्ट्रीय महानता का नेता माना जाने लगा। अंबेडकर अनुसूचित जाति एकमात्र प्रतिनिधि बन गये तथा यह मुसलमानों के प्रश्न का एक मुद्दा बन गया। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की पहचान SC व भारत में जाति प्रश्न के वैध प्रतिनिधि के रूप में की। दिसंबर 1942 में अलाहाबाद में विशेष अनुसूचित जनजाति राजनैतिक कांग्रेस में अंबेडकर ने घोषणा की कि भारत केवल एक देश नहीं है बल्कि देशों का नक्षत्र मंडल है तथा ब्रिटिश व कांग्रेस को चेतावनी दी कि अनुसूचित जाति की अपनी विशेष पहचान है। इस प्रकार अंबेडकर ने अपनी उद्दिष्ट राजनीति का त्याग किये बिना देशके प्रभावशाली राष्ट्रवादी नेताओं से संपर्क किया।

इस वादविवाद में 1943 में भारत के राज्य के सचिव ने यह अभिप्राय रखा कि अंबेडकर राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं और कहा कि अंबेडकर “दलित वर्ग के सहीं और एक मात्र उचित प्रतिनिधि हैं। नवंबर 1944 में तेज बहादुर सप्रु के प्रतिनिधित्व में भारत के संविधान के भविष्य के आधार की चर्चा के लिए निर्दलीय सम्मेलन हुआ। इसमें अन्य पार्टियों के अनुसार सब-कमीटी पर अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए अंबेडकर को आमंत्रित किया गया।

आगे मई 1945 में अंबेडकर यह कहते हुए कि - “संविधान की रचना भारतीयों की स्वैच्छिक सहमति के साथ भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए। एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी के रूप में सामने आये। इसी समय उन्होंने घोषणा की कि “अनुसूचित जाति कांग्रेस के उच्च वर्गीय हिंदु शासन के लिए नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए खड़ी है।” उसी समय उन्होंने लोगों का वर्गीकरण ‘नौकर वर्ग’ व ‘शासक वर्ग’ में किया। अर्थात् उन्होंने लोगों का विभाजन सामाजिक न्याय बल और अन्य भारतीयों के रूप में किया। उन्होंने अपने संघर्ष का आरंभ मुख्य राष्ट्रवादी राजनीति की आरंभिक प्रणाली के साथ किया तथा विभिन्न सामाजिक अभिज्ञान वर्ग के शक्तिशाली समर्थन के साथ एक अकेले नेता के

रूप में उभरे। स्वतंत्रता एक तत्कालीन मुद्दा बन गया तथा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के मनःस्थिति में था। अंबेडकर भी ब्रिटिशों व राष्ट्रीय नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे।

इस विषय में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जैसे राजनैतिक दलों ने भी उनसे बातचीत की। इस राजनैतिक परिवर्तन का प्रभाव संविधान की रचना पर पड़ा।

इन परिस्थितियों के अंतर्गत ब्रिटिश शासक संवैधानिक सभा के गठन के लिए सहमत हुए। सीमित मतों के साथ अप्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा संवैधानिक सभा (CA) के सदस्यों के चयन के लिए चुनाव किये गये। सभी प्रांतों से कुल 296 सदस्यों के साथ जुलाई 1946 में संवैधानिक सभा का गठन किया गया। इससे पूर्व दिसंबर 1945 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई थी। इस पृष्ठभूमि ने कांग्रेस ने नेहरू के शब्दों में 'राष्ट्र का दर्पण' जैसे व्यवहार के अपने इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था। कांग्रेस के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे दिग्गज संविधान निर्माण रूप के प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। वैधानिक मामलों के विशेषज्ञों के, अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन.गोपाल स्वामी अय्यंगर तथा बी.आर. अंबेडकर के साथ संवैधानिक सभा बनायी गयी। अंबेडकर को कई फायदे थे। वे एक इतिहासकार, अर्थशास्त्री, कानून तथा विशिष्ट देशों के संविधानों के विशेषज्ञ थे। इसके अतिरिक्त वे सामाजिक न्याय सिद्धांतानुयायी तथा उच्च कांग्रेस दिग्गजों के समान महान राजनीतिज्ञ थे। सबसे ऊपर इन्होंने राष्ट्रवाद में सामाजिक न्याय को संलग्न किया। इस प्रकार वे संविधान की रूपरेखा समिति के नेतृत्व के लिए अत्यधिक उपयुक्त व्यक्ति बन गये। इसी कारण संविधान को सामाजिक सुधार और पुनर्जागरण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक था। चुनाव हारने के बावजूद भी डॉ.अंबेडकर की आवश्यकता थी, किंतु उन्होंने (CA) संवैधानिक सभा में बंगाल और तत्पश्चात मुंबई से प्रवेश किया।

इस प्रकार संवैधानिक सभा का निर्माण हुआ तथा इस बात पर सहमति दी गयी कि इसके दो उद्देश्य हैं। प्रथम स्वतंत्रता व आजादी प्राप्त करना। दूसरा सामाजिक क्रांति अर्थात् सभी प्रकार के अत्याचारों से आजादी। एस.राधाकृष्णन ने तीसरे उद्देश्य को प्रतिपादित किया जो था सामाजिक - आर्थिक क्रांति जो प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से वैज्ञानिक व सुनियोजित कृषि व उद्योग में संक्रमण था। ग्रामीण हस्तकला तथा कृषकों की अर्थव्यवस्था पर आधारित आर्थिक योजना, राज्य विधानसभाओं के ग्राम आधारित चुनाव तथा संसद पर चर्चा की गयी। किंतु CA के सदस्य केवल एक आधुनिक उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था तथा ब्रिटिश प्रकार की पार्टी आधारित चुनावों की संसदीय प्रणाली पर ही सहमत हुए। सभी सदस्य इस बात से सहमत हुए कि भारत एक संविधान व झंडे के साथ एक राजनैतिक देश बने।

सदस्यों ने सामाजिक न्याय की कार्यसूची को स्वीकार किया। CA के गठन के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने सामाजिक न्याय के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची निर्धारित कर उद्देश्य व प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि दलित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक रूप से स्वतंत्र कराने का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक न्याय है। इसका मूल कारण उद्देश्य संकल्प में

था। यह 1940 के लोगों के आंदोलन का परिणाम था। यह राष्ट्रवाद का नवीन पैमाना था। संविधान का आधारभूत मर्म धार्मिक सहिष्णुता व सभी धर्मों की समानता था। घटनाएँ, आंदोलन व विचारधाराएँ राष्ट्रवाद का हिस्सा बन गये। इन सब का संविधान में भी प्रवेश हुआ।

उद्देश्य संकल्प :- संविधान के आधारभूत लक्षण को दर्शाने के लिए उद्देश्य संकल्प आधार था। पिछले कुछ वर्षों के राष्ट्रवादी रुखों के आधार पर नेहरू ने विभिन्न अस्तित्व समूहों को मिलाकर भारत को एक राष्ट्र बनाने की आवश्यकता का निर्णय लिया।

भारतीय संविधान का निर्माण :-

भारत का संविधान, संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अपनाया गया है। यह ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन के विरुद्ध भारतीय जनता द्वारा स्वतंत्रता के लिए किये गये लंबे संघर्ष का परिणाम था। जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता देने का निश्चय कर लिया तो भारत की जनता के लिए स्वयं के शासन और दीर्घावधि उद्देश्यों के निर्माण के लिए संविधान की आवश्यकता का अनुभव हुआ।



चित्र 15.1 : हम भारत के लोग
.....यह संविधान स्वयं अर्पित करतो हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1946 ई. में संवैधानिक सभा का निर्माण हुआ। इसके साथ ही प्रांतीय सभाओं के चुनाव भी हुए। संवैधानिक सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गये। प्रत्येक प्रांत और राजा शाही राज (Princely State) को या राज्य के समूहों को सीटें प्रदान करने के लिए 1946 ई. में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति हुई। इसके अनुसार, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले प्रांत या क्षेत्रों ने 292 सदस्यों और सभी प्रिंसले राज्यों ने

मिलकर 93 सदस्यों का चयन किया। इस योजना के अनुसार इस बात की गारंटी दी गयी कि हर प्रांत की सीटों पर तीन मुख्य समुदाय जैसे हिन्दु, मुसलमान, सिक्ख और अन्य वर्ग के सदस्यों का चुनाव वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होगा। परिषद् ने इस बात को भी निश्चित किया कि सभा में 26 सदस्य अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करेंगे। जब प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुये तो प्रिंसले राज्यों के प्रतिनिधि परामर्श के द्वारा चुने गये। चयनित 217 सदस्यों में से केवल 9 महिलाएँ थीं। 69% सीटें प्राप्त करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। मुस्लिम लीग की अधिकांश सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। शुरुआत में, संवैधानिक सभा में, ब्रिटिश भारत के सभी भागों के सदस्य थे। किंतु जब 14 अगस्त 1947 ई. में देश का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो देश बने तो पाकिस्तान के सदस्यों ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा का चुनाव सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के आधार पर न होकर अप्रत्यक्ष रूप से था।

आधार पर न होकर अप्रत्यक्ष रूप से था। इसीलिए यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। केवल 10% लोग ही प्रांतीय चुनावों में मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। वास्तव में प्रिंसले राज्यों के सदस्यों का चुनाव नहीं होता था बल्कि वे तो प्रिंसले राज्यों के परामर्श के द्वारा चयनित होते थे। जनता में व्याप्त गहरे तनाव और स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में उत्पन्न तीव्र राजनैतिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। राजा शाही राज, भारतीय संघ का भाग नहीं बनना चाहते थे और वे स्वतंत्र राजवंशों के समान ही रहना चाहते थे। इसी कारण उनके प्रतिनिधियों को सभा में भाग लेने के लिए कहा गया। शुरू में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया लेकिन बाद में उन्होंने इसमें भाग लेना आरंभ किया।



चित्र 15.2 : चित्र में दिये गये समानता और न्याय के विचार पर चर्चा कीजिए



संविधान सभा के पास सख्त प्रतिनिधित्व न होने पर भी, उसने सभी प्रकार के विचारों को ध्यान में रखा और अपने कार्यों का व्यापक प्रचार किया ताकि लोग पत्राचार, समाचार पत्र या अन्य तरीकों से अपने विचार उस तक पहुँचा सकें।

13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में यह महत्वपूर्ण कथन प्रस्तुत किया था:

“---भारत का भविष्य जो हमने तैयार किया है वह किसी एक समूह, वर्ग, या प्रांत तक सीमित नहीं है बल्कि यह भारत के चार सौ करोड़ लोगों के लिए है-- यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें ध्यान में रखना है कि - हम केवल किसी एक दल या समूह के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें पूरे भारत को एक रूप में देखना है और भारत को बनाने वाले चार सौ करोड़ लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है। ---मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार अपने 'स्वार्थ' और पार्टी के झगड़ों से ऊपर उठें और हमारे सामने खड़ी

- भारत के संविधान का आरंभ इस कथन से होता है, “हम भारत के लोग.....” भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला यह कथन क्या न्यायप्रद है?
- आपके विचार में क्या भारत के सभी लोग पूरे देश के लिए संविधान के निर्माण में भाग ले सकते हैं? क्या सभी लोगों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए था या केवल कुछ बुद्धिमान लोगों पर ही इसे छोड़ देना चाहिए था?
- यदि पूरे विद्यालय के लिए एक संविधान बनाना हो तो उसमें किन-किन का समावेश किया जाना चाहिए और कैसे?

समस्याओं के बारे में विस्तृत, अति सहनशील और प्रभावकारी तरीके से सोचे ताकि हम जो बनायें वह भारत के लिए मूल्यवान हो और सारा विश्व यह पहचान सके कि हमने कार्य किया है - और इस उच्च साहसिक कार्य में हमें ऐसा ही करना है।”

डॉ. बी.आर.अंबेडकर की अध्यक्षता में एक ‘प्रारूप समिति’ (Drafting Committee) का गठन किया गया था। इस समिति का कार्य सभी के दृष्टिकोणों के आधार पर एक अंतिम प्रारूप तैयार करना था। संविधान के विविध महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से चर्चा की गई और सभा ने इन पहलुओं पर विस्तृत निर्देश भी दिये। अंतिम प्रारूप संविधान सभा (Con-

stituent assembly)के सामने चर्चा और अनुमोदन के लिए रखा गया। 26 नवंबर 1949 ई.में संवैधानिक सभा द्वारा, संविधान को अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 में यह लागू भी हो गया। नीचे दिये गये खण्ड में हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझने के लिए संवैधानिक सभा में हुए कुछ महत्वपूर्ण वाद-विवादों (Debate) के बारे में पढ़ेंगे।

संवैधानिक सभा के वाद-विवादों (Debates) का पठन (Reading Constituent Assembly Debates)

बी.आर.अंबेडकर ने 1948 ई.में संविधान का प्रारूप संवैधानिक सभा में प्रस्तुत किया। उनके भाषण के कुछ अंश पढ़िए। ये अंश “भारत की संवैधानिक सभा की कार्यवाही” में रिकार्ड है। (भाषण के कुछ भागों को छोटा कर दिया गया है और उन्हें----से चिह्नित किया गया है।

डॉ.अंबेडकर उस प्रक्रिया से आरंभ करते हैं जिसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। क्योंकि सभा का चयन सार्वभौमिक मताधिकार से नहीं हुआ था इसीलिए साधारण जनता और सदस्यों की अधिकतम सहभागिता को निश्चित करने के लिए अमल में लाये गये कुछ चरणों को देखिए।

गुरुवार, 4 नवंबर 1948 संविधान का प्रारूप

माननीय डॉ.बी.आर.अंबेडकर.....: श्रीमान राष्ट्रपति जी, प्रारूप समिति द्वारा बनाये गये प्रारूप संविधान को मैं प्रस्तुत करता हूँ और चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाय।

संवैधानिक सभा ने अपने द्वारा नियुक्त की गयी विभिन्न समितियों जैसे:- संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संवैधानिक समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों जनजाति क्षेत्रों के लिए परामर्शदायी समिति आदि से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, निर्णय लिया

और प्रारूप समिति को संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा था। संवैधानिक सभा ने ये भी निर्देश दिये थे कि भारत के सरकारी अधिनियम 1935 में दिये गये निश्चित मुद्दों के प्रावधानों का अनुकरण किया जाय.....मैं आशा करता हूँ कि प्रारूप समिति ने उसको दिये गये निर्देशों का वफादारी से पालन किया है।

प्रारूप संविधान....एक शक्तिशाली दस्तावेज है। इसमें 395 धाराएँ और 8 सूचियाँ हैं। किसी भी देश का संविधान प्रारूप संविधान के समान स्थूल नहीं था।

प्रारूप संविधान को आठ महीनों तक जनता के समक्ष रखा गया था। इस दीर्घावधि के दौरान मित्रों, आलोचकों और परामर्शदाताओं को इसमें निहित प्रावधानों पर अपनी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति का पर्याप्त समय मिला।

अब हम यह देखेंगे कि किस प्रकार हमारे संविधान ने राजनैतिक संगठनों से संबंधित अन्य देशों के अनुभवों को अपनाया है। अध्यक्ष, डॉ.अंबेडकर ने अन्य देशों के संविधानों से अपनायी गयी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है।

इसे पढ़ते समय, प्रारूप में दिये गये संसदीय सरकार की संस्थागत संरचना को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। स्मरण रखें कि यह प्रस्तुतीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के एक वर्ष बाद तैयार किया गया था।

संसदीय शासन प्रणाली: (Parliamentary System)

“यदि संवैधानिक कानून को पढ़ने वाले छात्र के हाथ में संविधान की प्रति रखी जायेगी तो वह दो प्रश्न अवश्य पूछेगा। पहला प्रश्न होगा - संविधान में सरकार के किस रूप को रखा गया है। दूसरा प्रश्न होगा - संविधान का रूप क्या है?.....मैं पहले प्रश्न से आरंभ करता हूँ।

प्रारूप समिति में भारतीय संघ के शिखर पर एक कार्यवाहक को रखा गया है जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा गया है। इस कार्यवाहक की उपाधि हमें संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की याद दिलाती है। इस नाम के अतिरिक्त अमेरिका में प्रचलित सरकार के रूप और प्रारूप संविधान द्वारा प्रस्तावित सरकार के रूप के बीच कोई भी बात समान नहीं थी। अमेरिका में अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली (Presidential System) थी। प्रारूप संविधान ने संसदीय

- स्वतंत्रता के पश्चात लगभग ____ दिनों के बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई।
- सभा ने सबसे पहले विशिष्ट मुद्दों के लिए____ , ____ , और ____ विशेष समितियों की नियुक्ति की।
- इन समितियों की रिपोर्टों पर चर्चा ____ द्वारा की गयी और फिर उसी के द्वारा निर्णय लिया गया ।
- डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता में ____ समिति द्वारा इन निर्णयों को निगमित करना था।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये ____ के प्रावधानों के आधार पर भी प्रारूप तैयार किया गया था।
- इसे जनता के समक्ष ____ महीनों के लिए रखा गया था ताकि वे इसकी आलोचना कर सकें और इस पर अपने सुझाव दे सकें।
- प्रारूप संविधान में ____ धाराएँ और ____ सूचियाँ थीं।



चित्र 15.4: डॉ. बी.आर.अंबेडकर

शासन प्रणाली (Parliamentary System) को प्रस्तावित किया था। मौलिक रूप से दोनों में बहुत अंतर हैं।

अमेरिका में अध्यक्षत्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान अध्यक्ष होता है। सारी प्रशासनात्मक शक्तियाँ उसे दी जाती हैं। प्रारूप संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति अंग्रेजी संविधान में दी गयी राजा

की स्थिति के समान थी। वह कार्यपालिका का नहीं बल्कि राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं कर सकता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान एक औपचारिक उपकरण या मुहर के समान है जिसके द्वारा देश के निर्णय लिये जा सकते हैं। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधीन विभिन्न विभागों के कार्यों का संचालन करने वाले प्रभारी सचिव होते हैं। इसी प्रकार भारतीय संघ के राष्ट्रपति के अधीन भी प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्य संचालन करने वाले प्रभारी मंत्री होते हैं। फिर से यहाँ पर दोनों के बीच मौलिक अंतर है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सचिवों द्वारा दिये परामर्शों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति साधारणतः अपने मंत्रियों द्वारा दिये गये परामर्शों को सुनने के लिए बाध्य होता है। वह न तो अपने मंत्रियों के परामर्श के बिना कुछ काम कर सकता है और न ही उनके परामर्शों का विरोध कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति अपने सचिवों को कभी भी पदच्युत कर सकता है। जब तक उसके मंत्रियों का संसद में बहुमत होता है तब तक भारतीय संघ के राष्ट्रपति को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.....”

संघवाद (Federalism)

“ संविधान के दो प्रधान रूप हैं - एक को एकात्मक और दूसरे को संघात्मक कहते हैं। एकात्मक संविधान के दो अनिवार्य लक्षण हैं:-1) केन्द्रीय-शासन व्यवस्था (Central polity) की सर्वोच्चता (पौलिटी (polity) का अर्थ है - शासन व्यवस्था या राजनैतिक संगठन) और 2) सहायक प्रभुत्व संपन्न शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति। इसके विपरीत संघात्मक संविधान के लक्षण हैं: 1) केन्द्रीय शासन व्यवस्था और सहायक शासन व्यवस्थाओं का एक साथ अभ्युदय, और 2) हर एक व्यक्ति का उसे सौंपे गये क्षेत्र का सर्व-सत्ताधारी होना है। दूसरे शब्दों में संघात्मक का अर्थ है - दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना। (शासन की दोहरी व्यवस्था - केन्द्र और राज्य)।

प्रारूप संविधान एक संघात्मक संविधान है, जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था (dual polity) का समावेश है। प्रस्तावित संविधान के अंतर्गत दोहरी शासन व्यवस्था - केन्द्र में संघ और राज्यों

- भारतीय राष्ट्रपति को दी गयी शक्तियाँ-----के -----से अधिक के---के समान है।
- संवैधानिक सभा ने कल्पित किया था कि भारत के राष्ट्रपति को---के परामर्श का अनुकरण करना चाहिए।
- ब्रिटिश राजा और भारत के राष्ट्रपति की स्थितियों के बीच क्या अंतर थे? अपने विचार बताइए।

का मेल है। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों को जो पृथक-पृथक सर्वोच्च शक्तियाँ दी गयी हैं, उन्हें उनका प्रयोग अपने-अपने क्षेत्रों में एक परिधि के अंतर्गत रहकर करना है।

यह दोहरी शासन व्यवस्था अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती है। अमेरिका में भी दोहरी शासन व्यवस्था है। इनमें से एक संघात्मक सरकार कहलाती है तथा अन्य राज्य हैं जो क्रमशः प्रारूप संविधान के संघ सरकार और राज्य सरकार के अनुरूप हैं। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत संघात्मक सरकार केवल राज्यों का संघ या राज्यों की प्रशासनात्मक इकाइयाँ या संघात्मक सरकार की एजेंसियाँ नहीं हैं। इसी प्रकार प्रारूप संविधान में दिया गया भारतीय संविधान भी राज्यों का संघ, राज्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ या संघीय सरकार की एजेंसियाँ नहीं हैं। यहाँ तक भारतीय और अमेरिकी संविधान के बीच की समानताएँ समाप्त हो जाती हैं। वह विषमताएँ जो दोनों को अलग करती है वे समानताओं से अधिक मौलिक और प्रकाशमय हैं....

प्रस्तावित भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता (single citizenship) के साथ दोहरी शासन व्यवस्था है। पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता है, वह है भारतीय नागरिकता। राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता है, नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त है।...

“प्रस्तावित भारतीय संघ की एक अन्य विशेषता जो उसे दूसरे संघों से अलग करती है। दोहरी शासन व्यवस्था के होने से संघ विभाजित प्राधिकारिता पर आधारित है जिसमें दोनों में से हर एक शासन व्यवस्था की अपनी कार्यपालिका, विधिपालिका और न्यायपालिका है जो

क्रानून में प्रशासन में और न्यायिक सुरक्षा में विविधता को बनाये रखने के लिए बाध्य है”। एक निश्चित बिंदु तक यह विविधता कुछ मायने नहीं रखती है। इसका उपयोग सरकार द्वारा स्थानीय परिस्थितियों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए।

किंतु वही विविधता जब निश्चित बिंदु के ऊपर पहुँचती है तो अव्यवस्था पैदा करती है और इस विविधता ने कई संघ राज्यों में अव्यवस्था उत्पन्न की है। यदि हमारे संघ में बीस राज्य हैं तो विवाह, तलाक, संपत्ति का बँटवारा, पारिवारिक संबंधों, समझौतों, न्यायिक क्षतिपूर्ति अपराध, भार और मापन बिल और चेक, बैंकिंग और

- संघात्मक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक से अधिक सरकारें होती हैं और भारत में यह _____ और _____ स्तरों पर है। आप _____ राज्य से संबंध रखते हैं जबकि आपका संबंध _____ देश से है।
- किस प्रकार का संविधान केन्द्रीय स्तर पर सरकार को अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है?
- किस प्रकार का संविधान केन्द्र और राज्य सरकारों को निश्चित शक्तियाँ प्रदान करता है।
- किस प्रकार भारतीय राज्य “प्रशासनिक या केंद्र सरकार की एजेंसियाँ या इकाइयाँ नहीं हैं?”
- भारतीय संविधान के निर्माताओं ने दोहरी नागरिकता (भारत की और राज्य की) के उपाय को क्यों ठुकरा दिया होगा?

वाणिज्य, न्याय प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों और प्रशासन के मानदंडों और तरीकों से संबंधित बीस कानूनों की कल्पना करनी होगी। ऐसे कार्य राज्य को ही कमजोर नहीं बनाते बल्कि ऐसे नागरिकों के लिए भी असहनीय हो जाते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य केवल यह जानने के लिए घूमते हैं कि एक राज्य में जो कानून के अनुसार सही है वह दूसरे राज्य में सही है या नहीं। प्रारूप संविधान ऐसे साधनों और तरीकों को बनाता था जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार के साथ-साथ देश की एकता को बनाये रखने के लिए आवश्यक मूलभूत मुद्दों में एकरूपता का भी होना आवश्यक था। प्रारूप संविधान ने तीन साधनों को अपनाया था -

- 1) इकहरी न्यायपालिका
- 2) एकरूपता - मौलिक कानून में, दीवानी और फौजदारी, तथा
- 3) महत्वपूर्ण पदों पर सभी के लिए समान अखिल भारतीय लोक सेवा

जैसे मैंने बताया है दोहरी न्यायपालिका, दोहरी वैध-संहिता, और दोहरी लोक सेवाएँ, संघ में निहित दोहरी शासन व्यवस्था के तार्किक परिणाम हैं। सं.रा.अ.में संघ न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका दोनों पृथक और एक दूसरे से स्वतंत्र है। भारतीय संघ में दोहरी शासन व्यवस्था होने पर भी दोहरी न्यायपालिका नहीं है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों मिलकर एकीकृत न्यायपालिका की रचना करते हैं तथा सभी प्रकार के संवैधानिक कानून, नागरिक कानून और फौजदारी कानूनों के अंतर्गत आने वाले केशों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उनका उपचार करते हैं। सभी उपचारात्मक प्रक्रियाओं से सभी प्रकार की विषमताओं को हटाने के लिए यह किया जाता है। कनाडा अकेला देश है जो इस व्यवस्था के निकट या समानांतर है। आस्ट्रेलिया की व्यवस्था अनुमानित व्यवस्था है।

(व्याख्या : कुछ संघात्मक देशों में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य से संबंधित कानून के मामलों में राज्य के फैसलों के विरुद्ध नहीं जा सकता है। किंतु भारत में सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी न्यायालय के विरुद्ध की गयी अपीलों को सुन सकता है और अपना फैसला सुना सकता है।)

सामाजिक और लोक जीवन के मूल में व्याप्त विभिन्नताओं को कानून द्वारा निकाल देने की कोशिश की गयी है। दीवानी और फौजदारी कानूनों की महान-संहिताओं जैसे :- नागरिक प्रक्रिया संहिता (code) दण्ड संहिता (penal code) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति



चित्र 15.5 : 1950 के गणतंत्र दिवस का हवाई चित्र

स्थानांतरण अधि-नियम, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित क़ानूनों को या तो समवर्ती सूची (concurrent list) या केंद्रीय सूची (central list) में रखा गया है ताकि संघ व्यवस्था को किसी प्रकार की हानि पहुँचाये बिना अनिवार्य एकरूपता को सुरक्षित रखा जा सके।

(व्याख्या : वे अध्याय जिन पर क़ानून बनाये जा सकते हैं, उन्हें केंद्रीय सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। केंद्रीय सूची पर केवल केंद्र सरकार और राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार ही क़ानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही क़ानून बना सकती हैं। राज्य द्वारा निर्मित क़ानून में यदि कभी विरोधाभास होता है तब केंद्रीय क़ानून विधेयक को ही वैध माना जाता है।)

संघात्मक व्यवस्था द्वारा अपनायी गयी दोहरी शासन व्यवस्था, जैसे मैंने कहा है यह सभी संघों ने दोहरी सेवाओं द्वारा अपनाया है। सभी संघों में संघ लोक सेवा (Federal civil service) और राज्य लोक सेवा (state civil service) है। भारतीय संघ में दोहरी शासन-व्यवस्था होने से दोहरी सेवाएँ हैं।

किंतु उसमें एक अपवाद है। हर देश में प्रशासन के स्तर की देखरेख के लिए, सामाजिक महत्व वाले कुछ निश्चित पद, प्रशासनिक व्यवस्था में होते हैं। प्रशासन की इतनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया में ऐसे पदों की पहचान करना कठिन होता है। उसमें कोई शंका नहीं है कि प्रशासन का स्तर उन लोक सेवकों की क्षमताओं पर निर्भर करता है जो इन सामरिक महत्व वाले पदों पर नियुक्त होते हैं। सौभाग्यवश हमने यह प्रणाली अतीत की प्रशासन व्यवस्था से अपनायी है, जो पूरे देश के लिए एक है और हम जानते हैं कि ये सामरिक महत्व वाले पद क्या है। संविधान यह सुविधा देता है कि राज्यों को उनकी अपनी लोक सेवाओं के निर्माण के अधिकार से बेदखल किये बिना, अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य योग्यताओं, समान वेतन के आधार पर एक अखिल भारतीय सेवा परीक्षा हो, जिसमें इन्हीं में से एक सदस्य को इन सामरिक महत्व वाले पद पर पूरे संघ के लिये नियुक्त किया जाए। (अंबेडकर यहाँ पर लोक सेवा आयोग... (IAS, IPS) के बारे में बता रहे हैं। इन लोक सेवाओं के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अति महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।)

- क्या आप भारत के संघवाद और अमेरिका के संघवाद के बीच अंतर बता सकते हैं?
- क्या भारतीय संविधान राज्यों को उनके अपने लोक सेवकों (अधिकारियों) की नियुक्ति की अनुमति देता है?
- क्या राज्य के सभी अधिकारी राज्य की लोक सेवाओं से नियुक्त होते हैं?
- अमेरिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की पृथक-पृथक न्यायपालिकाएँ हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के लिए क्या एक ही न्यायपालिका है?

संवैधानिक सभा के वाद-विवादों में आलोचनाओं के उदाहरण

प्रारूप संविधान की बहुत आलोचनाएँ हुई। जैसे:- मौलाना हसरत नोहानी ने कहा कि यह केवल 1935 अधिनियम की प्रति है। यह याद दिलाया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तब राजनैतिक दलों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 1935 के अधिनियम का विरोध किया था और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की माँग की थी। समाजवादी दामोदर स्वरूप सेठ ने कहा कि प्रारूप सोवियत संघ जैसे प्रचलित संविधानों को नहीं अपनाता है और भारतीय संदर्भ में यह गाँवों की केंद्रीयता की उपेक्षा करता है। दामोदर स्वरूप ने यह भी कहा कि संवैधानिक सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुने गये हैं। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं - दामोदर स्वरूप सेठ : “महोदय - हमारा भारतीय गणराज्य एक संघ होना चाहिए-छोटे स्वायत्त गणराज्यों का संघ - इस तरीके से जो संघ बनेगा, जिसकी नींव डॉ.अंबेडकर ने डाली है, उसमें केन्द्रीकरण पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। केन्द्रीकरण एक अच्छी बात है और समय के अनुसार उपयोगी भी है, किंतु हमें महात्मा गाँधी की इस बात को याद रखना है कि शक्तियों का अत्यधिक केन्द्रीकरण, शक्तियों को सर्वाधिकारवादी (Totalitarian) बनाता है और उसे फासीवाद के आदर्शों की ओर अग्रसर करता है। इसे सर्वाधिकारवाद और फासीवाद से बचाने का एक तरीका यह है कि बहुत हद तक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय। हमें हृदयों को मिलाकर केन्द्रीकरण को लाना होगा क्योंकि इसका मिलान विश्व में कहीं भी नहीं हो सकता है। क़ानून के द्वारा शक्तियों के केन्द्रीकरण का स्वाभाविक परिणाम होगा-धीरे-धीरे फ़ाज़ीवाद की ओर बढ़ना....वह फ़ाज़ीवाद जिसका हमारे देश ने विरोध किया था और अब भी हम उसका प्रबल विरोध करने का दावा करते हैं।

- प्रारूप समिति और दामोदर स्वरूप सेठ के विचारों में क्या समानताएँ और विषमताएँ थीं?
- संविधान के 42 वें संशोधन के बाद गाँवों को किस प्रकार की स्वायत्तता उपलब्ध करवायी गयी है?

मौलिक अधिकारों पर वाद-विवाद के उदाहरण

समानता के अधिकार के संदर्भ में यह तय किया गया था कि “अस्पृश्यता” (untouchability) पर वैधानिक रूप से रोक लगा दी जाए। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के लिए चलिए हम मौलिक अधिकारों पर हुई चर्चाओं के कुछ अंश पढ़ेंगे।

मंगलवार, 29 अप्रैल, 1947

राष्ट्रपति महोदय (माननीय डॉ.राजेन्द्र प्रसाद)

श्रीमान प्रोमाता रंजन ठाकुर : श्रीमान.....मैं जिस बिंदु के बारे में बताना चाहता हूँ, वह अभिलेख 6 में ‘अस्पृश्यता’ से संबंधित है, जिसके बारे में कहा गया है कि - “अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और यदि इसके आधार पर किसी प्रकार की अक्षमता को दर्शाया जाता है तो उसे अपराध माना जायेगा।”

मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि - जाति प्रथा की समाप्ति के बिना 'अस्पृश्यता' को कैसे समाप्त किया जा सकता है। अस्पृश्यता, यह कुछ नहीं है बल्कि जाति प्रथा जैसी बीमारी का एक लक्षण है....जब तक हम सब मिलकर जाति प्रथा का कुछ नहीं कर सकते तब तक बाह्यवर्तीय अस्पृश्यता से जूझने का कोई उपयोग नहीं है।

एस.सी.बेनर्जी : श्रीमान राष्ट्रपति, वास्तव में 'अस्पृश्यता' शब्द में स्पष्टता की आवश्यकता है। पिछले 25 वर्षों से हम इस शब्द से परिचित हैं, फिर भी अब तक हमें असमंजस है कि आखिर इसका आशय क्या है। कभी इसके अर्थ का उपयोग पानी का गिलास लेने के लिए, कभी मंदिरों में 'हरिजनों' के प्रवेश के लिए, कभी अंतर्जातीय रात्रि भोज के लिए तो कभी अंतर्जातीय विवाह के लिए किया जाता है। महात्मा गाँधी जो 'अस्पृश्यता' के मुख्य अर्थ प्रकाशकों में से थे, उन्होंने इसका उपयोग विभिन्न उपलक्ष्यों में, विभिन्न तरीकों से तथा विभिन्न अर्थों में किया है। जब हम 'अस्पृश्यता' शब्द का उपयोग करेंगे तो हमें इसके बारे में हमारे मस्तिष्क में स्पष्टता होनी चाहिए कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है? इस शब्द का वास्तविक भाव क्या है?

मैं सोचता हूँ कि हमें अस्पृश्यता और जातीय भेद के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे श्रीमान, ठाकुर ने बताया है कि अस्पृश्यता केवल एक लक्षण है, मूल कारण तो जातीय भेद है और जब तक मूल कारण को समाप्त नहीं किया जाता है तब तक अस्पृश्यता का किसी न किसी रूप में उदय होता रहेगा और जब हम स्वतंत्र भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यह आशा करते हैं कि सभी को समान सामाजिक अधिकार प्राप्त हों।

श्रीमान रोहिणी कुमार चौधरी :अस्पृश्यता को परिभाषित करने के लिए यह स्पष्ट किया जा सकता है कि : "अस्पृश्यता का अर्थ है - धर्म, जाति या जीविका के लिए नियमित व्यवस्थाओं के आधार पर किये गये अंतरों संबंधी कोई कार्य।

श्रीमान के.एम.मुंशी : महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। यदि दी गयी परिभाषा को अपनाया जाता है तो वह है कि - जन्मस्थान, जाति यहाँ तक कि लिंग के आधार पर किये जाने वाले अंतर ही अस्पृश्यता है।

श्री धीरेंद्र नाथ दत्ता : महोदय, श्री रोहिणी कुमार चौधरी द्वारा सुझावित परिभाषा को अपनाया जायेगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम किंतु मुझे लगता है कि परिभाषा का होना तो अनिवार्य है। यहाँ बताया गया है कि किसी भी रूप में 'अस्पृश्यता' अपराध है। अपराधों पर कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेटों और जजों को इस परिभाषा को देखना चाहिए जहाँ एक मजिस्ट्रेट किसी एक विशेष कार्य को 'अस्पृश्यता' मान सकता है, वहीं दूसरा मजिस्ट्रेट किसी अन्य कार्य को अस्पृश्यता मान सकता है। ऐसा होने पर अपराधों की कार्यवाही में एकरूपता का अभाव हो जायेगा। केशों पर फैसला करना जज के लिए कठिन हो जायेगा।

- उपर्युक्त वाद-विवाद में उठाये जाने वाले भिन्न-भिन्न विचार क्या थे?
- यदि आपको वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा तो आप क्या समाधान सुझायेंगे?
- आपके विचार में क्या अपरिभाषित शब्द को संविधान से हटा दिये जाने का सुझाव सही है। अपने तर्क का कारण बताइए।
- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संविधान को अस्पृश्यता को नहीं बल्कि जाति प्रथा के पहलुओं को समाप्त करना चाहिए। आपके विचार में यह किस प्रकार संभव है?

यहाँ तक कि, विभिन्न क्षेत्रों में 'अस्पृश्यता' का अर्थ अलग-अलग है। बंगाल में अस्पृश्यता का अर्थ एक होता है, जबकि अन्य प्रांतों, इसका अर्थ पूरी तरह भिन्न होता है।

राष्ट्रपति महोदय,.....में समझता हूँ कि संघीय विधानमंडल 'अस्पृश्यता' शब्द को परिभाषित करेगा, जिसके आधार पर न्यायालय उचित दण्ड निर्धारित कर सकेंगे।

(आखिर में यह तय किया गया कि 'अस्पृश्यता' की परिभाषा को संविधान से बाहर रखा जाय और भविष्य में उचित क़ानून बनाने के लिए इसे विधिपालिका पर छोड़ दिया जाय।)

संविधान और 'सामाजिक अभियांत्रिकी' (इंजीनियरी) (Constitution and 'Social Engineering')

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस वास्तविकता को अनुभव किया था कि भारतीय समाज असमानता, अन्याय और अभाव के कष्ट से जकड़ा हुआ है तथा इसकी अर्थव्यवस्था का शोषण करने वाले उपनिवेशी नीतियों से ग्रस्त है। इसीलिए संविधान को चाहिए कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ विकास की सुविधा भी दे। जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि संवैधानिक सभा इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है- "देश आगे बढ़ने के लिए अतीत के राजनैतिक और संभावित सामाजिक संरचना के कवच को उतारकर फेंक रहा है तथा अपने लिये स्वयं एक नयी आधुनिक पोशाक का निर्माण कर रहा है।"

संविधान में सामाजिक परिवर्तनों के लिए कई सुविधाएँ थीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, संविधान में आरक्षण की सुविधा देना इसका सही उदारहण है। संविधान निर्माता इस बात पर विश्वास रखते थे कि इन समूहों ने युगों तक जो अन्याय भोगा है, उससे उबरने के लिए केवल समानता का अधिकार देना पर्याप्त नहीं हैं। हमें उनके मत देने के अधिकार को सही अर्थ देना चाहिए। उनकी रुचियों को बढ़ाने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की आवश्यकता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रुचियों की सुरक्षा के लिए कई विशेष उपायों को उपलब्ध कराया है।

जैसे :- विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण। संविधान ने सरकार को यह सुविधा प्रदान की है कि वह जन क्षेत्र की नौकरियों को इन समूहों के लिए आरक्षित करें।

संविधान में 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत' भी हैं जो सरकार के सामने मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी (इंजीनियरी) का एक महत्वपूर्ण पहलू है - अल्पसंख्यकों के अधिकारों की समस्या। नाज़ी जर्मनी में यहूदी (Jewish)


अल्पसंख्यकों के दमन का दुखदायी अनुभव संविधान निर्माताओं के दिमाग पर हावी था। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा देने का निश्चय किया ताकि वे बहुसंख्यकों के सामने स्वयं को निम्नतर अनुभव न कर सकें। धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्वयं के अपने शैक्षिक संस्थानों को चलाने का अधिकार इसका उदाहरण है। ऐसी संस्थाओं को सरकारी निधियों से भी धन प्राप्त होता है।

आज का संविधान (The Constitution today)

संविधान निर्माताओं को यह पता था कि समय-समय पर कानूनों में संशोधन होता है। इसीलिए इन लोगों ने संविधान में नियमों और धाराओं में संशोधन की सुविधा भी रखी है। अधिकतर, कानून विधानमंडलों के आधे से अधिक सदस्यों के अनुमोदन से बनाये जाते हैं।

संविधान की धाराओं में संशोधन करने की पहल केवल संसद ही कर सकती है। इसके लिए उसे संसद के दोनों सदनों लोक सभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। कुछ धाराएँ राज्य विधानमंडल के अनुमोदन (पुष्टिकरण) से ही संशोधित हो सकती हैं। अन्य कानूनों के समान नये संशोधन विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की स्वीकृति भी अनिवार्य है।

1970 के दौरान संविधान में बड़े परिवर्तन किये गये। पहला बड़ा परिवर्तन था संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' जैसे दो शब्दों को जोड़ना। प्रस्तावना के कई शब्द जैसे - 'समानता', 'स्वतंत्रता', 'न्याय' आदि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों पर बल देते हैं इसीलिए इन शब्दों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में किया जाने वाला दूसरा बड़ा परिवर्तन है - सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो केशवनंदा भारती केस के नाम से प्रसिद्ध है। संविधान की आधारभूत विशेषताओं में परिवर्तन करने या समाप्त करने का अधिकार संसद को भी नहीं था। प्रस्तावना में दी गयी अवधारणाएँ संविधान के आधारभूत उद्देश्यों को दर्शाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य विशेषताओं को निर्णय की श्रेणी में उल्लिखित किया। आधारभूत संरचना के मुख्य तत्व हैं:- संविधान की सर्वोच्चता देश की संप्रभुता, मौलिक अधिकार, प्रजातंत्रीय सरकार, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, संविधान की संघात्मकता, कल्याणकारी राज्य के निर्माण की अनिवार्यता आदि।



आरेख 1 26 जनवरी 1950 में संविधान अपनाये जाने से लेकर 2013 तक लगभग 99 संशोधन किये गये।

- भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं से संबंधित किन उदाहरणों और व्याख्याओं को आप पहचान सकते हैं?

मुख्य शब्द

प्रारूप निर्माण समिति

संवैधानिक सभा

प्रस्तावना

समवर्ती सूची

एकात्मक और संघात्मक सिद्धांत

नागरिकता

अध्यक्षात्मक और संसदीय

संशोधन

शासन प्रणाली

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें।

- बेमेल पहचानिए :
 - भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को अपनाया।
 - भारतीय संविधान ने पहले से प्रचलित संविधान से अपनाया।
 - निर्माण से लेकर अब तक भारतीय संविधान वैसा ही है।
 - देश में शासन के लिए भारतीय संविधान सिद्धांतों और प्रावधानों को उपलब्ध कराता है।
- असत्य कथनों को सही कीजिए :-
 - संवैधानिक सभा के वाद-विवादों के दौरान सभी प्रावधानों के विचारों में एकरूपता थी।
 - संविधान निर्माताओं ने देश के निश्चित प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था।
 - संविधान अनुच्छेदों में संशोधन करने हेतु कुछ प्रावधान उपलब्ध कराता है।
 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की मूलभूत विशेषताओं में भी संशोधन होना चाहिए।
- संवैधानिक सभा के वाद-विवादों में चर्चित भारतीय सरकार के एकात्मक और संघात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
- किसी समय की राजनैतिक घटनाओं को संविधान किस प्रकार दर्शाता है? स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित पिछले अध्याय के आधार पर बताइए।
- यदि सभा का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किया जाता तो हमारे संविधान के निर्माण में क्या अंतर होते? बताइए।
- भारतीय संविधानों के मूलभूत सिद्धांतों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
- संविधान ने देश की राजनैतिक संस्थानों को किस प्रकार परिभाषित और परिवर्तित किया?
- संविधान द्वारा मूलभूत सिद्धांतों को उपलब्ध करवाने पर भी व्यवस्था में जनता की भागीदारी से ही सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताइए।
- विश्व मानचित्र में निम्न स्थानों को सूचित कीजिए।
 - 1) नेपाल
 - 2) जपान
 - 3) दिल्ली
 - 4) अमेरिका
- पृष्ठ संख्या 226 में से 'स्तंभ आरेख' का परीक्षण करके निम्न प्रश्नों के समाधान लिखिए।
 - अ) सर्वाधिक संवैधानिक-संशोधन किस वर्ष हुए?
 - आ) वर्ष 1961-70 से 1971-80 में कितने अधिक संशोधन हुए हैं।
- आपकी पाठशाला में "समानता" की भावना का किस प्रकार अमल किया जा रहा है। इस पर एक करपत्र तैयार कीजिए।

अध्याय 16

भारत में चुनाव प्रक्रिया (Election Process in India)

प्रजातंत्र में चुनावों की आवश्यकता क्यों है? इस पाठ में हम चुनावों के आयोजन की व्यवस्था और प्रक्रिया, तथा इस व्यवस्था की शक्तियों और समय-समय पर इसके द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में पढ़ेंगे। हम उन प्रजातांत्रिक, सहज और निष्पक्ष तरीकों का भी विश्लेषण करेंगे जिनके आधार पर चुनाव आयोजित किये जाते हैं। हम उन सुधारों की भी चर्चा करेंगे जो प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आज की परिस्थिति में उपयुक्त हैं।


EC issues notification constituting 14th Lok Sabha	Photo I-cards not mandatory in Bihar polls
EC tightens norms for poll expenses	EC accepts new Haryana BJP
EC to visit Gujarat again, review poll arrangements	EC will seek power to censure political ads
HC asks EC to bar 'criminal' notes	EC says no immediate plan to ban exit polls
EC shoots down HM advice on poll reforms	EC orders report in 398 more booths
	EC to keep closer eye on hidden poll costs

चुनावों के दौरान समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इन पंक्तियों में किनकी शक्तियाँ दर्शायी गयी हैं? मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? चर्चा कीजिए।

भारत में चुनाव प्रणाली

भारत जैसे बड़े देश के लिए जहाँ विशाल जनसंख्या है, वहाँ सभी लोगों को एकत्र होकर निर्णय लेने में कठिनाई हुई होगी। इसीलिए चुनाव की आवश्यकता अनुभव हुई। भारत, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। स्वतंत्रता से, चुनावों के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए एक शक्तिशाली आधार बनाया गया।

भारत का चुनाव आयोग हमारे देश में चुनाव आयोजित करता है। यह राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता (code of conduct) तैयार करता है। यह चुनावों के परिणामों की घोषणा करता है और केंद्र तथा राज्य की सरकार को पेश करता है। इसके द्वारा, सरकार के गठन में आसानी हो गयी।



चित्र 16.1 मतपेटी

भारत में चुनाव आयोग

भारत में चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। अपनी प्राधिकारिता से, यह मतदाता सूची तैयार करता है तथा लोक सभा, राज्य सभा, राज्य वैधानिक निकायों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित करता है।



चित्र 16.2 भारत में चुनाव आयोग का कार्यालय

25 जनवरी 2010 को 60 वर्ष पूर्ण होने पर, भारतीय चुनाव आयोग ने 'हीरक जयंती' (Diamond Jubilee) मनायी और 25 जनवरी 2011 के दिन को प्रथम मतदान दिवस घोषित किया।

चुनाव कमीशन के लिए स्वायत्त दर्जा

विशाल जनसंख्या के कारण भारत में चुनावों का आयोजन अत्यंत कठिन है। अंग्रेजी शासन के दौरान चुनावों में जनसंख्या के 14% लोगों को ही मतदान का अधिकार था। 1952 में, पहले साधारण चुनावों के समय 17.32 करोड़ मतदाता थे, वर्तमान में, मतदाताओं की संख्या 67 करोड़ से अधिक है। ऐसे देश के लिए चुनाव आयोग 45 लाख कर्मचारियों की मदद से चुनावों का आयोजन करता है।



चित्र 16.3 चुनाव आयोग का चिह्न

केंद्रीय चुनाव आयोग के पास चुनावों के आयोजन के लिए पृथक कर्मचारी नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(6) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों की अनुमति से, यह केंद्रीय और राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करता है। ऐसे समय के दौरान चुनाव कमीशन का सरकारी विभागों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिये जा सकते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner)

मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के प्रधान होते हैं। केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए सहज और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन के लिए भारतीय संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ शक्तियों की गारंटी देता है। प्रायः ये भारतीय लोक सेवा से होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक (दोनों में से जो पहले होता है) होता है। पूर्व में, भारत में केवल एक चुनाव आयुक्त होते थे। 1933 तीन सदस्यीय आयोग अस्तित्व में आया जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

भारतीय राजनैतिक प्रणाली में, चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। टी.एन. शेषन (1990-1996) के पद भार संभालने पर चुनाव आयोग ने बहुत अधिक प्रसिद्धि अर्जित की। इन्होंने भारत के चुनावों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए बहुत प्रयास किया। अब चुनाव कमीशन की शक्तियों को देशव्यापी पहचान मिली।



भारत के अन्य स्वायत्त निकायों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए।

वेतन, विशेष सुविधाओं, पद और शक्तियों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के बीच कोई अंतर नहीं होता। प्रायः फैसले सर्वसम्मति से या फिर बहुमत के द्वारा लिये जाते हैं।

टी.एन.शेषन की सिफारिशें

- नामांकन के वापस लेने की दिनांक से प्रचार अभियान के लिए 14 दिनों की समय सीमा नियत की जाय।
- एक ही उम्मीदवार, एक ही समय में, दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है।
- यदि किसी उम्मीदवार को दो वर्ष की सजा मिली हो तो अगले छह वर्षों तक उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव को रद्द नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इन्हें स्थगित करना चाहिए।
- प्रचार समय की समाप्ति के बाद, 48 घंटों के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

चुनाव आयोग के कार्य

संविधान के अनुच्छेद 324, से 329 भाग-15 चुनाव आयुक्त के गठन, शक्तियों और कार्यों के बारे में बताता है।

पहले भारतीय संविधान ने मत देने की आयु 21 वर्ष घोषित की थी किंतु 1988 में 61 वाँ संशोधन पारित हुआ जिसमें मत देने की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

कार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

1. प्रशासकीय कार्य
2. सलाहकारी कार्य
3. खासी-न्यायिक कार्य

इन कार्यों के अंतर्गत चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, नियत समय में इसका पुनरावलोकन करता है तथा पुनर्गठन आयोग (Delimitation Commission) के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं का सीमांकन करता है। यह चुनावों की अनुसूची की घोषणा करता है, नामांकनों को प्राप्त करता है, जाँच करता है, मतदान की तारीख तय करता है, राजनैतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चिह्न प्रदान करता है। चुनावों के दौरान दलों के द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता को तैयार कर उसे लागू करता है। चुनावी गोरख धंधों के अवलोकन के लिए यह जाँच अधिकारियों की नियुक्ति



yû

करता है।

यह संसद और राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधियों की अयोग्यता के बारे में राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को सलाह देता है। यह दलों के बीच के विवादों को सुलझाता है। ऐसे समय में यह खासी न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।

भारत के चुनाव कमीशन के द्वारा दिये गये मार्गदर्शकों के अनुसार, चुनावी वर्ष में वे सभी लोग जिन्होंने 1 जनवरी तक या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उन सभी का जाति, वर्ण, धर्म, लिंग, भाषा आदि के भेदभाव के बिना मतदाता के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के मत देने के अधिकार को 'सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार' (Universal Adult Franchise) कहते हैं। मतदाताओं के निकाय को 'निर्वाचक वर्ग' (Electorate) कहा जाता है।

चुनावों में राजनैतिक दल

चुनाव आयोग में पंजीकरण होने और एक लिखित आचार संहिता के होने पर ही एक राजनैतिक दल का गठन होता है। चुनावों के आदेशपत्र (Moderate) के आधार पर चुनाव आयोग दल चिह्नों को प्रदान करता है। चुनाव आयोग के द्वारा ही दलों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के रूप में घोषित किया जाता है। राज्य में, यदि कोई दल 3% वैध मत या 3

राष्ट्रीय दलों और राज्य दलों के कुछ चिह्न एकत्रित कीजिए।

विधान सभा सीटें प्राप्त करता है तो उसे क्षेत्रीय दल घोषित किया जाता है। एक दल की मान्यता एक से अधिक राज्यों में हो सकती है। यदि किसी दल को 6% वैध मतों के साथ चार

राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है या 4 विभिन्न राज्यों से लोकसभा की 11 एम.पी. सीटें प्राप्त होती हैं, तो उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं।

चुनाव - आचार संहिता

चुनाव आयोग चुनाव की समय-सारणी घोषित करता है। तभी से आदर्श आचार्य संहिता प्रभाव में आ जाती है।

इसके अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों और लोगों को चुनाव आयोग के नियमों और नियमावलियों का पालन करना आवश्यक है। इन नियमों और नियमावलियों का उल्लंघन, दुराचरण माना जाएगा जिसके लिए अनुशासक कार्यवाही की जाएगी।

आचार संहिता के मुख्य बिंदु

1. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और राजनैतिक दलों को अन्य दलों की आलोचना करते समय जाति, वर्ण, धर्म या क्षेत्र से संबंधित कोई कथन नहीं कहना चाहिए।
2. ऐसी वैयक्तिक टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए जो राजनैतिक जीवन से संबंधित न हो।
3. किसी जाति या धर्म को निशाना बनाकर कोई भी राजनैतिक घोषणा न की जाय।
4. चर्च, मसजिद, मंदिर, अन्य धार्मिक स्थलों, शैक्षिक संस्थाओं जैसे स्थानों में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रचार/ अभियान न चलाया जाय।
5. कोई भी उम्मीदवार कैश या कोई वस्तु देकर मतदाता को प्रभावित न करें।
6. कोई भी मतदाता दूसरों के पहचान पत्र पर अपना मत न डालें।
7. मतदान के दिन 100 मी. के भीतर चुनाव अभियान न चलाया जाय।
8. मंजूर किये गये घंटों से पहले या बाद में किसी भी प्रकार का चुनाव अभियान न हो।
9. कोई भी राजनैतिक दल, मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र न लाएँ और मतादन केंद्र से वापस घर न छोड़े।
10. प्रत्येक को शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आवासीय क्षेत्रों में रैली निकालना और धरने देना नियमों के विरुद्ध है।
11. अनुमति के बिना पार्टी के झंडे लगाना, बैनर बाँधना तथा दीवारों पर लिखना, पोस्टर चिपकाना मना है।

कुछ लोग और संस्थाएँ आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध न्यायालय पहुँचे।

रैलियों और सार्वजनिक सभाओं का आयोजन

1. सार्वजनिक सभाओं के आयोजन के लिए राजनैतिक दलों को स्थानीय पुलिस से पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिए। उन्हें पुलिस को सभा का स्थान और

- पता कीजिए की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए क्या किसी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है।
- पता कीजिए की क्या कोई उम्मीदवार न्यायालय के द्वारा अपराधी पाया गया है और चुनाव के लिए या अन्य राजनैतिक विभाग के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।



- क्या राजनैतिक दलों को केवल रैलियों और सार्वजनिक सभाओं के द्वारा ही प्रचार करना चाहिए या कोई अन्य तरीके भी हैं?

समय की जानकारी देनी चाहिए। जिससे की पुलिस कानून और सुव्यवस्था की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें और यातायात गतिविधियों को नियमित कर सकें।

2. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को यह पता लगा लेना चाहिए कि जहाँ वसार्वजनिक सभा आयोजित करने वाले हैं वहाँ के लिए क्या कोई पूर्व सूचना है।
3. लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए उन्हें पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिए। यदि कोई सार्वजनिक सभाओं के आयोजन में रुकावट डाले तो उन्हें स्वयं हमला न कर पुलिस को सूचना देनी चाहिए।

मतदान के दिन



चित्र 16.8 कतार में मतदाता

1. चुनाव कर्मचारियों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मतदाता प्रजातांत्रिक और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कर सकें।
2. सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को, चुनाव कर्मचारियों को उनके कर्तव्य निभाने में सहयोग देना चाहिए।
3. मतदान केंद्र में बैठने वाले चुनाव एजेंट के लिए पहचान पत्र जारी किया जाय। इन पहचान पत्रों पर पार्टी चिह्न या नाम न हो।
4. चुनाव दिन के 48 घंटे पहले प्रचार अभियान बंद हो जाने चाहिए। SMS भी निर्जित है, शराब भी नहीं बाँटी जाय।
5. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और समर्थक मतदान केंद्र के समीप बड़ी संख्या में एकत्रित न हों।
6. कैंपों में कोई पोस्टर, झंडे, चिह्न और चुनाव सामग्री न हों। कैंप में किसी प्रकार का खाना भी न रखा जाय।

चुनाव-न्यायालय के फैसले:

- 2013 में, डॉ सुब्रहमण्य स्वामी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है कि-वोटिंग मशीन मतदाता को यह बताये की उनका मत सही डला है या नहीं। वोटर वैरीफाइट पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मतदाता को उसके द्वारा डाले गये वोट की प्रतिपुष्टि करती है।
- 2013 में, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीस के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है कि मतदाता को चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को मत देने की स्वतंत्रता है। इस फैसले को अमल में लाने के लिए चुनाव आयोग ने “NOTA“ (None of the above) को सम्मिलित किया।
- 2013 में, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चाहे संसद के हों या राज्य वैधानिक निकाय के हो, उन्हें अपने अपराधिक रिकार्ड, पति/पत्नी, बच्चों, संपत्ति /उत्तरदायित्वों, तथा शैक्षिक योग्यताओं की घोषणा अनिवार्य रूप से करनी होगी।

चुनाव के समय शासित दल

शासित दल के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित करने की संभावना रहती है। इसकी जाँच के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम और नियमावलियाँ बनायी हैं। वे हैं:-

1. शासित दल के नेता अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें, और पार्टी से संबंधित कार्यों के लिए अपने अधिकारी-वर्ग का उपयोग न करें।
2. उनके अधिकारिक दौरे और पार्टी संबंधित दौरे आपस में नहीं मिलने चाहिए।
3. प्रचार के लिए वे सरकारी वाहनों का प्रयोग न करें।
4. यदि प्रचार के लिए तीन से अधिक सुरक्षा वाहनों का उपयोग किया गया है तो उसे चुनाव खर्च में दर्शाना होगा।
5. चुनाव समय-सारिणी के जारी होने के पश्चात आचार संहिता लागू होती है।
6. किसी भी पार्टी के द्वारा प्रचार के लिए सरकारी बिल्डिंगों, कार्यालयों, स्थलों आदि सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग न हो।
7. प्रकाशन माध्यमों या प्रसार माध्यम के द्वारा सरकारी योजनाओं का कोई विज्ञापन न दिया जाय।
8. TV पर घोषणा करने से पहले, राजनैतिक दल चुनाव आयोग की अनुमति लें।
9. चुनाव अधिसूचना के जारी होने के पश्चात, शासित सरकार कोई अनुदान जारी न करें, भुगतान न करे, नयी योजनाओं की घोषणा न करें। वे किसी प्रकार की नयी परियोजना आरंभ न करें या किसी प्रकार के वादे न करें।

मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ

“हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे”।

विभिन्न स्तरों पर चुनाव का आयोजन, चुनाव का आयोजन

राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी भारतीय चुनाव आयोग की सहायता करता है। इनकी नियुक्ति भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके की जाती है। यह पद संवैधानिक दर्जे का नहीं है। साधारणतः वरिष्ठ IAS अफसरों को नियुक्त किया जाता है। राज्य में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव उसकी देखरेख में होते हैं। जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

प्रत्येक मतदान क्षेत्र में चुनाव के आयोजन व निरीक्षण के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। वह 'निर्वाचन अधिकारी' (रिटर्निंग ऑफिसर) कहलाता है। वे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपना नाम मतदान सूची में दर्ज करा लिया है, योग्य हैं और प्रतिनिधियों के रूप में चयनित होने के लिए तत्पर हों, उन्हें अपने नामांकन पत्र "निर्वाचन अधिकारी" के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। नामांकन का समर्थन कम से कम निर्वाचन क्षेत्र के एक रजिस्टर्ड मतदाता के द्वारा होना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार किसी पंजीकृत दल के द्वारा प्रायोजित होता है तो वह पार्टी उम्मीदवार कहलाता है। अन्य स्वतंत्र उम्मादवार कहलाते हैं।

निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच करता है और योग्य प्रतियोगी उम्मीदवार की सूची की घोषणा करता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नियत काल के भीतर नामांकन पत्र वापस लेने का विकल्प होता है। तत्पश्चात निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतियोगी उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा करता है। पार्टी उम्मीदवारों को पार्टी का चिह्न और स्वतंत्र उम्मीदवारों को उस समय उपलब्ध चिह्न आवंटित किये जाते हैं। तत्पश्चात प्रतियोगी उम्मीदवारों के नाम व चिह्न EVM (Electronic Voting Machine) में दर्ज किये जाते हैं। संसद, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनावों के आयोजन के लिए इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।



चित्र 16.9 कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट

मतदान प्रक्रिया

जिलों में मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव के आयोजन के लिए व्यापक प्रबंध करते हैं। वे चुनाव के आयोजन के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कार्यकर्ता को संचालन अधिकारी और मतदान अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करते हैं। मतदान के दिन, वे सभी मतदानकर्ता जिनके नाम मतदान सूची में दर्ज हैं, उन्हें अपने मत देने की अनुमति दी जाती है। प्रतियोगी उम्मीदवारों के द्वारा नियुक्त किये गये चुनाव एजेंट चुनाव कर्मचारियों को मतदाताओं को पहचानने में मदद करते हैं।

मतदान करने से पहले मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी उँगली को अमिट स्याही (indelible ink) लगायी जाती है। EVM के न रहने पर बैलेट पेपर (ballot paper) पर स्वास्तिक चिह्न लगाकर, सही तरीके से मोड़कर बैलेट बॉक्स (ballot box) में डाला जाता है। चुनाव समाप्त होने के पश्चात, EVM या बैलेट बॉक्स (ballot box) को सील करके काउंटिंग केंद्र (गणना केंद्र) पर लाया जाता है। काउंटिंग केंद्रों पर मत गणना की जाती है। जिस उम्मीदवार को अत्यधिक मत मिलते हैं उसे चयनित घोषित किया जाता है। उसे चुनाव अधिकारी के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है।



चित्र 16.10 निर्वाचन केंद्र में कर्तव्य निर्वहण करते हुए कर्मचारी

राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 5 वर्ष में एक बार साधारण चुनाव आयोजित किये जाते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, यदि संसद या विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं तो उसे 'मध्यावधि चुनाव' (mid term elections) कहते हैं। एक या अधिक रिक्त पद के चुनाव का आयोजन होने पर उसे 'उप-चुनाव' कहा जाएगा।

अस्वीकृति के लिए मतदान- NOTA(उपर्युक्त में से कोई नहीं)

2013 में, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टिस के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये फैसले के आधार पर, NOTA पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार NOTA अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। NOTA को सर्वप्रथम 2013 में दिल्ली, मिज़ोरम, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में विकल्प के रूप में किया गया। NOTA केवल एक विकल्प ही है। यह उम्मीदवार की योग्यता को प्रभावित नहीं करता, चाहे वह जीते या हारे। NOTA के लिए अधिकतम संख्या में मत दिये जाने पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजेता घोषित किया जाता है।



चित्र 16.11 NOTA चिह्न

चुनाव सुधार की आवश्यकता

भारत विश्व का द्वितीय प्रसिद्ध देश है। भारत देश में चुनावों का आयोजन एक बड़ा कार्य है। प्रत्येक राजनैतिक दल उत्तर प्रशासन, सामाजिक-आर्थिक समानता और गरीबी के उन्मूलन का वादा करता है। किंतु कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, जिनकी अपराधिक पृष्ठभूमि है वे अवैध तरीकों से मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। ये कार्य चुनाव प्रक्रिया का मज़ाक उड़ाते हैं।

प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में कुछ समस्याएँ होने के बावजूद ईमानदार और कई समर्पित राजनीतिज्ञों ने हमारे प्रजातंत्र को गौरवान्वित किया है।

- बेहतर प्रजातंत्र और नैतिक संचालन के लिए कुछ मापदंड सुझाइए।
- चुनाव में यदि केवल एक परिवार आरक्षण का आनंद उठाता है, तो समान समुदाय के अन्य सदस्य अवसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने मत पर चर्चा कीजिए
- यदि एक उम्मीदवार बहुत पैसा खर्च करके, चुनाव जीतता है, तो उसके विचारों की प्रक्रिया क्या होगी? यदि मतदाताओं से पैसा लेकर मतदान किया है तो क्या उन्हें अपनी समस्याओं के लिए चुने गये प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने का नैतिक अधिकार है?

डाक द्वारा मतदान (Postal Ballot)

चुनाव कार्य के उत्तरदायित्वों के लिए जिन चुनाव अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, उन्हें अपना मत देने की गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि उन्हें उनके कार्य स्थल की अपेक्षा चुनाव कार्य के लिए अन्य चुनाव क्षेत्रों के लिए नियुक्त किया जाता है। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग ने डाक द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की है। इसका अर्थ है कि, जो लोग चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किये गये हैं, वे अपने मत देने के अधिकार का उपयोग, चुनाव तिथि के पहले ही मतदान पत्र (Ballot paper) के द्वारा कर सकते हैं। चुनाव अधिकारी विशेष सुविधा के साथ मतदान पत्र को मतदाता के निजी क्षेत्र को भेज देते हैं।

चुनाव रद्द करना

2016 में चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार पहले पारित अधिसूचना को रद्द किया गया था। अधिक मात्रा में पैसों के वितरण की शिकायत के पश्चात चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में अरवकुरिची, तंजवूर निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनावों में चुनावों को रद्द कर दिया था। चुनाव आयोग ने कुछ समय पश्चात चुनाव का आयोजन किया।

मुख्य शब्द

1. मत
2. आचार संहिता
3. EVM
4. निर्वाचन क्षेत्र
5. NOTA

आपने क्या सीखा

1. मत देने का अधिकार प्रजातंत्र में मुख्य भूमिका निभाता है? चर्चा कीजिए।
2. भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए।
3. चुनाव आयोग के कार्यों की सूची बनाइए।
4. प्रजातंत्र में आदर्श आचार संहिता आवश्यकता क्यों है?
5. मत देने से हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं होता। प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। इस कथन को सिद्ध कीजिए।
6. क्या आपने अपने क्षेत्र में चुनावों में कोई दुराचरण देखा है? आचार संहिता के कौनसे नियम का उल्लंघन हुआ है?
7. 'चुनाव सुधार की आवश्यकता' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया अनुच्छेद पढ़िए और टिप्पणी कीजिए।
8. मतदान के महत्व के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए एक करपत्र तैयार कीजिए।

परियोजना

- आदर्श राजनीतिज्ञों की जानकारी एकत्रित कीजिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण-न्यौछावर किये हैं। उनके जीवन से हम क्या सीखते हैं?
- हाल ही में हुए लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनावों की जानकारी एकत्रित कीजिए, तालिका बनाइए और परिणामों का विश्लेषण कीजिए।

26 जनवरी 1950, को हम असंगतियों और विरोधों के नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में हमें समानता प्राप्त होगी किंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमें असमानता मिलेगी। राजनीति में हम एक आदमी, एक मत और एक मत एक मूल्य के सिद्धांतों की पहचान कर सकेंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में, सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम एक मानव, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते हैं। हम कब तक इस असंगतियों का जीवन जीते रहेंगे? कब तक हम हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे नकारेंगे तो इससे राजनैतिक प्रजातंत्र को खतरा उत्पन्न होगा। जल्द से जल्द हमें इस असंगतियों को खत्म करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो लोग असमानताओं को भोग रहे हैं वे राजनैतिक प्रजातंत्र जिसे सभा ने श्रमपूर्वक बनाया है, उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं।

- बी.आर. अंबेडकर

15 वें अध्याय में हमने पढ़ा कि संविधान किस प्रकार बनाया गया। संविधान को बहु लक्ष्यों को तो प्राप्त करना ही है साथ ही साथ प्रजातांत्रिक कार्यों को बनाना, इन्हें राजनैतिक समुदायों की रचना और एकीकरण करना तथा तीव्र सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को लाना भी है। राष्ट्रीय लक्ष्यों की स्थापना और संस्थागत यांत्रिकी के स्थान पर रखकर, उन्हें अल्पावधि में अर्जित करना निस्संदेह उन लोगों के लिए महान् उपलब्धि हैं जो दो शताब्दियों तक विदेशी शासन के अधीन थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के कुछ वर्ष भारत की उत्तर स्वतंत्रता के इतिहास को दर्शाते हैं। विभिन्नता में एकता को बनाये रखना, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के क्रियान्वयन को निर्धारित करना आदि ऐसी मुख्य चुनौतियाँ थीं जो नेतृत्व के सामने खड़ी थीं। ये चुनौतियाँ एक दूसरे से संबंधित थीं और इस बात का ध्यान रखना था कि उनके कारण व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न न हो। उदाहरण के तौर पर विकासात्मक लक्ष्यों और विभिन्नता में एकता को प्रजातंत्र के आड़े नहीं आना चाहिए। इस अध्याय में हम संविधान और प्रजातंत्र किस प्रकार काम करते हैं, भारत ने किस प्रकार राष्ट्रीय निर्माण के मुख्य मुद्दों को सुलझाया। जैसे प्रश्नों के साथ-साथ तीन अंतर संबंधित मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे।

- आपके विचार में क्या हम सामाजिक समानता को प्राप्त करने में सक्षम हैं? उन दृष्टांतों के बारे में सोचिए जिसे आप समानताओं और असमानताओं के उदाहरणों के रूप में पहचान सकते हैं।

प्रथम साधारण चुनाव (First General Elections)

नये संविधान के अंतर्गत होने वाले साधारण चुनाव भारतीय प्रजातंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के बाद प्रजातंत्र की राह पर चलने की भारत की आकांक्षा को दर्शाने वाले थे। भारत ने एक ही बार में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना लिया था। पश्चिम में यह अधिकार पहले धनवानों को दिया गया था। बाद में यह समाज के अन्य वर्गों को दिया गया। उदाहरण के तौर पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1971 में प्राप्त हुआ था।



चित्र 17.1 : पहले साधारण चुनाव में मतदान करना।

- जब अपनी पसंद द्वारा मतदान की बात आती है तो निरक्षरता किस प्रकार चुनाव को प्रभावित करती है? इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है।
- यदि हमारे देश के सभी लोगों को चुनाव का अधिकार नहीं मिलता है तो क्या हमारा देश प्रजातंत्र देश कहलायेगा?
- स्त्रियों की साक्षरता दर बहुत कम है, यदि स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जायेगा तो यह किस प्रकार हमारी नीतियों को प्रभावित करेगा?
- नियमित रूप से चुनावों का आयोजन प्रजातंत्र की स्थापना का स्पष्ट संकेत है? क्या आप इस कथन से सहमत है? कारण बताइए।

सामाजिक आयामों के कारण पहले चुनाव में बहुत कठिनाई हुई। जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। वे अपनी पसंद कैसे बता सकते थे? देश के कुछ भागों में महिलाएँ अपने पिता या पति के नाम से जानी जाती थीं। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। यदि देश को सामाजिक समानता की ओर ले जाना है और महिलाओं को समान अधिकार देने हैं तो इस प्रक्रिया में सुधार करना आवश्यक था। चुनावी नामांकन (Electoral rolls) किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं? देश की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर चुनावों के आयोजन में प्रायोगिक विषयों की देखभाल के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया।

निरक्षरता की समस्या से उबरने के लिए चुनाव आयोग ने एक नवीन उपाय खोजा। राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दैनिक जीवन के कुछ प्रतीकों को चुना गया। यह सृजनात्मक अन्वेषण विस्तृत निर्देशों में बाँटा हुआ था। इसके लिए केवल दृष्टिक (visual) पहचान की आवश्यकता थी। आज भी इसी उपाय का पालन किया जाता है। इसे और आसान बनाने के लिए हर उम्मीदवार को एक अलग मतदान पेटी दी गयी थी जिस पर उनका प्रतीक चिपका दिया गया था, मतदाताओं को अपना मतपत्र अपनी पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डालना था। चुनाव के समय मतदाताओं को आगे आने और मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रचार किया गया।

चुनावों का विवरण :- (Description of Elections)

जिलों में जहाँ सख्त पर्दा प्रथा थी, वहाँ महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र बनाये थे और इनमें महिला कर्मचारियों को ही नियुक्त किया गया था।

अजमेर में एक राजपूत महिला, जिसने मखमली साड़ी से अपने पूरे शरीर को ढक रखा था एक भारी पर्दे से घिरे रथ पर बैठकर मतदान केंद्र में आयी। उसके शरीर का जो भाग दिख रहा था वह भी उसके बायें हाथ की अंगुली जिसपर न मिटने वाली स्याही का निशान लगाना था जिससे कि वह दुबारा अपने मत का प्रयोग न कर सकें।

कुछ गाँवों ने निकायों (body) के रूप में मत दिया। आसाम से आयी एक रिपोर्ट से पता चला था कि एक जनजाति गाँव के कुछ सदस्य मतदान से एक दिन पहले ही मतदान केंद्र पर पहुँच गये थे। सारी रात उन्होंने आग जलाकर, नाचते-गाते बितायी और दूसरे दिन सूरज उगते ही वे क्रमबद्ध तरीके से मतदान केंद्र पहुँच गए।

दो उम्मीदवारों में से किसे समर्थन दिया जाय? इस समस्या का समाधान पेप्सू (PEPSU) गाँव के लोगों ने इस प्रकार किया - उन्होंने दोनों उम्मीदवारों के नौजवान युवकों के बीच कुश्ती प्रतियोगिता करवायी दोनों में से जिस उम्मीदवार के नौजवान ने जीत हासिल की उस उम्मीदवार का गाँववालों ने समर्थन दिया।

जब मतपेटियाँ खोली गयी तो बहुत सारी भेंटें दी गयी, ईमानदारी की याचिकाएँ की गयी, भोजन और वस्त्रों की माँग की गयी।

“प्रजातांत्रिक चुनावों के साथ भारतीय अनुभव” ये अंश 1958 में मार्गेट, डब्ल्यू फिशर और जोन वी. बोंडूरेंट द्वारा लिखित इंडियन प्रेस डाइजेस्ट्स (Indian Press digests) से लिये गए हैं।


राजनैतिक व्यवस्था में एक दल का आधिपत्य (One Party Dominance in Political System)

स्वतंत्र भारत में पहले तीन साधारण चुनाव 1952, 1957 और 1962 में हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अन्य उम्मीदवारों को पछाड़कर जीत हासिल की। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अन्य दलों को व्यक्तिगत रूप से 11% मत भी प्राप्त नहीं हुए। कांग्रेस को कुल मतों के 45% मत प्राप्त हुए और उसने 70% सीटों पर विजय हासिल की। कोई भी दल कांग्रेस के नजदीक भी नहीं पहुँच सका था।

कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनायी। ये कांग्रेस शासन प्रणाली की शुरुआत थी। सदैव से सत्ताधारी कांग्रेस दल के अन्य दलों के साथ संबंधों की पहचान ही इस काल की मुख्य विशेषता थी। फिर भी कांग्रेस के छोटे-छोटे समूह थे। इन दलों की उत्पत्ति नेताओं की निजी प्रतियोगिता के आधार पर होने पर भी, ये अपनी पार्टी के लक्ष्यों की प्राप्ति में भागीदार थे। कभी-कभी नीति संबंधो मुद्दों पर इनमें मतभेद होते थे।

इन दलों के सदस्यों की रुचि के आधार पर भिन्न-भिन्न मुद्दों पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण थे। इस प्रकार कांग्रेस विभिन्न रुचि और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बन गयी। समय-समय पर नेतृत्व पर दबाव डालने के लिए ये दल अन्य राजनैतिक दलों से समझौता कर लेते थे। सत्ताधारी पार्टी के लिए एक अंत निर्मित वास्तविक यांत्रिकी (corrective Mechanism) बन गयी थी। इस प्रकार कांग्रेस की एक दलीय आधिपत्य प्रणाली में राजनैतिक प्रतिस्पर्धा का आरंभ हो गया। इस तरह विपक्षी अप्रकट तरीके से काम करने वाले थे, वे डर या आतंक फैलाने वाले नहीं थे।

आरेख 1 : 1952 और 1962 में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त स्थान (सीट)



अन्य राजनैतिक दलों की अनुपस्थिति होने पर भी ये अप्रजातांत्रिक स्थिति नहीं थी। क्योंकि अन्य दलों ने चुनावों में भाग तो लिया था किंतु वे सीटें हासिल कर, कांग्रेस को चुनौती नहीं दे पाये थे। धीरे-धीरे इन राजनैतिक दलों ने कुछ दशकियों के भीतर स्वयं को सशक्त बनाया और वे भी सत्ता के मजबूत प्रतियोगी बन गये। इस अवधि के शुरुआती वर्षों ने प्रजातंत्र के विकास में योगदान दिया। इसी कारण मुक्त और खुली प्रतियोगिता के आधार पर बहुदलीय व्यवस्था की स्थापना हुई। यह स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा शुरू किए गए संवैधानिक रूपरेखा और प्रजातांत्रिक बुनियादों की शक्ति थी, जिसने भारतीय राजनीति को एक बहुदलीय प्रजातंत्र के निर्माण करने में सहायता दी। विपक्ष को चुप कराने और बहुदलीय

- उन विशेषताओं के बारे में बताइए जिनसे ये पता चलता है कि कांग्रेस राजनैतिक व्यवस्था में आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम थी।

प्रजातंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सत्ताधारी दल प्रायः पक्षपातपूर्ण (partisan manner) तरीके से कार्य करते थे। भारत के अनुभव उसी समय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अन्य उपनिवेशों देशों जैसे - इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया से बिल्कुल भिन्न थे।

राज्य के पुनर्गठन की माँग (Demand for State Reorganisation)

भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग नये देश की पहली चुनौतियों में से एक थी। ब्रिटिश काल के समय देश प्रेसिडेंसियों (कोलकता, मद्रास, और मुंबई) और बहुत बड़े

केंद्रीय प्रांत (central provinces) तथा बरार में विभाजित था। देश का बहुत बड़ा भाग राजा शाही शासन (princely state) के अधीन था। इनमें विभिन्न भाषाओं में बात करने वाले लोग मिलकर रहते थे। उदाहरण के तौर पर मद्रास प्रेसीडेंसी में तमिल, मलयालम, कन्नड, तेलुगु गोंडी और उडिया भाषाओं वाले लोग रहते थे। एक भाषा में बात करने वाले तथा एक विशिष्ट स्थान पर रहने वाले लोगों ने माँग की कि एक राज्य के अंतर्गत उनका गठन किया जाय। ये प्रचार संयुक्त कर्नाटक (मद्रास, मैसूर, बंबई और हैदराबाद के कन्नड भाषी लोगों को जोड़ने के लिए) संयुक्त महाराष्ट्र, महागुजरात आंदोलन, द्रावनकोर और कोचीन के राजा शाही राज्यों को मिलाने के लिए तथा सिक्खों के लिए पंजाब राज्य के लिए था। इन माँगों से संबंधित इच्छापत्र देश के एकता के निर्माण के लिए था? या इसके द्वारा भाषायी आधार पर देश की एकता के खंडित होने का भय था? इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता थी।

धर्म के आधार पर देश के विभाजन की बात ने नेताओं के मस्तिष्क में देश की सुरक्षा और स्थायित्व के प्रति शंका और भय की भावना उत्पन्न हुई। लोगों को इस बात का भय था कि भाषायी पुनर्गठन से देश खंडित हो सकता है। कांग्रेस के स्वयं के भाषायी आधार पर गठित होने पर भी इसने देश को इसी आधार पर गठित करने का वादा किया। किंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति पर इस कार्य में शिथिलता दिखायी पड़ी।

सभी आंदोलनों में सशक्त आंदोलन तेलुगु भाषियों का था, जिन्हें कांग्रेस ने भाषायी राज्यों के पक्ष में पुराने प्रस्तावों को लागू करने के लिए आमंत्रित किया था। ब्रिटिश शासन के समय में भी आंध्र महासभा सक्रिय थी और मद्रास प्रेसीडेंसी में तेलुगु भाषी लोगों को मिलाने के लिए प्रयासरत थी। यह आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भी चल रहा था। इन आंदोलनों में याचिकाओं, प्रतिनिधित्वों, गलियों की यात्राओं (street march) और अनशनों द्वारा विरोधों का प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने इस माँग का विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप पहले चुनावों में तेलुगु भाषी क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति खराब हो गयी। जिन पार्टियों ने भाषायी आंदोलनों का समर्थन किया, उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हुईं। साम्यवादी दल जिसने इस आंदोलन का समर्थन किया था, उसे 41 सीटें प्राप्त हुई थीं।



Fig 17.2: 1950 के शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू सड़क का उद्घाटन करते हुए



Map 1 : राज्य के पुनर्गठन के पूर्व दक्षिणी प्रायः द्वीप के विभिन्न प्रांतों का आरेख प्रस्तुतीकरण

जवाहरलाल नेहरू भाषायी राज्यों के विरोधी नहीं थे, उन्हें लगता था कि अभी इसके लिए यह सही समय नहीं है। उस समय के सभी नेताओं की इस स्थिति पर सामूहिक राय थी। उनका विश्वास था कि भारत इस समय स्वयं के संगठन की प्रक्रिया से गुजर रहा है और इसमें कोई असमंजस नहीं है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (State Reorganisation Act, 1956)

पृथक तेलुगु भाषी राज्य के गठन की माँग करने वाले, पोट्टी श्रीरामुलु के 58 दिनों के अनशन के पश्चात् अक्टूबर 1952 में मृत्यु हो गयी थी। परिणामरूप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों का गठन हुआ। अगस्त 1953 में भाषायी सिद्धांतों के आधार पर राज्यों के गठन के मुद्दों पर कार्य करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की नियुक्ति की गयी। फ़ज़ल अली, के. एम. पानीक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इस आयोग के प्रमुख सदस्य थे। इस आयोग के द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ई. में संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकृत कर लिया। इसके फलस्वरूप 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन हुआ। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि जब भाषायी राज्यों का निर्माण होता है तो उसमें

- यदि भाषायी राज्यों का गठन नहीं होता तो क्या भारत की एकता और मज़बूत हो सकती थी? अपन विचार बताइए।
- आप यह क्यों समझते हैं कि इस समय जनजाति भाषाओं की उपेक्षा की गयी थी?
- क्या आप जानते हैं कि आज भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
- भारत के नवीनतम राज्य कौन-कौन से हैं? वे कहाँ गठित किए गए?

जनजाति भाषाएँ जैसे :- गोंडी, संथाली और ओरयॉन को मिलाया नहीं जाता है। अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली तेलुगु और तमिल जैसी भाषा को इसमें स्थान दिया जाता है।


भाषायी राज्यों का गठन, इच्छापत्र की सफलता और राजनीति द्वारा समस्या के समाधान का उदाहरण है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वास्तविकता में भाषायी पुनर्गठन ने आशा के अनुरूप भारत को कमज़ोर नहीं किया बल्कि इसके संगठन में मदद की है।

सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन (Social and Economic Change)

संविधानिक सभा ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा पद और अवसरों की समानता की बात की। इसने आधुनिक भारत की कार्यसूची में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को सबसे ऊपर स्थान दिया। नये संविधान के उद्घाटन के बाद योजना आयोग का गठन हुआ। नेहरू के लिए योजना केवल एक अच्छी अर्थ-व्यवस्था ही नहीं थी बल्कि एक अच्छी राजनीति भी थी। उनकी आशा थी कि नियोजित विकास से जाति, धर्म, समुदाय और प्रांतों का विभाजन तो खत्म होगा ही साथ ही साथ अशांतिकारी और विभेदकारी विचारधाराओं की भी समाप्ति होगी जिससे भारत एक शक्तिशाली और आधुनिक देश के रूप में विकसित होगा।

पहली पंचवर्षीय योजना ने मुख्य रूप से कृषि, भोज्य उत्पादन की आवश्यकता, संचार माध्यमों और परिवहन के विकास तथा सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसने भारत में जल्द से जल्द औद्योगिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। जैसे कि बताया गया है कि भोजन मूलभूत आवश्यकता है। इस बात पर सभी की सामूहिक राय

Fig 17.3 1960 के दौरान निर्माणाधीन भाखड़ा बाँधा स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा बनाये गए पहले बाँधों में से एक है। (नीचे) पूर्व दशाब्दियों में वयस्क साक्षरता कक्षाओं का दृश्य। इन परियोजनाओं से समाज में किस प्रकार के विभिन्न विचार और परिवर्तन दिखायी देते हैं? इस पर चर्चा कीजिए।



थी कि भोजन का उत्पादन बढ़ाया जाय किंतु इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ था कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय। राजनैतिक विचारों को विभाजित करने वाले दो मुख्य प्रश्न ये थे : विकास की विशालतम व्यूह रचना में कृषि का क्या स्थान होना चाहिए? उद्योग और कृषि के बीच संसाधनों का बँटवारा कैसे होना चाहिए?

नेहरू के लिए कृषि संबंधी परिवर्तन साधारण रूप से एक आर्थिक मुद्दा ही नहीं था बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी था। नेहरू द्वारा प्रतिपादित व्यूह रचना को अंत में भू-सुधार, कृषि-सहकारिता और स्थानीय स्वशासन जैसे तीन घटकों के साथ अपना लिया गया। भू-सुधार के तीन तरीकों पर विचार किया गया था जो इस प्रकार थे : जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किरायेदारी पद्धति में सुधार, भू-सीमा का निर्धारण। इनका प्राथमिक उद्देश्य था कि भूमि वास्तविक खेतिहरों के हाथ में जाय जिससे उन्हें अधिक उत्पादन की प्रेरणा प्राप्त हो। सहकारी संस्थाओं को पैमाने की लागत को बढ़ाने के साथ साथ बीज, खाद, उर्वरक जैसे निर्गतों को भी उपलब्ध कराना था। स्थानीय स्वशासन निश्चित करेगी कि भू-सुधार कार्य चलाए जायेंगे और सहकारी संस्थाएँ गाँव के लोगों की सामूहिक रुचि के अनुसार चलायी जायेंगी।

भारत में भू-सुधार पूरे दिल से लागू नहीं किए गए। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् भी भूमिहीनों में भूमि का पुनः वितरण नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश भूमि पर धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का नियंत्रण जारी था। दलित उसी प्रकार भूमिहीन थे किंतु वे बलपूर्वक करवाये जाने वाले श्रम और अस्पृश्यता के उन्मूलन से लाभान्वित हुए थे।

पहली पंचवर्षीय योजना ने सिंचाई और बिजली के उत्पादन के लिए विशाल बाँधों के निर्माण द्वारा कृषि में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। बाँधों के निर्माण से कृषि, और औद्योगिक क्षेत्र दोनों लाभान्वित हुए। कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने पर भी ये जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थे।

योजना बनाने वालों ने यह अनुभव किया कि देश के विकास के लिए उद्योगों का विकास करना आवश्यक है। ताकि अधिक से अधिक लोग शहर जायें और कारखानों तथा सेवा क्षेत्रों में काम करें। इसीलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना से उद्योगों पर बल दिया गया। आप पहले की कक्षाओं में भारत के आर्थिक विकास के बारे में पढ़ चुके होंगे।

विदेश नीति और युद्ध (Foreign Policy and Wars)


जब भारत स्वतंत्र हुआ उसी समय शीत युद्ध भी आरंभ हुआ और विश्व संयुक्त राष्ट्र और (US) और सोवियत संघ (USSR) जैसे दो गुटों के बीच बँट गया। जवाहर लाल नेहरू ने किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति का अनुसरण किया तथा विदेश नीति में समान दूरी और स्वतंत्र स्थिति बनाये रखने का प्रयास किया। जवाहर लाल नेहरू ने इसी समय पर स्वतंत्र होने वाले तथा इसी नीति का अनुसरण करने वाले इंडोनेशिया, ईजिप्त (मिस्र) युगोस्लाविया जैसे देशों से हाथ मिलाया। इन सबने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। अपने

- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता लगाइए कि क्या 1970 के पहले सहकारी संस्थाओं की स्थापना हुई थी? इन संस्थाओं के सदस्य कौन बन सकते थे?
- भारत में किए गए भू-सुधारों की तुलना चीन और वियतनाम में किए भू-सुधारों के आधार पर कीजिए।

निकटतम पड़ोसी देशों के लिए नेहरू जी ने पंचशील की नीति का निर्माण किया। इस नीति का मुख्य लक्ष्य था - अ- हस्तक्षेप (non-Interference) अर्थात् एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर भी इस अवधि के दौरान भारत को दो युद्धों का सामना करना पड़ा था - पहला युद्ध कश्मीर के मामले में 1948 में पाकिस्तान के साथ तथा दूसरा युद्ध 1962

ई. में चीन के साथ हुआ था। भारत इन युद्धों के लिए पहले से तैयार नहीं था, मुख्यतः 1962 के युद्ध में भारत को जन-धन का बहुत नुकसान उठाना पड़ा।

उत्तराधिकार (The Succession)



चित्र 17.4: लाल बहादुर शास्त्री

1964 ई. में नेहरू जी की मृत्यु से आलोचकों को शंका हुई कि क्या प्रजातंत्र जीवित रहेगा या अन्य देशों के समान यह प्रजातांत्रिक आचार-विचारों को खो देगा? कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना नेता चुनकर सरकार में सफलता पूर्वक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। भारत देश के नैतिक मूल्यों और लक्ष्यों को चुनौती देने वाले विभिन्न मुद्दों के द्वारा शास्त्री जी की तात्कालिक परीक्षा ली गयी।

1965 ई. में पाकिस्तान के युद्ध के अलावा दक्षिण में DMK द्वारा चलाए गए हिंदी विरोधी आंदोलन, जिससे विभिन्नता में एकता के लक्ष्य को खतरा उत्पन्न हुआ था, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के मार्ग में आने वाली खाद्यान्न की कमी की समस्या जैसी चुनौतियों का

सामना शास्त्री जी को करना पड़ा था। 1965 ई. में उनकी असामयिक मृत्यु के पश्चात् इंदिरागांधी को प्रधानमंत्री पद का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ।

हिंदी विरोधी आंदोलन (Anti-Hindi Agitation)

जब 1963 ई. में आधिकारिक भाषा अधिनियम स्वीकृत हुआ तो DMK को लगा कि यह सारे देश पर हिंदी को थोपने का प्रयास है, इसीलिए उन लोगों ने हिंदी की अमलवारी के

विरोध में राज्य व्यापी प्रचार आरंभ किया। इसके अंतर्गत हड़ताल और धरने किए गए, पुतले जलाए गए, हिंदी पुस्तकें और संविधान के पृष्ठों को भी जलाया गया। अनेक स्थानों पर हिंदी के साईनबोर्डों पर कालिख पोत दी गयी। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच घमासान युद्ध हुए। केंद्रीय सरकार ने शीघ्र ही इन विरोधों पर ध्यान दिया। कांग्रेस स्वयं हिंदी समर्थक और हिंदी-विरोधी जैसे दो गुटों में बँट गयी। कुछ लोगों को लगा कि देश की एकता दाँव पर है।

जब परिस्थितियों को हाथ से निकलते देखा तो हिंदी समर्थक होते हुए भी शास्त्री जी ने हिंदी विरोधी गुट के कष्टों में कमी करने के अनेक तरीके अपनाए। हर राज्य को उनकी एक अपनी भाषा रखने का अधिकार दिया गया, यह भाषा-प्रांतीय भाषा या अंग्रेज़ी हो सकती है। संप्रेषण प्रांतीय भाषा के साथ अंग्रेज़ी अनुवाद में हो सकता है, अंग्रेज़ी केन्द्र और राज्यों के बीच संप्रेषण भाषा के रूप में बनी रहेगी तथा लोक सेवा परीक्षा केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी में भी आयोजित की जाएगी।

यहाँ हम फिर यह देखेंगे कि किस प्रकार प्रसिद्ध सामाजिक आंदोलनों ने उस समय की सरकार पर आधिकारिक स्थितियों पर पुनः ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। स्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिए दोनों मुद्दों में प्रधानमंत्री को हद से भी बाहर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी निजी तौर पर आंदोलनों का समर्थन नहीं किया। यह स्पष्ट था कि नेहरू जी और शास्त्री जी दोनों के लिए निजी जीवन से अधिक देश की एकता सर्वोपरि थी।

- भाषा नीति ने देश की एकता और अखण्डता के विकास ने किस प्रकार सहायता की?
- क्या राष्ट्रीय भाषा का होना आवश्यक है?
- क्या सभी भाषाओं को समान दर्जा मिलना चाहिए?

क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय आंदोलनों का उदय (Rise of Regional parties and Regional movements)

1967 के चुनाव भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह देखा गया कि चुनावों को बहुत गंभीरता से लिया गया था तथा उनका अपना एक अस्तित्व था। इस समय तक आर्थिक विकास प्रक्रिया में विजित और पराजित दोनों तरह के लोग थे। इस प्रक्रिया ने राजनैतिक प्रतियोगिता को परिवर्तित कर दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। उसे बहुत कम बहुमत हासिल हुआ था (284 सीटें)। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल की विधानसभाओं में उसे हार का सामना करना पड़ा था। यह भारत में पहला बड़ा परिवर्तन था। वह दल जिसने लगभग 30 वर्षों तक लगातार शासन किया था अब उसे चुनौती मिली थी। पराजित दल ने सत्ता से लटकने का प्रयास नहीं किया बल्कि उसे जीतने वाले दल को सरकार बनाने के लिए अवसर दिया। इससे पता चलता है कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें फैल चुकी थी और देश प्रतियोगी बहुदलीय व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा था।

कांग्रेस को तमिलनाडु और केरल में भारी नुकसान हुआ। तमिलनाडु में DMK दल को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि सशक्त रूप से आयोजित क्षेत्रीय आंदोलन सत्ताधारी दल को चुनौती दे सकते हैं। DMK दल के फिल्म उद्योग से भी दृढ़ संबंध थे। इसीलिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एम.जी. रामचंद्रन, जिन्हें एम. जी. आर (MGR) भी कहा जाता है, के प्रशंसकों के भी कई संगठन बन गये थे। इनसे भी उसे बहुमत प्राप्त करने में मदद मिली थी।



चित्र 17.5: इंदिरा गाँधी

कांग्रेस को केरल, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में भी हार का सामना करना पड़ा। इन पराजयों और चुनौतियों ने कांग्रेस को आंतरिक रूप से कमजोर बना दिया था। उत्तर भारत के कई राज्यों में जहाँ कांग्रेस को बहुत ही छोटी विजय प्राप्त हुई थी, वहाँ उसके सदस्य विपक्ष से मिल गये थे। फलस्वरूप कांग्रेस सरकार की सत्ता समाप्त हो गयी और संयुक्त विधायक दल (SVK) की सरकार बन गयी। मौलिक रूप से यह कांग्रेस के विरोध में विधायकों का मेल था, जिसमें जनसंघ, समाजवादी, स्वतंत्र, कांग्रेस के पराजित विधेयक और स्थानीय दलों के विधायक शामिल थे।

नयी सरकार का भारत के राजनैतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि पहली बार इस समय प्रजातांत्रिक उभार के लक्षण दृष्टिगोचर हुए। यह पहली बार हुआ कि अंतःकालीन जातियों और समूहों, जिन्होंने भू-सुधारों से लाभ प्राप्त किया था तथा जिन्होंने आर्थिक पहुँच के कुछ अंशों को अर्जित किया था, उन्हें राजनैतिक सत्ता प्राप्त हुई थी। इन जातियों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट, बिहार के कुर्मी और कोइरिस, मध्यप्रदेश में लोध और यादव (यादव इन सभी राज्यों में) आंध्र प्रदेश में रेड्डी और कम्मा, कर्नाटक में वोक्कालिगास और तमिलनाडु में वेलालस प्रमुख थे। अपने-अपने राज्यों में ये जातियाँ प्रमुख थीं और इनकी संख्या भी अधिक थी। अन्य प्रमुख (पिछड़ी जातियाँ) जातियों में (DMK) का आगे आना एक उत्तम उदाहरण है।

संयुक्त विधायक दल (SVD) की सरकारों का जीवन बहुत कम था। उनका जीवन असफलताओं और भ्रष्टाचारों से भरा था। सत्ता ही एक ऐसा घटक था जिसने उन्हें एकता में बाँध रखा था। इन सरकारों के पास प्रदर्शन के लिए कुछ नहीं था। समस्या यह है कि आज भी क्षेत्रीय या राजनैतिक दलों का मूल्यांकन इसी दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है।

इस काल में देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय भागों के नवीनीकरण के बीज बोये। आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना की माँग हुई। इस आंदोलन में उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उनका मानना है कि विकास के लाभ राज्य के केवल कुछ वर्गों तक ही पहुँच रहे हैं।

असोम में दिसंबर 1969 ई. में, मेघालय नामक नये राज्य का निर्माण हुआ। इसे खासी, जैनतिया और गारो पहाड़ी जैसे जनजातियों जिलों में से निर्मित किया गया। 1966 में पंजाब बना था किंतु अब तक उसकी अपनी राजधानी नहीं है। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की आम राजधानी है, उसकी प्राप्ति के लिए 1968-69 के बीच अनेक प्रदर्शन किए गए। महाराष्ट्र में माँग रखी गयी कि बंबई केवल मराठी लोगों को सौंपी जाय। इस आंदोलन का नेतृत्व शिव सेना ने किया। मुख्य रूप से शिव सेना का इशारा दक्षिण भारतीयों की ओर था, क्योंकि उनका मानना था कि शहर के सारे रोजगार पर ये लोग ही अधिकार जमा रहे हैं।

इसी समय, पुरानी माँगें भी निरंतर चलती रही। कश्मीर और नागालैंड की माँगें भी इसी समय सामने आयीं। सदन की गिरफ्तारी से मुक्त होने के पश्चात् शेक अब्दुल्लाह वापस अपने राज्य आ गए थे। इसी तरह नागालैंड में भी, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए युवा नेतृत्व सामने आया।

यह सांप्रदायिक तनाव का भी काल था। देश कई भागों और राँची (बिहार) अहमदाबाद (गुजरात) जलगाँव (महाराष्ट्र), अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में सांप्रदायिक दंगे हुए। बहुत कठिन समय था। अभी-अभी राजनैतिक परिवर्तन हुआ था और नये नेतृत्व ने स्थान ग्रहण किया था। नये नेतृत्व को बढ़ती राजनैतिक जागरूकता और माँगों की अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न बहुसंख्यक समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होना था।

इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर दोनों प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 1967 के चुनाव करवाये। इंदिरा गाँधी ने निर्धन और पददलित लोगों में पहचान बनाकर स्वयं के लिए तथा अपनी पार्टी के लिए एक नया सामाजिक आधार बनाने का प्रयास किया। उनका यह कदम दुहरे सिरे वाला हथियार था। सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित पुराने वादे अभी तक पूरे नहीं हुए थे। यह 1967 में कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण बना। अभी तक, इंदिरा नये वादे कर रही थीं। दस वर्षों में भी जब जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया तो जनता निराश हो गयी। उनके दिल टूट गए। इसका परिणाम आपातकाल (Emergency) की अमलवारी के रूप में हुआ।

बंगलादेश युद्ध (Bangladesh War)

1970 के आरंभ में पूर्वी पाकिस्तान (जो आज बंगलादेश है।) में संकट उत्पन्न हो रहा था। बंगाली पहचान के दावे तथा पश्चिमी पाकिस्तान के सौतेले व्यवहार के कारण इस संकट ने आंदोलन का रूप ले लिया। साधारण चुनावों में, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली पार्टी को जीत हासिल हुई। किंतु उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। जिसके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के सैन्य दबाव आरंभ हो गए। लाखों शरणार्थी भारत आ गए। जिन्हें भोजन और आवास उपलब्ध कराना था। इसी समय बंगला देश में मुक्ति आंदोलन (Liberation Movement) आरंभ हुआ तथा भारत से सहायता की माँग की गयी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और भारत ने बंगला देश की मुक्ति को निश्चित करने तथा

जम्मू और कश्मीर

वह परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर ने भारतीय संघ में स्थान प्राप्त किया था वह अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न थी। जहाँ, अन्य राज्यों ने भारतीय संघ का शासन स्वीकार कर लिया था, वहीं शासक हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। वे भारत और पाकिस्तान दोनों में ही मिलना नहीं चाहते थे। राज्य में बहुसंख्यक जनसंख्या मुसलमानों की थी और शासक हिंदू थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम कांग्रेस द्वारा शेख मुहम्मद अब्दुल्लाह के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन महाराज के विरोध में तथा मुसलमानों को सरकारी रोजगार में अधिक प्रतिनिधित्व देने तथा अन्य मुद्दों में सरकारी प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। आगे चलकर आंदोलन ने राष्ट्रीय कांग्रेस का रूप ले लिया। हिंदू और सिक्ख भी इसके सदस्य बन गये। राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस में बहुत समानताएँ थीं। जैसे:- दोनों ने ही धार्मिक सद्भावना और समाजवाद की स्थापना का वादा किया था।

1947 के अंत तक राज्य को अपनी पश्चिमी सीमाओं पर बाह्य आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। ये आक्रमण पाकिस्तान की सहायता से रजाकारों ने किए थे। जब आक्रमणकारी श्रीनगर के समीप थे तो महाराज ने भारतीय सेनाओं से सुरक्षा का निवेदन किया। भारत के गवर्नर जनरल ने कहा कि भारतीय सेनाएँ तभी उपलब्ध होंगी जब जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा। उसी समय राज्य के भविष्य के निर्णय के विभिन्न मत सुझाए गए। राज्य की स्वायत्तता (Autonomous) के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गयी।

जनवरी 1948, ई. में भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा। इस मुद्दे को भरोसे के साथ पेश नहीं किया गया था इसीलिए यह आगे चलकर भारत - पाकिस्तान प्रश्न में परिवर्तित हो गया। उसी समय शेख अब्दुल्लाह ने दिल्ली समझौते को मान लिया, जिसमें कश्मीरियों को भारत की पूर्ण नागरिकता देने, राज्य को स्वायत्तता के साथ-साथ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ देने की बात कही गयी थी। इस समझौते के अधिकांश खण्ड राज्य की अनिवार्य विशेषताओं की सुरक्षा के लिए बनाये गए थे। जिन्हें अनुच्छेद 370 के रूप में संविधान में स्थान दिया गया था।

ठीक उसी समय राज्य में एक आर्थिक विभाजन हुआ, जिसने धार्मिक रूप ले लिया। भू-सीमा के निर्धारण के आधार पर, भू-सुधारों ने राज्य के कई भू-स्वामियों को समाप्त कर दिया। ये भू-स्वामी हिंदू थे। इस आर्थिक कार्यक्रम का सबसे अधिक लाभ मुसलमानों को हुआ। 1950-1990 के दौरान केंद्रीय सरकार ने राज्य की स्वतंत्रता को कम करने तथा अन्य राज्यों के समान इसे भी एक ही रेखा में लाने के अनेक प्रयास किए। इससे कश्मीर की जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया का प्रयोग 1990 में कश्मीर में हुए स्वतंत्रता आंदोलन को उत्तेजित करने के लिए किया गया। इस काल में अधिकांश हिंदू परिवारों को कश्मीर की घाटी को छोड़ने तथा अन्य राज्यों में प्रवास करने के लिए मजबूर किया गया।

स्वतंत्र देश के रूप में उसे स्थापित करने के लिए निश्चयात्मक रूप से हस्तक्षेप किया। भारत के ऐसा करने के पीछे उसकी सैन्य शक्ति ही नहीं थी बल्कि उसकी कौशलात्मक रूप से प्रयोग की गयी गुट-निरपेक्षता की नीति थी जिसके आधार पर उसने निश्चित किया था कि दोनों महाशक्तियाँ इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

वामपंथी मोड़ (The left turn)

नयी नीतियों और कार्यक्रमों के आरंभ के द्वारा इंदिरा गाँधी ने स्वयं के लिए तथा कांग्रेस के लिए एक नया मार्ग तैयार किया। इस नीति ने उसे पार्टी संगठन पर नियंत्रण रखने में सहायता की।

1971 तक अधिकांश राज्यों में, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किये जाते थे। 1972 के बजाय 1971 में पूर्व चुनावों की घोषणा कर इंदिरा गाँधी ने इस परिपाटी को तोड़ दिया। “गरीबी हटाओ” के प्रसिद्ध नारे के साथ कांग्रेस चुनावों के लिए तैयार थी। निर्धनों और अधिकारहीनों के लाभ के लिए इसने व्यवस्था की सुधारवादी पुनःरचना का वादा किया। कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की जिससे इंदिरा गाँधी की प्रसिद्धि बढ़ गयी। विपक्ष निर्बल हो गया, उसके आलोचक शांत हो गये और वह जनता की प्रिय बन गयीं। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इसमें भारत की जीत ने इंदिरा गाँधी की प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया। बाद में 1972 ई. में हुए चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा

रहा तथा इंदिरा गाँधी की प्रसिद्धि बढ़ती गयी। अब पार्टी और संसद दोनों पर इंदिरा का नियंत्रण रहा।

इस काल में महत्वपूर्ण विधेयक जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वीकृत किये गये थे, वे थे - कई निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजकीय पेंशनों की समाप्ति। इन दोनों विधेयकों को न्यायालय में चुनौती दी गई किंतु न्यायालय में इन्हें राजनैतिक लक्ष्यों के मार्ग में बाधा के रूप में पेश किया गया।



चित्र 17.6 : कलकत्ता (कोलकत्ता) में परिवार नियोजन का दवाखाना

नीतियों और कार्यक्रमों के

संबंध में न्यायालय की सोच अलग थी। सर्वोच्च न्यायालय को भय था कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के नाम पर संविधान में बहुत संशोधन किये जाएंगे, जो वास्तव में इसे विकृत करेंगे तथा विभिन्न संस्थागत संरचनाओं के बीच उत्पन्न संबंधों में असंतुलन पैदा करेंगे। 1973 में न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके अनुसार संविधान में संशोधन कर सकने की सरकारी शक्ति की जाँच की जाएगी।

अनियंत्रित स्थितियों और घटनाओं ने इंदिरा गाँधी पर निशाना साधा, जिसमें इंदिरा को अपने द्वारा किये गये वादों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके कार्यकाल में दो घटनाएँ एक साथ घटी जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को तराशने की अपेक्षा उस पर ध्यान देना आवश्यक था। 1973 में हुए अरब-ईजराइल के युद्ध ने तेल की कीमतें बहुत बढ़ा दी जिससे सरकार पर बहुत दबाव पड़ा। मँहगाई, अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी तथा बेरोजगारी ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग अप्रसन्न था। इस स्थिति ने विपक्ष को अपना काम करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में व्याप्त असंतोष को बढ़ावा देना शुरू किया। विपक्ष ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अपनी एकता को संगठित किया। जयप्रकाश नारायण ने देश के विभिन्न भागों में काँग्रेस और मुख्य रूप से इंदिरा के विरुद्ध कई प्रचार किये। यह जे.पी. आंदोलन था जो बिहार और गुजरात में बहुत प्रचलित था।

आपात काल

सरकार ने व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर नागरिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले कई कानूनों को बनाकर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सरकार का निजीकरण करने के लिए विपक्ष ने प्रधान मंत्री की आलोचना की। इसी समय, 1971 के चुनावों के दौरान, जन प्रतिनिधि अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से इंदिरा गाँधी को लोक सभा की सीट से हटा दिया गया। किंतु सर्वोच्च न्यायालय से वह इस पर स्थगन (stay) लाने में सफल हो गयी।

कुछ दिनों के पश्चात जब जे.पी. आंदोलन ने जोर पकड़ना आरंभ किया तो सरकार ने आपात काल की घोषणा कर दी और इसे व्यवस्था के संरक्षण, प्रजातंत्र के बचाव, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय एकता के संरक्षण को न्यायसंगत और प्रमाणित बताया।

इससे प्रजातंत्र को ताक पर रख दिया गया। सरकार ने अनेक दमनकारी कदम उठाये, जिसे शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक बताया गया। कई मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। इसी समय अनेक मनमाने अवरोध, अत्याचार तथा नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करने जैसी घटनाएँ हुईं। जनता ने बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण तथा कालाबाजारी और बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए किये गये प्रचारों को स्थगित किया। आपातकालीन सरकार ने झुग्गी बस्तियों (Slums) की समाप्ति के कदम भी उठाये। किंतु जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जबरदस्ती वंध्यीकरण जैसे कार्यों के कारण सरकार की निंदा हुई। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव में लोग अपने अप्रिय विषयों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे। जिससे सरकार को सही कदम उठाने में परेशानी हो रही थी।

इस समय की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी। 42 वाँ संवैधानिक संशोधन। इसके द्वारा कई परिवर्तन हुए। इसके निम्नलिखित लक्ष्य थे -

- अ) न्यायालय को चुनावी झगड़ों से अलग करना।
- आ) केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी शक्तिशाली बनाना।
- इ) न्यायिक चुनौतियों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संबंधी विधेयों को अधिकतम सुरक्षा उपलब्ध करवाना।
- ई) न्यायालय को संसद की चाटुकार बनाना। जहाँ संशोधन का संभावित उद्देश्य न्यायालय से सामाजिक और आर्थिक विकास की सुरक्षा करना तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना था वास्तव में इससे देश की प्रजातांत्रिक शक्ति कमजोर हो गयी।

उपसंहार

पहले तीस वर्षों के आपातकाल में गुजरने पर भी, यदि तुलना पत्र (Balance Sheet) को देखा जाये तो इसमें हमें प्रविष्टियों (Debits) की अपेक्षा उधार (Credits) अधिक दिखायी देंगे।

इस काल की सबसे प्रमुख उपलब्धि स्थिर प्रजातंत्र थी। भारत के साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अन्य देशों से भारत की तुलना करने पर हम देखते हैं कि विभिन्न रुचियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के साथ प्रतिस्पर्धी बहु-दलीय व्यवस्था का क्रमशः उद्गम एक वास्तविक उपलब्धि है। अन्य देशों की तुलना में भारत में चुनाव नियमित, मुक्त और निष्पक्ष ही नहीं होते हैं। बल्कि यहाँ पर नेताओं और सरकारों में भी यथार्थ परिवर्तन होता है। भारतीय संविधान नागरिक अधिकारों की गारंटी ही नहीं देता है बल्कि यह इसकी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए एक संस्थागत ढाँचा भी तैयार करता है।

भारत ने एक प्रभावकारी संस्थागत रूपरेखा भी तैयार की है जिसमें न्यायालय, चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Auditor General) जैसी स्वतंत्र संस्थाएँ भी हैं। सत्तावादी तटस्थता भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सैन्य बलों पर नागरिक नियंत्रण एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से तुलना करने पर भारत का स्थान प्रजातंत्र की संस्थाओं में बहुत ऊपर है।

मिलजुलकर रहने और विभिन्नता में एकता को बनाये रखने में भारत को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। गहन विभिन्नताओं को देखने पर ऐसा लगता था कि भारत छिन्न-भिन्न हो जायेगा किंतु ऐसा नहीं हुआ और इसने अन्य देशों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, योजना आयोग की स्थापना और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य पर ध्यान देना आवश्यक है। समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों पर अधिक ध्यान दिया गया। पहले भारत खाद्यान्न के लिए निर्भर था किन्तु धीरे-धीरे वह खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। इसने एक स्पृहणीय औद्योगिक आधार की नींव का निर्माण किया। फिर भी, सही मायनों में संतुलित क्षेत्रीय विकास नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकास हुआ। रोजगार के अवसरों में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई।

प्राथमिक शिक्षा और जन स्वास्थ्य को कम महत्व दिया गया। यह निस्संदेह एक बड़ी कमजोरी थी। इस कमजोरी से उबरने के लिए भारत को बहुत समय लग सकता था। भारत की तुलना में चीन और कोरिया जैसे देशों ने इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया था।

जाति प्रथा में व्याप्त निंदनीय अस्पृश्यता के उन्मूलन के बाद भी बहुत सारे भेदभाव विद्यमान थे। लिंग आधारित भेदभाव भी निरंतर चल रहे थे।

मुख्य शब्द

राज्य पुनर्गठन

एक दलील आधिपत्य

आपातकाल

क्षेत्रीय आंदोलन

राष्ट्रीयकरण

अपनी सीखने की क्षमता सुधारे

1. स्वतंत्रता के पश्चात शुरुआती वर्षों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए कौनसे कदम उठाये गये ?
2. एक दल आधिपत्य से आप क्या समझते हैं? केवल चुनावों के संदर्भ में इसका विवेचन करेंगे या आदर्शवाद के संदर्भ में आप इस पर विचार करेंगे। कारण सहित चर्चा कीजिए।
3. कभी एकता स्थापित करने वाले तत्व के रूप में तो कभी विभाजित करने वाले तत्व के रूप में भाषा भारतीय राजनीति में कई अवसरों पर केंद्रीय बिंदु बन गयी थी? उन घटनाओं को पहचानिए और उनका वर्णन कीजिए।
4. 1967 के चुनावों के पश्चात राजनैतिक व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।
5. राज्य पुनर्गठन के अन्य तरीकों के बारे में सोचिए और बताइए कि वे भाषा आधारित पुनर्गठन की तुलना में किस प्रकार उचित हो सकते थे?
6. इंदिरा गाँधी की किन नीतियों को वामपंथी मोड़ (left turn) कहा गया है ? यह पिछली दशकियों की नीतियों से किस प्रकार भिन्न थी? आपके अर्थशास्त्र के अध्यायों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बताइए कि ये किस प्रकार वर्तमान में प्रचलित नीतियों से भिन्न थी।
7. आपात काल, किस प्रकार भारतीय प्रजातंत्र के लिए प्रतिरोध का काल था?
8. आपात काल के पश्चात कौनसे संस्थागत परिवर्तन हुए ?
9. भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को पहचानिए।
 - 1) महाराष्ट्र
 - 2) गुजरात
 - 3) बिहार
 - 4) उत्तर प्रदेश
 - 5) जम्मू कश्मीर
 - 6) नागालैंड
 - 7) पंजाब
 - 8) मेघालय
10. भारत में होने वाली बहु दलीय व्यवस्था से जनता को होने वाले लाभ और हानि के बारे में विश्लेषण कीजिए।
11. पृष्ठ संख्या 232 में दूसरा अनुच्छेद पढ़कर उसपर टिप्पणी कीजिए।

अध्याय 18

1977 से 2000 तक राजनैतिक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना (Emerging Political Trends 1977 to 2000)

- पिछले अध्याय में स्वतंत्र भारत में घटित राजनैतिक घटनाओं पर संक्षिप्त सारांश लिखिए।

इस अध्याय में हम तत्कालीन भारत में घटी राजनैतिक घटनाओं को नज़दीकी से देखेंगे। इनमें से कई घटनाएँ एवं विषय विभाजित हैं और इस देश के राजनैतिक भूदृश्य को भी प्रस्तुत किया गया है। हम प्रतियोगी बहुदलीय पद्धति के उद्भव के साथ दलीय पद्धति में परिवर्तन को देखेंगे। दल प्रणाली में इस परिवर्तन के कारण कोई भी एक दल अपनी सरकार नहीं गठित कर पा रहा है और हमारे पास कई संयुक्त सरकारों की श्रृंखला दिखाई दे रही है। आर्थिक क्षेत्र में, यह परिवर्तन इस काल में विशाल स्तर पर प्रगति लाता है। बाज़ार की आर्थिकता और प्रजातंत्र में राजनीति के मध्य तनाव इस युग में स्वयं क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। ठीक इसी समय पुराने धार्मिक एवं जातीय भेदभाव के विषय फिर से जागृत हुए और राजनैतिक संचार का साधन बने। इस अध्याय में उन प्रतियोगी युग के समकालीन विषयों का, संविधान के मौलिक मूल्यों पर प्रभाव जैसे प्रजातन्त्र, अनेकता में एकता तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, का निरीक्षण करेंगे।

उस समय की घटनां पर शिक्षक और छात्र दोनों अपने विचार अपने पूर्ण विश्वास के साथ रख सकते हैं पर यह राय दी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों को उदार मन से सम्मान देना चाहिए और अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट करना चाहिए कि वह दूसरों को कष्ट न पहुँचाएँ।

आपातकाल का अंत तथा मोरारजी देसाई और चरण सिंह द्वारा जनता पार्टी सरकार की रचना।

इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन

टी.डी.पी. का गठन

आपरेशन ब्लुस्टार और इंदिरा गाँधी की हत्या।

राजीव गाँधी ने पंजाब पर सहमत HS लांगवाल के साथ तथा आसाम पर AASU

मिजो नेशनल फ्रंट—के साथ एकमत

श्रीलंका के साथ समझौता

वी.पी.सिंह तथा चन्द्रशेखर के साथ चुनाव तथा जनता दल सरकार की रचना।

मंडल कमीशन सिफारिश को लागू करने का निर्णय।

राम जन्म भूमि रथ यात्रा

राजीव गाँधी की हत्या और कांग्रेस सरकार में PVN राव को प्रधान मंत्री बनाना।

आर्थिक उदारवाद

बाबरी मस्जिद के विवादित निर्माण को ढहना

देवी गौड़ा द्वारा नेशनल फ्रंट सरकार की रचना तथा IK गुजराल प्रधानमंत्री बने।

अटल बिहारी वाजपेयी ने NDA सरकार आरंभ की

इस अध्याय में प्रजातांत्रिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण स्वभावानुसार व्यवहार और भविष्य पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है तथा विभिन्न कोणों से उसे समझने की कोशिश की है। किस प्रकार हम चर्चाओं का आयोजन करते हैं, उस पर ही प्रजातंत्र की प्रौढ़ता दिखाई देती है।

आपातकाल के पश्चात प्रजातंत्र की वापसी :

भारतीय प्रजातंत्र के लिए 1975 से 1985 तक का समय परीक्षा का युग था। इसका आरंभ आपातकाल की घोषणा से हुआ जिसमें अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था और इसका अंत राजीव गाँधी द्वारा प्राप्त कांग्रेस की ऐतिहासिक चुनाव विजय से हुआ। चाहे इसका आरंभ और अंत कांग्रेस पार्टी के समय ही देखा गया परन्तु कांग्रेस के लिए केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर ये साध्य विकल्प थे। इस प्रकार भारत “एकल पार्टी प्रजातंत्र” की ओर फिसलने से रुक गया जैसा कि कई देशों में होता है। प्रतियोगी विकल्पों की सुनिश्चितता से भारतीय मतदाता के लिए सदैव उचित चयन करने का मार्ग खुल गया। यह कई विभिन्न राजनैतिक विचारों और विविध रुचियों को राष्ट्रीय राजनीति एवं प्रांतीय स्तर पर सक्रिय करती है। समाजवादी, राष्ट्रीय हिंदू, साम्यवादी, उनके साथ-साथ किसान, दलित, पिछड़ी जाति तथा अन्य भी अपने राजनैतिक विचारों को बढ़ाकर प्रकट कर सकते हैं और माँग सकते हैं। उसी समय अन्य अराजनैतिक आंदोलन जैसे पर्यावरणीय आंदोलन, अकाल आंदोलन, नागरिक उदारवादी आंदोलन, साक्षरता आंदोलन और अन्य कई आंदोलन उत्पन्न हुए और सामाजिक परिवर्तन में बलशाली संचालक बन गये। आइए विस्तृत रूप से इनकी जाँच करते हैं।

- क्या आप समझते हैं कि बहु दलीय प्रजातंत्र की अपेक्षा एक दलीय प्रजातंत्र अधिक उचित होता है?
- विद्रोह एवं परिवर्तन में किस प्रकार बहु-दलीय प्रजातंत्र अधिक प्रभावशाली होता है?


1977 के चुनाव और आपातकाल का अंत :-

जब जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा की गई तो सभी आश्चर्य चकित हो गए। किसीको भी चुनाव की आशा नहीं थी। इन्दिरा गाँधी ने भी सभी राजनैतिक कैदियों को मुक्त कर दिया, सभी बंधनों एवं कानून को हटा दिया। साथ ही साथ आंदोलन, प्रचार तथा सभाओं को स्वतंत्रता दे दी। कई विरोधी दलों ने कांग्रेस को चुनौती देने के लिए सामने आने का निश्चय किया। कांग्रेस (O), स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जन संघ, भारतीय लोक दल तथा समाजवादी पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी बनाने का निर्णय लिया। प्रमुख कांग्रेस नेता जैसे जगजीवनराम पार्टी छोड़कर कांग्रेस विरोधी फ्रंट में शामिल हो गए। अन्य विरोधी दल जैसे DMK, SAD तथा CPI(M) अपनी स्वतंत्र पहचान रख कर कांग्रेस के विरोध में जनता पार्टी को सहयोग दिया। वयोवृद्ध नेता जैसे जयप्रकाश नारायण और आचार्य JB कृपलानी ने कांग्रेस विरोधी तथा आपातकालीन विरोधी पार्टी को जोड़ने एवं चुनाव में लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ध्यान देने की बात है कि इनमें से कुछ पार्टियों के सामाजिक एवं राजनैतिक विषयों में इनके विचारों में विरोधाभास था।

भारतीय प्रजातंत्र में यह ऐतिहासिक चुनाव था। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी पराजित हुई और जनता पार्टी सत्ता में आयी।

इस काल में नीलम संजीव रेड्डी 26 मार्च 1977 के दिन एकमत से 6 वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गये। तत्पश्चात निर्विरोध रूप से अकेले राष्ट्रपति चुने गये। सभी राजनैतिक दलों यहाँ तक कि विरोधी दल कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया और 25 जुलाई 1977 के दिन इन्होंने भारत के 6 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह महान राजनीतिज्ञता वाले व्यक्तियों को स्वीकार करने की प्रथा में नयी शुरुआत थी। इससे पता चलता है कि सार्वजनिक जीवन में जिसने उच्च स्तर स्थापित किया था, वे सार्वजनिक अफसर के रूप में पसंद किये जाते थे और वे सांप्रदायिक दल पर आधारित राजनीति से दूर थे। अपने कार्यकाल में श्री संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्रियों मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गाँधी के अंतर्गत तीन सरकारों के साथ कार्य किया।

विजयी जनता पार्टी ने राजकीय स्तर पर नौ कांग्रेसी सरकारों को निष्कासित कर दिया। अपने विधानसभा क्षेत्रों में बहुमत मिलने पर भी संसदीय चुनावों में पराजित होने पर केंद्रीय सरकार का राज्य सरकारों को निष्कासित करना कितना न्याय संगत था। जनता पार्टी ने तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के कारण राज्यों में अपने शासनाधिकार को खो दिया है। इसीलिए उसे अधीन हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार में जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में CPI(M) तथा तमिलनाडु में DMK की जीत इस बात को प्रमाणित करती है।



चित्र 18.1 : नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति

1970 की कुछ विरोधी (विपक्षी) पार्टियाँ

BLD - भारतीय लोक दल - यह पार्टी उन सामाजवादियों की थी जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के भारतीय किसानों के लिए अधिक सतर्क थी। यह मुख्य रूप से उ.प्र. में थी।

कांग्रेस (O) - वह कांग्रेस का संकीर्ण भाग जो इंदिरा गाँधी की योजनाओं का विरोधी था।

CPI(M) - भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) राष्ट्रीय जागृत पार्टी जिसने बुनियादी भू सुधार, व्यापारिक संघवाद और समाजवादी योजनाओं को पाने के लिए संघर्ष किया।

DMK - द्रविड़ मुनेत्रा काजगम - तमिलनाडु की मुख्य पार्टी जिसने प्रांत में अधिकार एवं शक्ति प्राप्त की।

जन संघ :- उत्तरी प्रदेश में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हिंदू राष्ट्रीय पार्टी थी।

SAD :- शिरोमणि अकाली दल - यह पार्टी पंजाब के सिक्खों की थी जो मुख्यतः गुरुद्वारा के आस-पास आयोजित थी। इसीलिए यह सम-धार्मिक दल वाली थी। यह राज्य में महान स्वायत्तता के पक्ष में थी।



चित्र 18.2 : प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई

जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही यह वचन दिया कि वह प्रजातंत्र की पुनः स्थापना करेगी तथा उत्तरदायित्व शासन (अधिकारी शासन) से मुक्ति दिलाएगी। पार्टी में मतभेद ने सरकार पर गहरा प्रभाव डाला तथा शासन केवल आंतरिक तुच्छता तथा अयोग्यता से पहचानी जाने लगी। पार्टी में स्वार्थी संघर्ष के कारण सरकार तीन वर्षों के भीतर गिर गई और 1980 में चुनाव हुए।

1980 में कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटी। कांग्रेस ने जनता दल को हराकर तथा 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार को निष्कासित कर जनता का साथ दिया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर कांग्रेस सभी राज्यों में विजयी हुई।

जनता पार्टी तथा कांग्रेस सरकार दोनों के द्वारा किये गये कार्यों ने मौलिक सिद्धांतों को दुर्बल बना दिया तथा केंद्रीय भूमिका का साथ दिया। यह राष्ट्रीय

राष्ट्रपति शासन

संविधान के 356 अनुच्छेद में यह दर्शाया गया है कि प्रांत का राज्यपाल राष्ट्रपति से यह अनुरोध कर सकता है कि वह प्रांतीय सरकार को स्थगित कर दे और यदि उन्हें ऐसा लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं तो राज्य विधान सभा को भंग कर दे। तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय लेकर राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं तथा राज्यपाल को शासन का भार संभालने का आदेश दे सकते हैं।

इस संदर्भ में संविधान में कोई स्पष्ट मार्ग दर्शन नहीं दिया गया है, कई केंद्रीय सरकारों विराधी पार्टी द्वारा संचालित कई प्रांतों की सरकारों को भंग कर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर रही है। तब से, इस प्रकार का दुरुपयोग आज कल कम हो रहा है।

1994 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार के अनुच्छेद 356 के उपयोग पर कठिन सीमा लगा दी। तब से इस शक्ति का उपयोग बहुत कम हो गया है।


- ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें केंद्र ने प्रांतीय स्तर पर सरकार को भंग किया, यदि वे अन्य किसी राजनैतिक पार्टी की हो। चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उन्होंने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का हनन किया है।

एकता पर भी प्रभावशाली बना। कई राज्यों के लोगों ने इसमें मोड़ लाना चाहा तथा केंद्रीय सत्ता की दृढ़ता चाही या भारत से अलग हो जाना चाहा। गैर कांग्रेस क्षेत्रीय दल (जैसे SAD और DMK) ने एकत्र होकर सामान्य फ्रंट की स्थापना करने, तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने, महान वित्तीय स्वायत्तता का निर्माण करने, प्रांतीय स्तर के विषयों में कम हस्तक्षेप और राज्यपाल के अधिकारों के दुरुपयोग तथा राष्ट्रपति शासन को, लागू करने, में स्वच्छंदता को रोकने का प्रयास किया।

क्षेत्रीय लालसा का उद्भव

आइए हम भारत के विभिन्न भागों में तीन आंदोलनों को देखेंगे : आंध्र प्रदेश, असोम और पंजाब में। क्या आप इन आंदोलनों में समानताएँ एवं असमानताओं को पहचान सकेंगे। ये तीनों स्वशासन के अधिकार की माँग करते थे।

आंध्र प्रदेश:- एकीकृत आंध्र प्रदेश में अधिकतर केंद्रीय कांग्रेस सत्ता के द्वारा मुख्य मंत्री में परिवर्तन होता रहता था तथा उपरोक्त कारणों के कारण नेताओं को अरुचिपूर्ण लगा। उन्हें ऐसी अनुभूति होती थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व द्वारा आन्ध्र प्रदेश के नेतृत्व को सम्मान नहीं मिलता था। यह आंध्र के लोगों के सम्मान के लिए अपमान जनक था। प्रसिद्ध अभिनेता N.T रामा राव (NTR) ने इस कारण को चुना। 1982 में अपने 60 वें जन्मदिवस पर तेलुगु देशम पार्टी का आरंभ किया। उन्होंने बताया कि तेलुगु देशम पार्टी तेलुगु भाषी के आदर और आत्मसम्मान के लिए बनी है (तेलुगुवारी आत्म गौरवम)। उन्होंने विवाद किया कि राज्य को कांग्रेस पार्टी के निचले कार्यालय के रूप में न माना जाए। समान रूप से उसने गरीबों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं को भी महत्व दिया। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ जैसे सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, गरीबों के लिए रु. 2 प्रति किलो चावल की बिक्री तथा मद्य निषेध आदि। इन्हीं प्रसिद्धियों से 1982 के चुनाव में TDP जीत गयी। किसी प्रकार 1984 में जब वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शल्य चिकित्सा के लिए गये थे तब राज्यपाल ने उन्हें गुप्त रूप से पदमुक्त कर दिया। राज्यपाल ने TDP से पराजित कांग्रेस सदस्य N भास्कर राव को नियुक्त किया। वापस लौटने पर NTR ने राज्यपाल के कार्यों को चुनौती दी और प्रमाणित किया कि उन्हें कई MLA का सहयोग प्राप्त है। एक मास पश्चात केंद्रीय सरकार ने नए राज्यपाल को नियुक्त किया जिसने फिर से NTR को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त किया। स्वतन्त्रता से पदमुक्त संघर्ष में कई राजकीय दल जैसे CPI(M),DMK,SAD, और अन्य के साथ राष्ट्रीय सभा ने NTR को सहयोग दिया।



चित्र 18.3 : एन.टी. रामाराव

- NTR की राजनीति में निम्न कारणों के महत्व पर चर्चा कीजिए :-

 - 1) अभिनेता के रूप में पृष्ठ भूमि
 - 2) राज्य के आत्म गौरव के लिए संघर्ष
 - 3) निधीनो के लिए प्रसिद्ध कल्याणकारी योजनाएँ
 - 4) अन्य क्षेत्रीय दलों से समझौता

असम (असोम) आंदोलन :-

असोम में भी समान रूप से स्वशासन का अधिकार पाने की शक्तिशाली माँग थी। आसाम में आसामी के अतिरिक्त बंगाली भाषा भी बोलते थे। अंग्रेजों के काल से ही बंगालियों ने राज्य के प्रशासन में निम्न या माध्यमिक पात्रता निभाई। आसामियों को लगने लगा कि बंगाली अधिकारी उनके साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक मानते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात कई बंगाली भाषी भी असोम में बस गए थे तथा बांग्लादेश की सीमा से आये लोगों ने इस परिस्थिति को और असहनीय बना दिया। जब कभी कोई राजनैतिक

अव्यवस्था हो जाती थी या प्राकृतिक आपदा हो जाती थी तो हजारों लोग राज्य में प्रवेश कर स्थानीय लोगों के लिए अशांति निर्मित करते। स्थानीय लोगों को ऐसा लगने लगा कि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ें खो रहे हैं और तुरन्त ही “बाहरी लोगो” से बाह्य गणना में आ जाएंगे।

1970 के अंतिम चरण में अप्रसन्नता की सामान्य अनुभूति ने सामाजिक आंदोलन का रूप लिया। इस विद्रोह के अग्रगण्य बने “दि आल असम स्टुडेन्ट युनियन”(AASU)। यह संस्था सारे राज्य में फैल गई और विशेषकर युवाओं में अधिक प्रसिद्ध हुई। इसने कई हड़तालें, विद्रोह तथा मोर्चों द्वारा केंद्रीय सरकार को अपनी माँगों से अवगत कराना चाहा। मुख्य रूप से बाह्य लोगों को राज्य से निकालने की माँग की।

संस्कृति एवं प्रदर्शन के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोण भी था। व्यापार और अन्य संस्थाएँ भी गैर-आसामी समाज के अधीन थीं। राज्य के प्रमुख स्रोत चाय, तेल आदि का लाभ भी स्थानीय लोगों को नहीं मिलता था। मुख्य रूप से कोलकत्ता में चाय के कारखाने थे। सार्वजनिक क्षेत्रों में होने के बावजूद भी तेल के कारखानों में कुछ स्थानीय लोग ही संलग्न थे। तेल को शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए दूसरे राज्य भेजा जाता था। इन सब में सबसे अधिक आंदोलन के पीछे प्रमुख कारण यह था कि असम को “आंतरिक उपनिवेश” माना जा रहा है जिसका अंत होना चाहिए। इनकी प्रमुख माँग थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार में अधिकता दी जानी चाहिए, बाहरी लोगों को निकालना तथा प्राकृतिक संसाधनों से स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त हो।

पड़ोसी देशों से आए मुसलमानों ने इन माँगों को सांप्रदायिकता की चरम सीमा पर पहुँचा दिया। आंदोलन उस समय अधिक भयानक बन गया जब आंदोलन में गैर बंगाली, गैर लेफ्ट(पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का शासन था), गैर आसामी तथा गैर भारतीय को मिला लिया गया। आंदोलन में हिंसा एवं विभाजन की अधिकता पर केंद्रीय सरकार ने तुरंत सूचना प्राप्त की। आंदोलन कर्ताओं तथा केंद्रीय सरकार के मध्य समझौते के पहले तीन वर्षों तक बातचीत चलती रही। 1984 में प्रधान मंत्री राजीव गाँधी के समक्ष केंद्रीय सरकार तथा AASU के बीच समझौता हस्ताक्षरित हुआ। पुनः व्यवस्था तथा असाधरण उदारता के लिए कांग्रेस सरकार ने राज्य में प्रवेश कर अवधि के भीतर चुनाव करवाए। चुनाव में “असम गण परिषद” (AGP-AASU का रूप) सत्ता में आया।

राजनैतिक परिवर्तन अधिक समय से उत्पन्न समस्याओं को दूर नहीं कर सका। जिससे आंदोलन उत्पन्न हुआ। बांगला देश की सीमा को बन्द नहीं किया जा सका। इसके पीछे कूटनीति तथा भौगोलिक कारण दोनों थे। (जलीय मार्ग एवं पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक स्थान पर सीमा नहीं बाँधी जा सकती थी)। प्राचीन बंगाली निवासी तथा नवीन स्थानांतरित या शरणार्थियों में अंतर कर पाना कठिन हो गया। विशेष रूप से पहचान पत्र पर जोर देने का नकारात्मक प्रभाव असोम के अन्य समुदायों जैसे बोडु, खासी, मिजो और करबीस पर पड़ा। उनमें से कई ने अधिकृत क्षेत्र की माँग की। वे एक साथ एकत्रित हो कर अपने क्षेत्र से अन्य समुदाय के लोगों

को भगाना चाहते थे। “जातीय सफाया” ने हिंसात्मक रूप ले लिया था अल्पसंख्यक बंजारा समुदाय को क्षेत्र से निकलने पर विवश किया, असोम के विभिन्न भागों में समूह में हत्याएँ होने लगीं। सरकार भी एक समुदाय के हिंसात्मक कार्यों को रोकने की अपेक्षा उन्हें प्रेरणा देने लगी या दूसरे समुदाय को शस्त्र पहुँचाने लगी तथा इस प्रकार समस्या को हल करने की अपेक्षा तनाव को वैसे ही बने रहने दिया।

केंद्रीय सरकार ने तनाव को कम करने और शांति स्थापना के लिए सशस्त्र सैनिकों को क्षेत्र में फैला दिया। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में तीन कारणों से सैनिक भेजे गये-पहला-यह चीन, बर्मा(आज म्यांमार) तथा बांग्लादेश देश की सीमाओं से जुड़ा है, दूसरा-उग्रवादी भारत से अलग होने की अक्सर माँग करते थे, तीसरा-उग्रवादियों की संख्या अधिक हो गई थी जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हिंसात्मक व्यवहार कर रहे थे। जैसे ही भारतीय सशस्त्र सेना इस समस्याप्रद स्थिति में उतरी तो नागरिक स्वतंत्रता में संदेह उत्पन्न हुआ और सेना को असामान्य अधिकार दिए गए थे। सरकार ने सोचा कि केवल इसी मार्ग से क्षेत्र में शांति लाई जा सकती है।

इस तरह बंगाली और आसामी के मध्य उत्पन्न समस्या से उन क्षेत्रों में अंतर्जातीय शत्रुता उत्पन्न हुई। जातीय पहचान तथा जातीय दृढ़ता के शीघ्र समाधान के लिए संकीर्ण विचारों की अपेक्षा उदारवादी उपागम की आवश्यकता थी।

- आप किन कारणों से यह सोचते हैं कि असम आंदोलन आंध्र प्रदेश में NTR के आंदोलन से समान या भिन्न था?
- निम्न विषयों पर अपनी कक्षा में वाद-विवाद का आयोजन कीजिए :-
केवल एक ही समुदाय एक क्षेत्र में रहे तथा सभी डाक और व्यापार, वाणिज्य केवल उसी समुदाय के लोगो के हाथ में रहे या भारत के सभी लोगो को किसी भी स्थान में घुम सकने,निवास करने अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो।
- क्या लोगों के स्वतंत्र आवागमन की खुली योजना अमीर और शक्तिशाली बाहरी लोगो को इस क्षेत्र में भूमि, संसाधन, खरीदने में सहायक होगी? और वहाँ के स्थानीय लोग बलहीन और गरीब बनायेगी?

पंजाब विद्रोह

भारत के पंजाब राज्य में भी अधिकार के लिए आंदोलन ने आकार लेना आरंभ किया। यहाँ भी भाषा एवं धर्म की विविधता की प्राधान्यता संचार का साधन बनी। यहाँ फिर से असंतोष का कारण राज्य को अनदेखा किया जाना था। उन्हें यह विश्वास था कि राज्य के गठन के समय राज्य को अनुचित सौदा करना पड़ा। शिकायत यह भी थी कि राज्य के योगदान को नज़र अंदाज किया जा रहा था। नई राजधानी जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र प्रशासित थी, पंजाब को भाखरा-नांगल बाँध से अधिक पानी और सेना में अधिक सिक्खों की भर्ती की माँग की गयी।

1978 में अकाली दल ने केंद्र में जनता पार्टी के शासन में एक संशोधन पारित किया कि केंद्रीय सरकार इन्हें लागू करें। यह विशेष माँग की गई कि संविधान में संशोधन कर राज्य

को अधिक अधिकार दिए जाए और अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का आश्वासन दें। प्रस्ताव कहता है:-

“शिरोमणि अकाली दल ने जनता पार्टी से विभिन्न भाषा, सांस्कृतिक विभाग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा लाखों विजातीय लोगों की जानकारी प्राप्त कर देश के अर्थपूर्ण संघीय सिद्धांतों के आधार पर संवैधानिक ढाँचे में परिवर्तन की माँग पर ध्यान दे कर देश की अनेकता में एकता की असुरक्षा को समाप्त करने की जानकारी रखी, ताकि अपने अधिकारों का उचित पालन कर बाद में वे भारतीय लोगों की उनके अपने क्षेत्र में प्रगति एवं समृद्धि के लिए उपयोगी भूमिका निभा सके।”

SAD तथा कांग्रेस के मध्य चुनाव प्रतियोगिता ने तुच्छ रूप ले लिया। 1980 में अकाली दल को पदमुक्त कर कांग्रेस के सत्ता पाने से वातावरण में यह भावना जोश लेने लगी कि सिक्खों के साथ भेदभाव किया गया है। कई घटनाओं की श्रृंखला बढ़ने लगी, सिक्ख एवं केंद्रीय सरकार के मध्य अंतर एवं अलगाव बढ़ने लगा। सैन्य (मिलिटेंट) सिक्खों के नेता भिंड्रावाले ने विभाजन की माँग की तथा सिक्खों के राज्य खालिस्तान बनाने की माँग रखी। यह राज्य में गंभीर उपद्रव का काल था। लड़ाकू सेना ने सभी सिक्खों तथा पंजाब के गैर-सिक्खों को रूढ़िपंथी जीवन जीने पर विवश किया। सांप्रदायिक रंग भी विवाद का कारण बना। गैर सिक्ख समुदाय के लोग साम्प्रदायिक आक्रमण का कारण बने। अंत में स्वर्ण मंदिर गैर सिक्खों के समूह के अधीन हुआ और सेना को हस्तक्षेप कर प्रांगण खाली करवाना पड़ा। इस क्रिया से सिक्खों के पावन मंदिर को अपराधी कार्य के रूप में देखा गया तथा अलगाव अधिक बढ़ गया।



चित्र 18.4 : 1970 और 1980 में भारत ने तकनीकी एवं सहकारिता में उपलब्धियाँ प्राप्त की, उपरोक्त श्री हरि कोटा में PSLV का प्रक्षेपण। अमूल सहकारी समिति तथा एच.एम.टी आदि।

1984 में इंदिरा गाँधी की हत्या के समय यह उभर कर बाहर आया। विशेषकर दिल्ली में हजारों सिक्खों पर हमला किया गया, हत्या की गई और उनकी संपत्तियाँ नष्ट कर दी गई। प्रशासन ने हिंसा को रोकने में बहुत ही कम कार्य किया।

राजीव गाँधी के प्रधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने SAD के साथ बातचीत कर, SAD के अध्यक्ष संत लंगोवाल से समझौता किया। जबकि पंजाब में चुनाव का आयोजन किया गया और उसमें SAD को विजय मिली, शांति कुछ ही समय के लिए रही क्योंकि लड़ाकू सेना ने लंगोवाल की हत्या कर दी।

अप्रैल 1986 में अकाल तख्त की सभा में स्वतंत्र राज्य खालिस्तान की घोषणा की गई। स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ने वाले कई समूहों को, जिन्होंने सेना से समझौता कर लिया, और आंतकवादी क्रियाओं में व्यस्त हो गए। भारतीय सरकार ने इसका दावा किया कि उन समूहों को पाकिस्तानी सरकार सक्रीयता से सहयोग दे रही है। पंजाब में हिंसा एवं विवाद का युग रहा। इस बगावत के काल में लड़ाकू सिक्खों और पुलिस में तथा अन्य धार्मिक समूह में मतभेद देखा गया। जो भी इन लड़ाकू सिक्खों को समर्थन नहीं देते जैसे पत्रकार, राजनेता, कलाकार, सक्रीय कर्ता आदि को मार दिया जाता था। अव्यवस्थित आक्रमण व्यापक रूप से नागरिकों पर अचानक होने लगे जैसे- रेल को पटरी से उतार देना, पंजाब और दिल्ली के मध्य के भागों के बाजारों, होटलों तथा अन्य नागरिक क्षेत्रों में बम विस्फोट करना आदि। 1991 में ही लगभग हजारों लोग मारे गए। कट्टरपंथी व्यापक रूप से अपहरण करने लगे तथा अपने कार्यों के लिए धन लूटने लगे। इन सभी कारणों से वे सिक्खों व पंजाबी जनता से दूर होने लगे। कई वर्षों पश्चात पुलिस ने इन उग्रवादियों पर असरदार एकशन लिया और तेजी से लोगों की सहानुभूति उनकी ओर आकर्षित होने लगी, 1990 के अंत में पंजाब में शांति वापस लौटी।

चाहे पंजाब में सरकार ने कठोर कदम लड़ाकू सेना को दबाने के लिए उठाए, कई बार नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भी भंग करना पड़ा। कई निरीक्षकों ने यह सोचा कि जब संविधान का नाश इन उग्रवादियों के कारण पतन के किनारे पर पहुँच चुका था, तो नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भंग करना कोई अनुचित कार्य नहीं था। न्यायमूर्ति भी इन कट्टर पंथियों के विरोध में फैसला सुनाने में डरते थे कि कहीं वे प्रतिहरण न ले लें। कुछ अन्य निरीक्षकों का मानना था कि इस प्रकार अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार राज्य द्वारा लिया जाना न्यायिक नहीं है और बाद में कहीं यह कार्य राजनीति अप्रजातांत्रिक आकार न ले ले।

- दिल्ली में 1984 में सिक्खों में ज्वलंत विवाद विभाजन एवं उग्रवाद में गैर-सिक्ख लूटेरे ने क्या भूमिका निभाई।
- पंजाब और आसाम आंदोलन में समानता और असमानता को बताइए। हमारी राजनीति व्यवस्था को उन्होंने किस प्रकार की चुनौती दी?
- सरकार ने जिस मार्ग से दोनों समस्याओं को झेला, क्या उसने अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को दृढ़ बनाया या कमजोर किया?

राजीव गाँधी काल में नवीन कदम



Fig 18.5 : राजीव गाँधी



Fig 18.6 : नई दिल्ली में दूर भाष्य केंद्र पर कार्यरत संचालक - 1950

अधिक धन खर्च किये जाने के बावजूद बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व अन्य समस्याओं के कारण गरीबों तक लाभ नहीं पहुँच रहा है। यह सच है कि जो अधिकतर गरीब हैं और गरीबी रेखा के नीचे हैं, महिलाएँ, दलित, बंजारे आदि निर्धन लोगों को प्रगति के फल नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि किए गए कार्यों में विशाल परिवर्तन की आवश्यकता है। राजीव गाँधी ने यह सोचा कि अधिक जन समूह का सरकार में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा ही

चुनाव में राजीव गाँधी के अधीन कांग्रेस ने अपूर्व सफलता प्राप्त की। राजीव गाँधी ने पंजाब, असोम और मिज़ोरम तथा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में शांति स्थापना को आरंभ किया। भारत में यौद्धा दलों (विभाजित तमिल और सिंहम सरकार) के बीच शांति स्थापना के लिए सेना भेजी, परंतु इसका विपरीत रूप सामने आया क्योंकि न तो तमिल और न ही श्रीलंका की सरकार ने इसे स्वीकार किया तथा 1989 में अंत सेना को छोड़ देना पड़ा।

राजीव गाँधी ने यह अनुभव किया कि देश की उन्नति में सारा ध्यान लगा देना चाहिए, लेकिन यह भी अधिक लाभदायी नहीं रहा। प्रसिद्ध भाषण में राजीव गाँधी ने कहा कि गरीबों पर खर्च किए जाने वाले प्रति एक रुपये में से केवल 15 पैसे उन्हें मिलते हैं। इस सत्य को अधिक उजागर किया गया कि विकास पर

- वर्तमान से पीछे की ओर देखिए आप के विचार में देश के लिए राजीव गाँधी का स्थाई योगदान क्या है?
- अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए कि गरीब लोगों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं से लाभ क्यों नहीं मिलता। ऐसा कौनसे दीर्घकालीन कदम उठाना चाहिए जिससे गरीबों को उसका लाभ मिल सके?
- उन सभी लाभों की जानकारी प्राप्त कर सूची बनाइए जो आपका विद्यालय विद्यार्थियों के लिए लागू करता है। क्या वे उन्हें उचित रूप से दिलाने का प्रबंध कर सकते हैं? अपनी कक्षा तथा विद्यालय के बाहर, अपने घरों में या खेल के मैदान में इस पर चर्चा कीजिए।

यह उत्तम मार्ग है। लेकिन कई ऐसे राज्य जो विरोधी दल से शासित थे, ने सोचा कि यह उन्हें कमजोर बनाने तथा उनके अधिकार कम करने का प्रयास है।

आर्थिक क्षेत्र में भी राजीव गाँधी ने विभिन्न कार्यों द्वारा इसे पाना चाहा। उनकी सरकार द्वारा 1985 में प्रस्तुत प्रथम बजट में उदारता दिखाई जिससे कई स्थानों पर से निरीक्षण एवं अंकुश को हटाया गया।

राजीव गाँधी भी इस बात से सहमत थे कि संसार में उभरने वाली नवीन तकनीकी को अपनाना चाहिए, विशेषकर कंप्यूटर और दूरभाष्य तकनीकी में। इन्होंने भारत में “टेलीकाम रेवेल्युशन” आरंभ किया, जो तीव्र वेग से फैलने लगा और सम्पूर्ण देश में सेटेलार्ड तकनीकी के द्वारा दूर भाष्य संचार का जाल बिछ गया।

उच्च स्थानों पर सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार का उदय :-

विभाजन की भयानकता के बाद धर्म को सक्रिय एवं औपचारिक राजनैतिक क्षेत्र से दूर रखा गया। इस युग में एक नवीन राजनैतिक संचार के उद्भव को देखा गया जिसमें सांप्रदायिकता दिखाई पड़ी।

राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का उपयोग एवं सरकार के विभाजन की भूमिका विनाशकारी घटनाओं की ओर बढ़ती है जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अनेकता में प्रश्न चिह्न लगाती है।

प्रधान मंत्री की क्षमा याचना

राज्य सभा में डॉ. मनमोहन सिंह का कथन

1984 की भयानक राष्ट्रीय दुर्घटना में चार हजार लोग मारे गए। यह एक आत्मनिरीक्षण का समय है किस प्रकार सब एक साथ मिलकर कार्य करें, जिससे हमारे देश में फिर से इस प्रकार की भयानक दुर्घटना न होने पाए, इस आश्वासन के लिए हम नए मार्ग ढूँढ सकते हैं....मुझे केवल सिक्खों से ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय देश से क्षमा माँगने में लज्जा नहीं आती क्योंकि 1984 में जो घटा वह राष्ट्रवाद के लिए दोषी है और जो हमारे संविधान में स्वीकृत किया गया है। इसलिए मैं किसी झूठे सम्मान पर खड़ा नहीं हूँ। हमारी सरकार की ओर से, इस देश के लोगों की ओर से मैं शर्म से अपना सिर झुकाता हूँ कि ऐसी घटना घटी। लेकिन, श्रीमान, ज्वार में पतन तथा ज्वार में उफान देश के मामलों में आता रहता है। अतीत हमारे साथ है। हम अतीत को पुनः नहीं लिख सकते। लेकिन मानव होने के कारण, हमारे पास इच्छा शक्ति है और हममें योग्यता है कि हम सबके लिए अच्छा भविष्य लिख सकते हैं..... (pmindia.nic.in/RS% 20 speech.pdf) 11 2005.

- इस भाषण में सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है?
- इस भाषण से हमें क्या संकेत मिलता है?
- प्रधान मंत्री ने यह भाषण बनाया तो इसकी प्रमुखता क्या है?

1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानू के द्वारा दायर किये गये मुकदमों का फैसला सुनाया। जिसके पति ने इसे तलाक दे दिया था। जीवन निर्वाह के लिए उसने अपने पूर्व पति से भुगतान की माँग की। प्रगतिवादी मुसलमानों ने निर्णय का स्वागत किया, दूसरों ने इस

निर्णय का विरोध यह कह कर किया कि यह इस्लामी कानून के विरोध में है और यदि इसे स्वीकारा जाएगा तो समाज के धार्मिक जीवन में आगे भी हस्तक्षेप किया जाएगा। महिला आंदोलन ने नेता तथा अन्य मुसलमान समाज में सुधार लाने वालों ने यह विवाद किया कि यह पति द्वारा तलाक दी जाने वाली मुस्लिम महिला के लिए अन्याय होगा। सरकार रुढ़िवादी विभाग के दबाव में आ गई और 1986 में एक नया कानून बनाया जिसने मुसलमानों को केवल तीन महीने के लिए अपनी तलाक शुदा पत्नी को जीवन निर्वाह की राशि देनी होगी। यह विशाल स्तर पर रुढ़िवादी धार्मिकता के समक्ष समझौता दिखाई देता है तथा समुदाय की महिलाओं की रूचि को अनदेखा करता है।

लगभग उसी समय हिंदुओं के कुछ भाग ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल पर भगवान राम का मंदिर बनाने का प्रचार किया। उन्होंने यह दावा किया कि वह स्थान राम की जन्म भूमि है और पहले के मन्दिर को तोड़ कर यह बनाई गई है। बाबरी मस्जिद के संरक्षकों ने इसे मानने से इन्कार किया और दावा किया कि यह मुसलमानों का प्रार्थना क्षेत्र है। यह कुछ समय के लिए मतभेद का कारण बना और न्यायालय ने आदेश दिया कि निर्णय न होने तक यह स्थान बंद रहेगा। यह केवल वर्ष में एक दिन खोला जाएगा। 1986 में न्यायालय ने आदेश दिया कि मस्जिद सभी दिन खुली रहेगी और हिंदू भी दैनिक रूप से पूजा कर सकते हैं। यह विश्वास किया गया कि केंद्रीय सरकार ने इस निर्णय को समर्थन दिया है। मंदिर को खुला रखने से उन लोगों को सहायता मिली जो जन समूह को जमा कर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहते थे।

कई निरीक्षकों को लगने लगा कि वे स्थापित राजनैतिक दल लोगों में अपनी प्रसिद्धि खो रहे हैं। गैर राजनैतिक नेतृत्व के अधीन कई प्रसिद्ध आन्दोलन विभिन्न विषयों पर उभरने लगे। बड़े किसान जो बाजार के लिए उत्पादन करते थे, कृषि उत्पादों के लिए उचित कीमत पाने के लिए लड़ने लगे और डीजल, खाद और विद्युत के लिए सबसीडी की माँग करने लगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों ने महेन्द्र सिंह तीकैत के नेतृत्व में विद्रोह किया। शरद जोशी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के किसानों ने विद्रोह किया। आदिवासियों और किसानों ने कई प्रांतीय आंदोलन चलाए जिसमें प्रगतिकारी बाँध एवं खदानों के निर्माण के लिए किये गये स्थानांतरण के विरोध में आंदोलन चलाया गया। कई निरीक्षकों को लगने लगा कि राष्ट्रीय राजनैतिक दल हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं की इच्छा पूर्ति कर ही चुनाव में उनकी सहायता ले सकेंगे। किसी भी तरह से इसने भारतीय धर्म निरपेक्षता की भावना अंबर को कमजोर बना दिया और इन वर्षों में सांप्रदायिक राजनीति के उदय के लिए मार्ग बना दिया।

लगभग इसी समय कई नेताओं पर यह आरोप लगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे स्वीडन निर्माताओं से भारतीय सेना को बन्दूकें वितरण करने पर रिशवत लेते हैं। जबकि यह आरोप स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हो सका, पूर्व सांसदों जैसे V.P.सिंग आदि ने इसका प्रचार जोर शोर से किया। प्रशासन एवं राजनैतिक परिधि में भ्रष्टाचार का विषय गैर कांग्रेसी राजनैतिक दलों के लिए 1989 के चुनाव के लिए प्रचार का प्रमुख आधार बन गया। एक बार सभी गैर

कांग्रेसी पार्टियाँ आपसी मतभेद को त्यागकर एक जुट हो गई, कांग्रेस की सफलता में समस्याएँ उत्पन्न होने लगीं। कांग्रेस सबसे अधिक सीटों पर विजयी हुई परंतु अकेले सरकार का गठन करने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं थीं। पहली बार V.P. सिंह ने जनता दल की संयुक्त सरकार का गठन किया।

मिलीजुली राजनीति का युग :-

पूर्वकालीन स्वतंत्र भारत में 1990 के वर्ष, विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन के वर्ष थे। प्रतियोगी बहु-दलीय व्यवस्था के स्थानांतरण से, एक दल के लिए बहुमत में सीटें पाना असंभव हो गया। 1989 से सभी सरकारें जो राष्ट्रीय स्तर की थीं वह या तो किसी से जुड़ जातीं और या अल्पसंख्यक सरकार बन जातीं। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल मिलकर सरकार का गठन कर सकती थीं। इसका यह अर्थ हुआ कि कई पार्टियों को राजनैतिक विचारधारा एवं कार्यक्रमों को स्थान देना पड़ा तथा एक सामान्य समझौता करना पड़ता था। इस तरह कोई भी दल अपने चरम कार्यसूची से चिपका नहीं रह सकता था और अपनी पहुँच को ठीक करना पड़ता था। यह केंद्र सरकार के लिए राजनीति में विभिन्न विषयों के विचारों और योजना के विषय पर भावुक बन सकती थी, यह अस्थिर समर्थन दे सकती थी। छोटी-छोटी पार्टियाँ भी इसका गलत फायदा उठाने लगीं क्योंकि यदि वे सरकार को समर्थन न देने पर सरकार गिर सकती है। कभी-कभी यह “लकवा ग्रस्त योजना” बन जाती, जैसे कि साझेदारी के कारण कोई भी पार्टी उचित योजना को गंभीर परिवर्तन के लिए भी लागू नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे उसे अपने अन्य भागीदार का समर्थन नहीं मिलेगा।



चित्र 18.7 : वी. पी. सिंह

आरंभिक साझेदारी सरकार अस्थिर रही तथा अपनी पूर्ण अवधि तक कार्य नहीं कर सकती थी, बाद में साझेदारी ने बहुभागी संबद्ध का स्थान ले लिया जैसे सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तथा समझौतावादी कमिटी को लाया गया जिससे भागीदारों में आपसी समझ उत्पन्न हो सके। बाद में BJP ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तथा कांग्रेस में युनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने अपना समय पूरा किया। VPA एक ऐसी साझेदारी सरकार थी जिसे दुबारा चुना गया।

- कुछ लोग सोचते हैं कि साझेदारी ने सरकार को दुर्बल बना दिया है तो कुछ सोचते हैं कि इसने देश में किसी एक दल के वाष्पचक्रीय कार्यक्रमों से उसे रोका। उदाहरण के साथ इस पर चर्चा कीजिए।

पश्चिम बंगाल में “वाम पंथी सरकार” (Left Front Government)

वाम विभाग में राजनैतिक दल जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) फारवर्ड ब्लाक, रेवेलेशनरी सामाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPM) ने 1977 में पश्चिम बंगाल में चुनाव में जीत प्राप्त की और CPM के ज्योति बासु के नेतृत्व में वाम पंथी सरकार की रचना की। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कि राज्य में भू-सुधार के अधूरे कार्यों को पूरा

करना था। 1978 जून में पश्चिम बंगाल की सरकार ने आपरेशन बरगा (Barga) आरंभ किया जिसमें उन कृषक भागीदारों (बरगादार वे थे जो ज़िमींदारों की जमीन पर खेती करते थे और अपने उत्पाद के अधिक भाग किराए के रूप में देते थे), जो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की अधिकांश जनता में अग्रगण्य बन गए थे और आपरेशन बरगा सामूहिक क्रियाओं पर आधारित थी जो शेयर क्रापर(कृषक भागीदारों) तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित थी। इससे भ्रष्टाचारी विलंब को रोकना तथा भूपति विभाग की प्रधानता को कम करना था। अधिकारियों ने गाँवों में शिविर (कैम्प) लगाए जिसमें कई दाबेदार आकर अपने विषयों पर चर्चा करते थे। इसके तुरंत बाद ही दाबेदारों के नामों की सूची बढ़ने लगी तथा ज़िमींदारों की उपस्थिति में उसकी जाँच की जाती। स्थान पर बरगादार का नाम दर्ज किया जाता तथा सभी कानूनी दस्तावेज दिए जाते तथा तुरंत वितरित किए जाते।

आपरेशन बरगा के परिणाम स्वरूप ज़िमींदारों पर बरगा को विवश करने तथा भूमि से निकाल देने पर रोक लग गई। वास्तव में बरगादार के अधिकार वंश परंपरा से जुड़े थे और सनातन बन गए। दूसरे, राज्य ने यह गारंटी दी कि बरगादार को उनकी फसल का उचित अंश मिलेगा (75% यदि बरगादार गैर-परिश्रामिक तौर पर लगाता है तो ज़िमींदार 50% लगाएगा।) सभी में लगभग पश्चिम बंगाल के आधे ग्रामीण घरेलू लोगों को भू सुधार से लाभ मिला।

इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन में 30% प्रगति हुई तथा ग्रामीण

- पश्चिम बंगाल के भू सुधार तथा वियतनाम या चीन के भू सुधार की तुलना कीजिए। किस रूप में वे समान व असमान हैं?
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कृषक भागीदारों की सुरक्षा से उत्पादन में वृद्धि हुई?

दरिद्रता में कमी आयी। किसी भी तरह कई निंदक यह सोचने लगे कि पश्चिम बंगाल के अभी भी अधिक शेयर धारक (70%) का नाम रजिस्टर नहीं हुआ है तथा इस आंशिक स्तर पर लागू किए जाने पर एक नए वर्ग ग्रामीण धनी वर्ग का विकास हुआ।

कम या अधिक आपरेशन बरगा तथा पंचायत राज को लागू करने से वाम पंथ को ग्रामीण जनता का सहयोग मिला तथा 2006 तक बार-बार चुनाव में सफलता मिली। यह एक मार्ग था जिससे राज्य के लोगों की आवश्यकता प्रजातांत्रिक आधार पर सूचित की गई।

1980 से साझेदारी सरकार तथा कुछ राजनैतिक दल

<p>सत्ता दल</p> <p>नेशनल फ्रंट 1989-1990</p> <p>JD,DMK,AGP, TDP; जम्मू काश्मीर नेशनल कांग्रेस (JKNC)</p>	<p>सत्ता दल</p> <p>युनाइटेड फ्रंट 1996-1998</p> <p>JKNC ; TDP; TMC; CPI; AGP; DMK; MGP; समाजवादी पार्टी</p>	<p>सत्ता दल</p> <p>नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस 1998-2004</p> <p>JDU; SAD; AIADMK, JKNC; तृणमूल कांग्रेस; बिजु जनता दल; शिव सेना ;</p>
<p>सहयोगी दल</p> <p>CPM; CPI, BJP</p>	<p>सहयोगी दल</p> <p>CPM</p>	<p>सहयोगी दल</p> <p>TDP</p>
<p>This is not a complete list of political parties that either supported for were part of the government. Often we have listed only those parties that had more 5 or MPs</p>		

20 वीं शताब्दी के अंतिम काल में राजनैतिक संबंध

राजनीति में परिवर्तन ने विशेष रूप से उन्नति पायी। एक तरफ भारत को मार्ग खोलने पर विवश किया और अपनी आर्थिकता को विदेशी वस्तुओं एवं पूँजी के मुक्त बहाव द्वारा “उदारवादी” बनाया। दूसरी तरफ पहली बार नवीन समाजवादी समूह एकत्रित होने लगे, और अंत में धार्मिक राष्ट्रीयता तथा सांप्रदायिक राजनैतिक संसार हमारे राजनैतिक जीवन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ बनें। इन सभी ने भारतीय समाज को महान उपद्रव में डाल दिया। हम अभी भी परिवर्तन की पकड़ में आ रहे हैं तथा स्वयं को उसके अनुसार ढाल रहे हैं।

संवैधानिक सुविधाओं में विस्तार:-

जनता दल ने प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया और पिछड़ी जाति के लोगों को अवसर का आश्वासन दिया। नेशनल फ्रंट सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पुनः जीवित किया जिसमें अन्य पिछड़ी जाति (OBC) के सरकारी रोजगार में आरक्षण तथा शैक्षणिक सुविधाओं के लिए सिफारिश की गई थी। V.P.सिंह की सरकार ने कमीशन के द्वारा पहचानी गयी, व सिफारिश की गयी सामाजिक व शिक्षा में पिछड़े जाति के लिए सरकारी रोजगार में 27% आरक्षण की घोषणा की। उत्तर भारत में इसके लिए कई आंदोलन की चिन्तारियाँ भडकने लगीं। दक्षिण भारत में पहले से ही OBC के लिए सीटें आरक्षित थीं।

V.P.सिंह सरकार के समर्थन में कई राजनैतिक दल नहीं थे, परन्तु इसका विरोध भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं वे अप्रसिद्ध न हो जाए। पिछले दो दशकों में OBC की कई जातियाँ धनी बन गई थी और अपनी पहचान बना चुकी थी। भू-सुधारों एवं हरित क्रांति से वे वास्तव में लाभान्वित भी हुए थे, परन्तु शिक्षा, सरकारी सेवा तथा राजनीति में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने क्षेत्र में अपने अंश की माँग करने लगे। V.P.सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश से इन माँगों को प्रस्तुत किया? इसीलिए सभी राजनैतिक दलों ने OBC की निश्चित घोषणा को भारतीय राजनीति में स्वीकार किया। जाति के विषय में भारतीय राजनीति सामान्यतः अधिक भावुक बन गई और निम्न जातियों को इन समस्याओं का सामना करना पडा। बहुजन समाज पार्टी जैसी कई अन्य पार्टियों ने

पंचायत राज और 73 वाँ, 74 वाँ संशोधन

1992 में पि.वि.नरसिंहा राव ने सरकार में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक स्तर पर स्थानीय स्वशासन सरकार के लागू किए जाने के लिए संविधान में संशोधन पारित किया। 73 वाँ संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना ग्रामीण स्तर पर की गई जबकि 74 वाँ संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर और शहर स्तर पर वही कार्य किया गया। ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बार व्यस्क मताधिकार के आधार पर कार्यालय अधिकारियों का स्थानीय स्तर पर चयन किया गया। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई। जन जाति तथा गिरिजन के लिए भी सीटें आरक्षित रखी गई। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को चुना गया और यह राज्य पर छोड़ा गया कि वह स्थानीय स्वशासन सरकार को कैसे अधिकार प्रदान करती हैं। उसी प्रकार स्थानीय स्वशासन सरकार के अधिकार भी पूरे देश में अलग-अलग हैं।

दलित की रूचियों का दावा किया तथा कई क्षेत्रीय दलों ने यादव, जाट जैसे भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बनने वाली जातियों के उद्भव को प्रस्तुत किया।

धर्म एवं राजनीति का उपयोग

यह हमारी राजनैतिक प्रथा है कि हमारे देश को हम बहुसंख्यक धर्म पर आधारित जनसंख्या के अनुसार बनाना चाहते थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिन्दुओं द्वारा चलाई गई है। यह पार्टी सोचती है कि प्रजातंत्र एवं धर्म निरपेक्षता पश्चिमी विचार हैं और पर्याप्त नहीं है तथा हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति पर देश को आकार देना चाहिए। BJP ने ईश्वर द्वारा भेजे गए दूत धार्मिक पुजारी के शासन का विरोध किया। BJP ने धर्मनिरपेक्षता के स्वभाव पर विवाद रखा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अल्पसंख्यकों के साथ विशेष व्यवहार न करें।

1980 तक भारतीय राजनीति में यह प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर प्रचलित रही। उदाहरण के लिए 1984 लोक सभा चुनाव में केवल उन्हें 2 सीटें प्राप्त हुईं। किसी भी प्रकार BJP ने अयोध्या विषय में अति उतावलापन दिखाया, मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने का प्रचार किया तथा दावा किया कि वह राम जन्मभूमि है। इन्हीं माँगों को सहायता देने के लिए 1990 में BJP के नेता एल.के.अड़वानी ने सोमनाथ से अयोध्या तक “रथ यात्रा” आयोजित की। प्रचार के समय BJP ने यह विवाद प्रस्तुत किया कि सरकार की धर्म निरपेक्ष राजनीति बहुसंख्यक हिंदुओं की रूचि को अनदेखा कर केवल अल्पसंख्यक समुदायों को शांत करने में जुटी है, विशेषकर मुसलमानों को यह प्रचार कई सांप्रदायिक विवादों के कारण गंभीर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कारण बना और बिहार में एल.के. अड़वानी को बंदी बनाया जाने के साथ इसका अंत हुआ। BJP ने बंदी बनाए जाने के विरोध में V.P. सिंह की सरकार को सहयोग देना बंद कर दिया और जल्दी चुनाव की माँग की।

इस चुनाव प्रचार के समय LTTE श्रीलंका के एक विभाजित तमिल समूह ने राजीव गाँधी की हत्या कर दी। क्योंकि राजीव गाँधी ने भारतीय सेना को श्रीलंका भेजा था इसी के बदले में यह घटना घटी। इसी सहानुभूति के कारण केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस सत्ता में आई, परंतु लोक सभा में 120 सीटें प्राप्त कर ऊँचाई को छुआ। 1992 में एक विशाल जन समूह अयोध्या में मंदिर के प्रचार के लिए एकत्रित हुआ और मस्जिद को तोड़ दिया। यह घटना विद्रोह की चिंगारी बन कर विस्तार से फैल गई और कई सांप्रदायिक दंगे हुये जिसमें हज़ारों लोग मारे गए।

आर्थिक उदारता :-

1991 में जब V.P.सिंह की सरकार गिरी तब देश में गंभीर आर्थिक संकट का समय था। विदेशी पूँजी की सुरक्षा से इसने अपने ऋण चुकाए तथा आयात का भुगतान किया जो बहुत अधिक बढ़ गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत विदेशों को भुगतान करने में असमर्थ था यदि उसे जल्दी से ऋण न मिलता तो 1992 में जब पी.वि.नरसिंहा राव के अधीन नई कांग्रेस बनी उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस संकट से निपटने के लिए ऋण प्राप्त करने

का समझौता किया। IMF ने कई कठोर शर्तें रखीं (संरचनात्मक समझौता कार्यक्रम कहलाया।) और भारत को उदारवाद के लिए विवश किया। इसका अर्थ है :-

- सरकारी व्यय में तीव्र कमी :- किसानों को सहायता मूल्य को मिला कर, जन सेवा, स्वास्थ्य आदि पर व्यय में कटौती।
- विदेशी आयात वस्तुओं पर कर और प्रतिबंध में कमी।
- भारत में विदेशी पूँजी नियोजन के प्रतिबंध को कम करना।
- आर्थिक क्षेत्र में कई विभाग (जैसे टेलीफोन, बैंकिंग, एयरलाइंस, आदि) निजी पूँजी निवेशकों के लिए खोले (जो पहले सरकारी एकाधिकार में थे)



चित्र 18.8 : पी. वी. नरसिंहा राव

ये मापदण्ड विदेशी वस्तुओं में लाये गए तथा भारत को विवश किया कि वह विश्व स्तरीय प्रतियोगी बने। इसके कारण कई उद्योग एवं व्यापार विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में स्थापित किए गए। किसी भी तरह से आम व्यक्ति को सरकार द्वारा सहायता काट दिए जाने पर समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा विदेशी सस्ती आयातित वस्तुओं के कारण कई कारखाने बंद हो गए। इस प्रकार कई जन सुविधाएँ जैसे शिक्षा स्वास्थ्य और परिवहन निजीकरण का कारण बनी और लोगों को इन निजी सेवा कर्ता को अधिक दाम देने पड़े।

20 वीं शताब्दी का भारत में अंत तब हुआ जब वह विश्व बाजार में पहुँचा, समृद्ध प्रजातंत्र में जनता के विभिन्न वर्ग समूह बन गए थे। उन्होंने आवाज उठाई तथा विभाजन एवं सांप्रदायिक राजनीति संचार ने शान्ति भंग करने का भय दिखाया। पचास वर्षों पश्चात् भी यह परीक्षा का समय बना रहा तथा सापेक्षित स्थिर आर्थिकता का निर्माण किया और प्रजातांत्रिक राजनीति की जड़ें गहरी होने लगी। यह अब तक निर्धनता की समस्या को हल नहीं कर पाई तथा जाति, समुदाय, क्षेत्र और लिंग में संपूर्ण असमानता बनी रही। स्वतंत्रता के 50 वर्षों पश्चात् भी 21वीं सदी के भारत के लिए यह धरोहर छोड़ी गयी थी।



चित्र 18.9 : हेच. डी. देवे गौडा



चित्र 18.10 : अटल बिहारी वाजपेयी

उपसंहार :-

हमने देखा कि भारतीय प्रजातंत्र ने अनेक चुनौतियों का सामना योग्यता से किया और स्वयं को शक्तिशाली बनाया। कई सूचकों में भारतीय प्रजातंत्र सफल रहा, निशुल्क स्पष्ट और नियमित चुनाव, मतदाता संख्या में विकास, सरकारी उत्पादों में विकास, नए समूहों का शक्तिशाली बनना तथा आवश्यक नागरिक स्वतंत्रता का रख रखाव आदि। शताब्दी के पश्चात्

भी भारतीय प्रजातंत्र से कई प्रश्न किए जा सकते हैं। लगातार भारत अपनी विशाल संख्या के नागरिकों की उचित देखभाल करने में सक्षम क्यों नहीं है? कैसे भारत प्रगति प्रक्रिया में उत्पन्न विरोधी माँग और तनाव का कम कर सकेगा? क्यों प्रजातंत्र भारत की सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने में सक्षम नहीं रहा?

आने वाले वर्षों में भारतीय प्रजातंत्र को यह प्रश्न पकड़े रहेंगे। क्या आप सोचते हैं कि भारत इन सबका सामना करने में योग्य होगा?

मुख्य शब्द

क्षेत्रीय लालसा मिलीजुली सरकार साम्प्रदायिकता बहुमत अल्प संख्यक

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

- जोड़ियाँ बनाइए :-
 - आर्थिक उदारता
 - स्वेच्छाचारी पदमुक्ति
 - जातीय सफाया
 - संघीय सिद्धांत
 - विदेशी आयात कर पर रोक
 - केंद्रीय सरकार से प्रांतीय सरकार का
 - उन लोगों के लिए जो स्वयं से भिन्न हैं।
 - प्रांतीय सरकार के लिए महान स्वायत्तता
 - स्वतंत्रता के दूसरे चरण में पार्टी व्यवस्था में मुख्य परिवर्तन की जानकारी का पता लगाइए।
 - इसमें तथा पिछले अध्याय में केन्द्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर पर विभिन्न सरकारों की कौनसी प्रमुख आर्थिक योजनाओं की चर्चा की गयी है। वे किस प्रकार समान और असमान है?
 - क्षेत्रीय लालसा कैसे क्षेत्रीय दल की स्थापना का कारण बनी? दो विभिन्न चरणों में समानता एवं असमानता की तुलना कीजिए?
 - सरकार बनाने के लिए राजनैतिक दलों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे समाज के विभिन्न वर्गों को आकर्षित करें। स्वतंत्रता के पश्चात दूसरे चरण में किस प्रकार राजनैतिक दलों ने इन विशेषताओं को उभारा
 - भारतीय राजनीति को कमजोर बनाने वाली कौनसी प्रगति थी? विभिन्न समुदायों तथा क्षेत्रीय लालसा को किस योग्यता से बदला जा सकता था?
 - विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय लालसा सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणों से कैसे भिन्न थी?
 - स्वतंत्रता के आरंभिक अर्ध-शतक में भारत में योजनाबद्ध उन्नति को महत्व दिया गया। बाद के काल में उदारवाद पर जोर दिया गया। चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि यह किस प्रकार राजनैतिक विचारों पर प्रभाव डालता है?
 - मिलीजुली सरकार की आधुनिक योजनाओं का कम से कम एक उदाहरण समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़कर पहचानिए और बताइए कैसे संयुक्त सरकार के कारण योजनाओं में परिवर्तन आये और किस प्रकार संयुक्त सरकार के अंतर्गत विभिन्न राजनैतिक दलों ने क्षेत्रीय माँगों पर बल दिया?
 - हमारे देश के प्रधान मंत्रियों के चित्र संग्रह करके, उन सब की विशेषताएँ बताते हुए एक अलबम तैयार कीजिए।
 - पृष्ठ संख्या 262 में आंध्र प्रदेश शीर्षक के निचले “एकीकृत आंध्र प्रदेश में मुख्य मंत्रियों को रूप में न माना जाए” तक पढ़कर, इस पर टिप्पणी कीजिए।
 - ‘दूर संचार क्रांति’ द्वारा आये बदलाव, प्रस्तुत मानव जीवन शैली पर कैसा प्रभाव डाल रहे है?
- चर्चा :** तीव्रवाद, उग्रवाद का सामना करना क्या सरकार का दायित्व है या समाज का? इस पर तर्क कीजिए। इसका प्रभाव मानव जीवन पर कैसा है? अनुभवों की चर्चा कीजिए।

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव (Aftermath of the World War II)

द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव विभिन्न देशों पर विभिन्न प्रकार का था। अत्यधिक प्रभावग्रस्त यूरोपीय देश थे, मुख्य रूप से यू.एस.एस.आर, पोलैण्ड और यूगोस्लाविया प्रभावित थे जिनकी 20% जनसंख्या की क्षति हुई थी। अर्थव्यवस्था में भी यू.एस.एस.आर. और अन्य यूरोपीयन देशों में बड़ी मात्रा में नगरों, फैक्टरियों और खानों का विनाश हुआ। यू.एस.एस.आर के लगभग 1700 नगर, 31,000 फैक्टरियाँ और 70,000 गाँव पूर्ण रूप से नष्ट हो गये। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका को कम नुकसान हुआ क्योंकि उसके क्षेत्रों में युद्ध नहीं हुआ था। बल्कि बड़ी मंदी के समय में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सहायता मिली। युद्ध स्थल से दूर सं.रा.अ. के उद्योग और कृषि विकसित हुए। इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध के समय सं.रा.अ. में पूर्ण रोजगार और उच्च उत्पादकता निश्चित हुई। मार्च 1945 में सं. रा के राष्ट्रपति हारी ट्रूमैन ने कहा - “इस युद्ध से हम संसार के शक्तिशाली देश के रूप में उन्नत हुए - वास्तव में, पूरे इतिहास में, सबसे शक्तिशाली देश।



चित्र 19.1 : युद्ध के पश्चात् वार्सा शहर का दृश्य जिसकी 85% इमारतें नष्ट हो गयी थी।

युद्ध में क्षतिग्रस्त देशों के पुनः निर्माण के बावजूद, कई स्थानों पर संसार ने नई प्रक्रिया देखी। इनमें से तीन मुख्य प्रक्रियाएँ, सं.रा. की स्थापना, शीत युद्ध और उपनिवेशों को स्वतंत्र करना था। नाज़ी के तानाशाही और साम्राज्यवाद के उपायों के विपरीत द्वितीय विश्व युद्ध शांति, प्रजातंत्र और देशों को स्वतंत्र कराने के लिए सिद्धांतों पर लड़ा गया। इसके लिए प्रथम कार्य एक विश्व संगठन स्थापित करना था जो सभी देशों में शांति और विकास स्थापित कर सके। इसके फलस्वरूप सं.रा.अ. की स्थापना हुई। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी उपनिवेशी शक्तियाँ अपनी पुरानी उपनिवेशी नीतियों का समर्थन नहीं कर सकी। इन्होंने सं.रा.अ. को राजनैतिक और आर्थिक दोनों रूप से कमजोर बना दिया जो उनपर पुरानी उपनिवेशी नीतियों को समाप्त करने के लिए दबाव डाल रही थी। और जो उपनिवेशों को पुरानी उपनिवेशी शक्तियाँ प्रदान कर रही थी। यू.एस.एस.आर. उपनिवेश विरोध संघर्ष में चैंपीयन के रूप में प्रकट हुआ जो कई स्थानों पर यू.एस.एस.आर. के द्वारा प्रोत्साहित कम्युनिष्ट पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा था। इस परिस्थितियों में ब्रिटेन जैसी पुरानी शक्तियों के पास इन पुराने उपनिवेशों को स्वतंत्रता

- 'उपनिवेश विरोधी' शब्द से आप क्या समझते हैं?
- नये मुक्त देश इन दो महाशक्तियों की स्पृधा से किस प्रकार प्रभावित होंगे? अपने विचार बताइए।

प्रदान करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पिछले अध्याय में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये देश स्वतंत्र हो चुके थे, उन्हें पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच, सं.रा.अ. और यू.एस.एस.आर. के बीच मतभेदों का सामना करना पड़ा - और उन्हें स्वयं के द्वारा बनाये गये विकास के रास्ते के बदले

इन दोनों के बीच एक के चयन का निरंतर दबाव पड़ रहा था। उन्हें एक शक्ति के विरुद्ध दूसरे से सौदा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इस खण्ड में हम इनमें से कुछ विषयों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation (UNO))

युद्ध समाप्त होने के बावजूद भी ब्रिटेन, फ्रांस, सं.रा.अ., यू.एस.एस.आर. और चीन जैसे मुख्य संयुक्त देशों ने सं.रा.सं. के निर्माण के लिए एक चार्टर की रूपरेखा तैयार की। इस चार्टर ने युद्ध रोकने और शांति बनाए रखने की आवश्यकता को ही महत्व नहीं दिया बल्कि मानव अधिकार, प्रजातंत्र और संसार के सभी लोगों के लिए भूख और गरीबी के अन्मूलन की आवश्यकता पर भी बल दिया। तब शांति बनाये रखने और मानव विकास, इन दोनों उद्देश्यों के साथ सं.रा. का आरंभ हुआ। ठीक उसी समय उसने राज्यों के स्वायत्त शासन को मान्यता प्रदान की और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करने की प्रतिज्ञा की जब तक कि मानव अधिकार के उल्लंघन या विश्व शांति को नुकसान न पहुँचे।

स्थापना के समय 51 देश राष्ट्र संघ (UN) के सदस्य थे और आज (2016 में) 193 देश हैं। आने वाले दशकों में जैसे-जैसे देशों ने अपने आप को उपनिवेशी शक्तियों से स्वतंत्र किया वे सं.रा. में मिलते गए। संयुक्त राष्ट्र छः विभिन्न अंगों द्वारा कार्य करता है। हर एक अंग के कुछ विशिष्ट कार्य थे। जैसे :- शांति और सुरक्षा बनाये रखना, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार करना, निर्धनता का उन्मूलन करना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के संबंध में न्याय उपलब्ध करवाना आदि। इन कार्यों के लिए उत्तरदायी अंगों में हेग (Hague) में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिनेवा में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन, पेरिस का संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, न्यूयार्क का संयुक्त राष्ट्र बाल निधि कोष भी शामिल है।



चित्र 19.2 : संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय चिह्न

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अधिकारी साधारण सचिव के चुनाव में सभी देश भाग लेते हैं और भिन्न-भिन्न महाद्वीपों के व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होते हैं। साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है जहाँ देशों के बीच नियमित रूप से चर्चाएँ होती हैं। किंतु युद्ध और शांति से संबंधित निर्णय सुरक्षा परिषद् में लिये जाते हैं। इसमें पाँच देशों को विशेषाधिकार प्राप्त है। चीन, फ्रांस, इंग्लैण्ड (UK), USSR (रूस) और सं.रा.अ. (USA)। ये सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं। परिषद् द्वारा लिये जाने वाले

निर्णयों पर इन देशों में कोई भी एक देश 'वीटो' (अवैध या अस्वीकृत) के प्रयोग द्वारा रोक लगा सकता है अधिकतर बड़ी शक्तियाँ स्वयं कई झगड़ों में लिप्त थीं, और UNO की कार्यवाही को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करती थीं। कभी कभी ये अपनी शक्ति का उपयोग UNO को अपने आदेश के आगे झुकाने के लिए भी करती थीं। लेकिन फिर भी UN जैसे संगठन के अस्तित्व ने बड़ी शक्तियों को संयम और आत्म-नियंत्रण के लिए विवश किया। इन विशेष शक्तियों ने बड़ी शक्तियों को विश्व शांति बनाये रखने का उत्तरदायित्व और विशेष भूमिका प्रदान की।

UN शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, आदान-प्रदान और विरासत की सुरक्षा के क्षेत्र में तो प्रशंसनीय कार्य कर रहा था, लेकिन वह युद्ध रोकने में अधिक सफल नहीं हुआ। वह हमेशा बड़ी शक्तियों की संसार पर नियंत्रण पाने की अभिलाषा को दबाता रहता था।




चित्र 19.3 : न्यूयार्क में UN का मुख्यालय


- क्या आप समझते हैं कि युद्ध देशों के मध्य गरीबी, समान विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से संबंधित हैं?
- कुछ लोगों के अनुसार पाँच शक्तियों को विशेष अधिकार दिया जाना अप्रजातांत्रिक है और इसे खत्म किया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों के विचार में यदि इन शक्तियों के पास विशेष अधिकार नहीं होते तो UNO सुगमता से कार्य नहीं कर सकता था। चर्चा कीजिए।

दो कैंप और शीत युद्ध (1945-1991) (The Two Camps and the Cold War (1945-1991))

युद्ध के पश्चात दो महत्वपूर्ण विचारधाराओं और राजनैतिक समूहों का उद्भव हुआ। सोवियत रूस (USSR) के नेतृत्व में साम्यवादी धारा और USSR के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक पूँजीवाद विचारधारा। एक ओर तो USSR समानता, राज्य नियंत्रित विकास और इन सिद्धांतों के आधार पर विरोधियों के दमन की भावना का प्रचार कर रहा था और दूसरी ओर USA बहुदलीय प्रजातंत्र और विकास की प्रक्रिया में निजी पूँजीवाद के नियंत्रण के विचारों का प्रचार कर रहा था। संपूर्ण पूर्वी यूरोप (पोलैण्ड, हंगरी, और पूर्वी जर्मन) USSR के प्रभाव में थे और चीन और वियनताम जैसे स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले कई उपनिवेशों ने इससे समझौता कर लिया था। पश्चिमी यूरोप के देश जैसे :- ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन आदि ने USA से समझौता कर लिया था। अन्य सभी अंतःकालीन देशों को अपनी ओर खींचने के लिए इन दोनों विचारधाराओं में स्पर्धा थी।



आरेख 1 : US और USSR का नाभीकिय भंडार



चित्र 19.4 : परमाणु बम की शक्ति को समझने के लिए आप इसे चलाने का प्रयत्न कर सकते हैं। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम 15 किलो टन और नागासाकी पर गिराया गया बम 21 किलोटन का था। USSR का सबसे शक्तिशाली बम सार बॉम्बा (Tsar Bomba) 50,000 किलो टन का था। हिरोशिमा पर गिराये जाने वाले परमाणु बम को इस पुस्तक के पृष्ठ पर दर्शाने के लिए हमने जिस आकार का लाल बिंदु लिया है, वैसे ही USSR के बम को दर्शाने के लिए कितने आकार के बिंदु की जरूरत होगी? कल्पना कीजिए कि यदि (Tsar Bomba) का उपयोग होगा तो इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के 45 वर्षों से अधिक समय के पश्चात इन दोनों विचारधाराओं के मध्य एक अजीब युद्ध हुआ। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें प्रतिस्पर्धी झगड़ा नहीं करते थे और इसीलिए वहाँ 'गर्म' युद्ध नहीं हुआ। इसके बदले पीठ पीछे शब्दों और प्रचार के माध्यम से युद्ध हुआ। इसे 'शीत युद्ध' कहा गया क्योंकि इसमें सामान्य युद्धों के समान लड़ाई नहीं की गई थी। सं.रा. (United States) और USSR के मध्य प्रबल तनाव के कारण यह शीत युद्ध हुआ, जिसका प्रभाव 1945 से 1991 के मध्य विश्व में होने वाली सभी घटनाओं पर पड़ा।

शीत युद्ध केवल प्रचार युद्ध नहीं था। यह एक सचमुच की लड़ाई भी थी जिसने लगभग 20 मिलियन लोगों की जान ली थी। लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई वे सभी तीसरे विश्व के नागरिक थे अर्थात् औपनिवेशिक प्रभाव के कारण उन्नत वियतनाम, कोरिया, अंगोला और अफगानिस्तान जैसे देश। इस विभाजन ने नैतिक रूप से समान लोगों और भौगोलिक रूप से समीपवर्ती क्षेत्रों को शत्रु बना दिया और इसके कारण इन देशों के मध्य निरर्थक युद्ध होने लगे।

शीत युद्ध के समय होने वाली कुछ मुख्य युक्तियाँ प्रतिनिधि युद्ध, सैन्य-संधि और हथियारों की होड़ थी।

प्रतिनिधि युद्ध (Proxy War) :-

आरंभ से ही दोनों देश स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले देशों को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। इसके कारण उन देशों के दो विरोधी दलों के समर्थन की आगवानी हुई। 1947 में टर्की और ग्रीस में US राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने पूँजीवाद-विरोधी दलों को सहायता प्रदान की। 1960 में अफ्रीका, काँगों में बेल्जियम राज्य को स्वतंत्र प्राप्त हुई। लेकिन US के गुप्तचर विभाग CIA के आदेशों से मुख्य साम्यवादी नेता पैट्रीस लुंबुंबा की हत्या कर दी गयी। नवंबर 1975 में एंगोला पुर्तगाल से स्वतंत्र हो गया। USSR और क्यूबा की सहायता से एंगोला के साम्यवादियों ने अधिकार अपने हाथ में ले लिये। लैटिन अमेरिका में अमरीकी सरकार के विरुद्ध फिडेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में क्रांति की गयी और USSR की तरह समाजवाद के निर्माण का प्रयत्न किया। इससे लैटिन अमेरिकी देशों के लोग भी अपने देश में इसी प्रकार के परिवर्तन लाने का संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित हुए। उनके एक मुख्य नेता ची गुवेरा की हत्या हो गयी। यहाँ, तक कि समाजवादियों द्वारा चलायी जाने वाली चयनित सरकार जैसे :- एस एलैण्ड के द्वारा चलायी जाने वाली चिली की सरकार भी US के सैन्य अधिकारियों के निर्देश से गिरा दी गयी।


USSR भी अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहा था। 1950 से आरंभ करने पर उसे जर्मनी, हंगरी और चेकोस्लाविया जैसे देशों का विरोध सहना पड़ा। इसने अमैत्रीपूर्ण सरकार लाने के लिए सेना भेजी। 1960 के पश्चात् चीन ने स्वयं को USSR से अलग करने का निश्चय किया और USSR ने असफल रूप से चीन पर दबाव डालने का प्रयास किया। 1971 में USSR ने अपनी सरकार बनाने के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बदले सं.रा. ने अफगान क्रांतिकारियों को जो कट्टर धार्मिक थे, सैन्य सहायता प्रदान की। एक लंबा नागरिक युद्ध हुआ और 1985 में USSR अफगानिस्तान से हट गया तथा अफगानिस्तान तालिबान के नेतृत्व में कट्टर धर्मावलंबियों के अधीन हो गया जो अब USA का विरोधी हो गया था। इन सब में हम युद्ध के खतरों और विनाश का सामना करने वाले तृतीय विश्व को देख सकते हैं। जो उपनिवेशी नियंत्रण से बाहर आने का प्रयत्न कर रहे थे। ये युद्ध सोवियत और US के द्वारा नहीं किये जा रहे थे बल्कि तृतीय विश्व के लोग ये युद्ध कर रहे थे।

सैन्य एकीकरण (Military Alliances)

USA और USSR दोनों के पास आणविक हथियार थे लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आणविक युद्ध में दोनों नहीं जीत सकते, फिर भी उन्होंने सैन्य और सामरिक एकीकरण का निर्माण किया - पश्चिम में इस संधि को 1949 में एक संगठन में बदल दिया जिसे नार्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) के नाम से जाना जाता है। इसका सामना करने के लिए साम्यवादी देशों ने भी इसी प्रकार की संधि की और 'वार्सा संधि' पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही US ने दक्षिण-पूर्वी एशियन ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (SEATO) और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (CENTO) जैसी सैन्य और सामरिक संधि की स्थापना की।

यद्यपि उन्होंने सैन्य संगठनों के द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बना लिया था, लेकिन वे जानते थे कि युद्ध करने से मानव जीवन का वृहत रूप में नुकसान होगा जिससे पूरी सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने एक दूसरे से स्थिर संबंध बनाये रखे।

इस संधि ने अपने प्रभाव का विस्तार करने की इच्छा रखने वाली बड़ी शक्तियों को निम्न लाभ प्रदान किए:-



- तेल और खनिज जैसे महत्वपूर्ण स्रोत
- उनके उत्पादों के लिए बाजार और पूँजी के सुरक्षित निवेश के लिए स्थान
- उनकी सेना और हथियार रखने के लिए सैन्य स्थल
- उनके विचारों का विस्तार और
- आर्थिक सहायता, भारी सैन्य खर्च का भुगतान

हथियार और अंतरिक्ष दौड़ (Arms and Space Race)

USSR और USA दोनों ने हथियारों पर शोधकार्य के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया और विध्वंसकारी नाभिकीय हथियारों और मिसाइलों के लिए शस्त्रागारों का निर्माण किया जो महाद्वीपों को नष्ट कर सकते थे। दोनों देशों के पास कुल मिलाकर पर्याप्त नाभिकीय हथियार थे, जिससे कई बार संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था। शनैःशनैः उनके मित्र देश



ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने भी नाभिकीय शस्त्रागारों का निर्माण किया। यह स्पर्धा अंतरिक्ष तक पहुँच गयी क्योंकि सैटलाइट मिसाइलों को दिशा निर्देश देने और जासूसी करने में सहायक थे। USSR ने पहला सैटलाइट स्पुतनिक और पहला मानव यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में भेजा। इससे दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक सैटलाइट भेजने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी और 1969 में US ने भी नील आर्मस्ट्रांग और अन्य को चंद्रमा पर भेजा।

चित्र 19.5 : (बायें) यूरी गैगरिन (दायें) चंद्रमा पर आदमी

मुख्य बिंदु (Flash points)

प्रतिद्वन्दी शक्तियों ने विध्वंसकारी हथियारों को एकत्रित किया था, इसीलिए संसार नाभिकीय विनाश के कगार पर खड़ा था। सभी देशों के लोग निरंतर युद्ध के भय में जी रहे थे। ऐसे कई क्षण आए जब दो देशों के बीच नाभिकीय युद्ध की स्थिति सन्निकट थी, लेकिन कूटनीति से इसे रोक दिया गया था। ऐसी कुछ घटनाएँ थीं जो U2 US जासूसी जहाज को ऊँचा उठाने, क्यूबा में सोवियत मिसाइल निर्माण केंद्र की खोज और कोरिया और मध्य पूर्वी युद्धों के समय कई बार घटीं।

गुट निरपेक्ष आंदोलन(NAM) (Non Alignment Movement (NAM))

1950 में विश्व में सैन्यकरण बढ़ रहा था और विश्व दो विरोधी दलों में बँट गया था। सैन्य सर्वोच्चता, वैचारिक मतभेद और आर्थिक सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए दोनों महान शक्तियों के बीच शत्रुता के कारण द्विध्रुवीय संसार की स्थापना हुई। जो इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे उनपर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उन्हें प्रभावित करने के प्रयास जारी थे। वे लोग जो

अभी अभी गरीबी बीमारी, असमानता और उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे इस प्रकार के विवादों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे।

नये स्वतंत्र देशों के नेता असुरक्षा और तनाव की स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। इसीलिए 1955 में इंडोनेशिया के बाडुंग में एक सभा हुई। यह 29 देशों के प्रतिनिधियों की प्रथम एशिया-अफ्रीकी सभा थी।



चित्र 19.6 : (1960 की NAM सभा में) ज.नेहरू, केन्या के क्वामे क्रूम्हा, इजिप्त के गमल अब्देल नसीर, इंडोनेशिया के सुकर्णो, युगोस्लाविया के टीटो

भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, इजिप्त के नेता गमाल अब्दुल नासेर तथा युगोस्लाविया के नेता जोसिप ब्रोज़ टीटो सभा के महत्वपूर्ण नेता थे। जवाहरलाल नेहरू को मुख्य अधिवक्ता स्वीकार किया गया। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का मार्ग सुगम हुआ।

फलस्वरूप, एशिया और तत्पश्चात लैटिन अमेरिका के नये स्वतंत्र राज्यों में सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में गुटनिरपेक्ष की स्थापना की गयी।

पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। 2012 तक 120 देश इसके सदस्य बन गए और निरीक्षकों की संख्या 17 हो गयी। पहले सम्मेलन में तीन मुख्य बातों को प्रधानता दी गयी।

- (NAM) गुटनिरपेक्ष के सदस्य राज्यों में सहयोग। इनमें से अधिकतर वे राज्य थे जो हाल ही में स्वतंत्र देश के रूप में उभरे थे।
- शीत युद्ध के तनाव में वृद्धि और विश्व पट इसका बढ़ता प्रभाव।
- अंतिम, नये स्वतंत्र देशों को सैन्य दल में सम्मिलित होने से रोकना।

जब दो महान शक्तियों अलग हो रही थी और देशों को अपनी ओर खींच रही थी तब कई वर्ष तक NAM भारत जैसे देशों को स्वतंत्र रूप से स्थापित होने में सहायता कर रहा था। वह दोनों महान शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर उनके द्वारा नये विकसित देशों को स्थान और सहायता लेने में भी मदद कर रहा था। कुछ हद तक उसने NAM को विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में USSR का समर्थन करने का आरोप लगाया। सोवियत के अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के मामले में NAM के सिद्धांतों के विपरीत एक तरफा ठहराया। NAM की दूसरी कमजोरी यह थी कि वह अपने सदस्यों को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने से

- 1955 के बाडुंग सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
- गुटनिरपेक्ष के सिद्धांतों के प्रति महान शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया थी?
- गुट निरपेक्ष देश तृतीय विश्व के देश क्यों कहलाते थे?

प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने में असमर्थ था। इसी कारण जब ईरान और ईराक सात या अधिक वर्षों तक युद्ध करते रहे, तब NAM ने इसके लिए थोड़ा बहुत कार्य किया। इन सीमाओं के बावजूद भी NAM ने नये स्वतंत्र देशों को दो महान् शक्तियों के बीच फँसे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में अपना स्वायत्त शासन का अधिकार माँगने में सहायता की।

पश्चिम एशियाई मतभेद (West Asian Conflicts)

यूरोप और एशिया के मध्य के क्षेत्र को पश्चिमी एशिया माना जाता है। इस क्षेत्र के वर्णन के लिए पूर्वी मध्य शब्द का उपयोग भी किया जाता है। अरबों और यहूदियों के बीच झगड़ों को पश्चिमी एशियाई क्रांति कहा जाता है। यह मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों के व्यवसाय से संबंधित था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले फिलिस्तीन जहाँ अरब रहते थे, ब्रिटेन के नियंत्रण में था। इसी के अंतर्गत यहूदियों, इसाईयों और मुसलमानों का धार्मिक शहर जेरूसलम स्थित था।

यहूदियों ने सांस्कृतिक रूप से फिलिस्तीन को अपनी 'प्रतिज्ञा भूमि' मान लिया था, जहाँ से प्राचीन काल में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और यूरोप और एशिया के आरपार ढकेल दिया गया था। यूरोप में वे एक पीड़ित समुदाय थे क्योंकि ईसाई उन्हें ईसा मसीह को शरीर पर कीलें ठोक कर सूली पर चढ़ाने के लिए उत्तरदायी मानते थे। जब यूरोप के यहूदियों को जेल में डाल दिया गया और उनकी हत्या की गयी तब नाजी के नेतृत्व में जर्मनी में मतभेद चरम सीमा पर पहुँच गया।

यहूदियों में एक आंदोलन का विकास हुआ जो 'यहूदी आंदोलन' कहलाया, जिसने संसार में फैले सभी यहूदियों को एक होने, फिर से फिलिस्तीन की अपनी जन्मभूमि बनाने तथा अलग यहूदी राज्य का निर्माण करने की पुकार की। 1945 के पश्चात पश्चिमी शक्तियों ने इस माँग का समर्थन किया। क्योंकि फिलिस्तीनी (जो अधिकतर अरब के मुसलमान थे) पहले से ही वहाँ रह रहे थे, यह विवाद की जड़ बन गया था।


मध्य पूर्व, विशेषकर अरबी प्रायःद्वीप में तेल के बृहद कोष की खोज से मामला और संदिग्ध हो गया था। US और USSR दोनों इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहते थे और अन्य देश को अपना नियंत्रण स्थापित करने से रोक रहे थे।

1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक समाधान निकाला जिसके अनुसार फिलिस्तीन को दो भागों - अरब और यहूदी राज्य में बाँट दिया गया। 1948 में ब्रिटिश ने अपनी सेना फिलिस्तीन से हटा ली और यहूदियों के लिए इजराइल बनाया गया। अरब अपनी जन्मभूमि नहीं देना चाहते थे। अरबों ने इजराइल को वैधानिक राज्य मानने से इंकार कर दिया। इजराइल के द्वारा अपनायी गयी नीतियों ने और कड़वाहट बढ़ा दी। अरबों को जबरदस्ती अपना घर और संपत्ति छोड़नी पड़ी और शरणार्थी के रूप में अन्य अरब राज्यों में शरण लेनी पड़ी।

इजिप्त के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर (1918-1970) ने अरबों को एक करने का प्रयास किया। उसने इजराइल में सार्वजनिक स्थलों पर विस्फोटों के लिए फिदायीन (आत्म हत्या दल) बनाए। उसने ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध आक्रमक नीतियाँ अपनायी और ब्रिटेन से स्वेज नहर से अपनी सेना हटाने की माँग की। स.रा. ने असवान बाँध के निर्माण के लिए इजिप्त को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी। नासेर ने USSR की सहायता से स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। USSR ने पश्चिम के विरुद्ध इजिप्त के संघर्ष के लिए अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद की आपूर्ति की।

1956 में इजराइल ने पश्चिमी शक्तियों की सहायता से इजिप्त पर आक्रमण किया और सं. रा. तथा USSR दोनों ने युद्ध खत्म करने तथा शांति की माँग की। इजराइल को अपनी सेना हटानी पड़ी। 1967 में अरबों ने एक बार फिर इजराइल पर आक्रमण किया। इजराइल ने आक्रमण को बचाव का मुख्य साधन माना और

Map 2 : Palestinian Loss of Land 1947 to Present



इजिप्त पर आक्रमण कर दिया तथा उसकी संपूर्ण वायु सेना नष्ट कर दी। उसने गाज़ा, गोलक हाइट और पश्चिमी किनारे के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। इजराइल ने जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटाने से तो इनकार कर दिया लेकिन शांति के लिए हामी भर ली। इजराइल समझ रहा था कि अधिकार में आए ये क्षेत्र उभय क्षेत्रों के रूप में काम आ सकते हैं। इस युद्ध ने अरब के प्रभाव को कम कर दिया।

उसी समय जार्डन ने पलेस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) नामक संगठन की स्थापना की गयी जिसने सभी विभिन्न अरब गुटों को एक साथ लाकर एक नया आयाम दिया। उसका उद्देश्य हटी हुई भूमि को बिना हिंसा के वापस पाना था। लेकिन, 1967 में यासेर अराफत के नेतृत्व में PLO ने दबाव डाला और इजराइल पर आक्रमण करने के लिए अरब राज्यों पर दबाव डाला। लेकिन अरब राज्य अधिक उत्साही नहीं थे। इसी कारण अराफत के नेतृत्व में PLO के एक दल ने हवाईजहाज हाइजैक करना, 1972 सितंबर में म्यूनिच ओलम्पिक में इजराइल ओलंपिक स्कूचैड को बंधक बनाना और कई खिलाड़ियों की हत्या करना जैसे आतंकवादी हमले किये। फिलिस्तिनियों द्वारा किये गये आक्रमण के बदले में इजराइल ने भी उन पर आक्रमण किये और अपने द्वारा किये गये वादों को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया। हिंसा और उसके विरोध में प्रतिहिंसा के परिणाम स्वरूप वह क्षेत्र निरंतर युद्ध की स्थिति में था। PLO भी कई पारस्परिक - युद्धीय गुटों में बँट गया था। तभी अराफत ने आतंकवाद छोड़ दिया और इजराइल के संगठन को मान्यता प्रदान करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूँढने के लिए राजी हो गया। लंबा युद्ध बंद करने के लिए उसने इजराइल के साथ सौदा किया और फिलिस्तिनियों के स्वशासन से संबंधित कई समझौते किए।

- अरब और इजराइलों के बीच झगड़े के क्या कारण थे?
- लड़ाई के समय इजिप्त ने फिलीस्तिन का समर्थन क्यों किया?
- आप के विचार में कुछ फिलीस्तीनियों ने आतंकवाद का रास्ता क्यों अपनाया? उसका क्या परिणाम निकला?
- शरणार्थी शिविरों में रहने वाले और निरंतर युद्ध और गरीबी का सामना करने वाले फिलिस्तीनियों की परिस्थिति का पता लगाइए।

अपनी सेनाओं को हटाने से तैयार होने के साथ - साथ इजराइल फिलिस्तीन के अरब निवासियों को वोट देने का अधिकार प्रदान करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन, यह सफल नहीं हुआ क्योंकि इजराइल के किये गये वादों को पूरा करने में असफल था और एक संदर्भ या अन्य कारणों से फिलिस्तीन पर आक्रमण करता रहा। कई देश PLO को फिलिस्तीन राज्य के वैध प्रतिनिधि और अराफत को उसके अध्यक्ष के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए राजी हो गए। धोखे से जहर देने के कारण 2004 से अराफत की मृत्यु हो गयी। देश से निष्कासित करने और युद्ध की अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी फिलिस्तीन अब भी जन्मभूमि और शांति के लिए लड़ रहे थे।

मध्य-पूर्व में राष्ट्रीयता का विकास (The Growth of Nationalism in the middle east)

इजराइल को US के निरंतर सहयोग और फिलिस्तीनीयों की पुकार ने क्षेत्र में US के विरुद्ध दूर-दूर तक दुर्भावना उत्पन्न कर दी। US इसीलिए भी अप्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसने क्षेत्र की अप्रजातांत्रिक व्यवस्था को समर्थन किया ताकि US और उसके गठबंधित देशों को तेल के स्रोत उपलब्ध हो सके। लोग चाहते थे कि तेल - स्रोतों से प्राप्त आय का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र की साधारण जनता के कल्याण के लिए किया जाय जिनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं था। 1968 में इराक में एक षडयंत्र हुआ जिससे अरब राष्ट्रीयता और समाजवाद के दो नारों के साथ सद्दाम हुसेन सत्ता में आया। समाजवाद से उनका मतलब तेल - स्रोतों का राष्ट्रीयकरण और राज्य द्वारा तेल से प्राप्त आय का उपयोग नागरिकों के कल्याणकारी कार्यों के लिए करना था। 1969 में लिबिया में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई। (इसके बारे में आप नवीं कक्षा अध्याय 18 में पढ़ चुके हैं)। इस व्यवस्था में छोटे दल या अत्यधिक निरंकुश और अत्याचारी शासन के साथ कल्याणकारी नीतियाँ जुड़ी थी। वे अपने विरुद्ध किसी शत्रु या प्रजातांत्रिक विरोध स्वीकार नहीं करते थे।

कई मामलों में US और US के समर्थकों के विरोध ने धार्मिक रूप ले लिया था। राष्ट्रीय सेना पूँजी और अवसरों के समान वितरण के उपाय का समर्थन करने के बदले, उन देशों में धार्मिक रूढ़ियों की स्थापना कर रही थी। 1979 में ईरान में एक क्रांति हुई जिसमें ईरान के पूर्व शासक (जिसको US का समर्थन प्राप्त था) को हटा दिया गया और इस्लामी शिया अफसरों और प्रजातांत्रिक रूप से चुने गये नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित एक नई सरकार की स्थापना की गयी।

सोवियत सैनिकों के वापस चले जाने के बाद तालिबान में अफगानिस्तान पर अधिकार स्थापित कर लिया और उसी प्रकार के एक उग्रवादी इस्लामी राज्य की स्थापना की। ये राज्य धार्मिक पुस्तकों के आधार पर अपनाये गये नियमों का पालन करने के लिए लोगों को विवश कर रहे थे। कई मामलों में इसका अर्थ आधारभूत स्वतंत्रता और औरतों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान करने से इंकार करना था।

21 वीं 'सदी के आरंभ में अरबों' में असंतोष की भावना दिखाई पड़ी जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक आतंकवाद का विकास हुआ। कुछ अरब आतंकवादियों ने US में दो वायुयानों का अपहरण किया और न्यूयार्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (World Trade Centre) नष्ट कर दिया जिसमें हजारों लोग मारे गये। इसके कारण तालिबान के विरुद्ध युद्ध हुआ और साथ ही ईराक के विरुद्ध भी युद्ध हुआ। समाचार-पत्रों और मैगजीनों से इस प्रकार की घटनाओं का पता लगाइए।

शांति आंदोलन, USSR का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति (Peace movement, Collapse of the USSR and the end of the cold war)

जैसे-जैसे समय बीतता गया USSR और USA पर नाभिकीय शस्त्रागारों को नष्ट करने और शस्त्र स्पर्धा को रोकने के लिए जनता का अत्यधिक दबाव पड़ता गया। इसके बारे में और अधिक आप इस पुस्तक में बाद में पढ़ेंगे। इससे उन्हें हथियार दौड़ के कारण जमा हुए हथियारों के भंडार को कम करने और 1985 से 1991 के बीच नाभिकीय परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए बातचीत करने के लिए विवश किया गया।

USSR में मिखाइल गोर्बाचेव के सत्ता में आने के द्वारा यह संभव हो सका था। उन्होंने USSR की राजनीति को अधिक खुली बनाकर और मौलिक परिवर्तन लाकर उसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। वह उदार था। इसने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन करने के लिए और पश्चिम से गहरे संबंध बनाने के लिए कई सुधार आरंभ किये। खुली शासन व्यवस्था के द्वारा आरंभ किये गये सुधार प्रायः ग्लैसूनोस्ट(Glasnost) और पेरेस्ट्रॉइका (Perestroika) के रूप में वर्णित किये जाते हैं।

उसी समय पूर्वी यूरोप के देशों को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, USSR उनकी सहायता की स्थिति में नहीं था। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और आर्थिक सुधार की माँग करते हुए सम्पूर्ण पूर्वी यूरोप में आंदोलन आरंभ हो गये। देश को नष्ट होने से बचाने में सरकार असमर्थ थी। यह अप्रसिद्ध बर्लिन दीवार को तोड़ने का सही मौका था जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करती थी और साथ ही जर्मनी पर USSR के नियंत्रण को भी कम करने का सही मौका था।

USSR में भी कट्टर साम्यवादियों ने गोर्बाचेव को सत्ता से हटाने के लिए एक षडयंत्र रचा। इसे नष्ट कर दिया गया और रूस संसद की ओर से बोरिस येल्त्सीन(Boris Yelstin) ने षडयंत्र को रोकवा। वह राष्ट्रपति चुनाव में जीत गया और 1991 में उसने USSR सेना की वापसी की घोषणा कर दी। पूर्व USSR के अधीनस्थ देश स्वतंत्र हो गये और तत्पश्चात उनमें से कई देशों ने रूस के साथ गठबंधन कर लिया। USSR की शक्ति के कम होने के साथ ही विश्व राजनीति में एक ध्रुवीय युग और वैश्वीकरण युग का एक नया युग आरंभ हुआ। आप इसके बारे में इस पुस्तक के अलग अध्याय में पढ़ेंगे।



चित्र 19.7 : बर्लिन दीवार का विध्वंस जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करती थी।

- 'द्विध्रुवीय' और 'एक ध्रुवीय' शब्दों की व्याख्या कीजिए।

- अरब समाजवादी राष्ट्रवाद और धार्मिक राष्ट्रवाद में क्या समानताएँ और भिन्नताएँ हैं?
- धार्मिक राज्य किस प्रकार कार्य करते हैं यह पता लगाने के लिए तालिबान के शासन में ईरान और आफगानिस्तान में विकास का पता लगाइए।

भारत और उसके पड़ोसी (India and its neighbours)

हमने देखा है कि भारत NAM का संस्थापक है, जो दो महाशक्तियों के बीच स्वतंत्र स्थिति बनाना चाहता है। भारत ने गाँधीजी के शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर अपनी विदेश नीति बनाने का प्रयास किया। शांति के अपने संकल्प पर बल देने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध पंचशील सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया।

1. एक-दूसरे की प्रभुत्व-संपन्नता और प्रादेशिक अखण्डता का आदर करना।
2. अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना।
3. अनाक्रमण और आपसी सद्भावना से विवादों का निर्णय करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग प्राप्ति के प्रयास और पारस्परिक सम्मान करना।
5. शांतिपूर्ण रूप से मिलजुलकर रहने की भावना का विकास करना।

ये अन्य देशों के साथ, विशेष कर इसके पड़ोसी देशों - चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और तत्पश्चात बंगलादेश के साथ भारत के संबंध दृढ़ बनाने के लिए थे।

अपने पड़ोसियों के साथ निम्न लिखित भारतीय संबंधों के बारे में पढ़िए और देखिए कि वह किस हद तक इन सिद्धांतों पर आधारित है।

चीन के साथ भारत के संबंध (India's relation with China)

लंबे संघर्ष और हिंसात्मक क्रांति के पश्चात, 1949 में चीन साम्यवादी गणतंत्र बन गया। चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला भारत पहला देश था। भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) में स्थायी सीट के लिए भी समर्थन दिया, जो सीट पहले चियांग काई शेक सरकार के कब्जे में थी। विचारधाराओं में अंतर होने के बावजूद भी बाडुंग सम्मेलन में भाग लेने में भारत ने चीन की सहायता की। 29 अप्रैल 1954 में दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किये। दोनों देशों के नेताओं ने एक-दूसरे के देश का भ्रमण किया और बड़े मित्रवत भाव से जनता के द्वारा उनका सम्मान किया गया।

उपनिवेशी शासन के समय मैक मोहन रेखा (Mac Mohan Line) दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा थी। नेहरू जी ने उसे स्वीकार किया। चीन और भारत के बीच विद्यमान तिब्बत एक स्वतंत्र अंतस्थ राज्य (independent buffer zone) था। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत को इस आधार पर मिला लिया कि तिब्बत प्राचीन चीनी साम्राज्य का स्वतंत्र राज्य था। इसके दोनों देशों के बीच का अंतस्थ राज्य हट गया। तिब्बत में एक क्रांति हुई जिसे चीन ने दबा दिया। दलाई लामा के साथ हजारों तिब्बती बच गये और भारत में शरण ली। भारत ने दलाई लामा को शरण दी, इसके कारण विरोध उत्पन्न हुआ और चीन ने भारत को अपना शत्रु समझना आरंभ कर दिया। इससे पहले भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी झगड़े आरंभ हो गये। चीन ने लदाख के अकसाई - चिन (Aksai-Chin) क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र पर अपना दावा किया। कई प्रयासों और लंबी चर्चाओं के बावजूद आज तक भी झगड़ा सुलझ नहीं पाया।

भारत के साथ शांति समझौते का उल्लंघन कर 1962 अक्टूबर में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। भारत इस अचानक आक्रमण के लिए तैयार नहीं था और उसे बहुत हानि पहुँची। तभी चीन ने एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की और युद्धपूर्वी स्थिति में अपनी सेना

वापस ले ली। सामान्य संबंध फिर से स्थापित करने में दस में भी अधिक वर्ष लगे। पूर्ण कूटनीतिज्ञ संबंध 1976 में ही पुनर्निर्मित किये जा सके।

अब दोनों देशों को रणनीति के साथ - साथ आर्थिक लाभ भी था क्योंकि दोनों देश एशिया की उभरती शक्तियों के रूप में माने जा चुके थे। आज दोनों देशों को महत्वपूर्ण विश्व अर्थ व्यवस्था और राजनैतिक शक्तियों के रूप में प्रकट होने की प्रगाढ़ अभिलाषा थी। इसीलिए दोनों देश एक-दूसरे को आर्थिक और राजनैतिक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते थे। सीमाओं पर, दोनों सरकारों ने कभी - कभी विरोधपूर्ण कार्यों के बावजूद शांति बनाये रखने के लिए कदम उठाये।

भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध (India's relation with Pakistan)

जैसे हमने पहले पाठ में देखा है कि ब्रिटिश इंडिया (British India) को बांट कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बन गये थे। विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा शाश्वत हो गया था, दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा काश्मीर था।


कश्मीर के लिए दोनों देशों के बीच प्रथम युद्ध 1947-48 में हुआ। लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। युद्ध में कश्मीर को दो भागों में बाँट दिया: पाकिस्तान आधिपत्य कश्मीर (POK) और नियंत्रण रेखा (Line of Control) द्वारा विभाजित भारतीय प्रांत।

1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तब पाकिस्तान जनरल अयुब खान की सैन्य तानाशाही के अधीन था। कश्मीर को स्वतंत्र कराने के नाम पर भारत पर आक्रमण के द्वारा अयुब खान कश्मीर में क्रांति उत्पन्न करना चाहता था। लेकिन कश्मीर के लोगों ने इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं की और युद्ध प्रयासों में भारतीय राज्य का साथ दिया। भारत ने प्रतिक्रिया में लाहोर को लक्ष्य बनाकर पंजाब में मोर्चा लगाया। और इसने पाकिस्तान को कश्मीर मोर्चे से पीछे हटने के लिए विवश किया। UN सेक्रेटरी जनरल यू थॉट ने दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए समझाया।

युद्ध-विराम के पश्चात दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने 1966 में ताशकंद में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1970 के आरंभ में, पाकिस्तान को बहुत बड़े

- क्या आपके विचार में भारत का दलाई लामा और उसके तिब्बतीय समर्थकों को शरण देना सही था?
- क्या आपके विचार में चीन का तिब्बत पर नियंत्रण की आशा करना न्यायपूर्ण था ?
- आपके विचार में दोनों देश किस हद तक सीमा संबंधी अपने पुराने संघर्ष को भुला सकते हैं और अर्थपूर्ण सहयोग और मित्रता विकसित कर सकते हैं?



धर्म और युद्ध

युद्ध की समाप्ति के पश्चात दिल्ली में एक रैली में लाल बहादुर शास्त्री ने, पाकिस्तान के युद्ध में धार्मिक चिह्नों का उपयोग करने के प्रयत्न की आलोचना करते हुए कहा कि यह हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमानों का युद्ध था। उन्होंने गर्व से कहा कि भारत एक धर्मनिपेक्ष देश है।

“हमारे देश की अनोखी बात यह है कि हमारे पास हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और सभी धर्मों के लोग हैं। हमारे पास मंदिर, मसजिद, गुरुद्वारे और चर्च हैं। लेकिन हम इन सबको राजनीति में नहीं ला सकते... भारत और पाकिस्तान के बीच यही अंतर है। पाकिस्तान अपने आपको इस्लामी राज्य बतलाता है और धर्म का उपयोग राजनैतिक तत्व के रूप में करता है, हम भारतीयों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और हम अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीति का संबंध है, हम में से प्रत्येक उतना ही भारतीय है जितना कि दूसरा।”

किया। भारत ने अपनी प्रधान मंत्री, इंदिरागांधी के अधीन, उन्हें सहायता प्रदान करनी आरंभ की और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। भारत ने USSR के साथ संधि पर भी हस्ताक्षर किये जो भारत को समर्थन देने का वादा करती थी।

दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के साथ बड़े स्तर पर युद्ध आरंभ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के पश्चात ही युद्ध समाप्त हुआ जिसके फलस्वरूप बंगलादेश का निर्माण और भारत के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की गयी। तत्पश्चात जुल्फेकार अली भुट्टों और प्रधानमंत्री इंदिरागांधी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

1971 से अब तक सीधे युद्ध तो नहीं हुए हैं, लेकिन सीमा की समझ अपनी-अपनी स्थिति के लिए अनगिनत छुट-पुट झगड़े और लडाइयाँ होती रही हैं। आपने ‘कारगिल युद्ध’ के बारे में सुना होगा जिसमें पाकिस्तानी सेना के समर्थन से भारतीय विरोधी उग्रवादियों ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और 1999 में महत्वपूर्ण सैन्य मार्च के द्वारा उन्हें खदेड़ना पड़ा।

वर्षों से पाकिस्तान भारत के सीमांत राज्यों जैसे पंजाब और जम्मू काश्मीर में पृथकीकरण आंदोलनों को बढ़ावा दे रहा था। भारत हमेशा पाकिस्तान पर ऐसे आंदोलनों का समर्थन करने और धार्मिक आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने और भारत में अशांति फैलाने के लिए भेजने का आरोप लगाता रहता था। इसके विपरीत पाकिस्तान भारत को उसे अस्थायी बनाने का आरोप लगा रहा था और सैन्य कार्यों से भय दिखा रहा था और नाभिकीय हथियारों और मिसाइलों का अत्यधिक संग्रह कर रहा था। इसके कारण दोनों देश अत्यधिक मात्रा में दुर्लभ धन एक - दूसरे के विरुद्ध हथियार खरीदने पर खर्च करने लगे।

दोनों देश के पास परमाणु हथियार थे और वे उनका प्रयोग निवारकों (Deterent) के रूप में करने में विश्वास रखते थे। बहुत लंबे समय तक सभ्यता और संस्कृति की सहभागिता होने पर भारत और पाकिस्तान के लोगों ने अनेकों बार निहित हितों के कारण उत्पन्न घृणा से उबरने तथा व्यापार,

आंतरिक विवाद का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के सैन्य अधिनायक, जनरल याहिया खान ने प्रजातांत्रिक सरकार का वादा करके चुनाव के आदेश दिये। चुनाव के अलग-अलग परिणाम निकले। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फेकार अली भुट्टों की जीत हुई जबकि पूर्वी पाकिस्तान के चुनाव में शेख मुजीब-उर-रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग की जीत हुई। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने न तो फैसले को और न ही पूर्वी पाकिस्तान पर स्वायत्त शासन की माँग को माना। इसके बदले, उन्होंने मुजीब-उर-रहमान को गिरफ्तार कर लिया और आतंकवाद का शासन, आरंभ किया। भारत को पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के प्रवाह का सामना करना पड़ा। मुजीबुर रहमान के समर्थकों ने ‘मुक्त वाहिनी’ (Mukti Vahini) के रूप में स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ

खेल, फिल्म, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के द्वारा मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया। कई भारतीय और पाकिस्तानी यह अनुभव करते हैं कि दोनों देशों में व्याप्त धर्मनिर्पेक्षता, प्रजातंत्र और स्वतंत्रता से दोनों देशों के लोगों में समझ और सहयोग की भावना का विकास होगा। इन आदर्शों को यदि चोट पहुँचायी जायेगी तो दोनों देशों के बीच संघर्ष उत्पन्न होगा।

- आपके विचार में दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक शांति की स्थापना के लिए भारत और पाकिस्तान को कौन से कदम उठाने चाहिए?
- दोनों देशों के विकास के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की स्थापना क्यों अनिवार्य है?

बंगलादेश के साथ भारत के संबंध (India's relation with Bangladesh)

1971 में भारतीय सेना की सहायता से बंगलादेश पाकिस्तान के नियंत्रण से मुक्त हुआ। अपनी स्वतंत्रता के पश्चात इसने भारत के साथ 25 वर्षों के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये। फिर भी उनमें अनेक मुद्दों जैसे:- गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल के बँटवारे के बारे में अनेक मतभेद थे। भारत ने बंगला देश से भारत आने वाले लोगों के अवैध प्रवास का भी विरोध किया। बंगला देश सरकार ने भारत द्वारा अवैध प्रवेश को रोकने के लिए निर्मित सीमाओं की घेराबंदी पर आपत्ति जतायी थी। वह सोचता था कि भारत का व्यवहार इस क्षेत्र में बड़े भाई जैसा है।

इन मतभेदों के होने पर भी कई मुद्दों-विशेषकर आर्थिक मुद्दों में दोनों ने एक दूसरे को सहयोग दिया। बंगला देश इंडियन लुक ईस्ट पॉलिसी (Indian look East Policy) का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें म्यांमार के जरिए दक्षिण एशिया से संबंध बनाना है। आपदा प्रबंधन पर दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं। बंगला देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान करने और अपना वलिदान देने के लिए बंगला देश ने अनेक भारतीयों को पुरस्कार प्रदान किये।

श्रीलंका के साथ भारत के संबंध

श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। यह 1948 में स्वतंत्र हुआ था। चिरकाल से ही भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक, जातीय और आर्थिक संबंध हैं। एक ही समय में दोनों उपनिवेशवाद से मुक्त हुए और आज तक दोनों प्रजातांत्रिक देश हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों में दरार उत्पन्न करने वाला मुद्दा है - तमिल भाषी अल्पसंख्यकों के प्रति श्रीलंका सरकार का



चित्र 19.8 : (बायें) 1958 में चीन के विरोध में प्रदर्शन करते लोग इनका कहना था - लाल चीन तिब्बत को हाथ मत लगाओ। (दायें) 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी भारत आते हुए।

- अनेक छोटे देश यह सोचते हैं कि उनके बड़े पड़ोसी 'बड़े भाई' के जैसा व्यवहार करते हैं? इसका क्या तात्पर्य है ?
- भारत और बंगला देश के मानचित्र को देखिए और बताइए कि दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना का होना दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है?

व्यवहार। आप नवीं कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चर्चा का पुनःस्मरण कीजिए।

बड़े पैमाने पर श्रीलंकायी तमिल शरणार्थियों का भारत में आना, एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके कारण भारत ने सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया। इसके फलस्वरूप द्वीप में शांति बनाये रखने के लिए भारत तथा श्रीलंका और तमिल सैनिकों के बीच एक समझौता हुआ। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत ने श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए सेना भेजी थी और आप यह भी जानते हैं कि तमिल सैनिकों द्वारा ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या की गयी थी। जब श्रीलंका की सरकार ने तमिल सैनिकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें बहुत खून खरावा हुआ तथा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया तब भारत ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप श्रीलंका ने द्वीप में सैन्य संघर्षों का परित्याग कर दिया।

- भारत द्वारा बंगलादेश को दी जाने वाली सहायता और श्रीलंका में इसकी भूमिका की तुलना कीजिए। परिस्थितियाँ समान थी या विषम। अपने विचार बताइए।

मुख्य बिंदु

सैन्य गठबंधन	प्रॉक्सीयुद्ध (प्रतिनिधि युद्ध)	शस्त्र दौड़	एकध्रुवीय (Unipolar)
द्विध्रुवीय(Bipolar)	उपनिवेशीकरण से स्वतंत्रता	जातीय संघर्ष	पंचशील वीटो

अपनी सोचने की क्षमता सुधारें।

1. सही उत्तर चुनिए: निम्न में से शीतयुद्ध से संबंधित कौन का कथन गलत है?
(अ) अमेरिका और रूस के बीच शत्रुता (आ) अमेरिका और रूस का प्रत्यक्षरूप से युद्ध करना
(इ) शस्त्र दौड़ को खत्म करना। (ई) दो महान शक्तियों के बीच विचारात्मक युद्ध
2. निम्न में से कौन पश्चिमी एशिया विवाद में शामिल नहीं था?
(अ) इजिप्त(मिस्र) (आ) इंडोनेशिया (इ) ब्रिटेन (ई) इजरायल
3. विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शक्तियों के स्वभाव में क्या परिवर्तन आये?
4. विश्व में शांति की स्थापना के लिए संयुक्तराष्ट्र किन - किन भूमिकाओं को निभाता है?
5. प्रजातांत्रिक विचारों के होने पर भी कुछ देशों के पास निर्णय लेने की विशेष शक्तियाँ हैं? इस पर अपने विचार बताइए।
6. सैन्य गठबंधनों से महान् शक्तियों को क्या लाभ हुआ ?
7. शीत युद्ध ने सैन्य दौड़ को उत्पन्न करने के साथ-साथ सैन्य नियंत्रण भी किया। कैसे?
8. विश्व में पश्चिमी एशिया तनावों का केन्द्र बन गया था? क्यों?
9. 20वीं शताब्दी के अंत तक विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने वाली केवल एक शक्ति थी। इस संदर्भ में NAM की भूमिका के बारे में आप क्या सोचते हैं? बताइए।
10. NAM का गठन केवल सैन्य गठबंधनों के संदर्भ में ही नहीं है बल्कि आर्थिक नीतियों के संदर्भ में भी है।' उत्तर का विवेचन कीजिए।
11. निम्नलिखित अंशों के आधार पर भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए एक तालिका बनाइए। वे अंश हैं- संघर्षों के मुद्दे, युद्ध की घटनाएँ, सहायता और सहयोग की घटनाएँ।
12. 'जातीय विवादों ने श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित किया। विवेचन कीजिए।
13. विश्व मानचित्र में निम्न स्थानों की पहचान कीजिए।
1) पोलैंड 2) USSR 3) वियतनाम 4) स्पेन 5) लॉटिन अमेरिका 6) अफ़ग़ानिस्तान
14. पृष्ठ संख्या 284 में होने वाला आरेख 2 का परिशीलन करके, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
1) किस देश का सैनिक व्यय अधिक है?
2) G.D.P. प्रतिशत में दो देशों के सैनिक व्यय में आपने क्या अवलोकन किया?
15. पृष्ठ संख्या 285 में होने वाले अंतिम अनुच्छेद को पढ़कर, अपनी टिप्पणी दीजिए।

हमारे समय में समाजिक आंदोलन (Social Movements in Our Times)

आपने कई आंदोलन देखे होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, कई समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया, परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया और उसके लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। आपने भी इनमें से कुछ में भाग लिया होगा। आपके द्वारा भाग लिए गये या समाचार पत्रों में पढ़े गए ऐसे ही कुछ आंदोलन का पुनःस्मरण कीजिए। क्या समस्याएँ थीं और कौनसे लोग प्रभावित हुए, वे क्या चाहते थे, किसने आंदोलनों का नेतृत्व किया, आंदोलन में भाग लेने के लिए किस प्रकार सहमत हुए, क्या आंदोलन में किसी प्रकार का भेद-भाव था, आंदोलन कैसे आगे बढ़ा और किस हद तक वे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके?

पृष्ठ भूमि

20 वीं सदी के पहले अर्धशतक में संसार युद्धों, क्रांतियों, जर्मन के फासीवाद का उदय, सोवियत समाजवाद, पश्चिमी उदारवाद, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन आदि के प्रभाव में था। लेकिन फिर भी 1950 के मध्य भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजरिया और इजिप्त के स्वतंत्र होने से संसार में एक नए युग का आरंभ हुआ। यह कई देशों के लिए आर्थिक विकास और समृद्धि का युग था, लेकिन कई देशों में तनाव की स्थिति थी और समाज का वह भाग जिसे लम्बे समय से समान अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे थे, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े।

नागरिक अधिकार और 1960 के अन्य आंदोलन (Civil Rights and Other Movements of 1960s)


ऐसे ही आंदोलनों में से एक मुख्य आंदोलन अमेरिका नागरिक अधिकार आंदोलन था। यह



चित्र 20.1 : बिल.सी. ऑफ एलिजाबेथ के द्वारा खींची गई तस्वीर एक्सफोर्ड एक काली लड़की जिसने 4 सितंबर 1957 में लिटिल रॉक पाठशाला में प्रवेश करने का प्रयास किया।

अफ्रीकी-अमेरिकन या काले-अमेरिकनों के साथ समान व्यवहार और स्कूलों, बसों और सार्वजनिक स्थानों पर काले और गोरों के बीच अलगाव के नियम की अनुमति के विरुद्ध संघर्ष था और नियुक्ति, मकान और यहाँ तक कि मत देने के अधिकार में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। 1960 में यह आंदोलन पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँच गया था। यह अहिंसात्मक था और, भारी प्रदर्शन, मार्च, नागरिक-अवज्ञा (भेदभाव-कानून का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन) और भेदभाव पूर्ण सेवाओं (जैसे बस जहाँ काले और गोरों के बीच भेदभाव किया जाता था) का बहिष्कार। इसमें

चित्र 20.2 : डॉ.मार्टिन लूथर किंग - भाषण देते हुए।



एक महत्वपूर्ण कार्य डॉ.मार्टिन लूथर किंग की अध्यक्षता में मांटेगोमेरी में कालों द्वारा वर्ष भर बसों का बहिष्कार करना था। इससे बस कंपनी को अत्यधिक हानि हुई और 1956 में कोर्ट द्वारा बसों में भेदभाव पर रोक लगा दी गयी। उसी समय पाठशालाओं में भेदभाव समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन चल रहा था। (काले और गोरे बच्चों को अलग-अलग पाठशाला जाना पड़ता था।) नागरिक अधिकार अधिनियम पास करने की माँग करते हुए दो लाख से भी अधिक लोग वाशिंगटन

मेरा एक सपना है..

पाँच सौ साल पहले, एक महान अमेरिकी ने जिसकी प्रतीकात्मक छाया में आज हम खड़े हैं, मुक्ति घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह महत्वपूर्ण आदेश लाखों नीग्रो गुलामों के लिए एक जलती हुई मशाल के समान था, जो घृणापूर्ण अन्याय की लपटों में जल रहे थे... किंतु एक सौ वर्ष पश्चात भी नीग्रों की जिंदगी अलगाव और भेदभाव के बीच पंगु बनी हुई थी।.....

मेरा एक सपना है कि मेरे चार छोटे बच्चे एक दिन ऐसे देश में जियेंगे जहाँ उनकी पहचान रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से की जाएगी.....

डॉ. मार्टिन लूथर किंग

- डॉ. किंग के इस प्रसिद्ध भाषण को पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसके द्वारा अमेरिकी समाज के लिए बनाये गए आदर्शों और उसे प्राप्त करने के लिए बनायी गयी योजनाओं के बारे में एक निबंध लिखिए।

प्राप्त करना संभव है और आवश्यक कानून पास करने के लिए सरकार पर दबाव डालने लगे। फिर भी मॉलकम X जैसे अन्य कई लोगों की दृष्टि में कालों का एक अलग राष्ट्र था और सफेद लोगों के शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि शक्ति हासिल करने के लिए हथियार बंद विरोध जैसे सभी प्रकार के रास्ते अपनाने होंगे।

नागरिक अधिकार आंदोलन में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों में काली औरतें थीं, जो यह समझती थी कि उनकी आवाज़ आंदोलन के भीतर भी नहीं सुनी जा रही है जो पुरुषों के आधिपत्य में था। यहाँ तक कि प्रसिद्ध वाशिंगटन मार्च में उन्हें बात करने का मौका भी नहीं दिया गया है। उन्हें यह महसूस हुआ कि औरतों को औरतों की समानता के लिए अधिकार माँगने की आवश्यकता है।

ये सभी विरोधी बातें समानता के शक्तिशाली आंदोलन के निर्माण में अपने तरीके से सहायक बनी जिसने USA के आधुनिक इतिहास को आकार प्रदान किया।

- नागरिक अधिकार आंदोलन की माँगों की सूची बनाओ और तालिका में लिखो और आपकी राय में इसके संभावित हल क्या है? बताओ।
- USA स्वयं को प्रजातंत्र का पक्षधर मानता है, किंतु, फिर भी उसने आखिरी शताब्दी के मध्य तक कुछ वर्ग के लोगों को पृथक रखा। हमारे संदर्भ में प्रजातंत्र को और भी समावेशी किस प्रकार बनाया जा सकता है? चर्चा कीजिए।
- एक आंदोलन में हम विभिन्न प्रकार की आवाज़ें (बातें) क्यों सुनते हैं? क्या आप उसमें अंतर पहचान सकते हैं।

USSR में मानव अधिकार आंदोलन (Human Rights Movements in the USSR)

USSR और USSR से प्रभावित पूर्वी यूरोप के अन्य अधिकार के देशों की तरह साधारण लोगों को निःशुल्क बहु-पार्टी चुनाव, बिना जाँच पड़ताल के निःशुल्क प्रेस या माध्यम, या विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता या आंदोलन की आज्ञा नहीं देती थी। ये सरकारें निरंतर उनके कमजोर बनाने वाले षडयंत्रों से डरती थी और लोगों के सभी कार्यों में पूर्ण नियंत्रण रखती थी। क्योंकि लोग इस तरह के नियंत्रणों से तंग आ चुके थे, मानव अधिकार से संबंधित कई आंदोलन जैसे : विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्रेस का आंदोलन आदि, USSR और पूर्वी यूरोप के कई भागों में आरंभ हुए। हंगरी, चेकोस्लाविया और पोलैण्ड जैसे देशों में इस आंदोलन ने USSR से स्वयं को स्वतंत्र कराने की माँग का रूप ले लिया था। इनमें से कुछ आंदोलनों को USA और UK जैसे असाम्यवादी देशों का समर्थन भी मिल रहा था। मानव अधिकार के इन आंदोलनों के विभिन्न रूप थे। इनमें से कुछ का झुकाव सामान्य लोगों के लिए स्वतंत्रता की ओर था तथा अन्य अपने देश में विद्यमान समाजवादी प्रणाली को समाप्त करना चाहते थे। प्रसिद्ध लेखक अलेक्जेंडर सोलज्हेनिट्सिन और नाभिकीय वैज्ञानिक एंड्री सखारोव इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। इनके और अन्य आंदोलनों के प्रभाव के कारण राष्ट्रपति

- आपके विचार में USA और USSR की राजनैतिक प्रणाली की प्रकृति में क्या समानताएँ और विषमताएँ थीं? लोगों के अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी?
- गोरबाचेव के रूप में एक नये नेता सामने आये जिन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ग्लैस्नोस्ट (Glasnost) नामक सुधार की प्रक्रिया आरंभ की।

अनाभिकीय और युद्ध विरोधी आंदोलन (Anti-nuclear and Anti-war Movements)

1970 व 1980 में नये प्रकार के आंदोलन सामने आये युद्ध और नाभिकीय हथियार के विरुद्ध आंदोलन। अगस्त 1945 में संपूर्ण विश्व ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए नाभिकीय बम का आतंक देखा था। USA, USSR, जैसी महाशक्तियों के विद्यमान होने पर भी ब्रिटेन और फ्रांस ने नाभिकीय अस्त्र-शस्त्र के शस्त्रागार का निर्माण आरंभ किया और उसे अन्य शक्तियों को इसका उपयोग करने से रोकने का माध्यम बताया। ये दिन USA और

USSR के बीच गहन शीत युद्ध के दिन थे और अमेरिका का वियतनाम के साथ युद्ध भी चल रहा था। पूरा विश्व एक और विश्व युद्ध की आशंका से भयभीत था। यह डर था कि यदि एक और विश्व युद्ध हो गया और उसमें नाभिकीय हथियारों का उपयोग किया गया तो पृथ्वी पर से सारी मानव जाति का निशान मिट जाएगा। संसार के हजारों वैज्ञानिक और विद्वानों ने नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने का प्रचार किया और USA और USSR को समझौता करने के लिए दबाव डाल कर हथियार दौड़ को समाप्त किया।

वियतनाम के युद्ध में यह अंदाजा लगाया गया कि बड़ी संख्या में कंबोडियन और लाओतियन के साथ-साथ कम से कम 8,00,000 से 30,00,000 तक वियतनामी सैनिक और नागरिक मारे गये। USA में किसी भी नागरिक की मृत्यु नहीं हुई किंतु बड़ी संख्या में सैनिक मारे गये और कई शारीरिक रूप से बाधित हुए। वियतनाम अपने विरोधी USA और फ्रांस की तुलना में अधिक वनजन्य व गरीब था। वियतनामी युद्ध में गोरिल्ला युद्ध की तकनीक का उपयोग करते थे। USA ने नापालम बम सहित रासायनिक बमों के नये शस्त्रगारों का निर्माण किया और संपूर्ण गाँव को नष्ट किया।

1970 के आरंभ में अधिक अमेरिकी सैनिक, यह सोचकर सीधे सादे लोग अमेरिका के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं हो सकते, वियतनाम से वापस आ गए। अधिक से अधिक अमेरिकी भी अपने बच्चों को दूर वियतनाम भेजने से नाखुश थे। इसीलिए वियतनाम युद्ध के विरुद्ध सामूहिक विरोध अमेरिका में फैल गया। इसने 1975 में US सरकार को

“हम नहीं जाएँगे”

अमेरिका में एक कानून था जिसके अनुसार सभी योग्य नागरिकों को छोटे अंतराल के लिए सेना में भर्ती होना आवश्यक था। वियतनाम युद्ध के समय हजारों नागरिकों ने वियतनाम में युद्ध करने के लिए सेना में भर्ती होने से इंकार कर दिया था। यह हार्वर्ड क्रिमसन समाचार पत्र में छपा एक कथन है:

नीचे हस्ताक्षर करने वाले हम सभी प्रारूप काल के अमेरिकी आदमियों को हमारी सरकार हमें वियतनाम युद्ध में भाग लेने का आदेश दे सकती है। हमने इस युद्ध के इतिहास और प्रकृति का निरीक्षण किया है और इस निर्णय पर पहुँचे

हैं कि हमारा युद्ध में भाग लेना हमारे अंतःकरण की आज्ञा के विरुद्ध है।

इसीलिए हम संयुक्त राज्यों द्वारा वियतनाम से युद्ध की प्रक्रिया में भाग लेने से इंकार करते हैं। (कानून के अनुसार भी नागरिकों के लिए ऐसा करना

आवश्यक है।) इस कथन पर हस्ताक्षर करने का हमारा इरादा अन्य प्ररूप संबंधी लोगों के साथ मिलकर रहना है जिसने हमारे, इस युद्ध के व्यक्तिगत नैतिक इंकार को प्रभावपूर्ण राजनैतिक विरोध में बदलने के हमारे दृढ़ निश्चय का साथ दिया।

कुछ लोग समझते थे कि ये लोग देश-भक्त नहीं है और कुछ समझते थे कि उन्होंने अन्यायसंगत युद्ध में भाग लेने से इंकार कर न्याय किया है। इन दोनों दृष्टिकोणों से कक्षा में चर्चा कीजिए और दोनों पक्षों के तर्क पर तथा अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

युद्ध समाप्त करने और वियतनाम छोड़ने के लिए विवश किया। इस अभियान की सफलता ने संसार में शांति आंदोलन को प्रेरित किया।

वियतनाम युद्ध के समाप्त होने के पश्चात नाभिकीय शास्त्र दौड़ अधिक तीव्र हो गई क्योंकि अधिक से अधिक देश नाभिकीय शस्त्र इकट्ठा करने के लिए एक-दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे। इन हथियारों का उत्पादन करने वाली कंपनियाँ (सैन्य-औद्योगिकी कॉम्प्लेक्स कहलाती थीं) और सरकार सामान्य लोगों में युद्ध का भय उत्पन्न करने का प्रयत्न करने लगी थी ताकि वे टैक्स भुगतान कर्ताओं का धन नाभिकीय शस्त्रों पर खर्च करने में सहायता प्रदान करे। धीरे-धीरे कई लोग, मुख्य रूप से यूरोप के लोगों ने समझ लिया कि युद्ध व्यापारिक हैं और शस्त्र दौड़ संसार को और अधिक असुरक्षित बनाती है और सभी देशों के लिए विनाशकारी युद्ध की संभावना को बढ़ाती है, उनके लिए भी जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध वृहद् विरोध हुआ जिससे सरकार से अन्य सरकारों के साथ नाभिकीय शस्त्र कम करने और शांति के लिए कार्य करने का सौदा करने की माँग की गयी।

इस दबाव के परिणामस्वरूप अस्त्र दौड़ के मुख्य प्रतिस्पर्धी USA और USSR ने अपने अस्त्रागार (सामरिक अस्त्र नियंत्रण बातचीत) (SALT - Strategic Arms Reduction Treaty) को कम करने की बातचीत आरंभ की जो असफल हुई। अंत में 1991 में एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये जो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (START) के नाम से जानी जाती है। START इतिहास में अस्त्र नियंत्रण संधियों में सबसे बड़ी और जटिल संधि है। 2001 के अंत में इसके अंतिम कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप उस समय स्थित नाभिकीय हथियारों के व्यूह में 80 प्रतिशत की कमी आई। संधि पर हस्ताक्षर करने के कुछ समय पश्चात ही USSR समाप्त हो गया और उसके स्थान पर नये रूसी राज्य का निर्माण हुआ। इसके साथ ही लंबे

Fig 20.3: a. वियतनाम युद्ध विरोधकर्ता b. महिला प्रदर्शनकारी पेंटागन पर सुरक्षा पर तैनात सैनिक पुलिस कर्मियों को फूल प्रदान करते हुए। इन चित्रों के विचारों पर चर्चा कीजिए।



- शस्त्रीकरण के प्रति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ क्या थीं?
- सरकारों द्वारा अकेले एक दूसरे के साथ नीतियाँ निश्चित करने के बजाय यदि विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो युद्ध की संभावना कम होगी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए।
- देशों के लोगों को पर्यावरणीय मुद्दे किस प्रकार प्रभावित करते हैं जिनकी नाभिकीय संयंत्र की स्थिति निश्चित करने में और फैक्ट्रियों के प्रदूषण में कोई भूमिका नहीं होती। इस स्थिति का सामना हम कैसे कर सकते हैं?

शीत युद्ध और महाविपत्ति कारी विश्व युद्ध के निरंतर भय का भी अंत हुआ। इसका अर्थ यह नहीं था कि देशों के बीच युद्ध या हिंसा समाप्त हो गयी है क्योंकि हमने पूर्वी यूरोप, ईराक और अफगानिस्तान में विनाशकारी युद्ध देखे हैं।

USSR के अंतिम चरण में उसके चेरनोबिल के नाभिकीय केंद्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसके कारण चेरनोबिल के कर्मचारी बड़ी संख्या में मारे गए, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, यूरोप के कई देशों को मिलाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र के वातावरण का दूषित होना था। इसके प्रभाव ने संसार के लोगों में शांति या युद्ध के लिए नाभिकीय शक्ति के खतरे के बारे में जागरूकता उत्पन्न की। इससे युद्ध विरोधियों को वातावरण

सुरक्षा से संबंधित लोगों के साथ मिलने में सहायता मिली।

वैश्वीकरण, सीमांत लोग और पर्यावरणीय परिवर्तन (Globalisation, marginalised people and environmental movements)

1990 से संसार में आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन हुए, जिसे 'वैश्वीकरण' या 'नवीन-उदारवाद' के नाम से जाना गया। इससे अल्पसुविधा प्राप्त और गरीबों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। असंगठित विभागों में कार्य करने वाले जनजाति के लोग, गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर, महिलाएँ, शहरों के गरीब और औद्योगिक मजदूर अधिक प्रभावित हुए। ये वही लोग थे जो औपचारिक शिक्षा या पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य की पहुँच से दूर थे। परिणाम स्वरूप इनकी पहुँच नये अधिक सुविधाजनक वेतन वाली नौकरियों या कानूनी या अन्य संवैधानिक सुविधाओं तक नहीं थी।

अंतिम कुछ दशकों में जनजाति और सीमांत किसानों को वाणिज्यिक किसानों, खान निगमों, बाँध परियोजना आदि के द्वारा धमकाया गया। क्योंकि अधिकतर कंपनियाँ दूर ग्रामीण क्षेत्रों में खनिजों, असाधारण पौधों, पशुओं और जल के कम स्रोत पाती थी, कृषि और जनजातीय जनसंख्या को उनके सांस्कृतिक क्षेत्रों से बाहर निकालने में तीव्र वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप समुदाय नये क्षेत्रों में फैल गये और जनजातीय संस्कृति का विनाश हुआ। इसके कारण वे समाज के अत्यधिक पिछड़े विभाग बनकर रह गये। विकास की ये सभी प्रक्रियाएँ मिलकर प्राकृतिक स्रोतों के लिए घातक बन थी। जिससे पर्यावरण आंदोलन की स्थिति में बढ़ोत्तरी हुई जिससे सीमांत लोगों की क्रोधित आवाज़ को इस विकास कामों के विनाशकारी और हिंसात्मक प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। ये आंदोलन एक दृष्टिकोण ढूँढ़ रहे थे जो अलग प्रकार का था।

यूरोप में हरित शांति आंदोलन (Greenpeace Movement in Europe)

यह आंदोलन मुख्य रूप से 1971 में अमेरिका के अलास्का के समीप जल के भीतर नाभिकीय परीक्षण के विरुद्ध किया गया। कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए एक छोटे जहाज में बैठकर परीक्षण स्थल के लिए निकल पड़े। इस जहाज का नाम “हरितशांति” रखा गया और तत्पश्चात यह आंदोलन का नाम बन गया। आज यह चालीस देशों में फैल चुका है और इसका मुख्यालय एम्सटर्डम (हालैण्ड) में है तथा यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ‘गैर-सरकारी संगठन’ बन गया।

पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने यह खोजा है कि प्रदूषण से वातावरण में सुरक्षात्मक ओजोन परत नष्ट हो जाती है जो सूर्य की घातक किरणों को शोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदूषण के कारण पृथ्वी का सामान्य तापमान नियमित रूप से बढ़ रहा है। यह प्रभाव ध्रुवीय हिम शिखरों - दो ध्रुवों में हिम के रूप में एकत्रित जल, के पिघलने का कारण है। जैसे ही बर्फ पिघलकर महासागर में मिलती है, महासागरों और समुद्रों में जल का स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण संसार भर के तटीय क्षेत्रों में भूमि जलमग्न हो जाती है। बंगलादेश, श्रीलंका, मॉरीशस, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों को, जहाँ बड़ी संख्या में लोग समुद्र तटों पर रहते हैं, बाढ़ और जलमग्नता की सघन समस्या का सामना करना होगा। यहाँ तक की महाद्वीप के भीतरी भागों में रहने वाले लोग भी नहीं बच सकते हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अनियमित वर्षा (अमौसमी वर्षा, अधिक वर्षा और सूखा) और फसल की असफलता होगी। दूसरे शब्दों में भूमंडलीय जलवायु उन देशों को प्रभावित करती है जिसकी जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होती है।

हरितशांति ने कई देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समर्थन किया। इसका उद्देश्य “अपनी पूर्ण विविधता में जीवन को पोषित करने की पृथ्वी की योग्यता को सुनिश्चित करना है।”

कई वर्षों में आंदोलन ने चिरस्थायी (sustainable development) विकास का उपाय किया, वह विकास जो लंबे समय से पर्यावरण को संभाले हुए है और विकसित संसार और अविकसित संसार दोनों के सभी लोगों के लिए न्याय संगत भी है।

भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित आंदोलन

(Bhopal Gas Disaster related movements)

1984 में भोपाल में हुई बड़ी त्रासदी के बारे में आपने पढ़ा होगा। हजारों लोग जीवन से हाथ धो बैठे और कई अभी भी इसके दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं। यह संभवतः संसार की सबसे खराब औद्योगिक त्रासदी है। आरंभ से ही भोपाल के लोग चार मुख्य माँगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं : पीड़ितों के लिए उचित चिकित्सा, क्योंकि कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधार पर पर्याप्त क्षतिपूर्ति, बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रबंधकों पर त्रासदी का अपराधिक उत्तरदायित्व डालना, और अंतिम चरण है भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकना।

- हरितशांति (Green peace) आंदोलन की वेबसाइट देखिए। (<http://www.greenpeace.org/international>) उनके द्वारा विरोध किए गए मामलों का पता लगाने और यह जानने के लिए कि लड़ाई के लिए उन्होंने किन तरीकों का उपयोग किया। इस आंदोलन के वादविवाद और विवादास्पद स्थिति का भी पता लगाइए।



चित्र 20.4 : भोपाल गैस त्रासदी के मृतकों को श्रद्धांजलि देना

कुछ हद तक वे इसमें सफल हुए, फिर भी वे मुख्य माँगों को प्राप्त करने के काफी दूर थे। भोपाल में दवाइयों की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अत्यधिक धन खर्च हुआ, फिर भी पीड़ित उसके प्रभाव को सहन कर रहे थे, अंतराष्ट्रीय स्तर के आधार पर क्षतिपूर्ति नहीं की गयी थी और वे भी सभी प्रभावित लोगों को ठीक से नहीं दी गयी थी। सरकार कंपनी के प्रबंधकों पर, जिनकी लापरवाही के कारण दुर्घटना घटी, अभियोग चलाने और दंड देने में असफल रही। आज हमारे पास बेहतर कानून हैं फिर भी हमारे पास अब भी उचित नीति और पर्याप्त निष्पक्ष निरीक्षण यंत्र नहीं है जो भविष्य में ऐसी त्रासदी होने की संभावना को रोक सके। इसके विरुद्ध विरोध अधिक जटिल था क्योंकि कंपनी स्वयं USA में विद्यमान थी। कंपनी के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण से प्रभावित फैक्टरी के मजदूरों और महिलाओं के समान समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए आज लोगों को अंतराष्ट्रीय कानून का उपयोग करने की आवश्यकता है। विश्व के कई लोगों ने कंपनी के द्वारा बनाये

गये उत्पादनों का बहिष्कार किया। आज भी सामाजिक एकीकरण चालू है, जब डॉव (Dow) कंपनी ने लंदन में ओलंपिक खेल आयोजित किए तो संसार भर के लोगों ने उसके विरुद्ध याचिका दायर की। संसार के बहु संगठनों ने ओलंपिक समूह की डॉव (Dow) के साथ अनैतिक संधि पर उँगली उठाई।


पर्यावरणीय आंदोलन (Environmental movements)

हमारे देश में पर्यावरणीय आंदोलन का आरंभ 1970 में प्राकृतिक वनों की सुरक्षा के लिए आधारित (grass root) आंदोलन के रूप में हुआ। ऐसा ही आंदोलन 'चिपको आंदोलन' था, जिसका अध्ययन आपने 11 वें अध्ययन में किया है।

नर्मदा नदी पर बाँध के विरुद्ध आंदोलन

(Movements against dams on the Narmada river)

1950 से भारतीय विकास योजना का मुख्य भाग विशाल 'बहु-उद्देशीय बाँधों' का निर्माण था। इनमें से कुछ बड़े बाँध भाखरा-नाँगल, हीराकुड और नागार्जुनसागर आदि हैं। आरंभ में लोग बाँधों से बहुत भयभीत हुए, ये बड़ी मात्रा में जल का संग्रहण कर सकते थे, ये बड़े भू-भाग की सिंचाई कर सकते थे, ये बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर सकते थे, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण या



बचाव कर सकते थे। परंतु किसी ने नहीं पूछा कि जहाँ बाँध बनाये गये हैं उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, पेड़-पौधों, खेतों और पशुओं का क्या हुआ? हजारों पेड़ और पशुओं तथा कई एकड़ उर्वरक खेत तथा लोग जिन्हें बाँधों के निर्माण के लिए स्थान से हटाया गया, उनकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गयी। उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं था और उन्हें दयनीय स्थिति में बिना किसी क्षतिपूर्ति के हटाया गया। अधिकतर लोगों के लिए बड़े बाँधों द्वारा देश को होने वाले फायदे के समक्ष यह बहुत ही कम कीमत थी। शीघ्र ही लोगों ने यह भी प्रश्न पूछना आरंभ किया कि सभी खर्चों वनों खेतों गाँवों के संदर्भ में होने वाली क्षति आदि की जिम्मेदारी लेने पर भी बाँधों के लिए किये गये निवेश के पर्याप्त परिणाम न निकलने पर क्या नतीजा होगा? क्योंकि बाँध का खर्च बहुत अधिक था और मूल्य में बढ़ोत्तरी और निर्माण में देरी होने पर यह और भी बढ़ जाता था, दूसरे, वे प्रारंभ में सिंचाई के लिए निर्धारित भूमि की सिंचाई या पूर्व-नियोजित आधार पर बिजली का उत्पादन कभी-कभी ही पूरा करते थे। इसका कारण यह था कि बाँधों में एकत्रित किये जा सकने वाले जल की मात्रा इंजीनियरों की कल्पना से कम थी। जब सरकार ने भारतीय इतिहास के अत्यधिक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर कई बड़े और छोटे बाँधों के निर्माण का प्रस्ताव रखा तब ऐसे कई प्रश्न सामने आए।

परियोजना के कारण जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ा, उन्होंने उचित क्षतिपूर्ति की माँग की, केवल जिनकी स्वयं की भूमि थी उनको ही नहीं, बल्कि जो वहाँ रहते थे उनको भी क्षतिपूर्ति दी जाय। उन्होंने खोयी हुई भूमि के बदले भूमि तथा उचित पुनर्वास की माँग की तथा बाँध के अंतर्गत क्षतिग्रस्त वन की क्षतिपूर्ति के लिए वृक्षारोपण की भी माँग की। शीघ्र ही लोगों ने दो बातों का अनुभव किया, वह यह कि वास्तव में हानि की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है और यह विस्थापित सभी लोगों को उचित रूप से पुनर्वासित करना वास्तव में संभव नहीं है। दूसरे, लोगों ने यह समझना आरंभ कर दिया कि समस्या क्षतिपूर्ति या पुनर्वास की नहीं है बल्कि विकास के एक दोषपूर्ण विचार की है। वह विकास जो प्राकृतिक स्रोत के गैर जिम्मेदार उपयोग पर आधारित है। जो जनजाति समुदाय और कृषि की कीमत पर उद्योगों और वाणिज्यिक खेतों की स्थापना का केवल मार्ग प्रशस्त करती है। यह किसी भी प्रकार से गरीब किसानों और जनजाति के लोगों के जीवन में सुधार लाए बिना, उनमें से केवल अकुशल हस्त कारीगर बनाती है।

आंदोलन के नेता ने बाँधों के निर्माण का विरोध करने का निश्चय किया। 11 वें अध्याय में आपने बाबा महालिया का पत्र पढ़ा है। जो बाँध के विरोध में नर्मदा घाटी में नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) का एक भाग था जो सुसंगठित जन आंदोलन था।

आरंभ में वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिए गए धन से SSP का निर्माण किये जाने की आशा थी। तीव्र विरोध, एकीकरण, प्रयाण, भूख हड़ताल और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के पश्चात वर्ल्ड बैंक ने सहायता रोकने का निश्चय किया।



चित्र. 20.5 विस्थापन के विरुद्ध नर्मदा घाटी में विरोध

सरदार सरोवर बाँध के निर्माण को रोकने के प्रयास में असफल होने के बावजूद भी NBA प्रत्येक को विकास की प्रकृति के बारे में सोचने के लिए मजबूर करने में सफल हुआ - चाहे वह गरीब हो या अमीर और शक्तिशाली, किसी के पक्ष में भी हो, यह प्रत्येक को बड़ी निर्माण योजनाओं की उपयोगिता के बारे में पुनर्विचार करने पर मजबूर करती है, जो प्रकृति में बड़े स्तर

- क्या किसानों और जनजाति के लोगों को बाहर निकाले बिना उद्योगों और खानों का निर्माण असंभव है? इस मामले पर अपने परिवार और पाठशाला में चर्चा कीजिए।

पर हस्तक्षेप करती है, इसने सरकार को लोगों के विस्थापन से प्रेरित विकास (development induced displacement) के लिए पर्याप्त और सम्माननीय क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए सोचने पर मजबूर किया।

भारतीय पर्यावरण की स्थिति (CSE) STATE OF INDIA'S ENVIRONMENT

भारत में पर्यावरणीय और विकास के मामलों का अध्ययन करने के लिए 1980 में अनिल अग्रवाल के द्वारा CSE की स्थापना की गयी। 1982 में भारतीय पर्यावरण की स्थिति की नागरिक रिपोर्ट नामक प्रसिद्ध श्रेणी के प्रकाशन के साथ इसका आरंभ हुआ और ये रिपोर्ट आज देश के सामने आये विभिन्न पर्यावरणीय मामलों के लिए एक मान्य संदर्भ बन गयी। उसके द्वारा अध्ययन किये गए मामलों और उसके कार्यों के बारे में जानने के लिए उसकी वेबसाइट (<http://www.cseindia.org>) पर जाइए।

NBA आंदोलन स्वयं में कई प्रकार के आंदोलनों का मिश्रण है जैसे देशज लोगों का आंदोलन, नवीन उदारवादी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन, अपनी भूमि पर अधिकार के लिए किसानों का संघर्ष क्योंकि बाँध, शहरीकरण, उद्योग, खान और वनों के लिए उनकी भूमि जब्त करने के प्रयत्न किये जा रहे थे।

निशब्द घाटी आंदोलन (Silent Valley Movement) (1973-85)

जब केरल में पश्चिमी घाट में निशब्द घाटी में बहने वाली दो नदियों पर बाँध के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, तब कई शिक्षित लोगों ने यह अनुभव किया कि यह घाटी में रहने वाला पशुओं और पौधों की असाधारण जातियों के लिए घातक हो सकता है। इसमें शेर की पूँछ वाले मैक (Lion Tailed Macaque) एक प्रकार का बंदर जैसे खतरनाक महत्वपूर्ण जीव भी शामिल है। धीरे-धीरे बाँधों और निशब्द घाटी को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन विकसित हुआ। सामान्य लोगों में विज्ञान और अधिगम के प्रचार के लिए कार्यरत केरल शास्त्र साहित्य परिषद (KSSP) नामक संगठन के द्वारा राज्य भर के लोगों को एकीकृत किया गया। वे न्यायालय गये और परियोजना क्षेत्र में काटे जाने पेड़ों के विरुद्ध अपील की और केरल के हाई कोर्ट ने पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी। प्रचंड विरोध को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने अंत में बाँध परियोजना बंद कर दी और 1985 में निशब्द घाटी को नेशनल पार्क में परिवर्तित कर दिया।

चित्र 20.6 : यहाँ के वनों में झींगुर (cricket) नहीं होते इसीलिए वन 'निशब्द' होते हैं। शेर की पूँछ वाले मैक (Lion tailed macaque) और जीव और पक्षियों की अन्य अनोखी जातियाँ यहाँ विद्यमान हैं।



Fig. 20.6

मेधा पाटकर के साथ साक्षात्कार

नीचे दिए गए साक्षात्कार में उनकी एक नेता मेधा पाटकर ने 2010 में संगठन के बारे में बातचीत की है।

अभी इस संघर्ष को जारी रखने से क्या कुछ फायदा है जबकि गुजरात सरकार ने सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही किया है?

“जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक संघर्ष खत्म नहीं हो सकता।”

यद्यपि सरकार द्वारा घोषित नीति और योजना प्रगतिशील और भूमि-आधारित दिखायी दी लेकिन यह स्पष्ट था कि यह उन लोगों को भूमि की गारंटी नहीं दे सकती जिन्होंने अपना रोजगार खोया था। पर्यावरणीय परिमाण अभी तक उसके अनुसार नहीं थे। पास किए गए प्रस्ताव में बतायी गई विभिन्न परिस्थितियों और नीतियों के विरुद्ध बाँध की ऊँचाई बढ़ाना अनुचित है।

यह दर्शाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा कि प्रकृति-आधारित समुदायों के आवास को समाप्त करके और बड़े सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लागत से जो थोड़ा बहुत प्राप्त किया गया वह वास्तव में कच्छ के जरूरतमंद लोगों को नहीं पहुँच रहा है बल्कि गुजरात के निगमों और बड़े शहरों को पहुँच रहा है। NBA इस नमूने में परिवर्तन चाहता है। विस्थापन, विनाश और असमानता के विरुद्ध संघर्ष भी विकास और पुनःनिर्माण के कार्यों के साथ जारी रहेगा क्योंकि यह केवल नर्मदा घाटी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलाया जा रहा है।”



Fig 20.7

- सामाजिक आंदोलन द्वारा उपयोग में लायी गयी विभिन्न नीतियाँ कौनसी थीं?
- आंदोलन के लोगों ने पुनर्वास के आश्वासनों की प्रक्रिया को किस प्रकार देखा?

सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के लिए महिलाओं का आंदोलन

(Movement of Women for social justice and human rights)

हमने पिछली कक्षाओं में महिलाओं के साथ असमान व्यवहार और उनके द्वारा समान अधिकार और अवसर, वैयक्तिक सुरक्षा तथा न्याय के लिए किये गये संघर्ष के बारे में पढ़ा है। थोड़े समय पूर्व में महिलाएँ कई महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलनों में अग्रणी थीं। इसे ठीक से समझने के लिए यहाँ हम दो विशिष्ट उदाहरण लेते हैं - आंध्र प्रदेश का (anti Arrack) आंदोलन और मणिपुरी महिलाओं का सैन्य बल की विशेष शक्तियों के विरुद्ध आंदोलन। उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के विरुद्ध इन विशेष शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था।

अडवुलु एकमैते (Adavallu Ekamaite)

“यह एक कहानी नहीं है। यह एक सायंकाल पाठशाला में पढ़ने वाली महिलाओं की उपलब्धि है।” हमारा गाँव दुबागुंटा है। हम वेतन प्राप्तकर्ता हैं। हम भूमि से सोना निकालते हैं। लेकिन हमारी मेहनत की कमाई ताड़ी और शराब (Arrack) में खर्च हो जाती है। जब हमारे

आदमियों के पास धन नहीं होता था तो वे शराब (arrack) के लिए चावल, घी या कुछ भी बेच देते थे। उनके हाथ में जो भी वस्तु आती थी वे उसे ले जाते थे। पीने के अलावा वे हमें गाली देते, हमसे झगड़ा करते, हमारे बच्चों को मारते थे। उन्होंने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को दुखी बना दिया था। तब हमने बाल-पुस्तिका में सीतम्मा की कहानी पढ़ी। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया। उसकी मौत के लिए कौन उत्तरदायी है? तब हमने सरपंच से शराब (Arrack) की दुकानें बंद करने के लिए कहा। लेकिन हम सफल नहीं हो सके।

इसीलिए अगले दिन, हमारे जैसे कई सौ लोग गाँव के बाहर तक गए और ताड़ी की गाड़ी रोकी। हमने मालिक से शराब फेंक देने के लिए कहा। हमने कहा कि उसके नुकसान की भरपाई के लिए हम सभी एक एक रुपये का अंशदान देंगे। वह भयभीत हो गया। उस दिन से हमारे गाँव में कोई ताड़ी नहीं आयी। जब शराब लेकर एक जीप गाँव में आयी तो हमने उसे घेर लिया और मालिक को चेतावनी दी कि हम मजिस्ट्रेट से शिकायत कर देंगे। इससे वह ऊपर से नीचे तक काँप गया। उसने अपनी दुकान बंद कर दी। अब हम में आत्मविश्वास आ गया। हमने यह अनुभव किया कि यह जीत केवल शिक्षा द्वारा ही संभव हुई है। इस वर्ष किसी ने भी शराब की नीलामी में हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं की।”

यह घटना 1992 में घटी और यह केवल एक ही घटना नहीं थी। जैसे ही समाचार फैला अन्य गाँवों की महिलाओं ने भी अपने गाँवों में शराब का विक्रय रोक दिया। साथ ही नेल्लूर जिले के कलेक्टर द्वारा शराब के ठेके की वार्षिक नीलामी को रोकने के लिए हजारों लोगों ने कूच किया। कलेक्टर ने नीलामी छः बार स्थगित की और अंत में नीलामी रद्द कर दी गयी।

अन्य क्षेत्रों में महिलाओं ने शराब की दुकानों के विरुद्ध रैली निकाली और धरने दिए और दुकानें बंद करने का प्रयत्न किया। उन्होंने दुकानों में माल के संचय या ग्राहकों को शराब खरीदने से रोक कर शराब की बिक्री को रोकने की कोशिश की। शराब के जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करने से इंकार किया उन्हें धरने, दुकान में जमा किए हुए शराब के पैकटों को बाहर फेंकना या शराब में आग लगा देना आदि का सामना करना पड़ा। कई गाँवों में महिलाओं ने रुकावट डालने वाले आदमियों की मूँछे या सर मुँडा दिए, या उन्हें गधे पर बैठा कर गाँव में भी घुमाया। साथ में, पुरुषों को प्रायः मंदिर में शराब न पीने की शपथ भी लेनी पड़ती थी। असंख्यक मीटिंगों और राज्य भर में महिलाओं द्वारा विरोध के पश्चात अक्टूबर 1993 में पूर्ण निषेध लगा दिया गया।

ये महिलाएँ हमारे समाज के गरीब विभाग, दलित वर्ग की थीं। जो अपने पतियों और अन्य पुरुषों की बढ़ती हुई शराब की लत से अत्यधिक परेशान थीं। इनमें से कई महिलाओं ने साक्षरता कक्षाओं में जाना आरंभ कर दिया था और वहाँ प्रायः इस समस्या पर चर्चा करती थीं। ये कक्षाएँ उन्हें अपने जीवन के बारे में चर्चा करने और संबंधों का जाल बनाने का स्थान बन गयीं। जैसे ही आंदोलन आरंभ हुआ इसके अनुभव शीघ्र ही साहित्यिक पुस्तकों द्वारा राज्य की अन्य महिलाओं तक पहुँच गए। ये पुस्तकें राज्य के सभी जिलों में महिलाओं द्वारा पढ़ी जाती थीं। और सबसे अधिक पिछड़े विभाग की महिलाएँ शराब निर्माताओं और विक्रयकर्ताओं की शक्तिशाली और हिंसात्मक चाल का सामना कर सकीं। इन निर्माताओं और विक्रयकर्ताओं के पास केवल बहुत सारा धन और मानवीय शक्ति ही नहीं बल्कि राजनैतिक शक्ति भी थी।

आज फिर स्थिति बदली हुई है और शराब (arrack) की दुकानें फिर से खुल गयी हैं। इससे यह पता चलता है कि केवल निरंतर सतर्कता और कार्यों से ही ऐसे आंदोलनों के लाभों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

- पश्चिमी बंगाल (नंदीग्राम), ओडिसा (नियमागिरी) और आंध्रप्रदेश (पोलावरम, सोमपेट आदि) के ऐसे तत्कालीन संघर्षों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। ऐसे प्रत्येक केस में संघर्ष की मुख्य विशेषता को दर्शाता हुआ एक पोस्टर तैयार कीजिए।

मानव अधिकार के लिए सामाजिक एकीकरण (Social mobilisation on human rights)

अब हम देखेंगे कि किस प्रकार उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर की महिलाओं ने कानून के विरुद्ध संघर्ष किया। जो सैन्य बलों को अपने कार्यों की न्यायिक जाँच की किसी भी प्रक्रिया के बिना लोगों को दबाने की सहमति देता था। (अर्थात् लोग सैन्य बलों के कार्यों को कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे।)

मानव अधिकार के कुछ अनुच्छेदों की सूची नीचे दी गयी है। इसे दो बार पढ़िए। पहले पूरा खण्ड पढ़िए और सभी लोगों के लिए उपलब्ध मानव अधिकारों को नोट कीजिए। तत्पश्चात नीचे दिए गए खण्ड में अनुच्छेद और पंक्ति संख्या लिखिए जो आपके विचार में हिंसा से संबंधित है या मानव अधिकार के प्रबंध के संबंध में असहमत है। (प्रत्येक सूचना जो अंकित नहीं की जा सकती है उन्हें रिक्त छोड़ दीजिए।)

अनुच्छेद 3: प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद _____ पंक्ति _____

अनुच्छेद 5: किसी भी व्यक्ति को पीड़ा पहुँचाना या निर्दयता से पेश आना, अमानुषिक या असम्माननीय व्यवहार करना या दण्ड देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद _____ पंक्ति _____

अनुच्छेद 7: कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेद-भाव के कानून के द्वारा समान सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद _____ पंक्ति _____

अनुच्छेद 9: किसी को भी गिरफ्तार करने, शक करने, या देश से निकालने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद _____ पंक्ति _____

अनुच्छेद 10: प्रत्येक को मेले में या अपने स्वयं के अधिकारों और कर्तव्यों को जानने के लिए किसी स्वतंत्र और पक्षपातरहित न्यायालय की सार्वजनिक सुनवायी में जाने का समान अधिकार है। अनुच्छेद _____ पंक्ति _____

अनुच्छेद 12: किसी को भी अन्य के निजी, परिवारिक, घर या पत्राचार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और न ही इसकी प्रतिष्ठा और कीर्ति पर हमला करने का अधिकार है। इस प्रकार के हस्तक्षेप या हमले के विरुद्ध प्रत्येक को कानून से सुरक्षा पाने का अधिकार है। अनुच्छेद _____ पंक्ति _____

अनुच्छेद 13: (1) प्रत्येक को राज्य (यहाँ राज्य का अर्थ देश) की सीमा के भीतर आने-जाने या निकास करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद _____ पंक्ति _____

(2) प्रत्येक को किसी भी देश से बाहर जाने, अपने स्वयं के देश को भी, तथा अपने देश वापस (स्त्री या पुरुष) आने का अधिकार है। अनुच्छेद _____ पंक्ति _____

ऐतिहासिक संदर्भ (Historical Context)

वर्तमान में मणिपुर दो स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों घाटी और पहाड़ से मिलकर बना है। स्वतंत्रता के पूर्व घाटी राजकीय शासन के अंतर्गत थी और पहाड़ी क्षेत्र स्वतंत्र थे। यहाँ मुख्य रूप से जनजाति जनसंख्या निवास करती थी। 1891 में ब्रिटिशों ने क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर भी राजा अपने राज्य पर शासन कर रहे थे। 1949 में मणिपुर राज्य ने राज्य को भारत में मिलाने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और मणिपुर को भारत का भाग बना दिया गया। कई जनजाति लोगों के द्वारा इस समझौते का विरोध किया गया जो यह बहस कर रहे थे कि वे स्वतंत्र रहेंगे और भारत का हिस्सा बनने के लिए राजी नहीं हुए।

जो लोग मणिपुर को भारत में मिलाने का विरोध कर रहे थे उसकी प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने सेना भेजी। कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जो कानून बनाया गया उसे (AFSPA) कहा गया अर्थात् सैन्य बल विशेष अधिकार अधिनियम (Armed forces Special Powers Act (1958)) अधिनियम के अंतर्गत बल को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या गोली मार देने का अधिकार प्रदान किया। यह तर्क किया गया कि अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है और प्रायः निर्दोषी व्यक्तियों को सताया और उनकी हत्या की जाती थी। यहाँ तक कि सुरक्षा बलों के द्वारा औरतों का भी शोषण और उनपर अत्याचार किया जाता था। औरत और माँ होने के नाते वे अपने बेटे और पति के लिए भी परेशान रहती थी। जिन्हें देश द्रोही होने के संदेह पर ले जाया जाता था और यातनाएँ दी जाती थीं। और बेटियों और माँ का लैंगिक शोषण किया जाता था। कभी-कभी जिन महिलाओं का शोषण होता था वे आत्महत्या भी कर लेती थी। 32 वर्षीय महिला थंगजम मनोरमा की जेल में मृत्यु का विरोध, एक ऐसी घटना थी जिसकी ओर सभी का ध्यान गया।

मीरा पैबी आंदोलन (Meira Paibi Movement)

मीरा पैबी (मीटी (Meitei) भाषा में) इसका शाब्दिक अनुवाद टार्च धारक (torch bearers) हो सकता है। मीरा पैबी 1970 के अंत में शराब के दुरुपयोग के कारण हुई सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए आरंभ हुआ एक आंदोलन है। लेकिन जल्दी ही यह मानव अधिकारों के लिए आंदोलन में बदल गया। क्योंकि 1980 के आरंभ में मणिपुर स्वतंत्रता के लिए अस्त्र आंदोलन का सामना करने के लिए भारी मात्रा में भारतीय सेना भेजी गयी थी। यह वह समय भी था जब राज्य को 'बाधित क्षेत्र' (disturbed area) घोषित कर दिया गया और AFSPA के नाम पर भारतीय सैन्य बल को संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गयीं। इसके परिणामस्वरूप अक्सर सैन्य गतिविधियाँ और मानव अधिकारों का उल्लंघन होने लगा। विरोध प्रदर्शन के साथ मीरा पैबी ने तत्काल प्रतिक्रिया की। मीरा पैबी रात में सड़कों पर गश्त लगाने लगी। प्रत्येक शहर और गाँव के वार्ड या लेइकी की प्रत्येक महिला बिना किसी हथियार के केवल लकड़ी की मशाल लेकर रोज गश्त में भाग लेती थीं। प्रत्येक रात, प्रत्येक लेइकी (Leikai) में, प्रत्येक गली के जंक्शन पर, महिलाओं की टोली समुदाय में अशांति और खतरे की निगरानी रखकर बैठी रहती थी। शांति के समय में कुछ महिलाएँ बारी बारी से निगरानी

करती थी। लेकिन अत्यधिक तनाव की परिस्थिति में अधिक संख्या में भाग लेती थीं। ये कोई कार्यकर्ता या राजनैतिक प्रकृति की महिलाएँ नहीं थीं। ये साधारण महिलाएँ थी जिन्होंने समुदायों की भलाई और सुरक्षा का सांस्कृतिक उत्तरदायित्व लिया था। मीरा पैबी दल यह भी माँग कर रहा था कि AFSPA को वापस भेज दिया जाय। धीरे-धीरे इस



कार्य के विरुद्ध आंदोलन ने जोर पकड़ा और महिलाओं ने अपना संघर्ष अलग प्रकार से जताया। जैसे:- चुनाव का बहिष्कार करने या रिले भूख हड़ताल पर बैठकर। इनमें से एक ईरोम शर्मिला दस वर्ष से भी अधिक समय तक भूख हड़ताल पर रही और घर के अंदर नज़रबंद रही।

समस्या को सुलझाने के कई प्रयत्न किए गए। कई बार सेना के पिछले अफसरों ने भी क्षेत्र में झगड़ों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा और यह जाना कि केवल बेहतर संरचनाओं और सुविधाओं के विकास से ही लोगों की स्वीकृति पायी जा सकती है। क्षेत्र से कानून रद्द करने की संभावना देखने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज बी.पी. जीवन रेड्डी को नियुक्त किया। यद्यपि समिति से अपनी रिपोर्ट पेश कर दी लेकिन अंतिम समाधान पर नहीं पहुँचा जा सका था।

सामाजिक आंदोलन की कुछ सामान्य विशेषताएँ (Some common features across social movements)

मानव अधिकार और पर्यावरण की कठिन सीमाओं को तोड़कर सामाजिक आंदोलन ने विभिन्न माँगें रखी थीं। इन विभिन्न नियमों के आधार पर उन्होंने तर्क रखा। आपने ध्यान दिया होगा कि महालया और लूथर राजा भी पर्यावरण और समानता के प्रश्नों के साथ मानव अधिकारों के आदर्शों के लिए खड़े हुए थे। कुछ संदर्भों में आंदोलन उनके ऊपर लादे गये परिवर्तनों को रोकते हैं। अन्य लोग जैसे मार्टिन लूथर किंग या मीरा पैबी परिवर्तन की माँग करते थे। सामाजिक आंदोलन वैयक्तिक राजनैतिक दलों से प्रायः दूर रहते थे और एक कारण के लिए अधिक संगठित होते थे। इसके सदस्य विभिन्न राजनैतिक दलों से संबंधित हो सकते थे। अधिकतर उनके कार्यक्रम सहभागिता और प्रजातंत्रिक तरीके से निश्चित किए जाते थे। जब एक क्षेत्र के या एक समस्या से पीड़ित लोग यह अनुभव करते थे कि एक देश में विद्यमान राजनैतिक प्रणाली से उनकी आशाओं की पूर्ति नहीं हो रही है तब सामाजिक आंदोलन आरंभ होते थे।

मुख्य शब्द

नागरिक अधिकार	नागरिक अवज्ञा	अलगाव	अस्थायी
युद्ध विरोधी	प्रारूप काल	शस्त्रीकरण	पुनर्वास
क्षतिपूर्ति	शराब-विरोधी	प्रजातांत्रिक	सम्मिलित

अपनी सीखने की क्षमता सुधारे

1. यहाँ कुछ विषयों की सूची है जिनका उपयोग आप सामाजिक आंदोलनों की तालिका बनाने के लिए कर सकते हैं। उनपर आधारित एक तालिका बनाइए और आंदोलनों में समानताओं और असमानताओं का पता लगाइए। आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु, स्थिति, मुख्य माँगें, विरोध के प्रकार, महत्वपूर्ण नेता, राज्य से प्रतिक्रिया समाज पर संभावित प्रभाव।
2. कनय्या, रम्या और सलमा में वाद-विवाद चल रहा था। रम्या तर्क कर रही थी कि ठीक है प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन यह निश्चित होना चाहिए कि लोग गरीबी में न जिंएँ। सलमा तर्क कर रही थी कि केवल खाना ही महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के पास यह जानने का कोई अन्य रास्ता नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में लोगों के सम्मान को क्या कोई ठेस पहुँच रही है। कनय्या कह रही थी कि प्रेस यदि अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए है तो वे साधारण लोगों के आशातीत विषयों को ढक क्यों देते हैं? उनकी विभिन्न आशाएँ थीं। आप किससे सहमत है। और मानव अधिकारों के संदर्भ से कारण बताइए?
3. सामाजिक आंदोलन की आधारभूत विशेषताएँ क्या हैं?
4. ऊपर लिखित केस अध्ययन में सामान्य व्यक्ति की भूमिका का वर्णन किस प्रकार किया गया है?

5. USA में काले लोगों के अधिकार और मीरा पैबी आंदोलन किस प्रकार समान और भिन्न है?

6. संसार के प्रजातंत्र को अति प्रमुख राजनैतिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। क्या आप के विचार में यह लोगों की सभी आशाओं की जिम्मेदारी लेने के योग्य है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर 'प्रजातंत्र और सामाजिक आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।



7. चर्चा कीजिए और पता लगाइए, किस प्रकार आंदोलन संसार के लोगों को एकीकृत करते हैं जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ के विरोध के प्रचार के ऊपर दिए गए उदाहरण में हुआ है।

तेलंगाणा राज्य के गठन हेतु आंदोलन

(The Movement for the Formation of Telangana State)

तेलंगाणा के लोगों द्वारा जल, निधि और रोजगार के लिए किये गये एक लंबे संघर्ष के बाद 2 जून, 2014 को तेलंगाणा ने भारतीय संघ में पूर्ण विकसित राज्य का दर्जा प्राप्त किया। इस अध्याय में हम इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे।

- आप या आपके परिवार के सदस्यों ने इस आंदोलन को देखा होगा या इसमें भाग लिया होगा। कक्षा में अपने अनुभवों की चर्चा कीजिए। आपके विचार में तेलंगाणा के एक पृथक राज्य के रूप में माँग के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
- कुछ मुख्य व्यक्तियों की सूची का संकलन कीजिए, जिन्हें आपके माता-पिता और अध्यापक याद करते हैं। तेलंगाणा राज्य के गठन में उनके द्वारा दिये गये योगदान के संदर्भ में अपने कक्षाकक्ष के लिए एक पोस्टर या दीवार समाचार पत्र तैयार कीजिए।

भारत में हैदराबाद राज्य का विलय (The merger of Hyderabad state with India)

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में हैदराबाद राज्य या निज़ाम अधिराज्य पर ध्यान केंद्रित हुआ। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब निज़ाम अपने शासन के अधीन एक स्वतंत्र राज्य के गठन पर विचार कर रहा था। हैदराबाद के राष्ट्रवादी इसके विरुद्ध थे। हैदराबाद के 16 जिलों में से आठ जिलों में तेलुगु भाषी लोग रहते थे। इन भागों को ही तेलंगाणा कहा गया। हैदराबाद के राष्ट्रवादी, गाँवों में फैल गये और उन्होंने तेलुगु भाषा के विकास, प्रजातांत्रिक सरकार और सामाजिक समानता के लिए प्रचार करना आरंभ किया। इस प्रचार के विकास के लिए 1920-30 में आंध्र महासभा का उदय हुआ। 1940 में तटीय आंध्र के राष्ट्रीयतावादियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। शीघ्र ही आंदोलन ने भू-सुधारों से संबंधित मुद्दों को उठाया तथा निज़ाम तथा रज़ाकारों का समर्थन करने



मानचित्र 1 एकीकृत हैदराबाद राज्य के साथ तेलंगाणा

वाले दोराओं (Doras) के शासन का विरोध किया। इस आंतरिक संघर्ष ने कारण, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में भारतीय सरकार ने पुलिस कार्यवाही आरंभ की और भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य के विलय को सुनिश्चित कर लिया। VIII कक्षा में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। उस समय तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र मद्रास प्रेसीडेंसी के हिस्से थे। तेलुगु बोले जाने वाले सभी प्रदेशों को मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए शीघ्र ही एक आंदोलन आरंभ हुआ। पिछली कक्षाओं में भाषायी राज्यों के गठन के बारे में आप पढ़ चुके हैं।

जेंटलमैन समझौता और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन (The Gentlemen's Agreement and the Formation of the State of Andhra Pradesh)

उस समय ऐसे तीन भिन्न राज्य थे जिनमें तेलुगु भाषा बोली जाती थी। इनमें तेलंगाना, तटीय आंध्र और रायलसीमा शामिल थे। भिन्न-भिन्न बोलियों के अतिरिक्त तीनों क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँ और पहचान थी। तेलंगाना भाषा को एक समावेशित लोक परंपरा से लिया गया था जिनमें जनजातीय भाषाएँ, दक्कनी उर्दू, कन्नड़ और मराठी शामिल थी जबकि तटीय आंध्र की भाषा संस्कृतनिष्ठ थी। तेलंगाना की संस्कृति मिश्रित थी जो मुस्लिम, दलित, दस्तकार, जनजाति और प्रवासी समुदायों से ली गयी थी। तेलंगाना की सामाजिक रूपरेखा

निम्नलिखित विषयों पर तेलंगाना की अनोखी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

- i. प्राकृतिक विशेषताएँ
- ii. समाज
- iii. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्पष्ट थी। इसमें अन्य भागों की तुलना में, एक बड़े अनुपात में जनजाति लोग, पिछड़ी जाति के लोग और मुस्लिम लोग थे। ऐतिहासिक तौर पर, तेलंगाना की तुलना में तटीय क्षेत्रों में संस्कृत का गहरा प्रभाव था। वे भी अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अधीन थे और उन्हें 19वीं शताब्दी से अंग्रेजी शिक्षा सुलभ थी। जिससे वे तीव्र आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरे। इसके विपरीत निजामों के अधीन तेलंगाना में शिक्षा के माध्यम के रूप में उर्दू को थोपा गया। आधुनिक शिक्षा के विकास में यह प्रक्रिया धीमी थी। 1948 में तेलंगाना की साक्षरता दर 9% थी विशेषतः महिला साक्षरता दर केवल 4% थी।

जहाँ तटीय आंध्र मुख्यतः एक मैदानी क्षेत्र या जिनमें विकसित नहर सिंचाई व्यवस्था से पूर्ण डेल्टा सम्मिलित थे। वहीं तेलंगाना शुष्क पठारी क्षेत्र था जो वर्षा आधारित कृषि, पशुपालन, शिकार तथा वनों से एकत्रीकरण पर आधारित था। तालाबों के निर्माण के लिए लहरदार प्रकृत भू-भाग का उपयोग किया जाता था और इस जल का उपयोग विभिन्न फसलों के उगाने में किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान, कृषि, व्यापार और उद्योग के संदर्भ में तटीय आंध्र अधिक विकसित था। इसी समय तेलंगाना के पास इसमें से बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों के विकास की महान् क्षमता थी और इसके पास बहुत समृद्ध खनिज संपदा तथा वन थे। इसी कारण तटीय आंध्र के धनी लोग तेलंगाना के संसाधनों के उपयोग के लिए, तेलंगाना में निवेश के लिए आतुर थे। परिणामस्वरूप आंध्र क्षेत्र से, विशालांध्रा की माँग हुई।

भारत में विलय के पश्चात्, हैदराबाद राज्य 1952 में प्रजातांत्रिक राज्य बना तथा बरुगुला रामकृष्णा राव इसके प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चुने गये। आंध्र राज्य 1953 में मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग हुआ तथा टंगटूरी प्रकाशम इसके मुख्यमंत्री बने। तेलुगु भाषी क्षेत्रों को एक में विलय करने के लिए सक्रिय प्रचार आरंभ हुआ। जहाँ आंध्र विधानसभा ने विलय के समर्थन में सर्वसम्मति दी, वहीं, हैदराबाद राज्य विधान सभा के सदस्यों की भारी संख्या का विलय के बारे में गंभीर विचार थे। उन्हें चिंता थी कि अधिक धनी और विकसित तटीय आंध्र के अभिजात वर्ग भावी राज्य पर शासन करेंगे और तेलंगाना राज्य के लोग बिना किसी लाभ के अपने क्षेत्र के संसाधनों पर से नियंत्रण खो देंगे। वे लोग अपने क्षेत्र के युवाओं के शैक्षिक और रोजगार के अवसरों के लिए भी चिंतित थे क्योंकि तटीय प्रदेशों में अधिकांश संख्या में अंग्रेजी शिक्षित युवा थे। संघीय सरकार की पहल से दोनों तरफ के नेताओं ने दिल्ली में भेंट की और 20 फरवरी 1956 को वे जिस निर्णय पर पहुँचे उसे “जेंटलमैन समझौता” (Gentlemen’s Agreement) कहा जाता है। आंध्र के बैजवाडा गोपाल रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, गौतू लच्चन्ना, अल्लूरि सत्यनारायण राजु तथा तेलंगाणा के बूरुला रामकृष्णा राव, मरी चेन्ना रेड्डी, जे.वी.नरसिंगराव और के.वी.रंगारेड्डी ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। मूलभूत रूप से 14 बिंदुओं पर उन्होंने समझौता किया। इससे तेलंगाना के लोगों की संतुष्टि के आधार पर दो राज्यों के विलय का मार्ग सुगम हुआ। परिणामस्वरूप, एक नये राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी। समझौते के मुख्य बिंदु थे -

1. प्रशासन पर जो व्यय होगा वह समानुपात में दोनों राज्यों द्वारा वहन किया जायेगा तथा तेलंगाना क्षेत्र से होने वाले अतिरिक्त राजस्व को तेलंगाना के विकास के लिए खर्च किया जायेगा।
2. तेलंगाना की विद्यमान शैक्षिक सुविधाओं तेलंगाणा क्षेत्र के छात्रों के लिए ही आरक्षित रखा जायेगा।
3. मुल्की नियमों को वैसे ही अमल में लाया जायेगा जिसके अंतर्गत निर्णय लिया गया कि तेलंगाना में कम से कम 12 वर्ष तक निवास करने वाले लोग ही तेलंगाना में नौकरी पाने और तेलंगाना के शैक्षिक संगठनों में प्रवेश पाने के योग्य होंगे।
4. तेलंगाना के विकास और आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए एक क्षेत्रीय परिषद्, विधान सभा के 20 सदस्यों के मेल से बने संवैधानिक निकाय (Statutory body) को आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
5. तेलंगाना की कृषिगत भूमि के विक्रय का नियंत्रण क्षेत्रीय परिषद् के पास होगा।
6. आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में 40 प्रतिशत सदस्य तेलंगाना से और 60 प्रतिशत सदस्य आंध्र से होंगे।
7. यदि मुख्य मंत्री आंध्र के होंगे तो उपमुख्य मंत्री तेलंगाना के होंगे। यदि मुख्य मंत्री तेलंगाना के होंगे तो उपमुख्यमंत्री आंध्र के होंगे।

तेलंगाना के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव एक नया आविष्कार था।

जनता



मानचित्र 2 भूतपूर्व आंध्रप्रदेश

अन्य क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएँ राज्य सरकार को ही बनाना था। किंतु तेलंगाना के संदर्भ में, यह कार्य क्षेत्रीय परिषद् का ही था। क्षेत्रीय परिषद् को तेलंगाना के सर्वांगीण विकास की सुरक्षा करनी थी। एक सामान्य योजना के अंतर्गत इसे ही योजना और विकास, सिंचाई और औद्योगिक विकास से संबंधित सभी मुद्दों को देखना था। तेलंगाना क्षेत्र में सेवाओं में भर्ती का कार्य भी इसे ही देखना था। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को, तेलंगाना की भूमि को बाहरी लोगों को बेचने से संबंधित विषय पर नियंत्रण के कार्य की अपेक्षा भी क्षेत्रीय परिषद् से ही थी।

यह समझौता राज्य संस्थानों के समान व्यय की सुनिश्चितता पर बल देता था तथा तेलंगाना के युवाओं के शैक्षिक और रोजगार अवसरों को सुनिश्चित करता था।

परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश के नये राज्य में इस समझौते ने तेलंगाना की एक अलग पहचान बनायी। आगे इसीलिए इसे “राज्य में राज्य” (State within the State) के नाम से जाना गया।

- कल्पना कीजिए कि आप तेलंगाना क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं। आप किन विशिष्ट विकास गतिविधियों का सुझाव देंगे? आपके द्वारा प्रस्तावित अति महत्वपूर्ण तीन योजनाओं की सूची बनाइए।
- किन तरीकों से तेलंगाना के अनुसूचित जाति, जनजाति और बंजरों लोगों के रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित किया जा सकता है?
- तेलंगाना के खनिज संसाधनों के उपयोग के उत्तम तरीके क्या हो सकते हैं?
- तेलंगाना के किसानों और श्रमिकों के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ अन्य क्षेत्रों के लोगों की चुनौतियों से भिन्न हैं। कक्षा में चर्चा कीजिए।
- विद्यार्थियों ने तेलंगाना के लिए पृथक राज्य की माँग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभायी होगी? अपने विचार बताइए।

1969 आंदोलन

समय के गुजरने के साथ तेलंगाना के क्षेत्रों में जेंटलमैन समझौते की गैर अमलवारी पर असंतोष उत्पन्न हुआ। इस असंतोष के तीन प्रमुख कारण थे : तेलंगाना से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को राज्य के अन्य क्षेत्रों को स्थानांतरित करने, सरकारी क्षेत्र में रोजगार में भेदभाव, मुल्की नियमों का उल्लंघन करते हुए तेलंगाना क्षेत्र में कार्यरत तटीय आंध्र के लोगों को अधिवासी दर्जा (domicile status) प्रदान करना आदि। कुछ नियुक्तियों पर यह एक विरोध के रूप में आरंभ हुआ और शीघ्र ही एक जन आंदोलन बन गया जिसमें उस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मुख्य भूमिका निभाई। अनेक प्रदर्शन हुए, हड़तालें और अनशन किये गये जिसमें मृत्यु तक अनशन भी शामिल था। हज़ारों

की संख्या में व्यापक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के रूप में पुलिस प्रतिरोध हुआ। आधिकारिक रिकार्ड के अनुसार आंदोलन के दौरान तीन सौ सत्तर लोगों, जिनमें अधिकांश विद्यार्थी थे, को अपनी जानें गंवानी पड़ी।

इसी समय तेलंगाना के कई नेताओं ने मिलकर एक पृथकराज्य के गठन हेतु कार्य करने के लिए तेलंगाना प्रजा समिति के नाम से एक संघ (forum) की स्थापना की। आगे चलकर इसने एक नये राजनैतिक दल का रूप ले लिया। केंद्रीय सरकार ने लंबी बातचीत के बाद आठ बिंदुओं की योजना तैयार की जिसमें मूलभूत रूप से विभिन्न समितियों की स्थापना का लक्ष्य शामिल था। फिर भी यह अधिकांश लोगों को संतुष्ट नहीं कर सका और कुछ समय के लिए आंदोलन धीमा पड़ गया।



चित्र 21.1
तेलंगाना
आंदोलन 1969
में विरोध के



तेलंगाना आंदोलन के विरोध में 1972 में सीमांध्र क्षेत्र में एक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे “जय आंध्र आंदोलन” कहा जाता है। इस आंदोलन की माँग थी - तटीय जिलों में बड़े पैमाने पर विकास तथा अधिवासी दर्जा (Domicile Status) से संबंधित मुल्की नियमों की समाप्ति। यहाँ भी, आंदोलन में छात्रों ने मुख्य भूमिका निभायी क्योंकि उन्हें अपने रोजगार अवसरों के लिए खतरे की आशंका हुई। 1973 में केंद्र सरकार द्वारा छह बिंदुयुक्त सूत्रों का गठन हुआ। इसके द्वारा सभी क्षेत्रों को सुनिश्चित किया गया कि सरकारी नौकरियाँ स्थानीय लोगों को दी जायेगी, शैक्षिक अवसरों का विस्तार सभी क्षेत्रों में किया जायेगा और हैदराबाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। इसी समय मुल्की नियमों तथा तेलंगाना के लिए गठित क्षेत्रीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार तेलंगाना की अलग पहचान की शपथ जो “जैटलमैन समझौते” में की गई थी वह समाप्त हो गई। आंध्र प्रदेश राज्य के सभी क्षेत्रों को एक ही माना जाने लगा।

सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार द्वारा बार-बार बाधा उत्पन्न करने के विरोध में इसी समय राजनैतिक गतिविधि की नयी लहर उत्पन्न हुई। इसीसे तेलुगु देशम पार्टी के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ और क्षेत्रीय आंदोलन कुछ समय के लिए मंद पड़ गया।

तेलंगाना में बढ़ता असंतोष

जैटेलमैन समझौते के बावजूद अनेक मुख्य बिंदुओं जैसे क्षेत्रीय परिषद् के संविधान की अमलवारी नहीं हुई थी। केवल क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया था और इसकी सिफारिशों को अनिवार्य नहीं किया गया और अधिकतर इन्हें सरकार द्वारा नज़र अंदाज किया गया था।

सुनियोजित विकास के दौरान, 1956 से 1990 के बीच आंध्र प्रदेश राज्य में अनेक विकासशील गतिविधियों की शुरुआत हुई। विशाल बाँधों का निर्माण किया गया, सिंचाई और

- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुल पैदावार क्षेत्र में वृद्धि कृषि की प्रगति का सूचक है?
- सिंचाई के लिए कुँओं पर अत्यधिक निर्भरता के कारण तेलंगाना के किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?
- अतीत में तालाब जैसी जन सिंचाई व्यवस्था को क्यों नज़रअंदाज किया गया होगा? इसके पुनःसंग्रहण के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए?
- तेलंगाना में अत्यधिक संख्या में आत्महत्याओं के कारण क्या हैं?
- तटीय आंध्र की तुलना में तेलंगाना में साक्षरता दर की कमी के क्या कारण हैं?

विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत हुई, वृहत् खनन और औद्योगिक भवनों का आरंभ हुआ। कृषि उत्पादन में रूपांतरण के लिए कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अधिकांश संख्या में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हुई। 1990 के बाद राज्य में, विशेषकर हैदराबाद में, सूचना और तकनीकी उद्योग में अप्रत्याशित विकास हुआ। तेलंगाना के लोगों ने विकास की विषमताओं को अनुभव किया क्योंकि सही लाभ राज्य के अन्य क्षेत्रों को हो रहा था। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि तेलंगाना क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग स्थानीय लोगों के लाभ के लिए नहीं हो रहा है। युवाओं ने यह भी अनुभव किया कि राज्य में उत्पन्न नौकरी के अवसरों का लाभ अन्य क्षेत्रों के लोगों को हो रहा है।

कुल कृषि क्षेत्र - मिलियन हेक्टर में

क्षेत्र	1955-56	2006-07	वृद्धि %
आंध्र क्षेत्र	4.2	5.3	20
तेलंगाना क्षेत्र	4.8	5	5

वास्तविक सिंचित क्षेत्र - लाख हेक्टेर में

क्षेत्र	1955-56	2006-07	वृद्धि %
आंध्र क्षेत्र	17	23	135
तेलंगाना क्षेत्र	7	19	257

Source : Sri Krishna Committee Report

यदि हम कुल कृषि क्षेत्र के सूचकांक को देखेंगे तो कुल क्षेत्र जिसमें एक वर्ष में पैदावार होती है तो हम आंध्र क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि और तेलंगाना क्षेत्र में निश्चित गतिहीनता को देखेंगे।

तेलंगाना में सिंचाई की वृद्धि के लिए मुख्यतः किसानों को मूल्य चुकाना पड़ा क्योंकि इसके लिए उन्होंने खर्चिले कुँए खुदवाये जबकि आंध्र क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार नहर सिंचाई से हुआ। यह सुविधा उन्हें सरकार द्वारा दी गयी।

वास्तविक सिंचित क्षेत्र - 2007 में लाख हेक्टेर में

क्षेत्र	कुँआ	नहर	तालाब	अन्य
आंध्र क्षेत्र	5	13	2.5	2.5
तेलंगाना क्षेत्र	14	2.5	2	0.5

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के संदर्भ में हम देखते हैं कि तेलंगाना क्षेत्र मुख्य रूप से कुँओं पर निर्भर है और आंध्र क्षेत्र नहरों की सिंचाई पर निर्भर है।

1993-94 में कृषि से होने वाली प्रति ग्रामीण व्यक्ति आय (लगभग 7,800 रु.) दोनों क्षेत्रों में समान थी। आंध्र क्षेत्र में 2007-08 में यह बढ़कर 11,800 रु. हो गयी, जबकि तेलंगाना क्षेत्र में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी गयी और यह केवल 10,000 रु. तक ही पहुँच सकी।

ठीक इसी समय, तेलंगाना की जनसंख्या का कृषि श्रम 38% से बढ़कर 47% हो गया। किंतु आंध्र क्षेत्र में केवल 1% वृद्धि हुई। इससे तेलंगाना में महान कृषि संकट उत्पन्न हुआ जिससे तेलंगाना के किसानों ने अपनी भूमि को बेच दिया और किसानों ने मजदूरों का रूप ले लिया। मई 2004 और नवंबर 2005 के बीच, सूखा, फसलों के नुकसान, लोगों के आजीविका से च्युत होने के कारण आंध्रप्रदेश में 1068 आत्महत्या के मामले दर्ज किये गये। इसमें तेलंगाना के आत्महत्या के मामले 663 थे। फलस्वरूप राज्य में संकट के कारण जो आत्महत्याएँ हुई उसमें तिरसठ प्रतिशत आत्महत्याएँ तेलंगाना क्षेत्र में हुईं।

यहाँ तक कि सर्वांगीण शैक्षिक उपलब्धि में भी तेलंगाना क्षेत्र तटीय आंध्र क्षेत्र से पीछे ही था। 2001 में तेलंगाना की साक्षरता दर 53% और आंध्र की साक्षरता दर 63% थी। इसी काल के दौरान तेलंगाना क्षेत्र के निर्धन और सामाजिक रूप से हीन वर्गों में साक्षरता दर और भी कम थी। तेलंगाना में कॉलेजों की संख्या 159 थी और यदि हैदराबाद को छोड़ा जाय तो तेलंगाना क्षेत्र में केवल 116 कॉलेज ही थे और आंध्र में कॉलेजों की संख्या 181 थी जबकि दोनों प्रदेशों में युवाओं की संख्या समान थी। ठीक इसी प्रकार कॉलेज शिक्षा के अनुदान की राशि तेलंगाना के लिए लगभग 93 करोड़ थी और आंध्र के लिए 224 करोड़ थी।

इसके साथ ही असमान विकास के कारण, तेलंगाना क्षेत्र के लोगों ने उनके साथ होने वाले सांस्कृतिक भेदभाव का भी अनुभव किया। विलय के पश्चात् तटीय आंध्र की भाषा और संस्कृति को एक आदर्श भाषा और संस्कृति के रूप में प्रोत्साहित किया गया और तेलंगाना की भाषा और संस्कृति को हीन (पिछड़ी) माना गया। तेलंगाना के इतिहास, संस्कृति और नेताओं को विद्यालयीन पाठ्यपुस्तकों में पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। तेलंगाना के लोक देवताओं और त्यौहारों को नज़रअंदाज़ किया गया जबकि तटीय आंध्र के संस्कृतनिष्ठ सांस्कृतिक रिवाजों और त्यौहारों को प्रमुखता दी गयी। तेलंगाना के लोगों का चित्रांकन जिन फिल्मों में हुआ, उन फिल्मों को भी पिछड़ी और अपरिष्कृत माना गया।

इसी बीच राज्य के बाहरी और तटीय आंध्र के धनी लोगों ने तेलंगाना विशेषकर हैदराबाद शहर और इसके चारों ओर भूमि क्रय में बड़े पैमाने पर निवेश करना आरंभ किया। इससे प्रदेश में निवेश तो हुआ किंतु स्थानीय लोगों को इस विकास से कुछ लाभ नहीं हुआ और वास्तविकता में रियल इस्टेट व्यापारियों के कारण अपनी ही भूमि पर से उनका नियंत्रण खत्म होने लगा।

ठीक इसी समय तेलंगाना के श्रमिक और गरीब किसान विभिन्न प्रकार के दबावों का सामना कर रहे थे। एक ओर, शुष्क भूमि वाले गरीब किसान घटते जल संसाधनों के कारण सीमित कृषि उत्पादों का सामना कर रहे थे। कारीगर अपने उत्पादों की माँग में कमी के साथ लकड़ी और बाँस जैसे कच्चे माल के स्रोतों में भी कमी का सामना कर रहे थे। धोबी और बंजारे समुदायों जैसी अनेक पारंपरिक सेवा वर्गों ने भी अपनी आजीविका और सेवा की माँग

में कमी का अनुभव किया। जबकि ऐसी समस्याओं का सामना सारे देश में गरीब लोग करते हैं। तेलंगाना के लोग यह समझ रहे थे कि उनकी इस स्थिति का कारण राज्य सरकार की धनी-समर्थक नीतियाँ हैं जो आंध्र के व्यापारियों की मदद के लिए बनाई गयी थी। वे एक ऐसी सरकार की कामना कर रहे थे जो उनकी माँगों को सुने और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे।

1990 में आंदोलन

- तेलंगाना में मनाये जाने वाले प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? माहवार सूची तैयार कीजिए।
- ऐसी फिल्मों की सूची बनाइए जो तेलंगाना की जनता, भाषा और संस्कृति का सही प्रतिनिधित्व करती है।
- पिछले बीस वर्षों के दौरान तेलंगाना एक विशाल और समृद्ध शहर बन गया है। तेलंगाना की जनता इससे संतुष्ट क्यों नहीं है?
- जिन समस्याओं का सामना तेलंगाना की जनता कर रही है वैसी ही समस्याओं का सामना अन्य राज्यों के लोग भी कर रहे हैं। आपके विचार में पृथक राज्य का गठन क्या उनकी समस्याओं का पर्याप्त समाधान है। क्यों?

आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप जहाँ किसानों, कारीगरों और अन्यो के विकट समस्याओं का सामना किया वहीं अधिकांश संख्या में ठेकदारों और निजी निवेशकों ने बड़ा लाभ उठाया। किसानों ने उर्वरकों, कीटनाशकों, बिजली तथा सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों जैसे निर्गतों के मूल्यों में अधिकतम वृद्धि का सामना किया। तेलंगाना में भू-जल संसाधनों में कमी ने समस्या को और भी बढ़ाया क्योंकि किसानों को गहरे कुएँ खुदवाने के लिए बहुत अधिक निवेश करना पड़ा। जैसे कि ऊपर बताया गया है इसी कारण प्रदेश में अचानक किसानों ने आत्महत्याएँ की। तेलंगाना में बाहरी व्यक्तियों को कृषि भूमि का तेजी से विक्रय हुआ। ठीक इसी प्रकार कारीगरों, पारंपरिक

सेवा प्रदाताओं के पास न तो कोई नौकरियाँ थीं और न ही उन्हें नयी नौकरियाँ पाने के आसार नज़र आ रहे थे।

यह वही समय था जब सरकार अपने खर्च में कमी और भर्तियों को समाप्त करने का प्रयास कर रही थी। निजी क्षेत्र के अधिक विस्तृत होने पर भी, बेरोज़गारी या असुरक्षित रोज़गार एक बड़ी समस्या था। धीरे-धीरे इनमें से, जनसंख्या के प्रत्येक खण्डों ने अपनी मांगों के लिए अपने अलग संगठनों का विकास किया और आंदोलन चलाये। अपने जीवन के पारंपरिक रूप पर प्रवल खतरे का अनुभव करते हुए जनजाति जाति संगठन जैसे- तुडुमदेब्बा, लम्बाड़ी नागरभेरी और येरुकला कुरु और अन्यो ने जल, जंगल और जमीन जैसी अपनी वर्तमान जरूरतों की सुरक्षा के लिए सामने आना शुरू किया। मदिगा डंडोरा, कुरमागोल्ला डोलुदेब्बा और मुकुदेब्बा का गठन हुआ। ताड़ी निकालना, भेड़ पालन, बुनाई, मत्स्य पालन जैसे वर्ग व्यवसाय कारीगरों के लिए असंबद्ध होने लगे जिससे वर्ग व्यवसायों को खतरा उत्पन्न होने लगा। इसी कारण तेलंगाना आंदोलन से संबंधित बहुत छोटे समुदाय भी अपनी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा कर रहे थे।

तेलंगाना की जनता पर होने वाले अन्यायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 1989 में बुद्धिजीवि वर्ग (Intelligentsia) ने तेलंगाना इंफार्मेशन ट्रस्ट (Telangana Information Trust) की स्थापना की। 1 नवंबर 1996 में प्रो. जयशंकर की अध्यक्षता बुद्धिजीवि वर्ग ने वरंगल में तेलंगाना विद्रोहम् नामक सभा का आयोजन किया। इसकी प्रेरणा से तेलंगाना राज्य के गठन की माँग के लिए अनेक संस्थाओं का गठन हुआ। तेलंगाना जन सभा (1997) और तेलंगाना महासभा (1997) ने पिछड़े वर्गों के आंदोलनों को राज्य आंदोलनों में विलय करने में मदद की।

तेलंगाना के कर्मचारियों ने अपने संगठन बनाये जिनमें अध्यापक, गैर-गजेटेड और गजेटेड अधिकारी शामिल थे। तेलंगाना के बौद्धिक वर्ग ने एकजुट होकर विभिन्न कोणों से मामलों की संकल्पनाओं को समझने के लिए 1977 ई. में उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया। कर्मचारियों, विद्यार्थियों, लेखकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने सेमिनारों, व्यवसायों, सभाओं और अन्य धूम-धामों का आयोजन आरंभ किया। इन आवेगों ने नये कार्यकर्ताओं को उत्पन्न किया और अनिवार्य रूप से तेलंगाना की हर सभा में उनके प्रदर्शन होने लगे। जगत्याल जैत्रायत्रा 1978 और वरंगल रैतुकुली संघम 1990 के बीच नवीन सक्रियतावाद ने युवाओं को नयी दिशा दिखाई और युवाओं से यह संदेश ग्रामीण जनता तक पहुँचा। कार्यकर्ताओं की नयी पीढ़ी को तैयार करने के लिए तेलंगाना का यह काल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नयी प्रेरणा से अनेक संगठनों का गठन हुआ।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (The Telangana Rashtra Samithi)

अनेक संगठनीय प्रयोग जैसे : तेलंगाना जन परिषद्, तेलंगाना महासभा, तेलंगाना जन सभा तथा तेलंगाना ऐक्य वेदिका ने राजनैतिक जोश और सक्रियतावाद की भावना का प्रयत्न किया किंतु इनसे किसी राजनैतिक दल की उत्पत्ति नहीं हुई। इसी संदर्भ में अप्रैल 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन हुआ। इसी बीच तेलंगाना आंदोलन 'धूम-धाम' (सार्वजनिक गीत और नृत्य कार्यक्रम), 'गर्जना' (माँगों की घोषणा के लिए वृहद् जन सभाएँ) और पदयात्राएँ (यात्राएँ) जैसे विभिन्न विद्रोहों के रूपों द्वारा अभिव्यक्त हुआ। तेलंगाना की प्रसिद्ध माँगों की अभिव्यक्ति के लिए पारंपरिक बोनालु (देवताओं को चढ़ावा), रंगोली बनाना जैसे कार्यक्रम भी किये गये। तेलंगाना के सेवा वर्गों ने सड़कों पर अपने ग्राहकों के कपड़े धोकर, हजामत बनाकर तथा सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक भोजन (वंटावरुपु) बनाकर तेलंगाना आंदोलन में भाग लिया।

यह वृहद् आंदोलन गाँवों में दिसंबर 2009 और अप्रैल 2010 के बीच निरंतर चलता रहा। छात्रों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसी स्थिति में छात्रों ने संयुक्त कार्यवाही समिति (Joint action committee) (JAC) की स्थापना की। JACs का आवेश आगे चलकर सभी संगठनों तक फैल गया और तेलंगाना में सैकड़ों JACs उत्पन्न हो गये। नवंबर 2009 से एक दुखद युग का आरंभ हुआ। क्योंकि इसमें सैकड़ों युवाओं ने अपने परिवारों और तेलंगाना को छोड़कर आत्महत्याएँ की थीं।

सबद्ध वर्ण (सभी वर्गों) जैसे :- चाकली (कपड़े धोने वाले), नाई ब्राह्मण (जमई) ताड़ी निकालने वाले, काटीकापारलु (मृतों को दफनाने वाले) वंशराजुलु, लंबाडे, येरुकला और



चित्र 21.2



चित्र 21.3

चित्र 22.2, 22.3 और 22.4:
भारी संख्या में लोगों ने विभिन्न तरीकों से भाग लिया। इस अध्याय में वर्ष 2000 के बाद की इन घटनाओं को दर्शाने वाले अनेक चित्र हैं। सकल जनल सम्मे का चित्र अध्यापकों, किसानों और स्त्रियों की भागीदारी को बताता है जिसमें वे अपनी माँग रख रहे हैं।



चित्र 21.4

- विभिन्न व्यवसायों के लोगों ने किस प्रकार आंदोलन में भाग लिया? उदाहरण दीजिए।
- हम सभी को आगे आकर पृथक राज्य के लिए होने वाले आंदोलन में भाग लेना आवश्यक था। क्यों? अपने विचार बताइए।

मादिगा लोगों ने अपने स्वयं की संयुक्त कार्यान्वयन समिति JACs का निर्माण किया तथा विरोध आंदोलन में भाग लिया। कई मंडल मुख्यालयों में श्रृंखलाबद्ध अनशन का आयोजन किया गया जिसमें हर दिन एक विशेष वर्ग समूह के लोग इकट्ठे होकर अपने पारंपरिक उपकरणों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अपनी कारीगरी का प्रदर्शन

करते थे। ये विरोध पारंपरिक व्यवसायों और जातियों तक ही सीमित नहीं थे। आधुनिक व्यवसायों जैसे:- अध्यापकों, औद्योगिक श्रमिकों, खदान मजदूरों, व्यापार संघों तथा नारी संगठनों ने भी ऐसे ही विरोध किये।

के.चंद्रशेखर राव का अनशन - 2009

इन संवेगों को निर्णयात्मक रूप देते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता के.चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट में 29 नवंबर 2009 से अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा की। अनशन के आरंभ होने के पूर्व ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने खम्मम जेल में अनशन आरंभ किया और उसके बाद अस्पताल में अपने अनशन को जारी रखा। उनके प्रति निष्ठा दर्शाने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने 16 नवंबर को तेलंगाना छात्र संयुक्त कार्यवाही समिति (TJAC) की स्थापना की। संयुक्त कार्यवाही समिति (JAC) की स्थापना की लहर काकतीय विश्वविद्यालय और बाद में तेलंगाना, के पालमुर, सातवाहन और महात्मागाँधी विश्वविद्यालयों तक पहुँच गयी। तब कर्मचारी जे.ए.सी., अधिवक्ता जे.ए.सी., जाति और समुदायों की जे.ए.सी. और जिलास्तरीय जे.ए.सी. का उद्भव हुआ।

तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता, के.चंद्रशेखर राव का अनशन एक तीव्र जन आंदोलन बन गया। 29 नवंबर 2009 से 9 दिसंबर 2009 के बीच लगभग दस दिनों तक वे अनशन पर थे।

इसने लोगों को और प्रेरित किया तथा आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया।

तेलंगाना प्राप्ति की प्रक्रिया में:

इस समय की सबसे बड़ी घटना छात्र जे.ए.सी. द्वारा की गयी असेम्बली मुट्टडी (विधानसभा पर आक्रमण) की घोषणा थी। यदि पृथक राज्य की घोषणा नहीं होगी तो छात्र जे.ए.सी. ने 10 दिसंबर 2009 को विधानसभा पर आक्रमण की घोषणा की। असंबली मुट्टडी में भाग लेने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र हैदराबाद शहर आये और विधानसभा के आस-पास अपने मित्रों और संबंधियों के घरों में छिप गये।

समुदायों के साधारण जनों तक आंदोलन का प्रसार, के.चंद्रशेखर राव का अनशन और प्रस्तावित असेंबली मुट्टडी जैसी उपर्युक्त परिस्थितियों ने आखिरकार केंद्र सरकार को तेलंगाना के गठन की घोषणा के लिए राजी किया। सीमांश्र के विभिन्न एम.एल.ए. और एम.पी. के तीव्र विरोध के बावजूद

- तेलंगाना राज्य के गठन से खान और कारखाना श्रमिक किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं?
- वे नीतियों कौनसी हैं जिन पर चलकर कारीगर और हस्तकार एक प्रतिष्ठित आजीविका प्राप्त कर सकते हैं?
- नये राज्य में विभिन्न प्रकार के जनजातीय लोगों की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए कौनसे कदम उठाये जाने चाहिए?



चित्र 21.5, 21.6 & 21.7 विरोध आंदोलन ने तेलंगाना जनता की अनोखी सांस्कृतिक पहचान और त्यौहारों पर बल दिया। विरोध के दौरान प्रदेश के गानों और नृत्यों का प्रदर्शन हुआ।

तेलंगाना आंदोलन में विरोध के रूप

तेलंगाना आंदोलन ने धूम-धाम, गर्जना, सड़क बंद, असेंबली मुट्टडी, पदयात्रा, बोनालु, मिलियन मार्च, सकल जनुल सम्मेलन तथा सागरहारम जैसे विभिन्न विरोध के माध्यमों और जन चेतनाओं के रूपों का नव-निर्माण किया।

‘धूम-धाम’- गीतों और नृत्यों द्वारा विरोध का एक रूप था। विभिन्न लोक-रीतियों के अनेक कलाकार - गायक और नृत्यकार एक ही मंच या आत्म प्लेटफार्म पर आते हैं और अपने कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। ओगुक्का, चिरुथालु, कोलाटम, बतुकम्मा, गोल्लासुडुलु - एकनाथम और अन्य स्थानीय गीत इस धूमधाम में आम हैं। उन्होंने तेलंगाना के गीतों पर अनेक नृत्यों का प्रदर्शन किया। उन्होंने तेलंगाना की संस्कृति को प्रक्षेपित किया तथा तेलंगाना आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए साधारण जानता को शिक्षित किया।

वंटावारुपु (लोग सार्वजनिक सड़कों पर आकर भोजन तैयार करते हैं और सड़कों पर ही खाते हैं।) इसमें जाति या धर्म पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यह एक सहपनक्ती भोजनालु (मिलकर भोजन करना) कार्यक्रम है। वे सड़कों पर चलनेवाले बसों और अन्य वाहनों को रोक देते हैं। वंटावारुपु में विद्रोहियों द्वारा बनाया गया भोजन यात्रियों को खिलाया जाता है।

तेलंगाना का गठन हुआ। 9 दिसंबर 2009 के दिन संघीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि - “पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी।” चंद्रशेखर राव से अपना अनशन समाप्त कर दिया।

घोषणा की वापसी

आंध्र के राजनैतिक नेताओं के दबाव के फलस्वरूप 23 दिसंबर 2009 को घोषणा वापस ले ली गयी। तत्पश्चात् आंध्र प्रदेश के विकास की जानकारी प्राप्त कर उसकी रिपोर्ट केंद्र को सौंपने के लिए न्यायमूर्ति श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया। तेलंगाना की जनता को सदमा पहुँचा। चलिए हम घोषणा की वापसी के संभावित कारणों को देखेंगे।

हैदराबाद विकास का केन्द्र बन गया था। आर्थिक सुधारों की सफलता के साथ वैश्विक महत्व पर इसके दावे, दोनों के कारण यह शहर भारत की एक आवश्यकता बन गया था। सारे संसाधनों को यहाँ उपलब्ध करवाया गया जिसके कारण असंतुलित क्षेत्रीय विकास हुआ। विभिन्न भागों के अनेक लोगों ने हैदराबाद की संपत्तियों में निवेश किया। इनमें से अधिकांश लोगों ने रोजगार और शिक्षा की खोज में हैदराबाद की ओर प्रवासन किया।

अन्य क्षेत्रों के निवेशक अपने भविष्य के लिए चिंतित थे। तटीय क्षेत्रों के किसान भी सिंचाई के लिए नहरों से जल की प्राप्ति और नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए चिंतित थे। इनमें से



चित्र 21.8, 21.9: वंटावरुपु, गलियों में मिलकर भोजन बनाते हुए और मिलकर खाते हुए। ये चित्र नये राज्य के गठन की माँग के लिए लोगों की एकता को दर्शा रहे हैं।

सीमांध्र लोगों को लगा कि तेलुगु भाषा के द्वारा एकता में बंधे राज्य का, दो राज्यों में पृथक होना, दुर्भाग्यपूर्ण है। इन विरोधों ने, केंद्र सरकार पर तेलंगाना के लिए नये राज्य की घोषणा को वापस लेने के लिए दबाव डाला।

इसी बीच अधिकांश स्वायत्त और गैर-दलीय संगठनों ने, स्वतंत्र राज्य की माँग के लिए विविध जन सामान्य को प्रेरित करने के लिए अपनी गतिविधियाँ जारी रखी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि नया राज्य तेलंगाना के सभी लोगों की रुचियों का प्रतिनिधित्व करेगा। इन सभी



चित्र 21.10 : घेरे को तोड़ते हुए आंदोलनकारी



चित्र 21.11 : मिलियन मार्च में हिस्सा लेते हुए आंदोलनकारी

ने समाज के विभिन्न वर्गों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इन संगठनों ने आकारहीन सामाजिक संगठनों को राजनैतिक आकार प्रदान किया तथा राजनैतिक आंदोलन और जन आंदोलन को शक्तिशाली बनाया। इन संगठनों ने तेलंगाना के लिए एक पूर्णकालिक संवर्ग (cadre) को प्रशिक्षित किया। इन कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्तरों पर आंदोलन का समन्वयन किया जिससे बड़ी संख्या में जनता और नेतृत्व को जोड़ने के लिए नये संगठनीय रूप उभरे।

सभी लोगों को एक करने के लिए सभी दलों और संगठनों में मिलकर तेलंगाना संयुक्त कार्यवाही समिति (TJAC) का गठन किया। इसके नेतृत्व में छह प्रमुख आंदोलनों जैसे:- असहयोग आंदोलन, मिलियन मार्च, सकल जनुल सम्मे, 42 दिनों की सामान्य हड़ताल, सागर हारम (हैदराबाद में हुसैनसागर के चारों ओर मानव श्रृंखला), संसद यात्रा (संसद तक यात्रा) और चलो असेंबली की शुरुआत की गयी।

तेलंगाना की प्राप्ति

केंद्र सरकार ने इस पृष्ठभूमि में दोनों क्षेत्रों के कांग्रेस नेताओं से परामर्श के प्रयास को जारी रखा। राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने में दबाव उत्पन्न हो रहा था। तेलंगाना एक राष्ट्रीय मुद्दा बन

- सभी स्तरों पर अधिकांश संख्या में JAC's और अन्य संगठनों का गठन हुआ। एक शिखरीय तेलंगाना संयुक्त कार्यवाही समिति का गठन क्यों आवश्यक था? अपने विचार बताइए। इसके गठन ने आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया।
- कल्पना कीजिए कि आप तेलंगाना आंदोलन के कार्यकर्ता हैं। उस समय की अपनी भावनाओं का वर्णन करें जब केंद्र सरकार अलग राज्य करने की सहमती दी।



चित्र 21.12 : हैदराबाद में टैंकबंद रोड पर एक रैली जिसे सागर हारम कहा गया।

తెలంగాణోదయం!

29వ రాష్ట్రంగా ఆవిర్భావం

Telangana set for a memorable birthday

High and excellent persons every corner of the new state

Related After tea, Andhra Pradesh and the Hyderabad

Prez Rule ends ■ Telangana, 29th state, is born ■ RCH swearing in at 8.15 am

తెలుగు తల్లి Good Morning, Telangana

తెలంగాణ తల్లి Dhoom Dham rings in T

29 తల్లి

114 మండలాలకు


3,50,05,636 జనాభా

10 లక్షలకు పైగా గృహాలు

459 పట్టణాలు

గయా था। कांग्रेस कोर समिति ने आंध्र और तेलंगाना, दोनों के प्रतिनिधित्व को सुना तथा अंत में विभाजन के पक्ष में निर्णय लिया। इसके अनुसार 18 फरवरी को लोक सभा में, 20 फरवरी को राज्य सभा में बिल पास हुआ और 1 मार्च 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। संसद ने 2 जून 2014 को नियुक्ति दिवस के रूप में आंध्र प्रदेश राज्यका विभाजन किया। संसद में बी.जे.पी., बी.एस.पी., सी.पी.आई.

और अन्य विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन किया। लोगों ने उत्सव मनाया। प्रजातंत्र प्रक्रिया में निर्णय लेने में देर हो सकती है किंतु विरोधों के रूप में जन-संघर्ष के दुराग्रह ने देश को विश्वास दिलाया कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना चाहिए और लोगों ने विभिन्न स्थानों पर तेलंगाना विजयोत्सवमुलु आरंभ किया। छात्र और अन्य कार्यकर्ता खुश हुए कि उनका सपना



Map 3: Telangana formed on 2nd June 2014

अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति कीजिए जब केंद्र सरकार ने पृथक राज्य के निर्माण की स्वीकृति दी थी।

- कल्पना कीजिए कि आप रायलसीमा के कर्मचारी है जो हैदराबाद में काम करते हैं। अपनी भावनाओं का वर्णन कीजिए।
- कल्पना कीजिए कि आप एक श्रमिक महिला है। अपने विचारों का वर्णन कीजिए।
- कल्पना कीजिए कि दिसंबर 2009 के समय आप आदिलाबाद जिले के जनजाति के सदस्य हैं। अपने मनोभावों का वर्णन कीजिए।

प्रोफेसर जयशंकर (तेलंगाणा के विचारक):

कोत्तपल्ली जयशंकर ने अपने छात्र जीवन से ही (1952) पृथक तेलंगाणा के लिए संघर्ष आरंभ किया। इनका जन्म 6 अगस्त 1934 में अक्कमपेट गाँव के आत्मकूर मंडल के वरंगल रूरल जिले में हुआ था। उनकी माता का नाम महालक्ष्मी और पिता का नाम लक्ष्मीकांत राव है।



उन्होंने अपनी विद्यालयीन शिक्षा मरकाजी हाइस्कूल हनमकोंडा से तथा इंटरमीडियट व स्नातक की शिक्षा वरंगल से पूरी की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. की पढ़ाई की। उस्मानिया विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की।

इन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन एक अध्यापक के रूप में आरंभ किया। तत्पश्चात वरंगल के चंदा कांतय्या मेमोरियल कॉलेज (सी.के.एम.कॉलेज) में प्रधानाध्यापक के रूप में, काकतीय विश्वविद्यालय और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज (वर्तमान में EFLU) के रजिस्ट्रार के रूप में तथा काकतीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में कार्य किया।

पृथक तेलंगाणा के कट्टर समर्थक होने के कारण प्रोफेसर जयशंकर ने कई आंदोलनों में भाग लिया। 1952 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों और पुनर्गठन के संबंध में जनमत लेने के लिए हैदराबाद पहुँचा। कमीशन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले छात्र संगठनों में प्रो. जयशंकर प्रमुख थे।

प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात आयोग ने प्रश्न किया “क्या तेलंगाणा एक पृथक राज्य के रूप में जीवित रह सकता है?” इस प्रश्न के लिए उन्होंने एक छात्र नेता के रूप में निडरता से उत्तर दिया “आँध्र के लोगों के साथ रहने की अपेक्षा हम जीवित रहने के लिए भीख माँग लेंगे। 1969 के तेलंगाणा आंदोलन को सुदृढ़ करने का इनका प्रयास प्रशंसनीय है। उन्होंने इस विचारधारा का प्रचार किया कि आँध्र लोगों के आधिपत्य के कारण तेलंगाणा के लोग शैक्षिक, रोजगार और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भेदभाव का सामना करते हैं।

1996 में आरंभ होने वाले तेलंगाणा आंदोलन के अगले चरण के ये विचारक थे। इन्होंने जन माध्यमों के द्वारा सांख्यिकी (Statistics) के साथ तेलंगाणा लोगों के द्वारा सामना की जाने वाली विषमताओं पर प्रकाश डाला।

इनकी इच्छा थी कि तेलंगाणा आंदोलन तीन चरणों में चलाया जाय। इसमें से पहली चरण तेलंगाणा के सिद्धांतों का प्रचार, दूसरा विभिन्न रूपों में गतिविधियाँ व यूरोप तथा अंतिम चरण राजनैतिक प्रक्रिया का था। तेलंगाणा की प्राप्ति तक विचारधाराओं के प्रसार के लिए किये गये उनके प्रयास अद्भुत थे। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर छात्र संगठनों, मंडलियों, राजनैतिक दलों और संयुक्त कार्यवाही समिति (JAC) ने तीव्र विरोध किया, जिससे तेलंगाणा आंदोलन को गति मिली। फल स्वरूप 2 जून 2014 के दिन तेलंगाणा राज्य का गठन हुआ। इन्होंने प्रामाणिक रूप से घोषणा कि “मैंने तेलंगाणा का गठन देखा है।” दुर्भाग्यवश पृथक तेलंगाणा गठन के सपने के साकार होने के पूर्व ही 21 जून 2011 के दिन बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गयी।

प्रो. जयशंकर की स्मृति में तेलंगाणा राज्य की सरकार ने तेलंगाणा के कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर प्रोफेसर जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय रख दिया और तेलंगाणा के नवगठित जिलों में से एक जिले का नाम जयशंकर रखा।

मुख्य शब्द

रजाकार

क्षेत्रीय परिषद

पुलिस कार्रवाई

मुल्की नियम

सीमान्द्रा

सकल फसल क्षेत्र


अपनी सीखने की क्षमता सुधारें


- 1) गलत कथनों को सही कीजिए।
 - भारतीय राज्य भाषाओं के आधार पर बने हैं।
 - आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करने वाले सभी विभिन्न समूहों के लोगों की भाषा को पर्याप्त पहचान उपलब्ध करवायी गयी है।
- 2) “तेलंगाना में निवास करने वाली जनता की विविधता का एक ऐतिहासिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकरण है।” अध्याय में दिये गये तर्कों के आधार पर इस कथन को सिद्ध कीजिए।
- 3) जैटलमैन समझौते की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्षेत्रों के बीच यह अविश्वास का कारण कैसे बना?
- 4) तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के आधार पर बताइए कि तेलंगाना राज्य में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों की प्रतिष्ठा की सुनिश्चिता के लिए आप कौन से कदम उठायेंगे?
- 5) दोनों प्रदेशों में जल, कृषि, शिक्षा और रोजगार की सुलभता में क्या अंतर थे?
- 6) शहरी, ग्रामीण प्रांतों के विकास में असमानताओं के कारण सरकार से जो अपेक्षाएँ हैं उनमें अन्तर्विरोध कैसे उत्पन्न हुआ है?
- 7) उन लोगों के द्वारा दिये गये तर्क क्या थे ये जो दोनों प्रदेशों को एकीकृत रखना चाहते थे?
- 8) तेलंगाना राज्य गठन के लिए प्रयोग में लाये गये विभिन्न जन चेतना माध्यमों का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे?
- 9) तेलंगाना राज्य के गठन में जे.ए.सी. और राजनैतिक दलों द्वारा निभायी गयी विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए? जे.ए.सी. ने राजनैतिक आदर्शों के लिए किस प्रकार एक मंच तैयार किया था? अपने विचार बताइए।
- 10) तेलंगाना के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए।
 - 1) महबूबनगर
 - 2) खम्मम
 - 3) निजामाबाद
 - 4) आदिलाबाद
 - 5) नलगोंडा
 - 6) महबूबाबाद
 - 7) निर्मल
 - 8) जोगुलंबा


परियोजना कार्य

2009 के दौरान आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों का साक्षात्कार लीजिए। उनके अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इन घटनाओं से संबंधित छायाचित्र (photos) पुराने समाचार पत्रों और मैगनीज़ों से इकट्ठे कीजिए और एक स्क्रेप बुक तैयार कीजिए। **जनता**

Telangana Political Map







Africa Political Map




जनता

Africa Practice Map



World Outline Map




India Physical Map




जनता

India Practice Map



India Physical Map



जनता